26 April 1994

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

IX Session

(दसवीं लोक सभा)



लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

26 अप्रैल, 1994 के लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
(iii)	12,13	बहि:स्राव के कारण सोनभद्र नदी का प्रदूषित होना	बहि:स्राव के विसर्जन के कारण सोनभद्र नदी में प्रदूषण के बारे में
(iii)	17	टेस्टरेंज स्थल के	टेस्ट रेंज के
(iv)	11	डा॰ कमला मिश्र मधुकर	श्री कमला मिश्र मधुकर
22	4	श्री विजय नवल पाटील	श्री विजय एन॰ पाटील
26	12	श्री पृथ्वीराम डी चव्हाण	श्री पृथ्वीराज डी॰ चव्हाण
50	प्रश्न 440	श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर	श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)
94	प्रश्न सं॰ 4789	श्री विजय नवल पाटील	श्री विजय एन॰ पाटील
115	प्रश्न सं॰ 4823	श्री सुल्तान सलाउद्दीन आवेसी	श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी
140	1	अनुवाद	लोप किया जाए ।
140	12	अनुवाद	लोप किया जाए
178	नीचे से 4	श्री राम निहोर राय से पूर्व	प्रश्न संख्या 4901 लगाएं ।
191	नीचे से 4	श्री पवन कुमार	श्री पवन कुमार बंसल
232	प्रश्न सं॰ 4948 उत्तर	(ग)	(ग) और (घ)
263	नीचे से 11	उप मंत्री	उप मंत्री (कुमारी शैलजा)
301	1	3·33	3·33 म॰प॰
305	2	सिफारिशों के अनुमोदन संबंधी संकल्प	सिफारिशों का अनुमोदन कर के बारे में संकल्प

विषय सूची

दशम माला, खण्ड 30 नवां सत्र, 1994 / 1915 - 1916 (शक)

अंक 25 मंगलवार, 26 अप्रैल, 1994 / 6 वैशाख, 1916 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
* **तारांकित प्रश्न संख्या :**	421 -423 और 426 -427	1 -27
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
* **तारांकित प्रश्न संख्या :**	424,425 और 428 -440	27 -50
अतारांकित प्रश्न संख्या :	4744 -48731 और 4833 - 4973	50 -251
सभा पटल पर रखे गए पत्र		261 -266
प्राक्कलन समिति		
उनतालीसवां और तैंतालीसवां प्रतिवेदन - प्रस्तुत		266
लोक लेखा समिति		
छियासठवां और अड़सठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत		267
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति		
बत्तीसवां, चौंतीसवां और छत्तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत		267
विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति		
दूसरा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश - प्रस्तुत		268
खाद्य नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति		
पांचवां और छठा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश - प्रस्तुत		268

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उसी सदस्य ने पूछा था।

श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति

चौथा और पांचवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश - प्रस्तुत 268

शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

पांचवां प्रतिवेदन - प्रस्तुत 268

उद्योग संबंधी स्थायी समिति

ग्यारहवां प्रतिवेदन - **सभा पटल रखा गया** 269

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

इकतीसवां और बत्तीसवां प्रतिवेदन - प्रस्तुत 269

मंत्री द्वारा वक्तव्य 269

मध्य प्रदेश में दियापाइपर के निकट स्थित
ओरिएंट पेपेर मिल और हुकुम चन्द जूट
मिल के बहि: स्राव: के कारण सोनभद्र नदी
का प्रदूषित होना

श्री कमल नाथ

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) पूर्व प्रस्ताव के अनुसार उड़ीसा के बालासौर में बलियापाल के स्थान पर चांदीपुर को नेशनल टेस्ट रेंज स्थल के रूप में घोषित करने की आवश्यकता। 272

डा. कार्तिकेश्वर पात्र

(दो) अस्पतालों को संस्थागत ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र बनाने हेतु उन्हें उद्योग के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता। 272

डा. कृपासिन्धु भोई

(तीन) प्रमुख हवाई अड्डों पर पक्षियों के विमान से टकराने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए तुरंत उपाय करने की आवश्यकता। 272

श्री विजय एन. पाटील

(चार) केरल में अड्डूर के लोगों को समुचित मात्रा में रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने की आवश्यकता। 273

श्री कोडीकुन्नील सुरेश

(पांच) उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में स्पीड पोस्ट सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता। 273

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल

(छः) बरेली, उत्तर प्रदेश में इलैक्ट्रोनिक दूरभाष केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता। 273

श्री राजवीर सिंह

(सात) भारतीय जौ संवर्धन परियोजना के अंतर्गत विकसित जौ की नई किस्मों का उत्पादन सुनिश्चित करने तथा संबंधित वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता। 274

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह

(आठ) लघु एककों द्वारा निर्मित माल पर लगाये गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को वापस लिए जाने की आवश्यकता। 274

डा. (श्रीमती) के.एस. सोन्द्रम

उरुग्वे दौर की मंत्रि स्तरीय समापन बैठक के बारे में वाणिज्य मंत्री द्वारा 22.4.1994 को दिए गए वक्तव्य पर चर्चा के बारे में 275 - 304

रेल अभिसमय समिति के पांचवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों का अनुमोदन करने के बारे में संकल्प 305 - 411

अनुदानों की मांगें (रेल), 1994-95

और

अनुदानों की अतिरिक्त मांगें (रेल), 1990-91

श्री सी.के. जाफर शरीफ 305

प्रो. प्रेम धूमल 308

श्री बसुदेव आचार्य 387

श्री सूर्य नारायण यादव 394

डा. मुमताज अंसारी 397

डा. कमला मिश्र मधुकर 400

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति 403

श्री पवन कुमार बंसल 407

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय 408

लोक सभा

मंगलवार, 26 अप्रैल 1994 / 6 वैशाख, 1916 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

विदेशी प्रशिक्षक

*** 421. श्रीमती शीला गौतम :**

श्री प्रभुदयाल कठेरिया :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए विदेशी प्रशिक्षकों को नियुक्त/आमंत्रित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों के प्रशिक्षकों को नियुक्त किया गया तथा वे किन-किन खेलों में प्रशिक्षण दे रहे हैं ;

(ग) इन प्रशिक्षकों के चयन के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं और उनके साथ कितनी अवधि का करार किया गया है;

(घ) क्या भारतीय प्रशिक्षक भी इस प्रकार का प्रशिक्षण देने के लिए विदेश जाते हैं या जा चुके हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो वे किन-किन देशों में किन-किन खेलों का प्रशिक्षण देने गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(ख) देश का नाम तथा खेल विधाएं जिनमें से इस समय कोच नियुक्त किए गए हैं, निम्नलिखित हैं : -

(1)	रूस	-	तोरंदाजी
(2)	बेलारूस	-	ग्रीको - रोमन कुश्ती, भारोत्तोलन, केनोइंग व क्याकिंग, जुडो, एथलेटिक्स
(3)	युकरेन	-	फेंसिग
(4)	क्यूबा	-	मुक्केबाजी
(5)	चीन	-	टेबल टेनिस
(6)	लिथूआनिया	-	साइक्लिंग
(7)	मंगोलिया	-	फ्री-स्टाइल कुश्ती

इसके अतिरिक्त आस्ट्रेलिया (निशानेबाजी) हंगरी (निशानेबाजी) तथा अमरीका (तोरंदाजी और रोइंग) से अल्प अवधि प्रशिक्षण के लिए कोचों को लगाया गया था।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए राष्ट्रीय टीमों के प्रशिक्षण के लिए आवश्यकता के आधार पर उनकी व्यवसायिक योग्यताओं, सक्रिय खिलाड़ी के रूप में तथा विश्व स्तर खिलाड़ियों के प्रशिक्षण में कोच के रूप में उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए कोचों का चयन किया जाता है। विशिष्ट खेल विधाओं में संबंधित देशों से उनके विस्तृत बायो-डाटा सहित नामांकन आमंत्रित किए जाते हैं। कोच का अंतिम रूप से चयन भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा युवा कार्यक्रम और खेल विभाग तथा संबंधित राष्ट्रीय खेल संघ के परामर्श से किया जाता है।

प्रारम्भ में सामान्यतः सभी ठेके केवल एक वर्ष के लिए हस्ताक्षरित किए जाते हैं ताकि प्रयोग करने वाली एजेंसी कोच की उपयोगिताओं का आकलन कर सके। ठेकों को आगे बढ़ाने की भी सम्भावना होती है।

(घ) जी, हां।

(ङ) देश का नाम तथा खेल विधाएं जिसके तहत भारतीय कोचों ने विदेशों का दौरा किया, निम्नलिखित हैं : -

(1)	मालद्वीप	-	टेबल टेनिस
(2)	घाना	-	हाकी, बालीबाल
(3)	साइचिलिस	-	हाकी
(4)	भूटान	-	एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक
(5)	नामीबिया	-	हाकी

[हिन्दी]

श्रीमती शीला गौतम : माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नहीं आ पाए हैं या एशियन गेम्स के स्तर पर भी नहीं आ पाए हैं। भारतीय खिलाड़ी जो बाहर प्रशिक्षण लेने या खेलने के लिए जाते हैं तो वे वहीं जाकर बस जाते हैं जैसे-प्रगट सिंह और विजय अमृतराज आदि अमेरिका, आस्ट्रेलिया या मलेशिया में जाकर बस गए हैं। भारतवर्ष में इतने अच्छे खिलाड़ी होते हुए माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि क्या उनको यहां पर और सुविधाएं नहीं दे सकते ताकि वे भारत की कीर्ति ऊपर उठा सकें और यहां पर रह सकें।

श्री मुकुल वासनिक : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि जिस तरह से हमारा परफारमेंस एशियन लेवल पर या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रहना चाहिए वैसा परफारमेंस देखने को नहीं मिलता। लेकिन जैसा माननीय सदस्य ने कहा भारत के कुछ अच्छे खिलाड़ी विदेशों में जाकर बस गए हैं और उनका उपयोग खेल के विकास के लिए हम यहां नहीं करते, मैं समझता हूँ कि यह पूरी तरह से सही नहीं है। दो-तीन खिलाड़ियों के नाम मैं बताना चाहूंगा, जैसे-प्रकाश पादुकोण और जाफर इकबाल जो नेशनल कोच हैं इंडियन हाकी टीम के और अन्य खिलाड़ी है जिनका उपयोग हम यहां खेलों के विकास के लिए कर रहे हैं और भी कई खिलाड़ियों को विभिन्न समितियों के माध्यम से उनके सुझाव लेकर कि किस तरह से खेलों का विकास कर सकते हैं, उस दिशा में हम कोशिश करते रहे हैं। बाकी के मामलों में भी जैसे कोचिंग स्कीम हो, वहां भी खिलाड़ियों का उपयोग खेलों के विकास के लिए कर रहे हैं।

श्रीमती शीला गौतम : मंत्रीजी ने सही कहा। मैने सब खिलाड़ियों के बारे में नहीं कहा, कुछ के बारे में कहा था जो बाहर जाकर बस गये हैं। मेरा अगला प्रश्न है कि क्या सरकार का ऐसा विचार है कि प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिला में खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक-एक कोच की नियुक्ति की जाये, जिससे हमारे देश में खेलों के गिरते हुए स्तर को सुधारा जा सके ? इस चालू बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्रीजी ने कितनी राशि आबंटित की है ? मेरा तो यह कहना है कि कोच तो दूर की बात गांवों में मास्टर भी नहीं हैं, जबकि गांवों के बच्चे बहुत अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं, तो क्या उनके लिए कोच का प्रबन्ध करने पर सरकार विचार कर रही है ?

[अनुवाद]

श्री मुकुल वासनिक : महोदय, देश में एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना है और भारतीय खेल प्राधिकरण में 1,798 प्रशिक्षक हैं और यह योजना प्रत्येक राज्य में हैं। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रों पर हम अपने प्रशिक्षक तैनात करते हैं और जिलों में जहाँ राज्य खेल कूद विभाग ने चार खेलों की पहिचान की है, हम अपने दो प्रशिक्षक नियुक्त करते हैं और शेष प्रशिक्षकों की नियुक्तियां संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जाती हैं और इसी प्रकार विश्वविद्यालय प्रशिक्षण केन्द्रों में भी हमारे प्रशिक्षक रहते हैं। अतः माननीय सदस्य द्वारा अभी-अभी दिए गए सुझाव को हम पहले ही कार्यान्वित कर चुके हैं।

जहाँ तक प्रशिक्षकों पर होने वाले कुल व्यय का प्रश्न हैं तो हम भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा नियुक्त प्रशिक्षकों पर लगभग 10 करोड़ रुपये व्यय कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुदयाल कठेरिया : क्या विदेशी प्रशिक्षकों की नियुक्ति के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ियों की उपलब्धि में कोई फर्क आया है, यदि हां तो उसका विवरण क्या है और क्या पुनरावलोकन समयबद्ध आधार पर किया जाता है ? दूसरा प्रश्न है कि क्या यह सच नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खिलाड़ियों का स्तर निरंतर गिरता जा रहा है और क्या सरकार ने इस विषय में कोई जांच-पड़ताल की है, यदि हां तो इसका कारण क्या है और क्या राजनैतिक आधार पर खिलाड़ियों का चयन किया जाता है ?

श्री मुकुल वासनिक : जो विदेशी प्रशिक्षक नियुक्त किए जाते हैं। वे डिपार्टमेंट आफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया और नेशनल फेडरेशन के साथ बातचीत करके ही करते हैं। उनकी नियुक्ति शुरू में एक साल के लिए होती है। अगर उनके द्वारा कोच किये हुए खिलाड़ियों में कोई सुधार नजर नहीं आता तो उसको बीच में हम रोक सकते हैं, लेकिन इस तरह का कुछ देखने को नहीं मिला है। जहां हमने विदेशी प्रशिक्षकों को नियुक्त किया है वहां के खिलाड़ियों और खेल में निश्चित रूप से प्रगति हुई है। एक-दो ऐसे खेल हैं जिनमें विशेष प्रगति नजर नहीं आई। वहां पर विदेशी प्रशिक्षकों को बदलकर किसी और की नियुक्ति करने की सोच रहे हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : भारतीय प्रशिक्षकों के चयन का आधार क्या है, क्या इनमें कोई अनुसूचित जाति और जनजाति के भी हैं ? इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि गत तीन वर्षों में कितने लोगों का चयन किया गया है और क्या यह सच है कि 1991-92 और 1992-93 में हाकी के दो ऐसे प्रशिक्षक थे जिनकी कम्पीटेटिव योग्यता थी। पर उनका जाति और भाई-भतीजावाद के आधार पर चयन नहीं हो सका।

श्री मुकुल वासनिक : कुछ स्पैसेफिक मुद्दे इन्होंने यहां पर उठाये हैं कि कुछ व्यक्तियों का जाति के आधार पर चयन नहीं किया गया। अगर वे कुछ इस बारे में जानकारी देंगे तो निश्चित रूप से इस मामले को देखूंगा कि क्या हुआ था ? जहां तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का सवाल है, कोचिंग स्कीम के तहत जो लोग डिप्लोमा कोर्सेस में भर्ती होते हैं, उनका आरक्षण है और में समझता हूं कि माननीय सदस्य को कोई आपत्ति नहीं होगी।

जहां तक इनके चयन करने का प्रोसीजर है, महिलाओं में 25-35 साल की आयु अवधि और पुरुषों में 23-35 साल की अवधि में इनका चयन किया जाता है। ओरल टैस्ट के साथ रिटन टैस्ट होता है और उसके बाद उसका चयन होता है। चयन के लिये एप्लाई करने से पहले कुछ प्री-कंडीशन्स हैं जिसमें यह देखा जाता है कि उन्होंने नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट किया है या नेशनल लैवल पर या यूनिवर्सिटी लैवल पर किया है तो ऐसे लोगों को एप्लाई करने की सुविधा है।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, चिन्ता का विषय यह है कि खेल मंत्री अभी तक खेल की पूरी जानकारी नहीं कर पाय हैं। चूंकि यह मेरा विषय है इसलिये मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि आपने केवल खेल प्रशिक्षकों के ओरल टेस्ट की चिन्ता की है कि जो राष्ट्रीय स्तर या यूनिवर्सिटी लैवल के खिलाड़ी होंगे, उनको प्रशिक्षक नियुक्त किया जायेगा। जबकि चिन्ता की बात यह है कि जहां इस देश में गुणवत्ता के आधार

पर या उच्च कोटि के खिलाड़ी उपलब्ध हैं, वहां पर मल्टी नेशनल व्यवस्था लागू हो गयी है। यहां पर विदेशी प्रशिक्षकों की नियुक्ति की गयी है और उनको देसी प्रशिक्षकों से ज्यादा सुविधायें और वेतन दिया जाता है जैसा कि अंग्रेजी शासनकाल में दिया जाता था। ऐसा करने से देसी प्रशिक्षकों में हीन भावना पैदा हो जाती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि विदेशी प्रशिक्षकों को ज्यादा सुविधायें देने से देसी प्रशिक्षकों में जो हीन भावना पैदा हो जाती है उसका समापन करने के लिये क्या किया है ताकि देश में खेल भावना जाग्रत हो। यह कोई साधारण बात नहीं है। इसको सीधे देश प्रेम और राष्ट्रवाद से जोड़ा जाना चाहिये। क्या खेल भावना और इसके उत्तरोत्तर गिरावट को रोकने के लिये कोई योजना सरकार ने बनायी है ? क्या विदेशी प्रशिक्षकों को देसी प्रशिक्षकों की तुलना में जो ज्यादा सुविधायें मिल रही हैं, वे किस आधार पर और कैसे मिल रही हैं, इसकी जानकारी देंगे ?

[अनुवाद]

श्री मुकुल वासनिक : हम स्वयं विदेशी प्रशिक्षकों को नहीं बुलाते। हम संबंधित खेल प्राधिकरणों से विचार विमर्श करते हैं और यदि उन प्राधिकरणों द्वारा विदेशी प्रशिक्षक की आवश्यकता समझी जाती है, तो हम विदेशी प्रशिक्षकों को तैनात करते हैं।

जहाँ तक विदेशी-प्रशिक्षकों के नियम और शर्तों का प्रश्न है तो स्वाभाविक रूप से, संबंधित संस्था से विचार विमर्श किया जाता है या उस एजेंसी से विचार विर्मश करते हैं जो हमें घरेलू उद्देश्यों हेतु प्रशिक्षक प्रदान करती हैं।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, आल इंडिया साईकलिंग के जो प्रशिक्षक हैं उनको ज्यादा सुविधायें मिल रही हैं और इसकी प्रमाणिकता है।

अध्यक्ष महोदय : वीरेन्द्र सिंह जी, आपको पहले सुनना चाहिये और फिर बाद में पूछेंगे।

[अनुवाद]

श्री मुकुल वासनिक : सरकार द्वारा विदेशी प्रशिक्षकों और अपने प्रशिक्षकों को प्रदत्त सुविधाओं में कोई दुर्भाव नहीं किया जाता है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इनका सवाल यह है कि बाहर से आये हुये प्रशिक्षकों को ज्यादा सुविधायें मिली हैं और हमारे यहां के प्रशिक्षकों को ज्यादा सुविधायें नहीं मिलती हैं और उसकी वजह से खेल पर असर होता है तो उसको दूर करने के लिये आप क्या करेंगे ?

श्री मुकुल वासनिक : जहां तक मैं समझता हूं हमारी पौलिसी में किसी तरह से कोई कोशिश नहीं है कि विदेशी कोचेज़ और यहां के कोचेज में किसी तरह का अंतर किया जाए। यहां के कौचेज़ परमानेंट . . . **(व्यवधान)** . . . आप सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आपको सुनना चाहिए।

श्री मुकुल वासनिक : यहां के कोचेज़ स्पोर्ट्स अथोरिटी ऑफ इंडिया के परमानेंट इंप्लॉइज हैं और जहां तक विदेशी कोचेज़ हम यहां पर लाते हैं, आज की तारीख में करीब 11 कोचेज़ हैं और इनको इनके ट्रैक रिकॉर्ड पर, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई उपलब्धियां प्राप्त की हैं, उनके आधार पर उनको लाते हैं।

[अनुवाद]

वे विशेषज्ञ हैं, और इसी आधार पर हम उन्हें यहाँ आमंत्रित करते हैं। जहाँ तक नियम और शर्तों का प्रश्न है तो विचार विमर्श होता है और जो नियम और शर्तें दोनों पक्षों को स्वीकार होती हैं उस पर सहमति होती है।

[हिन्दी]

श्री चेतन पी.एस. चौहान : मंत्री जी ने जो बताया है वह सदन को गुमराह कर रहे हैं। मैं आपको सीधा बताना चाहूंगा कि एक गेम टेबल टेनिस के विदेशी कोच को आप एक हजार डॉलर प्रति माह तनख्वाह देते हैं और साथ में गाड़ी और रहने के लिए घर देते हैं। और इसका जो अपना कोच है मंजीत दुआ, उनको आप दो हजार रुपये महीना देते हैं। यह भेदभाव क्यों हैं ? अध्यक्ष जी, मैं यहां पर कहना चाहूंगा हमारी हर नेशनल गेम में नेशनल कोच हैं और इसी तरह जहां तहां फोरेन कोच लाए हुए हैं तो एक हजार डॉलर प्रति माह के हिसाब से उनकी तनख्वाह 33 हजार रुपये प्रति माह बनती हैं जबकि ऐसे बहुत सारे नेशनल कोच हैं जिनको दो हजार रुपए प्रति माह भी पेमेंट नहीं किया गया। तो यह जो अंतर किया हुआ है इससे जो अच्छे खिलाड़ी हैं वह कोंचिंग देने के लिए नहीं आएंगे। वह कहीं भी नौकरी करेगा लेकिन दो हजार रुपए के लिए आपके पास नहीं आएगा। उनका स्तर सुधारना है और अच्छे खिलाड़ियों को कोचिंग के लिए लाना है तो उनको अच्छा वेतन देना पड़ेगा, अच्छा स्टाइपेंड देना पड़ेगा, अच्छी सुविधाएं देनी पड़ेगी और यह सब करने के लिए आप कोशिश करेंगे या करने जा रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री मुकुल वासनिक : श्री मंजीत दुआ से संबंधित एक विशेष मुद्दा उठाया गया है। मैं सभा को सूचित करना चाहूँगा कि यद्यपि श्री मंजीत दुआ एक प्रशिक्षक के रूप में कार्य करते रहे हैं, लेकिन वे भारतीय खेल प्राधिकरण या युवा मामलों खेल विभाग में कार्यरत नहीं हैं। वे एक बैंक में कार्यरत हैं। हम उन्हें बैंक से मिलने वाले सामान्य वेतन और भत्ते के अलावा मानदेय देते हैं। अतः मैं समझता हूँ कि यह बात कहना कि हम उन्हें मात्र 2000/- रुपये ही दे रहे हैं, उचित नहीं हैं। 2000 रुपये का मानदेय उनको मिलने वाले सामान्य वेतन और भत्ते के अतिरिक्त है।

दूसरे, हमने अपनी योजनाओं में से एक को संशोधित किया है। पूर्व में केवल वे खिलाड़ी ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने के हकदार थे जो ओलम्पिक, एशियाई या अन्य अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीतते थे। उनको ओलम्पिक में मेडल जीतने पर 5 लाख रुपए और एशियाई में मेडल जीतने पर 3 लाख रुपये दिए जाते थे। हमने उस योजना में संशोधन किया है। अब अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को प्रशिक्षण प्रदान करने वाला प्रशिक्षक दल भी समान राशि के पुरस्कार का हकदार होगा। यदि स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 3.00 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलता है तो उसको प्रशिक्षण प्रदान करने वाले

प्रशिक्षक/प्रशिक्षक दल को भी 3.00 लाख रुपये का नगद पुरस्कार मिलेगा। अतः हम चाहते हैं कि प्रशिक्षकों की सेवाओं को मान्यता मिले और हम उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करेंगे।

डा. वसंत पवार : माननीय मंत्री महोदय के उत्तर में कुछ विसंगति है।

एथलेटिक्स और टेवल टेनिस खेलों में हम विदेशी प्रशिक्षकों को आमंत्रित कर रहे हैं, परन्तु इन्हीं खेलों के भारतीय प्रशिक्षक विदेश जा रहे हैं। इसका अर्थ है कि ऐथलेटिक्स और टेबल टेनिस में भारतीय प्रशिक्षक उपलब्ध हैं। तब, विदेशी प्रशिक्षकों को आमंत्रित करने की क्या आवश्यकता है।

श्री मुकुल वासनिक : महोदय, भारत से प्रशिक्षक उन्हीं देशों में भेजे जाऐंगे जो समझते हैं हमारे प्रशिक्षक उनके खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार लाने में मददगार सिद्ध होंगे। लेकिन जहाँ तक टेबल टेनिस और ऐथलेटिक्स का प्रश्न है, तो हमें अच्छे विदेशी प्रशिक्षकों की आवश्यकता है जो हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन में निखार लाने में सफल होंगे।

आपरेशन ब्लैकबोर्ड

*** 422. श्री काशीराम राणा** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1994-95 के दौरान कुछ शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में ''आपरेशन ब्लैकबोर्ड'' योजना का विस्तार करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस प्रयोजन हेतु प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) और (ख). सरकार ने सम्पूर्ण देश में इस स्कीम का चरणबद्ध रूप से विस्तार करने का निर्णय लिया है ताकि उन स्कूलों में, जहाँ नामांकन 100 से अधिक हैं, 3 कमरे और 3 शिक्षक उपलब्ध कराए जा सकें। उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए अतिरिक्त शिक्षक, स्थान एवं अध्यापन शिक्षण उपकरण कराने का भी निर्णय लिया गया है।

1994-95 के दौरान लगभग 10 प्रतिशत प्राथमिक स्कूलों में तीसरे शिक्षक को नियुक्त करने का और 5 प्रतिशत उच्च प्राथमिक स्कूलों को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। स्कूलों का चयन करते समय राज्यों द्वारा निम्नलिखित मानदण्डों को ध्यान में रखा जाएगा : -

(1) आठवीं योजना के दौरान केवल ग्रामीण स्कूलों को शामिल किया जाएगा।

(2) चयन में बालिका स्कूलों को प्राथमिकता दी जाए।

(3) अन्य क्षेत्रों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए।

आठवीं योजना के दौरान अतिरिक्त शिक्षकों के वेतन और उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए उपस्कर के रूप में केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। निर्माण कार्य की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।

(ग) 1994-95 के दौरान राज्यों/संघशासित प्रदेशों को आबंटित की जाने वाली राशि राज्य सरकारों/संघशासित प्रशासनों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर निर्भर करेगी। 1994-95 के दौरान आपरेशन ब्लैकबोर्ड स्कीम के लिए आबंटित कुल धनराशि 215 करोड़ रुपये है।

श्री काशीराम राणा : मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया कि ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना का विस्तार किया जा रहा है और जहां नामांकन 100 से अधिक हैं वहां 3 कमरे और 3 शिक्षक उपलब्ध कराये जा सकें। प्राथमिक विद्यालयों के वातावरण में व्यापक और गुणवत्ता संबंधी सुधार लाने के लिये इस योजना को 1987 में शुरू किया गया था जिसके तहत 2 कमरे और 2 शिक्षक दिये जाने थे लेकिन अभी तक इस योजना का इम्पलीमेंटेशन नहीं हुआ है, खासकर गुजरात एरिया का मुझे अनुभव है, जहां ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत अभी 2 शिक्षक और 2 कमरे भी उपलब्ध नहीं हैं। मैं जानना चाहता हूं कि 3 कमरे और 3 शिक्षक मंत्री जी कैसे उपलब्ध करायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित संसदीय स्थाई समिति ने भी इस मामले को टेक-अप किया था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कांशीराम जी, आपको प्रश्न पूछना है, यह तो व्याखान का रुप लेता जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा : उसमें भी समिति ने अप्रसन्नता प्रकट की है कि यह योजना अच्छी तरह से इम्पलीमेंट नहीं हो रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 100 से अधिक नामांकन वाले कितने विद्यालयों में 3 कमरे और 3 शिक्षकों का प्रावधान कर दिया गया है। क्या सरकार ने इस बारे में कोई सर्वे कराया है कि देश भर में कितने स्कूल ऐसे होंगे। इस योजना के लिये बजट में सरकार ने क्या प्रावधान किया है, उसकी डिटेल्स भी मैं जानना चाहता हूं। इसके साथ साथ, योजना पर अच्छी तरह से इम्पलीमेंटेशन हो, क्या इसके लिये मौनिटरिंग की व्यवस्था की गयी है और कोई समिति गठित करके ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना ठीक से चले, इसके लिये सरकार क्या प्रयत्न करने वाली है ?

कुमारी शैलजा : जब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की गयी थी, उस समय 2 कमरे और 2 शिक्षकों की बात थी और कुछ ईक्विपमेंट्स भी सप्लाई किये जाने थे। जहां दूसरा टीचर प्रोवाइड करने का सवाल है, उसकी सैंक्शन केन्द्रीय सरकार देगी और ईक्विपमेंट्स के लिये भी 10 हजार रुपये हर स्कूल के लिये निर्धारित किये गये थे और यह राशि भी केन्द्रीय सरकार देगी। जहां तक कमरे कंस्ट्रक्ट करने वाली स्कीम है, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट 48 परसेंट मैंचिग शेयर देगी, जिसमें स्टेट्स अपनी तरफ से नॉन-जे.आर.वाई. फण्ड में से 40 प्रतिशत फण्ड रेज करेंगे और 12 परसेंट जे.आर.वाई. के स्टेट शेयर में से रेज करेंगे शेष 48 परसेंट हिस्सा केन्द्रीय सरकार देगी। इस मामले में जरूर कुछ शार्टफाल था क्योंकि सारे स्टेट्स पूरे कमरे कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाये। जहां तक केन्द्र की बात है, हमने 99.9 प्रतिशत प्राईमरी स्कूल इसमें कवर कर लिये हैं और जहां तक टीचर्स की बात है, तकरीबन 96 परसेंट स्कूल हमने कवर कर लिये हैं। और जहां तक कमरों की बात है जैसा मैंने अभी बताया, सिर्फ 50 परसेंट के करीब ही हम स्कूल कवर कर पाये हैं। हम बराबर स्टेट्स गवर्नमेंट से मशवरा करते रहते हैं और उन्हें इम्प्रैस भी करते हैं कि वे इसके तहत कमरे कंस्ट्रक्ट कराये, कमरे

बनाये लेकिन कई राज्यों में रिसोर्सेज की प्रौब्लम होने के कारण अभी तक वे यह काम कर नहीं पाये हैं।

श्री काशीराम राणा : यह जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना है, इसमें मानिटरिंग को सिस्टम है कि नहीं?

कुमारी शैलजा : इसकी इवैल्यूएशन 1992-93 में एन.सी. ई.आर.टी. तथा अन्य 4 एजेंसियों द्वारा की गइ हैं जिसके आधार पर कुछ फाईंडिग्स आई हैं। इसके बाद पिछले वर्ष यानी 1993-94 में भी इस ब्लैक बोर्ड योजना की इवैल्यूएशन की गई थी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह निगरानी व्यवस्था के बारे में पूछ रहे हैं। मूल्यांकन इससे भिन्न होता है।

[हिन्दी]

कुमारी शैलजा : जहां तक मोनिटरिंग का सवाल है, यह स्टेट लैवल पर होती होगी।

[अनुवाद]

श्री कांशीराम राणा : सरकार के 4 नवम्बर, 1994 के परिपत्र के अनुसार सरकार ने आम मुसलमान को शिक्षित करने के लिए 50 मुस्लिम ब्लॉक नियत किए हैं। मैं सरकार के इस निर्णय की सराहना करता हूँ। परन्तु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों, विशेषरूप से गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को कियान्वित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। इन परिस्थितियों में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने हेतु उपरोक्त परिपत्र में उल्लेखानुसार मुसलिम ब्लाकों की तरह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ब्लाकों को भी निर्धारित करेगी।

[हिन्दी]

कुमारी शैलजा : आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कोई इस आधार पर नहीं है कि जो क्षेत्र शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हैं वहीं इसको लागू किया जाए। यह तो पूरे देश के लिए है, लेकिन अब इसको हम आठवीं पंचवर्षीय योजना में एक्सपेट कर रहे हैं, तो हमारी

[हिन्दी]

कोशिश होगी कि इसमें एस.सी.एस.टी. एरियाज को प्रिफरेंस दिया जाए और जहां लड़कियों की एजूकेशन कम है, वहां ज्यादा ध्यान दिया जाए।

[अनुवाद]

श्रीमती मारगथम चन्द्रशेखर : वक्तव्य के अनुसार, यह प्रस्ताव है कि नौवीं योजना में ग्रामीण क्षेत्रों, लड़कियों तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में कार्यक्रम के प्रसार पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। परन्तु, क्या माननीय मंत्री को इस बात की जानकारी है कि कई राज्यों में ऐसी स्थिति है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में अध्यापक नियमित रूप से नहीं जाते हैं। राज्य सरकारों द्वारा दिए गए विवरण बिल्कुल सही होगें, परन्तु मंत्रालय द्वारा यह किसी भी तरीके से पता करना चाहिए कि क्या कतिपय

क्षेत्रों में ऐसी स्थिति है मुझे जिन कतिपय क्षेत्रों की जानकारी है, उनके बारे में मैं माननीय मंत्री को लिखित रूप में सूचित करूंगा।

कुमारी शैलजा : मैं इस संबंध में किसी भी सुझाव का स्वागत करूंगी ।

[हिन्दी]

अगर कोई स्पेसीफिक हैं, तो उसको हम जरूर देख लेंगे।

श्री नीतिश कुमार : अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम के बारे में मंत्री जी ने यह बताया कि यह सारे देश में लागू हैं, लेकिन इस बारे में प्राथमिकता के क्षेत्र चयनित करने के लिए कुछ क्राइटेरिया फिक्स किए गए हैं, तो इस सिलसिलें में मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा कि जो राज्य शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, खासकर जिन राज्यों में साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है, क्या उन राज्यों के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता देने का सरकार विचार करेगी और दूसरी बात यह जानना चाहता हूं कि राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वहां ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को चलाने का कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कूलों का चयन करे, तो स्कूलों का चयन करते वक्त क्या नार्म्स का पालन किया जाता है या आपके क्राइटेरिया के अनुसार काम करते हैं या पिक एंड चूज करके चयन करते हैं ? इसको देखने के लिए कोई तन्त्र आपके पास हैं या इसको चैक करने का आप कोई विचार रखते हैं ?

कुमारी शैलजा : सर, यह आपरेशन ब्लैक बोर्ड वर्ष 1987-88 में लागू किया गया था और जो हमारा 5 वां अखिल भारतीय शैक्षणिक सर्वेक्षण था, जो 1986 में हुआ था, यह उसके आधार पर किया गया था। उस समय जो आंकड़े आए थे और उस समय जिन स्कूलों का ब्यौरा दिया गया था, उन्हीं को आधार बनाया गया है और पहले उन्हीं स्कूलों को कवर करने की बात है।

कृषि उपकरण

*** 423. श्री महेश कनोडिया :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किसानों को रियायती दरों पर कृषि उपकरण उपलब्ध करा रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) 1992-93 और 1993-94 के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी सहायता दी गई ;

(घ) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में इससे कितने-कितने किसान लाभान्वित हुए ;

(ङ) क्या छोटे किसान भी इन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं ; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/ उठाये जायेंगे ?

[अनुवाद]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (च). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) उन महत्वपूर्ण योजनागत स्कीमों, जिनमें कृषि उपकरणों पर किसानों को राज सहायता प्रदान की जाती है, की सूची यहां नीचे दी गई है -

(1) विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम - गेहूं

(2) विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम - मक्का और मिलेट

(3) विशेष जूट विकास कार्यक्रम

(4) समन्वित चावल विकास कार्यक्रम

(5) सघन कपास विकास कार्यक्रम

(6) तिलहन उत्पादन कार्यक्रम

(7) राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम

(8) कृषि में प्लास्टिक का उपयोग (ड्रिप सिंचाई)

(9) कृषि मशीनीकरण का संवर्धन

राजसहायता अभिज्ञात उन्नत उपकरणों, पादप संरक्षण उपकरणों, स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई उपकरणों तथा 18 पावर टेक आफ हार्सपावर से कम के छोटे ट्रेक्टरों पर मिलती है।

(ग) विवरण संलग्न है - अनुबंध - I

(घ) राज्य वार लक्ष्य दर्शाने वाला विवरण अनुबंध - II में दिया गया है।

(ङ) जी, हां।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

अनुबंध - I

कृषि उपकरणों के लिए राज्यवार सहायता की प्रमात्र

(लाख रुपये)

क्र.स.	राज्यों के नाम	कृषि उपकरणों के लिए राज्यों को आबंटित की गई निधि	
		1992-93	1993-94
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	709.90	720.48
2.	अरुणाचल प्रदेश	13.00	23.59

1	2	3	4
3.	असम	131.25	206.17
4.	बिहार	452.76	504.90
5.	गुजरात	726.19	459.53
6.	गोवा	15.61	18.71
7.	हरियाणा	135.54	162.33
8.	हिमाचल प्रदेश	115.52	154.73
9.	जम्मू एवं कश्मीर	70.25	78.11
10.	कर्नाटक	591.94	809.01
11.	केरल	266.42	193.40
12.	मध्य प्रदेश	746.39	889.53
13.	महाराष्ट्र	788.08	11278.02
14.	मणिपुर	22.60	19.65
15.	मेघालय	8.28	15.28
16.	मिजोरम	23.00	23.29
17.	नागालैंड	38.00	33.79
18.	उड़ीसा	192.97	338.52
19.	पंजाब	227.30	428.59
20.	राजस्थान	379.73	427.94
21.	सिक्किम	19.11	10.87
22.	तमिलनाडु	774.40	886.34
23.	त्रिपुरा	41.24	42.93
24.	उत्तर प्रदेश	856.78	807.52
25.	पश्चिम बंगाल	368.73	405.24
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	6.50	11.59
27.	चण्डीगढ़	1.50	12.70

1	2	3	4
28.	दादर एंड नगर हवेली	6.50	11.59
29.	दिल्ली	6.50	11.59
30.	दमन एंड दीव	6.50	11.59
31.	पांडिचेरी	13.32	16.99
32.	लक्षद्वीप	6.50	11.59

अनुबंध – II

कृषि उपकरणों के लिए राज्यवार लक्ष्यों को दर्शाने वाला विवरण

(संख्या में)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	उपकरण	संख्या में	ड्रिप सिंचाई प्रणाली हैक्टेयर में *
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	57282	69887	20000
2.	अरुणाचल प्रदेश	2805	7350	200
3.	असम	23605	25661	720
4.	बिहार	51990	59654	3200
5.	गुजरात	49411	51020	8000
6.	गोवा	580	410	250
7.	हरियाणा	15196	30321	1800
8.	हिमाचल प्रदेश	8655	38213	2000
9.	जम्मू एवं कश्मीर	8204	7206	1400
10.	कर्नाटक	34911	44910	20700
11.	केरल	5747	7563	7300
12.	मध्य प्रदेश	81555	137300	4700
13.	महाराष्ट्र	91333	107132	27000
14.	मणिपुर	2025	1685	200

1	2	3	4	5
15.	मेघालय	389	1194	200
16.	मिजोरम	755	860	200
17.	नागालैंड	4055	2660	200
18.	उड़ीसा	24313	28721	10300
19.	पंजाब	28953	84677	1500
20.	राजस्थान	40764	56886	3000
21.	सिक्किम	2722	688	200
22.	तमिलनाडु	55616	80080	14300
23.	त्रिपुरा	2977	3160	300
24.	उत्तर प्रदेश	113760	80433	7815
25.	पश्चिम बंगाल	9414	5614	2300
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	5	10	200
27.	चण्डीगढ़	5	10	200
28.	दादर एवं नगर हवेली	5	10	200
29.	दिल्ली	5	10	200
30.	दमन एवं दीव	5	10	200
31.	पांडिचेरी	5	10	200
32.	लक्षद्वीप	496	275	200

* ये आंकड़े सम्पूर्ण आठवीं योजना अवधि के लिये हैं।

श्री महेश कनोडिया : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से अपने प्रश्न के सन्दर्भ में यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने ब्लॉक डैवलपमेंट विकास केन्द्रों के माध्यम से कृषि उपकरणों के सामूहिक भंडार की व्यवस्था करने की कोई योजना बनाई हैं जिसके द्वारा छोटे किसानों को कम किराए पर खेती के उपकरण उपलब्ध हो सकें ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल दूसरा है लेकिन यह स्टेटस का काम है कि वे किस प्रकार से करे। हम स्टेटस को इनसैनटिव के तौर पर, इम्प्लीमैंट स्कीम की सबसिडी के तौर पर सारा पैसा दे देते हैं। कुछ 100 प्रतिशत होता है, कुछ 25 प्रतिशत, 75 प्रतिशत होता है। उसके मातहत वे जैसा

ठीक समझे, कर लें।

श्री महेशन कनोडिया : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गुजरात राज्य में कृषि विकास के लिए किन-किन परियोजनाओं में कृषि उपकरणों की सहायता दी जा रही है और उसका कृषि उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ? कृषि उपकरणों के प्रयोग में कौन-कौन से राज्य अभी भी पिछड़े हुए हैं और उनको अग्रिम श्रेणी में लाने के लिए सरकार ने क्या विशेष व्यवसथा की है ?

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, इसलिए कोशिश की जाती है क्योंकि प्रगति की कोई भी सीमा नहीं होती हमेशा आगे बढ़ाने का नाम ही प्रगति है, जिस प्रकार कुछ स्टेटस जैसे पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट आदि में ऐसे पौकेटस हैं जहां लोगों ने आधुनिकीकरण अपनाया है और उसी के तहत यह कोशिश की जा रही है कि जहां पूरा यंत्रीकरण न हो सके वहां कुछ इस प्रकार के साधन उपलब्ध करवाए जा सकें जो बैलों से और हाथ से चलाए जा सकें। उसके लिए पैसा दिया जा रहा है। यही नहीं, 18 हौर्स पावर तक के ट्रैक्टर्स के लिए भी हम कर रहे हैं ताकि छोटे किसान मिलकर भी खेती कर सकें और इसका उपयोग कर सकें। उसके लिए 30 हजार रुपये का अनुदान किया जाता है।

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : अध्यक्ष महोदय, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य भागों में मुख्यतः अत्यधिक यंत्रीकरण के कारण किसान धान की फसल की कटाई के तुरन्त बाद गेहूं की बुवाई कर देते हैं। परन्तु दक्षिणी राज्यों में, विशेषरूप से चावल का उत्पादन करने वाले आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में इस तरह का यंत्रीकरण नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या आठवीं योजना की कृषि मशीनरी संबंधी उप-समिति ने यह सिफारिश की है कि कृषि मशीनरी और उपकरणों, विशेष रूप से विद्युत क्रशर के लिए 50 प्रतिशत राजसहायता दी जानी चाहिए जिससे छोटे और मध्यम दर्जे के किसानों को अनाज निकालने के कार्य में सहायता मिलेगी और यह अगली फसल से भी अधिक पैदावार प्राप्त करने में सहायक होगी। क्या सरकार इस योजना को पुनः शुरु करेगी ? केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1992-93 से उन्नत कृषि उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम को बंद कर दिया है। माननीय वाणिज्य मंत्री के इस वक्तव्य को देखते हुए कि देश में कृषि राज सहायता के रूप में 30,000 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जा सकती है। मैं माननीय मंत्री से यह स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार मशीनरी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने हेतु किसानों की सहायतार्थ इस योजना को पुनः लागू करेगी अथवा जारी रखेगी ?

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : बिल्कुल सही है। जब तक मैकनाइजेशन इस हिसाब से नहीं होगा, जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में यदि फसल की कटाई हाथ से नहीं हो सकती तो धान की बिजाई में भी फर्क पड़ता हैं और शैटरिंग भी हो जाती हैं जिससे बहुत हिस्सा जमीन पर गिर जाता है।

कुछ लोगों के ख्याल अलाहिदा होते हैं। एक कमेटी बनी थी। उसने कहा था कि हारवेस्टर कम्बाइन को बैन कर दिया जाये। इस संसार में ऐसे भी प्राणी है जो कि यह नहीं समझ सके है कि दुनिया बहुत आगे बढ़ गई

है. . . **(व्यवधान)** . . . वह भी हैं। मैं चाहता हूं कि आपका सुझाव मान लिया जाये लेकिन आपको पता है कि जितना कपड़ा होगा, उतना ही कोट बनेगा। मैं चाहता हूं कि और पैसा दे दिया जाये। हम कोशिश कर रहे हैं . . . **(व्यवधान)** . . .

एक माननीय सदस्य : यह न कहें कि कुछ नहीं है।

श्री बलराम जाखड़ : यह कब कहा कि कुछ नहीं है। मैं बजट की बात कर रहा हूं। आज के अखबार में भी आपने पढ़ा होगा कि हमें भंडार के लिये जगह की और आवश्यकता है। उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। कृषि यंत्रों के आधुनिकीकरण के लिये किसानों की जितनी सहायता हो सकती है, मैं कर रहा हूं और आगे भी करूंगा।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि किसानों की हम बहुत मदद कर रहे हैं। विशेष खाद्यान्न उत्पादन, गेहूं, मक्का, चावल, तिलहन, दलहन आदि के कार्यक्रमों पर भारत सरकार पैसा देती है। इन कार्यक्रमों को इम्पलीमैंट कराने की मशीनरी स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। वहां नीचे के लैवल पर बहुत करप्शन होता है। इससे बराबर उसका इम्पलीमैंटेशन नहीं होता है। आपने क्या इसके बारे में असैसमैंट किया है। जिससे किसानों को फायदा मिल सके।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कृषि संबंधी उपकरणों के बारे में है : क्या आप अधिक धनराशि प्रदान करने जा रहे हैं ?

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव : अध्यक्ष जी, कृषि मंत्री जी ने कहा कि इनकी सदिच्छा हमेशा रही है कि किसानों की मदद की जाये लेकिन यह सदिच्छा भर ही है। उत्तर प्रदेश में 8 करोड़ रुपया, महाराष्ट्र में 12 करोड़ रुपया और तमिलनाडु में 8 करोड़ रुपया इस काम के लिए दिया गया। इन बड़े-बड़े राज्यों में 8-10 आपकी योजनायें हैं और उन पर आप 7-8 करोड़ रुपया देंगे तो यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान ही होगा। इससे वह सदिच्छा ही रह जायेगी और कोई लाभ नहीं होगा। आप पहले साधनों को बढ़ाइये और पैसा अधिक उपलब्ध कराइये। दालें अभी भी आप बाहर से आयात कर रहे हैं। 1-2 योजनाओं पर क्यों नहीं आप अधिक पूंजी लगाते हैं। और क्यों नहीं अधिक सहयता देते हैं। ताकि आयात की समस्या समाप्त हो सके।

श्री बलराम जाखड़ : यह बात ठीक है कि हमारे पास साधन कम हैं लेकिन कुछ चीजें दिखाने के लिये होती हैं कि काम कैसे होता है। उनको अगर आप देखेंगे तो विश्वास करेंगे। जाफर साहब ने अगर कर लिया, तो पड़ोसी होने के नाते उनकी देखा-देखी मैं भी करूंगा . . . **(व्यवधान)** . . . आप बीच में क्या कर रहे हैं ? मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक-आध का प्रसार किया जाये और डिमॉनस्ट्रेशन किया जाये। सभी पर हम अनुदान नहीं दे सकते हैं लेकिन स्थिति ऐसी पैदा कर सकते हैं जिससे लोग समझ सकें कि इससे फायदा है। पैसा देकर उसके हिसाब से मैं इसको तैयार करूंगा जिससे वे दूसरी चीजें भी खरीद सकें। प्रचार होने से वे फायदा उठा सकते हैं।

श्री चन्द्र जीत यादव : छोटे किसानों के लिये आपको यह करना चाहिए और साधन बढ़ाने चाहिये।

श्री बलराम जाखड़ : छोटे किसानों के लिये ही कर रहा हूं। स्टेट गवर्नमेंट को हिदायत है कि वह इसको देखें और इस तरीके से काम करें।

श्री रतिलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, गुजरात में छोटे किसानों को 1992-93 में राज सहायता 726.93 लाख रुपये दी गई लेकिन 1994-95 में 405.96 लाख रुपये ही दी गई। तो इसको घटाने का क्या कारण है ? क्या वहां स्टेट गवर्नमेंट ने पैसे का उपयोग नहीं किया था, यह कारण था या अन्य कोई कारण था ?

श्री बलराम जाखड़ : रिपोर्ट मिलने पर ही पता चलता है कि कैसे खर्च करते हैं, कितना खर्च करते हैं। फिर कितनी डिमाण्ड होती है, उसी हिसाब से आबंटन किया जाता है।

फसलों को क्षति

+

*** 426. डा. रामकृष्ण कुसमरिया :**

श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीटों और अन्य बीमारियों के कारण देश में लगभग बीस से तीस प्रतिशत फसल की क्षति होती है ;

(ख) यदि हां, तो सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन से हैं और गत तीन वर्षों में फसलों को कितनी क्षति हुई है ;

(ग) क्या सरकार ने आठवीं योजना अवधि में इस खतरे का मुकाबला करने के लिए कोई कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

|अनुवाद|

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री और कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.कृष्ण कुमार) : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) तथा (ख). जी, हां। उत्पादकता में काफी कमी विभिन्न प्रकार के खरपतवार के कारण होती है। इसके अलावा, फसल की हानि का कारण होती है। इसके अलावा, फसल की हानि का कारण कीट तथा रोग भी हैं। अनुमानित हानि की मात्र सामान्य रूप से फसल की किस्म, कीटों, मौसम तथा स्थिति आदि के आधार पर 10-30 प्रतिशत के बीच बदलती रहती है। राज्यों में हुई हानियों की यथार्थ सीमा के सम्बन्ध में कोई विस्तृत अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान आमतौर पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, असम और मिजोरम राज्यों में कीटों तथा रोगों की घटनाओं की जानकारी मिली है।

(ग) तथा (घ). आठवीं योजना के दौरान सरकार एक विस्तृत केन्द्रीय क्षेत्र की समेकितन कीट प्रबन्ध योजना कार्यान्वित कर रही है इस योजना के तहत कृषकों के खेतों पर राज्य विस्तार कार्मिकों तथा कृषकों के प्रशिक्षण पर बल दिया जा रहा है ताकि वे अधिकतम फसल उत्पादन के लिये समेकित कीट प्रबन्ध व्यवस्था को प्रभावी ढंग से अपना सकें।

समेकित कीट प्रबन्ध कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ-साथ उचित संवर्धानात्मक पद्धतियां अपनाना, यान्त्रिक उपकरणों का उपयोग, सैक्स-फेरोमोन्स जैव-नियंत्रण अभिकारकों का संरक्षण तथा वृद्धि और जैव कीटनाशकों तथा नीम आधारित कीटनाशकों का प्राथमिकता के तौर पर उपयोग निहित है।

[हिन्दी]

डा. रामकृष्ण कुसमरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। उन्होंने अपने अपने उत्तर में यह कहा है कि राज्यों में हुई हानियों की यथार्थ सीमा के सम्बन्ध में कोई विस्तृत अध्ययन नहीं किया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि हर वर्ष कीटों के द्वारा और रोगों के द्वारा फसलें नष्ट होती हैं, खेती इस देश का प्रधान धन्धा है, कृषि के ऊपर हमारे देश की सारी अर्थनीति टिकी हुई है। लेकिन इस उत्तर से यह पता लगता है कि हमारे कृषि मंत्री और कृषि विभाग इसके ऊपर गम्भीर नहीं हैं . .

अध्यक्ष महोदय : आपको प्रश्न पूछना है।

डा. रामकृष्ण कुसमरिया : मैं प्रश्न पर ही आता हूं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि लगभग 30 प्रतिशत तक फसलें इन कीटों के द्वारा नष्ट होती हैं। अभी मध्य प्रदेश में गर्डल बीटल के द्वारा सोयाबीन की 30 परसेंट फसल नष्ट हुई। गंधी बक के द्वारा हर वर्ष धान की फसल नष्ट होती है। माननीय मंत्री महोदय से मैं यह पूछना चाहता हूं कि इन कीटों का नाश करने के लिए अभी तक क्या उपाय आपके द्वारा किये गये हैं ? . . . **(व्यवधान)**

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : अध्यक्ष महोदय, सारी स्टेट्स में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अपने-अपने तौर पर ध्यान रखते हैं। उनका धर्म और फर्ज बनता है कि वह देखे कि कौन सी जगह क्या गड़बड़ हो रही है, किस जगह किस बीमारी का प्रादुर्भाव हो रहा है और उसके अनुसार उनके इरैडीकेशन का बन्दोबस्त भी होता है। यह कोई नई बात नहीं है यह आज भारतवर्ष में ही नहीं, सारे संसार में हो रहा है। जैसे मनुष्य के शरीर में जिंदगी कशमकशों का हुजूम है और जिंदगी है तो हादसे भी होंगे। तो बीमारी तो है और उसका निराकरण करने की भी जरूरत है। उसके लिए हम कोशिश करते हैं, उसके लिए कोशिश करनी है।

अलहदा-अलहदा बीमारियों का अलहदा-अलहदा इलाज है, उनके लिए अलहदा-अलहदा पेस्ट कण्ट्रोल हैं। दुनिया भर में जिस तरीके से होता है, उसी तरीके से हमारा पेस्ट कण्ट्रौल है, जिसका हमने एक नया विधिकरण करने की कोशिश की है। उसके लिए सब लोगों को ट्रेनिंग देने का प्रावधान किया है। हम ट्रेनिंग कैम्प लगा रहे हैं। 26 सैण्टर्स हमने कायम किये हैं, जहां सिर्फ ट्रेनर्स को नहीं, फार्मर्स को लाकर उनको ट्रेनिंग दी जायेगी कि किस प्रकार से किस दवाई का उपयोग किया जाय। किस प्रकार कितना उपयोग किया जायेगा, क्योंकि अधिक प्रयोग से भी नुकसान होता है और कम प्रयोग से भी नुकसान होता है। अधिक प्रयोग से जो हमारे

सहायक कीड़े हैं, वह भी नष्ट हो जाते हैं इसलिए उनको बचाने की भी आवश्यकता है। इस प्रकार से हम यह सारा कर रहे हैं। और इसके साथ में ऐसी और बातें निकल रही हैं, जिससे कि उनका नैचुरल तरीके से बायो कण्ट्रोल किया जा सके। हमारे अपने ही जो सहायक कीड़े हैं, उनसे उनकी हम लड़ाई करवा सकें। उनको पैदा करने के लिए भी हमने अपनी नई लैबोरेट्रीज बनाई हैं, जहां हम उनको दोगुना, तिगुना, और 10 गुना कर रहे हैं। फिर उनको खेतों में छोड़ने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमारे नीम बेस्ड पेस्टीसाइड्स हैं, हम उनका प्रचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमको करना है। हम उनको यह भी सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से इसकी हमें इण्टर क्रापिंग करनी है। किस प्रकार से किस वक्त हमें बीजना है, किन हालात में किस प्रकार से इन कीड़ों की ज्यादा बढ़ोतरी होती है। जैसे हमारे यहां सोयाबीन का हुआ, कहीं काटन का हुआ, कही राइस का होता है। अलग-अलग बीमारियां हैं, उनका अलग-अलग सारा कण्ट्रोल करने की कोशिश करते हैं।

उस हिसाब से हम पूरी तरह सचेत हैं और लगातार इस लड़ाई को कामयाब करने के लिए सचेष्ट हैं और काफी हद तक इसमें कामयाब हुए हैं।

डा. रामकृष्ण कुसमरिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने जिन कीड़ों के बारे में बताया था, उनके बारे में जवाब नहीं आया है। दूसरे इन्होंने यह कहा है कि राज्यों में हानि के संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया गया है। मेरा दूसरा प्रश्न है, इस साल टिड्डी दल का प्रकोप हुआ था और इस टिड्डी दल के कारण मध्यप्रदेश, राजस्थान को काफी नुकसान हुआ था, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, इस टिड्डी दल को रोकने के लिए आपने क्या उपाय किए ?

श्री बलराम जाखड़ : महोदय, इस दफा टिड्डी दल को रोकने के लिए काफी सक्रिय कार्यक्रम हुआ। नियन्त्रण इस प्रकार से किया, वरना तो पता नहीं कितना नुकसान होता, अब की बार हमला काफी हुआ। पन्द्रह किलोमीटर का टिड्डी दल आया था। . . . **(व्यवधान)** . . . आपने देखा नहीं है, मैंने खुद जाकर देखा है . . . **(व्यवधान)** . . . और सिर्फ सैन्टर से ही नहीं, विदेशों से भी जैसे आस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमरीका, और एफ पी ओ से भी सहायता लेकर और राज्यों से ऐरोप्लेन लेकर और 600 गाडियां लगाकर, जिस प्रकार से मिलिटरी आपरेशन होता है, वह आपरेशन किया गया। तब जाकर वह काबू में आया, नहीं तो पता नहीं कितना नुकसान होता।

|अनुवाद|

श्री एम.आर. कादम्बूर जनार्दनन : क्या यह सच नहीं है कि उत्तरी भारत में विशेष रूप से पंजाब हरियाणा और अन्य स्थानों में कीटों के कारण कपास की 20 प्रतिशत पैदावार पर बुरा असर पड़ा है। विशेष रूप से कपास की फसल के संबंध में कीटों पर स्थायी नियंत्रण हेतु हमारी मिट्टी में (निमौली) नीम के बीजों की प्राकृतिक रूप में आवश्यकता है। क्या सरकार सीमान्त किसानों को बुवाई के समय नीम के बीजों का विशुद्ध चूर्ण वितरित करेगी ?

|हिन्दी|

श्री बलराम जाखड़ : महोदय, काटन क्राप में इस दफा सिर्फ यहीं पर ही नहीं, पाकिस्तान में भी और

चीन में भी प्रोडक्शन में कमी आई है। इसका कारण सिर्फ एक ही था, बात जब फूल पर आई और बरसात लेट हुई तो उसमें जो बीमारी लगती है उसको होलियोथिस कहते हैं और इसमें कीड़ा अन्दर घुस जाता है। इस वजह से नुकसान हुआ है। और यह हमेशा नहीं होता है। इसके लिये नीम बेस्ड पांच-छः चीजे की हैं, दवाइयां बन गई हैं और सारा हिमाब से चल रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि नीम बेस्ड फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया जाए और जैसा आप कह रहे हैं, वह भी देखा जाएगा।

[अनुवाद]

श्री पाला के.एम. मैथ्यू : हमने केरल में नकदी फसलों विशेष रूप से काजू और काली मिर्च से हुई हानि के बारे में कतिपय अभ्यावेदनों के माध्यम से और सभा में इस मामले को प्रस्तुत करके इसे माननीय मंत्री के ध्यान में लाने का प्रयास किया है। इस संबंध में विगत एक वर्ष में क्या कार्यवाही की गई और इसके लिए आठवीं योजना में क्या कदम उठाने का विचार किया गया है ?

श्री एस. कृष्ण कुमार : राज्य सरकार द्वारा काली मिर्च की बेल के शीघ्र मुरझाने की समस्या से निपटने के लिए केन्द्रीय सरकार के परामर्श से निम्नोक्त कदम उठाए गए हैं।

प्रत्येक सीमान्त और छोटे किसान को काली मिर्च की बीस-बीस बेलों के पौधे संरक्षण के लिए प्रस्तुत उर्वरक और रसायन युक्त किट उपलब्ध कराये गए हैं। हमने 2-1/4 करोड़ रुपये की लागत की लगभग 1,17,000 किट उपलब्ध कराए हैं।

केरल सरकार द्वारा वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान 2 करोड़ रुपये की औसत लागत से काली मिर्च की लताओं के शीघ्र मुरझाने की बिमारी से निपटने के लिए एक समन्वित कार्यक्रम स्वीकृत किया गया है।

75 लाख रुपये की लागत पर और 4000 काकर स्प्रेयरर्स अनुषंगी यंत्रों सहित खरीदे गए थे और ये विविध 565 काली मिर्च पौध संरक्षण समितियों को वितरित कर दिए गए।

[हिन्दी]

डा. परशुराम गंगवार : अध्यक्ष महोदय, हमारा देश तो कृषि प्रधान देश तो है ही और हमारे देश की 30 प्रतिशत फसले कीटों द्वारा नष्ट हो जाती हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह सब हमें मालूम है, आप प्रश्न पर आइए।

(व्यवधान)

डा. परशुराम गंगवार : मेरा कहना यह है कि कीमतें ज्यादा हैं तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं ? . . . **(व्यवधान)** . . .

अध्यक्ष महोदय : आप कीमतें कम करने के लिए क्या कर रहें हैं ?

श्री बलराम जाखड़ : ऐसा अभी कोई विचार नहीं है।

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : क्या सरकार को यह मालूम है कि कुछ कीटनाशक दवाइयां ऐसी बनाई जा रही

हैं जो विदेशों में प्रतिबंधित हैं। दूसरी बात यह है कि बिहार में जो मधु-मक्खी पालन उद्योग है तो उसमें वर्षों से बीमारी लगी हुई है और उसका इलाज नहीं निकल रहा है। मैं मंत्री महोदय से इन दोनों प्रश्नों का जवाब चाहूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छा प्रश्न है।

[हिन्दी]

जो दवाइयां बाहर के देशों में उपयोग में नहीं लाई जा रही हैं ऐसी दवाइयां क्या यहां पर उपयोग में लाई जा रही हैं।

श्री बलराम जाखड़ : इसको फर्टीलाइजर महकमा देखता है, हम यह कोशिश करते हैं जो उपयोगी होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करने की इजाजात देते हैं। उन्हीं का हम प्रचार करने की बात करते हैं। **(व्यवधान)**

श्री विजय कुमार यादव : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया उससे तो ऐसा लगा कि अब फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। इन्होंने जो बताया उससे तो ऐसा लगता है कि यह कीट रोग मार्जिनल और स्माल फार्मर पर लागू करना चाहते हैं लेकिन कीट और रोग का संबंध केवल गरीब और मार्जिनल फार्मर से नहीं है बल्कि तमाम किसान जो फसल लगाते हैं उनसे है। जिस इलाके में भी कीट और रोग का प्रकोप होता है तो उस पूरे इलाके को एक यूनिट मान कर उन फसलों को बचाने का काम किया जाना चाहिए।

महोदय, बिहार का जो टाल का इलाका है वहां मुख्यतः रबी की फसल होती है और हर साल फसलों में कीट और रोग से काफी नुकसान होता है। पिछले साल भी काफी नुकसान हुआ था लेकिन इसकी रोकथाम के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया था। क्या सरकार इस इलाके में जो इस तरह की बीमारी होती है उसकी रोकथाम के लिए इस तरह हवाईजहाज आदि से दवाई छिड़काने की बात करेगी, जिस तरह से टिड्डी प्रभावित क्षेत्रों में सरकार की ओर से किया जाता है।

श्री बलराम जाखड़ : यह टाल की ही नहीं बल्कि हर जगह के लिए यह चीज है। . . . **(व्यवधान)** . . . मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं हमने 14 तो अपनी तरफ से बैन की हैं। और 17 अंडर कंसीडरेशन हैं। . . . **(व्यवधान)** . . . मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं जोकि विचाराधीन है कि हमारा जो आई पी एम थ्रस्ट का इम्पलीमेंटेशन का प्रोग्राम है उसमें हम 26 आईपीएम सेंटर बना रहे हैं जिसमें कि स्टॉफ के लिए इनफ्रासट्रक्चरल फेसिलिटीस होंगी और हम चार नये आईपीएम सेटर सेटअप कर रहे हैं। हम नार्थ-ईस्टर्न में इटानगर में बना रहे हैं, अगरतला और इम्फाल में बना रहे हैं। . . . **(व्यवधान)** . . .

श्री विजय कुमार यादव : मैंने बिहार के लिए पूछा है।

श्री बलराम जाखड़ : यह हर जगह के लिए हैं। सारे का सारा प्रोग्राम हर स्टेट में लागू है। बिहार में भी लागू हैं। . . . **(व्यवधान)**

श्री विजय कुमार यादव : आप जो नाम ले रहे हैं उनमें बिहार का तो नाम ही नहीं हैं। **(व्यवधान)**

श्री बलराम जाखड़ : बिहार के लिए भी हैं। . . . **(व्यवधान)** . . .

अध्यक्ष महोदय : बिहार का बाद में आप लिख कर भेज सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री विजय नवलं पाटील : अध्यक्ष महोदय, पहले कृषि विमानन प्रभाग बहुत संगठित था और इसमें विशेषयज्ञ भी थे। फसलों पर कीटों का नियंत्रण कम समय में अधिक क्षेत्र में विमान को किराए पर लेकर कीटनाशक छिडकाव द्वारा ही सम्भव नहीं है, अत:. मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या कृषि विमानन प्रभाग को संगठित किया जा रहा है अथवा क्या प्रभाग के पास पहले से ही उपलब्ध विमान बजट के अभाव में बेचे जा रहे हैं।

श्री बलराम जाखड़ : माननीय सदस्य का सुझाव बिल्कुल सही है। इसकी नितांत आवश्यकता है। कृषि मंत्रालय के पास यह प्रभाग था जिसे अब बन्द करके इसे वायुदूत को सौंप दिया गया है।

मैं इसे पुन: शुरू करने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने इस मामले में कार्यवाही शुरू कर दी है। यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया जायेगा तो इसके बाद हमारे पास कीटनाशकों के विमानों से छिड़काव की क्षमता में वृद्धि हो जायेगी जिससे कीटों के नियंत्रण में सहायता मिलेगी।

बीजों की नई किस्में

*** 427. डा. असीम बाला :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल, गेहूं और सरसों के बीजों की नई किस्में विकसित की गई हैं, जिनसे अच्छी पैदावार प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन नये बीजों को फसलवार और किस्मवार किन-किन क्षेत्रों में बोने की सिफारिश की गई है ;

(घ) क्या अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु बाद में इन नई किस्मों के बीजों का उत्पादन बढ़ाया जाता है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) तथा (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विकसित की गई चावल, गेहूं तथा सरसों के बीज की नयी किस्मों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(घ) जी हां।

(ङ) रिलीज की गई किस्मों को पहले प्रजनक बीज फिर मूल बीज तथा अन्ततः प्रमाणित बीज के रूप में सम्वर्धन कर उपयोग के लिए वितरित किया जाता है।

अनुबन्ध

तालिका - पिछले तीन वर्षों के दौरान विकसित चावल, गेहूं तथा सरसों के बीजों की नयी किस्मों का ब्यौरा

क्र.सं.	किस्म का नाम	उपज (कि.ग्रा./हैक्टर)	जिस क्षेत्र के लिए सिफारिश की गई
1	2	3	4
क.	**चावल**		
1.	हीरा	3000-4000	सूखाग्रस्त/बारानी उपराऊं।
2.	सी एस टी - 7 - 1 (खरीफ)	3000-3500	आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल
	(रबी)	4000-4500	की तटीय लवणीय मृदाओं।
3.	हरियाणा बासमती-1	4500	हरियाणा, पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सिंचित क्षेत्र।
4.	वी एल धान 221	2500	उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी पहाड़ियां।
5.	आई आर - 64	4000-4500	सम्पूर्ण भारत में रबी के लिए सिंचित दशायें।
6.	सी. आर - 1002	4000-4500	सिंचित तथा बारानी दशाओं के लिए पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा बिहार।
7.	लुनिश्री	4500-5000	उड़ीसा के तटीय लवणीय क्षेत्र।
8.	पी एन आर - 381	5500	बारानी उपराऊं दशाओं के तहत आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु
9.	अजय	5000	सिंचित दशाओं के तहत बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा के जीवाणु पत्ती मुरझान स्थानिक मारी क्षेत्रों के लिए।
10.	नरेन्द्र धान-97	2500-3000	बारानी दशाओं के तहत पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल।
11.	नरेन्द्र धान-359	5000	पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा तथा असम।
12.	पूसा-44	5000	कर्नाटक तथा केरल।
ख.	**गेहूं**		
1.	एम ए सी एस-2496	4000	समय से बोये जाने वाली उच्च उर्वर तथा सिंचित दशाओं के लिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा तथा तमिलनाडु के मैदानों।

1	2	3	4
2.	मालवीय गेहूं-318	4400-5800	तमिलनाडु तथा केरल के पहाड़ी क्षेत्रों
3.	पी डी डब्लू-215	5500	पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली के हिस्से तथा जम्मू व कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पादगिरियां
4.	संगम	4600	- वही -
5.	एच एस - 295	3000	जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल तथा असम।
6.	डब्लू एच-542	6500	समय से बोये जाने वाली उच्च उर्वर तथा सिंचित दशाओं के तहत पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के हिस्से, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश की पदगिरियां।
7.	एच एस 277	3000	शीघ्र बोये जाने वाली बारानी दशाओं के तहत जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा असम।
8.	एच पी डब्जू-42	3000	समय से बोये जाने वाली बारानी दशाओं तथा उच्च ऊंचाईयों (1500 मीटर एम एस एल) के तहत जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा असम।
9.	एच पी 1633	4500	सिंचित देर से बोयी जाने वाली दशाओं के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा असम के मैदान।
10.	डी डब्लू आर 162	4200	महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा तथा तमिलनाडु के मैदान।
11.	के-88	3700-4600	समय से बोये जाने वाली बारानी दशाओं उच्च उर्वर तथा बारानी दशाओं के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के मैदान तथा अन्य पूर्वी राज्य।

1	2	3	4
12.	पी. बी. डब्लू-299	3500	समय से बोई जाने वाली तथा बारानी दशाओं के लिए पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली के भागों तथा जम्मू व कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश की पादगिरियां।
13.	डी एल 7843 (वैशाली)	5000	पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के मैदानों तथा अन्य पूर्वी राज्य।
14.	जी डब्लू 173	4100	मध्य प्रदेश, गुजरात, कोटा तथा राजस्थान का उदयपुर मण्डल और उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र।
15.	जी डब्लू 190	4600	मध्य प्रदेश, गुजरात, कोटा तथा राजस्थान का उदयपुर मण्डल और उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र।
ग. सरसों			
1.	पूसा बहार (डी आई आर-247)	1800	बारानी दशाओं के तहत असम, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा ।
2.	रजत पी सी आर-7	2000-2500	पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के सिंचित क्षेत्र ।
3.	जय किसान (बायो 902)	2500	सिंचित दशाओं के तहत गुजरात, राजस्थान मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र ।

डा. असीम बाला : माननीय मंत्री महोदय ने जो कुछ भी जानकारी दी है उसके लिए में उन्हें धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मैं दूसरी बात यह भी जानना चाहूंगा कि वह कौन सा विशेष क्षेत्र है जहाँ ऐसे नये किस्म के बीज उगाए जाते हैं। मैं उस अनुसंधान केंद्र का नाम भी जानना चाहूंगा जहाँ ऐसे विशेष किस्म के बीज विकसित किए गए हैं और मैं यह भी जानना चाहूँगा कि इन बीजों को गरीब किसानों तक पहुँचाने के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : इन बीजों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा पूरे देश में भिन्न-भिन्न जगहों पर स्थित कृषि विश्वविद्यालयों एवं कृषि अनुसंधान केन्द्रों में विकसित किए जाते हैं। उन अनुसंधान केन्द्रों द्वारा इन नए किस्म के बीजों को विकसित करने का प्रयास किया गया है और उसके बाद उन बीजों को कृषि कार्य हेतु वितरित किया जाता है। प्रत्येक राज्य को इसके लिए सम्पर्क करना होता है, उन्हें जारी

किए गए नए किस्म के बीजों की पूर्ण सूची उपलब्ध कराई गई है। मैं समझता हूँ कि जलवायु, स्थानीय स्थिति अथवा क्षेत्र की क्षारीय भूमि को ध्यान में रखते हुए उन बीजों का प्रयोग किया जा सकता है। उपलब्ध रहने पर उन बीजों को किसानों को दिया जाता है।

डा. असीम बाला : नए बीजों को किसानों को किस प्रकार उपलब्ध कराया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : किसानों को उसे उगाना पड़ेगा।

डा. असीम बाला : हाल ही में सरकार ने कृषि हेतु विभिन्न बीजों के बारे में भारत-इसराइल समझौते पर हस्ताक्षर किया है। मैं मंत्री महोदय से मरूभूमि में विकसित किए जाने वाले विशेष किस्म के बीजों के बारे में जानना चाहूँगा। मैं उन किस्मों के बारे में जानना चाहूँगा।

श्री बलराम जाखड़ : हम लोग उन किस्मों को विकसित कर रहे हैं। विकसित कर लिए जाने के बाद हम उसकी जानकारी देंगे।

अध्यक्ष महोदय : ये अभी जारी नहीं किए गए हैं।

श्री पृथ्वीराम डी. चव्हाण : यह एक उत्साहजनक बात है कि हमारे वैज्ञानिकों ने कई नए किस्म के बीजों को विकसित कर लिया है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या भारतीय कृषि अनुसंधान केन्द्र, कृषि अनुसंधान विभाग अथवा सरकार की किसी अन्य एजेन्सी ने यू.पी.ओ.वी. के अन्तर्गत नए किस्म के पौधों को पेटेन्ट प्रदान करने वाले देशों से इन नए किस्म के पौधों को पेटेन्ट कराने हेतु प्रयास किया है ?

श्री बलराम जाखड़ : इस संदर्भ में जल्द ही विधेयक लाया जा रहा है इस विशेष व्यवस्था के अन्तर्गत सभी बातों का ध्यान रखा जाएगा।

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यक से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि चावल, गेहूं, सरसों आदि के बीजों की नई किस्मों का अन्वेषण तो किया गया है, परंतु अखबारों के प्रकाशन से पता चलता है कि इस साल दालों के उत्पादन में बहुत कमी आई है, जिसकी वजह से दालों की कीमतों में बहुत वृद्धि हुई है। तो क्या सरकार दालों के बीजों की नई किस्मों के बारे में खर्च कर रही है, ताकि दालों के उत्पादन में वृद्धि हो और दालों के मूल्यों में कमी आ सके।

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, दालों के उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले वृद्धि हुई है और इस साल हम पौने 15 मिलियन टन तक पहुंच गए हैं। और हमारा हमेशा यही प्रयत्न रहता है और कि नई-नई किस्में आएं और अधिक उत्पादन हो। इस काम में कृषक और साईंटिस्ट दोनों प्रयत्नशील रहते हैं। यह मसला शुष्क खेती का है इसलिए इस ओर लोग कम ध्यान देते हैं, लेकिन हम इस क्षेत्र में चेष्टा कर रहे हैं और संतोषजनक प्रगति हो रही है।

[अनुवाद]

श्री शरत पटनायक : मैं माननीय मंत्री महोदय, से यह जानना चाहूँगा कि क्या धान के नए किस्मों को उड़ीसा के सूखा प्रवण क्षेत्र में कृषि हेतु प्रभाग किया जाएगा।

श्री बलराम जाखड़ : इसकी खेती किसी भी राज्य में की जा सकती है; इसमें कोई परेशानी नहीं है।

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र : माननीय अध्यक्ष जी, नयी बीज की किस्म में बासमती भी है लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बार उसमें कीड़ा लगा है। बासमती की नयी किस्म को प्रोत्साहन देने के लिए और उसकी मार्किटिंग सुनिश्चित करने के लिए क्या आप कोई प्रयास कर रहे हैं ताकि उससे ज्यादा विदेशी मुद्रा मिल सके और बासमती की नयी किस्मों को हम किसानों में प्रचारित कर सकें जो अभी तक नहीं हो पाई है, क्या इसके लिए कोई प्रयास कर रहे हैं ?

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत आवश्यक है और जब हम बढ़िया चीज दे रहे हैं तो बढ़िया ही करेंगे। यह खुशी की बात है कि हम एक नया हाईब्रिड निकाल रहे हैं, तीन तो रिलीज हो गए हैं और दो अभी निकलने वाले हैं। इसमें कम से कम पर हैक्टेयर एक टन वृद्धि होगी जो एक प्रगतिशील कदम होगा और नया नक्शा बनेगा। बासमती में हम वैरायटी कर रहे हैं। बासमती में हाईब्रिड आ जाए तो उसके लिए प्रयत्नशील हैं। आपने दूसरी बासमती की बात है तो उसके लिए चेष्टा होगी कि उसको बचा सकें और बाहर भेज सकें और पैसा कमा सकें।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बंगलौर में राष्ट्रीय खेल

*** 424. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगलौर में 1995 के राष्ट्रीय खेल आयोजित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इन खेलों पर अनुमानतः कितना व्यय आएगा, और

(ग) केन्द्रीय सरकार और कर्नाटक राज्य का इस व्यय में कितना-कितना हिस्सा होगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग), राष्ट्रीय खेल के लिए स्थान, आयोजन, बजट इत्यादि से संबंधित सभी निर्णय भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा लिए जाते हैं न कि सरकार द्वारा। यह ज्ञात हुआ है कि राष्ट्रीय खेल 1995 भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा बंगलौर को आबंटित किए गये हैं। इन खेलों के आयोजन के लिए सरकार के पास आयोजकों अथवा राज्य सरकार द्वारा कोई भी बजट अनुमान नहीं भेजे गए हैं।

माल की चोरी

*** 425. श्री शिवलाल नागजी भाई वेकारिया :**

श्री साईमन मरांडी :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेलवे वैगनों में अवैध घुसपैठ तथा माल को चढ़ाने/उतारने की प्रक्रिया के दौरान वैगनों तथा स्टेशनों से बड़े पैमाने पर माल की चोरी होने की घटनाओं का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो 1 जनवरी, 1993 से आज तक हुई ऐसी घटनाओं तथा चोरी हुए माल के मूल्य का जोनवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) सरकार ने उक्त अवधि के दौरान किये गये दावों पर कितने मुआवजे का भुगतान किया है ;

(घ) ऐसी घटनाओं में कितने सरकारी अधिकारी तथा अन्य व्यक्ति शामिल पाये गये और कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है; और

(ङ) ऐसी घटनाएं पुनः न होने देने के लिए क्या ठोस उपाय किये जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). पिछले वर्ष की तुलना में 1993 में माल की चोरी तथा उसके मूल्य के मामलों में काफी कमी आई है। 1993 तथा 1994 (31 मार्च तक) के बारे में ब्यौरा नीचे दिया गया है : -

रेलवे	वर्ष	दर्ज की गई घटनाओं की संख्या	चुराई गई सम्पत्ति का मूल्य (रुपये में)
मध्य	1993	28	7,78,512
	1994 (मार्च तक)	13	85,388
पूर्व	1993	4487	1,64,66,230
	1994 (मार्च तक)	970	39,95,645
उत्तर	1993	102	6,00,935
	1994 (मार्च तक)	26	61,578
पूर्वोत्तर	1993	138	3,61,221
	1994 (मार्च तक)	30	71,180
पूर्वोत्तर सीमा	1993	174	45,05,622
	1994 (मार्च तक)	17	2,63,457
दक्षिण	1993	28	1,49,749
	1994 (मार्च तक)	5	14,500
दक्षिण मध्य	1993	13	60,109
	1994 (मार्च तक)	3	982
दक्षिण पूर्व	1993	185	42,44,409
	1994 (मार्च तक)	49	4,60,417
पश्चिम	1993	47	2,37,065
	1994 (मार्च तक)	13	36,813

(ग) सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान उठाईगीरी और चारी के कारण मुआवजे के रूप में 4,42,27,454/- रुपये का भुगतान किया गया है।

(घ) 1993 और 1994 (मार्च तक) की अवधि के दौरान इसमें संलिप्त पाए गए रेलवे पदाधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों की जोन-वार संख्या इस प्रकार है : -

रेलवे	वर्ष	व्यक्तियों की संख्या					
		गिरफ्तार किए गए			जिन पर मुकदमा चलाया गया		
		बाहरी व्यक्ति	रेल कर्मचारी	रे.सु. ब.	बाहरी व्यक्ति	रेल कर्मचारी	रे.सु.ब.
मध्य	1993	17	1	-	17	1	-
	1994	14	-	-	14	-	-
पूर्व	1993	166	8	-	166	8	-
	1994	56+1*	-	-	56	-	-
उत्तर	1993	85	12	-	79	10	-
	1994	24	6	-	23	3	-
पूर्वोत्तर	1993	55	6	-	55	6	-
	1994	7	5	-	7	5	-
पूर्वोत्तर सीमा	1993	122	10	-	122	9	-
	1994	11	-	-	11	-	-
दक्षिण	1993	26	4	-	26	4	-
	1994	3	1	-	3	1	-
दक्षिण मध्य	1993	14	1	-	14	1	-
	1994	4	1	-	4	1	-
दक्षिण पूर्व	1993	206	5	1	206	5	1
	1994	52	2	-	52	2	-
पश्चिम	1993	53	-	-	53	-	-
	1994	14	-	-	10	-	-

* मारे गये।

नोट : - रे. सु.ब. = रेलवे सुरक्षा बल

(ङ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए निम्नलिखित निवारक उपाय किए जा रहे हैं : -

1. जहां तक संभव हो, मूल्यवान और महत्वपूर्ण परेषण ले जा रही गाड़ियों में मार्गरक्षी तैनात करना।

2. यार्डों और अन्य भेद्य क्षेत्रों/खंडों में गहन बीट गश्त लगाना।

3. अन्तर्बदल स्थलों पर संयुक्त जांच करके उन माल डिब्बों/सीलों की दशा का जायजा लेना, जिनमें चोरी आदि की संभावना वाले परेषण ले जाए जा रहे हों।

4. जहां तक संभव हो, भेद्य खंडों में रेलवे सुरक्षा बल के सशस्त्र दस्ते तैनात/लगाये जाते हैं।

5. अपराधियों का पता लगाने के उद्देश्य से, अपराध आसूचना एकत्र करने के लिए सादी वर्दी वाले रे.सु.ब. कर्मी भी लगाये जाते हैं।

6. भेद्य यार्डों और क्षेत्रों में गश्त लगाने के लिए, उपलब्धता के अनुसार कुत्ता दस्ते लगाये जाते हैं।

7. अपराधियों और चुरायी गयी संपत्ति के प्राप्तकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए, रे.सु.ब., रा.रे.पु. और स्थानीय पुलिस के बीच विभिन्न स्तरों पर निकट समन्वय बनाये रखा जाता है।

8. अपराध आसूचना के आधार पर, अपराधियों/चुराई गई सम्पत्ति प्राप्त करने वालों के अड्डों पर छापे मारे जाते हैं और उनकी तलाशी ली जाती है ताकि उन्हें सजा दी जा सके।

[हिन्दी]

समेकित बाल विकास योजना

*** 428. श्री आनन्द अहिरवार :**

श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर) :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की ओर विदेशी सहायता से प्रत्येक राज्य में गत तीन वर्षों से चलाई जा रही समेकित बाल विकास योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में इन योजनाओं की उपलब्धि का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) 1975-76 में प्रारम्भ की गई, समेकित बाल विकास सेवा स्कीम (आई सी डी एस) का उद्देश्य 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और शिशुवती माताओं के लिए सेवाओं का पैकेज प्रदान करना हैं, जिसमें पूरक पोषाहार, रोग प्रतिरोधक टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवाएं, स्कूल पूर्व शिक्षा तथा पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा शामिल है। 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार, देश में संस्वीकृत समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं की संख्या 3378 है, जिसमें ग्राम्य क्षेत्र की 195 परियोजनाएं शामिल हैं। इन 3378 समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं में से आन्ध्र प्रदेश में 110 परियोजनाएं, उड़ीसा में 191 परियोजनाएं, बिहार में 69 परियोजनाएं और मध्य प्रदेश में 84 परियोजनाएं विश्व बैंक सहायता के अंतर्गत कवर की गई हैं। तमिलनाडु राज्य में 47 समेकित बाल विकास सेवा

परियोजनाओं को स्वीडिश इंटरनेशनल डिवेल्पमेंट एजेंसी से प्राप्त सहायता के अंतर्गत कवर किया गया है। 12 और समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाएं यूनिसेफ की सहायता से संस्वीकृत की गई हैं। उत्तर प्रदेश में 58 समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं को, नवाचार कार्यकलापों के लिए सीमित सहायता देते हुए 1993-94 तक नोराड सहायता के अंतर्गत कवर किया गया था। समेकित बाल विकास सेवा प्रशिक्षण, स्कूल-पूर्व घटक के सुदृढ़ीकरण तथा उपकरणों और वाहनों के लिए भी यूनिसेफ से सहायता ली जाती है।

(ख) प्रत्येक राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान स्कीम के अंतर्गत कवर किए गए लाभप्राप्तकर्ताओं और परियोजनाओं की संख्या संबंधी ब्यौरा संलग्न है। समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के विभिन्न मूल्यांकन महत्वपूर्ण सूचकों, जिसमें बच्चों का पोषाहारीय दर्जा और शिशु मृत्यु दर में कमी शामिल हैं, के संबंध में इस स्कीम के सकारात्मक प्रभाव को उजागर करते हैं। स्कूल-पूर्व शिक्षा, प्राथमिक स्कूलों में प्रवेश और पढ़ाई जारी रखने के विषय में भी इसी प्रकार सुधार हुआ है। सेवाओं को बेहतर बनाने तथा उन्हें और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाए जाने हेतु अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें बेहतर प्रबोधन प्रणाली अपनाना, मानदेय और पोषाहार के मानदण्डों में वृद्धि, स्कूल-पूर्व घटक को समृद्ध बनाना, समेकित बाल विकास सेवा कार्यकर्ताओं के लिए बेहतर प्रशिक्षण, आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए मौजूदा अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना, सेवाओं का कारगर रूप से संकेन्द्रण तथा चुनी हुई परियोजनाओं में किशोर बालिकाओं को समेकित बाल विकास सेवाएं उपलब्ध कराना, शामिल हैं।

विवरण

वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं और पूरक पोषाहार तथा स्कूल-पूर्व शिक्षा प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या

लाभ प्राप्तकर्ताओं की सं. (लाखों में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्य में स्वीकृत आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं की संख्या			पूरक पोषाहार प्राप्त करने वाले लाभप्राप्तकर्ताओं की संख्या			स्कूल-पूर्व शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों (3 से 6 वर्ष) की संख्या		
		91-92	92-93	93-94	91-92	92-93	93-94	91-92	92-93	93-94
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	169	192	192	14.71	16.37	16.63	6.31	7.51	7.44
2.	अरुणाचल प्रदेश	38	39	39	0.57	0.52	0.54	0.21	0.20	0.27
3.	असम	62	68	79	3.37	4.30	3.98	2.75	2.20	2.38
4.	बिहार	245	296	296	9.53	13.89	13.22	8.21	8.71	8.52
5.	गोवा	11	11	11	0.46	0.42	0.38	0.14	0.14	0.12
6.	गुजरात	124	137	154	10.23	9.79	11.72	5.18	4.80	5.22
7.	हरियाणा	93	100	104	8.12	8.40	8.95	3.33	3.56	3.55
8.	हिमाचल प्रदेश	34	36	41	1.44	1.44	1.51	0.58	0.62	0.61

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	जम्मु और कश्मीर	65	67	69	1.77	1.88	1.78	0.81	0.83	0.84
10.	कर्नाटक	148	167	185	15.27	17.84	18.48	6.74	8.72	8.50
11.	केरल	90	99	113	7.27	7.64	7.67	2.74	2.63	2.61
12.	मध्य प्रदेश	231	266	269	14.28	12.58	13.50	6.45	7.96	7.88
13.	महाराष्ट्र	175	206	255	19.79	20.94	21.30	10.43	10.93	10.91
14.	मणिपुर	25	27	29	0.50	1.05	1.09	0.52	0.44	0.47
15.	मेघालय	28	30	30	0.78	0.83	0.85	0.34	0.33	0.32
16.	मिजोरम	21	21	21	0.67	0.62	0.63	0.32	0.38	0.36
17.	नागालैंड	26	26	26	1.27	1.48	1.42	0.56	0.48	0.45
18.	उड़ीसा	176	218	218	9.67	13.09	14.09	2.87	4.08	4.58
19.	पंजाब	62	65	70	2.96	2.41	2.73	1.97	1.89	2.03
20.	राजस्थान	136	153	182	8.20	7.19	7.30	4.13	3.71	3.66
21.	सिक्किम	4	4	4	0.15	0.14	0.13	0.05	0.06	0.06
22.	तमिलनाडु	111	111	112	5.36	5.72	6.23	3.17	3.69	2.80
23.	त्रिपुरा	19	19	19	0.55	0.64	0.78	0.41	0.43	0.44

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	उत्तर प्रदेश	361	433	540	13.50	19.98	20.19	9.20	9.44	9.78
25.	पश्चिम बंगाल	200	232	277	11.42	12.02	13.26	6.87	7.46	7.28
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4	4	4	0.15	0.16	0.20	0.09	0.79	0.10
27.	चण्डीगढ़	2	2	2	0.16	0.17	0.17	0.07	0.07	0.07
28.	दादर और नगर हवेली	1	1	1	0.16	0.16	0.16	0.05	0.05	0.05
29.	दिल्ली	27	28	28	3.05	3.71	3.80	1.01	1.16	1.17
30.	दमन और दीव	2	2	2	0.06	0.06	0.06	0.03	0.03	0.03
31.	लक्षद्वीप	1	1	1	0.06	0.07	0.07	0.01	0.01	0.10
32.	पांडिचेरी	5	5	5	0.57	0.41	0.38	0.11	0.08	0.06
	जोड़	2696	3066	3378	166.45	185.92	193.20	85.66	92.71	92.66

परियोजनाओं को चालू करने में 18 महीने लग जाते हैं।

राष्ट्रीय महिला निधि

* **429. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने 1993-94 के दौरान राज्य-वार कितने गैर सरकारी संगठनों/महिला विकास निगमों को ''राष्ट्रीय महिला निधि'' के अन्तर्गत ऋण उपलब्ध कराया है ;

(ख) इन संगठनों द्वारा इस ऋण को किस तरह से व्यय किया जाता है; और

(ग) इस योजना से प्रत्येक राज्य में कितनी महिलाएं लाभान्वित हुई हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग). वर्ष 1993-94 के दौरान, राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा लगभग 37066 महिला ऋण प्राप्तकर्ताओं को विकास कार्यों हेतु ऋण देने के लिए 24 गैर-सरकारी संगठनों को ऋण-सीमा स्वीकृत की गई। संगठनों तथा महिला ऋण प्राप्त-कर्ताओं की संख्या का राज्यवार विवरण संलग्न है।

ये ऋण पात्र गैर-सरकारी संगठनों को, कोष की अनुमोदित ऋण नीति के अनुसार, मुख्यत: अनौपचारिक क्षेत्र में आयोत्पादक कार्यकलापों जैसे-चटाई बुनना, मत्स्य-विक्रय, छोटी दुकानों, सब्जी बेचना, सिलाई, साइकिल मरम्मत, डेरी, बकरी/पशुधन पालन, खान-पान का प्रबन्ध और पंसारी की दुकान, फूल बेचने आदि के लिए निर्धन महिलाओं को व्यक्तिगत रूप से अथवा स्व-सहायता समूहों में संगठित महिलाओं को 12 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण प्रदान करने के लिए स्वीकृत किये गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	संगठनों की संख्या	महिला लाभप्राप्तकर्ताओं की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	7	7131
2.	बिहार	1	2500
3.	कर्नाटक	2	1020
4.	केरल	2	2600
5.	महाराष्ट्र	3	3795
6.	मध्य प्रदेश	1	1050
7.	उड़ीसा	2	
8.	तमिलनाडु	4	15490
9.	उत्तर प्रदेश	1	700
10.	वेस्ट बंगाल	1	2000
		24	37,066

[अनुवाद]

खोपरा का समर्थन मूल्य

*** 430. श्री पी.सी. थामस :**

श्री वी. एस. विजयराघवन :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1994 के मौसम के लिए खोपरे का समर्थन मूल्य निर्धारित कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या किसानों ने कम मूल्य की घोषणा का विरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसकी पुनरीक्षा करने का है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने 1994 मौसम के लिए अच्छी औसत क्वालिटी के मिलिंग खोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2350 रुपये प्रति क्विंटल तथा बाल खोपरा (अच्छी औसत क्वालिटी) का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2575 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।

(ग) सरकार को, 1994 मौसम के लिए निर्धारित किए गए खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूलयों के विरोध में उत्पादकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दालों का उत्पादन

*** 431. श्री गुमान मल लोढा :**

श्री नवल किशोर राय :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1992-93 और 1993-94 के दौरान प्रत्येक राज्य में दालों का कितना-कितना उत्पादन हुआ तथा इसकी कितनी-कितनी मांग थी ;

(ख) क्या दालों की उत्पादन दर और जनसंख्या दर में अंतर है ;

(ग) यदि हां, तो यह अंतर कितना है ;

(घ) उक्त अवधि के दौरान दालों का कितनी मात्र में आयात किया गया है ; और

(ङ) दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) तथा (ग) आबादी की वृद्धि दर 2.14 प्रतिशत है, जबकि दालों के उत्पादन की वृद्धि दर 1.08 प्रतिशत प्रतिवर्ष है।

(घ) 1992-93 के दौरान 5.67 लाख मीटरी टन का आयात किया गया था। 1993-94 के दौरान (दिसम्बर, 1993 तक) 4.26 लाख मीटरी टन का आयात किया गया था।

(ङ) विवरण - II संलग्न है।

विवरण -I

(मात्र लाख मीटरी टन)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	दालों का उत्पादन और अस्थायी मांग			
		1992-93		1993-94	
		उत्पादन	मांग	उत्पादन	मांग
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	7.84	12.22	8.21	12.47
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.05	0.14	-	0.15
3.	असम	0.51	4.12	0.69	4.21
4.	बिहार	7.23	15.28	8.70	16.20
5.	गोवा	0.05	0.21	-	0.22
6.	गुजरात	6.48	7.60	4.52	7.75
7.	हरियाणा	3.30	3.04	5.90	3.09
8.	हिमाचल प्रदेश	0.12	0.95	0.19	0.97
9.	जम्मु और कश्मीर	0.21	1.42	0.23	1.44
10.	कर्नाटक	5.24	8.28	5.11	8.44
11.	केरल	0.17	5.35	0.24	5.45
12.	मध्य प्रदेश	28.45	12.15	32.41	12.40
13.	महाराष्ट्र	18.29	14.51	21.76	14.61
14.	मणिपुर	-	0.34	-	0.34
15.	मेघालय	0.02	0.01	-	0.01

1	2	3	4	5	6
16.	मिजोरम	0.08	0.01	-	0.01
17.	नागालैंड	0.13	0.21	-	0.02
18.	उड़ीसा	11.19	5.83	12.30	5.94
19.	पंजाब	0.75	3.70	0.94	3.78
20.	राजस्थान	14.58	8.08	13.18	8.26
21.	सिक्किम	0.07	0.07	-	0.07
22.	तमिलनाडु	4.24	10.27	5.52	10.49
23.	त्रिपुरा	0.06	0.50	-	0.50
24.	उत्तर प्रदेश	24.81	25.57	25.88	26.12
25.	पश्चिम बंगाल	2.03	12.54	2.05	12.80
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	नकारात्मक	0.03	नकारात्मक	0.03
27.	चण्डीगढ़	-	1.18	*	1.20
28.	दादर व नगर हवेली	-	0.01		0.01
29.	दिल्ली		0.001	*	0.001
30.	दमन और दीव		1.69		.73
31.	लक्षद्वीप		0.01	*	0.01
32.	पांडिचेरी	-	0.14	*	0.14
33.	अन्य		-	0.54	-
	कुल :	135.97	156.06	148.37	159.30

टिप्पणी : 1992-93 और 1993-94 के लिए आबादी की गणना 1991 की जनगणना के आधार पर प्रतिवर्ष 2.14 प्रतिशत की वृद्धि दर पर की गई है। इसके बाद दालों की मांग 50 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर पर आंकी गई हैं।

* 1993-94 के लिए छोटे राज्यों के उत्पादन के आंकड़े अन्य के साथ शामिल किए गए हैं।

विवरण - II

देश में दलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 25 राज्यों और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह संघ शासित क्षेत्र में केन्द्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना चल रही है। इस परियोजना के अंतर्गत, मुख्य आधारी निवेश जैसे बीजों का उत्पादन और वितरण, उन्नत फार्म उपकरण, छिड़काव सैटों, राइजोबियम

कल्चर, सूक्ष्म पोषक तत्वों आदि की सप्लाई किसानों को राजसहायता प्राप्त दरों की जाती है। किसानों के खेतों तक प्रौद्योगिकियों के अंतरण के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अग्रणी प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं और संबंधित राज्य कृषि विभागों द्वारा सामान्य प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। समेकित कीट प्रबंध प्रदर्शनों का आयोजन करने की ओर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस योजना की लागत को भारत सरकार और राज्यों द्वारा 75 : 25 के आधार पर वहन किया जा रहा है।

राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजनाओं की मुख्य योजना के अतिरिक्त केन्द्रीय क्षेत्र की एक सहायक योजना ''विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम दलहन'', जिसके दो घटक हैं अर्थात् चने और अरहर के लिए पौध रक्षण उपायों की व्यवस्था करना तथा सिंचित परिस्थितियों में ग्रीष्म दलहनों के अंतर्गत क्षेत्र का विस्तार, 1992-93 में दलहन उगाने वाले प्रमुख राज्यों में चल रही थी। इस योजना के अंतर्गत, राज्यों को 100 प्रतिशत सहायता मुहैया की गई ताकि किसानों को पौध-रक्षण रसायन और बीज मिनिकिटों की सप्लाई की जा सके।

''विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम - दलहन'' योजना को 1993-94 में मुख्य योजना ''राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना'' में मिला दिया गया है।

विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना और विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम (दलहन) के अंतर्गत 1992-93 और 1993-94 में मुहैया की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न है।

राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना और विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम - निर्मुक्त की गई केन्द्रीय सहायता।

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1992-93		1993-94
		रा.द.वि. प.	वि.खा. उ.कां.	रा.द.वि.प. जिसमें वि. खा.उ. का. दलहन शामिल है।
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	90.417	25.00	126.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.430	-	2.00
3.	असम	14.510	-	8.00
4.	बिहार	102.061	45.75	89.00
5.	गोवा	1.430	-	2.00
6.	गुजरात	95.949	15.00	51.50

1	2	3	4	5
7.	हरियाणा	74.556	24.00	100.00
8.	हिमाचल प्रदेश	12.505	-	7.00
9.	जम्मू और कश्मीर	9.554	-	10.00
10.	कर्नाटक	99.848	29.00	138.11
11.	केरल	9.135	-	10.00
12.	मध्य प्रदेश	294.200	90.00	480.00
13.	महाराष्ट्र	158.046	52.00	373.00
14.	मणिपुर .	4.564	-	4.16
15.	मेघालय	4.564	-	5.00
16.	नागालैंड	3.009	-	4.00
17.	उड़ीसा	65.449	23.00	100.00
18.	पंजाब	24.625	4.00	30.00
19.	राजस्थान	166.319	64.00	261.45
20.	सिक्किम	7.798	-	8.00
21.	तमिलनाडु	80.269	18.00	110.00
22.	त्रिपुरा	5.810	-	6.00
23.	उत्तर प्रदेश	223.099	141.25	405.00
24.	पश्चिम बंगाल	28.359	4.00	35.00
25.	अंडमान और निको. द्वीपसमूह	0.500	-	2.00
26.	दिल्ली	-	-	1.00
	कुल :	1577.450	535.00	2368.98

[अनुवाद]

वनों की कटाई

*** 432. श्री एन. डेनिस :**

डा. के.वी.आर. चौधरी :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनों की कटाई से वन्य प्राणियों तथा पर्यावरण के लिये गम्भीर खतरा पैदा हो गया है ;

(ख) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों से बड़े पैमाने पर वनों की कटाई किये जाने के संबंध में रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) सरकार ने वनों की कटाई को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ; और

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग). यद्यपि मानव और पशुओं की बढ़ती जनसंख्या के अत्यधिक जैवीय दबाव के कारण वन भूमि का अवक्रमण हो रहा है, तथापि वन्य जीवन और पर्यावरण के अस्तित्व को कोई गंभीर खतरा नहीं है।

राज्यों से पिछले तीन वर्षों के दौरान बड़े पैमाने पर वन-विनाश की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई हैं। वास्तव में, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा उपग्रह प्रतिबिंबिकी के दृश्यात्मक व्याख्या के आधार पर किए गए मूल्यांकन के अनुसार वन विनाश की प्रवृत्ति कम हुई है। भारतीय वन सर्वेक्षण की वर्ष 1987 और 1989 की वन आवरण रिपोर्टों की तुलना करने से 47,500 है० वार्षिक हानि का पता चला ; और वर्ष 1989 तथा 1991 की रिपोर्टों की तुलना करने से इसमें 28,000 है० की निवल वार्षिक वृद्धि देखी गई। 1993 की रिपोर्ट के अनुसार, 1,100 है० प्रतिवर्ष की और वृद्धि ध्यान में आई है।

(घ) और (ङ) ब्यौरे संलग्न विवरण I और II में दिए गए हैं।

विवरण - I

वन-नाशन को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं : -

(1) केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना वनेतर प्रयोजनों हेतु वन भूमि के परिवर्तन को रोकने के लिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 बनाया गया है।

(2) वन तथा वन्यजीव अपराधों को रोकने के लिए भारतीय वन अधिनियम, 1927 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 लागू किए गए हैं।

(3) वन संरक्षण को मजबूत बनाया गया है तथा वन कर्मियों को वाहन, बेतार सेट तथा बाकी-टाकी दिए गए हैं।

(4) तस्करी को रोकने के लिए नाजुक क्षेत्रों में उड़नदस्ते तैनात किए जाते हैं।

(5) दुर्लभ और संकटापन्न प्रजातियों, वन्य जीवन और जैविकीय महत्व के अनूठे वासस्थलों की सुरक्षा हेतु बाघ परियोजना, हाथी परियोजना आदि जैस विशेष कार्यक्रम लागू किए गए हैं।

(6) अवक्रमित वनों के पुनरुद्धार तथा राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, बाघ परियोजना रिज़र्वों आदि के बफर क्षेत्रों में वनरोपण/पुनः वनीकरण और पारि-विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

(7) काष्ठ उपयोग को प्रतिस्थापित करने, कम खपत और फिजूलखर्ची को रोकने के लिए काष्ठ प्रतिस्थापन तथा ईंधन, बचाने वाले उपकरणों को बढ़ावा दिया जाता है।

(8) वन और वन्यजीव वास-स्थलों पर दबाव कम करने के लिए वनेतर क्षेत्रों में वनीकरण तथा परती भूमि विका कार्यक्रम भी कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

(9) भोगाधिकार में हिस्सेदारी और लाभ वितरण की क्रियाविधि के जरिए वनों के संरक्षण और पुनरुद्धार हेतु ग्रमीण समुदायों एवं स्वैच्छिक अभिकरणों को शामिल करके संयुक्त वन प्रबंध प्रणालियां बनाई जा रही हैं ।

विवरण - II

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य का नाम	केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न वानिकी स्कीमों के अंतर्गत राज्यों को जारी की गई वित्तीय सहायता		
		1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	810.75	567.56	1191.0
2.	अरुणाचलप्रदेश	34.66	43.78	117.40
3.	असम	151.54	155.52	126.84
4.	बिहार	557.07	233.13	1082.17
5.	गोआ	3.15	29.31	21.03
6.	गुजरात	722.47	692.69	857.16
7.	हरियाणा	1043.77	1268.88	874.13
8.	हिमाचल प्रदेश	536.43	436.02	465.61
9.	जम्मू और कश्मीर	410.63	486.61	443.63
10.	कर्नाटक	875.92	546.07	882.80
11.	केरल	134.86	288.08	232.05
12.	मध्य प्रदेश	773.35	1087.69	1513.14
13.	महाराष्ट्र	521.30	319.84	307.18
14.	मणिपुर	240.61	194.31	314.41

1	2	3	4	5
15.	मेघालय	168.19	275.63	37[illegible]
16.	मिजोरम	354.50	751.72	591.08
17.	नागालैण्ड	286.04	362.45	177.22
18.	उड़ीसा	600.85	548.84	920.25
19.	पंजाब	386.06	512.56	438.41
20.	राजस्थान	3119.91	2556.82	2996.50
21.	सिक्किम	254.03	344.36	505.87
22.	तमिलनाडु	471.86	386.18	393.25
23.	त्रिपुरा	117.45	90.02	70.53
24.	उत्तर प्रदेश	804.72	933.22	1030.20
25.	पश्चिम बंगाल	596.75	706.88	916.22
	कुल योग	13,976.87	13,818.17	16,838.70

तम्बाकू की खेती

*** 433. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नये क्षेत्रों में तम्बाकू की खेती को बढ़ावा देने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या मध्य प्रदेश में तम्बाकू की खेती की संभावना का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) बरले तम्बाकू के उत्पादन के संबंध में प्राथमिक अन्वेषी परीक्षण मध्य प्रदेश में जगदलपुर, बस्तर जिलों में किए गए थे; जिनके परिणाम गुणवत्ता मानदण्डों की दृष्टि से काफी उत्साहजनक रहे। इस संबंध में अध्ययन अभी जारी हैं।

(ङ) इस उद्देश्य के लिए तम्बाकू बोर्ड ने 1992-93 तथा 1993-94 में प्रतिवर्ष 1.00 लाख रुपए निर्धारित किए थे। तथापि मध्य प्रदेश के लिए अलग से कोई राशि आबंटित नहीं की गई।

वन क्षेत्र

*** 434. श्री राजेश कुमार :**

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुदूर संवेदी उपकरण के प्रयोग से उपग्रह सर्वेक्षण द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि वन क्षेत्र वास्तव में 64 मिलियन हेक्टेयर है जबकि रिकार्ड में यह 75 मिलियन हेक्टेयर दिखाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) वन क्षेत्र की कमी को रोकने की दृष्टि से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) ''दि स्टेट ऑफ फारेस्ट रिपोर्ट 1993'' के अनुसार देश में अभिलेखबद्ध वन क्षेत्र 77.008 मिलियन हेक्टेयर है और वास्तविक वन आवरण 64.01107 मिलियन हेक्टेयर है।

(ख) अभिलेखबद्ध वन क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसका अभिलेख सरकारी अभिलेखों में वन के रूप में किया गया है जबकि ''दि स्टेट ऑफ फारेस्ट रिपोर्ट 1993'' में यथा उल्लिखित वन आवरण इसकी विधिक स्थिति पर विचार किए बिना, प्रवाल वन सहित 10 प्रतिशत और इससे अधिक शीर्ष घनत्व वाले वन के अधीन वास्तविक क्षेत्र होता है।

(ग) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में 1988 में संशोधन किया गया था तथा इसके अंतर्गत निर्मित वन (संरक्षण) नियमावली, 1981 में 1992 में संशोधन किया गया था। इनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

।हिन्दी।

मसालों में मिलावट

*** 435. श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल :**

प्रो. प्रेम धूमल :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मसालों में मिलावट के संबंध में शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है ;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ङ) सरकार ने भविष्य में ऐसी मिलावट रोकने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री ए. के. एन्टनी) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) मसालों की विशिष्टियां, खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में निधारित की गई हैं। राज्य सरकारें नियमित रूप से मसालों के नमूने लेती हैं और यदि नमूने अपमिश्रित पाए जाते हैं, तो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाती है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर सलाह दी गई है कि वे खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों के तहत अधिकतम संख्या में नमूने लें।

[अनुवाद]

समेकित मात्स्यिकी विकास परियोजना

*** 436. श्री सुधीर सावन्त :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यान्वित समेकित मात्स्यिकी विकास परियोजना का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने सरकार से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की समेकत मात्स्यिकी विकास परियोजना स्थापित करने का अनुरोध किया है ;

(ग) क्या अन्य राज्यों से भी ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर राज्य-वार क्या कार्यवाही की गई है ;

(ङ) क्या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सहकारी समितियों को सलाह-मशविरा देता है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा स्वीकृत और कार्यान्वित की गई समेकत मात्स्यिकी विकास परियोजनाओं का क्षेत्रवार और राज्यवार ब्यौरा विवरण - I में दिया गया है।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने अकोला और भंडारा जिलों में जलाशय मात्स्यिकी के विकास के लिए भंडारा जिला मछुआरा सहकारी संघ लिमिटेड और अकोला जिला मछुआरा सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली समेकित मात्स्यिकी विकास परियोजना का कार्यान्वयन करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से अनुरोध किया है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने 31.3.1992 को इस परियोजना को स्वीकृति दी।

(ग) तथा (घ) जी, हां। विवरण - II में दिए गए ब्यौरे के अनुसार।

(ङ) तथा (च) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सहकारी समितियों द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए परामर्शदाताओं की सेवाएं लेने का समर्थन करता है। समितियों को परामर्शदाताओं की नियुक्ति करने, और उनके विचारार्थ विषयों को अंतिम रूप देने तथा परामर्शी सेवाओं पर होने वाले खर्च का निर्धारण करने के लिए राज्य सरकार के माध्यम से एक औपचारिक प्रस्ताव भेजकर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होती है। यदि परियोजना स्वीकृत कर दी जाती है तो परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए परामर्शदाताओं की सेवाएं प्राप्त करने में व्यय की गई राशि परियोजना लागत में ही वहन की जाएगी।

विवरण - I

देश में कार्यान्वित की जा रही समेकित मात्स्यिकी विकास परियोजना का राज्य-वार ब्यौरा

क्रम संख्या	क्षेत्र	राज्य का नाम	परियोजना की संख्या
1.	समुद्री	1. आन्ध्र प्रदेश	2
		2. केरल	3
		3. पश्चिम बंगाल	2
		4. उड़ीसा	1
		5. तमिलनाडु	1
			9
2.	अन्तर्देशीय	1. गुजरात	1
		2. कर्नाटक	1
		3. महाराष्ट्र	1
			3

विवरण - II

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहायता प्राप्त समेकित मात्स्यिकी विकास परियोजनाएं

(लाख रुपए में)

	राज्य	परियोजना अवधि	कुल लागत	सहायता स्वीकृत	निर्मुक्त
1	2	3	4	5	6
समुद्री क्षेत्र					
1.	आन्ध्र प्रदेश-1	86-87 - 92/93	215.24	181.78	161.16
2.	आन्ध्र प्रदेश-2	90/91 - 95/96	2195.65	2060.16	323.94
3.	केरल - 1	85/86 - 90/91	555.84	431.69	431.69
4.	केरल - 2	86/87 - 92/93	1034.28	911.45	782.52
5.	केरल - 3	91/92 - 96/97	3560.00	3450.00	1399.10

1	2	3	4	5	6
6.	पश्चिमी बंगाल - 1	85/86 - 92/93	1526.03	1405.84	1274.16
7.	पश्चिमी बंगाल - 2	90/91 - 95/96	709.32	627.42	217.98
8.	उड़ीसा	90/91 - 97/98	413.57	356.82	54.87
9.	तमिलनाडु	91/92 - 96/97	1588.20	1517.11	362.42
अन्तर्देशीय क्षेत्र					
10.	गुजरात	87/88 - 95/96	230.33	184.56	73.66
11.	कर्नाटक	87/88 - 96/97	473.88	406.58	55.91
			12502.34	11533.41	5137.41

[हिन्दी]

रेलवे सुरक्षा बल

*** 437. डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे सुरक्षा बल में भर्ती के लिए क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है ;

(ख) क्या आरक्षण का लाभ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को मिला है ;

(ग) यदि हां, तो कितने प्रतिशत ; और

(घ) पश्चिम रेल में 1993-94 और मध्य रेल में 1992-93 और 1993-94 में कितने जवानों की भर्ती हुई ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) रेलवे सुरक्षा बल में सीधी भर्ती कांस्टेबलों और उप-निरीक्षकों के स्तर पर की जाती है तथा इस प्रयोजन के लिए क्रमशः क्षेत्रीय भर्ती बोर्ड तथा केन्द्रीय चयन बोर्ड गठित किए जाते हैं, ये बोर्ड प्रमुख समाचार पत्रों, जिला सैनिक बोर्डों में रिक्तियां, स्थान तथा चयन की तारीख अधिसूचित करते हैं तथा राज्य रोजगार कार्यालयों आदि को भी सूचित करते हैं, जो उम्मीदवार शैक्षिक अर्हता, शारीरिक मानदंड पूरा करते हैं उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा देनी होती है तथा साक्षात्कार देना होता है।

इसके बाद ये भर्ती/चयन बोर्ड सफल उम्मीदवारों के योग्यताक्रम के अनुसार ही नियुक्ति के लिए उनके नामों की सिफारिश करते हैं।

(ख) जी हां।

(ग) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जातियों के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत, साढ़े सात प्रतिशत तथा सत्ताईस प्रतिशत।

(घ) पश्चिम रेलवे पर 1993-94 में कोई भर्ती नहीं की गई की थी, इसी प्रकार, मध्य रेलवे में 1992-93 में कोई भर्ती नहीं की गई थी। तथापि, मध्य रेलवे पर 1993-94 में भर्ती संबंधी कार्यवाही की गई थी जिसमें 202 उम्मीदवारों को पैनल में रखा गया था।

गंगा कार्य योजना

*** 438. श्रीमती सरोज दुबे :**

श्री सनत कुमार मण्डल :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा आठ वर्ष पूर्व पवित्र नदी गंगा को स्वच्छ करने के लिए आरम्भ की गई गंगा कार्य योजना का प्रथम चरण पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मूल लागत कितनी थी और योजना के प्रथम चरण पर राज्य-वार कितनी धनराशि व्यय हुई ;

(ग) क्या गंगा कार्य योजना की कमियों का कोई मूल्यांकन किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री : (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ) सरकार द्वारा वर्ष 1985 में शुरू की गई गंगा कार्य योजना का पहला चरण अपने पूरे होने के अन्तिम चरणों में है। इस योजना के पूरा होने की कुल अनुमानित लागत 468.04 करोड़ रुपये है। तथा इसकी प्रारंभिक अनुमोदित लागत का एस्टीमेट 256.26 करोड़ था। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यों द्वारा कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर अब तक 348.96 रुपये खर्च किए जा चुके हैं। गंगा परियोजना निदेशालय के अनुरोध पर विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों द्वारा किए गए अध्ययन से यह पता चला है कि सामान्य रूप से इन स्कीमों का अच्छा प्रभाव पड़ा है।

एक विस्तृत विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) दिनांक - 1.4.94 तक 261 स्कीमों में से 230 स्कीमें पूरी की जा चुकी हैं। शेष बची हुई 31 स्कीमों में से 25 स्कीमों के वर्ष 1994-95 के दौरान तथा 6 स्कीमों के वर्ष 1995-96 के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है।

(ख) प्रारंभ में जब यह कार्यक्रम शुरू किया गया तो आरम्भिक अनुमोदित एस्टीमेट के आधार पर गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत 261 स्कीमों के लिए 256.26 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमान किया गया था। तथापि गंगा कार्य योजना के चरण-1 की अन्तिम संशोधित लागत को राज्य-वार नीचे दर्शाया जा रहा है : -

राज्य	पूरा होने की अनुमानित लागत (रुपये)
उत्तर प्रदेश	184.83 करोड़
बिहार	53.29 करोड़
पश्चिम बंगाल	187.85 करोड़

उपर्युक्त के अलावा संचालन एवं रखरखाव के मद में केन्द्र सरकार के हिस्से की 25.30 करोड़ रुपये की धनराशि तथा अनुसंधान एवं विकास, जन - भागीदारी और गंगा परियोजना निदेशालय (जी.पी.डी.) स्थापना पर व्यय की 16.75 करोड़ रुपये की अनुमानित धनराशि, इस संशोधित लागत में शामिल है। इस प्रकार गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण के पूरा होने की कुल अनुमानित लागत 468.04 करोड़ रुपये है।

1 मार्च, 1994 तक योजना पर हुआ राज्य-वार संचयी व्यय नीचे दिया गया है :

	राज्य	(रुपये करोड़ में) राशि
1.	उत्तर प्रदेश	148.88
2.	बिहार	46.18
3.	पश्चिम बंगाल	153.90
	कुल	348.96

(ग) एवं (घ) जी हां। विभिन्न विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों द्वारा गंगा कार्य योजना का एक मूल्यांकन किया गया जिससे यह पता चलता है कि योजना के अंतर्गत कार्यान्वित की जाने वाली स्कीमों का काम कुल मिलाकर ठीक ढंग से हो रहा है। तथापि मूल्यांकन में प्रवाह की विशुद्ध माप, अपशेष जल के लक्षणों का वर्णन, संचालन और रखरखाव के लिए संसाधनों का समुचित प्रावधान, अल्प-लागत स्वच्छता सुविधाओं के लिए उपयुक्त स्थानों का चुनाव तथा पंपिंग स्टेशनों और उपचार संयंत्रों के लिए बिजली की आपूर्ति का आश्वासन देने की आवश्यकता पर विशेष रूप से जोर दिया गया। उपर्युक्त सभी बातें राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक कार्रवाई किए जाने हेतु उनके ध्यान में लाई गई हैं।

[अनुवाद]

रेल राजस्व

***439. श्री भीम सिंह पटेल :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आय बढ़ाने और राजस्व की हानि को रोकने के लिए विपणन के नये तरीके अपनाकर संचालन लागत और अन्य व्यय को कम करने हेतु कोई कार्य योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी सफलता मिली हैं ;

(ग) क्या इस संबंध में किसी परामर्शदाता संगठन के माध्यम से कोई सर्वेक्षण भी कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). रेलों द्वारा आमदनी में वृद्धि तथा खर्च में कमी करके परिचालन अनुपात में सुधार लाने के लिए एक कार्य-योजना बनाई गई है। योजना के ब्यौरे में कर्मचारियों की संख्या को नियंत्रित करके खर्च पर नियंत्रण, ईंधन के खर्च पर नियंत्रण, परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग, फालतू यार्डों/लाइनों/भाप शेड आदि को बंद करना, अतिरिक्त/नया यातायात प्राप्त करने के लिए विभिन्न विपणन नीतियां अपना कर आमदनी में वृद्धि करना शामिल है। 1993-94 में खर्च में 200 करोड़ रुपये की कमी होने का अनुमान लगाया गया है। राजस्व की हानि रोकने के उद्देश्य से, अच्छे कार्य-निष्पादन के लिए प्रोत्साहन सहित गहन टिकट जांच अभियान, तेज गति से टिकट जारी करने के लिए कंप्यूटरीकृत स्वतः मुद्रण टिकट मशीनों का संस्थापन, 500 रुपये से अधिक के भाड़ा प्रभारों के लिए जारी रेलवे रसीदों की शतप्रतिशत जांच जैसे उपाय किए गए हैं जिनसे उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुए हैं, यातायात की संभावना वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए नियमित आधार पर विपणन सर्वेक्षण भी किए जाते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

साक्षरता

*** 440. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर :**

श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत साक्षरता के मामले में अन्य विकासशील देशों से बहुत पीछे है ;

(ख) यदि हां, तो विश्व साक्षरता दर में भारत की स्थिति कहां है ; और

(ग) सरकार द्वारा आरंभ किए गए साक्षरता अभियान के परिणामस्वरूप गत दो वर्षों में साक्षरता प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख). विकासशील देशों में साक्षरता दर के बारे में आधिकारिक आंकड़े नहीं हैं। यूनेस्को की आकलनों के अनुसार, 15 वर्ष तथा इससे अधिक आयु-वर्ग की भारत की प्रौढ़ साक्षरता दर चीन, इन्डोनेशिया, ब्राजील, ईरान आदि जैसे विकासशील देशों की तुलना में कम है, किन्तु पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, सूडान आदि जैसे कुछ देशों की तुलना में भारत की प्रौढ़ साक्षरता दर अधिक है।

(ग) दश वर्षीय जनगणना कार्यों के माध्यम से देश में साक्षरता संबंधी आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। वर्ष 1991 में कराई गई पिछली जनगणना के अनुसार, देश में 7 वर्ष तथा इससे अधिक आयु-वर्ग की साक्षरता दर 52.21 प्रतिशत थी। पिछले दो वर्षों के दौरान शुरू किए गए पूर्ण साक्षरता अभियान के फलस्वरूप साक्षरता दर में वृद्धि का पता तभी चलेगा जब अगली जनगणना कराई जाएगी।

[अनुवाद]

पालघर रेलवे स्टेशन

4744. श्री राम नाईक : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी और मार्च, 1994 में पश्चिम रेलवे ने इस बात पर बल दिया था कि पश्चिम रेलवे के पालघर स्टेशन से मुम्बई तक सूखी घास की गांठों के परिवहन के लिए 70 वैगनों वाला एक रेक प्राप्त किया जाए ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). हालांकि रेकों में निर्बाध रूप से लदान जारी रखा गया है, लेकिन परिचालनिक आवश्यकताओं के कारण इस अवधि के दौरान फुटकर माल डिब्बों के लदान पर कुछ नियंत्रण लगाए गये थे, बहरहाल, इन नियंत्रणों के बावजूद, फरवरी में 25 माल डिब्बों और मार्च, 94 में 16 माल डिब्बों का लदान किया गया था ताकि उपयोगकर्ताओं को कोई कठिनाई न होने पाए।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण

4745. श्री दत्ता मेघे : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में चन्द्रपुर और बाबूपेठ बलहारान रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन स्टेशनों का आधुनिकीकरण कब तक कर दिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चन्द्रपुर और बाबूपेठ रेलवे स्टेशनों पर सम्हाले जाने वाले यातायात की मात्र के अनुरूप पहले से ही सुविधाएं मुहैया की गई हैं।

जल-मल निकास योजनायें

4746. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के पास आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेश की जल-मल निकास प्रणाली से संबंधित कुछ योजनायें लम्बित पड़ी हैं ;

(ख) क्या सरकार को अन्य राज्यों से भी इस तरह की योजनायें प्राप्त हुयी हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर योजनावार कितना खर्चा आयेगा और :

(घ) सरकार ने इन योजनाओं को आठवीं योजना में शामिल करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) गंगा कार्य योजना के प्रस्तावित दूसरे चरण के अन्तर्गत स्कीमों को शामिल करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं।

(ख) कुछ अन्य राज्यों से भी, प्रस्तावित राष्ट्रीय नदी कार्य योजना के अन्तर्गत स्कीमों को शामिल किए जाने के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं।

(ग) प्रस्तावित स्कीमों का विवरण संलग्न है।

(घ) सरकार के आदेश प्राप्त करने के लिए इन प्रस्तावों को तैयार किया जा रहा है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	नगर	नदी	पूर्व व्यावहारिकता रिपोर्ट (पी.एफ. आर.) के अनुसार प्रक्षिप्त लागत (रुपये लाख)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	गुजरात	अहमदाबाद	साबरमती	10300.00
		गांधीनगर	"	-
2.	पंजाब	लुधियाना	सतलुज	17020.26
		जालधंर	"	5898.52
		फगवाड़ा	"	783.33
		फिल्लौर	"	80.78
3.	बिहार	रांची	सुवर्ण रेखा	1209.00
		घाटशिला	"	208.40
		जमशेदपुर	"	1804.33
4.	महाराष्ट्र	नानदेड़	गोदावरी	1585.00
		नासिक	"	7468.00
		कराड़	कृष्णा	1460.00
		मांगली	"	1612.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	आंध्र प्रदेश	भद्राचलम	गोदावरी	
		मनचरियाल	"	प्राप्त नहीं
		रामगुंडम	"	
		रेपल्ल्ि	कृष्णा	
6.	तमिलनाडु	इरोडे	कावेरी	1569.00
		भवानी	"	368.00
		तिरुचिरापल्लि	"	690.00
		कुमारपालयम		624.00
		पल्लिपालयम	"	569.00
	कर्नाटक	के. आर.		85.00
		श्रीरंगापट्टनम	"	200.00
		कोल्लेगाल		75.00
		नयनगाड	"	190.00
		भद्रावती	भद्रा	595.00
		शिमोगा	तुंगा	780.00
		हरिहर	तुंगभद्रा	265.00
		दावणगेरे	"	728.00
8.	राजस्थान	कोटा	चम्बल	1535.00
		किशोरायपाटन	"	प्राप्त नहीं
9.	उड़ीसा	चांदबाली	वैतरिणी	प्राप्त नहीं
		धर्मशाला	ब्राह्मिणी	
10.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	नर्मदा	1516.00
		विदिशा	बेतवा	509.00
		मंडीद्वीप	"	182.00
		भोपाल	"	255.00
		नेपानगर	तापी	शून्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		बुरहानपुर	तापी	576.00
		नागदा	चंबल	प्राप्त नहीं
		इंदौर	खान	4630.00
		उज्जैन	क्षिप्रा	2657.00
		सिवनी	वैन गंगा	270.20
11.	हिमाचल प्रदेश	मंडी	व्यास	
		कुल्लू	"	प्राप्त नहीं
		मनाली	"	
12.	उत्तर प्रदेश	मोदी नगर	गंगा	प्राप्त नहीं।

उत्तर प्रदेश में अनुसंधान केन्द्र

4747. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में स्थापित अनुसंधान केन्द्रों, अनुसंधान परिषदों और परियोजनाओं के स्थान-वार नाम क्या हैं और इन केन्द्रों के उद्देश्य क्या हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त केन्द्रों और परियोजनाओं पर कितना व्यय किया गया ; और

(ग) कृषि उत्पादन पर इनके अनुसंधान का क्या प्रभाव पड़ा है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे अनुसंधान संस्थानों, केन्द्रों और अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजनाओं के नाम, उनके स्थान और उन पर किये गए खर्च विवरण-I में दिये गये हैं। उनके उद्देश्य विवरण-II में दिये गये हैं।

ग) अनुसंधान संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में किए गए अनुसंधानों से खाद्य फसलों, दलहनों, तिलहन, गन्ना, सब्जियों और अन्य बागवानी फसलों की अधिक पैदावार देने वाली किस्मों को विकसित करने में सहायता मिली है। इन किस्मों के प्रभाव और एकमुश्त कृषि क्रियाओं के विकास से राज्य में कृषि फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने में सहायता मिली है। राज्य ने खराब मौसम की स्थिति से निपटने के लिए भी उपायों का विकास किया है।

विवरण - I

(रुपये लाख में)

I.	अनुसंधान संस्थानों और केन्द्रों और अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजनाओं के नाम तथा स्थान	1990-91	1991-92	1992-93
1.	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, बरेली।	1335.93	1470.18	1647.54
2.	केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, बरेली।	192.75	196.27	224.54
3.	भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी	263.02	262.48	325.89
4.	भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ।	211.56	257.61	296.25
5.	केन्द्रीय उत्तर मैदानी उद्यान संस्थान, लखनऊ।	101.11	176.21	189.43
6.	केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून।	288.80	370.17	428.97
7.	केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम, मथुरा।	182.63	172.23	258.97
8.	राष्ट्रीय मछली आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो, इलाहाबाद।	38.80	50.16	73.44
9.	विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला, अल्मोड़ा।	90.89	115.76	113.14
10.	भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर।	620.99	394.24	452.92

11.	मवेशी प्रायोजना निदेशालय, मेरठ।	62.86	135.80	102.38
12.	सब्जी अनुसंधान प्रायोजना निदेशालय, वाराणसी।	63.88	51.02	94.65
13.	सस्य पद्धति अनुसंधान प्रायोजना निदेशालय, मोदीपुरम	312.57	439.75	398.52
14.	राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केन्द्र, झांसी।	44.39	67.73	51.49
15.	राष्ट्रीय मांस एवं मांस उत्पाद अनुसंधान प्रायोजना, बरेली।	3.04	4.89	16.55
16.	राष्ट्रीय ठण्डा पानी मछली	41.41	[illegible]93	49.22

II.

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना के नाम तथा उनके स्थान	व्यय 1990-91	1991-92	1992-93
1.	चावल, पंतनगर, कानपुर, फैजाबाद और गोंघराघाट।	21.49	19.61	23.94
2.	गेहूं, पंतनगर, कानपुर, फैजाबाद बनारस, अल्मोड़ा।	24.99	23.82	30.16
3.	मक्का, पंतनगर, कानपुर, झांसी, वाराणसी, फैजाबाद।	28.34	25.93	28.32
4.	ज्वार, पंतनगर, कानपुर, झांसी।	4.39	4.53	5.41
5.	दलहन, पंतनगर, फैजाबाद, वाराणसी, भेरारी।	63.04	46.67	47.99
6.	गन्ना, पंतनगर	3.42	4.56	4.11

7.	तिलहन, पंतनगर, कानपुर मैनपुरी, मौरामीपुर, फैजाबाद, वाराणसी।	5.52	35.26	42.13
8.	कपास-मथुरा।	3.29	2.35	1.87
9.	सोयाबीन - पंतनगर	3.27	3.72	3.72
10.	आलू, कानपुर	0.33	3.38	3.87
11.	सब्जी, कानपुर	2.30	2.43	1.62
12.	खुम्बी - पंतनगर	1.50	2.32	2.67
13.	औषधीय और सुगन्धित पौधे-फैजाबाद	3.23	4.20	4.69
14.	जल प्रबन्ध-पंतनगर, फैजाबाद।	10.58	17.23	18.98
15.	मृदा जांच फसल प्रक्रिया-पंतनगर	2.33	3.08	5.45
16.	दीर्घ अवधि उर्वरक परीक्षण पंतनगर	0.72	0.10	1.17
17.	कृषि संबंधी अनुसंधान -पंतनगर, बरेली, कानपुर, फैजाबाद, झांसी, आगरा, वाराणसी।	44.59	23.89	24.26
18.	राष्ट्रीय बीज प्रायोजना- पंतनगर, कानपुर, फैजाबाद, झांसी, लखनऊ, वाराणसी।	33.46	38.72	188.66
19.	खरपतवार नियंत्रण-कानपुर, पंतनगर, फैजाबाद।	9.77	6.46	16.48
20.	लवणाराभूमि - फैजाबाद।	4.53	4.85	4.55
21.	शुष्क क्षेत्र कृषि - फैजाबाद, आगरा, वाराणसी।	22.46	20.84	34.20
22.	कृषि यांत्रिकी-पंतनगर, कानपुर, फैजाबाद।	7.86	8.44	8.38

23.	कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी - पंतनगर, फैजाबाद।	4.23	6.21	8.79
24.	बाजरा - कानपुर, फतेहाबाद।	0.15	2.75	3.01
25.	चारा फसल - फैजाबाद	3.75	70.00	60.00
26.	संकर बीज प्रायोजना - फैजाबाद पंतनगर, अल्मोड़ा, कानपुर।	33.58	46.95	19.08
27.	सूक्ष्म जैविक विघटन - कानपुर	2.08	1.78	1.62
28.	जैविक नाईट्रोजन निर्धारण - वाराणसी।	2.59	3.36	7.20
29.	सूक्ष्म एवं गौण पोषण तत्व - लखनऊ।	5.31	5.40	5.97
30.	कुएं एवं पम्प - पंतनगर	2.67	3.83	3.40
31.	लवण प्रभावित मिट्टी कानपुर, आगरा	16.61	21.90	18.57
32.	सस्य जलवायु विज्ञान-फैजाबाद, पंतनगर।	3.53	2.88	2.92
33.	चुकन्दर - लखनऊ	0.93	0.96	1.44
34.	तम्बाकू - सराय मिरान	0.48	0.97	0.75
35.	नवीकरण योग्य उर्जा साधन पंतनगर।	0.52	1.61	2.01
36.	फार्म उपस्कर एवं - पंतनगर मशीनरी	1.19	1.72	1.85
37.	पावर टीलर - फैजाबाद	2.47	3.30	3.98
38.	पशु उर्जा का उपयोग पंतनगर	1.98	3.55	3.27
39.	अपेक्षित उर्जा - पंतनगर	4.48	5.06	6.51
40.	गुड़ और खंडसारी का - पंतनगर संवर्धन एवं भण्डारण।	1.15	0.10	1.84

41.	तिलहन संवर्धन नेटवर्क	4.65	1.50	5.68
42.	जूट तथा संबद्ध रेशे-पंतनगर	2.16	3.45	3.77
43.	उपयोग में लाये जाने वाले पौधे - रानीचौरी	0.61	0.60	0.78
44.	छोटे-मोटे अनाज - पंतनगर	0.88	2.06	3.75
45.	जौ - कानपुर, फैजाबाद, वाराणसी	8.85	11.36	10.41
46.	तिलहनों पर प्रजनक बीज उत्पाद - फैजाबाद, कानपुर पंतनगर, वाराणसी।	6.74	6.73	13.50
47.	एकोलॉजी - वाराणसी	1.00	1.30	0.94
48.	मृत्रकृमि - कानपुर	0.66	1.04	0.84
49.	कीटनाशी कानपुर	2.30	2.94	3.12
50.	सफेद मूंडी रानीचौरी	1.51	1.56	1.79
51.	उपोष्ण फल - पंतनगर।	2.52	3.09	3.31
52.	शुष्क फल - फैजाबाद।	1.77	1.47	1.01
53.	सेब स्कैब - पंतनगर।	0.61	0.08	1.10
54.	कंदवर्गीय फसल - फैजाबाद	0.54	0.61	0.79

विवरण - II

संस्थानों और अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजनाओं के उद्देश्य

I. संस्थान

(क) फसल पर आधारित : फसल पर आधारित संस्थानों जैसे - भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर, भारतीय चरागाह और चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी, विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला, अल्मोड़ा और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ के निम्न उद्देश्य हैं : -

(I) सौंपी गयी फसलों पर मूल और नीति सम्बन्धी अनुसंधान करना ;

(II) फसल के लिए उपयुक्त टैक्नालॉजी विकसित करना ;

(III) सूचना बैंक के रूप में काम करना और

(IV) सलाह सम्बन्धी और विशेषीकृत सेवाएं प्रदान करना।

(ख) बागवानी पर आधारित : उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय बागवानी संस्थान, लखनऊ और सब्जी अनुसंधान प्रायोजना निदेशालय, वाराणसी के निम्न उद्देश्य हैं :

(I) उपोषण-कटिबंधीय फलों और सब्जियों पर मूल और प्रायोगिक अनुसंधान करना।

(II) शीतोष्ण फलों और सब्जियों के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में काम करना।

(III) संबंधित क्षेत्रों में वैज्ञानिक नेतृत्व प्रदान करना।

(IV) उत्पादन प्रौद्योगिकी विकसित करना।

(V) जानकारी को उच्च स्तर का बनाने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना।

(ग) स्रोत प्रबन्ध पर आधारित

इसमें केन्द्रीय मृदा और जल संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून, राष्ट्रीय कृषि-वानिकी अनुसंधान केन्द्र और फसल पद्धति अनुसंधान प्रायोजना निदेशालय, मोदीपुरम, मेरठ आते हैं। इन संस्थानों के उद्देश्य इस प्रकार हैं : -

(I) मृदा और जल संरक्षण के क्षेत्र में मूल और नीति सम्बन्धी अनुसंधान करना ;

(II) भूमि अवश्रेणीकरण का नियंत्रण और उसके पुनरुद्धार और फसल पद्धति पर अनुसंधान करना ;

(III) भूमि ह्रास के नियंत्रण के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकसित करना।

(IV) वैज्ञानिक नेतृत्व देने के लिए संबंधित क्षेत्र में जानकारी के संग्रहालय की तरह काम करना।

(V) नई तकनीकी और प्रौद्योगिकियों में कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना।

(घ) पशु-विज्ञान पर आधारित

भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, बरेली, केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, बरेली; मांस और मांस के उपोत्पादों पर राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, भा.पं.चि.अ.संस्थान कैम्पस, बरेली, केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूप, मथुरा, गोपशु प्रायोजना निदेशालय, मेरठ राष्ट्रीय मछली आनुवंशिकी अनुसंधान ब्यूरो, इलाहाबाद और राष्ट्रीय ताजा-जल मछली-पालन अनुसंधान केन्द्र आते हैं। इन संस्थानों के काम इस प्रकार हैं : -

(I) पशु/पक्षी उत्पादन पर मूल व्यावहारिक और अनुकूली अनुसंधान करना ;

(II) उत्कृष्ट केन्द्र और भा.प.चि.अ.सं. के मामले में स्नातकोत्तर शिक्षा देने वाले केन्द्र के रूप में काम करना ;

(III) प्रजातियों को एकत्रित करना, वर्गीकृत करना और उनका मूल्यांकन करना और गोपशु/मछलियों पर सूचना के राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में काम करना।

(IV) सलाह देना ;

(V) नई जानकारी के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना।

अखिल भरतीय समन्वित अनुसंधाना प्रायोजनाएं

समन्वित प्रायोजनाओं के उद्देश्य इस प्रकार हैं : -

(I) प्रौद्योगिकियों का परीक्षण और मूल्यांकन और क्षेत्र के लिए उनकी उपयुक्तता का पता लगाना ;

(II) सौंपी गई फसलों पर स्थान और स्थिति विशेष में अनुसंधान करना और संसाधन प्रबन्ध।

(III) खाद्यान्न, बागवानी और दूसरी - फसलों की किस्मों की क्षेत्र की उपयुक्कता के लिए पहचानना।

(IV) राज्यों के विभागों और उपयोग करने वाली एजेंसियों को अपनाने के लिए अनुसंधान परिणामों और प्रौद्योगिकियों का हस्तान्तरण।

गुजरात में रेलवे स्टेशन

4748. श्री एन.वे. राठवा : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे स्टेशनों, विशेष रूप से गुजरात में बड़ोदरा, भरूच तथा पंचमहल रेलवे स्टेशनों पर गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष वार तथा इस वर्ष अब तक कितनी धनराशि खर्च की गयी है ;

(ख) यह धनराशि किस-किस मद के अंतर्गत खर्च की गयी है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इन रेलवे स्टेशनों का विकास करके इन पर और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान बड़ोदरा, भरूच और पंचमहल रेलवे स्टेशनों पर योजना शीर्ष "यात्री और अन्य रेल उपयोगकर्त्ताओं के लिए सुविधाएं" के अंतर्गत किये गए खर्च का ब्यौरा इस प्रकार है : -

(i) बड़ोदरा

1991-92	1.00 लाख रुपये
1992-93	3.50 लाख रुपये
1993-94	9.92 लाख रुपये

(ii) भरूच

1991-92	5.00 लाख रुपये
1992-93	4.00 लाख रुपये
1993-94	3.50 लाख रुपये

(iii) पंचमहल

1991-92	कोई नहीं
1992-93	कोई नहीं
1993-94	कोई नहीं

चूंकि इन स्टेशनों पर संभाले जाने वाले यातायात की मात्रा के अनुरूप पहले ही पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हैं, इसलिए चालू वर्ष में अतिरिक्त कार्य करने की योजना नहीं बनाई गई है।

यात्री सुविधाएं

4749. श्री बारे लाल जाटव : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में सभी टर्मिनल स्टेशनों पर प्रदान की जाने वाली यात्री सुविधाएं पर्याप्त हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ऐसी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

|अनुवाद|

रेलगाड़ियों में आरक्षण कोटा

4750. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली और मद्रास, कोचीन एवं हावड़ा-मद्रास और कोचीन के बीच प्रमुख रेलगाड़ियों में विजयवाड़ा और समीपवर्ती स्टेशनों के लिए आरक्षण कोटा का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या विजयवाडा और समीपवर्ती क्षेत्रों के यात्रियों को अपर्याप्त आरक्षण कोटा के कारण भारी कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो कोटा को बढ़ाए जाने अथवा एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में विजयवाड़ा से एक अतिरिक्त डिब्बा लगाए जाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) विजयवाड़ा में कोटा बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) विभिन्न स्टेशनों पर मुहैया कराये गये आरक्षण कोटे की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और जहां कहीं व्यावहारिक होता है समायोजन किये जाते हैं। फिलहाल, विजयवाड़ा स्टेशन पर अतिरिक्त कोटा की व्यवस्था करना अथवा विजयवाड़ा से स्लिप सवारी डिब्बों को जोड़ना व्यावहारिक नहीं है।

विवरण

गाड़ियों में आरक्षण कोटा

गाड़ी संख्या		विजयवाड़ा				गुंटूर	तेनाली		ईलुरू		गुडिवाड़ा
	वाता. पहला दर्जा	वाता. 2-टियर	पहला दर्जा	वाता. कुर्सी यान	शयनयान दर्जा	शयनयान दर्जा	शयनयान दर्जा	वाता. 2-टियर	पहला दर्जा	स्लीपर दर्जा	शयनयान दर्जा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. 2615 मद्रास-नयी दिल्ली जी. टी. एक्सप्रेस	-	4	-	-	14	6	2	-	-	4	-
2. 2616 नयी दिल्ली मद्रास जी टी. एक्सप्रेस	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-
3. 2617 मंगलोर निजामुद्दीन एक्सप्रेस	-	2	-	-	24	4	4	-	-	-	-

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
4. 2618	निजामुद्दीन मंगलोर एक्सप्रेस	2	2	–	23	2	2	–	–	2	3
5. 2621	मद्रास-नयी दिल्ली तमिलनाडु एक्सप्रेस	–	2	–	33	4	2	2	–	2	–
6. 2622	नयी दिल्ली मद्रास तमिलनाडु एक्सप्रेस	–	–	–	74	–	–	–	–	–	2
7. 2625	तिरुवनन्तपुरम नयी दिल्ली केरल एक्सप्रेस	–	–	–	8	3	4	–	–	2	2
8. 2626	नयी दिल्ली तिरुवनन्तपुरम केरल एक्सप्रेस	–	2	–	82	4	2	–	–	–	–
9. 2631	मद्रास-निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस	2 4	–	30	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10. 2632	निजामुद्दीन -मद्रास राजधानी एक्सप्रेस	2	4	-	30	-	-	-	-	-	-	-
11. 6017	कन्याकुमारी -जम्मू एक्सप्रेस	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
12. 6018	जम्मू - कन्याकुमारी एक्सप्रेस	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
13. 6031	मद्रास- जम्मू एक्सप्रेस	-			-	8	2	-	-	-	-	-
14. 6687	मंगलोर- जम्मू एक्सप्रेस	-			-	2	-	2	-	-	-	-
15. 6688	जम्मू- मंगलोर एक्सप्रेस	-			-	2	-	-	-	-	-	-
16. 2841	हावड़ा-मद्रास - कोरोमंडल एक्सप्रेस				-	10	-	-	-	-	4	-
17. 2842	मद्रास-हावड़ा कोरोमंडल एक्सप्रेस		2	-		21	2	-	-	-	-	-

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18. 6003	हावड़ा-मद्रास मेल	2	–	8	–	34	–	8	1	2	6	–
19. 6004	मद्रास-हावड़ा मेल	–	2	2	–	7	–	2	1	2	5	–
20. 6311	हावड़ा बेंगलूरु एक्सप्रेस		2	2	–	37	–	6	–	–	7	8
21. 6312	बेंगलूरु हावड़ा एक्सप्रेस	–	2	2	–	44	–	–	–	–	-	–
22. 6520	गुवाहाटी-बेंगलूरु एक्सप्रेस	–	–		–	78	–	8	–	–	8	–
23. 6519	बेंगलूरु-गुवाहाटी एक्सप्रेस	–	–	–		20	–	–	–	–	–	
24. 6313	कोचीन-गुवाहाटी एक्सप्रेस	–	2	2		12	–	–	–	–	–	–
25. 6315	कोचीन-हावड़ा एक्सप्रेस	–	2	4	–	23	–	–	–	–	–	–
26. 6321	तिरूवनन्तपुरम -गुवाहाटी एक्सप्रेस	–	–	–	–	8	–	–	–	–	–	–

|हिन्दी|

पूर्वोत्तर रेलवे में उपरि पुलों का निर्माण

4751. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जत नगर डिवीजन में कितने उपरि पुलों का निर्माण करने का विचार है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या रेलवे जंक्शन और बरेली सिटी के बीच स्थित चौपाल और मारीनाथ रेलवे फाटक पर उपरि पुल के निर्माण संबंधी कोई प्रस्ताव लम्बित है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अन्तिम निर्णय लिया जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) कोई नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नवोदय विद्यालयों के कार्यकरण की समीक्षा

4752. श्री जगबीर सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवोदय विद्यालय खोलने के क्या उद्देश्य थे और क्या उन्हें इन उद्देश्यों में सफलता मिली है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ·

(ग) क्या इन विद्यालयों के कार्य के निरीक्षण हेतु कोई समिति बनायी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) नवोदय विद्यालय स्कीम का मोटे तौर पर उद्देश्य ऐसे विद्यालय स्थापित करना है जो मुख्यतया ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभा सम्पन्न बच्चों को, संस्कृति के सशक्त तत्व, मूल्यों को छात्रों के मन में बैठाने, पर्यावरण, साहसिक कार्यकलापों और शारीरिक शिक्षा, के प्रति जागरूकता पैदा करने आदि सहित उत्तम कोटि की आधुनिक शिक्षा प्रदान कर सकें। नवोदय विद्यालय समिति इस स्कीम के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रति निरंतर प्रयासरत हैं।

(ग) और (घ) नवोदय विद्यालय समिति के संगम ज्ञापन और नियमों में उसके कार्यकरण का पर्यवेक्षण और मानीटर करने के लिए विभिन्न समिति जैसे मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में कार्यकारणी समिति, वित्त समिति, शैक्षणिक सलाहकार समिति और निर्माण समन्वय समिति का प्रावधान है। स्कूल स्तर पर विद्यालय प्रबंध समितियां और सलाहकार समितियां भी हैं।

जैव-उर्वरकों का विकास

4753. श्री ललित उरावं : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैव-उर्वरकों का उपयोग करके पैदा किये जा रहे खाद्यान्न रसायनिक उर्वरकों से पैदा किये गये खाद्यान्नों की तुलना में काफी स्वास्थ्यवर्धक हैं और इनसे भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने जैव-उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या योजनाएं तैयार की हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख). पूर्णतया रासायानिक उर्वरकों के प्रयोग की तुलना में जैव उर्वरकों से मृदा की जैवीय तथा मूलपरिवेषी क्रियाशीलता में वृद्धि होती है और मृदा में पोषक-तत्वों की स्थिति मजबूत होती है। तथापि, एकल पोषक तत्व का स्रोत होने के कारण प्रत्येक जैव उर्वरक संतुलित तरीके से पोषक-तत्वों के सही अनुपात में मृदा को स्वयमेव समृद्ध नहीं कर सकता है। यह सुझाव देने का कोई निर्णयात्मक वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि जैव-उर्वरकों के उपयोग से उगाए गए खाद्यान्न अधिक स्वास्थ्य वर्धक होते हैं।

फसल-पोषक तत्वों के सस्ते तथा पुनः नये किये जाने योग्य स्रोत होने की वजह से जैव-उर्वरकों को जैव-उर्वरकों के विकास तथा उपयोग संबंधी राष्ट्रीय परियोजना नामक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत जैव उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये गाजियाबाद में एक राष्ट्रीय केन्द्र तथा नागपुर, जबलपुर, हिसार, बंगलौर, इम्फाल और भुवनेश्वर में एक-एक अर्थात् 6 क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किये गये हैं। केन्द्रीय वित्तीय सहायता से राज्यों में जैव-उर्वरक उत्पादन एकक भी स्थापित किये गये हैं।

[अनुवाद]

रेलवे में पदों की संख्या

4754. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1994 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय रेल लेखा सेवा में श्रेणी ''क'' के कितने पद थे तथा इनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने पद थे ;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारतीय रेल लेखा सेवा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के श्रेणी ''ङ'' के कितने लेखा अधिकारियों को श्रेणी ''क'' के पदों पर पदोन्नत/नियुक्त किया गया है ;

(ग) आज की तिथि तक भारतीय रेल लेखा सेवा में श्रेणी ''क'' में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के पिछले बकाया पदों की संख्या क्या है ; और

(घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित इन बकाया पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) कुल पद : 458

अनुसूचित जाति के अधिकारियों की संख्या : 63

अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की संख्या : 20

(ख) रेलों पर कोई ग्रुप 'ई'' लेखा अधिकारी नहीं है। भारतीय रेल लेखा सेवा संवर्ग के ग्रुप ''ए'' में नियुक्त किए गए ग्रुप ''बी'' लेखा अधिकारियों से संबंधित ब्यौरा नीचे दिया गया है : -

वर्ष	अनु.जाति	अनु.जन जाति
1991	4	कोई नहीं
1992	4	कोई नहीं
1993	कोई नहीं	कोई नहीं

(ग) बकाया पदों की संख्या इस प्रकार है : -

अनु. जाति : 1

अनु. जन जाति : 2

(घ) ये रिक्तियां अनु.जाति/अन. जनजाति के पात्र अधिकारियों के उपलब्ध न होने के कारण नहीं भरी जा सकीं। रिक्त पदों को चयन के अनुवर्ती वर्ष में ले जाने का विनिश्चय किया गया है।

बिहार में रेल परियोजनाएं

4755. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में पूरी की गई और निर्माणाधीन रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान पूरी की गई और निर्माणाधीन परियोजनाओं पर परियोजना-वार और वर्ष-वार कितना-कितना व्यय हुआ है ;

(ग) पूरी की गई परियोजनाओं की परियोजना-वार प्रारम्भिक अनुमानित लागत और अंतिम लागत कितनी-कितनी है ;

(घ) निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रारम्भिक अनुमानित लागत और अप्रैल, 1994 तक अद्यतन अनुमानित लागत कितनी-कितनी है ; और

(ङ) निर्माणाधीन परियोजनाओं अथवा वर्ष 1994-95 के दौरान शुरू की जाने वाली परियोजनाओं हेतु परियोजना-वार कितनी-कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में पूरी की गयी रेल परियोजनाएं :

(1) क्यूल-जमालपुर-भागलपुर दोहरीकरण

(2) गड़वा रोड़-सोननगर-कहीं कहीं दोहरी लाइन बिछाना

चालू परियोजनाएं ;

(i) छितौनी-बगहा-पुनः स्थापन

(ii) सगौली-नरकटियागंज आमान परिवर्तन

(iii) मुजफ्फरपुर-रक्सौल आमान परिवर्तन

(iv) समस्तीपुर-दरभंगा आमान परिवर्तन

(v) छपरा-औंडिहार आमान परिवर्तन

(vi) गड़वा-रोड़-सोननगर-दोहरीकरण

(vii) सोननगर-मुगलसराय-तीसरी लाइन

(viii) कर्परीग्राम-सीहों-दोहरीकरण

(ख) से (ङ).

I. पिछले तीन वर्षों के दौरान पूरी की गयी रेल परियोजनाएं :

	लागत		परिव्यय		
	मूल	वास्तविक	91-92	92-93	93-94
पूर्व रेलवे					
1. क्यूल-जमालपुर-भागलपुर (दोहरीकरण)	33.21	32.20	1.00	.72	-
2. गड़वा रोड़-सोननगर (कहीं कहीं दोहरी लाइन बिछाना)	50.28	50.28	12.40	3.13	5.00

II. चालू परियोजनाएं :

नई लाइन	मूल लागत	1.4.94 को लागत	परिव्यय 91-92	92-93	93-94	बजट आबंटन 1994-95
1. छितौनी-बगहा	34.00	164.19	15.00	15.05	25.00	3.97
2. सगौली-नरकटियागंज	28.42	30.50	-	-	1.01	.001
3. मुजफ्फरपुर-रक्सौल	75.00	82.00	-	-	16.40	55.00
4. समस्तीपुर-दरभंगा	33.21	28.42	.0001	0.10	1.00	10.00
5. छपरा-औंडिहार	85.13	81.27	13.50	4.00	10.00	12.00
6. गड़वा रोड़-सोननगर	50.28	75.01	12.40	3.13	5.00	4.00
7. सोननगर-मुगलसराय (तीसरी लाइन)	165.00	139.25	20.00	22.98	30.00	30.00
8. कर्पूरीग्राम-सीहो	21.00	21.00	-	-	0.50	5.00

सहकारी परियोजना

4756. श्री परसराम भारद्वाज : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के अधीन राज्य-वार कितनी सहकारी परियोजनाएं हैं ;

(ख) इन परियोजनाओं के प्रारंभ होने से इनमें प्रगति का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने देश के विभिन्न भागों में बड़ी संख्या में स्थापित की जाने वाली सहकारी परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है ; और

(घ) यदि हां, ता स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख). वर्ष 1993-94 के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने 2067 नई परियोजनाओं/प्रस्तावों को संस्वीकृति प्रदान की और 1,947 परियोजनाओं/प्रस्ताव क्रियान्वयनाधीन हैं। जिनके लिए पिछली बकाया सहायता जारी की जानी हैं। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा संस्वीकृत की गई नई परियोजनाओं के साथ-साथ पूर्णता के विभिन्न चरणों में क्रियान्वयनाधीन परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 1.4.94 से 21.4.94 के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने 194 परियोजनाओं की संस्वीकृति/अनुमोदन प्रदान किया है, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण -II में दिया गया है।

विवरण -I

1993-94 की भौतिक उपलब्धियां

राज्य	उपलब्धि			
	नई	पिछली बकाया	परियोजनाओं/ प्रस्तावों की पूर्णता	योग
1	2	3	4	5
	0	0	0	0
आन्ध्र प्रदेश	287	89	322	698
असम	1	6	4	11
बिहार	630	0	224	854
गुजरात	12	152	138	302
हरियाणा	24	25	23	72

1	2	3	4	5
हिमाचल प्रदेश	11	25	22	58
जम्मू व कश्मीर	0	1	1	02
कर्नाटक	111	124	159	394
केरल	63	34	26	123
मध्य प्रदेश	273	543	531	1347
महाराष्ट्र	164	165	99	428
मणिपुर	14	17	6	37
मेघालय	0	0	0	0
नागालैण्ड	71	86	65	222
उड़ीसा	30	39	33	102
पंजाब	50	48	42	140
राजस्थान	160	330	409	899
सिक्किम	0	5	1	06
तमिलनाडु	13	143	135	291
त्रिपुरा	0	8	6	14
उत्तर प्रदेश	8	18	13	39
पश्चिम बंगाल	105	32	121	258
अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0
अरूणाचल प्रदेश	0	1	0	1
दिल्ली	0	1	1	2
गोवा दमन व दीव	0	0	0	0
मिजोरम	40	55	55	150
योग :	2067	1947	2436	6450

विवरण - II

क्र.सं.	कार्यकलाप	समिति की अवस्थिति/ नाम	संस्वीकृति की तारीख	ब्लाक लागत (लाख रु. में)	रा.स. वि.नि. नि.का. हिस्सा	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1.	फल एवं सब्जी विपणन परियोजना	बनास फल सब्जी उत्पादक एवं क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. जयपुर रोड़ टोंक राजस्थान (1)	8.4.94	5.50	4.125	स्वीकृति पत्र जारी किया जा चुका है।
2.	हथकरघा					
	अंश पूंजी	मणीपुर (83)	-	20.75	20.75	स्वीकृति के
	वर्कशेड	मिजोरम (4)	-	8.00	7.60	लिए अनुमोदित
	अशं पूंजी	राजस्थान (1)	-	1.00	1.00	स्वीकृति पत्र
	अंश पूंजी	महाराष्ट्र (1)	-	7.00	7.00	अभी जारी
	वर्कशेड	मध्य प्रदेश (अतिरिक्त)	-	3.42	2.56	किया जाना है।
3.	चीनी आधुनिकीकरण/ विस्तार के लिए सावधिक ऋण	दौलत सतकारी सहकारी शक्कर कारखाना लि. हलकरणी, जिला-कोल्हा-पुर, महाराष्ट्र - (1)	-	2969.00	1630.75	स्वीकृति के लिए अनुमोदित और
	बहिस्रावी उपचार संयत्रों के लिए सावधिक ऋण	कॉपरेटिव शुगर लि. चित्तूर, मेननपारा जि.-पलक्कड़ (1)	-	160.00	104.00	स्वीकृति पत्र अभी जारी किया जाना है।
4.	जनजातीय विकास योजना	मध्य प्रदेश (102)	11.4.94	-	38.10	स्वीकृति पत्र जारी किया जा चुका है।

छोटे/सीमांत किसान

4757. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में छोटे/सीमांत किसानों तथा कृषि मजदूरों के लाभार्थ कोई योजना शुरू की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस योजना में कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) कृषि संबंधी अवसंरचना के विकास के लिए छोटे तथा सीमांत किसानों की सहायतार्थ 1992-93 में चंडीगढ़ प्रशासन को 2 लाख रुपए की राशि जारी की गई थी।

[हिन्दी]

पब्लिक स्कूलों में प्रवेश

4758. श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पब्लिक स्कूलों में छात्रों के प्रवेश हेतु भारी डोनेशन लिया जाता है जबकि ये स्कूल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और इस आधार पर सहायतानुदान भी लेते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त प्रथा को समाप्त करने और ऐसी शिकायतों के निवारण हेतु विशेष समितियां गठित करने का है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री : (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) सभी पब्लिक स्कूल अथवा गैर सहायता प्राप्त स्कूल अपने अवस्थित होने के स्थान के अनुसार संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में होते हैं। इन स्कूलों को संबंधित राज्य अथवा संघ शासित प्रदेशों की सरकारों से मान्यता प्राप्त करना अपेक्षित है। संबंधित राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश के शिक्षा अधिनियमों या नियमावली में विहित मान्यता शर्तों में सामान्यतया दान लेने की मनाही होती है। राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें ऐसे स्कूलों की मान्यता को रद्द करने की कार्रवाई करती हैं, जो अपने संबंधित शिक्षा अधिनियम या नियमावली में यथा उल्लिखित दान लेने के कार्य को विनियमित करने वाले प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। चूंकि स्कूली शिक्षा का कोई केंद्रीय अधिनियम नहीं है और देश में अधिकतर स्कूल संबंधित राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश की सरकार के प्रशासकीय नियंत्रण में हैं, इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की भूमिका केवल सलाह देने की ही है।

|अनुवाद|

श्री सैलम परियोजना की मंजूरी

4759. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्री सेलम परियोजना की सुरंग और नहर को पर्यावरण और वन संबंधी मंजूरी दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस परियोजना को शीघ्र मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग). जी, हां। श्री सेलम बायां तट नहर स्कीम, जिसमें आरम्भिक चरण में सुरंग-निर्माण शामिल है, को कतिपय सुरक्षापायों एवं प्रशासक उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन की शर्त पर अप्रैल, 1994 में वानिकी एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोणों से मंजूरी प्रदान की गई है।

लातूर-मिराज आमान परिवर्तन

4760. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान मुम्बई-लातूर-मिरज परिवर्तन परियोजना के लिए क्या प्रावधान किया गया है; और

(ख) आमान परिवर्तन कार्य योजना के अन्तर्गत इसको क्या प्राथमिकता दी गयी है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ) : (क) और (ख) ऐसी कोई परियोजना नहीं है, बम्बई-मिराज खण्ड पहले ही बड़ी लाइन खंड है। बहरहाल, माननीय सदस्य का आशय मिराज-लातूर आमान परिवर्तन परियोजना से है। मिराज-लातूर आमान परिवर्तन एक अनुमोदित परियोजना है जिस पर अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। सर्वेक्षण कार्य पूरा होने और योजना आयोग के अनुमोदन के पश्चात इस कार्य को शुरू किया जायेगा।

नवोदय विद्यालय

4761. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान राज्य वार कितने नवोदय विद्यालय खोले जायेंगे ;

(ख) क्या सभी नवोदय विद्यालयों में समस्त आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जायेंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) किसी जिले में कोई नवोदय विद्यालय खोलने के लिए, संबंधित राज्य सरकार द्वारा, जब तक नवोदय विद्यालय समिति स्वयं का भवन निर्मित नहीं कर लेती, पर्याप्त और उपयुक्त निशुल्क भूमि और अस्थायी आवास प्रदान करना होता है। नवोदय विद्यालय समिति का राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर वर्ष में 50 नए विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए हैं लेकिन अभी तक विभिन्न राज्यों में करीब 100 जिले ऐसे हैं जिन्हें योजना में शामिल किया जाना है।

(ख) और (ग) कोई नया जवाहर नवोदय विद्यालय आरम्भ करते समय, अस्थायी भवन संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराएं जाते हैं और जवाहर नवोदय विद्यालयों को भूमि के आबंटन के पश्चात्, चरणबद्ध तरीके से स्थायी भवनों का निर्माण किया जाता है। 31.3.94 की यथास्थिति अनुसार, 344 संस्वीकृत जवाहर नवोदय विद्यालयों में से, अब तक 298 जवाहर नवोदय विद्यालयों में निर्माण कार्य संस्वीकृत किया जा चुका है।

उड़ीसा में विद्युतीकरण

4762. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा के कटक और पारादीप के बीच के रेल मार्ग का विद्युतीकरण करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है ;

(ग) 1994-95 के दौरान कितना आबंटन किया ; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) कोई नहीं।

(ग) कोई नहीं।

(घ) प्रस्ताव अनुमोदन के लिए योजना आयोग को भेजा गया है। योजना आयोग की स्वीकृति के पश्चात् इसे अनुमोदन तथा धन आबंटन के लिए संसद के समक्ष रखा जायेगा।

उपरि पुल का निर्माण

4763. श्री नूरूल इस्लाम : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या ब्रह्मपुत्र नदी पर पंचरत्नों-जोगीघोप उपरि पुल का निर्माण बंद कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तिरुवारूर जंक्शन पर यात्री सुविधाएं

4764. श्री थाइल जॉन अंजलोज : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में तिरुवारुर जंक्शन पर यात्री सुविधाएं अपर्याप्त हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ) : (क) से (ग). तिरुवारुर जंक्शन पर सम्हाले जाने वाले यातायात की मात्र के अनुरूप सुविधाएं पहले ही मुहैय्या की गई हैं।

[हिन्दी]

आयल पाम के लिए अनुसंधान केन्द्र

4765. श्री राजवीर सिंह :

डा. लाल बहादुर रावल :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार आयल पाम के संबंध में अनुसंधान कार्य चलाने के लिए राज्यों में राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना करने का है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर उक्त केन्द्रों की स्थापना की जाएगी ; और

(ग) कब तक इनकी स्थापना की जाएगी ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) महोदय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने आन्ध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के पेडावेगी गांव में तेल ताड़ पर राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र तथा कर्नाटक में फील्ड स्टेशन की स्थापना का निर्णय लिया है। अन्य राज्यों में ऐसे केन्द्र खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) ये केन्द्र तब स्थापित किये जायेंगे जब संबंधित राज्य सरकारें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को भूमि हस्तान्तरिक करेगी।

[अनुवाद]

रूई के लिए प्रौद्योगिकी मिशन

4766. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993-94 के दौरान रूई के उत्पादन में कमी से रूई निर्यात पर बुरा असर पड़ा और यदि हां, तो किस हद तक ऐसा हुआ है ;

(ख) 1994-95 में रूई उत्पादन का अनुमानित लक्ष्य क्या है ;

(ग) क्या अखिल भारतीय सहकारी रूई संघ ने रूई उत्पादक राज्यों में समन्वयपूर्ण कार्रवाई के लिए एक प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित करने पर जोर दिया है और सरकार से अगले मौसम में अतिरिक्त उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देने का अनुरोध किया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) वर्तमान आकलन के अनुसार 1993-94 के दौरान कपास का उत्पादन प्रत्येक 170 कि.ग्राम की 118.55 लाख गांठों के रिकार्ड स्तर तक होने की सम्भावना है।

(ख) 1994-95 के दौरान कपास उत्पादन का अनुमानित लक्ष्य प्रत्येक 170 कि.ग्रा. की 125 लाख गांठें हैं।

(ग) से (ङ). कृषि मंत्रालय ने कपास विषयक प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित न करने का निर्णय पहले से ही ले रखा है। गहन कपास विकास कार्यक्रम संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत भारत सरकार उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी तथा समेकित कीट प्रबन्ध पर कृषक प्रशिक्षण तथा प्रदर्शन आयोजित करने के अलावा कपास उत्पादन में वृद्धि करने के लिये कृषकों को अच्छी कोटि के बीजों, पौध रक्षण उपकरणों तथा छिड़काव यन्त्रें की आपूर्ति को प्रोत्साहन दे रही है।

पश्चिम बंगाल के वैगन निर्माण एकक

4767. श्री अनिल बसु : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेलवे से क्रयादेश न मिलने के कारण पश्चिम बंगाल के वैगन निर्माण एककों के श्रमिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) उद्योग मंत्रालय से यह सूचना प्राप्त हुई है कि पश्चिम बंगाल की माल डिब्बा निर्माण इकाइयों की क्षमता का कम उपयोग होता है।

(ख) कोई विनिर्दिष्ट ब्यौरा उपलबध नहीं है।

पनीर संयंत्र

4768. डा. आर. मल्लू : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड "आपरेशन फ्लड-3" के अंतर्गत अहमदाबाद शहर में एक पनीर संयंत्र स्थापित कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या देश के उन क्षेत्रों, जहां पर दूध का उत्पादन आवश्यकता से अधिक होता है, में भी इसी तरह के संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार द्वारा दूध की अतिरिक्त मात्र का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, अहमदाबाद शहर में कोई पनीर संयंत्र स्थापित नहीं कर रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अतिरिक्त दूध के निस्तारण का निर्णय संबंधित राज्य सरकार/परिसंघ द्वारा अपने ही स्तर पर लिया जाता है। देश की समस्त डेरी समितियां संबंधित राज्य सरकारों के सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होती हैं और उनका पर्यवेक्षण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

रेलवे क्वार्टर

4769. श्री हरि सिंह चावड़ा : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली क्षेत्र में रेलवे कर्मचारियों को अपनी बारी पर अनावश्यक संवर्ग में कितने रेलवे क्वार्टर आबंटित किये गये ;

(ख) बिना बारी के आबंटन पर दिल्ली में रेलवे क्वार्टरों के आबंटन हेतु क्या मानदण्ड अपनाया गया है ;

(ग) दिल्ली क्षेत्र में ऐसे आबंटन हेतु संसद सदस्यों के माध्यम से कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ;

(घ) कितने कर्मचारियों को क्वार्टरों का आबंटन किया गया ; और

(ङ) शेष कर्मचारियों के आवेदन किस आधार पर अस्वीकृत किये गये ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) 386

(ख) कुल वार्षिक पूल आबंटन में से क्वार्टरों के वार्षिक आबंटन का 7 प्रतिशत विकलांग, चिकित्सा और अनुकंपा से संबंधित कोटियों के लिए निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, बिना बारी के आबंटन प्रत्येक मामले के आधार पर किए जाते हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिना बारी के आबंटन के लिए संसद सदस्यों से 65 मामले प्राप्त हुए हैं।

(घ) केवल एक।

(ङ) अब तक 59 मामलों को अस्वीकार किया गया है क्योंकि वे निर्धारित मानदंड पूरे नहीं करते थे।

महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा

4770. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

श्री एस.बी. सिदनाल :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा विषय पर मार्च, 1994 में एक दो दिवसीय गोष्ठी आयोजित की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो गोष्ठी में भाग लेने वाले सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने गोष्ठी में दिए गए सुझावों की जांच की है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासव राजेश्वरी) : (क) जी हां, महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा के संबंध में एक दो-दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन 21-22 मार्च, 1994 को भारतीय सामाजिक सुरक्षा संघ द्वारा अन्य संगठनों की सहायता से किया गया था।

(ख) संगोष्ठी के बारे में रिपोर्ट सरकार को प्राप्त नहीं हुई।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

महिला समृद्धि योजना

4771. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने खाते खोले गए और उनमें कितनी धनराशि जमा की गई ;

(ख) कौन-कौन से राज्यों में अधिकतम खाते खोले गए हैं और अधिकतम धनराशि जमा की गई है ;

(ग) क्या सरकार ने योजना की सफलता और इस प्रणाली पर निगरानी रखने के लिए कोई तन्त्र गठित किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रलय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री बासव राजेश्वरी) : (क) महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत 31.3.1994 तक सम्पूर्ण देश में ग्रामीण महिलाओं द्वारा कुल 7.29 लाख खाते खोले गए जिनमें 9.15 करोड़ रुपए की राशि जमा है। 31.3.1994 तक खोले गए खातों की राज्य-वार संख्या तथा उनमें जमा राशि दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) आंध्र प्रदेश में अधिकतम खाते खोले गए और सबसे अधिक राशि जमा कराई गई।

(ग) और (घ). राष्ट्रीय स्तर पर, योजना आयोग में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है, जो स्कीम की समय-समय पर समीक्षा करती है। सचिवों की एक विशेष समिति द्वारा भी स्कीम का नियमित आधार पर प्रबोधन किया जाता है। इसी प्रकार, राज्य तथ जिला स्तरों पर भी समीक्षा समितियों द्वारा स्कीम की समीक्षा की जानी है।

विवरण

2.10.1993 से 31.3.1994 तक की अवधि के दौरान खोले गए खातों की संख्या।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	खोले गए खातों की संख्या	जमा राशि (रुपयों में)
1	2	3
आंध्र प्रदेश	2,18,349	2,28,22,698
अरुणाचल प्रदेश	19	1,750
असम	8,071	5,51,140
बिहार	3,406	5,05,295
दिल्ली	763	1,49,656
गोवा	11,180	10,40,656
गुजरात	22,873	39,99,281
हरियाणा	32,251	58,90,819
हिमाचल प्रदेश	16,561	35,29,555
जम्मू और कश्मीर	452	64,334
कर्नाटक	19,899	25,96,372
केरल	13,243	13,62,888
मध्य प्रदेश	73,671	59,24,725
मणिपुर	13	1,272
मेघालय	17	824
मिजोरम		
नागालैंड	7	776
महाराष्ट्र	63,543	1,00,73,550
उड़ीसा	27,419	28,94,965
पंजाब	54,371	68,59,333
राजस्थान	34,691	51,84,785

1	2	3
सिक्किम	4	200
तमिलनाडु	56,697	38,55,529
त्रिपुरा	714	17,942
उत्तर प्रदेश	55,203	1,13,88,229
पश्चिम बंगाल	14,777	27,34,478
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह		
चण्डीगढ़	420	20,870
दमन और दीव		
लक्षद्वीप		
पांडिचेरी	427	35,328
जोड़	7,29,041	9,15,07,250

नैफेड द्वारा प्याज का निर्यात

4772. डा. चिन्ता मोहन :

श्री नवल किशोर राय :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि सहकारी विपणन संघ देश में प्याज के निर्यात की नोडल एजेंसी है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार दिसम्बर, 1993 तक कितनी मात्र में और कितने मूल्य के प्याज का निर्यात किया गया ;

(ग) किन-किन देशों को इसका निर्यात किया गया ;

(घ) क्या संघ देश में उत्पादकों से सीधे प्याज खरीदता है ;

(ङ) यदि हां, तो 1993-94 के दौरान प्याज की कुल कितनी खरीद की गई; और

(च) संघ ने गत वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यात के लिए विभिन्न मदों पर मद-वार प्रति क्विंटल औसतन कितना खर्च किया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, हां। आयात-निर्यात नीति 1992-97 के अनुसार भारतीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि. (नैफेड) देश में प्याज के निर्यात की माध्यम एजेंसी हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान नैफेड और इससे सम्बद्ध शिपर्स द्वारा निर्यात किए गए प्याज के निर्यात की माध्यम एजेंसी है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान नैफेड और इससे सम्बद्ध शिपर्स द्वारा निर्यात किए गए प्याज की क्वालिटी एवं मूल्य निम्नवत थे -

वर्ष	मात्र (मीटरी टन)	एफ.ओ.बी. मूल्य (रुपये लाख में)
1991-92	406135	16278.86
1992-93	395685	16256.06
1993-94	331897	17311.10
(दिसम्बर 93 तक)		

(ग) प्याज का निर्यात मुख्यतया मलेशिया, सिंगापुर, बंगलादेश, श्रीलंका, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सउदी अरब, कुवैत, मारीशस, मालदीव और सीचेलस को किया गया था।

(घ) जी, हां। नैफेड सहकारी विपणन समितियों के माध्यम से विनियमित बाजारों में प्रत्यक्षतः उत्पादकों से प्याज की खरीद करती रही है।

(ङ) 1993-94 के दौरान नैफेड ने लगभग 85,000 मीटरी टन प्याज की खरीद की।

(च) संघ द्वारा निर्यात के लिये विभिन्न मदों पर वहन किया गया खर्च निम्नवत है : -

निर्धारित खर्च : -

(i) ग्रेडिंग - 7.00 रुपये प्रति क्विंटल

(ii) एफ.ओ.बी. खर्च - 10.00 रुपये प्रति क्विंटल

परिवर्तनशील खर्च -

(i) परिवहन - मण्डी/ग्रेडिंग केन्द्र और माल भेजने वाले पत्तन के बीच की दूरी के आधार पर 20 रुपये से 30 रुपये प्रति क्विंटल।

(ii) बोरियों की लागत - पैकिंग की साइज के आधार पर 20 रुपये से 40 रुपये प्रति क्विंटल।

(iii) अस्वीकृत निर्यात की लागत - खरीद मूल्य का 12 प्रतिशत।

[अनुवाद]

मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

4773. श्री अमर राय प्रधान : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन गन्तव्य स्थलों के राज्य-वार नाम क्या हैं जिनके बीच मीटर गेज रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने से संबंधित कार्य 1993-94 के दौरान कराये जाने का विचार था ;

(ख) उन गन्तव्य स्थलों के नाम क्या हैं जहां पर आमान परिवर्तन मार्च, 1994 तक पूरा होने की संभावना थी अथवा यह कार्य पहले ही समाप्त हो चुका था;

(ग) गत गन्तव्य स्थलों के नाम क्या हैं जिनमें ये आमान परिवर्तन 1994-95 के दौरान किये जायेंगे ; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) 1994-95 के बजट में आमान परिवर्तन के लिए 1005 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव किया गया है।

विवरण

(क) और (ख) वर्ष 1993-94 के लिए मीटर लाइन/छोटी लाइनों के 1600 कि.मी. के आमान परिवर्तन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है। पूरे किए गए खंड/कि.मी. इस प्रकार हैं : -

राज्य	खंड/लाइन का नाम	कि.मी.
आंध्र प्रदेश	नरसाराबपेट-दोन कौंडा	75
	वोलारम-सिकन्दराबाद-महबूबनगर	141
		216
असम	गुवाहाटी-लमडिंग	181
हरियाणा	भटिंडा-हिसार	157
	दिल्ली-सराय रोहिल्ला	3
		160
कर्नाटक	तुमकूर-अरसीकैरे	101
	अरसीकैरे-चिकजाजूर	114
	चिकजाजूर-चालाकेरे	16
	मैसूर-अशोकपुरम	5
		236
महाराष्ट्र	जालना-परभनी	116
	गोंदिया-अर्जुनी	82
	धौंड-बारामती	42
		240
राजस्थान	फुलेरा-जयपुर	55
	फुलेरा-मेड़तारोड़-जोधपुर	269
	मेड़तारोड़-मेड़तासिटी	15
		339

तमिलनाडु	मद्रास-ताम्बरम	27
उत्तर प्रदेश	महमूदाबाद-सीतापुर	60
	इलाहाबाद सिटी-वाराणसी	126
	सुलकुआ-काठगोदाम	29
	लखनऊ-मानकनगर	5
		220
	कुल जोड़	1619 कि.मी.

(ग) 1994-95 के दौरान निम्नलिखित लाइनों/खंडों को आमान परिवर्तन का लक्ष्य रखा गया है : -

क्र.सं.	खंड/लाइन का नाम
1.	हिसार-रेवाड़ी
2.	रेवाड़ी-जयपुर
3.	फुलेरा-मारवाड़
4.	जोधपुर-जैसलमेर
5.	चिकजाजूर-हुबली
6.	हुबली-लौंडा
7.	लौंडा-मिरज
8.	होसपेट-हुबली
9.	दोन कोंडा-गिद्दलूर
10.	मुज्जफ्फरपुर-रक्सौल
11.	बिरूर-शिमोगा
12.	परभनी-पूर्णा
13.	अजुंनी-वडसा
14.	पुरूलिया-कोटशिला (चरण-2)

खाद्यान्न पर राज सहायता

4774. श्री भेरू लाल मीणा :

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष की तुलना में चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्नों पर दी जानेवाली खाद्य राज सहायता में वृद्धि कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसके कारण क्या हैं ; और

(ग) सरकार का इस अतिरिक्त धनराशि को किस प्रकार जुटाने का विचार है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) जी, नहीं। वर्ष 1993-94 के दौरान वास्तव में 5537 करोड़ रुपये की खाद्य राजसहायता निर्मुक्त की गई थी और 1994-95 के बजट अनुमान में 4000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में दायर मामले

4775. श्री फूल चन्द वर्मा : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय के कर्मचारियों द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में कई मामले दायर किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यापक ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन मामलों की पैरवी पर सरकार ने कितनी धनराशि खर्च की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) इस समय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) की विभिन्न बैंचों में अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के कर्मचारियों द्वारा दायर किये गये पांच मामले हैं।

(ख) केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) में सभी मामलों को दायर करने के मुख्य कारण उनकी तदर्थ स्थानापन्न आधार पर की गई नियुक्ति की तारीख से पदोन्नति, वरिष्ठता और नियमित करने के बारे में उत्पन्न विवाद है। सरकार के सभी कार्यालयों में कर्मचारियों की समय-समय पर कुछ न कुछ शिकायतें होती ही हैं। अतः अपनी सेवा सम्बन्धी शिकायतों को दूर करने के लिए केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) में जाते हैं।

(ग) अभी तक दो मामलों में सरकारी वकीलों की फीस आदि के रूप में 27,841 रुपये की राशि खर्च हो चुकी है। शेष तीन मामलों में सरकारी वकीलों से अभी बिल प्राप्त नहीं हुए हैं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के संकाय सदस्यों द्वारा आचार संहिता का कथित उल्लंघन

4776. डा. जी.एल. कनोजिया : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय औद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के कुछ संकाय सदस्यों द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किये जाने के संबंध में कुछ शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) दोषी पाये गये सदस्यों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) इनमें से कुछ सदस्यों ने दुबारा भी आचार संहिता का उल्लंघन किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग). सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि भा.प्रौ.सं., दिल्ली के संकाय और स्टाफ के 6 सदस्यों ने, अयोध्या मुद्दे पर भा.प्रौ. संस्थानों/विश्वविद्यालयों के अन्य स्टाफ के साथ संयुक्त वक्तव्य दिया है। संस्थान के शासी बोर्ड ने, संस्थान द्वारा मांगे गए इन व्यक्तियों के स्पष्टीकरणों पर विचार किया और यह टिप्पणी की कि सम्बन्धित व्यक्तियों की ओर से की गई कार्रवाई से संस्थान के आचरण का अतिक्रमण होता है

और इस प्रकार उन्हें सूचित किया गया था कि वे निदेशक की पूर्व-अनुमति के बगैर ऐसे किसी वक्तव्य पर हस्ताक्षर न करें।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

संयुक्त कार्य समिति

4777. श्री मुही राम सैकिया :
डा. सुधीर राय :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
प्रो. रासा सिंह रावत :
श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 अप्रैल, 1994 से पहले केन्द्रीय विद्यालय संगठन की संयुक्त कार्य समिति के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या क्या निर्णय लिये गये ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग). जी, नहीं। तथापि, अप्रैल, 1994 के प्रथम सप्ताह में दो संसद सदस्यों के साथ विचार-विमर्श हुआ जिनके साथ केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कुछ कर्मचारी आए थे। यह फरवरी, 1994 में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ केन्द्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त द्वारा किए गए विचार विमर्शों के बाद हुआ। विचार-विमर्श में यह सहमति हुई कि 25 मांगों में से 16 मांगे केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं। केन्द्रीय विद्यालय संगठन 16 मांगों में से प्रत्येक के सम्बन्ध में स्थिति सम्बन्धित संसद-सदस्यों और एसोसियेशनों को सूचित करेगा और बहुत ही जल्दी निश्चित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

[हिन्दी]

अल्पसंख्यक समुदाय के लिए शिक्षा सुविधा

4778. श्री राम कृपाल यादव :
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे जिलों की पहचान कर ली है जिनमें 1994-95 और 1995-96 के दौरान शैक्षणिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए एरिया इन्टेन्सिव कार्यक्रम चलाये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) 1993-94 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी वित्तीय सहायता निर्धारित की गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम की स्कीम वर्ष

1993-94 से शुरू की गई है। प्रारंभ में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित 41 जिलों की पहचान ऐसे जिलों के रूप में की गई है जहां शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों की बहुलता है।

रामपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बहराइच, गोंडा, गाजियाबाद, पीलीभीत, देवरिया, बाराबांकी, बस्ती, मुर्शीदाबाद, माल्दा, पश्चिम दीनापुर, बीरभूम, नाडिया, 24 परगना, (उत्तरी) 24 परगना (दक्षिणी) कूच बिहार, हावड़ा, मालापुरम, कोझीकोड़, कन्नौड़, पालघाट, व्यानाद, पूर्णियां, कटिहार, दरभंगा, बीदर, गुलबर्गा, बीजापुर, ग्रेटर बंबई, औरंगाबाद, हैदराबाद, कुर्नूल, गुड़गांव, भोपाल, जैसलमेर, और कच्छ।

(ग) स्कीम के अंतर्गत 2.20 करोड़ रुपये की राशि वर्ष 1994-95 के लिए निर्धारित की गई है।

[अनुवाद]

सत्यनगर में उपरि पुल

4779. श्री के.प्रधानी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भुवनेश्वर रेल स्टेशन के निकट सत्यनगर में एक उपरि पुल का निर्माण करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग). सत्यनगर, भुवनेश्वर में 459 लाख रुपये की अनुमानित लागत से कि.मी. 434/19 पर समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। कार्य के अक्तूबर 1994 तक पूरा होने की संभावना है।

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में अवैध शिकार

4780. श्री प्रवीन डेका :

श्री पीटर जी. मरबनिआंग :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडों के अवैध शिकार में हुई वृद्धि के बारे में जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान अवैध रूप से प्रतिवर्ष कितने गैंडों का शिकार किया गया ; और

(ग) इस राष्ट्रीय उद्यान में प्रतिवर्ष किए जा रहे दुर्लभ प्रजातियों के इस अवैध शिकार की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पिछले तीन वर्षों के दौरान चोरीछिपे शिकार करने वालों द्वारा मारे गए गैंडों की संख्या निम्नलिखित हैं :

वर्ष	1991	1992	1993
मारे गए गैंडों की संख्या	23	48	40

1992 में चोरी-छिपे शिकार के मामले में वृद्धि हुई थी परन्तु 1993 के दौरान चोरी-छिपे शिकार के मामले

में की आई है।

(ग) काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ प्रजातियों के चोरी-छिपे शिकार को रोकने के लिए उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं : -

(1) गैंडे को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में रखा गया है जिससे गैंडे को अत्यधिक सुरक्षा प्राप्त है।

(2) कानून द्वारा गैंडे के अवयवों एवं उत्पादों के व्यापार पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

(3) चोरी-छिपे शिकार रोधी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

(4) चोरी-छिपे शिकार करने वालों तथा अवैध व्यापारियों को पकड़ने के लिए जब कभी आवश्यकता होती है पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, राजस्व आसूचना निदेशालय तथा सेना का भी सहयोग लिया जाता है।

सेवाग्राम एक्सप्रेस में अतिरिक्त कोच

4781. डा. गुणवंत रामभाऊ सरोदे : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूसावल और नागौर-मुम्बई के बीच चलने वाली सेवाग्राम एक्सप्रेस में जो दो अतिरिक्त कोच लगाए जाते थे उन्हें अब हटा लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इन दो अतिरिक्त कोचों को उक्त गाड़ी में पुनः जोड़ने के लिए जनता ने मांग की है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) से (घ) जी नहीं। दो सवारी डिब्बे जो पहले बोर्ड बदलने के साथ चला करते थे, अब सीधे गंतव्य स्थान तक जाते हैं। भुसावल के यात्रियों की सुविधा के लिए 7339 सेवाग्राम एक्सप्रेस में एक सवारी डिब्बे में बुकिंग दादर से भुसावल और भुसावल से नागपुर तक अलग-अलग की जाती है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश की पर्यावरण और वन परियोजनाएं

4782. डा. साक्षीजी : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष पर्यावरण संवर्धन और वन विकास हेतु केन्द्रीय सरकार की सहायता से चलाई गई परियोजना का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस संबंध में अब तक परियोजना-वार कितनी उपलब्धि हुई है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ परियोजना-वार कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुधार और वनों के विकास के लिए पिछले दो वर्षों के दौरान पर्यावरण और वन मंत्रालय में केन्द्र सरकार की सहायता से शुरू की गई परियोजनाओं तथा प्रदान की गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। ये परियोजनाएं सतत् प्रकृति की है।

विवरण

(लाख रुपये)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	संक्षिप्त उद्देश्य	भारत सरकार से किए जाने वाले निधियन की मात्र	स्थिति	पिछले दो वर्षों - 1992-93 और 1993-94 के दौरान दी गई धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	बीज विकास स्कीम	अच्छी गुणवत्ता के बीजों हेतु अवसंरचना विकास	100 प्रतिशत	18.65 चालू	18.65 (इसके अलावा राज्य सरकार के पास 1991-92 में 10.72 लाख रुपए की खर्च नहीं हुई धनराशि थी)
2.	एकीकृत वनीकरण और पारि-विकास परियोजना स्कीम	वनीकरण और पारिविकास संवर्द्धन	100 प्रतिशत	चालू	585.25
3.	क्षेत्रेन्मुख ईंधन की लकड़ी और चारा परियोजना स्कीम	अभिनिर्धारित ईंधन की लकड़ी की कमी वाले जिलों में ईंधन की लकड़ी और चारा की आपूर्ति में वृद्धि	50 प्रतिशत	चालू	403.62
4.	पर्यावरण वाहिनी स्कीम	जनता की सक्रिय भागीदारी के जरिये पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करना	100 प्रतिशत	चालू	3.92

1	2	3	4	5	6
5.	आधुनिक वन अग्नि नियंत्रण प्रणाली स्कीम	वनों की सुरक्षा के लिए वन अग्नि का नियंत्रण	100 प्रतिशत	चालू	8.00
6.	गंगा कार्य योजना	गंगा नदी का प्रदूषण उपशमन	100 प्रतिशत	चालू	4729.0
7.	यमुना कार्य योजना	यमुना नदी का प्रदूषण उपशमन	50 प्रतिशत	चालू	1264.0
8.	राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयराण्यों का विकास	100 प्रतिशत	चालू	118.86
9.	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आसपास पारि-विकास	राष्ट्रीय उद्यानों के किनारे रहने वाले समुदायों के वैकल्पिक आहार प्रदान करना	100 प्रतिशत अनावर्ती 50 आवर्ती	चालू	16.61
10.	हाथी परियोजना	हाथियों की दीर्घकालिक उत्तरजीविता सुनिश्चित करना।	100 प्रतिशत अनावर्ती 50 प्रतिशत आवर्ती	चालू	40.88
11.	बाघ परियोजना	भारत में बाघों की जीवनक्षम संख्या को सुनिश्चित करना	100 प्रतिशत अनावर्ती 50 प्रतिशत आवर्ती	चालू	159.45

अन्य देशों के सहयोग से डेयरी विकास

4783. श्रीमती भावना चिखलिया :

श्री सी.पी. मुदालगिरियप्पा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अपने डेयरी उद्योगों के पुनरूद्धार के उद्देश्य से "आनन्द प्रणाली" अपनाने हेतु फिलिपीन्स, नेपाल, श्रीलंका जैसे कुछ बाहरी देशों से अनुरोध कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का विचार अन्य देशों में अपनी डेरियां स्थापित करने का भी है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, फिलीपीन्स, नेपाल तथा श्रीलंका के साथ इन देशों के डेयरी क्षेत्र में अवसंरचनात्मक विकास के लिए बातचीत कर रहा है। फिलीपीन्स तथा नेपाल के उत्तर की अभी प्रतीक्षा की जा रही है जबकि श्रीलंका डेरी उद्योग के निजीकरण पर आश्रित हुआ प्रतीत होता है और इसलिए वह राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के साथ कोई बातचीत नहीं कर रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

समेकित डेयरी विकास योजना

4784. श्री सूरजभानु सोलंकी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर दुग्ध क्रान्ति क्षेत्रों अर्थात् पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों में समेकित डेयरी विकास योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस योजना के अंतर्गत राज्यों को शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) गैर-आपरेशन फल्ड, पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत डेरी विकास के मुख्य उद्देश्य दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना, डेरी उत्पादकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना तथा इन क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को उपयुक्त दरों पर पौष्टिक दूध उपलब्ध कराना है।

(ख) जी हां।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान क्रियान्वित की जा रही यह एक योजना स्कीम है।

[अनुवाद]

लाख की खेती

4785. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में बड़ी संख्या में लोग लाख की खेती में लगे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या सरकार का विचार लाख उत्पादकों की वैज्ञानिक सहायता देने के लिए जिले में लाख अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.कृष्ण कुमार) : (क) जी हां।

(ख) पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में लगभग एक लाख किसान लाख की खेती कर रहे हैं।

(ग) और (घ) रांची में स्थित भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान पूरे क्षेत्र के लाख उत्पादकों को वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है।

नई रेल लाइन

4786. श्री वी.कृष्णा राव :

श्री के.वी. शिवप्पा :

श्री के.एच. मुनियप्पा :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनकपुरा और मालावली होते हुए बंगलौर और कोलेगल के बीच रेल लाइन बिछाने हेतु सरकार के पास कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पलवल से अलवर के बीच रेल सम्पर्क

4787. श्री अवतार सिंह भडाना : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पलवल (हरियाणा) से अलवर (राजस्थान) के बीच बाया नूह और फिरोजपुर झिरका के बीच रेल संपर्क उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की तंगी।

नागरिक विकास समिति

4788. श्री अवतार सिंह भडाना : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागरिक विकास समिति, नई दिल्ली ने ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से लागू कराए जाने के लिए अपनी उपभोक्ता आन्दोलन संबंधी परियोजना प्रस्तुत की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या निर्णय लिया गया ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी हां।

(ख) उक्त समिति ने जिला फरीदाबाद, हरियाणा के गांवों में दस स्थानों पर उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में 2-3 दिनों के अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उपभोक्ता कल्याण निधि से 3.76 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने हेतु एक आवेदन भेजा है। आवेदन पर अंतिम निर्णय, उपभोक्ता कल्याण निधि नियमों के तहत गठित उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा किया जाना है।

फसल की पैदावार

4789. श्री विजय नवल पाटील : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 के दौरान असामयिक और कम वर्षा के कारण फसलों की कम पैदावार होने से कौन-कौन से राज्य प्रभावित हुए हैं ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन राज्यों में कितना फसल उत्पादन हुआ ; और

(ग) इन राज्यों को क्या राहत प्रदान की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) फसल वर्ष 1993-94 गुजरात और राजस्थान को छोड़कर जहां दक्षिण-पश्चिम मानसून मौसम, 1993 के दौरान उतना अनुकूल नहीं था, देश में वर्षा और मौसम की दृष्टि से कुल मिलाकर सामान्यतया अच्छा था।

(ख) वर्तमान आकलन के अनुसार गुजरात और राजस्थान में 1993-94 के दौरान खरीफ तिलहनों और खरीफ खाद्यान्नों का उत्पादन निम्न प्रकार हैं : -

(लाख मीटरी टन में)

	खरीफ तिलहन	खरीफ खाद्यान्न
गुजरात	11.03	24.15
राजस्थान	7.26	23.04

(ग) गुजरात और राजस्थान में पिछले वर्षों की अप्रयुक्त शेष राशि और केन्द्रीय तथा राज्य के अंशदान सहित 1993-94 के दौरान आपदा राहत कोष के लिये उपलब्ध कुल धनराशि क्रमशः 76.30 तथा 279.13 करोड़ रुपये थी।

काली मिर्च का विकास

4790. प्रो. पी.जे. कुरियन : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को स्वीकृति के लिए केरल सरकार से कोई काली मिर्च विकास परियोजना प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ई.ई.सी.) से सहायता के लिये काली मिर्च के विकास से संबंधित एक परियोजना प्रस्ताव केरल सरकार से जनवरी, 1992 में प्राप्त हुआ था।

(ख) इस परियोजना का उद्देश्य काली मिर्च का उत्पादन 55,000 मीटरी टन के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर सन् 2000 ई. तक 105,000 मीटरी टन करना था। इस परियोजना का दूसरा उद्देश्य आधुनिक प्रबन्ध पद्धतियां अपनाकर उत्पादकता में सुधार लाकर काली मिर्च के उत्पादन को इकाई लागत कम करना था। कुल परियोजना लागत 1609.2 मिलियन रुपए परिकल्पित की गई थी। इस परियोजना को 7 वर्षों तक जारी रखने का प्रस्ताव था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) दाता एजेंसी ने किसी एक जिंस से सम्बन्धित परियोजना को मंजूरी नहीं दी।

[हिन्दी]

नए जोन का सृजन

4791. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में रेलवे के विकास के लिए पृथक उत्तर पश्चिम जोन बनाए जाने के लिए कोई मांग

की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उत्तर रेलवे के जोधपुर और बीकानेर मण्डलों तथा पश्चिम रेलवे के जयपुर, अजमेर और कोटा मण्डलों को मिलाकर नए रेल जोन बनाने का है ;

(ग) यदि हां, तो यह कार्य कब तक हो जायेगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ) : (क) जी हाँ।

(ख) से (घ) इस समय जोनों के सृजन/पुनर्गठन से संबंधित मामले का अध्ययन और जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

पश्चिम रेलवे में नया डिवीजन बनाना

4792. श्री हरिन पाठक : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अहमदाबाद और गांधीनगर में नए रेलवे डिवीजन बनाने के गुजरात सरकार के अनुरोध को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ) : (क) से (ग). इस समय मंडलों के सृजन/पुनर्गठन से संबंधित मामले का अध्ययन और जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

"मास्टर केन" परियोजना

4793. कुमारी उमा भारती : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की "मास्टर केन" परियोजना स्वीकृति को निरस्त कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस परियोजना पर पुनर्विचार करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक मंजूरी दी जायेगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) अभी तक मध्य प्रदेश राज्य सरकार से "मास्टर केन" परियोजना के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

शाहगंज और सुल्तानपुर रेल लाइन

4794. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शाहगंज और सुल्तानपुर के बीच कोई नई रेल लाइन बिछाने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) किन कारणों से सरकार अब तक उक्त रेल लाइन नहीं बिछा पायी है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की तंगी।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालय परीक्षा

4795. श्री ब्रह्मानन्द मंडल :

श्री तेज नारायण सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कौन-कौन से विश्वविद्यालय बिना किसी पिछली शैक्षिक योग्यता के स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति दे रहे हैं ; और

(ख) सरकार ने अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा ऐसे ही प्रावधानों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली, उच्च शिक्षा के लिए अवसरों में वृद्धि करने तथा अधिक से अधिक वर्गों के लिए अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की गई है।

उपर्युक्त उद्देश्य से वर्ष 1985 में स्थापित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने अपने शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए प्रवेश संबंधी नियमावली को अपनाया है जिनके अंतर्गत 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने वाले छात्र उत्तर स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होते हैं, बशर्ते कि वे विशेष रूप से निर्धारित प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएं।

कुछ राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों और राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध कुछ पत्राचार संस्थानों ने भी चयनित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संबंधी अर्हताओं में छूट दी है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मार्च, 1990 में विश्वविद्यालयों को दिशा-निर्देश परिचालित किए और उनसे अन्य बातों के साथ-साथ यह अनुरोध किया कि वे अवर स्नातक स्तर पर औपचारिक धारा में प्रवेश के विस्तार पर रोक लगाएं और विद्यार्थियों को मुक्त विश्वविद्यालयों/पत्राचार पाठ्यक्रमों आदि के माध्यम से

गैर-औपचारिक धारा में लगाएं।

[हिन्दी]

कश्मीरी छात्रों का नामांकन

4796. श्री वृशिण पटेल : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जम्मू और कश्मीर से विस्थापित छात्रों को स्कूलों/कॉलेजों में नामांकन कराने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय संगठन तथा शिक्षा निदेशक, दिल्ली प्रशासन से शैक्षिक सत्र 1993-94 के दौरान कश्मीरी प्रवासी छात्रों को निम्नलिखित रियायतें देने का अनुरोध किया गया है ;

(1) प्रवेश की तारीख बढ़ाना ;

(2) अंतिम रूप से निर्धारित (कट-ऑफ) प्रतिशतता में छूट;

(3) प्रवेश क्षमता में बढ़ोतरी ; तथा

(4) अवर स्नातक पाठ्यक्रमों के दूसरे और तीसरे वर्ष में स्थानांतरण इत्यादि।

[अनुवाद]

तम्बाकू का उत्पादन

4797. श्री एस.एम. लालजान वाशा : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तम्बाकू के उत्पादन हेतु 1993-94 के लिए कितना अनुमानित लक्ष्य रखा गया था ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान तम्बाकू का वास्तविक उत्पादन कितना हुआ ;

(ग) तम्बाकू के उत्पादन तथा इसकी खेती में उत्पादकता लक्ष्य प्राप्त करने में क्या अड़चनें हैं; और

(घ) ऐसी अड़चनों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) 1993-94 के लिए, 92.29 मिलियन किलोग्राम एफ.सी.बी. तम्बाकू का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। तम्बाकू की गैर-एफ.सी.वी. किस्मों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है।

(ख) एफ.सी.वी. तम्बाकू का 127.93 मिलियन कि.ग्राम उत्पादन होने का अनुमान है तथा तम्बाकू की गैर-एफ.सी.वी. किस्मों का उत्पादन लगभग 425 मिलियन कि.ग्रा. होने का अनुमान लगाया गया है।

(ग) एफ.सी.वी. तम्बाकू के उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कोई अड़चन नहीं है। फिर भी, एफ.सी.वी. तम्बाकू के उच्च उत्पादकता स्तरों को प्राप्त करने में बाधाएं हैं, जो अन्य बातों को साथ-साथ मानसून पर निर्भरता,

खराब आर्द्रता अवरोधन क्षमता तथा आंध्र प्रदेश की हल्की मृदाओं की कठोर संरचना, महत्वपूर्ण आदानों, विशेषकर पर्याप्त मात्र में उर्वरकों (पोटाश का सल्फेट) की अनुपलब्धता तथा किसानों द्वारा उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकियों को न अपनाया जाना है।

(घ) उत्पादकता में आने वाली अड़नों को दूर करने के लिए उठाए जा रहे कदम इस प्रकार हैं : -

(1) तम्बाकू बोर्ड द्वारा विकास और विस्तार योजनाओं का कार्यान्वयन अर्थात् विशुद्ध बीजों, स्वस्थ पौदों, उर्वरकों, कीटनाशियों, सकरीसाइड्स, सिंचाई उपकरणों, बार्न सामग्रियों आदि की आपूर्ति।

(2) कीटों और रोगों की प्रति-रोधक उन्नत किस्में तथा उन्नत संवर्धन एवं उपचार पद्धतियां विकसित करना और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए किसानों में अनुसंधान उपलब्धियों और उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी का प्रचार-प्रसार करना।

ताजमहल का संरक्षण

4798. श्री छीतू भाई गामीत : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी और बिरला वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान द्वारा ताजमहैल पर पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). जी, हां। निष्कर्षों में निम्नलिखित शामिल हैं : -

(1) सल्फर डाई आक्साइड मुख्य प्रदूषक तत्व हैं परन्तु नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी ताजमहल को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

(2) ताजमहल की चमक समाप्त हो गयी है और यह वर्षों से प्रदूषण के प्रभाव से खुरदरा और हल्का रंगीन हो गया है।

(3) इस स्मारक पर प्रदूषण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा है। स्मारक के कई जगहों पर प्रदूषण के प्रभाव में अंतर है। ऊपरी स्तरों अर्थात् गुम्बज पर सल्फर डाई आक्साइड का प्रभाव निचले स्तरों अर्थात् आधार स्थल पर से कम हैं।

(4) सल्फर डाई आक्साइड के कारण ताजमहल के भीतरी भागों के बजाय बाहरी भागों को कहीं अधिक नुकसान हुआ है।

(ग) इस स्मारक की पर्यावरणीय प्रदूषण से सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई में निम्नलिखित बातें शामिल हैं : -

1. ताजमहल के चारों ओर एक समलम्ब बनाया गया है। इस क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाले नए उद्योगों को स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाती है।

2. आगरा में उद्योगों द्वारा फर्नेस ऑयल और डीजल जनरेटरों के प्रयोग पर प्रतिबंध है। सर्दियों की रातों में ढलाई घरों को चालू रखने की अनुमति नहीं दी जाती है।

3. परिवेशी वायू में सल्फर डाई आक्साइड तथा नाइट्रोजन के आक्साइडों की मात्र की प्रवृत्ति की पता लगाने के लिए जनवरी, 1991 से ताजमहल में एक निरन्तर चलने वाला सल्फर डाई आक्साइड निगरानी केन्द्र बनाया गया है।

4. मथुरा तेल शोधक कारखाना अपनी स्थापना के प्रारंभ से ही मथुरा और उसके आसपास के स्थानों में परिवेशी वायु गुणवत्ता की लगातार निगरानी कर रहा है।

5. आगरा में कोयले पर आधारित दो ताप-विद्युत संयंत्रों को 1981 में बन्द कर दिया गया था।

6. आगरा रेलवे स्टेशन मार्शेलिंग यार्ड को डीजलीकृत किया गया है।

7. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आगरा में परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी के केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित और संचालित किया गया है।

8. एक वायु पर्यावरण प्रबंध योजना बनाई गई है। इस योजना में अभिनिर्धारित प्रापकों, विशेषकर ताजमहल पर विभिन्न प्रदूषण स्त्रोतों के प्रभाव को कम से कम करना शामिल है।

9. उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग ने उपलब्ध सरकारी भूमि पर वृक्षारोपण करके ताजमहल के चारों ओर एक हरित पट्टी बनाई है।

10. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ताजमहल के चारों ओर सल्फरडाई आक्साइड, निलबिंत धूलकणों और अन्य प्रदूषकों के साथ-साथ मौसम विज्ञान संबंधी आंकड़ों सहित परिवेशी वायु गुणवत्ता की लगातार निगरानी कर रहा है।

11. उद्योगों को उनकी उत्पादन प्रणाली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रौद्योगिकियों के प्रक्रम में परिवर्तन लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

गेहूं/चावल का उत्पादन

4799. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में गेहूं और चावल का प्रति हैक्टेयर औसत उत्पादन कितना है ;

(ख) विश्व में गेहूं और चावल का प्रति हैक्टेयर औसत उत्पादन कितना है ; और

(ग) इन वस्तुओं के प्रति हैक्टेयर उत्पादन को विश्व औसत तक लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख). खाद्य एवं कृषि संगठन की उत्पादन ईयर बुक, 1992 के अनुसार भारत और विश्व में गेहूं और चावल का औसत प्रति हैक्टेयर उत्पादन इस प्रकार है :

(कि.ग्रा./है.)

फसल	भारत	विश्व
गेहूं	2397	2562
चावल	2607	3571

(ग) चावल और गेहूं पर आधारित फसल प्रणाली में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम के माध्यम से गेहूं और चावल की पैदावार में वृद्धि करने के लिए संयुक्त प्रयास किये जा रहे हैं। स्थान विशिष्ट उच्च उत्पादक किस्मों के अधिक प्रयोग, क्षेत्रीय प्रदर्शन, मृदा सुधारक पदार्थों के प्रयोग, समेकित कीट प्रबन्ध, बेहतर मृदा एवं जल संरक्षण तकनीकों आदि के माध्यम से उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी के प्रचार-प्रसार पर और अधिक बल तथा समर्थन दिया जा रहा है।

गुजरात को आवश्यक वस्तुओं का आबंटन

4800. श्री हरिलाल ननजी पटेल : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या गुजरात सरकार ने केंद्रीय सरकार से राज्य में आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केंद्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि राज्य के किसी भी भाग में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं हैं।

(ख) गुजरात सरकार से, राज्य में आवश्यक वस्तुओं की कमी के कारण उनकी अधिक आपूर्ति करने का कोई विशिष्ट अनुरोध नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्लेटफार्मों पर स्टालों का आबंटन

4801. श्री रतिलाल वर्मा : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 में देश के मुख्य शहरों के रेलवे प्लेटफार्मों पर कितने नए स्टालों का आबंटन किया गया ;

(ख) उनमें से कितने स्टाल अनूसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को आबंटित किये गये ;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इन स्टालों के आबंटन के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के.जाफर शरीफ) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

चीनी का आयात

4802. श्री नीतीश कुमार :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

श्री एस.बी. सिदनाल :

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "ओ.जी.एल." के अंतर्गत चीनी के आयात का चीनी उद्योगपतियों द्वारा विरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) देश में चीनी के मूल्यों की रोकथाम में चीनी के आयात से कितनी सहायता मिली है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) खुले सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल.) **के तहत चीनी के** आयात के सरकार के निर्णय की सराहना हुई है तथा चीनी उद्योग के दो शीर्ष निकायों **अर्थात् भारतीय चीनी मिल** संघ और राष्ट्रीय सहकारी चीनी फैक्ट्री परिसंघ ने इसका स्वागत किया है।

(ग) आयातित **चीनी अप्रैल**, 1994 के तीसरे/चौथे सप्ताह में पहुंचने की आशा है तथा केवल इसके बाद ही इसके प्रभाव का पता चल पाएगा।

[अनुवाद]

दिल्ली दुग्ध योजना बूथ

4803. श्री शांताराम पोतदुखे :

श्री प्रभू दयाल कठेरिया :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा वर्ष 1993-94 के दौरान दिल्ली के आवासीय क्षेत्रों में कुछ दुग्ध बूथ खोले गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन जगहों पर खोले गए हैं ;

(ग) क्या दिल्ली में दूध की वर्तमान सप्लाई इसकी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है; और

(घ) यदि हां, तो दिल्ली में दूध की कुल कितनी आवश्यकता है और दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कुल कितनी मात्रा में दूध की बिक्री की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख). दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा 1993-94 के दौरान दिल्ली के आवासीय क्षेत्रों में 18 नए दुगध बूथ खोले गए। इन नए बूथों की सूची इलाकों के साथ विवरण में संलग्न है।

(ग) और (घ) दिल्ली में दूध की अनुमानित आवश्यकता लगभग 25 लाख लीटर प्रति दिन है। जिसमें से दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा औसतन लगभग 4.00 लाख लीटर दूध प्रतिदिन की आपूर्ति की जाती है। शेष आवश्यकता की पूर्ति मदर डेरी, निकटवर्ती राज्यों के डेरी परिसंघों तथा निजी डेरी मालिकों द्वारा की जाती है। विगत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा की गई दूध की प्रतिदिन की औसत बिक्री नीचे दी गई है ;

वर्ष	औसत बिक्री (लाख लीटर प्रतिदिन)
1991-92	4.50
1992-93	4.26
1993-94	3.90

विवरण

1993-94 के दौरान खोले गए नए बूथ और उनके इलाके

क्रम संख्या	बूथ संख्या	खोले की तारीख	इलाके का नाम
1	2	3	4
1.	2045	14.4.93	न्यू गोविन्दपुरी, दिल्ली-51
2.	2047	13.4.93	सैक्टर-8 रोहिणी।
3.	2048	13.4.93	सैक्टर-8, रोहिणी।
4.	2049	12.5.93	सैक्टर-9, रोहिणी।
5.	2051	24.5.93	मस्जिद मोठ।
6.	2053	27.5.93	सी.आर.आर.आई.स्टाफ कालोनी, महारानी बाग।
7.	2055	1.7.93	सूर्या निकेतन।
8.	2057	4.8.93	सैक्टर-13, रोहिणी।
9.	2059	27.8.93	शकरपुर।
10.	2061	30.8.93	विज्ञान लोक, दिल्ली-92 ।
11.	2028	6.9.93	सैक्टर-4 रोहिणी।
12.	2007	1.10.93	मस्जिद मोठ, ग्रेटर कैलाश-3 ।
13.	2064	12.10.93	फेस-1, मायापुरी।

1	2	3	4
14.	2042	12.10.93	परिजात अर्पाटमेंट, प्रितमपुरा।
15.	2065	27.10.93	पुलिस कालोनी, शालिमार बाग।
16.	2068	27.10.93	जी एच-2, पश्चिम विहार।
17.	2069	17.12.93	पंचवटी, दिल्ली कैन्ट।
18.	2072	8.2.94	विज्ञान विहार, दिल्ली।

रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण

4804. श्री राम सिंह कस्वां :

श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 और 1993-94 के दौरान राज्य-वार किन-किन रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया ;

(ख) 1994-95 के दौरान राज्यवार किन-किन रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किये जाने के प्रस्ताव हैं ;

(ग) इस कार्य पर अनुमानतः कितना खर्च किया जाएगा ; और

(घ) विद्युतीकरण के इस कार्य को कब तक पूरा कर लिया जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़)

(क) 1992-93 और 1993-94 के दौरान विद्युतीकृत की गयी रेल लाइनें

क्र.सं.	खण्ड	मार्ग कि.मी.	राज्य
1.	बीना-कटनी मरवाड़ा	265	मध्य प्रदेश
2.	अनुपपुर-विश्रामपुर सहित बिलासपुर चांदिया रोड़ (कटनी-बिलासपुर खण्ड का भाग)	444	मध्य प्रदेश
3.	सब्जीमंडी-सोनीपत (दिल्ली-अम्बाला-लुधियाना खण्ड का भाग)	40	दिल्ली-28 मार्ग कि.मी. हरियाणा - 12 कि.मी.
4.	बाई पास लाइन सहित बीबीनगर-सनतनगर-हैदराबाद (काजीपेट-सनतनगर खण्ड का भाग)	69	आंध्र प्रदेश

5.	सोननगर-ज़ापला और गढ़वा-बरवाडीह (सोननगर-पतरालू खण्ड का भाग)	113	बिहार
6.	साबरमती-गांधीनगर	28	गुजरात
7.	बेंगलूरू-केंगेरी	13	कर्नाटक
8.	बड़नेरा-अमरावती	9	महाराष्ट्र
		984	

(ख) 1994-95 के दौरान विद्युतीकरण के लिए प्रस्तावित लाइनें

क्र.सं.	खण्ड	मार्ग कि.मी.	राज्य
1.	कटनी-मरवाड़ा-न्यू कटनी	11	मध्य प्रदेश
2.	चांदिया रोड़-कटनी/चिरमिरी (बिलासपुर-कटनी खण्ड का भाग)	57	मध्य प्रदेश
3.	सोननगर-पतरालू का भाग	143	बिहार
4.	सीतारामपुर-झाझा का भाग	73	पश्चिम बंगाल - 16 मार्ग कि.मी. बिहार-57 मार्ग कि.मी.
5.	दिल्ली-अम्बाला-लुधियाना का भाग	112	हरियाणा
6.	बंडेल-कटवा का भाग	30	पश्चिम बंगाल
7.	शाखा लाइनें (i) जलंह-खामगांव (ii) बूटी-बोरी-अमरेर (iii) तडाली-घुगुस (iv) माजरी-राजुर	79	महाराष्ट्र
	जोड़ :	505	

(ग) और (घ) 1994-95 के रेलवे बजट में विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिए 260.60 करोड़ रुपये के परिव्य का प्रस्ताव किया गया है। इस कार्य को मार्च 95 तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है।

चिड़ियाघर (वन्यप्राणी उद्यान)

4805. श्री तारा सिंह :

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय वन्य प्राणी उद्यान प्राधिकरण के विशेषज्ञों ने देश में अत्यधिक प्राणी उद्यानों की स्थापना पर गहरी चिंता व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वन्यजीव संसाधनों के संरक्षण पर उपयुक्त बल न हीं दिया गया है और इस पर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है ; और

(ग) यदि हां, तो प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी हां, केन्द्रीय चिड़ियाघर के विशेषज्ञों ने देश में चिड़ियाघरों की अत्यधिक संख्या पर चिन्ता व्यक्त की है।

(ख) और (ग) वन्य जीवन संसाधनों के संरक्षण पर इस मंत्रालय द्वारा समुचित जोर दिया गया है। भारत सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना की है कि चिड़ियाघरों को मान्यता देने संबंधी नियमावली, 1992 जिसके तहत चिड़ियाघरों में वन्यजीवन संसाधनों के वैज्ञानिक संरक्षण पर विशेष बल दिया गया है, को लागू करके चिड़ियाघरों की बड़ी संख्या में स्थापना पर समुचित रोक लगाते हुए वन्यजीवन संसाधन के संरक्षण का लक्ष्य प्राप्त किया जाए। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने चिड़ियाघरों को वन्यजीव (संरक्षण), अधिनियम, 1972 और चिड़ियाघरों को मान्यता देने संबंधी नियमावली, 1992 के तहत वैज्ञानिक सिद्धान्तों एवं वैधानिक प्रावधानों के आधार पर मान्यता देने/उनकी मान्यता रद्द करने की दृष्टि से चिड़ियाघरों के मूल्यांकन का कार्य हाथ में लिया है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में बड़ी लाइन

4806. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में बिलासपुर से मंडला-जबलपुर तक बड़ी रेल लाइन बिछाने की कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो कब और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस योजना के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वर्ष 1991-92 में किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि तत्समय प्रचलित मूल्यों के अनुसार 350 कि.मी. लम्बी लाइन पर 300 करोड़ रुपये की लागत आयेगी और कुल मिलाकर यह परियोजना अलाभप्रद रहेगी।

[अनुवाद]

दाहोद स्टेशन पर रेलगाड़ी का रोका जाना

4807. श्री सोमजी भाई डामोर : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे में गुजरात के दाहोद स्टेशन पर जम्मू-तवी एक्सप्रेस, सर्वोदय एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, अवध एक्सप्रेस तथा फ्रंटियर एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को रोके जाने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ़) : (क) जी हां।

(ख) फ्रंटियर मेल पहले से ही दाहोद स्टेशन पर ठहरती है। अन्य गाड़ियों के दाहोद में ठहराव देने के संबंध में जांच की गई है लेकिन इसे न तो वाणिज्यक दृष्टि से औचित्यपूर्ण पाया गया और न ही परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक पाया गया।

''पर्यावरण आयोग''

4808. श्री सी.पी. मुदालगिरियप्पा : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण आयोग के गठन की कोई मांग है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग). मामले की जांच की जा रही है।

चीनी मिलें

4809. श्री अनन्तराव देशमुख :

श्री अरविन्द तुलशीराम काम्बले :

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान चीनी मिलों की पेराई क्षमता का राज्य-वार राष्ट्रीय औसत कितना था;

(ख) क्या महाराष्ट्र की चीनी मिलों की पेराई क्षमता का औसत राष्ट्रीय औसत से कम है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे राष्ट्रीय औसत के समतुल्य लाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) 1993-94 के दौरान (31.3.1994 तक) चीनी मिलों की संस्थापित दैनिक गन्ना पेराई क्षमता का राष्ट्रीय औसत 1890.80 टन है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) राष्ट्रीय औसत 1890.80 टन की तुलना में महाराष्ट्र की चीनी मिलों की औसत संस्थापित दैनिक गन्ना पेराई क्षमता 1931.16 टन है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

चीनी मिलों की राज्यवार औसत संस्थापित दैनिक गन्ना पेराई क्षमता दर्शाने वाला विवरण

(31.3.1994 को स्थिति)

क्र.सं.	राज्य	औसत क्षमता (टी.सी.डी.)
1	2	3
1.	हरियाणा	2,300.00
2.	पंजाब	1,895.58
3.	बिहार	1,408.53
4.	पश्चिमी बंगाल	909.50
5.	असम	1,104.33
6.	उड़ीसा	1,614.87
7.	राजस्थान	1,255.33
8.	मध्य प्रदेश	1,071.875
9.	गुजरात	2,561.11
10.	आन्ध्र प्रदेश	1,737.86
11.	तमिलनाडु	2,275.75
12.	कर्नाटक	1,996.93
13.	केरल	846.66
14.	पांडिचेरी	1,375.00
15.	नागालैण्ड	1,000.00
16.	गोआ	1,250.00
17.	उत्तर प्रदेश	1,925.21
18.	महाराष्ट्र	1,931.16
	समस्त भारत	1,890.80

महाराजगंज रेल लाइन

4810. पंकज चौधरी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर-पूर्व रेल के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में ब्राड-गेज और मीटर-गेज रेल लाइन की कुल लम्बाई कितनी है ;

(ख) क्या सरकार का जिले की जनसंख्या और पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए महाराजगंज जिले में रेल लाइनों का विस्तार करने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के.जाफ़र शरीफ़) : (क) बड़ी लाइन - कुछ नहीं

मीटर लाइन - 88 कि.मी.

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) संसाधनों की तंगी।

[हिन्दी]

समूह ''घ'' के रेल कर्मचारी

4811. श्री लाल बाबू राय :

श्री राम टहल चौधरी :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न रेलवे जोनों में समूह ''घ'' के कर्मचारियों की नियुक्ति का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या ये नियुक्तियां नियमों का उल्लघंन करके की गई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उनकी भर्ती में क्या मानदण्ड अपनाए गए ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पंजाब में रेल लाइन

4812. श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर) : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में वर्ष 1993 के दौरान किन-किन स्थानों पर नई रेल लाइनें बिछाई गई ;

(ख) राज्य में किन-किन स्थानों पर इस समय रेल लाइनें बिछाने का कार्य चल रहा है ;

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ; और

(घ) सरकार द्वारा वर्ष 1994-95 के दौरान पंजाब में रेल सेवा के विस्तार और सुधार तथा नई रेल लाइनें बिछाने के लिए किए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) कोई नहीं।

(ख) ब्यास और गोइंदवाल के बीच।

(ग) मार्च 1995 तक।

(घ) ब्यास-गोइंदवाल नई लाइन 1994-95 में शुरू हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, टांडा उरमार, भोगपुर, सिरवाल, तरन तारन और चक्की बैंक में प्लेटफार्म सायबानों की व्यवस्था, लुधियाना, ढंडारी कलां और धुरी में जल-आपूर्ति में सुधार तथा लुधियाना, अमृतसर और जालंधर कैंट में प्लेटफार्म सायबानों के विस्तार से संबंधित कार्य भी शुरू किए गए हैं।

राजस्थान की लंबित परियोजनाएं

4813. श्रीमती महेन्द्र कुमारी : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान की कौन-कौन सी विकास परियोजनाएं पर्यावरणीय तथा वन संबंधी स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं ;

(ख) ये परियोजनाएं कब से लंबित हैं तथा इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन परियोजनाओं को जल्द से जल्द स्वीकृति देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

(ग) पूरे आंकड़े और कार्य योजनाएं प्राप्त होने के बाद ही परियोजनाओं का मूल्यांकन और इन पर आगे कार्रवाई की जा सकती है। पूरे ब्यौरों के साथ भेजी गई परियोजनाओं के संबंध में पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति दिए जाने के लिए निर्णय तीन माह के भीतर तथा वन भूमि के वनेतर प्रयोग के संबंध में एक माह के अन्दर निर्णय ले लिया जाता है। इन मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए सम्बन्धित राज्य और /अथवा परियोजना प्राधिकारियों से बराबर सम्पर्क बनाए रखा जाता है।

विवरण

दिनांक 31.3.93 को राजस्थान में लम्बित परियोजनाओं का विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	तारीख जब से लंबित पड़ी हैं	वर्तमान स्थिति
क. पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति के लिए भेजे गए प्रस्ताव			
1.	धौलपुर टी.पी.एस., 3x250 मे.वा. आरएसईबी	मई 91	परियोजना प्राधिकारी से वैकल्पिक स्थल का पता लगाने का अनुरोध किया गया है।

2.	चित्तौड़गढ़ टी.पी.एस., 1x500 मे.वा. सेंचुरी पावर	फरवरी, 94	परियोजना प्राधिकारी से मांगी गई अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।
3.	भरतपुर में तेल डिपो-भा.ते.नि.	मार्च,93	विशेषज्ञ समिति ने प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति दे दी है।
4.	बिलासपुर सिंचाई तथा जल आपूर्ति परियोजना	जनवरी,94	परियोजना प्राधिकारियों से मांगी मांगी गई अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।
5.	झामरकोटरा सोकित परियोजना-आरएसएमएमडीसी	फरवरी,94	परियोजना प्राधिकारी से मांगे गए स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा की जा रही है।
6.	बाल्डा टंगस्टन फलोराइट परियोजना एच जैड एल	फरवरी, 94	परियोजना प्राधिकारी से मांगे गए स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा की जा रही है।
7.	बनवास माइन्स प्रोजेक्ट-एचसीएल	अगस्त, 93	परियोजना प्राधिकारी से मांगी गई अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।
8.	तातारपुर फेल्जपार एंड क्वार्ट्स माइन, अलवर	मई, 93	मांगे गए अतिरिक्त आंकड़ो की प्रतीक्षा की जा रही है।
9.	बहाली चूना पत्थर की खानें, अलवर	अक्तूबर, 93	-वही-
10.	झीरी संगमरमर की खानें, अलवर	अक्तूबर, 93	-वही-
11.	भैयासर स्लेट पत्थर की खान, अलवर	अक्तूबर, 93	-वही-
12.	मेहतवास स्लेट पत्थर की खान, अलवर	अक्तूबर, 93	-वही-

ख. **वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन वन भूमि को वनेतर प्रयोग में लाने के संबंध में भेजे गए प्रस्ताव**

1.	औषधीय पौधों की खेती	फरवरी, 86	कार्रवाई की जा रही है।

चन्दरपुर में रेलगाड़ी को रोकना

4814. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रदास-मुम्बई सुपरफास्ट रेलगाड़ी को प्रति दिन चलाने तथा महाराष्ट्र के चन्दरपुर स्टेशन पर रोकने संबंधी कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय बाल कल्याण परिषद

4815. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बाल कल्याण परिषद और भारतीय आदिमजाति सेवक संघ जैसे स्वयंसेवी समाज कल्याण संगठनों ने कामगार और बीमार महिलाओं के बच्चों के लिए शिशु सदन खोलने के संबंध में महाराष्ट्र में अपनी गतिविधियों का विस्तार किया है; और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान ऐसी गतिविधियों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासव राजेश्वरी) : (क) और (ख) भारतीय बाल कल्याण परिषद् ने दूसरे राज्य में शिशुगृहों के बन्द हो जाने के कारण महाराष्ट्र में अपने शिशुगृह कार्यक्रम का विस्तार करके शिशुगृह एककों की संख्या को 75 से बढ़ाकर 1993-94 में 77 कर दिया है।

भारतीय आदिमजाति सेवक संघ ने महाराष्ट्र राज्य में पिछले दो वर्षों के दौरान शिशुगृह कार्यक्रम में कोई विस्तार नहीं किया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

4816. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

श्रीमती दिल कुमारी भंडारी :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सिक्किम जैसे पर्वतीय राज्यों में दूर दराज के कई ऐसे स्थान भी हैं जहां लोगों को दैनिक उपभोग की आवश्यक वस्तुओं को ले आने में पूरा एक दिन लग जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सिक्किम में प्रखण्डों की संख्या बढ़ाने का है : और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). सिक्किम् राज्य में 440 राजस्व ब्लाक (गांव) हैं। इनमें से 192 राजस्व ब्लाक समेकित आदिवासी विकास परियोजना के तहत आते हैं और इसलिए वे संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हैं। सिक्किम सरकार ने सम्पूर्ण सिक्किम राज्य में संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करने की मांग की

थी। तथापि, मौजूदा नीति के अनुसार, सिक्किम में वास्तव में केवल समेकित आदिवासी विकास परियोजना के तहत आने वाले क्षेत्र ही संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सुविधा के पात्र हैं।

[हिन्दी]

सेन्ट्रल स्टेट फार्म

4817. डा. परशुराम गंगवार : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश स्थित सेन्ट्रल स्टेट फार्मों का कुल क्षेत्रफल क्या है ;

(ख) विभिन्न खाद्यान्नों के बीजों के उत्पादन के लिए कुल कितने क्षेत्र का उपयोग किया जा रहा है; और

(ग) 1993-94 के दौरान उनमें कुल कितना उत्पादन हुआ ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) उत्तर प्रदेश स्थित केन्द्रीय राज्य फार्मों (सी.एस.एफ.) का कुल क्षेत्रफल इस प्रकार है :

फार्म का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
सी.एस.एफ. बहराइच	3828
सी.एस.एफ. रायबरेली	191

(ख) 1993-94 के दौरान उपर्युक्त फार्मों में बीज उत्पादन के अन्तर्गत कुल क्षेत्र निम्नलिखित था :

सी.एस.एफ. बहराइच	सी.एस.एफ., रायबरेली
2715.16 हैक्टे.	165.50 हैक्टे.

(ग) 1993-94 के दौरान उपर्युक्त फार्मों का कुल उत्पादन नीचे दिया गया है :

सी.एस.एफ., बहराइच	सी.एस.एफ, रायबरेली
56383 क्विंटल	2143 क्विंटल
(अनुमानित)	(अनुमानित)

[अनुवाद]

राष्ट्रीय नदी कार्य योजना

4818. श्री शिवराज सिंह चौहान

श्री परसराम भारद्वाज

श्री सुशील चन्द्र वर्मा

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा, ताप्ती, खान, क्षिप्रा और चम्बल के संबंध में राष्ट्रीय नदी कार्य योजना पर कार्य शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो यह कार्य कब तक शुरू हो जाएगा ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग). सरकार ने नर्मदा, ताप्ती, खान, क्षिप्रा और चम्बल नदियां समेत देश की प्रमुख नदियों के अभिनिर्धारित प्रदूषित क्षेत्रों में प्रदूषण निवारण कार्यों के लिए एक राष्ट्रीय नदी कार्य योजना के प्रतिपादन किए जाने का अनुमोदन कर दिया है। यह कार्य योजना केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के रूप में कार्यान्वित की जाएगी, जिसमें केन्द्र और संबंधित राज्यों के बीच पूंजीगत कार्यों में बराबर की हिस्सेदारी होगी। सुविधाओं के संचालन और रख-रखाव की लागत राज्य सरकारों द्वारा पूर्ण रूप से वहन की जाएगी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदूषण निवारण कार्यों जैसे कि म्युनिसिपल सीवेज का अवरोधन तथा उसका दिशा-परिवर्तन, और उपचार, अल्प-लागत स्वच्छता, शवदाहगृह, नदी तटाग्र विकास, वनीकरण आदि को हाथ में लिया जाएगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के शुरू होने की संभावना है।

उड़ीसा में रेल लाइन का विद्युतीकरण

4819. डा. कृपासिन्धु भोई : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में भुवनेश्वर और कटक, पलासे और कटक और भदक तथा कदक और अन्य रेल मार्गों के बीच रेल लाइन के विद्युतीकरण का कार्य शुरू किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य में कितनी प्रगति हुई है तथा इस पर अब कितना व्यय हुआ है; और

(ग) यह परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) उल्लिखित विशिष्ट लाइनों पर विद्युतीकरण कार्य शुरू नहीं किये गये हैं। तथापि, बोकारो स्टील सिटी-बोंडामुण्डा-वरसुआन/विमलगढ़ खंड, जिसका एक भाग उड़ीसा राज्य में पड़ता है, पर विद्युतीकरण कार्य चल रहा है।

(ख) वास्तविक प्रगति = लगभग 4 प्रतिशत

खर्च = समूची परियोजना पर मार्च, 94 तक 22.42 करोड़ रुपये।

(ग) उपर्युक्त खंड का विद्युतीकरण मार्च, 97 तक पूरा करने की योजना है। बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

बंगलौर में टर्मिनल बनाया जाना

4820. श्री जी.माडे गौड़ा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर नगर में छावनी रेलवे स्टेशन और यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पर दो और टर्मिनल बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इसका कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ;

(ग) वर्ष 1993-94 के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि नियत की गई थी; और

(घ) इन टर्मिनलों को बनाने से क्या लाभ होगा ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) कैंट में केवल एक।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में।

(ग) कुछ नहीं।

(घ) चूंकि मौजूदा टर्मिनल सम्हाले जाने वाले यातायात के स्तर को पूरा नहीं कर सकता है। इसलिए बेंगलूरू कैंट में एक अतिरिक्त टर्मिनल की योजना बनायी जा रही है।

[हिन्दी]

उर्दू का प्रसार

4821. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्दू भाषा के प्रसार के संबंध में अली सरदार जाफरी समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट पर सरकार ने क्या निर्णय लिए हैं ; और

(ख) उस पर कब तक कार्यवाही की जाएगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) उर्दू की प्रोन्नति के लिए गुजराल समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की जांच करने के लिए अली सरदार जाफरी की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

चुनार स्टेशन पर उपरिपुल का निर्माण

4822. श्री राम निहोर राय : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में चुनार स्टेशन पर एक उपरिपुल बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मिट्टी के तेल की कमी

4823. श्री जर्नादन मिश्र :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन आवेसी :

श्री एम.वी.वी. एस. मूर्ति :

श्री डी.वेंकटेश्वर राव :

श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्नों और मिट्टी के तेल के कोटे को हाल ही में कम कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कोटे की पुनर्बहाली हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा क्या कदम उठाए जाएंगे ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) केंद्रीय सरकार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए नियत वस्तुओं, जिसमें खाद्यान्न तथा मिट्टी का तेल शामिल है, का थोक में आबंटन करती है। जिलों तथा अलग-अलग उचित दर की दुकानों को आगे उप आबंटन करने का कार्य राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के क्षेत्राधिकार में आता है। केंद्रीय सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किए जा रहे खाद्यान्न तथा मिट्टी के तेल के सामान्य आबंटनों में कमी नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मुबंई में रेल दुर्घटना

4824. श्री मोहन रावले : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 13 अक्तूबर, 1993 को मुंबई उप-नगरीय सेक्शन पर विशेष महिला रेलगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने के संबंध में रेलवे सुरक्षा आयुक्त द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) मध्य सर्किल के रेल संरक्षा आयुकत, ने पश्चिम रेलवे पर 13.10.93 को 635 डाउन चर्चगेट-विरार महिला विशेष गाड़ी के साथ हुई असामान्य घटना की जांच की थी जिसमें कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा फैलाई गई गलतफहमी और भगदड़ के कारण कुछ महिला दैनिक यात्री कतिपय सवारी डिब्बों से बाहर कूद गईं और कुचली गईं । रेल संरक्षा आयुक्त ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में इस घटना के लिए किसी रेल कर्मचारी को उत्तरदायी नहीं ठहराया है। बहरहाल, जांच के दौरान, रेल संरक्षा आयुक्त ने पश्चिम रेलवे पर कतिपय स्थानिक बातों के संबंध में कुछ सिफारिशें की हैं। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) महिला विशेष गाड़ियों में साथ चलने के लिए महिला कांस्टेबल तैनात करना;

(ii) असामाजिक तत्वों से चोरी परिहार के लिए बिजली संबंधी सभी फिटिंगों पर सुरक्षात्मक जाली लगाई जाए,

(iii) सवारी डिब्बों की छतों का रिसाव बंद करना;

(iv) महिला विशेष गाड़ियों में खोमचे वालों के प्रवेश पर रोक;

(v) सवारी डिब्बों में त्वरित आपात प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराना;

(vi) अलार्म चेन यंत्र में सुधार करना;

(vii) आग रोकने संबंधी उपायों को पूरा करना;

(viii) दुर्घटना स्थलों पर रेल कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार रोकने के लिए उनके प्रति लोगों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए समाचार पत्रों और अन्य प्रचार माध्यमों द्वारा व्यापक प्रचार ; और

(ix) महिला विशेष गाड़ियों को चालू रखने की वांछनीयता का सर्वेक्षण।

(ख) रेल प्रशासन ने इन सिफारिशों पर समुचित अनुवर्ती कार्रवाई की है।

इन्दिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम

4825. प्रो. के.वी. थामस : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन में इन्दिरा गान्धी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के निर्माण पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सहायता दी जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इस स्टेडियम की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) इस स्टेडियम का निर्माण कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) कोचीन में इंदिरा गांधी अंतराष्ट्रीय स्टेडियम के निर्माण हेतु सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि केरल सरकार ने कोचीन में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के निर्माण हेतु ग्रेटर कोचीन विकास प्राधिकरण का एक प्रस्ताव भेजा है। जिसकी अनुमानित लागत 72.27 करोड़ रुपये है।

(ख) परियोजना के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता का आवेदन विचाराधीन है।

(ग) राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक ऐसे स्टेडियम के निर्माण करने का विचार कर रही है जिसमें फुटबाल, क्रिकेट और एथलेटिक प्रतियोगिताएं आयोजित करने की सुविधा हो और 50,000 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था हो।

(घ) जैसा कि राज्य सरकार ने सूचित किया है निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और 1995 तक पूरा किये जाने की संभावना है।

रेल गाड़ियों का विलम्ब से चलना

4826. श्री हाराधान राय : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसनसोल एक्सप्रेस, कोलफील्ड एक्सप्रेस तथा ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस प्रायः विलम्ब से चल रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इन रेलगाड़ियों को सही समय पर चलाने के लिये तथा इनका धावन समय कम करने के लिये कोई कदम उठाये जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के.जाफ़र शरीफ़) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) पिछले तीन महीनों के दौरान इन गाड़ियों का समयपालन संतोषजनक रहा है। परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल, इन गाड़ियों की गति बढ़ाना व्यावहारिक नहीं है।

मेघालय में पर्यावरण और वानिकी परियोजनाएं

4827. श्री पीटर जी. मरबनिआंग : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेघालय सरकार ने केन्द्रीय सरकार को वित्तीय सहायता हेतु कई पर्यावरणीय और वन परियोजनाएं भेजी हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). भारत सरकार द्वारा मंजूर मेघालय की पर्यावरण और वानिकी परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	मुख्य उद्देश्य	भारत सरकार द्वारा निधीयन की मात्रा	स्थिति	रिलीज की गई राशि
1.	औषधीय पौधों सहित लघु वन उपज	औषधीय पौधों सहित लघु वन उपज लगाना	100 प्रतिशत	जारी रहेगी	111.37
2.	राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास	100 प्रतिशत	जारी रहेगी	19.81

3.	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के चारों ओर पारिविकास	राष्ट्रीय उद्यानों के हिस्सों में रहने वाले समुदायों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना	100 प्रतिशत अनावर्ती 50 प्रतिशत आवर्ती	जारी रहेगी	6.54
4.	हाथी परियोजना	लम्बे समय तक हाथियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करना	100 प्रतिशत अनावर्ती 50 प्रतिशत आवर्ती	जारी रहेगी	288.60
5.	नोकरेक जीवमंडल रिजर्व	नोकरेक जीवमंडल रिजर्व के लिए प्रबंध कार्ययोजना का कार्यान्वयन	100 प्रतिशत	जारी रहेगी	3.79

भेड़ों, बकरियों और खरगोशों का विकास

4828. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भेड़ों, बकरियों और खरगोशों के विकास के लिए पुनर्गठित केन्द्रीय सलाहकार समिति की संरचना का ब्यौरा क्या है ;

(ख) समिति को क्या-क्या कार्य सौंपे गए हैं ;

(ग) क्या सरकार को समिति के पूनर्गठन के पश्चात् इससे कोई सुझाव प्राप्त हुआ है; और

(घ) इस पर कितनी धनराशि खर्च हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) भेड़, बकरी तथा खरगोश विकास की पुनर्गठित केन्द्रीय सलाहकार समिति के गठन संबंधी विवरण संलगन है।

(ख) इस समिति के कार्य इस प्रकार हैं : -

1. भेड़, बकरी तथा खरगोश से संबंधित विभिन्न विकास कार्यक्रमों के बारे में केन्द्र सरकार को सलाह देना।
2. भेड़, बकरी तथा खरगोश से संबंधित चालू अनुसंधान तथा विकास कार्यकलापों की समीक्षा करना और इन कार्यकलापों के सुधार के लिए उपाय सुझाना।
3. ऊन का कोटि निर्धारण तथा प्रसंस्करण और उसके उपयोग से संबंधित मामलों पर विचार करना।
4. भेड़, बकरी तथा खरगोश और उनसे उत्पादित माल के विपणन की समस्याओं पर विचार करना।

5. भेड़, बकरी तथा खरगोश और उनसे उत्पादित माल के आयात/निर्यात से संबंधित नीतियों पर विचार करना।

(ग) जी नहीं।

(घ) इस पर कोई व्यय नहीं हुआ है।

विवरण

भेड़, बकरी तथा खरगोश विकास हेतु केन्द्रीय सलाहकार समिति की संरचना

1. डा. बलराम जाखड़ — अध्यक्ष
   कृषि मंत्री
2. श्री अरविन्द नेताम — उपाध्यक्ष
   राज्य मंत्री (कृषि और सहकारिता)
3. सदस्य : संसद के प्रतिनिधि
   3. श्री के.डी. सुल्तानपुरी,
      संसद सदस्य (लोक सभा)
   4. श्री राम नरेश सिंह
      संसद सदस्य (लोक सभा)
   5. श्री गुण्डप्पा कोरवाड़
      संसद सदस्य (राज्य सभा)

   केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि

   6. सचिव, पशु पालन और डेरी विभाग
   7. सचिव, कपड़ा मंत्रालय,
   8. सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय
   9. पर्यावरण और वन मंत्रालय का प्रतिनिधि
   10. पशु पालन आयुक्त, पशु पालन और डेरी विभाग।
   11. संयुक्त सचिव, (पशु पालन)
   12. योजना आयोग का प्रतिनिधि
   13. सचिव, ऊन बोर्ड (कपड़ा मंत्रालय), जोधपुर।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रतिनिधि

14. उप महा-निदेशक (पशु विज्ञान)

15. निदेशक, केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर।

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

(क) निदेशक, पशु पालन/भेड़

16. जम्मू तथा कश्मीर

17. उत्तर प्रदेश

18. हिमाचल प्रदेश

19. मध्य प्रदेश

20. हरियाणा

21. राजस्थान

22. कर्नाटक

23. तमिलनाडु

(ख) प्रबंध निदेशक, राज्य भेड़ तथा ऊन बोर्ड/निगम

24. गुजरात

25. महाराष्ट्र

26. **खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का एक प्रतिनिधि**

27. **अखिल भारतीय हथकरघा तथा दस्तकारी बोर्ड का एक प्रतिनिधि**

व्यापार प्रतिनिधि

28. भारतीय ऊन मिल परिसंघ का एक प्रतिनिधि

29. अखिल भारतीय ऊन व्यापार परिसंघ का एक प्रतिनिधि

30. **मांस निर्यातकों का एक प्रतिनिधि**

भेड़, बकरी तथा खरगोश प्रजनकों के हितों का **प्रतिनिधित्व करने वाले गैर सरकारी सदस्य**

31. श्री बृजेन्द्र सिंह,

7-ए, मानसरोवर, मेरठ (उत्तर प्रदेश)

32. श्री राम स्वरूप मुकुल,
सिविल लाइन्स, टोंक (राजस्थान)

33. श्री रामदेव सिंह बिरारनिया,
सुरेन्द्र भवन, पलसाणा,
जिला सीकर (राजस्थान)

34. श्री देव राज सिंह नेगी,
ग्राम तथा डाकखाना - काल्पा
जिला किन्नौर (हिमाचल प्रदेश)

35. श्री जगदेव पण्डा,
अध्यक्ष,
उड़ीसा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड,
क्वार्टर संख्या - 3
आर-21, भुवनेश्वर।

4. सदस्य सचिव : संयुक्त आयुक्त (भेड़), पशु पालन और डेरी विभाग, नई दिल्ली।

पुनैया समिति

4829. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुनैया समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचनानुसार आयोग ने, पुनैया समिति की रिपोर्ट पर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक में विचार-विमर्श करने के अतिरिक्त 2 फरवरी, 1994 को आयोजित आयोग की बैठक में भी विचार विमर्श किया था। विश्व अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि समिति की रिपोर्ट उनके विचारों के साथ केन्द्रीय राज्य व समविश्वविद्यालयों के कुलपतियों तथा राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को उनके विचार हेतु तथा संगत सिफारिशों को अपनाने के लिए भेज दी गई है। सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सिफारिशों के संदर्भ में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। सरकार को आयोग से उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त होते ही इन सिफारिशों पर विचार करेगी।

6,000 अश्व शक्ति क्षमता वाले विद्युत इंजनों की खरीद

4830. **श्री सुधीर गिरि :**

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने 6,000 अश्व शक्ति क्षमता वाले वातानुकूलित रेल इंजनों की खरीद और आयात हेतु विश्वव्यापी निविदाएं आमंत्रित की हैं ;

(ख) यदि हां, तो चितरंजन लोकामोटिव वर्क्स के पास विश्व की अधिकतम निर्माण सुविधाएं होने, विशेष रूप से रेलवे को उपकरण तथा फालतू पुर्जों के निर्माण हेतु ए.बी.बी. प्रौद्योगिकी प्राप्त होने के बावजूद इस आयात का क्या औचित्य है ;

(ग) क्या रेलवे का विचार इस आयात पर पुनर्विचार करने और इन इंजनों का निर्माण चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में ही कराने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

''वानिकी परियोजना''

4831. **श्री अन्ना जोशी :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार विश्व बैंक की सहायता से वानिकी परियोजना शुरू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या विश्व बैंक ने राज्य में वानिकी योजना को स्वीकृति दे दी थी;

(घ) इससे जनजातीय एवं अन्य पिछड़े लोगों सहित कितने लोग लाभान्वित होंगे; और

(ङ) यह परियोजना कब से आरंभ हो रही है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ङ). विश्व बैंक से सहायता प्राप्त महाराष्ट्र वानिकी परियोजना वर्ष 1992-93 से कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना की कुल लागत 431 करोड़ रुपये है तथा यह सम्पूर्ण महाराष्ट्र राज्य में चलाई जा रही है। परियोजना की अवधि 6 वर्ष है और इसके उद्देश्यों में पर्यावरण के गिरते स्तर को रोकना, वन भूमि की उत्पादकता में वृद्धि करना, जैव-विविधता संरक्षण में सुधार लाना, बंजर भूमि का विकास करना, बायोमास में अधिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ग्रामीण आय मुहैया कराना तथा सामुदायिक सहभागिता में वृद्धि करके ग्रामीण क्षेत्रों में लाभों की साम्य-वितरण व्यवस्था में सुधार लाना है।

इस परियोजना के अन्तर्गत लगभग 8 लाख परिवार, जिनमें वनवासी, आदिवासी तथा छोटे किसान शामिल हैं, परियोजना के कार्यकलापों से लाभान्वित होंगे। परियोजना के अन्तर्गत 8 करोड़ श्रम-दिवस के करीब रोजगार पैदा होने की आशा है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में खेल परिसर

4833. श्री गया प्रसाद कोरी : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में गोमतीनगर, लखनऊ में राज्य स्तरीय खेल परिसर का निर्माण कार्य 1991-92 में शुरू किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सहायता देने हेतु सहमत हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो अनुमानतः कितनी राशि प्रदान की जाएगी और यह राशि राज्य को कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क)जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) केन्द्र सरकार 5.27 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से राज्य स्तरीय खेल परिसर के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को 2 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता देने पर सहमत हो गई है। 1993-94 के दौरान 70 लाख रुपये की राशि पहले ही दी जा चुकी है। शेष राशि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुमानित लागत का 50 प्रतिशत तक का खर्च दिखाते हुए प्रगति रिपोर्ट/उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद जारी की जाएगी।

[अनुवाद]

पनवेल और करजात को रेल लाइन से जोड़ना

4834. श्री राम कापसे : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायगढ़ में पनवेल और करजात को रेल लाइन से जोड़ने के संबंध में कोई प्रारम्भिक सर्वेक्षण कराया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इन स्थानों को रेल लाइन से कब तक जोड़ा जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी हाँ।

(ख) सर्वेक्षण से पता चला है कि इस 28 कि.मी. लम्बी लाइन पर 85.33 करोड़ रुपये की लागत आयेगी और इससे प्राप्त होने वाले प्रतिफल की दर 4.18% होगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

रेल कर्मचारियों के लिए समान संवर्ग

4835. प्रो. एम. कामसन : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार टंडन समिति की सिफारिशों के अनुसार, जनवरी, 1995 से रेलवे कर्मचारियों के लिए एक समान संवर्ग बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस तरह का कदम उठाने का आधार क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) और (ख) प्रकाश टंडन समिति ने केवल अधिकारियों के लिए ही एकीकृत प्रबंधन संवर्ग के सृजन की सिफारिश की है, सभी रेलवे कर्मचारियों के लिए नहीं। यह सिफारिश मुख्यत: कार्य के स्वरूप में ग्राहकों के प्रति अधिक जबाबदेही लाने के लिए की गई है। इस सिफारिश को सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया गया है और इस प्रयोजन के लिए गठित समिति द्वारा इसके कार्यान्वयन के लिए तौर तरीके/प्रक्रियाएं तैयार की जा रही हैं।

गन्ने का मूल्य

4836. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 1993-94 के दौरान गन्ने के मूल्य में केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य के अतिरिक्त वृद्धि करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने अपनी स्वीकृति दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) कितने और राज्यों ने गन्ने के मूल्य में वृद्धि की है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार केवल गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है। तथापि, राज्य सरकारों की सलाह पर किसानों को गन्ने का मूल्य अदा किया जाता है। इस संबंध में राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, आंध्र प्रदेश में 1993-94 मौसम के लिए गन्ने का राज्य द्वारा सुझाया गया मूल्य 8.5 प्रतिशत की मूल रिकवरी पर 40 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है जबकि केन्द्रीय सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य 8.5 प्रतिशत की मूल रिकवरी पर 34.50 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित किया गया है।

(घ) चूंकि सांविधिक न्यूनतम मूल्य गन्ने का आधार मूल्य है जिससे कम मूल्य कोई भी चीनी फैक्ट्री अदा नहीं कर सकती है। इसलिए राज्य द्वारा सुझाए गए मूल्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना होता है कि किसानों को अदा किया जाने वाला गन्ने का अंतिम मूल्य सांविधिक न्यूनतम मूल्य से कम न हो।

बजट होटल

4837. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने पर्यटकों की सुविधा हेतु अपनी भूमि पर बजट होटल स्थापित करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिया जायेगा ;

(ग) क्या सरकार ने इन उद्यमों में गैर-सरकारी क्षेत्र को भी आमंत्रित करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) स्थानों की पहचान कर ली गई है। परियोजना वैचारिक स्तर पर है। योजना के विकास में निजी क्षेत्र के उद्यमियों की सहभागिता की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

[हिन्दी]

पटना में क्षेत्रीय मुख्यालय

4838. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार चार रेलवे जोनों का कार्यक्षेत्र है ;

(ख) क्या सरकार पटना (बिहार) में रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय खोलने पर विचार कर रही है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) इस समय जोनों के सृजन/पुनर्गठन से संबंधित मामले का अध्ययन और जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

तकनीकी सहयोग

4839. श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और उक्रेनियम एकेडमी ऑफ साइन्सेज ने एक समझौता ज्ञापन के जरिये आपसी सहयोग समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी शर्तें क्या हैं ; और

(ग) ऐसे सहयोग से क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) समझौता ज्ञापन का ब्यौरा संलग्न विवरण में है जिसमें ऐसे सहयोग के माध्यम से प्राप्त होने वाले उद्देश्य दिए गए हैं।

विवरण

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और उक्रेनियन अकादमी ऑफ साइन्सेज, कीव उक्रेन के बीच नई दिल्ली में 8 अप्रैल, 1994 को हुआ समझौता ज्ञापन

संस्कृति, कला, शिक्षा पर्यटन, खेलों और जन-प्रचार माध्यम के क्षेत्र में सहयोग के सम्बंध में भारत गणराज्य की सरकार और उक्रेन सरकार के बीच नई दिल्ली में 27 मार्च, 1992 को हस्ताक्षरित करार के अनुसरण में भारत की ओर से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् और उक्रेन की ओर से उक्रेनियन अकादमी ऑफ साइंसेज़ ने निम्नलिखित के बारे में एक पारस्परिक समझौता किया :

अनुच्छेद I

अपने-अपने देश में तकनीकी शिक्षा के समेकित विकास के लिए अपनी संस्थाओं के बीच सहयोग प्रोत्साहित तथा विकसित करना ("तकनीकी शिक्षा" से इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, नगर आयोजना प्रबंध, फार्मेसी और प्रयुक्त कलाओं तथा शिल्पों और सम्बंधित क्षेत्रों से अभिप्रेत है।)

अनुच्छेद II

इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दोनों पक्ष निम्नलिखित में सहयोग और सहायता करेंगे :

क. अपने-अपने देश में तकनीकी शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त सर्वेक्षण करना, सभी सम्बन्धित मामलों के सम्बंध में आंकड़े एकत्र करना, और तकनीकी शिक्षा में आवश्यक प्रगति तथा विकास का पूर्वानुमान लगाना ;

ख. अपने-अपने देश में तकनीकी शिक्षा में पूर्ण सुधार के लिए और साथ ही तकनीकी तथा सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से स्थापित तथा नई प्रौद्योगिकियों में नवाधारों, अनुसंधान और विकास, नई प्रौद्योगिकियों के विकास, अभिग्रहण और रूपान्तरण को संयुक्त रूप से बढ़ावा देना ; और

ग. तकनकी शिक्षा प्रणाली को अनुसंधान तथा विकास संगठन, उद्योग और समुदाय के साथ प्रभावी रूप से जोड़ने के लिए संयुक्त रूप से उपयुक्त प्रणाली एवं योजनायें बनाना ।

अनुच्छेद III

अनुच्छेद II में उल्लिखित कार्यों में सहयोग और सहायता इस प्रकार दी जाएगी :

1. अध्यापकों/वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों को विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त रूप से कार्य करने हेतु आदान-प्रदान करना ;
2. समय-समय पर संबंधित साहित्य का आदान-प्रदान;
3. उपयुक्त कार्यक्रमों के बनाने हेतु कार्यशालाओं, गोष्ठियों तथा संगोष्ठियों का आयोजन करना ;
4. अध्यापकों को अद्यतन शिक्षा प्रदान करना;
5. आपसी सहमति से किसी भी प्रकार की अन्य सहायता प्रदान करना।

अनुच्छेद IV

समझौता ज्ञापन के आरंभ में उल्लिखित संबंधित द्विपक्षीय समझौते में दिए गए मानदंडों को दोनों पक्ष सामान्यतः पालन करेंगे।

8 अप्रैल, 1994 को नई दिल्ली में अंग्रेजी भाषा में दो मूल प्रतियों पर हस्ताक्षर :

प्रोफेसर एस.के. खन्ना	शिक्षाविद बी.यी. पेटन
चेयरमैन	प्रैसीडैंट
अखिल भारतीय तकनीकी	युक्रेनियन एकैडमी
शिक्षा परिषद	ऑफ साईंसिस,
नई दिल्ली, भारत	कीव, युक्रेन

[हिन्दी]

सोनान्दी अभ्यारण्य में अवैध शिकार

4840. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवनचन्द्र खण्डूरी : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन्य जीव विभाग ने 1992-93 के दौरान कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से लगे हुए सोनान्दी वन्यजीव अभयारण्य में हेलीकॉप्टर से चोरी से शिकार करने का मामला दर्ज किया था ;

(ख) क्या कुछ दोषियों को निचली अदालतों ने दोषमुक्त किया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस निर्णय के विरुद्ध अपील दायर की है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ऐसे चार मामलों में उच्चतम न्यायालय ने निचली अदालतों के निर्णयों की निन्दा की है ; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा अपील दायर करने का क्या औचित्य है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग). जी, हां।

(घ) मुख्य न्यायाधीश, पौड़ी गढ़वाल के दिनांक 12.1.94 के आदेश के खिलाफ आपराधिक दण्ड संहिता की धारा 397 के तहत संशोधन के लिए दिनांक 3.2.94 को जिला न्यायाधीश, पौड़ी गढ़वाल की अदालत में मामला दायर किया गया था। इस संशोधन को जिला न्यायाधीश द्वारा दिनांक 17.3.94 को खारिज कर दिया गया है।

(ङ) और (च) ऊपरी अदालत ने निचली अदालत के आदेशों को मान्य ठहराया है, इसलिए निन्दा करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में गैर-शिक्षण कर्मचारी

4841. डा. सुधीर राय : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन में गैर-शिक्षण कर्मचारियों के पदों में तदर्थ पदोन्नति संबंधी प्रावधानों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या तदर्थ पदोन्नति पाने वालों को पांच अथवा इससे अधिक वर्षों की निरन्तर सेवा के बाद वापस पहले के पद पर लौटाया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, संगठन द्वारा वैयक्तिक प्रशासन के सभी मामलों में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जाता है। अन्य बातों के साथ-साथ इन निर्देशों में यह व्यवस्था है कि अधिकारी के रिकार्डो की चयन प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त जांच करने के पश्चात् प्रोन्नति द्वारा तदर्थ नियुक्तियां की जाये। यदि भर्ती नियम में निरर्धारणानुसार कोई पात्र अधिकारी ना हो तो सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक छूट ली जाये और इस संबंध में दिशा-निर्देशानुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के दावों पर विचार किया जाये। इन निर्देशों में आगे यह व्यवस्था है कि तदर्थ नियुक्तियों को शीघ्र ही नियमित पदाधिकारी के आने पर हटा दिया जाएगा।

मालाबार से रेलगाड़ियां

4842. श्री ए.वेंकटेश नायक :

श्री के. मुरलीधरन :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मालाबार से मद्रास, त्रिवेन्द्रम और कर्नाटक तक चलने वाली वर्तमान रेलगाड़ियां, रेल यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अपर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त स्टेशनों के बीच और अधिक गाड़ियां चलाने के लिये अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग) इन मार्गों पर और अधिक गाड़ियां चलाने के लिए कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। चूंकि प्राप्त यातायात की मांग को पूरा करने के लिए कुल मिलाकर मौजूदा गाड़ियां पर्याप्त समझी जाती हैं। अतः इस समय कोई अतिरिक्त गाड़ी चलाने का प्रस्ताव नहीं।

डीजल रेल इंजन

4843. डा. कार्तिकेश्वर पात्र : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीजल रेल इंजन हेतु ईंधन की खपत में किफायत करने संबंधी उपकरण का विकास देश में ही किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उपकरण के प्रयोग से तेल की खपत में कितनी बचत हुई है; और

(ग) इस उपकरण के प्रयोग से तेल की कितनी वार्षिक बचत की जा सकेगी ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हाँ।

(ख) ईंधन की खपत में लगभग 7.5 प्रतिशत की बचत हुई है।

(ग) इस स्तर पर उपयोग में प्रति वर्ष प्रति रेल इंजन के इस्तेमाल में लगभग 48,000 लीटर ईंधन की बचत होने की संभावना है।

विश्व क्रिकेट कप

4844. श्री गुरूदास कामत : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में 1996 विश्व क्रिकेट कप की मेजबानी करने का निर्णय लिया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) और (ख) पाकिस्तान - भारत - श्रीलंका संयुक्त प्रबंध समिति द्वारा विश्व क्रिकेट कप, 1996 के आयोजन का प्रस्ताव संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से सक्रिय विचाराधीन है।

[हिन्दी]

इन्डोर स्टेडियम

4845. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के बड़े शहरों में इन्डोर स्टेडियमों का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता का आग्रह किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कितनी सहायता मांगी गई है; और

(ग) 1993-94 के दौरान सरकार ने कितनी धनराशि मंजूर की ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) और (ख) 1992-93 के दौरान स्टेडियमों/बहुउद्देशीय हाल आदि को सहायता के लिए 32 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इनमें से 24 मामले अस्वीकार कर दिए गए हैं क्योंकि प्रस्ताव खेलों की बुनियादी सुविधाओं के निर्माण की योजना के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थे। शेष 8 प्रस्तावों की

अनुमानित लागत 154.904 लाख रुपये है।

(ग) 1993-94 के दौरान एक स्टेडियम के लिए 8.76 लाख रुपये की राशि सिद्धांत रुप में स्वीकृत की गई है।

सांडों का प्रजनन

4846. श्री ललित उरांव : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अच्छी नस्ल के सांडों, भैंसों और गायों के प्रजनन के लिए सांड-शालाओं और गौशालाओं की स्थापना करने की योजना लागू की है ;

(ख) यदि हां, तो ये शालाएं किन स्थानों पर स्थित हैं उसमें प्रतिवर्ष सांडों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु 1993-94 के दौरान राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां। 1993-94 के दौरान राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम नामक एक योजना प्रारंभ की गई।

(ख) निम्नलिखित फार्मों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है : -

1. पशु प्रजनन फार्म, थारा, जिला बनासकांठा, गुजरात ।
2. पशु प्रजनन फार्म, भुज, जिला कच्छ, गुजरात ।
3. पशु प्रजनन फार्म, माण्डवी, जिला सूरत, गुजरात ।
4. पशु प्रजनन फार्म, सईदपुर, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश ।
5. पशु प्रजनन फार्म, बाबूगढ़, उत्तर प्रदेश ।
6. पशु प्रजनन फार्म, हस्तिनापुर, उत्तर प्रदेश ।
7. राजकीय पशुधन फार्म, हिसार, हरियाणा ।

पहले के तीन फार्मों को कंकरेज नस्ल के सिद्ध सांडों के उत्पादन के लिए एक संयुक्त पशुयूथ परीक्षण कार्यक्रम के रूप मे लिया जाएगा। अंतिम चार फार्मों को हरियाणा नस्ल के सिद्ध सांडों के उत्पादन के लिए संयुक्त पशुयूथ परीक्षण कार्यक्रम के रूप में लिया जाएगा ।

(ग) विभिन्न राज्यों को प्रदत्त वित्तीय सहायता इस प्रकार है : -

उत्तर प्रदेश	33.00 लांख रुपये
गुजरात	188.00 लाख रुपये
हरियाणा	186.01 लाख रुपये

[अनुवाद]

रेलवे डिजाइन और मानक कार्यालय, लखनऊ

4847. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे डिजाइन और मानक कार्यालय, लखनऊ के पांच प्रौद्योगिकी मिशनों को तेज गति वाली यात्री और माल गाड़ियों के संचालन के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने, अच्छे स्तर के रख-रखाव और उत्पादकता बढ़ाने तथा विशेष रूप से लम्बी दूरी तक चलने वाली और अधिक क्षमता वाली गाड़ियों की परिसम्पत्तियों की विश्वसनीयता और उनके संचालन बढ़ाने में सफलता मिली है; और

(ख) यदि हां, तो इस शताब्दी के अंत तक रेलवे का कितना और अधिक यातायात संचालित करने का अनुमान है तथा इन मिशनों द्वारा किये गये अनुसंधान और विकास के परिणामस्वरूप विकसित प्रौद्योगिकियों से इन्हें यह क्षमता प्राप्त करने में कितनी मदद मिलेगी ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन में प्रौद्योगिकी विकसित करने का काम एक सतत प्रक्रिया है। रेलों की परिचालनिक क्षमताओं में सुधार और अनुरक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन द्वारा विभिन्न प्रौद्योगिकी मिशन चलाए जाते हैं। ऐसे नूतन विकास कार्यों में, अन्य कार्यों के अलावा, आधुनिक मालडिब्बों का अभिकल्प और विकास, यात्री और मालगाड़ी सेवाओं के लिए 5000 अश्व शक्ति वाले बिजली रेल इंजन और पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट स्लीपरों का अभिकल्प आदि शामिल हैं। विभिन्न प्रौद्योगिकी संबंधी विकास कार्यों से, जो किए जा चुके/किए जा रहे हैं, रेलों को इस शताब्दी के अंत तक 599-639 मिलियन टन प्रारंभिक माल यातायात (सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर पर निर्भर करते हुए) ढोने में सहायता मिलेगी।

मवेशियों और भैंसों का नस्ल-सुधार

4848. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चण्डीगढ़ में मवेशियों और भैंसों के नस्ल सुधार हेतु कोई योजना बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इस पर कितना खर्च आया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी नहीं, पशु तथा भैंस विकास के सम्बन्ध में केन्द्रीय अथवा केन्द्र प्रवर्तित कोई योजना संघ शासित क्षेत्र, चण्डीगढ़ में नहीं चल रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उपनगरीय रेल गाड़ियां

4849. श्री राम नाईक : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के वसाई-दीवा-मार्ग पर उपनगरीय गाड़ियां चलाने का कोई विचार है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस मार्ग पर ऐसी गाड़ियां नहीं चलाने के क्या कारण हैं ;

(ग) कब तक इन्हें चलाना शुरू किया जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) से (ग) 1994-95 के दौरान वसई रोड - डोम्बीविल खंड पर एक पुश पुल रेक (डी एम यू) चलाये जाने का प्रस्ताव है ।

रेल लाइन का विद्युतीकरण

4850. डा. के.वी.आर. चौधरी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम रेल-लाइन के विद्युतीरकरण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) यह परियोजना कब शुरू की गई थी यह कब तक पूरी हो जाएगी ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) प्रारंभिक कार्य प्रगति पर है। सिरोपरी उपस्कर कार्यों के लिए हाल ही में ठेके दिये गये हैं। क्षेत्र कार्य शीघ्र ही शुरू किये जाने की संभावना है।

(ख) इसे 1992-93 में स्वीकृत किया था। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार, इस कार्य को मार्च 98 तक पूरा कर लिये जाने की योजना है।

भोपाल और पटना के बीच सीधी गाड़ी

4851. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अन्य राज्यों की राजधानियों की तरह भोपाल को अभी तक पटना और जयपुर से किसी भी सीधी गाड़ी से नहीं जोड़ा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का भोपाल और पटना और भोपाल और जयपुर के बीच सीधी गाड़ियां कब तक चलाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) भोपाल सहित कुछ राज्यों की राजधानियां पटना और अथवा जयपुर से सीधी गाड़ियों से नहीं जुड़ी है।

(ख) भोपाल और पटना/जयपुर के बीच सीधी गाड़ी चलाने का फिलहाल, कोई प्रस्ताव नहीं है।

उपरि पुल का निर्माण

4852. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर-क्योंझर सड़क पर पानी-कोइली-क्योंझर ऊपरि सड़क पुल के निर्माण संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जाजपुर-क्योंझर रोड़ पर ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का कार्य समाप्ति पर है।

(ख) रेलवे का हिस्सा	109.92 लाख रुपये
राज्य सरकार का हिस्सा	119.77 लाख रुपये
कुल	229.69 लाख रुपये

(ग) रेलवे के हिस्से का कार्य जून, 1994 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

सुपर बाजार/केन्द्रीय भंडार की परिसम्पत्तियां

4853. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : -

(क) क्या सुपर बाजार में केन्द्रीय भंडार की तुलना में वस्तुओं की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) सुपर बाजार में इस कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(घ) सुपर बाजार और केन्द्रीय भंडार के कर्मचारियों से कमी की धनराशि को ब्याज सहित वसूल किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस राशि की भरपाई हेतु क्या कदम उठाए गये हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) सुपर बाजार में बड़े पैमाने पर कारबार होने, कर्मचारियों की बड़ी संख्या होने तथा खुदरा बिक्री केन्द्रों/ चलती-फिरती दुकानों आदि का बड़ा तंत्र होने के कारण अधिक कमियां होती हैं।

(ग) सुपर बाजार के प्रबंधकों द्वारा स्टाक की कमियों को कम करने के लिए सुपर बाजार में विभिन्न क्षेत्रों में कम्प्यूटरीकरण शुरू करने, अचानक स्टाक की गणना करने की प्रणाली आरम्भ करने, दोषी कर्मचारियों को निवारक दंड देने और स्टाक की अनुमत कमियों के मानदंड को कम करने जैसे कदम उठाए गए हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) दिल्ली शॉप्स एण्ड इस्टेब्लिशमेंट अधिनियम में कर्मचारियों से स्टाक की कमियों के लिए वसूल की जा सकने वाली राशि पर ब्याज लेने का कोई प्रावधान नहीं है।

[हिन्दी]

जाली जाति प्रमाणपत्र

4854. श्री आनन्द अहिरवार :

श्री मोहनसिंह (फिरोजपुर) :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई विद्यार्थियों ने जाली जाति प्रमाण पत्रों के आधार पर दिल्ली के विभिन्न विश्वविद्यालयों

में दाखिला लिया है ;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई जाँच करायी गई है अथवा करायी जायेगी ;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

प्राथमिक शिक्षा

4855. श्रीमती शीला गौतम :

श्रीमती भावना चिखलिया :

डा. मुमताज अंसारी :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस समय कौन-कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहायता दे रहे हैं ;

(ख) इनके द्वारा किस रूप में सहायता दी जा रही है ;

(ग) इस सहायता से कौन-कौन राज्य लाभान्वित हो रहे हैं ; और

(घ) ऐसी सहायता का हमारी प्राथमिक शिक्षा पर कुल मिलाकर क्या प्रभाव पड़ा है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग). बिहार शिक्षा परियोजना को यूनिसेफ द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जिससे 1991-96 की अवधि के लिए 360 करोड़ रुपये के परिव्यय का 50 प्रतिशत प्राप्त होने की आशा की जाती है। राजस्थान में लोक जुम्बिश परियोजना को वर्ष 1992-94 की अवधि के लिए स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से 9 करोड़ रुपये की सहायता मिली है और वर्ष 1993-94 से सात वर्षों की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा परियोजना को 633.36 करोड़ रुपये की विश्व बैंक की सहायता मिली है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए सहायता के तौर पर यूरोपीय समुदाय के साथ लगभग 585 करोड़ रुपये के एक वित्तीय करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यूरोपीय समुदाय से प्राप्त निधियों को मध्य प्रदेश के 19 जिलों में लगाने का लक्ष्य है। असम, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल राज्यों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व बैंक सहायता के लिए 23 जिलों का प्रस्ताव रखा गया है।

(घ) इन परियोजनाओं का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति को आगे बढ़ाना है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का लक्ष्य स्कीमों को थोड़ा-थोड़ा कार्यान्वत करने के बजाए संपूर्ण प्राथमिक शिक्षा का पुनर्गठन करना है। कार्यक्रम का लक्ष्य विशेष रूप से ऐसे जिलों के लिए है जहां संपूर्ण साक्षरता अभियान प्रारंभिक शिक्षा के लिए मांग पैदा करने में सफल हुए हैं।

कृषि क्षेत्र में वित्त पोषण के लिए नई विश्व बैंक योजना

4856. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने हाल ही में ''कृषि विकास परियोजना'' नामक नई योजना जिसमें कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र तथा उप-क्षेत्रों को शामिल किया जायेगा, के अन्तर्गत कृषि विकास के लिए वित्तीय सहायता देने संबंधी मानदंडों में परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस नई योजना का ब्यौरा क्या है और अन्य बातों के साथ इस योजना का उद्देश्य क्या है :

(ग) क्या पिछले वर्ष भारत की यात्रा पर आये विश्व बैंक के दल ने अलग-अलग राज्यों के अधिकारियों के साथ बातचीत की थी, जिनसे कृषि विकास परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के लिए योजनायें तैयार करने को कहा गया था ; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नई योजना के अन्तर्गत राज्यों की किन-किन परियोजनाओं का वित्त पोषण किया जायेगा और उनके लिए कितना परिव्यय निर्धारित किया गया है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं विश्व बैंक द्वारा वित्तीय सहायता देने संबंधी मानदण्डों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। और न हमको ऐसी सूचना मिली है।

(ख). प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तथा (घ) विश्व बैंक के दल ने परियोजना निरूपण के लिये राज्यों से सम्पर्क करने हेतु 1992-93 के दौरान कुछ राज्यों का दौरा किया था, जबकि फरवरी, 1994 में दल के दौरे से महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और हरियाणा में ए.डी.पी. निरूपण प्रक्रिया की शुरूआत हुई थी। इन परियोजनाओं के वित्तीय ब्यौरों की जानकारी उन पर अन्तिम तौर पर बातचीत कर लेने के पश्चात् ही मिलेगी।

[हिन्दी]

आंगनबाड़ी केन्द्र

+4857. श्री साईमन मरांडी : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के संथाल परगना और छोटा नागपुर कमिशनरियों में आंगनवाड़ी केन्द्रों के कार्यकरण की पुनरीक्षा करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है :

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) उक्त क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केन्द्रों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासव राजेश्वरी) : (क) से (घ) महिला एवं बाल विकास विभाग बिहार के सन्थाल परगना और छोटा नागपुर कमिश्नरियों में स्थित आंगनवाड़ी केन्द्रों सहित सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों की कार्य-प्रणाली की, परियोजनाओं से प्राप्त मासिक प्रगति रिपोर्टों तथा केन्द्रीय तकनीकी समिति से प्राप्त सूचना के आधार पर नियमित रूप से समीक्षा करता है। समीक्षा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं की स्थिति तथा स्कीम के अंतर्गत तथा परिकल्पित पूरक पोषाहार और स्कूल-पूर्व शिक्षा सहित सेवाएं प्रदान करने के संबंध में आंगनवाड़ी केन्द्रों का कार्य-निष्पादन शामिल है। 31.12.1993 की स्थिति के अनुसार, छोटा नागपुर और संथाल परगना मण्डलों में क्रमशः 79 और 39 परियोजनाएं स्वीकृत हैं। छोटा नागपुर मंडल में 2260 आंगनवाड़ी केन्द्रों में 2.24 लाख बच्चों तथा 0.36 लाख गर्भवती महिलाओं और शिशुवती माताओं को पूरक पोषाहार प्रदान किया जा रहा है। इसी प्रकार, संथाल परगना मण्डल में 2630 आंगनवाड़ी केन्द्रों में 2.28 लाख बच्चों तथा 0.34 लाख गर्भवती और शिशुवती माताओं को पूरक पोषाहार प्रदान किया जा रहा है। आंगनवाड़ी केन्द्रों की कार्य-प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से, बिहार राज्य सरकार से कहा गया है कि वे इस कार्यक्रम के अंतर्गत सेवाओं का विस्तार करने और उनके स्तर में सुधार लाने के लिए कारगर कार्रवाई करें।

दिल्ली से अलीगढ़ को ई.एम.यू. रेलगाड़ी

4858. श्रीमती शीला गौतम : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली से उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ तक के क्षेत्र के दैनिक यात्रियों की सुविधा के लिये ई.एम.यू. रेलगाड़ी चलाने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के जाफ़र शरीफ़) : (क) से (ग) दिल्ली/नई दिल्ली और अलीगढ़ के बीच ई एम यू गाड़ी चलाने का प्रस्ताव पहले ही विचाराधीन है और यथा व्यावहारिक और औचित्यपूर्ण कार्रवाई की जायेगी।

शिक्षा में सुधार

4859. श्री काशीराम राणा :

श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन करने और परीक्षाओं के गैस पेपर प्रकाशित करने पर प्रतिबंध लगाने के उपाय करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) केंद्रीय सरकार के शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन करने पर केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण नियमावली) के अंतर्गत पहले से ही रोक लगी हुई है। जहां तक राज्यों में शिक्षकों द्वारा ट्यूशन करने पर रोक लगाने का संबंध है, राज्य सरकारों को सलाह दी गई थी कि वे अपने शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन करने की प्रथा को नियंत्रित करने के लिए समुचित कदम उठाएं। कुछ राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों के शिक्षा अधिनियमों में भी ट्यूशनों पर रोक लगी हुई है।

यद्यपि गैस पेपरों के प्रकाशन पर रोक लगाने का प्रश्न राज्य/संघ शासित सरकारों के स्कूल शिक्षा विभागों की प्रशासनिक शक्तियों के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, फिर भी केन्द्रीय सरकार ने राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों और देश के स्कूल शिक्षा के विभिन्न बोर्डों से आग्रह किया था कि वे परीक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए कुछ कार्यात्मक उपाय अपनाएं और स्कूल सतत तथा व्यापक मूल्यांकन (सी.सी.ई.) की दिशा में कार्रवाई करें। यह अपेक्षा की जाती है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन (सी.सी.ई.) के धीरे-धीरे कार्यान्वयन से, बाह्य परीक्षा का प्रभुत्व और गैस पेपरों की मांग कम हो जाएगी।

दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कक्षा दस तथा कक्षा बारह के छात्रों के लिए पूर्व बोर्ड परीक्षाएं दिल्ली प्रशासन के स्कूलों द्वारा आयोजित की जा रही है। केंद्रीय विद्यालय संगठन से प्राप्त सूचना के अनुसार कक्षा दस तथा कक्षा बारह के अलावा जिसके लिए परीक्षाएं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाती हैं, सभी कक्षाओं के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रणाली केन्द्रीय विद्यालयों द्वारा अपना ली गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

चल टिकट परीक्षकों के विरुद्ध जांच

4860. श्री महेश कनोडिया :

श्री राम टहल चौधरी :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चैंकिंग अभियान के दौरान हाल ही में कुछ चल टिकट परीक्षकों को कदाचारों में लिप्त पाया गया ;

(ख) क्या जांच करने के बाद उन सभी चल टिकट परीक्षकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी थी ;

(ग) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कितने चल टिकट परीक्षक कदाचारों में लिप्त पाये गये और ऐसे कितने कर्मचारियों के विरुद्ध जांच करायी गयी और कितने कर्मचारियों को दंडित किया गया ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) जांच के पश्चात् उन सभी रेल कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी जिन्हें गलतियों

के लिए उत्तरदायी पाया गया; पिछले 3 वर्षों के दौरान, 2540 चल टिकट परीक्षकों के विरुद्ध कदाचार के प्रथम दृष्टतया मामले पाए गए थे। जांच के पश्चात्, 2369 के विरुद्ध "अनुशासन एवं अपील नियम" के अंतर्गत कार्रवाई शुरू की गई थी। अंतिम रूप से 1732 को दण्डित किया गया था।

कर्नाटक में वन्य जन्तु संरक्षण

4861. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने कर्नाटक को वन्य जन्तु संरक्षण हेतु कितनी धनराशि के अनुदान स्वीकृत किये हैं ; और

(ख) 1993-94 के दौरान, योजना-वार, कितनी धनराशि वास्तव में दी गयी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). भारत सरकार ने 1993-94 के दौरान वन्यजीव संरक्षण के लिए कर्नाटक राज्य को 232.38 लाख रुपए की धनराशि मंजूर की और उपर्युक्त वर्ष के दौरान ही यह आबंटित कर दी गई थी। बंटित की गई धनराशि का स्कीमवार ब्यौरा निम्न प्रकार है : -

क्र.सं.	स्कीम का नाम	धन राशि (लाख रुपए में)
1.	राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य	114.545
2.	सुरक्षित क्षेत्रों के भीतर एवं बाहर पारि-विकास	44.265
3.	हाथी परियोजना	73.570

रेलगाड़ियों को रद्द किया जाना

4862. श्री शिवलाल नागजी भाई वेकारिया : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में **सौराष्ट्र क्षेत्र** में राजकोट और भावनगर रेल मंडलों से चलने वाली कई गाड़ियां बंद कर दी गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो रद्द किये जाने के कारणों सहित इन गाड़ियों के क्या नाम हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) प्रारम्भ में निम्नलिखित गाड़ियाँ पानी की कमी के कारण बंद की गयी थीं। बाद में इन गाड़ियों को उनकी लोकप्रियता की समीक्षा के आधार पर 1.7.93 से स्थायी रूप से रद्द कर दिया गया है : -

1.	277/278	सुरेन्द्र नगर - बोटाद पैसेंजर
2.	313/314	राजुला सिटी - राजुला जंक्शन पैसेंजर
3.	345/346	जेतलसर-जूनागढ़ फास्ट पैसेंजर
4.	109/110	रानुज-काडी मिश्रित
5.	249/250	कलोल-रंधेजा मिश्रित
6.	259/262	मेहसाणा-वीरमग्राम फास्ट पैसेंजर
7.	141/142	मेहसाणा-तरंगा हिल फास्ट पैसेंजर

|अनुवाद|

समझौता एक्सप्रेस

4863. डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

प्रो. प्रेम धूमल :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समझौता एक्सप्रेस पहले अमृतसर और लाहौर के बीच प्रतिदिन चलती थी परन्तु अब सप्ताह में केवल दो दिन चलती है ;

(ख) क्या इस गाड़ी से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में भारी कमी आयी है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) और (ख) जी हाँ।

(ग) संभवतः अंतर्राष्ट्रीय यातायात में समग्र गिरावट के कारण।

|अनुवाद|

भारतीय पशुपालन अनुसंधान संस्थान

4864. डा. असीम बाला : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कलकत्ता में भारतीय पशुपालन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कहां स्थापित किया जायेगा ;

(ग) उक्त केन्द्र की स्थापना करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) इसे कब तक स्थापित किया जायेगा ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केन्द्र 1969 में कलकत्ता में पहले ही खोला जा चुका है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

|हिन्दी|

दिल्ली से अहमदाबाद तक आमान परिवर्तन

4865. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली से अहमदाबाद तक मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने पर सरकार ने अब तक प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च की है ;

(ख) उसके पूरा होने तक कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है ; और

(ग) इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिये क्या प्रयास किये गये हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) 31.3.1994 तक 196.8 करोड़ रुपये (लगभग)

(ख) 700 करोड़ रुपये (लगभग)

(ग) अनुसूची के अनुसार कार्य प्रगति पर है।

[अनुवाद]

केरल की लंबित परियोजनाएं

4866. श्री थाइल जॉन अंजलोज :

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केरल से प्राप्त किन-किन परियोजनाओं को वन और पर्यावरण की दृष्टि से मंजूरी दी गई है ;

(ख) केरल की कौन-कौन सी विकास परियोजनाएं अभी तक वन और पर्यावरण की दृष्टि से मंजूरी के लिए लंबित हैं ;

(ग) ये परियोजनाएं कब से लंबित हैं और इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इन परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल से प्राप्त उन परियोजनाओं के नाम विवरण-I में दिए गए हैं जिन्हें वन और पर्यावरणीय दृष्टि से मंजूरी दी गई है।

(ख). से (घ) केरल की उन विभिन्न परियोजनाओं के नाम जो पर्यावरण और वानिकी मंजूरी के लिए लंबित हैं, किस तारीख से वे लंबित हैं तथा लंबित रहने के कारण और इन परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा विवरण - II में दिया गया है।

विवरण - I

क्र.सं.	गत तीन वर्षों के दौरान मंजूर की गई परियोजनाओं के नाम
	पर्यावरणीय दृष्टि से
1.	बूथनथाकेथू जल विद्युत परियोजना
2.	कयामकुलम थर्मल पावर स्टेशन, चरण-1, 2x210 मे.वा.
3.	कासरवोडे डीजल आधारित विद्युत स्टेशन 60 मे.वा.
4.	केरल के कन्नानौर जिले में भोपला खाड़ी में फिशिंग हार्बल का निर्माण
5.	केरल के क्विलिंडी जिले में मछली उतारने के केन्द्र का निर्माण

6. केरल के पूनानी नालापुरम जिले में फिशिंग हार्बर का निर्माण
7. केरल के अरथुंगल में मछली उतारने के केन्द्र का निर्माण
8. कोट्टूर-पोलांथाई, केरल में मछली उतारने के केन्द्र का निर्माण
9. चम्बोल, केरल में फिशिंग हार्बर का निर्माण
10. थट्टापलाई, केरल में ब्रेक वाटर-बर्थिंग और लैंडिग सुविधाओं का निर्माण
11. मालपे फिशिंग हार्बर में मछली उतारने की सुविधाओं के द्वितीय चरण का निर्माण
12. केरल के पुन्नापरा में मछली उतारने के केन्द्र का निर्माण
13. एर्नाकुलम जहाज घाट का उत्तर दिशा की ओर 123.2 मीटर विस्तार
14. नौसेना अकादमी का निर्माण, इजिमाला (केरल)
15. कोचीन - बन्दरगाह (केरल) में कोचीन तेल टर्मिनल को जाने वाले टर्मिनलों को गहरा करना।
16. कोचीन रिफाइनरी लिमिटेड की क्षमता का विस्तार
17. हिन्दुस्तान न्यूजप्रिन्ट लिमिटेड का डिइंकिग संयंत्र
18. हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड का फिनोल संयंत्र
19. अम्बलपाड बनित व्यवसाय संगम को वन भूमि का दीर्घकालीन पट्टा
20. सिंचाई परियोजना के लिए छोटे और मझौले किसानों के लिए ग्रामीण विकास प्रायोजित स्कीम
21. रेलवे पुल को जाने वाले सम्पर्क मार्ग के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग की टेलीपाली में 0.0619 है. वन भूमि का उपयोग
22. कोथामंगलम प्रभाग के वन क्षेत्र से होकर तीन चरणों की एल.टी. लाइन
23. दूर संचार विभाग को बनियापुरा साइट वन भूमि पर पट्टे की अवधि बढ़ाना
24. पुलिस बेतार रिपीटर स्टेशन, नीसरा के निर्माण के लिए पुलिस विभाग वी एच एफ रिपीटर स्टेशन
25. चकरानी प्लान्टेशन चल्कुडी प्रभाग से जाने वाले मार्ग से होकर टेलीफोन कनेक्शन
26. कोथामंगलम प्रभाग, थोडुजा रेंज, वनियानी अम्बेडकर कालोनी ट्रान्समिशन लाइन
27. मलयाटूर वन प्रभाग के जरिए पट्टे की अवधि बढ़ाना
28. पोनमुडी, त्रिवेन्द्रम के पास पीरमकोट्टामाला में वन भूमि का उपयोग
29. मलयाटूर वन प्रभाग में भूमिगत केवल बिछाने के लिए वन भूमि का उपयोग।

विवरण – II

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लंबित रहने की तारीख	लंबित रहने के कारण और परियोजना को शीघ्र मंजूर करने के लिए उठाए गए कदम
	पर्यावरणीय दृष्टि से		
1.	कोचीन में फिशरी हार्बर स्टेज - 2 विकास	22.3.1993	परियोजना प्राधिकारियों से मांगी गई अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है। पर्यावरणीय मूल्यांकन समिति को अगली बैठक में परियोजना पर विचार किया जा रहा है।
2.	अतिरिक्त बेंजीन सुविधाएं	23.7.1993	पर्यावरणीय मूल्यांकन समिति-1 द्वारा अनुमोदित अंतिम अनुमोदन की प्रतीक्षा है।
3.	मैसर्स हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड का 200 टी पी डी डिइंकिंग संयंत्र और 1,00,000 टी.पी.ए. तक मिल की क्षमता बढ़ाना	18.3.1994	पर्यावरणीय मूल्यांकन समिति-1 की 21.4.1994 को हुई बैठक में इस पर विचार किया गया। अतिरिक्त सूचना मांगी गई है और उसकी प्रतीक्षा है।
	वानिकी दृष्टि से		
4.	वायनाड जिले में बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए वन भूमि की अदला-बदली।	जनवरी, 1993	कार्यवाई की जा रही है।

केरल में मछली संसाधन

4867. श्री वी.एस. विजयराघवन : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में इस समय मात्स्यिकी के क्षेत्र के लिए कुल कितनी संभावना है ;

(ख) क्या राज्य में समुद्री तथा अन्तर्देशीय मछली संसाधन का भण्डार कम हो गया है ;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) राज्य में मछली संसाधनों में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) केरल में समुद्री क्षेत्र में मात्स्यिकी क्षमता इसकी 590 किमी. की तटवर्ती सीमा के साथ 40,000 वर्ग किमी. महाद्वीपीय क्षेत्र में निहित है। अन्तर्देशीय मात्स्यिकी क्षेत्र में क्षमता मुख्यतया नदियों के 3092 किमी. के फैलाव, जलाशयों के 30,000 हैक्टे. क्षेत्र, खारा जल के 243,000 हैक्टे. क्षेत्र तथा तालाबों व पोखरों के 3000 हैक्टे. क्षेत्र में निहित है।

(ख) इस आशय की कोई प्रामाणिक रिपोर्ट नहीं मिली है कि राज्य में समुद्री तथा अन्तर्देशीय मत्स्य संसाधनों के स्टाक में कमी आई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राज्य में मत्स्य संसाधन में वृद्धि करने के लिए शुरू की गई कुछ योजनायें निम्नलिखित हैं : -

(i) ताजा जल मत्स्य संवर्धन

(ii) समेकित खारा जल मत्स्य-फार्म विकास

(iii) समुद्री मत्स्यन विनियमन अधिनियम लागू करना ;

(iv) कृत्रिम शैल-भित्तियों की शुरूआत तथा समुद्र-फार्मिंग ।

[हिन्दी]

विद्युत इंजन

4868. श्री गुमान मल लोढ़ा : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी कंपनियों ने 6000 अश्वशक्ति के वातानुकूलित विद्युत इंजनों की सप्लाई के लिये प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या जर्मनी की सीमेन्स कम्पनी द्वारा उद्धृत मूल्य एशिया ब्राउन ब्रोवेरी द्वारा लिये जा रहे मूल्य से कम है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी पेशकश को ठुकराने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जी हाँ। मौजूदा बेड़े में वृद्धि करने और संसाधनों की तंगी को देखते हुए कुछ विदेशी कंपनियों से बजटीय प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे ताकि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के बिना किराया-खरीद आधार पर 6000 अश्व शक्ति वाले ए.सी. बिजली रेल इंजन प्राप्त करने की संभावना का पता लगाया जा सके। इसके प्रत्युत्तर में पाँच विदेशी कंपनियों से बजटीय प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) सभी कंपनियों से प्राप्त बजटीय प्रस्ताव उस उद्देश्य को पूरा नहीं करते हैं जिसके लिए ये प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे और इस संबंध में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

[अनुवाद]

कृषि क्षेत्र में ''प्लास्टिकल्चर'' का प्रयोग

4869. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु :

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

डा. रमेश चन्द्र तोमर :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कृषि क्षेत्र में ''प्लास्टिकल्चर'' के उपयोग को बढ़ावा देने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में प्लास्टिकल्चर के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आन्ध्र प्रदेश हेतु कोई अग्रगामी योजना बनाई गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने राज्य फार्मों, एस.ए.यू. तथा स्वैच्छिक एजेंसियों के फार्मों/सहकारी फार्मों में ड्रिप सिंचाई, ड्रिप निदर्शन, माल्चिंग, ग्रीन हाउस पैकिंग सामग्री आदि जैसे विभिन्न प्लास्टिकल्चर अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए कार्रवाई आरंभ की है। इसके अतिरिक्त कृषि में प्लास्टिक के प्रयोग के लिए भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई स्कीम के अंतर्गत राज्य कार्मिकों, नीति निर्माताओं तथा किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी शामिल किए गए हैं। इस प्रयोजन के लिए, कृषि में नितान्तः बागवानी फसलों के लिए, प्लास्टिक के प्रयोग की स्कीम के अंतर्गत, आठवीं योजना में 250 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है तथा इसके अतिरिक्त तिलहन और दलहन प्रौद्योगिकी मिशन के पाम-ऑयल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 2.5 करोड़ मुहैया किए गए हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा, अपने कटाई पश्चात एकीकृत प्रबंध स्कीम के अंतर्गत प्लास्टिक क्रेटों के प्रयोग के प्रचार-प्रसार के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है । इन स्कीमों के अंतर्गत प्रणालियों/सामग्री की लागत को उनके व्यापक प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राजसहायता दी जाती है।

(ग) और (घ) सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार को ड्रिप सिंचाई, मल्चिंग और ग्रीन हाउस को बढ़ावा देने के लिए आठवीं योजना के दौरान 31.62 करोड़ रुपए आबंटित किए हैं।

''डे केयर सेंटर''

4870. श्री मुहीराम सैकिया :

प्रो. रासा सिंह रावत :

श्री चेतन पी.एस. चौहान :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1975 में शुरू किये गये शिशु सदनों/दिन में देखभाल करने वाले केन्द्रों की योजना के लाभ उनके मंत्रालय के स्वशासी निकायों के कर्मचारियों को मिलेंगे ;

(ख) यदि हां, तो इसकी ग्राह्यता/पात्रता की शर्तें क्या हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने भी सरकार से अपने कर्मचारियों को ये लाभ देने का अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासव राजेश्वरी) : (क) जी नहीं। शिशुगृह/दिवस देखभाल केन्द्र स्कीम का उद्देश्य निर्धन कामकाजी अथवा बीमार महिलाओं के बच्चों को लाभान्वित करना है। इस स्कीम से केवल उन्हीं बच्चों को लाभान्वित किया जाता है, जिनके माता-पिता की मासिक आय 1800/- रुपये से अधिक न हो। 1.4.91 से पूर्व माता-पिता दोनों की आय की अधिकतम सीमा 300/- रु. प्रतिमाह थी। 1.4.91 से इसे बढ़ाकर 1800/ रुपये प्रति माह कर दिया गया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विकास परियोजनाओं को मंजूरी

4871. श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान पर्यावरण और वन की दृष्टि से राज्यवार और 1993-94 के दौरान किन-किन विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : सरकार द्वारा पर्यावरणीय एवं वानिकी दृष्टि से मंजूर की गई विकास परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम
क.	**पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृत परियोजनाएं :**
1.	गोदावरी गैस आधारित परियोजना (200 मेगावाट)
2.	रायलसीमा टी.पी.एस. - चरण 2
3.	रामागुण्डम टी.पी.एस. - चरण 2
4.	कोठागुडेम टी.पी.एस. - चरण 5
5.	वेमागिरी गैस आधारित विद्युत परियोजना

6. जलमग्न आर्क भट्ठी और कैप्टिव विद्युत संयंत्र

7. मधारम डोलोमाइट खान - वी.एस.पी.

8. जग्गयापेट्टा चूनापत्थर खान

9. रविन्द्रा खानी न्यू टेक यू.जी. प्रोजेक्ट

10. विजाग से विजयवाड़ा तक पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन

अरुणाचल प्रदेश

11. खारसांग में गैस आधारित विद्युत परियोजना

बिहार

12. हिन्दगीर खुली खदान परियोजना, सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.

13. कथारा ओ.सी.पी., सी.सी.एल

14. कोडला धुलाई परियोजना, सी.सी.एल.

15. के.डी. ऐसालांग ओ.सी.पी., सी.सी.एल.

16. पिपरवार ओ.सी.पी. खान और वाशरी, सी.सी.एल.

17. सौंदा 'डी' ओ.सी.पी. और यू.जी., सी.सी.एल.

गोवा

18. मारगोवा पत्तन न्यास परिसर के भीतर जलयान मरम्मत यार्ड

गुजरात

19. हजीरा में नाइट्रोफास्फेट उर्वरक संयंत्र - कृभको

20. नालधारी में पोलियस्टर फिलामेंट यार्न संयंत्र - पैट्रोफिल्स

21. उकाई-काकरापाड़ा आधुनिकीकरण परियोजना।

22. बानकबोरी वेयर पर हाइड्रो प्लस फ्यूज गेटों की स्थापना।

हरियाणा

23. हिसार टी.पी.एस. 2x250 मेगावाट, हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड

हिमाचल प्रदेश

24. बासपा चरण - II - एच.ई.पी.

जम्मू और कश्मीर

25. पंथाल मेग्नेसाइट परियोजना - जे एण्ड के मिनरल्स लि.

कर्नाटक

26. जे.पी.ई.एम.ओ. द्वारा मंगलौर में सी.पी.पी. सहित समन्वित इस्पात संयंत्र

27. कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना का विस्तार - के.आई.ओ.सी.एल.

28. यशवन्तनगर लौह अयस्क खान - श्री कुमारस्वामी मिनरल एक्सपोर्ट्स

29. न्यू मंगलौर पत्तन में कच्चे पी.ओ.एल. उत्पादों की उठाई-घटाई के लिए पत्तन सुविधाएं

केरल

30. बूथाथनकेट्टू एच.ई.पी.

31. फेनोल संयंत्र - एच.ओ.सी.

32. नौसेना अकादमी, एझिमाला का निर्माण

33. कोचीन पत्तन में कोचीन तेल टर्मिनल की ओर जाने वाले चैनलों को गहरा करना।

मध्य प्रदेश

34. ग्वालियर के लिग्नाइट गैस पर आधारित विद्युत परियोजना

35. बारगी

36. ओंकारेश्वर

37. महेश्वर

38. बी.एस.पी.

39. विजयपुर में गैस आधारित खाद संयंत्र का विस्तार - एल.एफ.एल.

40. बीना में सेंट्रल इंडिया रिफाइनरी - बी.पी.सी.एल.

41. सिन्टर प्लांट - III, सी.पी.पी.-II, बिलेट ब्लूम काल्टर्स, - बी.एस.पी.-सेल

42. कारकाटी यू.जी. परियोजना - साउथ इस्टर्न कोल्फील्ड्स लि.

43. शीतलधारा यू.जी. परियोजना - एस.ई.सी.एल.

44. दिपका ओ.सी.पी. (विस्तार) परियोजना, एस.ई.सी.एल.

45. बॉक्साइट खनन परियोजना - बाल्को

महाराष्ट्र

46. मानिकगढ़ में कैप्टिव विद्युत संयंत्र - सी.सी.आई.

47. डाभोल गैस आधारित विद्युत परियोजना - डाभोल विद्युत कंपनी

48. ऊपरी वर्षा परियोजना

49. कारवा सिंचाई परियोजना

50. पुनन्द सिंचाई परियोजना

51. बम्बई टकसाल का आधुनिकीकरण

52. वर्धा में 4 मिलियन टन इस्पात संयंत्र लॉयड स्टील

53. रसायनी में हिन्दुस्तान जैव रसायन का विस्तार

54. तलवासा ओ.सी.पी. - वैस्टर्न कोलफील्ड लि.

55. बम्बई में नाट्य मंचन थियेटर का निर्माण - नेशनल सेंटर फार परमाफर्मिंग आर्ट्स

56. जे.एन. पत्तन न्यास में पहुंच/पुल सेवा बर्थ का निर्माण

57. जमशेदजी बन्दर से बम्बई के बन्दरगाह मार्गों को पार करने के लिए हॉवरक्राफ्ट फैरी सेवा

58. बी.पी.टी. में वैमल ट्रैफिक मैनजमेंट सिस्टम की स्थापना

59. भंडारपुले, गणपतिपुरी, रत्नागिरी में कृष्णाली का बीच रिसोर्ट प्रोजेक्ट

60. बान्द्रा लैण्ड्स एण्ड, बम्बई में होटल परियोजना

61. गेट-वे-आफ इंडिया, बम्बई में होवरक्राफ्ट सेवा के लिए एक रैम्प और प्लेटफार्म का निर्माण

62. कुफ परेड में टेलिफोन एक्सचेंज का निर्माण

63. कफ परेड में स्कूल भवन का निर्माण

उड़ीसा

64. उड़ीसा सैंड्स काम्पलेक्स, छत्रपुर में न्यू थोरियम प्लांट - आई.आर.ई. लि.

65. कास्टिक सोडा यूनिट का विस्तार-मोदी अल्कलीज एण्ड कैमिकल्स

66. सलादीपुरा खनन परियोजना - पी.पी.सी.एल.

तमिलनाडु

67. ई.आई.डी. पैरी लि. द्वारा कम्पाउंड उर्वरक का विस्तार

68. तूतीकोरिन पत्तन में बहुद्देशीय कार्गो बर्थ - नं० 7 का निर्माण

69. कलकत्ता से कन्याकुमारी को जोड़ने के लिए ईस्ट कोस्ट रोड़।

उत्तर प्रदेश

70. बीवर फीडर प्रोजेक्ट

पश्चिम बंगाल

71. चिनाकुरी ताप विद्युत परियोजना - दिशेरगढ़ विद्युत प्रदाय कम्पनी।

72. कलकत्ता टकसाल का आधुनिकीकरण।

73. जामबाद ओ.सी.पी. - ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.

74. बकरेश्वर परियोजना

75. पुरुलिया पम्पेड स्टोरेज स्कीम

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह

76. हेलपोंग जल विद्युत परियोजना।

77. इन्टरव्यू आइलैण्ड में प्रकाशयुकत बर्थ की स्थापना।

78. पोर्ट ब्लेयर में भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण के लिए फिशिंग गियर सेक्टर और वर्कशाप का निर्माण।

79. सेटेलाइट अर्थ-स्टेशन कैम्पस, फार निकोबार में 2 टाईम-1 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण।

80. विलसन आइलैण्ड में प्रकाशयुक्त बीकॉन का निर्माण

दिल्ली

81. तुगलकाबाद में इन्लैण्ड कन्टेनर डिपो का निर्माण

लक्षद्वीप

82. काडमथ द्वीप के प्रवेश स्थल पर कंट्रोल अंडर वाटर ब्लास्टिंग करने के लिए प्रस्ताव।

पांडीचेरी

83. कांगा चेटीकुलम में मछलियों को सुखाने के लिए प्लेट फार्म एवं नीलामी घर का निर्माण।

अन्य

84. वेस्टर्न आफशोर में एस-1 सैंड गैस फिल्ड काम्पलैक्स ओ.एन.जी.सी.

85. साउथ हीरा चरण - II - ओ.एन.जी.सी.

86. करनाल/भटिण्डा को एम.डी.ए.जे. हुक अप

87. कोंकण रेल परियोजना

ख. वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि के वनेतर प्रयोग के लिए भेजे गए प्रस्ताव

आन्ध्र प्रदेश

1. रायादुर्ग से चित्रदुर्ग तक रेल लाइन।

2. डी.बी.एम.-40 तिगलवानी डिस्ट्रीब्यूटरी के लिए वन भूमि का वनेतर प्रयोग

3. विकाराबाद - तन्दूर के बीच रेल लाइन।

अरुणाचल प्रदेश

4. टोवांग (मारशिंग - फुनडुंग सेक्टर) के लिए वैकल्पिक रास्ता

5. असम 400 कि.वाट डी/सी. रांगानदी - बालीपारा पारेषण लाइन।

6. काठालगुड़ी से कोठियाटोली तक 400 कि.वा. पारेषण लाइन।

7. नीपको द्वारा काठियाटोली से दीमापुर तक 200 कि.वा. पारेषण लाइन।

बिहार

8. तेनुघाट ताप विद्युत परियोजना

9. सी.सी.एल. लिमिटेड की राजमहल कोयला परियोजना।

10. लालपनिया बरगांव - चोरागना - जगेशर बरगांव सड़कों का निर्माण।

11. मैसर्स सी.सी.एफ. लि. का खनन उद्देश्य।

12. सी.सी.एल. की पारेज ईस्ट खुली खदान कोयला परियोजना।

13. दुर्गापुर से जमशेदपुर तक 400 कि.वाट पारेषण लाइन।

14. रमेश पी.वर्मा के पक्ष में तिरौंदों, कंकड़ों, पत्थरों, को बटोरना।

15. राय.बी.एम. शर्मा द्वारा तिरौंदों, कंकड़ों, पत्थरों का बटोरना।

गोवा

16. चापोली बहुद्देशीय सिंचाई परियोजना।

गुजरात

17. डाभोई तिलकवाड़ा हाई में मियागाम नर्मदा मुख्य नहर।

18. डूब क्षेत्र के लिए गोमा एम.आई.एस.।

19. एम.डी.सी. लि. को फ्लोरस्पर खनन पट्टे का नवीनीकरण।

हरियाणा

20. सिंचाई के लिए सिधमुख मोहन परियोजना।

हिमाचल प्रदेश

21. 200 कि.वा. डी/सी बैरासुलपोंग पारेषण लाइन।

22. बासपा जल विद्युत परियोजना, चरण-II

23. लारोट से दोदरा कोवर आर.ई.सी. स्कीम के लिए 22 कि.वा. एचटी लाइन

24. सीमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया को वन भूमि पट्टे पर देना।

25. गिरि से सोलन-सिरमौर तक 132 के.सी.।

26. सोलन से कुनिहा तक पारेषण लाइन के लिए .8075 है. वन भूमि का वनेतर-प्रयोग।

कर्नाटक

27. मैसर्स वीरभद्रप्पा संगप्पा एंड कम्पनी का खनन पट्टा।

28. लौह अयस्क खनन का नवीनीकरण।

29. सरावती टेल रेल जल विद्युत परियोजना का निर्माण।

मध्य प्रदेश

30. भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा लौह अयस्क का खनन।

31. चारगांव तालाब परियोजना।

32. खामडोगरी तालाब का निर्माण।

33. सिरकोर तालाब परियोजना।

34. तारागांव तालाब का निर्माण।

35. कोडली तालाब परियोजना।

36. गोन्डी तालाब परियोजना।

37. देवाईपाली तालाब का निर्माण।

38. उरीदगांव तालाब परियोजना।

39. 400 कि.वा. कोरबा भिलाई पारेषण लाइन।

40. बिलासपुर में दहीब्रहा परियोजना।

41. बरियापुर लेफ्ट बैंक नहर परियोजना।

42. बन्दकपुर सेमार खोह बहु-उद्देशीय सिंचाई परियोजना।

43. अपडेल से मिंघरानी तक 11 कि.वा. लाइन।

44. बी.एस.पी. द्वारा लौह अयस्क का खनन।

45. बी.एस.पी. द्वारा लोह अयस्क का खनन।

46. अल्लापुर बांध।

47. गुना-इटावा ब्रॉड गेज लाइन।

48. मांडला में बॉवली तालाब परियोजना।

49. रामनगर तालाब का निर्माण।

50. शीपुर से गूरात तक 33 के.वी. लाइन।

51. बी.एस. संयंत्र के लिए दुल्की और कलवार खनन परियोजना।

52. केलो सिंचाई परियोजना।

53. पिलपापानी तालाब परियोजना।

54. पिरडा तालाब परियोजना।

55. गारसान्टी तालाब परियोजना।

56. दारापुर तालाब परियोजना।

57. भीमवाटिका तालाब सिंचाई परियोजना।

58. रीवा और सिंधी जिलों में फाइरिंग रेंज।

59. सागर जिले में महुआ सिंचाई परियोजना।

60. भूमिगत खनन के लिए एस.ई.सी.।

61. मंधार तालाब परियोजना।

62. पारागढ़ तालाब का निर्माण।

63. मक्सुदनगढ़ सिंचाई परियोजना।

64. खण्डवा जिले में 400 के.वी. इटरसी-धुले पारेषण लाइन।

65. पाटपाड़ा तालाब परियोजना।

66. मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को जाने वाली 11 के.वी. पारेषण लाइन।

67. चिचोली से माबतपुर तक 33 के.वी. पारेषण लाइन।

68. सरगुजा में खोदरी सिंचाई।

69. अरयानाला पुल तक पहुंच सड़क।

70. नई खान खोलने के लिए डब्ल्यू.सी. एल. लि. को अधिकार।

71. अम्बित में बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना तालाब का निर्माण।

72. पिलान्ड्री बहुउद्देशीय सिंचाई तालाब का निर्माण।

73. सरदार सरोवर परियोजना का पुनर्वास।

74. खुम्भी सिंचाई परियोजना।

75. चित्री मध्यम सिंचाई परियोजना।

76. कानारी-गवाहीवाड़ी धंगावाड़ा सड़क का निर्माण।

77. जंगमहाटी मध्यम सिंचाई परियोजना।

78. कसारी मध्यम सिंचाई परियोजना।

79. वेदगंगा नदी पर पटगांव मध्यम सिंचाई परियोजना।

80. जाम नदी सिंचाई परियोजना।

81. निचली वुना परियोजना का निर्माण।

82. रावलगांव मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण।

83. धोनोली-नासिक पर लघु सिंचाई परियोजना का निर्माण।

84. हरनवर मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण।

85. पी.यू. में पाइप लाइन बिछाना एवं सर्विस सड़क का निर्माण।

86. पुणे में कोयना लोरीकन्द पारेषण लाइन बिछाना।

87. बायर विखाले भाडेल सड़क का निर्माण।

88. खनेन पट्टों का नवीनीकरण (64 खदान)

89. थाणे में विधे लघु सिंचाई का निर्माण।

90. उपरी वर्धा परियोजना।

91. डिचरौदी गांव में अरूणावती मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण।

92. अदान सिंचाई परियोजना।

93. डब्ल्यू.सी.एल. द्वारा बेलोरा खुली खदान खनन।

94. वाद्री में लघु सिंचाई तालाब का निर्माण।

95. गंगापुरी में लघु सिंचाई तालाब का निर्माण।

96. गुड सिंचाई परियोजना के लिए वन भूमि का वनेतर उपयोग।

97. भीकार नदी परियोजना।

98. मोर नदी परियोजना।

99. कनिहा में मेरी-गो-राउंड रेलवे लाइन का निर्माण।

100. क्योंझर में निरंजन पटनाक को खनन पट्टा देना।

101. तालचेर से राउरकेला तक 400 कि.वा. का निर्माण।

102. पोट्टेरू लघु जल-विद्युत परियोजना का निर्माण।

राजस्थान

103. संगोड-झालावाड़ में विद्युत लाइन।

तमिलनाडु

104. भारतीय सेना के लिए फाइरिंग रेंजों हेतु वनों को उपयोग में लाना।

त्रिपुरा

105. अम्बास में 71 बटालियन सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय की स्थापना।

106. गैस थर्मल प्लांट का निर्माण।

उत्तर प्रदेश

107. बसोलीखान-चमतोला जी.आई.सो. सम्पर्क मार्ग का निर्माण।

108. सागर - चनगांव चेलचिना मोटर मार्ग।

109. कठपुरिया चिना शेरघाट मोटर मार्ग।

110. खती - जटेश्वर मोटर मार्ग।

111. बोसी - दौलघाट-मोरुहिना मोटर मार्ग।

112. बैजरौ मोटर मार्ग का निर्माण।

113. थराली घाट मोटर मार्ग।

114. पालेथी - सरतोली मोटर मार्ग

115. घाट सुतोल-कन्नूल मोटर मार्ग का निर्माण।

116. सलूरधुंगा मोटर मार्ग।

117. फील्ड फाइरिंग रेंज।

118. भौवला तिलवाड़ी जगतपुर मोटर मार्ग।

119. चटियारा-खाबरा मोटर मार्ग।

120. कीर्तिनगर-डांगधारो मोटर मार्ग का निर्माण।

121. लखनऊ से उन्नाव के बीच 400 कि.वा. ट्रांसमिशन लाइन।

122. 400 कि.वा. डी.सी./अन्नपाड़ा वाराणसी ट्रांसमिशन लाइन।

123. हरदंग वांग में वन भूमि की अदला-बदली।

124. सी.बी. गंज बरेजी से अल्मोड़ा तक 220 के.वी. ट्रांसमिशन लाइन।

125. रामपुर से न्यू हल्दानी से पूर्वोत्तर को न्यू बी.जी. लाइन।

126. अनचली-जाखवाम ओनलघाट मोटर रोड।

पश्चिम बंगाल

127. खुमाई वन ग्राम की शिफ्टिंग।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

128. चिडीया-टापू में पत्थर खदान की स्थापना।

|अनुवाद|

ब्रह्मपुत्र मेल तथा नार्थ ईस्टर्न एक्सप्रेस में यात्री सुविधाएं

4872. श्री प्रवीन डेका : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रह्मपुत्र तथा नार्थ ईस्टर्न एक्सप्रेस के सवारी डिब्बों में पेयजल, विद्युत तथा सफाई जैसी यात्री सुख-सुविधाएं अपर्याप्त हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इन रेलगाड़ियों में आधारभूत सुख-सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) ब्रह्मपुत्र मेल और नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस गाड़ियों में पीने के पानी और बिजली की सुविधाओं और सफाई की पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

|हिन्दी|

शिक्षा पर व्यय

4873. श्री नवल किशोर राय : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में शिक्षा का प्रसार करने के लिए 464 करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं और मार्च, 1994 के अंत तक उसमें से कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी है ; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शेष धनराशि में से कितनी धनराशि प्रतिवर्ष खर्च करने का निर्णय लिया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा विभाग के केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना (एस.सी.पी.) तथा आदिवासी उप योजना (टी.एस.पी.) के लिए क्रमशः 471.67 करोड़ रुपए तथा 348.05 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं। विशेष संघटक योजना (एस.सी.पी.) के अंतर्गत 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 की वार्षिक योजनाओं में परिव्यय क्रमशः 62.64 करोड़ रुपये, 89.44 करोड़ रुपये तथा 102.09 करोड़ रुपये है तथा आदिवासी उप योजना (टी.एस.पी.) के अंतर्गत यह परिव्यय क्रमशः 44.53 करोड़ रुपये, 61.79 करोड़ रुपये तथा 73.60 करोड़ रुपये है।

चूंकि ये योजनाएं समाज के सभी वर्गों में शिक्षा के विकास के लिए हैं, इसलिए विशेष संघटक योजना (एस.सी.पी.) और आदिवासी उप योजना (टी.एस.पी.) के लिए व्यय आंकड़ा अलग-अलग तैयार नहीं किया जाता है।

[अनुवाद]

भुसावल-सूरत रेल लाइन का विद्युतीकरण

4874. डा. गुणवन्त रामभाऊ सरोदे : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुसावल-सूरत (ताप्ती सेक्शन) रेल लाइन का विद्युतीकरण किये जाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कार्य कब से शुरू हो जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की कमी और अन्य उच्च घनत्व वाले मार्गों के विद्युतीकरण के लिए सापेक्ष प्राथमिकता के कारण फिलहाल, जलगांव और उधना के बीच के खंड के विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है जो भुसावल-सूरत को जोड़ सकेगा (अर्थात् ताप्ती खंड)

[हिन्दी]

नई रेल लाइनें

4875. श्री जंगबीर सिंह : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष हरियाणा में दिल्ली-झज्जर-भिवाड़ी के बीच नई रेलवे लाइन बिछाने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मदर डेयरी बूथ

4876. डा. साक्षीजी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मदर डेरी की वर्तमान दुग्ध सप्लाई क्षमता कितनी है ;

(ख) दिल्ली में अभी तक मदर डेरी के कितने बूथ खोले गए हैं ;

(ग) भूतपूर्व सैनिकों और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कितने व्यक्तियों को बूथ आबंटित किए गए हैं ;

(घ) क्या सरकार का 1994-95 के दौरान मदर डेरी के और बूथ खोलने का विचार है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) मदर डेरी के पास प्रतिदिन 6,50,000 लीटर दूध के प्रसंस्करण की संस्थापित क्षमता है।

(ख) इस समय दिल्ली में, मदर डेरी के 385 बल्क मिल्क वेण्डिंग बूथ कार्य कर रहे हैं।

(ग) अपनी नीति के अनुसार बल्क मिल्क वेण्डिंग बूथ चलाने के लिए मदर डेरी केवल भूतपूर्व सैनिकों के साथ एक व्यापार समझौता करती है। इन भूतपूर्व सैनिकों के नाम पुनर्वास-महानिदेशालय (रक्षा मंत्रालय) द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं। भूतपूर्व सैनिकों के नाम भेजते समय पुनर्वास महानिदेशालय इस बात का कोई उल्लेख नहीं करता कि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का है या नहीं ।.

(घ) और (ङ) मदर डेरी, स्थानीय प्राधिकरणों से उपयुक्त स्थलों की उपलब्धता/आबंटन और विद्युत, जल सुविधा इत्यादि के अध्याधीन 1994-95 के अंत तक बल्क मिल्क वेण्डिंग बूथों की संख्या 450 तक बढ़ाने की योजना पर विचार कर रही है।

कृषि-व्यापार सहायता संघ

4877. श्रीमती भावना चिखलिया :

श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि व्यापार सहायता संघ किस तिथि को स्थापित किया गया था ;

(ख) इस पर कितनी धनराशि खर्च होने की सम्भावना है ;

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे किसानों के लिए कृषि व्यापार सहायता संघ द्वारा किस विधि से आय स्रोतों और रोजगार के अवसर पैदा किये जायेंगे ;

(घ) इस सहायता संघ से राज्यवार कितने व्यक्तियों को लाभ मिलने का अनुमान है ; और

(ङ) यह सहायता संघ कब से कार्य करना प्रारम्भ कर देगा ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) लघु कृषक कृषि व्यापार सहायता संघ की स्थापना 18 जनवरी, 1994 को सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक सोसायटी के रूप में हुई थी।

(ख) आठवीं योजना के तहत 1994-95 के लिये केवल 1.00 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है।

(ग) लघु कृषक व्यापार सहायता संघ द्वारा कृषि के वाणिज्यीकरण हेतु परियोजना एरक दृष्टिकोण अपनाये जाने का प्रस्ताव है जिससे कि कृषकों के लिए और अधिक रोजगार तथा आय का सृजन किया जा सके।

(घ) अभी इस स्तर पर यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि इससे कितने किसान लाभान्वित होंगे।

(ङ) लघु कृषक कृषि व्यापार सहायता संघ 18.1.94 से कार्य कर रहा है।

[अनुवाद]

राज्य दुग्ध फेडरेशन को घाटा

4878. श्री सूरजभानु सोलंकी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का विचार सभी राज्यों के दुग्ध फेडरेशन को उनके द्वारा उठाए गए घाटे की प्रतिपूर्ति करने और उन्हें अर्थक्षम संस्था के रूप में परिवर्तित करने के लिए सहायता के रूप में अनुदान देने का है ;

(ख) क्या इस योजना के अंतर्गत केन्द्रीय और राज्य सरकारों को निधियों की समान साझेदारी करनी है ;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना को तुरंत स्वीकृति देने का आग्रह किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसे स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में इस योजना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के निरूपण के लिए पशु पालन और डेरी विभाग के कार्यकारी दल ने कमजोर सहकारी समितियों को व्यवहार्य बनाने के लिए उन्हें सहायता प्रदान करने की एक योजना की सिफारिश की है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्र और राज्य सरकार के बीच 50:50 की भागीदारी के आधार पर इस योजना का प्रस्ताव किया गया है। आपरेशन फ्लड-3 के अंतर्गत इस योजना को मंजूरी मिल जाने के बाद यह योजना मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों पर लागू होगी।

बंगलौर में उपनगरीय रेलगाड़ियां

4879. श्री वी.कृष्णा राव : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे ने हाल ही में बंगलौर में कोई उपनगरीय गाड़ी चलायी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) बेंगलूर क्षेत्र में निम्नलिखित खंडों पर 223/224 बेंगलूरू-अरसीकेरे पैसेंजर गाड़ी के बदलाव सहित 5.4.94 से डी एम यू पुश पुल सेवाएं चलायी गयी हैं : -

1.	बेंगलूरू सिटी-येलहंका -	1 जोड़ी
2.	येलहंका-व्हाइट फील्ड-	1 जोड़ी
3.	बेगलूरू सिटी-व्हाइटफील्ड-	1 जोड़ी
4.	बेगलूरू सिटी-कृष्णाराजपुरम-	1 जोड़ी
5.	बेगलूरू सिटी-अरसीकेरे-	1 जोड़ी

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

4880. डा. सुधीर सावन्त : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की दर केवल कृषि सहकारी संस्थाओं पर ही लागू होती है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इसके क्षेत्रधिकार में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (घ) जी हां। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना संसद के अधिनियम (1962 के 26) के अंतर्गत 1963 में की गयी थी, जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों और कुछ अन्य संशोधित जिंसों का सहकारी सिद्धांतों के आधार पर उत्पादन, संसाधन, विपणन, भण्डारण, निर्यात और आयात करने के लिए कार्यक्रमों का नियोजन, विकास एवं संवर्धन करना था। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि-क्षेत्र में कुछ और क्रियाकलापों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है।

गैर सरकारी व्यावसायिक महाविद्यालयों में प्रवेश

4881. प्रो. पी.जे. कुरियन :

श्री अनंतराव देशमुख :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर सरकारी व्यावसायिक महाविद्यालयों में प्रवेश संबंधी मामलों की जांच करने और तत्संबंधी दिशा-निर्देश तैयार करने हेतु गठित सी.एस. झा समिति द्वारा की गई सिफारिशों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) इस प्रतिवेदन की सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या इन महाविद्यालयों के शुल्क ढांचे के संबंध में कोई सिफारिश की गई है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ङ) उन्नीकृष्णन के मामले में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 4.2.93 के निर्णय के अनुसरण में तकनीकी शिक्षा में निजी व्यावसायिक कालेजों में दाखिले के लिए मार्गदर्शी रूप रेखाएं तैयार करने के लिए प्रोफेसर सी.एस. झा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर, शिक्षा विभाग द्वारा उपयुक्त मार्गदर्शी रूपरेखाओं का प्रारूप बनाया गया था और जिन्हें अब सक्षमप्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। इन मार्गदर्शी रूपरेखाओं को अब अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम के अन्तर्गत विनियमों के रूप में जारी किया जाएगा।

[हिन्दी]

चीनी का आयात

4882. श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

श्री जनार्दन मिश्र :

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी का आयात करने का निर्णय ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो यह आयात किन-किन देशों से किया जाएगा और इसकी मात्रा तथा मूल्य क्या होगा ; और

(ग) इससे देश में घरेलु बाजार पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख). सरकार ने खुले सामान्य लाइसेंस के तहत चीनी का आयात करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। सरकार की ओर से चीनी का कोई आयात नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार किन-किन देशों से इसका आयात किया जाना है, इसकी मात्रा तथा मूल्य बताया जाना संभव नहीं होगा। आयातक चीनी का आयात करते समय अपने सर्वोत्तम वाणिज्यिक निर्णय का प्रयोग करेंगे।

(ग) इससे देश में घरेलु बाजार पर बुरा प्रभाव पड़ने की कोई संभावना नहीं है।

गुजरात में रेल नेटवर्क

4883. श्री एन.जे. राठवा : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान गुजरात में रेल नेटवर्क के विस्तार और विकास हेतु प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) फुलेरा-मारवाड़-अहमदाबाद खंड (572 कि.मी.) (जिसमें से 142 कि.मी. गुजरात में है) और बीरमगाम-मेहसाना (65 कि.मी.) का आमन-परिवर्तन कार्य 1993-94 में शुरू किया गया था। राजकोट-बेरावल (185 कि.मी.) का आमान-परिवर्तन कार्य 1994-95 के बजट में शामिल किया गया है।

(ख) फुलेरा-मारवाड़-अहमदाबाद और वीरमगाम-मेहसाना खंड का कार्य प्रगति पर है जबकि राजकोट बेरावल खंड पर कार्य संसद द्वारा अनुदान की मांगें पारित कर दी जाने के बाद ही शुरू किया जायेगा।

[अनुवाद]

आमान परिवर्तन

4884. श्री हरिन पाठक : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मीटर लाइन/छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित करने हेतु राज्यों का कोई प्रस्ताव मिला है ; और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या 1994-95 एवं 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य में मीटर/छोटी लाइनों के परिवर्तन का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) राज्य सरकारों से मी.ला./छोटी ला. को ब.ला. में बदलने के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :

1. असम
   लमडिंग-बदरपुर
2. बिहार
   समस्तीपुर-दरभंगा
   मुजफ्फरपुर-रक्सौल-नरकटियागंज
3. गुजरात
   राजकोट-वेरावल
   गांधीधाम-भुज
   सुरेन्द्रनगर-भावनगर
   नवलखी-वांकानेर
   सुरेन्द्र नगर-राजूला
4. उड़ीसा
   रूपसा-बांगरी पोसी
   नौपाड़ा-गुनुपुर
5. केरल
   कोल्लम-लेनकासी
6. महाराष्ट्र
   औरंगाबाद-परभनी
   परभनी-मुदखेड़-आदिलाबाद
   गोंदिया-चांदा फोर्ट
   शोलापुर-बीजापुर
   दौंड-बारामती
   मिरज-लातूर
   पचौरा-जामनेर
   नागपुर-नागभीड़

7. कर्नाटक

अरसीकेरे-हसन-मेंगलूरू

शोलापुर-गदग

8. मध्य प्रदेश

नागपुर-सावनर-परसिया

9. राजस्थान

सांगानेर-टोडा राय सिंह

(ख) और (ग) केवल 1994-95 के लिए प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया गया है। ब्यौरा नीचे दिया गया है : -

क्र.सं. खण्ड/लाइन का नाम

1. हिसार-रेवाड़ी
2. रेवाड़ी-जयपुर
3. फुलेरा-मारवाड़
4. जोधपुर-जैसलमेर
5. चिकजाजूर-हुबली
6. हुबली-लोंडा
7. लोंडा-मिरज
8. हॉसपेट-हुबली
9. दोन कौंडा-गिद्दलूर
10. मुजफ्फरपुर-रक्सौल
11. बिरूर-शिमोगा
12. परभनी-पूर्णा
13. अर्जुनी-वाडसा
14. पुरुलिया-कोटशिला (चरण-II)

सूरजमुखी/सोयाबीन की खेती

4885. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

प्रो. सावित्री लक्ष्मणन :

श्री प्रबीन डेका :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में सूरजमुखी और सोयाबीन की खेती आरम्भ करने का है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है ;

(ग) क्या सरकार का विचार मृदा-परीक्षण और जलवायु संबंधी परिस्थितियों का अध्ययन करने की प्रक्रिया में राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को शामिल करने का है ;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है : और

(ङ) सूरजमुखी की खेती में वृद्धि करने के लिये किसानों को दिये जा रहे अथवा दिये जाने वाले प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी हाँ।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) जी नहीं।

(ङ) केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत सूरजमुखी की खेती बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के तहत, बीजों के उत्पादन और वितरण, कृषि संबंधी उपकरणों, छिड़कावक सेटों, जिप्सम/पाइराट्स, राइजोबियम कल्चर आदि के वितरण हेतु सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, प्रखण्ड प्रदर्शनों और फ्रन्टलाइन प्रदर्शनों के जरिए प्रौद्योगिकी अन्तरण के लिए भी सहायता दी जाती है।

विवरण

उन जिलों के नामों को दर्शाने वाला विवरण, जहां देश में सूरजमुखी की फसल उगाई जाती है।

क्रम सं.	राज्य/जिला का नाम	क्रम सं.	राज्य/जिला का नाम
1	2	1	2
1.	**आन्ध्र प्रदेश**	2.	**कर्नाटक**
	1. करनूल		1. बीजापुर
	2. अनन्तपुर		2. धारवाड़
	3. कुड्डापहा		3. गुलबर्ग
	4. महबूबनगर		4. चित्रदुर्गा
	5. निजामाबाद		5. रायचुर
	6. वारांगल		6. बेलरी
	7. मेडक		7. बेलगांव
	8. अदीलाबाद		8. बीदर
			9. मैसूर
3.	**हरियाणा**	4.	**महाराष्ट्र**
	1. अम्बाला		1. उस्मानाबाद
	2. करनाल		2. लातूर
	3. पानीपत		3. नान्देड़

4. कैथल
5. कुरूक्षेत्र
6. हिसार
7. जींद
8. सिरसा
9. रोहतक
10. सोनीपत

5. **मध्य प्रदेश**

1. शाजापुर
2. राजगढ़
3. छिन्दवाड़ा
4. रायगढ़
5. उज्जैन
6. खाण्डवा
7. भोपाल
8. झाबुआ
9. बिलासपुर

7. **तमिलनाडु**

1. चिंगलपट्टु
2. धरमपुरी
3. मदुरै
4. त्रिचुरापल्ली
5. कोयम्बटूर
6. कमरजार
7. रामनाथपुरम
8. तिरूनिवेली कट्टाबम्मुरम
9. सेलम
10. दिण्डीगल

4. शोलापुर
5. पूणे
6. अहमदनगर
7. जालना
8. बीड़
9. औरंगाबाद
10. परभागी
11. जलगांव
12. धूले

6. **पंजाब**

1. हाशियारपुर
2. जालंधर
3. पटियाला
4. फरीदकोट
5. फिरोजपुर
6. भटिण्डा

8. **उत्तर प्रदेश**

1. फर्रूखाबाद
2. इटावा
3. कानपुर (देहात)
4. मैनपुरी
5. एटा
6. गाजियाबाद
7. उन्नाव
8. अलीगढ़
9. आगरा

उन जिलों के नामों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र जहाँ देश में सोयाबीन की फसल उगाई जाती है।

क्र.सं.	प्रमुख रूप से सोयाबीन का उत्पादन करने वाले राज्यों/जिलों के नाम
1.	**आन्ध्र प्रदेश**
	1. प्रकाशम
2.	**गुजरात**
	1. बड़ौदा
	2. बहरूच
	3. डंग्स
3.	**कर्नाटक**
	1. बेलगांव
	2. बीजापुर
4.	**मध्य प्रदेश**
	1. सागर
	2. दमोह
	3. जबलपुर
	4.मांडला
	5. होशंगाबाद
	6. नरसिंहपुर
	7. खाण्डवा
	8. बेतुल
	9. छिन्दवाड़ा
	10. सियोनी
	11. मुरैना
	12. ग्वालियर
	13. शिवपुरी
	14. गूना
	15. विदिशा
	16. राजगढ़

17. शाहजहांपुर
18. उज्जैन
19. रतलाम
20. मुंदसौर
21. देवास
22. इन्दौर
23. धार
24. झाबुआ
25. रीवा
26. सतना
27. टीकमगढ़
28. छतरपुर
29. सहोरे
30. भोपाल
31. रायसेन

5. **महाराष्ट्र**

1. जलगांव
2. सतारा
3. सांगली
4. कोल्हापुर
5. औरंगाबाद
6. पूणे
7. अकोला
8. अमरावती
9. यवतमाल
10. वर्धा
11. नागपुर
12. भण्डारा
13. चन्द्रपुर

6. **राजस्थान**

1. बांसवाड़ा
2. बूँदी
3. चित्तौड़गढ़
4. झालावाड़
5. कोटा

7. **उत्तर प्रदेश**

1. ललितपुर
2. झाँसी
3. जालौन
4. हमीरपुर
5. बाँदा
6. नैनीताल
7. पिथौरागढ़

पिछड़े वर्गों का आरक्षण

4886. श्री ब्रह्मानन्द मंडल :

श्री अनादि चरण दास :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए सीटें आरक्षित करने संबंधी नियमों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इसे कब तक लागू किया जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार विश्वविद्यालयों और कालेजों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत तक सीटें आरक्षित रखने का प्रावधान है। इस समय, ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अंतर्गत अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण किया गया है।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा 22 अक्तूबर, 1993 को जारी किए गए आदेश, भारत सरकार में (अन्य पिछड़ी जातियों) के लिए सिविल पदों और सेवाओं में आरक्षण से संबंधित हैं। इन आदेशों के अनुसार यह व्यवस्था है कि अन्य पिछड़ी जातियों के लिए और कोई भी छूट/रियायत अनुमत्य नहीं है।

तम्बाकू अनुसंधान संस्थान

4887. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान ने तम्बाकू नर्सरियों के प्रबन्धन हेतु अर्थक्षम प्रौद्योगिकीय पैकेज का विकास किया है

(ख) यदि हाँ, तो तत्सबधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) किसानों के **बीच इस** पैकेज का कब तक प्रचारित किया जाएगा ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) जल, पोषण तत्वों, जीवाणुओं और रोगों की जरूरतों के लिए नर्सरी तैयार करना तथा प्रबन्ध क्रियाओं हेतु स्थान विशिष्ट पैकेज विकसित किए गए हैं।

(ग) राज्य कृषि विभाग और तम्बाकू विकास बोर्ड के लिए प्रौद्योगिकी पैकेज जारी किए गये हैं। राज्य कृषि विभाग एवं तम्बाकू विकास बोर्ड दोनों ही क्षेत्र स्तर पर प्रसार कार्यों के लिए जिम्मेवार हैं।

सुपर बाजार में भर्ती

4888. श्री छीतूभाई गामीत : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि : -

(क) क्या सुपर बाजार के चेयरमैन और महाप्रबंधक के इस तथ्य के बावजूद कि सरकार ने भर्तियों पर रोक लगा रखी है, सुपर बाजार में बिना किन्हीं मानदंडों और नियमों के कतिपय लोगों को नियुक्त किया है और अनावश्यक पद बना दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उपरिपुल का निर्माण

4889. श्री दत्ता मेघे : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महाराष्ट्र में चन्दापुर जिले के तदाली, चन्दरपुर सिविल लाइन्स-बाबूपेठ, बलारशा, घुगुस और वीसापुर में ऊपरिपुलों का निर्माण करने पर विचार कर रही है ,

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है :

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और इनका निर्माण कब तक किया जायेगा ?

(घ) यह कब तक पूरा किया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) से (घ) महाराष्ट्र राज्य सरकार ने (1) चंद्रपुर-वरोरा खंड पर तड़ाली में कि.मी. 860/14-15 पर समपार सं. 38 ए/2 के बदले ऊपरी सड़क पुल (2) चंद्रपुर-वरोरा खंड पर चंद्रपुर में कि.मी. 875/6-7 पर समपार सं. 41 ए के बदले ऊपरी सड़क पुल और (3) चंद्रपुर-बलारशाह खंड पर वींसापुर में कि.मी. 885/9-10 पर समपार सं. 45 सी के बदले ऊपरी सड़क पुल का निर्माण करने का अनुरोध किया है। इन्हें राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने के बाद रेलवे के निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने के बारे में यह विचार किया जा सकता है। बाबूपेठ बलारशाह और घुगुस में ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण के लिए राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

इन पुलों के निर्माण में लगने वाला समय पूर्वापेक्षित औपचारिकताओं को अंतिम रूप दे दिए जाने और निर्माण कार्यक्रम में उन्हें शामिल किए जाने के बाद ही बताया जा सकता है और यह प्राथमिकता निर्धारण तथा राज्य सरकार द्वारा पुल के पहुंच मार्गों पर निर्माण कार्यों के लिए धन आबंटन पर निर्भर करेगा।

अर्जुन पुरस्कार

4890. श्री भीम सिंह पटेल : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या पांच बार बॉक्सिंग में राष्ट्रीय चेम्पियन रह चुके मुकुन्द किलेकर को अर्जुन पुरस्कार से रखा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ऐसे व्यक्तियों के साथ न्याय करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) और (ख) अर्जुन पुरस्कार के लिए श्री मकुन्द किलेकर का नामांकन विचाराधीन है।

[अनुवाद]

जीरा

4891. श्री सोमजी भाई डामोर : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान जीरे का राज्यवार कुल कितना-कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) देश में किस-किस किस्म का जीरा उपलब्ध है तथा किसानों ने अन्य फसलों की तुलना में इस फसल से कितना लाभ अर्जित किया है ;

(ग) क्या अन्य देशों को जीरे का निर्यात करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) वर्ष 1990-91 से 1992-93 के दौरान जीरे के बीजों के राज्यवार उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(मीटरी टन)

राज्य	1990-91	1991-92	1992-93
राजस्थान	29,980	36,084	77,689
गुजरात	41,800	41,800	41,800
अन्य	4	5	11
कुल :	71,784	77,889	1,19,500

(ख) देश में जीरे के बीजों की गुणवत्ता-वार सूचना उपलब्ध नहीं है। अन्य मसालों के बीजों की तुलना में जीरे के बीजों से होने वाले शुद्ध लाभ का अनुमानित ब्यौरा नीचे दिया गया है। : -

फसल	शुद्ध लाभ/हैक्टेयर
धनिया	13,300 रुपए
मेथीदाना	2,400 रुपए
जीरा	9,900 रुपए
बड़ी सौंफ	18,800 रुपए

(ग) और (घ) सऊदी अरब, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, यू.के./अमरीका, जापान, फ्रांस, नेपाल आदि देशों को जीरे के बीजों का निर्यात किया जाता है। वर्ष 1992-93 के दौरान इसकी 2620 मीटरी टन मात्रा का निर्यात किया गया। इस निर्यात का मूल्य 14.39 करोड़ रुपए था।

''बन्दों'' के कारण हानि

4892. श्री सी.पी. मुदालगिरियप्पा : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ''बन्दों'' के कारण रेलवे को भारी हानि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न ''बन्दों'' के कारण प्रति वर्ष हुई हानि का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या रेल सेवाओं को इन ''बन्दों'' से बचाने के लिए कोई ठोस कदम उठाये गये हैं ; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न बंदों के कारण हुई हानि का ब्यौरा नीचे दिया गया है : -

1991-92 - 1353.50 लाख रुपये

1992-93 - 9203.40 लाख रुपये

1993-94 - 2992.74 लाख रुपये

(ग) और (घ) चूंकि यह समस्या कानून एवं व्यवस्था की है, इसलिए स्थिति से निपटने और रेल सम्पति को क्षति से बचाने के लिए राज्य के पुलिस प्राधिकारियों से निकट सम्पर्क बनाए रखा जाता है। रात-दिन भेद्य स्थलों, महत्वपूर्ण संस्थापनाओं की चौकसी की जाती है, रेल पथ पर गश्त लगाई जाती है, दो स्टेशनों के बीच रेल लाइनों के आस-पास सशस्त्र पहरेदारी भी की जाती है।

जापानी सहायता

4993. श्री अनन्तराव देशमुख : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में जापान ने भोपाल की ऊपरी और निचली झीलों के संरक्षण हेतु 118 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सहायता का किस प्रकार उपयोग किया जाएगा ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) "भोपाल की ऊपरी एवं निचली झीलों के संरक्षण एवं प्रबन्धन" संबंधी एक परियोजना वित्तीय सहायता मुहैया कराने हेतु जापान सरकार को भेजी गयी है। प्रस्तावित परियोजना की कुल लागत 118 करोड़ रुपए है जिसे पांच वर्ष की अवधि के दौरान उपयोग में लाया जाएगा। इस परियोजना में गाद निकालने तथा तल की सफाई, जलग्रहण क्षेत्र का सुधार, प्रदूषण निवारण, तटवर्ती एवं सीमावर्ती क्षेत्रों का प्रबन्ध तथा जल गुणवत्ता में सुधार एवं प्रबन्ध कार्य से संबंधित गतिविधियां शामिल हैं। जापानी प्राधिकारियों द्वारा इस परियोजना प्रस्ताव के मूल्यांकन का कार्य अंतिम चरण में है।

[हिन्दी]

रेलवे लाइन का नवीकरण

4894. श्री पंकज चौधरी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में लक्ष्मीपुर से चौक तक नैरोगेज रेल लाइन आज तक अप्रयुक्त पड़ी हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस लाइन का नवीकरण करने तथा इस पर रेलगाड़ी चलाना शुरू करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ग) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित हो जाएगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) रेल विभाग द्वारा ऐसी किसी लाइन का निर्माण नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

महाराष्ट्र में नई रेल लाइन

4895. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नई रेल लाइन अर्थात बाबूपेठ-आदिलाबाद-नान्देड-मुम्बई (महाराष्ट्र) बिछाने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?.

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की तंगी।

[अनुवाद]

पेय जल और पर्यावरणीय स्वच्छता के सम्बन्ध में सम्मेलन

4896. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल

श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने मार्च, 1994 के अंतिम सप्ताह के दौरान एम्सटरडम में "पेय जल और पर्यावरणीय स्वच्छता" के संबंध में आयोजित मंत्री स्तर के सम्मेलन में भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में कितने तथा किन-किन देशों ने भाग लिया ;

(ग) इस सम्मेलन में किन-किन विषयों पर विचार विमर्श हुआ ;

(घ) क्या सम्मेलन में विकासशील देशों के लाभ के लिए "अंतर्राष्ट्रीय जल निधि" स्थापित करने का निर्णय लिया गया ;

(ङ) यदि हां, तो इस निधि का ब्यौरा क्या है ;

(च) इस निधि से भारत को कितना लाभ मिलेगा ; और

(छ) सम्मेलन में लिए गए अन्य निर्णयों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां। इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन नूर्डविज्क, नीदरलैण्ड्स में किया गया था।

(ख) उक्त सम्मेलन में 65 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। विवरण संलग्न है।

(ग) इस सम्मेलन में पांच मुख्य कार्रवाई कार्यक्रमों पर चर्चा की गई थी, जो निम्नलिखित हैं : -

1. जल और जनता - हिस्सेदारी और व्यवहार संबंधी परिवर्तन लाना ;

2. जल, स्वास्थ्य और पर्यावरण - एकीकरण जल नीति।

3. जल और संस्थाएं - सेवा व्यवस्था का आयोजन

4. जल और वित्तीय संसाधन जुटाना - भविष्य के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण

5. जल और विश्व - अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना।

(घ) सम्मेलन में भारत ने इस आशय का एक प्रस्ताव रखा था परन्तु इस मसले पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका।

(ङ) भारत ने सुझाव दिया था कि विकसित देशों में विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक नियम सीमा से अधिक जल की प्रति व्यक्ति खपत पर उपकर लगाया जा सकता है। और इस प्रकार जुटाए गए धन का उपयोग विकासशील देशों में पेयजल और बुनियादी स्वच्छता परियोजनाओं को धन उपलब्ध कराने हेतु विश्व जल निधि की स्थापना के लिए किया जा सकता है।

(च) संयुक्त राष्ट्र टिकाऊ विकास आयोग की बैठक में इस प्रस्ताव की पुनरीक्षा के समय इस मुद्दे को उठाया जाएगा। अगर इस विचार को मान लिया जाता है तो भारत को अपने पेयजल कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त मदद मिल सकेगी।

(छ) इसमें भाग लेने वाले देश पेयजल और पर्यावरणीय स्वच्छता संबंधी सामान्य राजनीतिक वक्तव्य पर सहमत थे और उन्होंने भावी कार्रवाई कार्यक्रम का अनुमोदन किया। इस दस्तावेज को संयुक्त राष्ट्र टिकाऊ विकास आयोग के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना है।

विवरण

सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों की सूची

1.	अल्जीरिया	2.	अण्टीगुआ और बारबूडा
3.	अर्जेन्टीना	4.	आस्ट्रेलिया
5.	आस्ट्रिया	6.	बेलारूस
7.	बेनिन	8.	भूटान
9.	बोलिविया	10.	बोत्सवाना
11.	बुर्किना फासो	12.	ब्राज़ील
13.	कनाडा	14.	चिली
15.	चीन	16.	कॉस्टा रिका
17.	क्यूबा	18.	चेक गणराज्य
19.	डेनमार्क	20.	मिश्र

21.	इरिट्रिया	22.	फ्रांस
23.	जर्मनी	24.	घाना
25.	ग्रीस	26.	गिन्नी
27.	गिन्नी बिसाऊ	28.	हंगरी
29.	आयरलैण्ड	30.	भारत
31.	इंडोनेशिया	32.	इज़राइल
33.	इटली	34.	जमैका
35.	जापान	36.	जॉर्डन
37.	कीनिया	38.	कोरिया
39.	मलावी	40.	मैक्सिको
41.	मोरक्को	42.	मोजाम्बीक
43.	नामीबिया	44.	नीदरलैण्ड्स
45.	निकरागुआ	46.	नाइज़ीरिया
47.	नार्वे	48.	पाकिस्तान
49.	फिलिस्तीनी शिष्टमण्डल	50.	फिलीपाइन्स
51.	पोलैण्ड	52.	रूसी परिसंघ
53.	सेनगल	54.	स्लोवाकिया
55.	श्रीलंका	56.	स्वीडन
57.	स्विट्ज़रलैण्ड	58.	तंजानिया
59.	ट्यूनीशिया	60.	तुर्की
61.	ब्रिटेन	62.	संयुक्त राज्य अमरीका
63.	उज़बेकिस्तान	64.	यमन
65.	जिम्बाब्वे		

[हिन्दी]

दूषित जल का शुद्धीकरण

4897. डा. परशुराम गंगवार : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दूषित जल के शुद्धिकरण हेतु विदेशी वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अनुसंधान के बारे में जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने भी इस प्रकार का अनुसंधान किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग). जी, हां। विदेशी तथा भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा जल साफ करने की नई और उन्नत प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए अनुसंधान किए जा रहे हैं। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं : -

1. ओजोन का अनुप्रयोग ।
2. जल के शुद्धिकरण के लिए फिटकरी के उपयोग के विकल्प के लिए विद्युत अपघटन ।
3. अपशिष्ट जल का भूमि उपचार ।
4. चुनिन्दा सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हुए जैव-फिल्टरों/जैविक संस्पर्शकों (कान्टेक्टर्स) का प्रयोग ।
5. अपशिष्ट जल के शोधन के लिए आक्सीडेशन नालियां, ऐरेटिड लैगून, ट्रिकलिंग फिल्टरों, एक्टिवेटेड स्लज प्लान्स, मत्स्यपालन और शैवाल संवर्धन जैसी वर्तमान विधियों के डिजाइन में सुधार करना ।

(घ) किए गए अनुसंधान के आधार पर इनमें से कुछ पद्धतियों का भारत में व्यापारीकरण किया जा रहा है। यह मौजूदा प्रणालियों के उन्नत डिजाइन से संबंधित है। मत्स्यपालन और अन्य प्रणालियों अनुसंधान और विकास के विभिन्न चरणों में हैं।

|अनुवाद|

ग्लोबल टाइगर फोरम

4898. श्री श्रवण कुमार पटेल :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1994 में ग्लोबल टाइगर फोरम के संबंध में मंत्रीस्तरीय बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसमें विशेष रूप से भारतीय वन्य जीव के संबंध में व्यक्त किए गए विचार और सुझाव क्या हैं ; और

(ग) इन सुझावों को लागू करने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) उक्त बैठक की सिफारिशों का संबंध बाघ के तथा इसके पूरे रेंज भारत जिसका एक अभिन्न भाग है, में इसके वासस्थल के संरक्षण के लिए विश्व बाघ मंच की स्थापना से है। मोटे तौर पर विश्व बाघ मंच के

उद्देश्य निम्नवत् हैं : -

- बाघ, इसके शिकार और इसके वासस्थल की सुरक्षा के लिए विश्वव्यापी अभियान चलाना।
- अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बाघ के उत्पादों का उपयोग न करने का आग्रह करना तथा बाघ के अंगों, उत्पादों तथा उनसे निर्मित अन्य वस्तुओं के गैर कानूनी व्यापार को समाप्त करना।
- बाघों के वासस्थलों के संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में वृद्धि करना और रेंज देशों में कॉरिडोरो को आपस में जोड़ना।
- बाघ के वासस्थलों के संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में वृद्धि करना और रेंज देशों में कॉरिडोरों को आपस में जोड़ना।
- बाघ के प्रभावी संरक्षण हेतु व्यापक विधिक ढांचे को बढ़ावा देना और आवश्यक वित्तीय एवं अवसंरचनात्मक क्षमताओं की व्यवस्था करना।
- संरक्षित क्षेत्रों के भीतर और उनके आस-पास रहने वाले स्थानीय समुदायों की पूर्ण भागीदारी से पारि-विकास के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना।
- बाघ के प्रभावी संरक्षण के लिए प्रशिक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा जागरूकता निर्माण के लिए उपयुक्त कार्यक्रम बनाना तथा आवश्यक क्षेत्रीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु उपयुक्त तंत्रों की स्थापना करना।
- रेंज देशों में बाघ, इसके शिकार और वासस्थल की सुरक्षा के लिए तथा बाघ की संख्या में वृद्धि के लिए सरकारों, अंतः सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों एवं व्यक्तियों का समर्थन और सहायता प्राप्त करना।
- बाघ और इसके वासस्थल संरक्षण के लिए रेंज देशों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना।

(ग) भारत सरकार ने विश्व बाघ मंच के अंतरिम सचिवालय की स्थापना के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।

चीनी मिलों पर उपकर

4899. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) [illegible]

(ख) यदि हां, तो क्या इस उपकर को चीनी के लागत मूल्य में जोड़ दिया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या इस प्रकार से इक्ट्ठी की गई धनराशि को मिलों का आधुनिकीकरण करने हेतु ऋण और अनुदान के रूप में दिया जाता है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) जी, हां। चीनी उपकर अधिनियम, 1982 के अधीन भारत में किसी भी चीनी फैक्ट्री द्वारा उत्पादित समस्त चीनी पर 14/-रुपये प्रति क्विंटल की दर से उपकर एकत्रित किया जा रहा है।

(ख) और (ग) लेवी चीनी के खुदरा निर्गम मूल्य निर्धारित करते समय अन्य मदों के साथ-साथ 14/- रुपये प्रति क्विंटल अर्थात् 0.14 रुपये प्रति किलोग्राम के तत्व को भी ध्यान में रखा जाता है। लेवी चीनी का खुदरा निर्गम मूल्य 1.2.1994 से 9.05 रुपये प्रति किलोग्राम है।

(घ) चीनी उपकर अधिनियम, 1982 के अधीन लगाए गए और एकत्रित किए गए उपकर की राशि में से केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा निश्चित एकत्रण लागत घटाकर शेष राशि तथा इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु प्राप्त कोई भी धनराशि विधि द्वारा संसद द्वारा विनियोजन करने के बाद चीनी विकास निधि में जमा कर दी जाती है। अन्य प्रयोजनों के साथ-साथ इस निधि का किसी चीनी फैक्ट्री का पुनर्स्थापन और आधुनिकीकरण करने के लिए ऋण प्रदान करने हेतु भी इस्तेमाल किया जाता है।

रेलवे कालोनियां

4900. डा. कृपासिन्धु भोई : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खुर्दा रोड और संबलपुर डिवीजन की रेलवे कालोनियों को पेयजल हेतु कितनी धनराशि प्रदान की गई ;

(ख) क्या उड़ीसा में रेलवे कालोनियों में पेयजल की समस्या अभी भी विद्यमान है ; और

(ग) यदि हां, तो समस्या के समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खोरद्या रोड मंडल कालोनी में पीने के पानी की व्यवस्था में सुधार करने के लिए 48.50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी।

संबलपुर में पानी की सप्लाई की व्यवस्था ''एक नये मंडल की स्थापना'' का एक भाग है और जिसके लिए धन की व्यवस्था बजअीय प्रावधानों के माध्यम से की जाती है। इसलिए पानी की सप्लाई संबंधी कार्यों के लिये खर्च का रिकार्ड अलग से नहीं रखा जाता है।

(ख) और (ग) पीने के पानी की सप्लाई की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है। बहरहाल, आगे और सुधार के उपाय के रूप में, अतिरिक्त नल-कूप, सिरोपरि टंकियों आदि की व्यवस्था से संबंधित कार्यों को स्वीकृत किया गया है।

प्रयागराज एक्सप्रैस को चुनार तक चलाना

श्री राम निहोर राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली और इलाहाबाद के बीच चलने वाली प्रयागराज एक्सप्रेस को चुनार तक चलाने का कोई प्रस्ताव है

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) न तो परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक है और न ही वाणिज्यिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण।

[हिन्दी]

भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान में रिक्त पद

4902. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन आने वाले भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में गत दो वर्षों से कितने पद रिक्त पड़े हैं ;

(ख) इन पदों के खाली रहने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इन पदों को अब समाप्त किया जा रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आई.वी.आर.आई.) में गत दो वर्षों अर्थात् 1992-93 और 1993-94 से 393 पद रिक्त पड़े हैं।

(ख) रिक्त पदों को भरना एक नियमित प्रक्रिया है और जहां भी जरूरत हुई है पदों को भरने की कार्रवाई की गयी है। कुछ पद उपयुक्त प्रत्याशी न मिल पाने के कारण रिक्त पड़े हैं।

(ग) फिलहाल, रिक्त पदों को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

सेवड़ी स्टेशन, मुम्बई

4903. श्री मोहन रावले : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई में सेवड़ी स्टेशन पर रेल-फाटक के कारण उपनगरीय रेलगाड़ियों को रोकना पड़ता है और इस कारण उन्हें विलम्ब होता है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार इस समस्या के समाधान के लिए सेवड़ी स्टेशन पर एक उपरिपुल बनाने की आवश्यकता महसूस करती है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) और (ख) कभी-कभार तब विलंब तथा रूकीनियां हो जाती हैं जब कोई वाहन फाटक के भीतर खराब हो जाता है, फाटक को निर्बाध करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाती है।

(ग) रेलें उन समपारों के बदले ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण पर विचार करती हैं जिनके लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा मौजूदा नियमों के अनुसार लागत में भागेदारी की सहमति देते हुए प्रस्ताव प्रायोजित किए जाते हैं। इस संबंध में राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में मत्स्य पालन

4904. श्री हाराधन राय : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल में मत्स्य पालन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में मत्सय पालन को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृत योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक योजना में कितनी-कितनी प्रगति हुई है ; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ दी गई वित्तीय सहायता का वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण ने पश्चिम बंगाल के समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों का सर्वेक्षण किया है। इन सर्वेक्षणों के आधार पर, पश्चिम बंगाल की तटीय महाद्वीप पट्टी में मात्सियकी की क्षमता, पूर्णतया आर्थिक भारतीय क्षेत्र, उपरी पूर्वी तट के विशेष संदर्भ में, के मात्सियकी संसाधनों, झींगा पकड़ने के लिए संभाव्य स्थलों तथा पश्चिम बंगाल के तट में झींगा मात्स्यिकी की संभावनाओं का आकलन किया गया है। राज्य के शल्फ एरिया में अतिरिक्त मात्रा में प्राप्त की जाने योग्य मछलियां 53,900 मीटरी टन आंकी गई थी। इसके अलावा यह भी अनुमान लगाया गया है कि राज्य की अंतर्देशीय मात्स्यिकी की क्षमता 2.76 लाख हैक्टेयर क्षेत्र टैंकों और तालाबों, 2.10 लाख हैक्टेयर खाराजल क्षेत्र, 42 हजार हैक्टेयर क्षेत्र बीलों, ऑक्स-बो झीलों तथा परित्यक्त जल निकायों, 17 हजार हैक्टेयर क्षेत्र जलाशयों तथा 2,526 कि.मी. नदियों पर निर्भर करती है।

(ग) पश्चिम बंगाल सहित देश में मात्स्यिकी को बढ़ावा देने के लिए चल रही कुछ प्रमुख स्कीमें तथा 1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान हुई प्रगति निम्नवत् है : -

1. प्रमुख पत्तनों में मात्स्यिकी बंदरगाहों की सुविधाएं ।
2. श्रिम्प और मछली पालन के लिए केन्द्रीय परियोजना एकक ।
3. मछली पकड़ने के छोटे बंदरगाह।
4. ताजा जल मछली पालन।
5. एकीकृत खारा जल मछली फार्म विकास।
6. परम्परागत नावों का मोटरीकरण करना।
7. एच.एस.डी. तेल पर उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति करना।
8. सामूहिक दुर्घटना बीमा।

9. आदर्श मछुवारा गांव।

10. बचत एवं राहत।

11. मछली के विपणन को सुदृढ़ बनाने के लिए सहायता देना।

12. अंतर्देशीय मात्स्यिकी के आंकड़े रखना।

मछली पालक विकास एजेंसियों ने पश्चिम बंगाल में वर्ष 1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान क्रमशः लगभग 6.142 हैक्टेयर, 5662 हैक्टेयर तथा 4734 हैक्टेयर जल क्षेत्र को मछली पालन के अंतर्गत लाया है तथा उन्होंने 16,308, 11,221 तथा 6,393 मछली पालकों को मछली पालने की उन्नत विधियों का प्रशिक्षण दिया है। अंतर्देशीय मछली विपणन के लिए आधारभूत संरचना को सुदृढ़ बनाने की स्कीम के अंतर्गत 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान 172.02 लाख रुपए की कुल लागत से दो स्वदेशी मछली विपणन एकक मंजूर किए गए थे। एकीकृत खारा जल मछली फार्म विकास स्कीम के अंतर्गत पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना, दक्षिणी 24 परगना तथा मिदनापुर जिलों में 3 खारा जल मछली फार्म विकास एजेंसियां स्थापित की गई हैं। इन बी.एफ.डी. एजेंसियों ने अब तक श्रिम्प पालन के लिए 728 हैक्टेयर का विकास किया है जिससे 1000 श्रिम्प पालकों को लाभ पहुंचा है। मार्च, 1992 में फ्रेजरगंज में 453.32 लाख रुपए की लागत से एक मत्स्यन बंदरगाह मंजूर किया गया था जो अब पूरा होने वाला है। दिसम्बर, 1992 में तीन मछली अवतरण केन्द्र मंजूर किए गए थे और उनका निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में है। विश्व बैंक की सहायता प्राप्त श्रिम्प और फिशकल्चर परियोजना के अंतर्गत 1546 हैक्टेयर खारा जल क्षेत्र श्रिम्प पालन के लिए तथा 1860 हैक्टेयर ऑक्स-बो-झील जल क्षेत्र फिशकल्चर के विकास के लिए शिनाख्त किया गया है। स्वदेशी मात्सियकी सांख्यिकी स्कीम के अंतर्गत टैंकों और तालाबों के संसाधन आकलन का कार्य छः जिलों में पूरा कर लिया गया है तथा छः और जिलों में जारी रखा गया है। खाड़ी, समुद्रताल तथा नदियों में पकड़ी जाने वाली मछलियों के आकलन का सर्वेक्षण दो जिलों में जारी रख गया है।

(घ) पश्चिम बंगाल को दी गई वित्तीय सहायता दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	स्कीम	पश्चिम बंगाल सरकार को दी गई राशि (लाख रुपए)		
		1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5
1.	छोटे मत्स्यन बंदरगाह	23.11	112.00	7.81
2.	ताजाजल मछली पालन	167.00	79.00	140.00
3.	एकीकृत खाराजल मछली फार्म विकास	37.28	-	3.00

1	2	3	4	5
4.	एच.एस.डी. तेल पर उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति	0.21	-	-
5.	सामूहिक दुर्घटना बीमा	4.85	6.00	7.00
6.	मछली विपणन को सुदृढ़ करने के लिए सहायता	-	22.00	90.00
7.	अंतर्देशीय मात्स्यिकी सांख्यिकी	2.82	-	2.40
8.	श्रिम्प और फिश कल्चर की केन्द्रीय परियोजना एकक	-	77.00	66.00

चल वाहन

4905. श्री पीटर जी. मरबनिआंग : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि : -

(क) क्या मेघालय सरकार ने 1993-94 के दौरान पुनरोद्धारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चल वाहनों की खरीद के लिए कोई प्रस्ताव भेजे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और क्या कार्रवाई की गई है ?

नागरिक पूति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) मेघालय सरकार ने संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मोबाइल बैन खरीदने के लिए 1993-94 में कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अध्यापक प्रतिनिधि-मंडल

4906. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1992 के अक्तूबर-नवंबर माह के दौरान जापान भेजे गए ''भारतीय अध्यापक प्रतिनिधिमंडल'' की भांति अध्यापकों का प्रतिनिधिमंडल किसी अन्य देश में भेजने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे अध्यापकों के चयन के मानदंड क्या हैं और चयन बोर्ड समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) किसी भी देश में ''भारतीय अध्यापक प्रतिनिधिमंडल'' के रूप में अध्यापकों को भेजने का प्रस्ताव नहीं है। इस प्रकार के किसी प्रतिनिधिमंडल ने अक्तूबर-नवंबर, 1992 के दौरान जापान का

दौरा नहीं किया है। तथापि जापान में ''माध्यमिक स्कूल अध्यापक अध्ययन दौरा कार्यक्रम'' में भाग लेने के लिए वर्ष 1991 से पिछले तीन वर्षों के लिए प्रतिवर्ष सामाजिक विज्ञान के पांच भारतीय स्कूल अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। इस वार्षिक दौरा कार्यक्रम का आयोजन जापान प्रतिष्ठान, टोक्यो द्वारा किया जाता है। अध्यापकों का चयन भी उन्हीं के द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्वायत्तशासी निकायों द्वारा भेजे गये नामों के पैनल में से किया जाता है। वर्ष 1992 में, जून माह में अध्ययन दौरे का आयोजन किया गया। इसी अध्ययन दौरे के कार्यक्रम के लिए नामों को आमंत्रित करने वाला जापान प्रतिष्ठान से एक पत्र इस वर्ष प्राप्त हुआ है।

इलेक्ट्रॉनिक प्रचार माध्यम के द्वारा शिक्षा

4907. श्री परसराम भारद्वाज : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन और आकाशवाणी जैसी इलेक्ट्रॉनिक प्रचार माध्यमों का उपयोग दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के अंतर्गत विश्वविद्यालय खोल कर शिक्षा के प्रसार के लिए करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचनानुसार सुदूर शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों के प्रसारण के ब्यौरे इस प्रकार हैं : -

(1) **इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय**

दूरदर्शन

राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को 6.30 — 7.00 बजे पूर्वाह्न तक।

आकाशवाणी

बम्बई से प्रत्येक सोमवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को 7.15 — 7.45 बजे पूर्वाह्न तक। हैदराबाद से प्रत्येक मंगलवार,वृहस्पतिवार और शनिवार को 6.00 - 6.30 पूर्वाह्न तक उपर्युक्त के अलावा, दूरदर्शन के एनरिचमेंट चैनल पर प्रति दिन एक घंटे का प्रसारण भी शुरू किया गया था। किन्तु हाल ही में दूरदर्शन द्वारा प्रसारण चैनलों के पुनर्गठन के पश्चात् इसे समाप्त कर दिया गया था।

(2) **डा. बी.आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, हैदराबाद**

आकाशवाणी, हैदराबाद पर सप्ताह में 6 दिन, प्रति सप्ताह कुल 3 घंटे के लिए 15-15 मिनट की अवधि के दो पाठ (लेसन) प्रसारित किए जाते हैं।

(3) **यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक**

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय ने आकाशवाणी, बम्बई द्वारा मराठी में कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए दृश्य और श्रव्य कार्यक्रमों हेतु एक अंत: (इन-हाउस) निर्माण सुविधा विकसित करने का निर्णय लिया है।

इलायची का उत्पादन

4908. श्रीमती दिलकुमारी भंडारी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और राज्यवार बड़ी (काली) इलायची का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान कौन-कौन से राज्य इलायची के बड़े उत्पादक रहे हैं ;

(ग) क्या इलायची का बड़ी मात्रा में निर्यात किया जा रहा है ;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान उनका अलग-अलग ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) देश में इलायची के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) अद्यतन उपलब्ध सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान देश में इलायची (बड़ी) का कुल उत्पादन निम्नानुसार रहा है : -

राज्य	1990-91	1991-92	1992-93
सिक्किम	3800	3800	3600
पश्चिम बंगाल	925	934	1031
योग :	4725	4734	4631

(ख) इलायची (बड़ी) का प्रमुख रूप से उत्पादन करने वाले राज्य सिक्किम और पश्चिम बंगाल हैं।

(ग) तथा (घ) इलायची (बड़ी) के उत्पादन की एक बड़ी मात्रा का निर्यात किया जा रहा है। गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात का ब्यौरा इस प्रकार रहा है : -

वर्ष	मात्रा (मीटरी टन)	मूल्य (लाख रुपए)
1990-91	1077	491
1991-92	910	505
1992-93 (अ)	1264	863

अं- अनन्तिम

(ङ) सरकार ने इलायची (बड़ी) का उत्पादन बढ़ाने के लिए, आठवीं योजना के दौरान समेकित मसाला विकास कार्यक्रम नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित की है। इस योजना के अन्तर्गत, बड़ी इलायची के सघन बागान लगाने का कार्य निहित है।

सब्जियों की खेती

4909. श्री हरि सिंह चावड़ा : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्यात के उद्देश्य से सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने हेतु गुजरात में कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) भारत सरकार ने निर्यात के उद्देश्य से सब्जी की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए गुजरात में कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

कोंकण रेलवे

4910. श्री राम कापसे : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई और मंगलौर के बीच फलदार वृक्ष लगाने के लिए कोंकण रेल प्रशासन की संगठनात्मक संरचना में कोई बागवानी विकास विभाग बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) और (ख) जी नहीं। बहरहाल, स्टेशन यार्डों और संरेखण के साथ-साथ फलदार वृक्षों सहित वृक्षों का रोपण विभागीय तौर पर किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण

4911. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

श्री सैयद शहाबुद्दीन :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मदरसा शिक्षा के शुरू होने से अब तक इसके आधुनिकीकरण पर प्रति वर्ष कितना व्यय किया गया है और 1994-95 में इस हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) राज्य-वार कितने मदरसों को फायदा मिला है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत राज्यवार कितने अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) वर्ष 1993-94 के दौरान 6,68,800/- रुपए की राशि संस्वीकृत की गई थी तथा वर्ष 1994-95 के लिए 33.00 लाख रुपए की राशि आबंटित की गई है।

(ख) और (ग) संस्वीकृति में उत्तर प्रदेश राज्य में 10 मदरसों में प्रत्येक के लिए एक शिक्षक, मध्य प्रदेश में 7 तथा हरियाणा में 5 शिक्षकों का प्रावधान है।

अपने वैगन रखिये योजना

4912. श्री डी.वेंकटेश्वर राव : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने वैगन रखिये योजना को पूरी तरह लागू नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) क्या वैगनों की कमी ने उद्योगों को प्रभावित किया है तथा इससे रेल द्वारा माल परिवहन में भी कमी आई है ;

(घ) क्या इस संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किये गये हैं ;

(ङ) कितनी निजी फर्मों ने इस योजना के क्रियान्वयन में सहायता देने की पेशकश की है ; और

(च) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) माल डिब्बों की कोई कमी नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) तीन ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

लेवी का चावल

4913. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने भारतीय खाद्य निगम से मिल वालों से लेवी का चावल न स्वीकार करने को कहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में यह बात भी लाई गई है कि मिल वाले खुले बाजार में सस्ते चावल खरीद कर भारतीय खाद्य निगम की लेवी के रूप में दे देते हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में कम चावल की खरीद की गई है ;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(छ) 1994-95 हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख). सरकार ने किसी भी राज्य में सांविधिक सीमा से अधिक लेवी चावल न लेने का निर्णय किया है। तथापि, आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा के मामले में जहां धान के लिए दो अलग-अलग वसूली मौसम होते हैं, मौसम विशेष के लिए निर्धारित की गई सांविधिक सीमा से अधिक लेवी चावल लेने का फैसला किया गया है लेकिन इसका समूचे वर्ष के लिए यथा समय

समायोजन कर लिया जाएगा।

(ग) और (घ) सरकार को ऐसे किसी मामले की जानकारी नहीं है।

(ङ) और (च) 1992-93 और 1993-94 के खरीफ विपणन मौसमों के दौरान निम्नानुसार चावल की वसूली हुई है : -

(लाख मीटरी टन में)

1992-93	1993-94
117.93	123.78

(18.4.1994 को स्थिति के अनुसार)

(छ) चूंकि चावल की वसूली मिल मालिकों द्वारा धान की संसाधित मात्रा पर निर्भर करती है, इसलिए इस संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद को अनुदान

4914. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद को 1994-95 के दौरान गत वर्ष की तुलना में बेहतर कार्य हेतु अधिक अनुदान दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद का 1994-95 का बजट 738 लाख रुपये है जिसमें 250.00 लाख रुपये (योजनागत) और 488.00 लाख रुपये (योजनेतर) हैं। 1993-94 के दौरान परिषद का बजट 250.00 लाख रुपये (योजनागत) और 437.00 लाख रुपये (योजनेतर) था। तथापि, सरकार ने वर्ष 1993-94 के दौरान परिषद को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए 191 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की : -

1. **योजनागत (एक-मुश्त अनुदान)**

(i)	27 अनुसंधान संस्थानों के अनुसंधान कार्यक्रमों को सहायता देने हेतु	50 लाख रुपये
(ii)	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कैम्पस में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की इमारत पूर्ण करने हेतु	50 लाख रुपये
(iii)	जापान की सहायता से प्रलेखन केन्द्र की स्थापना हेतु	40 लाख रुपये

2. **योजनेतर**

	कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का भुगतान	50 लाख रुपये
	कुल :	191 लाख रुपये

वर्ष 1994-95 के दौरान488.00 लाख रुपये का योजनेतर प्रावधान, कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान करने हेतु है।

[हिन्दी]

कृषि विकास कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक से सहायता

4915. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में कृषि विकास के लिए 1994-95 के दौरान विश्व बैंक से सहायता का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) वर्ष 1994-95 के दौरान कृषि विकास परियोजनाओं के लिए हरियाणा, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र ने विश्व बैंक से आर्थिक सहायता की मांग की है।

(ख) और (ग) कृषि विकास के लिए विश्व बैंक से मांगी गई आर्थिक सहायता में विकास में आने वाली बाधाओं के विश्लेषण तथा प्राथमिकता निर्धारित करने में राज्य सरकारों की क्षमता में सुधार, किसानों को किफायती सेवाएं प्रदान करने के लिए संस्थाओं के विकास राज्य कृषि संदर्श योजनाओं में अभिज्ञात किए गए प्राथमिकता निवेश कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करने, संसाधनों के उन्नत तकनीकी, वित्तीय एवं किफायती उपयोग के माध्यम से कृषि की वृद्धि दर को बढ़ाने तथा उत्पादक संसाधन आधार की सततता को बढ़ाने का प्रावधान होगा। राज्य सरकारें कृषि नीति पत्र का प्रारूप तैयार करके, जिसमें कृषि विकास परियोजना के विशिष्ट प्रस्तावों का समावेश होगा, भारत सरकार/विश्व बैंक के विचारार्थ प्रस्तुत करेंगी।

[अनुवाद]

पर्यावरण पर सेमीनार

4916. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1994, में मद्रास में पर्यावरण पर एक द्वि दिवसीय राष्ट्रीय विचारगोष्ठी हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इसमें किन-किन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया और कौन-कौन से सुझाव सिफारिशें की गई ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) विचार-गोष्ठी में पर्यावरण नीति एवं कानून से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई थी। विचार-गोष्ठी में की गई कुछ प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं : पर्यावरण को संविधान की सातवीं अनुसूची में शामिल करना, पर्यावरण को एक विशिष्ट मौलिक अधिकार बनाना, निर्णय लेने एवं विधिक प्रक्रियाओं में जन-भागीदारी और मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए एक प्रभावी क्रियाविधि लागू करना।

(ग) विचार-गोष्ठी की कुछ प्रमुख सिफारिशों को मंत्रालय में पहले ही अपनी नीतियों, विधानों नियमों इत्यादि में अथवा विभिन्न कार्यक्रमों तथा स्कीमों के जरिए पहले ही शामिल कर लिया है।

सामान्य भविष्य निधि

4917. श्री गोविन्द चन्द्र मुन्डा : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा उन कर्मचारियों, जिनकी मृत्यु तीन वर्ष पूर्व सेवारत रहते हुए हो गई थी के परिवारों के सदस्यों को अब तक सामान्य भविष्य निधि की राशि प्रदान नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में ऐसे मामलों की संख्या क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष में ऐसे सभी मामलों को निपटाने का है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ङ) रेल कर्मचारी राज्य रेलवे भविष्य निधि नियमों द्वारा शासित होते हैं जबकि सिविल साइड के कर्मचारियों पर सामान्य भविष्य निधि नियम लागू होते हैं।

सूचना इक्ट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

मात्स्यिकी घाट

4918. श्री के. प्रधानी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में मात्स्यिकी घाट (जेट्टी) बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन परियोजनाओं पर कितना व्यय होगा ; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री [illegible] नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उड़ीसा सरकार ने भुसंडपुर - बालीपतपुर में 97.10 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर एक मत्स्य अवतरण केन्द्र के विकास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव में एक जैटी, नीलामी हाल, जाल ठीक करने का शैड, कार्यशाला, आन्तरिक सड़कों का निर्माण तथा भू-सुधार, बिजली तथा जल आपूर्ति की व्यवस्था किया जाना शामिल है।

(घ) इस प्रस्ताव पर तकनीकी दृष्टि से पहले ही जांच कर ली गई है और इस पर आगे कार्रवाई की जा रही है।

भारतीय प्रबंधन संस्थान

4919. प्रो.के.वी. थामस :

श्रीमती सुमित्रा महाजन :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से संबंधित राज्यों में एक भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थापित करने (खोलने) हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) जी, हाँ। केरल और मध्य प्रदेश में भारतीय प्रबंध संस्थान स्थापित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। एड्यूकेशनल कन्सल्टैंट्स इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली को इन भारतीय प्रबंध संस्थानों के लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

[हिन्दी]

पुष्कर सरोवर

4920. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुष्कर सरोवर "तीर्थ" राजस्थान रेतीली आंधी के कारण रेत से भरता जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में रेतीली आंधी कितनी गति से आती है और इस सरोवर के सतह पर कितनी रेत जमा हो गई है ;

(ग) क्या यह सरोवर रेतीली आंधी के कारण रेत के जमाव के फलस्वरूप समाप्त हो जाएगा ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस तीर्थस्थान को समाप्त होने से बचाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) विशेषकर बरसात के मौसम के दौरान कुछ बरसाती नालों, धाराओं से रेत के अन्तर्वाह के कारण पुष्कर सरोवर में गाद जमाव हो रहा है।

(ख) धूल भरी आंधियों तथा सरोवर में रेत जमाव की मात्रा के संबंध में कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किए गए हैं।

(ग) सरोवर को अवसादन की प्रक्रिया के कारण खतरा है जिससे जल की गहराई में कमी और झील क्षेत्र घट रहा है।

(घ) राजस्थान राज्य सरकार ने 1992-93 में 402 लाख रुपए की कुल लागत से तीन वर्षों की अवधि के लिए पुष्कर सरोवर के लिए एक समेकित संरक्षण योजना मंजूर की है। इस परियोजना के तहत शुरू की गई गतिविधियों में प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन, खाली स्थानों तथा बंजर पहाड़ी ढालुओं में वनरोपण, बालू के टीलों का स्थिरीकरण तथा चेक बांधों और कंटूर डाइकों का निर्माण शामिल है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ''पुष्कर झील घाटी पारि-प्रणाली के संबंध में सीवेज जल के उपयोग और प्रदर्शन संबंधी परियोजना'' को कुल 19.66 लाख रुपए की लागत से चार वर्षों की अवधि (1991-92 से 1994-95 तक) के लिए मंजूर किया है। इस परियोजना के अंतर्गत संभावित गतिविधियों में बाड़ लगाना, सीवेज जल को पहुंचाना और उसका भंडारण, नर्सरी विकास, वनरोपण, अनुसंधान और जागरूकता उत्पन्न करना शामिल हैं।

पर्यावरण और वन मंत्रालय में ''पुष्कर झील घाटी पारि-प्रणाली के पुनरुद्धार के लिए दूर संवेदन अध्ययनों'' से संबंधित एक परियोजना मंजूर की है ताकि विभिन्न भूमि प्रयोगों और भूमि कवर श्रेणियों, पारि अवक्रमण तथा पुष्कर घाटी क्षेत्र के भूमिगत जल संसाधनों का पता लगाया जा सके।

कोयला वैगनों की सप्लाई

4921. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश को आबंटित किये गये कोयला वैगन राज्य की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं ;

(ख) क्या राज्य में उद्योगों के प्रतिनिधियों ने कई बार राज्य सरकार के माध्यम से केन्द्रीय सरकार से और अधिक कोयला वैगनों की सप्लाई के लिए अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ) : (क) से (ग) कतिपय अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। औद्योगिक उपभोक्ताओं की सहायता करने के लिए रेलों ने कोयले की सभी किस्मों के लिए राज्य की निर्धारित अधिकतम सीमा पहले ही वापिस ले ली है। प्रत्येक राज्य कोयले की किसी भी किस्म के लिए माल डिब्बों की कितनी ही संख्या में सिफारिश कर सकता है तथा उनकी सिफारिशें पूरी तरह स्वीकार की जा रही हैं।

इसके अलावा मैसर्स कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा उदारीकृत बिक्री योजना के अंतर्गत बेचे गए कोयले की बिक्री रेल द्वारा ढुलाई करने की अनुमति देने की व्यवस्था की गई है।

[अनुवाद]

चंडीगढ़ में मात्स्यिकी

4922. श्री पवन कुमार : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चंडीगढ़ में मात्स्यिकी के विकास के लिए कोई योजना आरंभ की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लाभ भोगियों की संख्या क्या है ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष इस पर कितना व्यय हुआ ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) मात्स्यिकी विकास की योजनाएं जैसे - मीठे पानी में मछली पालन का विकास, अन्तर्देशीय मछली विपणन, मछुआरों का कल्याण आदि चण्डीगढ़ संघ शासित मात्स्यिकी संबंधी किसी योजना का लाभ नहीं उठाया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

उत्तर प्रदेश सेतु निगम

4923. श्री राम नाईक : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में पश्चिम रेलवे और केन्द्र रेलवे ने उत्तर प्रदेश सेतु निगम को कौन-कौन से और किस प्रकार के ठेके दिए हैं ;

(ख) कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है और इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सेतु निगम ठेके पर श्रमिक रखता है और उनके पारिश्रमिक का भुगतान रेल-प्रशासन करता है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अनुचित व्यापारिक व्यवहार

4924. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलगेट पालमोलिव इंडिया लिमिटेड जैसी कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादों के मूल्य अकारण ही तथा अनुचित व्यापारिक व्यवहार अपना कर समय-समय पर बढ़ाते रहते हैं ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ;

(ग) इस संबंध में उनके मंत्रालय सुपर बाजार और केन्द्रीय भंडार को कितने पत्र प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार मैसर्स कॉलगेट पामोलिव इंडिया लि. ने 1993 के दौरान अपने उत्पादों के मूल्य मुख्यतः विनिर्माण तथा विपणन की लागतों में वृद्धि होने के कारण, बढ़ा दिए थे।

(ग) से (घ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

	प्राप्त पत्र	की गई कार्रवाई
	नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	
1.	कॉलगेट पामोलिव (इंडिया) लि. के उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के संबंध में दिनांक 25.8.1993 का पत्र ।	18.11.1994 को उत्तर दिया गया।
2	मैसर्स कॉलगेट पामोलिव (इंडिया) लि. के मूल्यों में वृद्धि के संबंध में दिनांक 22.12.1994 का पत्र	9.3.1994 दिया गया।
	मैसर्स कॉलगेट पामोलिव (इंडिया) लि. द्वारा सुपर बाजार को ऋण-सुविधाएं देने के संबंध में 3.1.1994 का पत्र ।	9.3.1994 को उत्तर दिया गया।
4.	मैसर्स कॉलगेट पामोलिव (इंडिया) लि. द्वारा सुपर बाजार में व्यापार संवर्द्धन योजना कार्यान्वित करने के संबंध में दिनांक 15.3.1994 का पत्र।	15.4.1994 को उत्तर दिया गया।
	भण्डार	
5.	मैसर्स कॉलगेट पामोलिव (इंडिया) लि. की प्रोत्साहन योजनाओं के संबंध में दिनांक 6.12.1993 का पत्र ।	7.4.1994 को उत्तर दिया गया।
	सुपर बाजार	
6.	मैसर्स कॉलगेट पामोलिव (इंडिया) लि. द्वारा वर्ष 1993 के दौरान सुपर बाजार में मुहैया कराई गई बिक्री संवर्द्धन योजनाओं के संबंध में दिनांक 18.1.1994 का पत्र।	सुपर बाजार को लिखे गए पत्र में उठाए गए मुद्दे मंत्रालय के दिनांक 15.4.1994 के पत्र में शामिल हैं।

रेल फाटक

4925. श्रीमती शीला गौतम :

श्रीमती भावना चिखलिया :

श्री रामपाल सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) **गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितने रेल फाटकों पर उपरिपुलों तथा अधःपुलों का निर्माण किया गया है**

(ख) उस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी है ;

(ग) उन रेल फाटकों की संख्या कितनी है जिन पर चालू वर्ष के दौरान उपरिपुलों / अधःपुलों का निर्माण किया जायेगा ;

(घ) इस योजना के लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है ; और

(ङ) देश में सभी रेल फाटकों पर उपरिपुलों/अधःपुलों का निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) 55 समपारों पर रेलवे के हिस्से का काम पूरा हो गया है।

राज्य	ऊपरी/निचले सड़क पुलों की संख्या
आसाम	1
आंध्र प्रदेश	14
बिहार	1
दिल्ली	1
हरियाणा	1
कर्नाटक	5
महाराष्ट्र	1
मध्य प्रदेश	11
पंजाब	1
राजस्थान	1
तमिलनाडु	2
उत्तर प्रदेश	11
पश्चिम बंगाल	5
कुल :	55

(ख) लगभग 89.16 करोड़ रुपए (केवल रेलवे का हिस्सा)

(ग) लगभग 10 अदद।

(घ) 33.10 करोड़ रुपए (लगभग)

(केवल रेलवे का हिस्सा)

(ङ) देश में 37,000 से अधिक समपार हैं। प्रत्येक समपार के बदले ऊपरी/निचले सड़क पुल की व्यवस्था करने में 5 करोड़ रुपए की लागत आएगी और यह कुल मिलाकर लगभग 19,000 करोड़ रुपए बनेगी

जिसमें वार्षिक अनुरक्षण लागत शामिल नहीं है।

देश में मौजूदा वित्तीय तंगियों को देखते हुए यह बताना संभव नहीं है कि सभी समपारों के बदले ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण करने में कितना समय लगेगा।

तिलहन

4926. श्री काशीराग राणा : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है और इन्हें निर्यात करने की स्थिति में है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या तिलहनों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता के बावजूद इनकी कीमतों में वृद्धि हो रही है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) इनकी कीमतों में कमी करने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) तिलहनों के उत्पादन में वर्षानुवर्ष वृद्धि हो रही है। बढ़े हुए उत्पादन के परिणामस्वरूप देश तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की राह पर है।

(ख) विगत में भी निर्यात किया जा रहा था। 1992-93 के दौरान तिलहनों (मूंगफली, तिल तथा रामतिल) का निर्यात 70,120 मीटरी टन था और जिसका मूल्य 123.65 करोड़ रुपए था।

(ग) और (घ) यद्यपि 1993-94 के दौरान तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि हुई थी परन्तु तेल की प्राप्ति कम हुई थी क्योंकि मूंगफली की पैदावार कम हुई थी जो कि सोयाबीन की तुलना में तेल का एक अच्छा उत्पादक है (सोयाबीन तेल की अच्छी उत्पादक फसल नहीं हैं) इसलिए बाजार में तिलहनों के मूल्य में कुछ वृद्धि हुई थी।

(ङ) तिलहनों का उत्पादन बढानें के लिए देश में 21 जिलों में केन्द्र द्वारा प्रवर्तित तिलहन कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। तिलहन उत्पादन कार्यक्रम में, इन फसलों की उत्पादकता के स्तर को बढ़ाने के लिए किसानों को प्रमुख आदान पर सहायता दी जाती है।

माल डिब्बों की उपलब्धता

4927. श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाद्यान्न का अतिरिक्त उत्पादन करने वाले पंजाब तथा हरियाणा जैसे राज्यों में कृषि उपज के व्यस्ततम विपणन काल के दौरान अभावग्रस्त राज्यों को खाद्यान्नों की ढुलाई के लिये माल डिब्बों की सुविधा प्रदान करने से सदा इन्कार किया है और इस कारण किसानों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस मामले पर पुनर्विचार करने और इस विपणन काल के दौरान इन राज्यों के किसानों को मालडिब्बे उपलब्ध करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) माल डिब्बों की सप्लाई सरकारी एजेंसियों, किसानों तथा व्यापारियों द्वारा खाद्यान्नों एवं अन्य कृषि उत्पाद के लदान के लिए प्रस्तुत मांग पत्रों की प्राथमिकता और पंजीकरण की तारीख के अनुसार परिचालनिक और मार्ग कोटा प्रतिबंधों तथा सिविल प्रतिबंधों, यदि कोई हो, के अध्यधीन की जाती है। कभी-कभी फुटकर लदान को प्रतिबंधित कर दिया जाता है ताकि महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए ब्लाक रेकों में अधिक से अधिक लदान किया जा सके।

(ख) और (ग) यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं कि मांग के अनुसार माल डिब्बों की सप्लाई की जाए और गहन निगरानी के जरिए मांग और सप्लाई के बीच समयान्तर नगण्य हो जाए ।

चीनी मिलें

4928. श्री आनंद अहिरवार :

श्री बारे लाल जाटव :

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 में मध्य प्रदेश में कितनी नई चीनी मिलों की स्थापना की गई ;

(ख) ये चीनी मिलें कब तक कार्य करना प्रारंभ कर देंगी ; और

(ग) इन्हें चालू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) चीनी वर्ष 1993-94 के दौरान (31.3.1994 तक) मध्यप्रदेश राज्य में कोई नई चीनी मिल स्थापित नहीं की गई है।

(ख) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र

4929. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कितने प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इन प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की वास्तविक स्थिति का पताल गाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा योजना के अन्तर्गत कोई सर्वेक्षण कराया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस संबंध में राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) गुजरात में स्वेच्छा आधारित पूर्ण साक्षरता अभियान ने केन्द्र आधारित प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का स्थान ले लिया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) गुजरात के सभी 19 जिलों को पूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत शामिल किया गया।

प्रतीक्षाकक्षों में अतिक्रमण

4930. श्री साईमन मरान्डी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न रेल स्टेशनों पर यात्रियों को रहने तथा शौचादि की सुविधा प्रदान करने के लिये प्रतीक्षा कक्षों का निर्माण किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों ने पूर्व रेलवे में पाकुड़ (बिहार) में रेलवे के प्रतीक्षा कक्षों का अतिक्रमण कर लिया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ) : (क) स्टेशनों पर प्रतीक्षालयों की सुविधा की व्यवस्था गाड़ी पकड़ने के लिए प्रतीक्षारत यात्रियों की सुविधा के लिए की जाती है।

(ख) जी नहीं। तथापि पाकुड़ स्टेशन पर एक प्रतीक्षाकक्ष और प्रतीक्षालय का एक भाग काफी समय से राजकीय रेलवे पुलिस के कब्जे में है।

(ग) राजकीय रेलवे पुलिस/बिहार द्वारा इस सेवा भवनों पर किए गए अन्य ऐसे अनधिकृत कब्जे के मामले समय-समय पर राजकीय रेलवे पुलिस के संबंधित प्राधिकारियों के साथ बैठकों में उठाये जाते हैं। इस मामले में उपयुक्त स्तर पर भी कार्रवाई की गयी है।

कायनकुलम रेलवे स्टेशन

4931. श्री थाइल जॉन अंजलोज : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में कायनकुलम रेलवे स्टेशन के विकास से संबंधित नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ख) 1993-94 के दौरान वित्तीय तथा वास्तविक संदर्भ में कितना प्रतिशत कार्य पूरा किया गया ; और

(ग) वित्तीय तथा वास्तविक संदर्भ में 94-95 के लिये किन विकास योजनाओं पर विचार किया गया है।

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ) : (क) से (ग) कायनकुलम रेलवे स्टेशन का विकास कार्य अल्लेप्पी-कायनकुलम नई लाइन और कायनकुलम-कोल्लम दोहरीकरण परियोजनाओं के भाग के रूप में शुरू किया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित कार्य पूरे किए जा चुके हैं : -

(i) द्वीप प्लेटफार्म,

(ii) ऊपरी पैदल पुल

(iii) द्वीप प्लेटफार्म पर यात्री सायबान, और

(iv) स्टेशन पहुंच मार्ग और प्लेटफार्म की सतह में सुधार।

इसके अलावा, चालू वर्ष में निम्नलिखित कार्य भी शुरू किये जाने की योजना है।

(i) द्वीप प्लेटफार्म पर अतिरिक्त यात्री सायबान और

(ii) प्रतीक्षालय में सुधार और स्टेशन अधीक्षक अधीक्षक के लिए अलग कमरे की व्यवस्था।

इन सभी कार्यों के लिए नई लाइन और दोहरीकरण परियोजनाओं के लिए की गई बजटीय व्यवस्था में से वित्त पोषण किया जाता है। अतः उपर्युक्त कार्यों पर किए गए खर्च का अलग से कोई ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

नारियल का उत्पादन

4932. श्री वी.एस. विजय राघवन : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेंट्रल-प्लांटेशन क्रोप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किये गये अध्ययनों से केरल में नारियल की उत्पादकता में कमी होने का पता चला है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उत्पादकता में गिरावट आने के क्या कारण हैं ; और

(घ) राज्य में नारियल की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए यदि कोई कदम उठाये जा रहे हैं तो उनका ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) महोदय, केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान ने उत्पादन और उत्पादकता पर दस वर्षों के आंकड़ों का विश्लेषण किया है जिससे पता चलता है कि केरल में कुल मिलाकर प्रति हैक्टेयर उत्पादकता को कायम रखा जा रहा है। वर्ष 1980-81 में उत्पादकता 4558 थी और वर्ष 1991-92 के दौरान 4970 थी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) अनुसंधान एवं विकास प्रयासों को पर्याप्त रूप से बढ़ाया गया है। सौ से एक सौ सोलह (100-116) गिरी (नट्स) पॉम प्रति वर्ष की उपज देने में सक्षम किस्मों और संकरों, उन्नत कृषि-क्रियाओं के पैकेज और मुरझान प्रभावित क्षेत्रों में उतपादकता बढ़ाने के लिए प्रबंध नितियों को अब विकसित किय जा चुका है। नारियल विकास बोर्ड भी आठवीं योजना के लिए 25 करोड़ रुपयों की लागत से नारियल जोतों में, उत्पादक सुधार के समन्वित कृषि कार्यक्रम के तहत केरल में प्रमुख उत्पादकता सुधार कार्यक्रम चला रहा है। केरल में इन कार्यक्रमों के तहत 100,000 हैक्ट. खेत्र को लाए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

प्रकाश टंडन समिति

4933. श्री गुमान मल लोढ़ा :

प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :

श्री आर. जीवरत्नम :

श्री सनत कुमार मंडल :

श्री आर.सुरेन्द्र रेड्डी :

श्री सैयद शहाबुद्दीन :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल की संगठनात्मक संरचना के अध्ययन के लिए जुलाई 1993 में प्रकाश टंडन समिति गठित की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके विचारार्थ विषय क्या है ;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या सरकार ने इन्हें मान लिया है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी हां।

(घ) सिफारिशें संगठनात्मक संरचना और प्रबंध प्रणालियों में किए जाने वाले परिवर्तनों से संबंधित है ताकि भारतीय रेलें व्यापार उन्मुख-उद्यम के रूप में कार्य कर सकें।

(ङ) और (च) उन सिफारिशों के कार्यान्वियन के लिए, जिन्हें सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया गया है, तौर-तरीके तैयार करने के लिए कृत्यक बल गठित किए जा रहे हैं। अन्य सिफारिशों की जांच की जा रही है।

विवरण

समिति के विचारार्थ विषय नीचे दिए गए हैं : -

1. देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में रेलों को जो महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, उसको ध्यान में रखते हुए समिति भारतीय रेलों की मौजूदा संगठनात्मक संरचना तथा प्रबंध प्रणालियों की विशेषकर, निम्नलिखित के संदर्भ में जांच करेगी और उपयुक्त परिवर्तनों का सुझाव देगी ताकि रेलें अपने को ऐसे व्यापार उन्मुखी संगठन के रूप में ढाल सकें जो उसकी लाभप्रदता बनाए रख सके।

(क) देश की उभरती हुई आर्थिक अनिवार्यताएं ;

(ख) घटते हुए बजटीय समर्थन तथा बाजार ऋणों की लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक अर्थखमता सुनिश्चित करने की आवश्यकता ;

(ग) अत्यधिक प्रतियोगी बाजार में उपभोक्तओं की बढ़ती हुई जागरूकता।

1.1 प्रबंधकीय स्तर पर कार्य संबंधी मौजूदा उत्तरदायित्वों की जांच करना और यह सुझाव देना कि वे किस तरह से निम्नलिखित के लिए संघटित हो सकते हैं : -

(i) लागत सार्थक उपभोक्ता सेवा प्रदान करना।

(ii) विकास क्षेत्रों में निवेश बढ़ाना।

(iii) निर्णय लेने में तेजी लाना।

(iv) सभी क्षेत्रों में गुणवत्ता सुनिश्चित करना तथा

(v) उत्तरदायित्व के अनुरूप जबाबदेही।

1.2 ऐसे उपाय सुझाना जिनके द्वारा मानव संसाधन आधार की पूरी क्षमता को प्रभावी रूप से काम में लाया जा सके ताकि, समवेत उद्देश्य प्राप्त किए जा सकें।

1.3 ऐसी विधि निर्धारित करना, जिसके अंतर्गत व्यापार-उन्मुख संगठन के रूप में इसे ढाला जा सके। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ समय सीमा, अपेक्षित साधन-सामग्री और प्रत्येक ऐसे महत्वपूर्ण उपाय प्रारंभ करना और पूरा करना शामिल है। जिसे किया जाना आवश्यक हो।

[अनुवाद]

पर्यावरणीय स्वीकृति

4934. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1994 में सरकार द्वारा प्रमुख क्षेत्रों में नए एकक खोलने हेतु आवश्यक अनिवार्य पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में जारी अधिसूचना का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस पर केन्द्र तथा राज्य स्तर की सभी एजेंसियों की प्रतिक्रिया क्या है ;

(ग) क्या अधिसूचना में मौजूद कुछ कमियां सरकार के ध्यान में आई हैं जिनसे अधिसूचना जारी करने का उद्देश्य ही विफल हो जाता है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या उद्योगों को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु नए दिशा निर्देश जारी करने का विचार है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) इस मंत्रालय द्वारा 27 जनवरी, 1994 को एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसके अनुसार 29 चयनित गतिविधियों के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन को कानून द्वारा अपेक्षित बनाया गया है। अधिसूचना में अन्य बातों के साथ-साथ परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ समितियों का गठन, जनता की सुनवाई की व्यवस्था और स्थल विशिष्ट परियोजनाओं के लिए द्विस्तरीय मंजूरी की व्यवस्था है। मामलों पर निर्णय लेने के लिए अधिकतम 90 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है तथा इसमें असत्य और गुमराह करने वाली सूचना देने पर कार्रवाई करने की भी व्यवस्था है। इस अधिसूचना को केन्द्र तथा राज्य स्तर की विभिन्न एजेंसियों के दृष्टिकोणों पर विचार करने के बाद ही अंतिम रूप दिया गया था।

(ग) और (घ) इस अधिसूचना की जांच की जा रही है।

(ङ) और (च) मंत्रालय के पास नदी घाटी परियोजनाओं, खनन, उद्योगों, पत्तन तथा बन्दरगाहों, हवाई अड्डों, रेल और सड़क, संचार परियोजनाओं, नए नगर क्षेत्रों आदि जैसी विभिन्न गतिविधियों के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन/पर्यावरणीय प्रबन्ध योजना तैयार करने संबंधी दिशानिर्देश पहले ही विद्यमान हैं। इन्हें समय-समय पर अद्यतन बनाया जाता है।

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अन्तर्गत केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी

4935. श्री मुही राम सैकिया :

डा. सुधीर राय :

प्रो. रासा सिंह रावत :

श्री चेतन पी.एस. चौहान :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सरकार से केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के कार्यक्षेत्र में इसके कर्मचारियों को शामिल करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग). कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने बताया है कि केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (ट्रिबुनल) के विभिन्न बैंचों के वर्तमान कार्यभार के विचार से यह अधिकरण इस समय अपने क्षेत्राधिकार में किसी नए संगठन को लेने की स्थिति में नहीं है। अतः इस समय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के साथ इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

अवध एक्सप्रेस

4936. श्री प्रवीन डेका : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अवध एक्सप्रेस की बारम्बारता बढ़ाने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) से (ग). संभवतः आशय 5609/5610 अवद्य असम एक्सप्रेस से है जो पहले ही दैनिक गाड़ी है।

[हिन्दी]

चीनी मिलें

4937. डा. गुणवन्त रामभाऊ सरोदे :

श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में इस समय स्थानवार कितनी चीनी मिलें हैं ;

(ख) उनमें से कितनी अर्थक्षम हैं ;

(ग) इस समय राज्य में कितनी चीनी मिलें रूग्ण हैं ; और

(घ) इन मिलों को पुनः चालू करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) इस समय महाराष्ट्र में 109 संस्थापित चीनी मिलें हैं। इनका स्थान-वार विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) सरकार चीनी मिलों के लाभ और घाटे का हिसाब नहीं रखती है और इस प्रकार यह बताना संभव नहीं है कि उनमें से कितनी अर्थक्षम हैं तथा कितनी रूग्ण हैं। तथापि रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के उपबंधों के तहत, जो कंपनियां रूग्ण हो जाती हैं उनके मामलों को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) को भेज दिया जाता है। इन उपबंधों में अब सरकारी कंपनियों को भी कवर कर लिया गया है। बी.आई.एफ.आर. ने सूचित किया है कि महाराष्ट्र में 31.3.1994 तक ऐसा एक मामला था।

(घ) चीनी मिलों को पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण योजनाएं स्वयं तैयार करनी होती हैं तथा उनका वित्तीय संस्थाओं से अनुमोदन करवाना होता है। ऐसी पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण योजनाओं के लिए रियायती ब्याज दरों पर चीनी विकास निधि (एस.डी.एफ.) से भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है बशर्ते कि वे निहित शर्तें पूरी करती हों।

विवरण

महाराष्ट्र राज्य में वर्तमान चीनी मिलों की जिलावार स्थिति

क्र. सं.	चीनी मिल का स्थान
जिला शोलापुर	
1.	श्रीपुर
2.	मालीनगर
3.	अकलुज
4.	सदाशिवनगर
5.	कुमठे, डाकघर टिकावाडी
6.	गुरसाले, तालुका पन्धारपुर
7.	सिकन्दर टाकली, तह. महोल
8.	इरले वैराग, तालुका बरसी
9.	लवे-भटवानी, तह. करमाला
10.	शिरानन्दगी, ता. मंगलवेधे

जिला नासिक

11.	रावलगांव
12.	लोहाडी, तालुका मालेगांव
13.	भाऊसाहेबनगर
14.	रनवाड, तालुका निफाद
15.	मटेरवाड़ी, तालुका दिन्देरी
16.	पाल्से
17.	विठेवाडी (लोहनेर)

जिला कोल्हापुर

18.	यालगुड, तालुका हतकंगोले
19.	साहुनगर, डाकघर पराटे
20.	कस्बा भवादा
21.	गंगानगर, इचालकरंजी
22.	वारनानगर
23.	कुडीटरे, तालुका करवीर
24.	बिदरी, डा. मौनीनगर, ता. कागल
25.	असुरले, तालुका पंहाला
26.	शिरोल
27.	हलकरनी, ता. चांदगढ़
28.	गधीगल्ज
29.	कागल

जिला पुणे

30.	निगाड़े, तालुका भोर
31.	बिजावाड़ी, तालुका इंदापुर
32.	भवानीनगर, तालुका इंदापुर
33.	मालेगांव बीके
34.	सोमेश्वरनगर

35. चिंतामणीनगर, डा. थीयूर

36. पटास, तालुका दौंड

37. जुन्नार

जिला अहमदनगर

38. चांगदेवनगर

39. कोल्पेवाड़ी

40. हरीगांव

41. परवारनगर

42. अशोकनगर, डा. श्रीरामपुर

43. गणेशनगर, डा. रंजनगांव खुद

44. कोपरगांव

45. राऊरी

46. श्रीगौंडा डाकघर

47. अमृतनगर, तालुका संगमनेर

48. निवासा

49. रशीन, तह. कारजट

50. विरद्धेश्वर साखर कारखाना,
तालुका पाथरड़ी (पिम्पलगांव)

51. सोनाई, तालुका निवासा

52. पारनेर

53. जमगांव, तह. अकोला

जिला सांगली

54. तसगांव (तुरची फाटा)
डा. तुरची, ता. तसगांव

55. सांगली

56. राजारामनगर, डा. साखराले, ता. वाल्वा

57. यसवंतनगर, डा. चिखली, ता. शिराला

58. वाल्वा

59. नागेवाडी, ता. खानपुर

60. कवाठे महांकाल

61. सोनरसिद्धनगर

जिला औरंगाबाद

62. रघुनाथनगर

63. सिल्लोड

64. कन्नड़

65. पारसोदा, ता. वैजापुर

66. पैथन

67. फुलम्बरी

जिला सतारा

68. रेथारे बुडरूक, डा. शिवनगर

69. फाल्टन (श्रीराम एसएसके)

70. तालुका फाल्टन, डा. साखरबाड़ी

71. भुंज, ता. वई

72. दौलतनगर, मराली, ता. पाटन

73. यसवंतनगर, तालुका कराड़

74. शेन्द्रे

जिला उसमानाबाद

75. टेरनानगर, ता. ढोकी

76. नालदुर्ग, तालुका तुलजापुर

जिला नान्देड

77. कालम्बर, डा. गांधीनगर

78. शंकरनगर, डा. रामतीर्थ

79. फुलेनगर, तह. भोकर

जिला धुलिया

80. भडने, ता. साकरी

81. ता. सहादा, डा. पुरुषोत्तमनगर

82. सिन्धेखेड़ा, ता. धुले

83. दहीवाड, ता. शिरपुर

जिला बुलडाना

84. दुसारबिड, ता. महाकर

जिला यवतमाल

85. पुसाद

86. बारबाडी, ता. दरवाह

87. मंगरूल

जिला बीड

88. अम्बासाखर, ता. अम्बाजोगई

89. जियोराई

90. काडा, ता. अस्ती

91. बीड, ता. बीड

92. नेथरूड, ता. माजलगांव

जिला जलगांव

93. फैजपुर

94. कसोडा

95. भोरस-चालीसगांव

96. मचाले, तह. चोपाड़ा

जिला परभानी

97. डोंगराकाडा, ता. पाथरी

98. देवनन्द्रा, ता. पाथरी

जिला जालना

100. महाकाला, ता. अम्बाड

101. गांव रामनगर, तह. जालना

जिला लातूर

102. नालेगांव, ता. अहमदपुर

103. किल्लारी

104. चिंचोलीराव

जिला अमरावती

105. धमनगांव, ता. चंदूर रेलवे

जिला नागपुर

106. बाबदेव, तह. मांडा

जिला वर्धा

107. जामनी, ता. शेलू

जिला भण्डारा

108. महोली

जिला अकोला

109. मसलापेन, ता. रिसोड

सैनिक डेरी फार्मों में पशुधन विकास

4938. डा. साक्षीजी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दुधारू पशुओं की उत्तम नस्लें विकसित करने और उनका वीर्य प्राप्त करने के लिए सैनिक डेरी फार्मों के अनुभव और संसाधनों को उपयोग में लाने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) सैनिक फार्म/रिमाउण्ड वेटनरी कोर के साथ सहयोग करने के लिए 10 क्षेत्रों को अभिज्ञात किया गया है।

1. मादा जर्म प्लाज्म का उत्पादन।
2. वितरण हेतु नर जर्मप्लाज्म का उत्पादन।
3. सर्वोत्कृष्ट पशुओं से भ्रूणों का उत्पादन।
4. सीमावर्ती क्षेत्रों में विस्तार कार्यकलाप।
5. घास भूमि तथा घास बीज का विकास।
6. मांस परियोजनाओं की स्थापना।
7. डाटा बैंक तथा सूचना केन्द्र की स्थापना।
8. स्वदेशी नस्ल के घोड़ों का विकास और संरक्षण।
9. घुड़दौड़ स्पर्धा के लिए घोड़ों का विकास ।
10. सुरक्षा के प्रयोजन के लिए श्वान प्रजनन इकाइयों की स्थापना।

इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 165:50 करोड़ रुपये है। सहयोग के इस दृष्टिकोण को योजना

आयोग ने सिद्धान्त रूप में अनुमोदित कर दिया है। इन विचारों को संचलनात्मक योजनाओं में मूर्त रूप प्रदान करने के लिए निश्चित कार्य प्रणालियों पर इस विभाग में विचार किया जा रहा है। 1994-95 के दौरान 9.00 करोड़ रुपये के सांकेतिक प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है।

हथाई खेड़ा, भोपाल में उच्च सुरक्षा पशु रोग प्रयोगशाला

4939. श्री सूरजभानु सोलंकी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के हथाई खेड़ा (भोपाल) में एक उच्च सुरक्षा पशु रोग प्रयोगशाला की स्थापना की गई है ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इस प्रयोजना हेतु भूमि उपलब्ध कराई है ;

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एफ.ए.ओ. कनस्ट्रक्शन के परामर्श से इसके भवन की संरचना डिजाइन तैयार करवाई है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इसके कब तक पूरी होने की सम्भावना है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) यू.एन.डी.पी./एफ.ए.ओ. द्वारा नियुक्त निदरलैण्ड के परामर्शदाताओं द्वारा और एन.डी.डी.बी. (निर्माण एजेंसी) के वास्तुविदों एवं इंजीनियरों तथा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के अधिकारियों के परामर्श से वास्तुशिल्पीय डिजाइन विकसित किया गया और उसे अन्तिम रूप दिया गया।

(ङ) दिसम्बर, 1995 तक इसके पूरा हो जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

साक्षरता उपरांत कार्यक्रम

4940. प्रो. पी.जे. कुरियन : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत जिन निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाया जाता है ये साक्षरता उपरांत चलाये जाने वाले प्रभावी कार्यक्रमों के अभाव में पुनः निरक्षर हो जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ; और

(ग) साक्षरता उपरांत अनुवर्ती कार्यक्रमों को चलाये जाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) :

विवरण

(क) से (ग). पूर्ण साक्षरता अभियानों को कार्यान्वयन के लिए एक से दो वर्ष लगे और इनका दो वर्षों

के लिए उत्तर साक्षरता अभियानों द्वारा अनुसरण किया गया। वस्तुतः कार्यान्वयन में और अधिक समय लगा। उत्तर साक्षरता अभियान केरल में भी पूरा नहीं हो सकता। उत्तर साक्षरता अभियानों की समाप्ति के पश्चात् ही शिशुक्षु जो दुबारा निरक्षर हो गए उनकी प्रतिशतता का पता लगाना सम्भव होगा।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की कार्यकारी समिति ने राज्य सरकारों और जिला साक्षरता समितियों को पूर्ण साक्षरता अभियानों की समाप्ति के पश्चात् उत्तर साक्षरता अभियानों को आरम्भ करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदान करना आवश्यक कर दिया है। पूर्ण साक्षरता अभियानों की समाप्ति तथा उत्तर साक्षरता अभियानों को आरम्भ करने के लिए न्यूनतम समय अन्तराल है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिये जिला साक्षरता समितियों से यह अनुरोध किया गया है कि पूर्ण साक्षरता अभियानों की समाप्ति से पहले उत्तर साक्षरता अभियान परियोजनाओं को स्वीकृत कराएं।

पूर्ण साक्षरता अभियान के स्तर एवं प्रभाव मूल्यांकन के लिए मंत्रालय ने प्रो. अरूण घोष की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार विशेषज्ञ समिति का गठन किया। इस समिति की रिपोर्ट, यदि आवश्यक हुआ तो, उत्तर साक्षरता कार्य नीति के संशोधनों को भी सुझाएगी।

उत्तर साक्षरता अभियान पहले ही 83 जिलों में आरम्भ किये गये हैं।

[हिन्दी]

मूंगफली के तेल का उत्पादन

4941. श्री प्रभू दयाल कठेरिया : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मूंगफली का वर्षवार कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) इस संबंध में 1994-95 के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ग) क्या देश मूंगफली के उत्पादन में आत्मनिर्भर है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) सरकार द्वारा तेल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) गत तीन वर्षों (1990-91, 1991-92 व 1992-93)के दौरान मूंगफली तेल का उत्पादन निम्नवत रहा है : -

वर्ष	उत्पादन (लाख मी.टन में)
1990-91	17.54
1991-92	16.53
1992-93	20.36

(ख) मूंगफली तेल वर्ष 1994-95 के लिए लक्ष्य नियत करने का अभी समय नहीं आया है।

(ग) और (घ) खाद्य तेलों की मांग व आपूर्ति के बीच बृहत स्तर पर अभी भी कमी है। तथापि, अलग-अलग तेलों के संबंध में मांग व आपूर्ति की स्थिति उपलब्ध नहीं है।

(ङ) मूंगफली के तेल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में से कुछ इस प्रकार हैं : -

1. दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं, अर्थात् राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना तथा तिलहन उत्पादन संवर्द्धन परियोजना, जो 1989-90 तक चल रहीं थीं, को 1990-91 के दौरान मिलाकर एक योजना, अर्थात तिलहन उत्पादन कार्यक्रम बना दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्यों को गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन व वितरण करने, पौध-संरक्षण उपाय करने, जिसमें पौध-संरक्षण रसायनों तथा उपकरणों की आपूर्ति शामिल है, और सरसों, मूंगफली, सोयाबीन तथा सूरजमुखी के विशेष संदर्भ में उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन आयोजित करने के लिए आवश्यक सहायता देने की व्यवसथा की गई है।
2. राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की तिलहन परियोजनाओं का समर्थन करना।
3. सर्वोत्तम उत्पादन, संसाधन तथा प्रबंध प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए मई, 1986 में तिलहन संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित किया गया है।
4. तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि के लिए अनुसंधान प्रयासों में तेजी लाना।
5. तिलहनों के उत्पादन कार्यक्रम के अनुरूप आवश्यक संसाधन तथा आधार-ढाँचे संबंधी सुविधाएं स्थापित करना।
6. प्रमुख तिलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य नियत करके उत्पादकों को बेहतर प्रोत्साहन देना, आदि।

गुजरात की पर्यावरण संबंधी परियोजनाएं

4942. श्री एन.जे. राठवा : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार और विदेशी सहायता से चलाई गई पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) प्रत्येक मामले में कितनी-कितनी सहायता मिली ; और

(ग) अब तक परियोजनावार कितनी प्रगति हुई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) पर्यावरण वाहिनी स्कीम को वर्ष 1992-93 के दौरान केन्द्रीय सहायता से गुजरात के चार जिलों में आरम्भ किया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय जागरूकता उत्पन्न करना तथा सक्रिय भागीदारी के जरिए लोगों को इसमें शामिल करना था। यह स्कीम वर्ष 1993-94 के दौरान जारी थी।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान उपर्युक्त स्कीम के लिए राज्य सरकार को बॉटित की गई वित्तीय सहायता निम्न प्रकार है :

वर्ष	रुपए (लाख में)
1992-93	0.94
1993-94	1.02

(ग) चुने गए चार जिलों में से अब तक तीन जिलों में पर्यावरण वाहिनी का गठन किया गया है।

बड़ोदरा स्टेशन पर डेरी स्टॉल

4943. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के अंतर्गत बड़ोदरा स्टेशन पर सहकारी आधार पर चल रहे बड़ौदा डेरी स्टॉल लाभ अर्जित कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह स्टॉल किसी गैर-सरकारी डेयरी मालिक को आबंटित किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) रेलवे स्टेशनों पर परिचालनिक खान पान/वेंडिंग लाइसेंस धारियों के लाभ हानि का लेखा रेलों द्वारा नहीं रखा जाता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालय के शिक्षकों का स्थानांतरण

4944. श्री ब्रह्मानन्द मंडल :

श्री तेजनारायण सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षकों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में तथा उसी क्षेत्र के अन्दर स्थानांतरण करने से संबंधित नियम क्या हैं ;

(ख) क्या इन नियमों का सही अर्थ में पालन किया जा रहा है ;

(ग) क्षेत्र के अन्दर तथा क्षेत्र से बाहर स्थानांतरण हेतु शिक्षकों के कितने आवेदन-पत्र केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पास लंबित हैं ;

(घ) क्या किसी राज्य के शिक्षक को उसके अपने राज्य में रिक्तियां होने के बावजूद उसी क्षेत्र के दूसरे राज्य में तैनात कर दिया जाता है ; और

(ङ) यदि हां, तो शिक्षकों के स्थानांतरण तथा उनकी अपने ही राज्यों में तैनाती के लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अपनाए गए स्थानान्तरण संबंधी दिशा-निर्देश संलग्न विवरण में हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, स्थानान्तरण संबंधी आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए कोई तंत्र नहीं है क्योंकि प्रत्येक शैक्षिक वर्ष आरंभ होने पर नए आवेदन मांगे जाते हैं।

(घ) जी, हां। यह विद्यालयों की आवश्यकता पर निर्भर करता है।

(ङ) उपर्युक्त (ग) और (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

(स्था.-III)

विषय : - शासी बोर्ड द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 1990 को आयोजित अपनी 54 वीं बैठक में अनुमोदित किए गए तथा दिनांक 6 सितम्बर, 1993 को हुई शासी बोर्ड की 56 वीं बैठक में किए गए संशोधन के अनुसार 1990-91 के शैक्षिक सत्र से अध्यापकों जिसमें उप प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य तथा इससे उच्च अधिकारी भी शामिल हैं, के स्थानान्तरण के लिए दिशा-निर्देश।

शासी बोर्ड ने दिनांक 22 अगस्त, 1990 को आयोजित अपनी बैठक में अध्यापकों सहित उप प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य तथा इससे उच्च अधिकारियों के स्थानान्तरण के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देशों को अनुमोदित किया है । ये स्थानान्तरण संबंधी दिशा निर्देश 1990-91 के शैक्षिक सत्र से लागू होंगे।

1. अध्यापकों सहित प्रधानाचार्यों को बार-बार स्थानान्तरित करने की सामान्य नीति नहीं होगी। केवल संगठनात्मक कारणों अथवा अनुरोध या बिमारी के आधार पर ही सामान्य स्थानान्तरण किए जाएंगे।
2. किसी अध्यापक/उप प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्य/शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त का स्थानान्तरण आवश्यक होने पर कोई अवधि निर्धारित की नहीं जाएगी (उप प्रधानाचार्यों तथा इससे उच्च अधिकारियों के लिए अगले वर्ष से 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए)
3. सामान्य तौर पर ण्दोन्नति की तैनातियों, स्थानान्तरणों आदि के बारे में निम्नलिखित अनुक्रमों का पालन किया जाएगा।
   (i) पदोन्नति संबंधी तैनाती।
   (ii) अन्तर-क्षेत्रीय स्थानान्तरण
   (iii) अन्तः क्षेत्रीय स्थानान्तरण

(iv) सीधी नियुक्ति की तैनाती।

4. ग्रीष्म अवकाश के दौरान ही यथा संभव वार्षिक स्थानान्तरण किए जाएंगे। तथापि, निम्नलिखित को छोड़कर कोई स्थानान्तरण नहीं किया जाएगा।

(i) प्रशासनिक आधार पर तथा

(ii) किसी गम्भीर बीमारी जिसमें 31 अक्तूबर के पश्चात् पति या पत्नी की मृत्यु को भी शामिल किया गया है; के आधार पर स्थान्तरण।

5. स्थानान्तरण, दिशानिर्देशों के खण्ड 3 को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

6. स्थानान्तरण, निम्नलिखित प्राथमिकताओं के पालन से प्रभावित होगा : -

(क) प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण (जैसा कि उपर्युक्त पैरा 4 में बताया गया है)

(ख) अनुरोध पर स्थानान्तरण :

(i) किसी गम्भीर बीमारी के कारण स्थानान्तरण, इसके लिए यह आवश्यक है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त, अपने द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संतुष्ट हो, तथा इलाज के लिए तैनाती स्थान से किसी और स्थान पर जाने की स्थिति में भी स्थानान्तरण आवश्यक हो जाता है।

(ii) अवधि के समाप्त होने पर दुर्गम स्थानों तथा उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र से स्थानान्तरण (पी.जी.टी. तथा उनसे ऊपर)

(iii) **पति-पत्नी के मामले :** एक वर्ष की अलगाव अवधि के पूरा होने के बाद परिवार में शामिल होने के लिए पति या पत्नी का स्थानान्तरण।

(iv) एक वर्ष की अलगाव-अवधि के पूरा होने के पश्चात अविवाहित महिलाओं/तलाकशुदा महिलाओं/विधवाओं का उनके सुविधाजनक स्थान पर स्थानान्तरण।

(v) शारीरिक रूप से विकलांगों का स्थानान्तरण बशर्ते कि वह एक वर्ष की अलगाव-अवधि को पूरा होने पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन की सेवा अवधि के दौरान ही विकलांग हुआ हो।

(vi) सामान्य मामले

(vii) पारस्परिक स्थानान्तरण बशर्ते कि दोनों स्थानों के लिए उच्च प्राथमिकता का कोई अन्य दावेदार न हो।

7. उल्लिखित पैरा 6 के (i), (iii), (iv), (v) और (vii) कालमों के मामलों को छोड़कर सामान्यतः किसी भी शिक्षक के स्थानान्तरण के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा जब तक उसने उस स्थान पर तीन शैक्षिक सत्र की अवधि पूरी न की हो।

8. प्रशिक्षित स्नातकोत्तर शिक्षक, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक तथा समान वेतनमान वाले अन्य वर्ग के शिक्षकों का स्थानान्तरण सामान्यतः उस क्षेत्र जिसमें उनका चयन हुआ है, से बाहर नहीं किया जाएगा।

9. नियुक्ति के समय, सभी वर्गों के शिक्षकों को उनके स्थानीय क्षेत्रों से जहां तक संभव हो दूरगामी क्षेत्रों के स्कूलों में नियुक्त किया जाएगा।

10. पदोन्नति या सीधी भर्ती होने पर उप-प्रधानाचार्यों/प्रधानाचार्यों/शिक्षा अधिकारियों/सहायक आयुक्तों को उस राज्य जिसमें वह पहले नियुक्त रह चुके हों या जहां के निवासी हों, जैसा कि मामला हो उसके अतिरिक्त अन्य प्रदेश में तैनाती की जायेगी। और सामान्यतः उनका स्थानान्तरण उस राज्य में कम से कम पांच वर्ष की अवधि पूरी होने से पूर्व दूसरे राज्य में नहीं किया जाएगा जब तक कि कोई ठोस कारण न हों।

11. उप-प्रधानाचार्यों/प्रधानाचार्यों/शिक्षा अधिकारियों/सहायक आयुक्तों जिनकी सेवानिवृत्ति में 3 वर्ष या इससे कम समय रह गया हो, को पदोन्नति/सीधी भर्ती होने पर, किसी दूसरे राज्य में नहीं भेजा जाएगा, चाहे वे गृह राज्य में ही काम कर रहे हों बशर्ते रिक्तियों की उपलब्धता हो। इसी तरह उन उप-प्रधानाचार्यों/शिक्षा अधिकारियों/सहायक आयुक्तों, जो अपने गृह राज्य से अन्यत्र राज्य में काम कर रहे हैं तथा उनकी सेवानिवृति में 3 वर्ष या इससे भी कम अवधि रह गई है, को रिक्तियों की उपलब्धता पर पदोन्नति के मामले पर प्राथमिकता के आधार पर उनके गृह राज्य में स्थानान्तरित किया जाएगा।

12. किसी भी आधार पर अनुरोध स्थानान्तरण के लिए कोई भी स्थानान्तरण यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा जब तक कि शिक्षक ने तैनाती के विद्यमान स्थान पर अपने 5 वर्ष पूरे न कर लिए हों। (अनुरोध स्थानान्तरण के लिए 5 वर्ष और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और दुर्गम स्थानों के लिए 3 वर्ष पढ़े)।

13. सहायक आयुक्त, जैसा कि वह ठीक समझें, क्षेत्र के अन्दर किसी भी स्थान पर प्रशासनिक आधार पर शिक्षक के मुख्यालय को बदलने और वहां अपने कार्यों से मुक्त होने के लिए उसे निर्देश देने के लिए सक्षम होगा। सहायक आयुक्त पुष्टिकरण या निर्देशों, जैसा कि आयुक्त द्वारा आवश्यक समझा जाए, के लिए आयुक्त को पूर्ण तथ्यों के साथ इस मामले की रिपोर्ट देंगे।

14. उक्त दिशा-निर्देशों में कोई प्रावधान न होने पर भी आयुक्त इन दिशा-निर्देशों में ऐसे परिवर्तन करने में सक्षम होगा जिन्हें वह संगठन के हित में आवश्यक समझे।

ह./-

(वी.के.जैन)

सहायक आयुक्त (मुख्यालय)

प्रतिलिपि प्रेषित :

सभी सहायक आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय विद्यालय संगठन को सूचना और दिशा-निर्देश के लिए।

ह./-

(वी.के जैन)

सम्मेलन में भाग लेना

4945. श्री एस. एम. लालजान वाशा : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल विभाग ने जनवरी, 1994 में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय रेल संघ द्वारा आयोजित सम्मेलन में भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किन-किन मुद्दों पर सहमति हुई ; और

(ग) क्या रेलवे ने इन निर्णयों को अमल में लाना शुरू कर दिया है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी हाँ।

(ख) संगोष्ठी में चर्चा का विषय राष्ट्रों की अर्थ व्यवस्था में रेलों के महत्व पर केन्द्रित रहा। रेलों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए विभिन्न नीतियों पर चर्चा की गयी थी। परिवहन सेवाओं में सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण नीति के रूप में परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच सहयोग करने का प्रस्ताव किया गया था।

(ग) परिवहन सेवाओं में सुधार लाने हेतु रेलों ने भारतीय कंटेनर निगम माध्यम से बहु-रूपात्मक परिवहन प्रणाली पहले ही लागू कर दी है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय कंटेनर निगम द्वारा ढ़ोये गए यातायात की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है।

[हिन्दी]

यात्री सुविधाएं

4946. श्री दत्ता मेघे :

श्री अन्ना जोशी :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चन्द्रपुर में तथा महाराष्ट्र के सभी टर्मिनल स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं अपर्याप्त हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारी कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसंधान परियोजनाएं

4947. डा. के.वी. आर. चौधरी : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वर्ष 1993-94 के दौरान पर्यावरण और वन संबंधी जिन अनुसंधान परियोजनाओं को धन दिया गया है उनका ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना की लागत कितनी है ; और

(ख) इन अनुसंधान परियोजनाओं में लगे संस्थानों/विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) वर्ष 1993-94 के दौरान पर्यावरण और वनों से संबंधित एक सै पन्द्रह अनुसंधान परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। जिनकी लागत 10675 लाख रुपए हैं। इन परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त पर्यावरण और वन मंत्रालय ने भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद् (आई सी एफ आर ई) , देहरादून को भी 3558 लाख रुपए दिए हैं ; भारतीय प्लाइवुड उद्योग अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर को 95 लाख रुपए, भारतीय वन्यजीवन संस्थान, देहरादून को 410 लाख रुपए ; गोविन्द बल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण और विकास संस्थान, अल्मोड़ा को 415 लाख रुपए दिए हैं। इसके अलावा निम्नलिखित पांच उत्कृष्ट केन्द्रों को 590 लाख रुपए प्रदान किए गए : (1) खनन पर्यावरण केन्द्र, धनबाद, (2) पारिस्थितिकी अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर, (3) पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, अहमदाबाद, (4) सीपीआर पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, मद्रास तथा (5) सलीम अली पक्षी - विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान केन्द्र कोयम्बतूर।

विवरण

क्र.सं.	अनुसंधान परियोजना का नाम	संस्थान	कुल लागत (लाख रुपए)
1	2	3	4
1.	रासायनिक और जैविक उपायों के माध्यम से वायु प्रदूषकों द्वारा प्रभावित संगमरमर-स्मारकों का सुधार	बिड़ला विज्ञान अनुसंधान संस्थान, मालकपेट, हैदराबाद।	8.53
2.	वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क का इष्टतमीकरण	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	3.62
3.	पेयजल से नाइट्रेट अलग करने के लिए नाइट्रेट वरणात्मक रेजीनों का विकास	केन्द्रीय लवण और समुद्री रासायनिक अनुसंधान संस्थान, भावनगर।	4.38
4.	दिंदीगुल चर्मशोधनशालाओं में प्रदूषण कम करने के संबंध में एक अध्ययन	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै।	1.71
5.	थलीय और जलीय पर्यावरण में तेल का जैव-निम्नीकरण	स्कूल ऑफ लाइफ सांइस, भारतीय दसन विश्वविद्यालय, तिरुचिरापल्ली।	4.23

1	2	3	4
6.	सल्फेट का हाइड्रोजन सल्फाइड में सूक्ष्म जैवीय अपचयन	पर्यावरण विज्ञान और अभियांत्रिकी केन्द्र, आई.आई.टी. पोबई, बम्बई।	5.05
7.	हैदराबाद में मूसी नदी तथा कुकारापल्ली नल्ला के किनारों पर रहने वाले/कार्य करने वाले झोंपड़-पट्टी निवासियों में आनुवांशिक विषाक्तता के संबंध में अध्ययन।	राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी क्षेत्रीय प्रयोगशाला, आई.आई.सी. क्षेत्रीय प्रयोगशाला, आई.आई.सी. टी. कैम्पस, हैदराबाद (बी) एम. बी. मेडिकल सेण्टर, हैदराबाद।	2.31
8.	उड़ीसा में भद्रा नदी कोयला क्षेत्र में ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा वातावरण में छोड़े गये सिलिनियम का पर्यावरणीय प्रयास।	आर.आर. एल. (सी.एस.आई.आर.,) भुवनेश्वर।	5.54
9.	चावल की भूसी में ऑफ्लारॉक्सिन नियंत्रण संगणना।	वनस्पति विज्ञान का उच्च शिक्षा केन्द्र, मद्रास विश्वविद्यालय, ग्यूंडी कैम्पस, मद्रास।	4.36
10.	दण्डकारण्य में जल की गुणवत्ता	रसायन विभाग, रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर।	9.48
11.	ग्रामीण सफाई और पर्यावरण उत्तर प्रदेश में एक अध्ययन।	बी.एल. विकास अनुसंधान और कार्य केन्द्र, 796 शिवानी विहार, कल्याणपुर, लखनऊ	1.05
12.	फोटोग्राफिक रसायनों का फिर से प्रयोग।	केन्द्रीय वैद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान, कराई कुडी।	4.56
13.	जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बी ओ डी) के आकलनों के लिए मानकीकरण।	जैव-रासायनिक प्रौद्योगिकी केन्द्र, मालरोड़, दिल्ली।	4.58

1	2	3	4
14.	विषाक्त कार्बनिक प्रदूषकों को परिष्कृत चिकनी मिट्टी (क्ले) के प्रयोग से विषाक्तरहित करना।	भारतीदसन विश्वविद्यालय तिरुचिरापल्ली।	3.37
15.	लुगदी और कागज़ बनाने वाली मिलों के बहि-स्रावों से निकलने वाले लिग्निनव्युत्पन्नों और योजकों की जैव-निम्नीकरण।	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला भुवनेश्वर।	7.68
16.	फिटकरी के अवमल से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण और इसके उपयोग की विधियों के विकास के संबंध में अध्ययन।	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला भुवनेश्वर।	3.81
17.	खनन विकास और पर्यावरण पर इसका प्रभाव, वर्दवान जिले (प. बंगाल) के रानीगंज कोयला क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका और जानकारी।	भूगोल विभाग, बर्दवान विश्वविद्यालय, बर्दवान।	4.64
18.	भारतीय औद्योगिक और कृषि कामगारों पर जोखिम भरे कार्य करने के तप्त माहौल के प्रभाव का मूल्यांकन आर्गोनिमिक रूप से तैयार की गई व्यक्तिगत सुरक्षा युक्तियों का विकास।	यूनिवर्सिटी ऑफ सांइस, टैक्नालॉजी एण्ड एग्रीकल्चर, कलकत्ता विश्वविद्यालय, 92, ए.पी.सी. रोड़, कलकत्ता।	8.85
19.	पुरी, कोणार्क तथा भुवनेश्वर के मंदिरों में सूक्ष्मजीवों के कारण प्रस्तरों में अपक्षय के लिए पर्यावरण प्रबंध संबंध कार्यनीति।	उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर।	8.47

1	2	3	4
20.	प्रदूषित नमभूमि में सुधार करने की कार्यनीति - कुछ जैवीय अधिकारकों की प्रभाविकता।	जीव विज्ञान और मात्स्यकी विभाग, विद्यासागर विश्वविद्यालय, मिदनापुर (प. बंगाल)	8.75
21.	पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के विचार में प्लास्टिक को फिर से प्रयोग में लाने की उपयुक्त प्रक्रिया का विकास और प्लास्टिक अपशिष्टों को उपयोगी उत्पादों में बदलना।	श्रीराम औद्योगिक अनुसंधान संस्थान, 19, विश्वविद्यालय रोड़, दिल्ली।	3.80
22.	छोटा नागपुर, बिहार की उच्च भूमि का मानव जाति पारि-स्थितिकी विश्लेषण।	ए.एन. कॉलेज, पटना।	4.43
23.	मानव वक्ष ऊत्तकों पर पर्यावरणीय कैंसरजन्य बेन्जोपाइरीन का पात्रे (इनविट्रो) प्रभाव।	रोग विज्ञान विभाग मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली।	6.69
24.	वायुजीवी एलजनिकों तथा मानव स्वास्थ्य पर अखिल भारतीय संभावित परियोजना।	- जैव रसायन प्रौद्योगिकी केन्द्र, माल रोड़, दिल्ली	2.65
		- उष्णकटिबंधी वनस्पति उद्यान तथा अनुसंधान संस्थान, पच्चपलोड, तिरुवनन्तपुरम्।	6.50
		- वनस्पति विज्ञान का उच्च शिक्षा केन्द्र, मद्रास विश्व-विद्यालय, ग्यूंडी कैम्पस, मद्रास।	6.50
		- राष्ट्रीय पर्यावरण अभि-यांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, नागपुर।	6.50

1	2	3	4
		- आन्ध्र विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम्।	6.50
		- बेहरामपुर विश्वविद्यालय बेहरामपुर, उड़ीसा।	6.50
		- बोस इंस्टीट्यूट, आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र बोस रोड़, कलकत्ता।	
		- मणिपुर विश्वविद्यालय इम्फाल।	6.50
		- गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी।	6.50
		- रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर।	6.50
		- जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।	6.50
		- मगध विश्वविद्यालय गया।	6.50
		- बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान, लखनऊ।	6.50
		- पर्यावरण विज्ञान विभाग डा. बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद।	6.50
		- डा. वाई.एस. परमार, विश्वविद्यालय, बागवानी और वानिकी, नौनी, सोलन (हि.प्र.)।	6.50

1	2	3	4
		- वायुजीवविज्ञान प्रयोगशाला वनस्पति विज्ञान विभाग, बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलौर।	6.50
		- वनस्पति विज्ञान विभाग पुणे विश्वविद्यालय।	6.50
		- वी.पी. चेस्ट इंस्टीट्यूट नई दिल्ली।	6.66
		- बाल चिकित्सा विभाग, जी.जी. एम.आई.आर., चण्डीगढ़।	6.66
		- शिशु स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता	6.66
		- मेडिकल सेंटर एण्ड हॉस्पिटल, एवेन्यू रोड़, उलरूर रोड़ के पास, बंगलौर	6.60
		- मेडिकल कॉलेज, त्रिवेन्द्रम	3.64
		- जैव-रसायन प्रौद्योगिकी केन्द्र, मालरोड़, दिल्ली।	10.17
25.	पर्यावरण पर सिंचाई का प्रभाव श्रीराम सागर कमान क्षेत्र का एक अध्ययन	भूगोल विभाग, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश।	3.80
26.	वृक्षों की देखभाल : दिल्ली के वृक्षों की एक पुस्तिका	वनस्पति विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।	1.95
27.	गुफा पर्यावरण और गुफा प्राणिजात के संबंध में एक अध्ययन	स्कूल ऑफ बायोलाजिकल साइंस मदुरै, कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै, तमिलनाडु।	8.92

1	2	3	4
28.	सेंटर फॉर एडवांस स्टेडिज तथा एन 2 ओ फलक्स के सापेक्ष उषणकटिबंधीय मृदा सूक्ष्म जीवों का पृथककीकरण तथा वर्गीकरण	वनस्पति विज्ञान का उच्च शिक्षा केन्द्र बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी, उत्तर प्रदेश	5.55
29.	समुद्रतटीय पारि-प्रणाली में पुनर्वनस्पतीकरण। उपयुक्त बाह्य कवकमूलक कवकी संरोपण द्वारा कैजूटीना इक्वोसेटीफोलिया के पौधशाला स्टाक का सुधार।	मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास, तमिलनाडु	2.63
30.	दक्षिण भारत की कम ज्ञात फलियों का सर्वेक्षण	मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास तमिलनाडु	3.86
31.	ऐजिरेटम से उत्पन्न पौध-विविधता को खतरा	वनस्पति विभाग पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	5.69
32.	वन-वृक्षों में रूट आर्गन कल्चर में पुरि-कामय अर्बस्कुलर कवकमूल की स्थापना तथा मध्य प्रदेश में खनन अपशिष्टों के सुधार में उनका अनुप्रयोग।	सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग बारकातुला विश्वविद्यालय भोपाल, मध्य प्रदेश	8.57
33.	दक्षिण अण्डमान में तितली सौंचिग/फार्सिग एक सम्भावना रिपोर्ट	केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान,पोर्ट ब्लेयर, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	6.49
34.	गोंद और गोद रेजिन देने वाले वन-वृक्षों का जीव विज्ञान	वनस्पति विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।	12.77
35.	राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में खाद्य/चारा प्राप्त करने के लिए वन्य पौधों पर मानवजाति वनस्पति-की अध्ययन	वनस्पति विभाग, सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, राजस्थान	2.48

1	2	3	4
36.	मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्यजीव अभयारण्यों में और उनके आसपास मानव अतिक्रमण के पहलू	आदिवासी अध्ययन विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश	4.16
37.	ग्रेट निकोबार जीवमण्डल रिजर्व में करोसकी विविधता के वितरण संबंधी पैटर्न	अभयसृपविज्ञान केन्द्र मद्रास मगरमच्छ बैंक पौस्ट बैग नं. 4 मामल्लापुरम, तमिलनाडु	6.01
38.	व्यानद वन्यजीव अभयारण्य, केरल में मानव-वन्यजीव संबंधों पर अध्ययन	केरल वन अनुसंधान संस्थान, पोची त्रिचूर, केरल	5.35
39.	कीट परागण पारिस्थितिकी - शेवराय पहाड़ियों में तितली के विशेष संदर्भ में	वनस्पति विज्ञान विभाग, प्रेसिडेंसी कालेज, मद्रास, तमिलनाडु	6.21
40.	अखिल भारतीय मानव जाति जीवविज्ञान समन्वित अनुसंधान परियोजना	उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान, करीमन कोड तिरुवनंतपुरम, केरल	3.07
41.	अखिल भारतीय मानवजाति जीव विज्ञान समन्वित अनुसंधान परियोजना	भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण, पी-8, ब्राबौर्न रोड़, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल।	4.50
42.	अंडमान और निकोबार तट के समुद्री घास आवासों की स्थिति	सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान केन्द्र, कोयम्बतूर, तमिलनाडु।	0.58
43.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कतिपय दुर्लभ स्थानिक पक्षी प्राणी जात की परिस्थिति की, स्थिति और संरक्षण की संभावनाओं पर एक अध्ययन	सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान केन्द्र, कोयम्बतूर, तमिलनाडु	0.25
44.	दक्षिण-भारत के अमानव प्राइमेट्स (नर बानर गण) में पारिस्थितिकी अनुकूलन तथा सामाजिकता के विकास पर अध्ययन	मैसूर विश्वविद्यालय मंसागंग्रोत्री मैसूर, कर्नाटक	13.40

1	2	3	4
45.	पूर्वा घाटों में नल्लामल्ली पहाड़ियों में पारि-जलवायु विज्ञान जल संतुलन, पारिस्थितिकी संतुलन तथा पारि-सुधार	भूगोल विभाग श्री कृष्णदेव आर्य विश्वविद्यालय, अनंतपुर, आन्ध्र प्रदेश।	4.39
46.	गंजम जिले के बालीपादर भेटनोई गेम रिजर्व में ब्लैक बक (एन्टीलोप सेर्सिकोपरा) की आबादी, आवास और जीवितता का अध्ययन	मुख्य वन्यजीव वार्डन, उड़ीसा सरकार, भुवनेश्वर	4.78
47.	बॉक्साइट खननः पूर्वी घाटों की यकार्ड पहाड़ियों में पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन	स्कूल ऑफ एनर्जी साइंस, मदुरै, कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै।	8.66
48.	आन्ध्र प्रदेश में गुडूर प्रभाग के लिए समेकित संसाधन प्रबन्ध विकसित करने के संबंध में अध्ययन।	उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद।	8.11
49.	विजयानगरम् जिले में पूर्वी घाटों के वनों के संरक्षण के लिए पारि-पल्लियों (हैम्लैट्स) का विकास और प्रबन्ध	पर्यावरण विज्ञान विभाग आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम	
50.	पूर्वी घाटों के पक्षी समूहों की जैविकी, परपोषियों तथा रोगों के संबंध में अध्ययन - रोग विज्ञान तथा नियंत्रण विधि के विशेष संदर्भ में	आन्ध्र विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम	2.13
51.	जल कृषि तालाब से निकलने वाले बहिस्राव का पर्यावरण पर प्रभाव	ए वी वी एम श्री पुष्पम् कालेज, तंजावुर जिला, पूंदी (तमिलनाडु)	7.93
52.	पेरियार जिले में बेंगर पहाड़ियों में वनस्पति, पादपी अध्ययन, पुनर्रूत्पादक जीव विज्ञान, स्थानिक तथा परिसंकटमय प्रजातियों के संरक्षण का पारिस्थिति की विश्लेषण।	वनस्पति विज्ञान विभाग वेल्लातर महिला कालेज, इरोड	4.49

1	2	3	4
53.	पूर्वी घाटों के पक्षी प्राणीजात-बंर्डान्स कर्सर कर्सरियस बिट्रोक्वेट्स की स्थिति के विशेष संदर्भ में।	बम्बई प्राकृतिक विज्ञान सोसयटी, हार्नबिल हाउस, बम्बई।	1.37
54.	उभयसृपी प्राणी जगत तथा छोटे स्तन-धारियों के संरक्षण के लिए पश्चिमी घाटों के खण्डित वर्षा-प्रचुर वनों के प्रबंध के संबंध में एक अध्ययन।	सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक विज्ञान केन्द्र, कोयम्बतूर।	5.09
55.	पर्यटन : आर्थिक वरडान अथवा पर्यावरण विनाश। गोवा की एक घटना।	प्रयुक्त सामाजिक आर्थिक प्रणाली संगठन (ओएसेस) क्षेत्रीय कार्यालय म.न. 816 तीन भवन के पीछे, अल्टोबोटिम बार्डेज, गोवा।	2.71
56.	उत्तर कन्नड़ जिले के पश्चिमी घाटों में खाद्य मशरूम का सर्वेक्षण और स्थानीय रूप से उपलब्ध अवस्तरों में प्रयोग से उनके उत्पादन की सम्भावनाओं का पता लगाना	कालेज ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर साइंस यूनिवर्सिटी, धारवाड़	3.26
57.	पादप वर्धन को बढ़ावा देने के लिए कच्ची नारियल जटा के मज्जे का फिर से प्रयोग	अविनाशलिंगम महिला गृह विज्ञान तथा उच्च शिक्षा संस्थान, कोयम्बतूर।	5.53
58.	चयनित यूकलिप्टस प्रजातियों का जल संबंध और मूलोत्पत्ति पैटर्न	केरल वन अनुसंधान संस्थान, पीची	1.38
59.	तेवरम् बेसिन, तमिलनाडु में कृषि भूमि उपयोग पर वायु अपरदन का प्रभाव	स्कूल ऑफ अर्थ साइंसेस, भारती दासन विश्वविद्यालय तिरुचिरापल्ली	3.63
60.	चंदन (सैन्टेलम ऐल्बम एल.) में प्राकृतिक और कृत्रिम पुनर्जनन बढ़ाने के संबंध में अध्ययन।	जी.डी. नायडू तमिलनाडु कृषि विश्व विद्यालय, कोयम्बतूर।	2.57
61.	भारत के कुछ स्थानिक/परिसंकटमय ताड़ के जनन जीव-विज्ञान के पहलू	बम्बई विश्वविद्यालय विद्यानगरी सांताक्रुज (पूर्व) बम्बई	2.35

1	2	3	4
62.	महाराष्ट्र के पश्चिमी घाटों के सामाजिक आर्थिक रूप से समर्थ स्वदेशी वृक्षों और स्थानिक दुर्लभ वृक्षों के न्जीवद्रव (जर्मप्लाज्म) पर संरक्षण अध्ययन	महाराष्ट्र कृषि विज्ञान संघ, पुणे	2.64
63.	गोवा में खनन का पर्यावरण पर प्रभाव ; वर्तमान स्थिति	गोवा विश्वविद्यालय तेलीगांव पठार गोवा।	0.59
64.	सुरलाल (बल्लिया) झील और आसपास की नमभूमि तथा वास सुधार की उत्पादकता, मृदा अपरदन, सुपोषण और अवसादन के संबंध में मानवजनिक कार्यकलापों का प्रभाव विश्लेषण।	बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय वाराणसी।	4.94
65.	कियोलडियो राष्ट्रीय उद्यान पारि-प्रणाली : प्रतिरूपण और अनुकरण अध्ययन	सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान केन्द्र कोयम्बतूर।	1.69
66.	दक्षिण राजस्थान के भूतल जलनिकायों का पर्यावरण की दृष्टि से अध्ययन	कालेज ऑफ साइंस सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	2.74
67.	पश्चिमी बंगाल की नमभूमि के संसाधन	प्रकृति पर्यावरण और वन्यजीव सोसायटी, कलकत्ता।	3.46
68.	अमेठी और रायबरेली में ग्रेट लेक प्रणाली के बारे में एक व्यापक जांच-द्वितीय चरण।	वनस्पति विज्ञान फिरोज गांधी कालेज, रायबरेली।	1.55
69.	सुन्दरबन जीवमंडल रिजर्व के मैंग्रोव पारि-प्रणाली में झींगा बीजों के अत्यधिक संग्रहण का प्रभाव	एस.सी. समुद्री जीव विज्ञान अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता।	5.24
70.	सुन्दरबन के मैंग्राव पारि-प्रणाली के सम्भाव्य पर्णी कवक का सर्वेक्षण तथा पहचान और जांच	वनस्पति विज्ञान विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता	2.50

1	2	3	4
71.	मणीपुर नदी बेसिन का भू-पर्यावरण अध्ययन।	भू-विज्ञान विभाग, मणीपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल।	11.0
72.	दूर संवेदी तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश के महवा अभयारण्य में जैव-विविधता का त्वरित मूल्यांकन	सलीम अली पक्षी-विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान केन्द्र, कोयम्बतूर।	4.25
73.	पूर्वी भारत की डियारा भूमि की वनस्पति, बंजरभूमि, मृदा अपरदन, आप्लावन के संबंध में दूरसंवेदी प्रौद्योगिकी के जरिए निगरानी	कृषि भौतिकी प्रभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	23.2
74.	प्रवाल भित्ति प्रक्रिया के संबंध में समयवद्ध प्रायोगिक परियोजना	निदेशक अन्नामलाई विश्वविद्यालय तमिलनाडु।	2.40
75.	तूती कोरिन के सिरेसिथाई (तिभिगणीय) की जैव-विविधता	डीन मात्स्यकी कालेज और अनुसंधान संस्थान तूतीकोरिन	1.00
76.	पवित्र प्रशंख (चैक), जैनकरू पाइरम के जीव विज्ञान तथा समुद्री रैचंन के संबंध में अध्ययन - मन्नार की खाड़ी के समुद्री राष्ट्रीय उद्यान में प्रजातियों की सुरक्षा के विशेष संदर्भ में।	सी एम एफ आर आई का मण्डपम क्षेत्रीय केन्द्र, मण्डपम, जिला रानद, तमिलनाडु।	3.17
77.	मन्नार की खाड़ी के जीव मंडल रिजर्व में ड्यूगोन का गणना सर्वेक्षण तथा अध्ययन	समुद्री जैविकीय केन्द्र, जैड एस.आई., मद्रास।	4.65
78.	मन्नार की खाड़ी में मैंग्रोव वनों की पारि-प्रणालियों की ढांचागत और कार्यात्मक विशेषताओं की पारि-स्थितिकीय दृष्टि से निगरानी।	स्कूल ऑफ बायोलाजिकल सांइसेज़, मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै।	3.67

1	2	3	4
79.	मन्नार की खाड़ी के जीवमण्डल रिज़र्व में प्रवाल भित्तियों और सम्बद्ध प्राणिजगत की अंतर्जलीय पारिस्थितिकी का स्वस्थाने प्रेक्षण।	स्कूल आफ एनर्जी, एन्वायरमेंटल एण्ड नैचुरल रिर्सोसेज, मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै।	6.04
80.	मन्नार की खाड़ी में अकशेरूकी (लघुवलयक ऐनेलिड्स), टर्बेलेटियन, हिकपाटी, जठरपाद (ग्रेस्ट्रोपोड्स) तथा परषकवची (क्रस्टेशियन) और कशेरूकी (मछलियां) की जैव-विविधता के सम्बन्ध में अध्ययन।	अन्नामलाई विश्वविद्यालय पारंगिपट्टई।	3.87
81.	मन्नार की खाड़ी की प्रवालभित्तियां के वनस्पति जगत (जीवाणु और पादप-प्लवक) में सूक्ष्म जैविक जैव-विविधता।	सीएएस इन मैरीन बॉयोलाजी, अन्नामलाई विश्वविद्यालय, पारंगिपेट्टई।	4.54
82.	मन्नार की खाड़ी में कार्बनिक पदार्थ, पोषकतत्वों, व्यापार धातु का चक्रण और पुनर्जनन।	सी ए एस इन मरीन बायोलॉजी, अन्नामलाई विश्वविद्यालय, पारंगिपेट्टई।	3.46
83.	सिरूवनी में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनों में पक्षियों के प्रजनन की कार्यनीति	सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान केन्द्र, डाकखाना कलपालयम, कोय्यम्बतूर।	3.94
84.	भारत में जीवमण्डल रिज़र्व में चलाए जा रहे कार्यकलापों का मूल्यांकन।	पारिस्थितिकीय विज्ञान केन्द्र भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर।	2.89
85.	नीलगिरि जीवमण्डल रिज़र्व के भूमि उपयोग और वनस्पति का मानचित्रण तथा निग़रानी।	पारिस्थितिकीय विज्ञान केन्द्र, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर।	4.62
86.	नीलगिरी जीवमण्डल रिज़र्व के क्रोड क्षेत्र- साइलेंट वैली और नीलाम्बर कोविलक्कम उप बेसिन में जांच की मौसमी और जलीय निगरानी।	जल संसाधन विकास और प्रबन्ध केन्द्र, कोझिकोड, केरल।	10.46

1	2	3	4
87.	बी.आर.एस. प्रबन्ध में कार्यरत, मध्यम स्तर के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।	पारिस्थितिकीय विज्ञान केन्द्र, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर।	0.50
88.	नीलगिरी जीवमण्डल रिज़र्व के केरल स्थित भाग में सरीसृपों और जलस्थलचर प्राणियों का एक सर्वेक्षण।	केरल वानिकी अनुसंधान संस्थान, पीची, केरल।	5.03
89.	ग्रेट निकोबार जीवमण्डल रिजर्व में पारि-प्रणालियों की गतिकी और पादप-प्राणी संबंध।	वनस्पति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।	7.74
90.	आश्रित आबादी के सतत् विकास हेतु सामाजिक-आर्थिक पहलुओं पर एक अध्ययन।	भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून।	4.38
91.	डेल्टाई सुंदरवन के तटवर्ती जल में आन्त्र-रोगजनक बीमारियों और भू-सूक्ष्मजीवी चक्रण के संबंध में सूक्ष्म जीव की भूमिका पर अध्ययन।	समुद्री विज्ञान विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता।	2.97
92.	सुंदरवन क्षेत्र, पश्चिम बंगाल में परिवेशी वायु गुणवत्ता का अध्ययन।	नीरी, कलकत्ता क्षेत्रीय प्रयोगशाला, कलकत्ता।	1.50
93.	सुंदरवन में खारे जल में जल खेती को खतरा पहुंचाने वाले और खेती से छोड़े गए अशोधित मल-जल में उपस्थित प्रसम्भाव्य सूक्ष्म-जीवी आंत्ररोगजनकों की जांच।	मल-जल जलकृषि प्रभाग, केन्द्रीय स्वच्छ जल जल-कृषि संस्थान राहड़ा मछली फार्म, पश्चिम बंगाल।	3.02
94.	नीलगिरी जीवमण्डल रिजर्व में मैदानों और पक्षी समुदायों पर मानव हस्तक्षेप का प्रभाव।	सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान केन्द्र, डाकखाना कलमपालयम, कोयम्बतूर।	9.81

1	2	3	4
95.	नीलगिरी जीवमण्डल रिजर्व में औषधीय पौधों का पादप रसायन और मानव जाति पारिस्थितिकी	सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान, डाकखाना कलम्पालयम, कोयम्बतूर।	3.62
96.	राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ का उन्नयन (उत्थान)	राष्ट्रीय वानस्पतिक	19.44
97.	भारत के वानस्पति उद्यानों में पादप संसाधनों के डाटा भंडार नेटवर्क का कम्प्यूटरीकृत प्रलेखन।	राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान, लखनऊ।	3.70
98.	उत्तर-पश्चिमी हिमालय के स्थानिक दुर्लभ, परिसंकटमय तथा संकटापन्न आर्किड का स्थल-बाह्य संरक्षण।	भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण उत्तरी सर्कल देहरादून।	5.70
99.	दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत के वानस्पति उद्यान का विकास	दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय सूरत।	7.95
100.	विक्रम विश्वविद्यालय के वानस्पति उद्यान का सुदृढ़ीकरण।	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, मध्य प्रदेश।	0.76
101.	उत्तर-पूर्वी भारत के संकटापन्न पादपों का स्थल-बाह्य प्रवर्धन।	भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण, पूर्वी सर्कल, शिलांग।	5.70
102.	इण्डस प्लेन में दुर्लभ और संकटापन्न प्रजातियों का संरक्षण और संचरण।	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर।	13.58
103.	दक्षिण-पश्चिमी घाटों के संकटापन्न आर्किडों का प्रवर्धन स्थान-बाह्य संरक्षण और प्रवर्धन।	भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण, दक्षिणी सर्कल, कोयम्बतूर।	11.55
104.	भारत की स्थानिक और संकटापन्न पादप प्रजातियों के स्थान-बाह्य संरक्षण के लिए भारतीय वानस्पति उद्यान का उन्नयन।	भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण, भारतीय वानस्पति उद्यान, हावड़ा	17.81

1	2	3	4
105.	टी.बी.जी.आर.आई. के उष्ण-कटिबंधीय वानस्पति उद्यान का उन्नयन।	उष्णकटिबंधीय वानस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान, (टी.बी.जी.आर. आई.), त्रिवेन्द्रम।	10.38
106.	जैव-विविधता संरक्षण संबंधी स्थिति की रिपोर्ट।	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आई.आई.पी.ए.), नई दिल्ली।	10.38
107.	जैव विविधता संरक्षण हेतु कानूनी उपाय	पर्यावरण विधि केन्द्र, विश्व प्रकृति कोष - भारत, नई दिल्ली।	0.29
108.	जैविकीय संसाधनों के प्रयोग से संबंधित उपायों के लिए कार्य-योजना का निरुपण ।	कल्पवृक्ष, नई दिल्ली।	0.69
109.	भारत के उष्णकटिबंधीय और उप-उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वृक्ष प्रजातियों के जैविकीय वितरण वैटर्न के संबंध में अध्ययन।	क्षेत्रीय पादप संसाान केन्द्र, भुवनेश्वर।	0.60
110.	जाजमाऊ, कानपुर में यू.ए.एस.बी. पादप में विष्ठा कालिफॉर्चीज का भविष्य।	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) कानपुर।	1.31
111.	घरेलू मलजल के प्रयोग और शोधन के साधन के रूप में जल कृषि।	केन्द्रीय स्वच्छ जल जलकृषि संस्थान, भुवनेश्वर।	27.60
112.	यू.वी. विकिरण द्वारा शोधित मलजल का असंक्रमण।	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, रानीपुर, हरिद्वार।	8.45
113.	रेडियो-टेलेमीटरी के जरिए हाथियों की पारिस्थितिकी	बाम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसायटी, बम्बई।	2.96

1	2	3	4
114.	नीलगिरी जिले में पीड़कनाशी संदूषण - चयनित पक्षी-प्राणी जाति के विशेष संदर्भ में।	सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान केन्द्र कोयम्बतूर।	5.58
115.	तापी नदी के ज्वारनदमुख की वहन क्षमता का अध्ययन ।	- राष्ट्रीय पर्यावरण -अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, नागपुर।	214.96
		- बड़ौदा एम.एस. विश्व-विद्यालय, बड़ौदा।	35.48
		- आपरेशन रिसर्च ग्रुप, बड़ौदा।	22.94

[हिन्दी]

नई रेल लाइन

4948. श्री भीम सिंह पटेल : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रीबा के निकट भगवान देवतालाब, हनुमना, हाता जैसे जनजातीय बहुल क्षेत्रों के मैदानी इलाकों में नई रेल लाइन बिछाने का है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) यदि हां, तो इन स्थानों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) ये रेल लाइनें कब तक बिछा दी जायेंगी ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी नहीं।

(ख) संसाधनों की तंगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आमों का उत्पादन

4949. श्री सोमजीभाई डाभोर : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 और 1993-94 के दौरान देश में प्रत्येक राज्य में आमों का किस्म-वार कितना-कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) उक्त अवधि में इससे पिछले वर्ष के दौरान की तुलना में आमों की पैदावार कितनी बढ़ी हैं ;

(ग) देश में राज्य-वार कुल कितने क्षेत्र में आम की खेती होती है ;

(घ) आमों का उत्पादन बढ़ाने तथा और अधिक क्षेत्र में इसकी खेती करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं / उठाये जाने का विचार है ;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(च) सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही हैं कि किसानों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य मिले ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) आम के किस्मवार उत्पादन आंकड़े एकत्र नहीं किए जाते। वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के उत्पादन संबंधी आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण इनकी तुलना कर पाना संभव नहीं है।

(ग) वर्ष 1991-92 के राज्यवार क्षेत्र तथा उत्पादन संबंधी आंकडे विवरण -I में दिए गए हैं।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र द्वारा प्रवर्तित उष्णकटिबंधीय शुष्क तथा शीतोष्ण क्षेत्रों के फलों के एकीकृत विकास संबंधी एक योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसमें आम का विकास भी शामिल है। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है : -

1. छोटी एवं बड़ी नर्सरियां तथा उत्तक संवर्धन इकाइयों के माध्यम से फलों की अच्छी गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री की आपूर्ति।

2. आम के 10,000 हैक्टेयर क्षेत्र में फलों के अंतर्गत क्षेत्र विस्तार।

3. आम के 27,000 हैक्टेयर क्षेत्र में पुरानी अमराइयों का पुनरुद्धार करके उत्पादकता में सुधार।

4. प्रदर्शन ।

5. बेहतर प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए फलों की खेती करने वाले किसानों को प्रशिक्षण।

6. किसानों में वितरण के लिए प्रचार-सामग्री।

(ङ) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित उपर्युक्त योजना के अंतर्गत 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान जारी की गई राज्यवार निर्मुक्त की गई धनराशि संलग्न विवरण - II में दर्शाई गई है, जिसमें आम भी शामिल हैं।

(च) आम की कीमतें किफायती स्तर से नीचे गिरने पर आम की खेती करने वाले किसानों के हितों का ध्यान रखने के लिए, आम का उत्पादन करने वाले राज्य मण्डी हस्तक्षेप योजना से लाभ उठा सकते हैं। बागवानी उत्पादों, जिसमें आम भी आता है, के बेहतर रख-रखाव और निर्यात के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विपणन अवसंरचना का निर्माण किया जा रहा है।

विवरण - I

आम का राज्यवार क्षेत्र एवं उत्पादन

1991-92

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	क्षेत्र (हैक्टेयर)	उत्पादन (मीटरी टन)
1.	आंध्र प्रदेश	207596	2491152
2.	अरुणाचल प्रदेश	303	248
3.	असम	800	4680
4.	बिहार	146232	1462320
5.	गोवा	3600	36000
6.	गुजरात	32000	320000
7.	हरियाणा	3827	20600
8.	जम्मू और कश्मीर	5956	13626
9.	कर्नाटक	80803	677712
10.	केरल	75480	241054
11.	मध्य प्रदेश	20660	186000
12.	महाराष्ट्र	49873	280983
13.	मणिपुर	180	400
14.	मिजोरम	326	1258
15.	नागालैण्ड	46	24
16.	उड़ीसा	53149	291800
17.	पंजाब	12134	72804
18.	राजस्थान	7906	39503
19.	सिक्किम	05	09
20.	तमिलनाडु	55824	336361
21.	त्रिपुरा	4972	37150
22.	उत्तर प्रदेश (पर्वतीय)	19350	65500
	उत्तर प्रदेश (मैदानी)	240417	1722257
23.	पश्चिम बंगाल	55060	440480
24.	अन्य राज्य	1122	10056
समस्त भारत :		1077621	8752134

स्रोत : संबंधित राज्यों के बागवानी / कृषि निदेशालय।

विवरण - II

ऊष्णकटिबंधीय, शुष्क एवं शीतोष्ण क्षेत्रों के फलों के एकीकृत विकास की केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को निर्गमित सहायता।

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1992-93 (निर्गम)	1993-94 (आबंटन)	(निर्गम)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	15.88	107.85	80.89
2.	अरुणाचल प्रदेश	22.50	38.05	28.54
3.	असम	5.05	20.13	15.1
4.	बिहार	7.35	84.34	63.26
5.	गोवा	3.10	19.40	14.55
6.	गुजरात	18.43	80.95	60.71
7.	हरियाणा	9.06	69.74	52.3
8.	हिमाचल प्रदेश	59.28	120.29	90.22
9.	जम्मू और कश्मीर	63.925	99.21	74.41
10.	कर्नाटक	23.13	93.44	70.08
11.	केरल	7.79	36.52	27.39
12.	मध्य प्रदेश	14.76	80.38	60.29
13.	महाराष्ट्र	30.38	110.40	82.8
14.	मणिपुर	4.05	10.23	11.68
15.	मेघालय	5.05	9.47	7.1
16.	मिजोरम	3.15	9.63	14.74
17.	नागालैंड	4.05	9.72	7.29
18.	उड़ीसा	7.15	53.29	41.65
19.	पंजाब	9.06	54.36	40.77
20.	राजस्थान	3.67	63.53	47.65

1	2	3	4	5
21.	सिक्किम	3.05	9.53	7.15
22.	तमिलनाडु	46.01	82.19	61.64
23.	त्रिपुरा	7.10	12.14	9.11
24.	उत्तर प्रदेश	37.95	116.56	87.42
25.	पश्चिम बंगाल	15.085	64.49	48.37
26.	अंडमान व निको. द्वीपसमूह	-	-	4.45
27.	चण्डीगढ़	-	-	1.0
28.	दादर व नगर हवेली	-	-	6.23
29.	दिल्ली	-	-	6.4
30.	दमन और दीव	-	-	6.23
31.	लक्षद्वीप	-	-	9.1
32.	पाण्डिचेरी	-	-	8.75
		426.01		1237.26

चीनी मिलों का बन्द किया जाना

4950. श्री पंकज चौधरी : क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में स्थित आनन्द नगर चीनी मिल बन्द की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसे बन्द करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या मिल प्रबन्धन ने सरकार से मिलों के गोदाम में तैयार पड़ी कुल चीनी में से 15 हजार चीनी के थैले खुले बाजार में बेचने की अनुमति मांगी है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस अभ्यावेदन पर विचार किया है ;

(ङ) यदि हां, तो इस पर क्या क्या निर्णय लिया गया ;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(छ) इस अभ्यावेदन पर कब तक विचार किया जायेगा ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख) 1993-94 चीनी मौसम के दौरान आनंद नगर, जिला महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में स्थित गणेश चीनी मिल ने अपना पेराई कार्य 4.12.1993 को शुरू किया तथा 4.2.1994 को बंद कर दिया था।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) गणेश चीनी मिल के चालू 1993-94 मौसम के चीनी उत्पादन में से अप्रैल, 1994 तक

कुल 47062 थैले रिलीज किए जा चुके हैं जिसमें से 22551 थैले खुली बिक्री चीनी के तथा 24514 थैले लेवी चीनी के हैं। उन्हें 1500 टन खुली बिक्री चीनी और रिलीज करने संबंधी अभ्यावेदन पर विचार किया गया था तथा इस संबंध में फैक्ट्री तथा कपड़ा मंत्रालय को उत्तर भेज दिया गया था। चूंकि आनंद नगर फैक्ट्री कपड़ा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आती है इसलिए मंत्रालय से अनुरोध किया गया था कि वे उस फैक्ट्री की समस्याओं का समाधान करें तथा उन्हें आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करें जिससे कि वे बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान करने में समर्थ हो सकें।

(च) और (छ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

राज्यों को उर्वरक

4951. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों को 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान खरीफ और रबी मौसम हेतु उर्वरकों का अलग-अलग राज्यवार कितना आबंटन किया गया ;

(ख) क्या राज्यों को उर्वरकों की सप्लाई की गई मात्रा उनकी आवश्यकता की पूर्ति हेतु पर्याप्त थी ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा राज्यों को उर्वरकों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (घ) वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान राज्य-वार, मौसम-वार ई.सी.ए. आबंटन और उर्वरकों की खपत प्रदर्शित करने वाला ब्यौरा विवरण I, II और III पर दिए गए हैं।

वर्ष 1991-92, 1992-93 और खरीफ 93 के दौरान देश में उर्वरकों की उपलब्धता संतोषजनक थी। रबी, 1993-94 के दौरान, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में यूरिया की उपलब्धता में कुछ कठिनाई आई थी और नवम्बर, 1993 के पहले पखवाड़े में पंजाब के कुछ हिस्सों में डाई-अमोनियम फास्फेट की उपलब्धता में कुछ कठिनाई आई थी। देश के अन्य भागों में कभी-कभी होने वाली और स्थानिक किस्म की कमी को छोड़कर कुल मिलाकर उपलब्धता संतोषजनक थी।

बिहार और पश्चिम बंगाल में यूरिया की उपलब्धता में कठिनाई इसलिए आई कि इन क्षेत्रों में सप्लाई करने वाले कुछ यूरिया संयंत्र अस्थायी रूप से बंद हो गए।

कमी को पूरा करने के लिए वैकल्पिक स्वदेशी स्रोतों और आयात से सप्लाई को बढ़ाने के प्रबंध किए गए थे। राज्यों को उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा में तथा समय पर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए, उर्वरकों विशेषकर नियंत्रित उर्वरकों की उपलब्धता की केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों और विनिर्माताओं के साथ आवधिक समीक्षा बैठकों में ध्यान से मॉनिटरिंग की जाती है। वर्ष 1993-94 के लिए नियंत्रित उर्वरकों के आबंटन में राज्य सरकारों की बढ़ी हुई मांग को ध्यान में रखा गया है।

विवरण - I

1991-92 के दौरान उर्वरक पोषक तत्वों का ई.सी.ए. आबंटन और खपत

(हजार मीटरी टन एनम्पीम्के.)

क्र.सं.	राज्य	ई.सी.ए. आबंटन**			खपत		
		खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	रबी	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	973.62	903.76	1877.38	802.26	780.05	1582.31
2.	कर्नाटक	624.76	360.03	984.79	544.78	360.92	905.70
3.	केरल	169.58	95.10	264.68	133.03	91.44	224.47
4.	तमिलनाडु	411.58	554.20	965.78	347.27	491.93	839.20
5.	गुजरात	363.06	410.95	774.01	361.92	371.34	733.26
6.	मध्यप्रदेश	513.59	475.93	989.52	461.23	348.46	809.69
7.	महाराष्ट्र	917.86	574.27	1492.13	781.00	483.00	1264.00
8.	राजस्थान	217.89	283.22	501.11	181.79	259.14	440.93
9.	गोवा	5.12	3.53	8.65	4.47	3.11	7.58
10.	हरियाणा	232.87	402.24	635.11	237.00	400.16	637.16
11.	पंजाब	537.63	857.11	1394.74	446.42	798.26	1244.68
12.	उत्तर प्रदेश	933.19	1629.63	2562.82	827.56	1421.02	2248.58
13.	हिमाचल प्रदेश	17.45	18.00	35.45	14.60	19.12	33.72
14.	जम्मू व कश्मीर	41.35	24.55	65.90	29.27	18.77	48.04
15.	बिहार	317.75	395.73	713.48	247.37	356.32	603.69
16.	उड़ीसा	148.75	86.49	235.24	112.83	83.18	196.01
17.	पश्चिम बंगाल	298.09	581.40	879.49	288.12	467.37	755.49
18.	असम	27.49	22.32	49.81	20.72	14.80	35.52
19.	त्रिपुरा	9.09	6.96	16.05	4.89	5.60	10.49
20.	मणिपुर	8.75	2.33	11.08	8.27	0.56	8.83
21.	मेघालय	1.82	2.97	4.79	1.38	1.96	3.34
22.	नागालैण्ड	1.33	0.54	1.87	0.27	0.44	0.71
23.	अरुणाचल प्रदेश	0.40	0.13	0.53	0.27	0.20	0.47
24.	मिजोरम	0.88	0.48	1.36	0.47	0.34	0.81
25.	सिक्किम	1.30	1.06	2.36	0.83	0.75	1.58
समस्त भारत :		6824.65	7764.01	14588.66	5894.25	6833.79	12728.04

** : राज्य संस्थागत एजेंसियों के पास भण्डार को छोड़कर

विवरण - II

1992-93 के दौरान उर्वरक पोषक तत्वों का ई.सी.ए. आबंटन और खपत

(हजार मीटरी टन)

क्र. सं.	राज्य	ई.सी.ए. आंबटन**			खपत (एन+पी+के) प्राक्कलन		
		खरीफ (एन+पी+के)	रबी* (एन)	कुल	खरीफ	रबी	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	962.52	516.42	1478.94	790.25	723.85	1514.10
2.	कर्नाटक	611.19	147.45	758.64	516.55	263.60	780.15
3.	केरल	151.61	24.02	175.63	116.54	86.43	202.97
4.	तमिलनाडु	386.22	248.79	635.01	335.06	464.43	799.49
5.	गुजरात	366.69	215.71	582.40	353.85	362.76	716.61
6.	मध्य प्रदेश	529.97	215.80	745.77	461.28	331.74	793.02
7.	महाराष्ट्र	902.36	218.21	1120.57	762.00	370.00	1132.00
8.	राजस्थान	247.10	190.54	437.64	205.89	284.63	490.52
9.	गोवा	6.38	1.01	7.39	4.56	2.55	7.11
10.	हरियाणा	263.72	259.44	523.16	216.48	392.57	609.00
11.	पंजाब	535.96	521.83	1057.79	481.47	717.88	1199.35
12.	उत्तर प्रदेश	967.93	1020.69	1988.62	807.52	1372.20	2179.72
13.	हिमाचल प्रदेश	21.02	10.82	31.84	15.60	15.01	30.61
14.	जम्मू व कश्मीर	38.68	12.23	50.91	28.63	13.89	42.52
15.	बिहार	329.25	253.46	582.71	275.21	320.54	595.75
16.	उड़ीसा	137.94	48.93	186.87	137.03	65.92	202.95
17.	पश्चिम बंगाल	323.18	256.14	579.32	274.28	457.00	731.28
18.	असम	32.23	9.27	41.50	16.78	9.13	25.91
19.	त्रिपुरा	6.12	3.11	9.23	3.83	5.09	8.92
20.	मणिपुर	12.79	2.28	15.07	8.39	0.77	9.16
21.	मेघालय	2.05	1.85	3.90	1.54	1.45	2.99
22.	नागालैण्ड	0.61	0.11	0.72	0.32	0.42	0.74
23.	अरुणाचल प्रदेश	0.34	0.10	0.44	0.29	0.21	0.50
24.	मिजोरम	0.64	0.10	0.74	0.50	0.70	1.20
25.	सिक्किम	1.58	0.40	1.98	0.77	0.34	1.11
	समस्त भारत :	6889.26	4209.19	11098.45	5847.76	6304.64	12152.40

* : आंबटन केवल नाईट्रोजनयुक्त उर्वरकों के लिए किया गया था जो सार्विधिक मूल्य नियंत्रण के अधीन है।

** राज्य संस्थागत एजेंसियों के पास भण्डार को छोड़कर।

विवरण - III

1993-94 के दौरान उर्वरक पोषक तत्वों का ई.सी. ए. आवंटन और खपत

(हजार मीटरी टन)

क्र. सं.	राज्य	ई.सी.ए. आंबटन(एन मात्र)*			खपत (एन.+पी+के) (प्राक्कलन)		
		खरीफ*	रबी*	कुल*	खरीफ	रबी	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	419.21	545.61	964.82	761.41	840.54	1601.95
2.	कर्नाटक	183.96	143.83	327.79	472.21	328.57	800.78
3.	केरल	34.58	24.92	59.50	93.73	98.74	192.47
4.	तमिलनाडु	119.02	235.27	354.29	290.40	583.10	873.50
5.	गुजरात	185.21	236.97	422.18	333.33	358.50	691.83
6.	मध्य प्रदेश	242.15	222.70	464.85	394.86	362.77	757.63
7.	महाराष्ट्र	439.35	245.72	685.07	699.00	543.00	1242.00
8.	राजस्थान	149.01	245.38	394.39	226.59	299.46	526.05
9.	गोवा	1.40	0.96	2.36	3.65	2.11	5.76
10.	हरियाणा	209.84	280.76	490.60	253.72	461.67	715.39
11.	पंजाब	429.10	539.19	968.29	482.90	768.32	1251.22
12.	उत्तर प्रदेश	755.09	1215.40	1970.49	849.51	1526.85	2376.36
13.	हिमाचल प्रदेश	13.34	9.72	23.06	13.91	14.35	28.26
14.	जम्मू व कश्मीर	24.99	14.10	39.09	28.35	31.88	60.23
15.	बिहार	262.52	291.50	554.02	252.47	341.93	594.40
16.	उड़ीसा	101.34	55.01	156.35	125.36	98.59	223.95
17.	पश्चिम बंगाल	142.73	259.59	402.32	258.44	484.58	743.02
18.	असम	11.23	11.07	22.30	15.23	14.28	29.51
19.	त्रिपुरा	4.05	3.60	7.65	3.07	6.89	9.96
20.	मणिपुर	7.57	0.87	8.44	8.20	1.41	9.61
21.	मेघालय	0.76	1.01	1.77	1.56	1.79	3.35
22.	नागालैण्ड	0.25	0.18	0.43	0.45	0.64	1.09
23.	अरुणाचल प्रदेश	0.10	0.12	0.22	0.27	0.30	0.57
24.	मिजोरम	0.15	0.13	0.28	0.49	0.67	1.16
25.	सिक्किम	0.51	0.30	0.81	0.41	0.70	1.11
	समस्त भारत :	3758.96	4620.06	8379.02	5607.32	7225.34	12832.66

* : आंबटन केवल नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के लिए किया गया था जो सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अधीन हैं।

** : राज्य संस्थागत एजेंसियों के पास भण्डार को छोड़कर।

गेहूं का आयात

4952. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हाल ही के वर्षों में गेहूं का आयात करना पड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या भारत को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हाल ही के वर्षों में गेहूं का आयात करना पड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं परिषद के एक विशेषज्ञ ने भी भारत द्वारा गेहूं के आयात के संबंध में अपने विचार व्यक्त किये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख) सामान्य मौसम स्थिति होने की दशा में देश गेहूं सहित खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर है। तथापि, सरकार देश में खाद्यान्नों की स्थिति की निरन्तर समीक्षा करती रहती है और खाद्यान्नों के कुल उत्पादन, सरकार के पास खाद्यान्नों के वर्तमान स्टाक, विदेशी मुद्रा की उपलब्धता, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्यों, आदि जैसे कई तथ्यों को ध्यान में रखकर गेहूं का आयात करती है। केन्द्रीय एजेन्सियों के पास बफर स्टाक की भरपाई करने के उद्देश्य से सरकार ने 1992-93 में किए गए ठेकों के प्रति 1992-93 और 1993-94 के दौरान 30.65 लाख मीटरी टन गेहूं का आयात किया था।

(ग) और (घ) ''ग्रेन मार्किट रिपोर्ट'' के विषय से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं परिषद के दिनांक 23 सितम्बर, 1993 के प्रकाशन में इस बात का उल्लेख किया गया है कि यद्यपि अधिकांश वर्षों में भारत गेहूं का मामूली निवल निर्यातक रहता है, लेकिन इसे मानसून की वर्षा के अभाव होने का खतरा बना रहता है। जिसकी वजह से गहूं का आयात करने की जरूरत पड़ सकती है। इस रिपोर्ट में अभिव्यक्त किए गए विचार उनके द्वारा स्थिति के किए गए मूल्यांकन पर आधारित हैं।

उत्तर प्रदेश में रेलवे स्लीपर कोच फैक्ट्री

4953. श्री राम निहोर राय : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश में रेलवे स्लीपर कोच फैक्टरी स्थापित करने की योजना बना रही है ;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ 1980 के दशक के दौरान उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में कोई सर्वेक्षण किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार रेलवे स्लीपर कोच फैक्टरी मिर्जापुर में स्थापित करने विचार कर रही है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी नहीं, नया सवारी डिब्बा कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) रेलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सवारी डिब्बों की मौजूदा निर्माण क्षमता पर्याप्त समझी जाती है। अतः नये सवारी डिब्बा कारखाने के स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

बरेली-दिल्ली सवारी गाड़ी का प्रस्थान समय

4954. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यात्रियों की सुविधा प्रदान करने के लिए बरेली - दिल्ली सवारी गाड़ी के रात्रि में 9.00 बजे प्रस्थान सुनिश्चित करने का कोई प्रस्ताव मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हां।

(ख) जांच की गयी लेकिन परिचालनिक कारणों की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं पाया गया।

[अनुवाद]

मुम्बई में रेलवे स्टेशन

4955. श्री मोहन रावले : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बढ़ते हुए यातायात को देखते हुए मुम्बई में मौजूदा रेलवे प्लेटफार्मों को चौड़ा करने तथा नये प्लेटफार्म का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह कार्य कब से शुरू हो जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) से (ग) नए प्लेटफार्मों की व्यवस्था और मौजूदा प्लेटफार्मों को चौड़ा करना एक सतत प्रक्रिया है और जहां कहीं यातायात की आवश्यकताओं की दृष्टि से अपेक्षित होता है वहां ऐसे कार्य शुरू कर दिए जाते हैं जो धन की उपलब्धता और विभिन्न स्टेशनों की तुलनात्मक आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। तदनुसार, डोम्बीवली में प्लेटफार्म सं. 1 को चौड़ा करने से संबंधित कार्य शुरू किये गये हैं। इन सभी कार्यों को 1994-95 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

शिलांग में इन्डोर स्टेडियम

4956. श्री पीटर जी. मरबनिआंग : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को शिलांग में एक इन्डोर स्टेडियम के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता हेतु असम से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी सहायता राशि दिये जाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम के लेखे

4957. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के 1992-93 के लेखे संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने में कोई विलम्ब हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) 1992-93 के लेखे संसद के दोनों सदनों में कब रखे जायेगें ; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 1992-93 के लेखों को संसद के दोनों सदनों के सभा पटलों पर 31 दिसम्बर, 1993 तक रखा जाना अपेक्षित था। तथापि, निगम के लेखापरीक्षित लेखे और साथ ही साथ वर्ष 1992-93 की वार्षिक रिपोर्ट लोक सभा में 22.2.94 और राज्य सभा में 4.3.94 को प्रस्तुत की जा सकी थी।

(ख) से (घ) प्रधान लेखोपरीक्षिकों द्वारा लेखों का प्रमाणिकरण करने और भारत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से अन्तिम लेखे प्राप्त होने में विलम्ब होने के कारण निश्चित तारीख तक लेखे प्रस्तुत नहीं किए जा सके थे। निगम के लेखे और रिपोर्ट जनवरी, 1994 के दूसरे सप्ताह तक ही तैयार हो पाए थे। तथापि, इन्हें संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत नहीं किया जा सका था क्योंकि उस समय संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा था।

प्याज की खेती

4958. श्री हरिसिंह चावड़ा : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 और 1993-94 के दौरान प्याज का कुल कितना उत्पाद हुआ और अनुमानतः कितनी भूमि पर प्याज की खेती की जाती है ;

(ख) क्या प्याज का उत्पादन हमारी अपनी खपत के लिए पर्याप्त है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) प्याज की कौन-कौन सी नई किस्मों का खेती में प्रयोगिक तौर पर उपयोग किया जा रहा है ; और

(ङ) देश में प्याज की खेती को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) 1992-93 के दौरान प्याज का अनुमानित क्षेत्र 3.21 लाख हैक्टेयर था जिसका अनुमानित उत्पादन 35.90 लाख मीटरी टन था। वर्ष्ज 1993-94 के लिए क्षेत्र और उत्पादन के आंकड़ों को सभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ख) और (ग) जी नहीं। क्योंकि आबादी में वृद्धि के साथ-साथ मांग भी बढ़ती रहती है।

(घ) अर्क निकेतन, अर्क कल्याण, एग्री फाउन्ड डार्क रेड, एग्री फाउन्ड लाइट रेड, पंजाब रेड राउन्ड और पूसा माधवी नामक छः नई किस्मों को निर्मुक्त किए जाने के लिए अभिज्ञात किया गया है।

(ङ) प्याज की खेती को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं ;

1. भारत सरकार सब्जियों, जिसमें प्याज भी शामिल है, के संवर्धन के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना कार्यान्वित कर रही है। इसके अंतर्गत, आधारी बीज, मिनिकटों और संकर बीज के उत्पादन के लिए सहायता दी जाती है।

2. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने नासिक के पास प्याज और लहसुन के बारे में एक राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की है ताकि इनकी फसल में सुधार और उत्पादन के बारे में बुनियादी अनुसंधान कार्य किया जा सके। इसके अतिरिक्त, अखिल भारतीय समन्वित सब्जी सुधार परियोजना में प्याज के उत्पादन, इसके रोगों और कीटों के नियंत्रण के लिए पैकेज पद्धतियां विकसित की जा रही है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा प्याज की एफ-1 संकर किस्म विकसित करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

3. देश में प्रौद्योगिकी के अन्तरण में मदद करने के अलावा प्याज के उत्पादन और फसल कटाई के बाद के रख-रखाव के विभिन्न पहलुओं के बारे में सम्बद्ध कृषि विकास संघ द्वारा अनुकूली अनुसंधान भी शुरू किया गया है।

मोटे अनाजों का निर्यात

4959. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सभी मोटे अनाजों का निःशुल्क निर्यात करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार इन वस्तुओं की कम मांग के बारे में काफी चिंतित है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिया जायेगा ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) से (घ) सरकार ने चारा-वर्ग की संकर ज्वार का मुक्त रूप से निर्यात करने की अनुमति दे दी है। अन्य मोटे अनाजों से संबंधित मामला विचाराधीन है।

[हिन्दी]

कपास की उत्पादन लागत

4960. श्री महेश कनोडिया : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के कपास मौसम के लिए विभिन्न कपास उत्पादक राज्यों और कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा कपास की उत्पादन लागत का कितना अनुमान लगाया गया है ; और

(ख) कपास की उत्पादन लागत और समर्थन मूल्यों में अन्तर समाप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश करते समय, कृषि लागत तथा मूल्य आयोग ''भारत में प्रमुख फसलों की खेती की लागत का अध्ययन करने की व्यापक योजना'' के अन्तर्गत सृजित उत्पादन की लागत के अनुमानों को ध्यान में रखता है। कृषि लागत तथा मूल्य आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, 1993-94 मौसम के लिए हरियाणा राज्य के वास्ते कपास के उत्पादन की लागत 827 रुपए प्रति क्विंटल आंकी गई है।

सरकार द्वारा कपास के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य लाभकारी मूल्य हैं और इसमें न केवल उत्पादन की लागत शामिल है बल्कि इसमें लाभ का एक उचित मार्जिन भी किया जाता है।

[अनुवाद]

प्रवासी पक्षी

4961. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में चिल्का झील के निकटवर्ती क्षेत्रों में विगत शीतकालीन मौसम के दौरान हजारों प्रवासी पक्षियों के मारे जाने के संबंध में सूचनाएं मिली हैं ;

(ख) क्या इनका मारा जाना प्रतिवर्ष जारी है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस क्षेत्र में इन पक्षियों को निर्बाध रूप से मारे जाने की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) इस मंत्रालय को उड़ीसा राज्य सरकार से इस प्रकार की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

बाघों के पावों के निशान

4962. श्री राम कापसे :

श्री फूल चन्द वर्मा :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाघों के पांवों के निशान को मापने के लिए एक नई तकनीकी शुरू की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस तकनीक के परिणामस्वरूप बाघों की राज्यवार संख्या कितनी है ;

(घ) क्या इस तकनीक को अन्य वन्य जीवों के लिए भी उपलब्ध कराया जाएगा ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) किसी क्षेत्र, जहां सात दिन की अवधि में एक बाघ बिना बाधा के आ जा सकता है, से प्राप्त किए गए बाघों के पांवों के निशान के 18 पैरामीटरों को ध्यान में रखते हुए केवल पश्चिम बंगाल में बाघों के पांवों के निशानों को मापने के लिए नई तकनीक का प्रयोग किया गया है। क्षेत्र में बाघों की संख्या निर्धारित करने के लिए इन्हें सामूहिक विश्लेषण हेतु कम्प्यूटर में डाला जा रहा है।

(ग) इस पद्धति का प्रयोग केवल पश्चिम बंगाल में ही किया गया है इससे वहां 335 बाघ होने का पता चलता है।

(घ) और (ङ) इस पद्धति को सुचारू प्रलेखीकरण एवं विश्लेषण के पश्चात शेरों एवं तेंदुओं के मामले में भी प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि अब तक ऐसा कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है।

संगीतकारों को पुरस्कार

4963. श्री सी.पी. मुदालगिरियप्पा : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मशहूर वायलिन वादक स्वर्गीय मैसूर टी. चौदय्या के शताब्दी समारोहों के दौरान किन-किन संगीतकारों को ''एकेडमी ऑफ म्यूजिक अवार्ड्स'' दिये गये हैं ;

(ख) क्या संगीत अकादमी ने सरकार से इसके द्वारा घोषित वार्षिक चौद्दया स्मृति अवार्ड को संगीत अकादमी के साथ मिलकर देने का आग्रह किया है ;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) क्या कुछ प्रख्यात संगीतकारों ने चौद्दय्या के घर को स्मारक में परिवर्तित करने का आग्रह किया है; और

(ङ) यदि हां, इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) मशहूर वायलिन वादक, स्वर्गीय मैसूर टी चौदय्या के शताब्दी समारोहों के दौरान 'एकेडमी ऑफ म्यूजिक अवार्डस:' के वितरण से सरकार का सरोकार नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली विश्वविद्यालय का भू-गर्भ विज्ञान विभाग

4964. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

दिल्ली विश्वविद्यालय के भू-गर्भ विज्ञान विभाग को उच्च शिक्षा विकास के लिए गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचनानुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय को जारी किये गए अनुरक्षण अनुदान में से 89,31,800 रुपये की निधियां भू-विज्ञान विभाग को दी गई थी ; जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :

1991-92	रु. 29,14,000
1992-93	रु. 28,90,900
1993-94	रु. 31,26,900

इसके अतिरिक्त, विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भू-विज्ञान विभाग को विभिन्न शोध परियोजनाओं के लिए क्रमशः 35,37,600 रु. तथा 2,03,000 रुपये तक की निधियां दी थीं।

इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भू-विज्ञान विभाग को 1989-90 में विशेष सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत शोध व शिक्षा की प्रोन्नति हेतु पाँच वर्षों की अवधि के लिए 43.00 लाख रुपये का अनुदान आबंटित किया था। 31-3-94 तक इस आबंटन में से 31.68 लाख रुपये की निधियां दी जा चुकी हैं।

स्पीड डिलिवरी स्कीम

4965. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने बहु-राष्ट्रीय कंपनियों की इस मांग को ठुकरा दिया है कि वितरण कार्यक्रम का पालन न किए जाने पर ''दंडात्मक कार्यवाही'' की जाए ;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे स्पीड डिलिवरी स्कीम के अंतर्गत बहुराष्ट्रीय कंपनियों को शामिल करने पर सहमत हो गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) स्पीड डिलिवरी स्कीम के कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (घ) रेलों पर स्पीड डिलिवरी स्कीम नाम की कोई योजना नहीं है। अतः सुपुर्दगी के निर्धारित समय का पालन न करने पर दण्डात्मक कार्रवाई करने हेतु बहुराष्ट्रीय कंपनियों की मांग का प्रश्न नहीं उठता।

बहरहाल रेलें स्थल से स्थल स्पीड लिंक एक्सप्रेस नामक माल गाड़ियां चलाती हैं जिसके अंतर्गत बुक किए गए माल की नियत समय के भीतर सुपुर्दगी सुनिश्चित की जाती है और जिसके लिए 5 प्रतिशत अधिप्रभार वसूल किया जाता है। पारवहन लक्ष्य से अधिक समय लगने पर 5 प्रतिशत अधिप्रभार वापिस कर दिया जाता है।

[हिन्दी]

पब्लिक स्कूलों को दान

4966. श्री गोविन्द चन्द्र मुन्डा :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 फरवरी, 1994 के ''जनसत्ता'' में ''पैसे बटोरने का नया तरीका ढूंढा पब्लिक स्कूलों ने'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पब्लिक स्कूलों द्वारा वार्षिक समारोह मनाने तथा प्रवेश के समय भारी धनराशि ली जाती है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सभी पब्लिक स्कूल या निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल अपने अवस्थित होने के स्थान के अनुसार संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारों के प्रशासकीय नियंत्रण में होते हैं। इन स्कूलों को संबंधित राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारों से मान्यता की आवश्यकता होती है। संबंधित राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश के शिक्षा अधिनियमों या नियमावली में विहित मान्यता शर्तों में सामान्यतया दान लेने की मनाही होती है। राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें ऐसे स्कूलों की मान्यता को रद्द करने की कार्रवाई करती हैं, जो अपने संबंधित शिक्षा अधिनियम या नियमावली में यथा उल्लिखित दान लेने के कार्य को विनियमित करने वाले प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। चूंकि सकूली शिक्षा का कोई केन्द्रीय अधिनियम नहीं है और देश में अधिकतर स्कूल संबंधित राज्य या केन्द्रशासित प्रदेश की सरकार के प्रशासकीय नियंत्रण में हैं, इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की भूमिका केवल सलाह देने की ही है।

[अनुवाद]

तम्बाकू अनुसंधान केन्द्र

4967. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में हंसूर स्थित तम्बाकू अनुसंधान केन्द्र के लिये 1993-94 के दौरान बजट में कितना नियतन किया गया ;

(ख) क्या घनाभाव के कारण उक्त अनुसंधान केन्द्र व्यापक अनुसंधान कार्यक्रम चलाने में असमर्थ है ; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त अनुसंधान केन्द्र को समर्थ बनाने और आठवीं योजना अवधि के दौरान और अधिक धन आबंटित करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.कृष्ण कुमार) : (क) महोदय वर्ष 1993-94 के दौरान केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, राजामुंदरी के हंसूर केन्द्र के लिए योजना और गैर-योजना बजट आबंटन रुपये 34.50 लाख था।

(ख) जी नहीं। पर्याप्त बजट प्रावधान हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि विस्तार कार्यक्रम

4968. डा. कृपासिंधु भोई : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रायोजित कृषि विस्तार कार्यक्रम उड़ीसा में कार्यान्वित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने किसानों को प्रशिक्षण दिया गया है ; और

(ग) इन किसानों को दिये गये प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं होता।

तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहन

4969. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

श्री मनोरंजन भक्त :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को और अधिक महत्व देने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उद्योग और शैक्षिक संस्थानों के क्षेत्र में इस परिषद द्वारा आरंभ की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का गठन देश में तकनीकी शिक्षा पद्धति क योजनाबद्ध और समन्वित विकास को ध्यान में रखकर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, अधिनियम के अन्तर्गत एक सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था। अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से, एक पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उपयुक्त जनशक्ति संस्वीकृत की गई।

अधिनियम के उद्देश्य को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के उद्देश्य से, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को अब उद्योग संस्था तालमेल, महत्वपूर्ण क्षेत्रों, अनुसंधान और विकास, आधुनिकीकरण और अप्रचलन हटाने, आदि सहित विभिन्न योजनाओं के जरिए तकनीकी संस्थाओं का विकास आरंभ करने के लिए सुसज्जित किया है।

"ऑपरेशन फ्लड" कार्यक्रम

4970. श्री के. प्रधानी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के किन-किन जिलों में "ऑपरेशन फ्लड" कार्यक्रम शुरू किया गया है और इस सम्बन्ध में अब तक प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार के पास पूरे राज्य में इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो यह कार्यक्रम पूरे राज्य में कब तक शुरू किया जाएगा और इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) आपरेशन फ्लड् कार्यक्रम, उड़ीसा के कटक, ताजपुर, जगतसिंह पुर, केन्द्रपाड़ा, पुरी, खुर्द, नयागढ़, ढेंकानाल, अंगुल, संभलपुर, बारगढ़ तथा क्योंझर जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। प्रमुख घटकों के अंतर्गत अर्जित उपलब्धि इस प्रकार हैं :

विवरण	उपलब्धि फरवरी, 94 को
1. संगठित डेरी सहकारी समितियों की संख्या	883×
2. कृषक सदस्यों की संख्या	59,514×
3. औसत दुग्ध अधिप्राप्ति (हजार कि.ग्रा./दिन)	67.71
4. औसत दुग्ध विपणन (हजार लीटर/दिन)	75.32
5. प्रसंस्करण क्षमता (हजार लीटर/दिन)	125.00
6. प्रशीतन क्षमता (हजार लीटर/दिन)	72.00
7. पशु आहार संयंत्र क्षमता (मीट्रिक टन/दिन)	100.00
8. निर्मुक्त निधियां (लाख रुपये)	410.98

× दिसम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार

(ख) जी, नहीं। राज्य के संभाव्य जिलों को आपरेशन फ्लड-3 कार्यक्रम के अंतर्गत पहले ही शामिल कर लिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेल लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना

4971. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में रेल लाइनों का विस्तार अन्य राज्यों की अपेक्षा कम हुआ है ;

(ख) राजस्थान में गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितने मीटर लम्बी मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइन में बदला गया ; और

(ग) राजस्थान में वर्ष 1994-95 के दौरान कितनी मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी नहीं।

(ख) 672 कि.मी.।

(ग) तीन यथा रेवाड़ी-जयपुर, फुलेरा-मारवाड़ और जोधपुर-जैसलमेर, कुल 739 कि.मी.।

[अनुवाद]

ए.सी. 3-टियर डिब्बे

4972. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल में नये वातानुकूल 3-टियर डिब्बे शुरू किये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो नये डिब्बों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ; और

(ग) अनुमानत : कितने डिब्बों की तुरन्त आवश्यकता है तथा कितने डिब्बे उपलब्ध हैं और इन्हें किस चरण में शुरू किया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हां।

(ख) वातानुकूल 3-टियर शयनयान में 67 शायिकाएं हैं।

(ग) राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों में वातानुकूल कुर्सी यानों के स्थान पर वातानुकूल 3-टियर शयनयान लगाने का निर्णय लिया गया है और तदनुसार 1994-95 के उत्पादन कार्यक्रम में 65 वातानुकूल 3-टियर शयनयान शामिल किए गए हैं। कुछ और स्वतः जनित्र वातानुकूल 3-टियर शयनयान भी उत्पाद-मिक्स में शामिल किए गए हैं और उनको लंबी दूरी की मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में लगाने का प्रस्ताव है।

बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी

4973. श्री राम नाईक : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली के महत्वपूर्ण भाग के अधिग्रहण हेतु बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या सरकार को इस प्रस्ताव के विरोध की भी जानकारी है ;

(ग) क्या इस परियोजना के लिए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी को ब्रिटेन से भी सहायता प्रदान की जाएगी ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य सरकार से बम्बई प्राकृतिक विज्ञान सोसायटी के पक्ष में बीरीवली, बम्बई स्थित संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की वन भूमि के वनेत्तर उपयोग संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

12.00 मध्याह्न

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : महोदय, मैं एक अत्यंत गंभीर मुद्दा उठाना चाहता हूँ। कलकत्ता के लोगों को पिछले पांच वर्षों से टेलीफोन डायरेक्ट्री उपलब्ध नहीं हो रही है। इस मुद्दे को कई मंचों पर उठाया गया है। मैं टेलीफोन सलाहकार समिति का सदस्य था जहाँ पिछले डेढ़ वर्षों के दौरान इस मुद्दे को उठाया गया लेकिन उसका कुछ भी परिणाम नहीं निकला। इस संबंध में अनेकों बार आश्वासन दिए गए हैं। टेलीफोन डायरेक्ट्री उपलब्ध नहीं कराए जाने का कारण यह है कि वे इसे पुनः प्रकाशित करवा कर मुनाफा कमाना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें विज्ञापन एजेन्सियों की आवश्यकता है। वे विज्ञापन कम्पनियों को ठेका देना चाहते हैं जो कि सार्वजनिक विज्ञापनहेतु विज्ञापनों को संकलित करेगा तथा टेलीफोन डायरेक्ट्री प्रकाशित करने का खर्च वहन करेगा और इसमें टेलीफोन विभाग को पैसा कमाने का मौका मिलेगा। विज्ञापनों से वे कभी-कभी 50 लाख रुपए तथा कभी-कभी एक करोड़ रुपए तक कमाते हैं। वह कुल मुनाफा होता है।

1989 अथवा 1990 में ऐसा हुआ कि यू.डी.आई.नामक एक कम्पनी जो दिल्ली तथा मुंबई में भी कार्य करती है, को यह काम सौंपा गया। लेकिन पता नहीं किस कारण से इस यू.डी.आई. कम्पनी ने 3 करोड़ रुपए की विज्ञापन राशि वसूल करने के बाद भी टेलीफोन डायरेक्ट्री का प्रकाशन नहीं किया। उस कम्पनी के विरुद्ध की गई कार्यवाही के बारे में पूछे जाने पर टेलीफोन विभाग ने बताया कि उस कम्पनी की प्रतिभूति को रद्द कर दिया गया है। प्रतिभूति की कुल राशि मात्र 20 लाख रुपए थी। टेलीफोन डायरेक्ट्री के वर्गीकृत हिस्सों के लिए बहुत कम लोग ही विज्ञापन देते हैं। कम्पनी ने 3 करोड़ से अधिक की राशि वसूल की थी जबकि टेलीफोन विभाग के अधिकारी 20 लाख राशि की प्रतिभूति को जब्त करके ही संतुष्ट हैं। यह प्रश्न का एक पहलू है। हमें इस बात की आशंका है और मैंने टेलीफोन सलाहकार समिति की बैठक में कहा भी था कि इस मामले में किसी आयोग को शामिल किया जाना चाहिए। नहीं तो यह नहीं हो सकता। मैंने संचार मंत्री श्री सुख राम को इस बारे में अनेकों बार लिखा है लेकिन उन्होंने कोई सकारात्मक पहल नहीं की है।

दूसरी बात यह है कि टेलीफोन डायरेक्ट्री को कौन प्रकाशित करेगा तथा किस प्रकार प्रकाशित करेगा ? जब उन्होंने उस कम्पनी के ठेके को निरस्त करने का निर्णय लिया तो साथ ही दूसरी कम्पनी की तलाश शुरू कर दी ताकि उसे ठेका दिया जा सके और वह भी पुनः लोगों के पास विज्ञापन हेतु जा सके। उसके बाद वह उस टेलीफोन डायरेक्ट्री को प्रकाशित करेगा। अब मंत्री महोदय मुझसे कहते हैं कि यदि लोग विज्ञापन नहीं देते तो वह कम्पनी क्या कर सकती है। क्योंकि वे विज्ञापन प्राप्त नहीं कर पाते हैं इसीलिए टेलीफोन डायरेक्ट्री प्रकाशित नहीं की जा रही है। जब लोगों ने एक कम्पनी को विज्ञापन हेतु पैसे दे रखे हैं तो फिर और विज्ञापन हेतु उन्हें क्यों कहा जा रहा है ? महोदय, मैं यही बात संचार मंत्री को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : कलकत्ता हमारे चुनाव क्षेत्र में आता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : कलकत्ता भारत का हिस्सा है। क्या उन्हें यह हमेशा याद रहता है ? **(व्यवधान)**

श्री अमलदत्त : जब कभी भी मैं इस बारे में उनसे पूछता हूँ तो वे कहते हैं कि वे टेलीफोन डायरेक्ट्री विज्ञापन की प्रतिक्षा किए बिना प्रकाशित करने के लिए कहेंगे। जब वे वहाँ जाते हैं तो वे कुछ और ही कहते हैं। मैं इस बात को इसलिए उठा रहा हूँ कि वे हाल ही में वहाँ गए थे। उन्होंने मुझे कहा था कि इस बारे में वे ठोस स्पष्ट निर्देश देंगे। लेकिन मुझे कल पता चला कि इस बारे में कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं और साथ ही यह भी पता चला कि लोगों से विज्ञापन हेतु फिर से पैसे वसूले जाएंगे तथा टेलीफोन डायरेक्ट्री उसके बाद ही प्रकाशित किया जाएगा। यह नहीं होने वाला है। टेलीफोन विभाग का इस प्रकार का दलील नहीं चलने वाला है। लोग परेशान हैं **(व्यवधान)**। कलकत्ता ने पिछले 3-4 वर्षों के दौरान तीन लाख टेलीफोन कनेक्शनों में से दो लाख का नम्बर बदला गया है। एक टेलीफोन काल करने के लिए 3-4 काल करने पड़ते हैं। मंत्री महोदय कहते हैं कि 197 नम्बर पर डायल करें। जब 197 नम्बर डायल किया जाता है तो उत्तर मिलता है कि आप अपनी बारी की प्रतीक्षा करे। पंद्रह मिनटों तक लोग अपनी बारी की आने का इंतजार करते रहते हैं। आखिर कब तक कोई टेलीफोन लाइन व्यस्त रख सकता है ? इस संदर्भ में कुछ किया जाना चाहिए **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कांति चटर्जी : संसद-सदस्य के रूप में टेलीफोन करना हमारे कार्यकरण का हिस्सा है। इसमें गड़बड़ी होने से हमारी कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। **(व्यवधान)**

श्री अमल दत्त : टेलीफोन विभाग अपने प्रयोक्ताओं से पर्याप्त मुनाफा कमा रहा है। इसलिए उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, टेलीफोन अब विलासिता की वस्तु नहीं रह गई है। यह एक आवश्यकता है। मैं सदन के अन्दर इस पर प्रत्युत्तर की माँग करता हूँ। **(व्यवधान)** उन्हें इसपर अवश्य ही प्रत्युत्तर देना चाहिए।

श्री अमल दत्त : सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : हम संसद सदस्य के रूप में किस प्रकार कार्य कर सकते हैं ? मेरा विश्वास है कि यह आपके उत्तरदायित्व का हिस्सा है। यह कार्यकरण का मामला है। **(व्यवधान)**

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : महोदय, लोग बाहर यह कह रहे हैं कि कोई उत्तरदायी सरकार नहीं है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री अहमद, आप अब कृपया बैठ जायं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतिश कुमार (बाढ़) : गैट पर चर्चा के लिए हमने नियम 184 के तहत कराने को कहा था, लेकिन आज के एजेंडे में यह नियम 193 के अन्तर्गत रखी गई है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं उमा भारती जी को अनुमति दूँगा। मैं आपको स्पष्ट करूंगा। आपकी सूचना नियम 193 के अन्तर्गत है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : अध्यक्ष महोदय, आज जितने भी अखबार चाहे वे किसी भी भारतीय भाषा में प्रकाशित होते हों, उनके आगे और पीछे के पन्नों पर छपी खबरों को देखा जाय तो सबमें एक खबर समान रूप से मिलती है कि किसी छोटी बालिका के साथ दुष्कृत्य किया गया, महिलाओं के साथ छेड़खानी की गई और एक स्कूल की छात्रा का अपहरण करके कार में ले जाकर उसके साथ दुराचार किया गया, विदेशी महिला पर्यटक के साथ दुराचार होता है और कहीं खबर पढ़ने को मिलती है कि दो-तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कृत्य किया गया। अगर हम ध्यान दें तो ऐसी घटनाओं में पिछले एक दो सालों में काफी बढ़ोत्तरी हो रही है।

आज मुझे आपके माध्यम से सरकार से और सदन में उपस्थित सदस्यों से निवेदन करना है कि यह भारत की सर्वोच्च संस्था है और लोकतंत्र में इतनी शक्ति और सामर्थ्य होता है, क्या इस शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग इसको रोकने में नहीं कर सकते हैं। आज फिल्मों में, विज्ञापनों में और हमारे दूरदर्शन में विदेशी चैनल चल रहे हैं उनके द्वारा जिस तरह की विकृति दिखाई जा रही है और अश्लीलता दिखाई जा रही है तथा जिस प्रकार के पोस्टर दिल्ली और बड़े-बड़े महानगरों में लगे होते हैं, जिस प्रकार की फिल्में बन रही हैं, जिस प्रकार के विज्ञापन गर्भ निरोधक उपायों के दिखाये जाते हैं क्या उनमें संतुलित, संयमित एवम् शालीन भाषा का उपयोग नहीं किया जा सकता है। विदेशी चैनल्स के द्वारा जो धीमा जहर देश की युवा पीढ़ी को दिया जा रहा है, उससे महानगरों में जो बड़ी संख्या में बेरोजगार हैं उनकी कुंठाओं और भावनाओं को भड़कने का मौका मिलता है। सदन में पहले भी इस पर विचार हुआ है और इस पर चर्चा हो चुकी है कि समाज की अश्लीलता फिल्मों में जा रही है कि फिल्मों की अश्लीलता समाज में आ रही है, लेकिन यह सत्य है कि भावनायें दमित होती हैं और उनको भड़कने का मौका मिलता है इस प्रकार के चैनल और विज्ञापन देखकर और अश्लील फिल्में देखकर। मेरा निवेदन सरकार से ही नहीं हैं, यहां उपस्थित प्रत्येक सदस्य से है कि देश की युवा पीढ़ी और भावी पीढ़ी को बचायें और उसे इस धीमे जहर से मरने से बचाने के लिए तथा इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए अविलम्ब कोई ऐसा रास्ता सदन को निकालना पड़ेगा, जिससे फिल्मों में, विज्ञापनों में और जो विदेशी चैनल हमारे देश में चलते हैं उनमें अश्लीलता और विकृति की उस विदूषता को रोकने का कोई न कोई उपाय बहुत जल्दी निकालना पड़ेगा, इसके पहले कि इस देश की पीढ़ी पूरी तरह से विकृत मानसिकता से गुजरने के लिए पूरी तरह मजबूर की जाये। यही मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

[अनुवाद]

श्री जगमीत सिंह बरार (फरीदकोट) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमारे लिए अत्यधिक गर्व और सम्मान की बात है कि पूरे देश में तथा विशेष रूप से पंजाब में गेहूँ की प्रचुर फसल अपेक्षित है। पंजाब के बाजार इस सुनहरे अन्न से भरे हुए हैं। गत वर्ष इस राज्य ने देश में उत्पादित कुल गेहूँ का 71 प्रतिशत से अधिक का उत्पादन किया। बुवाई के मौसम के दौरान गेहूँ की फसल का मूल्य 350/- रु. प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था और यह मूल्य निर्धारित किए जाने के बाद उर्वरक, मशीनरी, टैक्ट्रर, डीजल और अन्य चीजों के मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई। पिछली बार, किसानों को 25 रुपये प्रति क्विंटल बोनस के रूप में दिया गया। अतः, मैं यहाँ उपस्थित कृषि मंत्री चौधरी बलराम जाखड़ जी, वित्त मंत्री तथा प्रधानमंत्री तथा पार्टी से यह अनुरोध करूँगा कि

कृषि संबंधी आदानों के मूल्यों में वृद्धि के कारण हुई क्षति की प्रतिपूर्ति के लिए किसानों को 50 रुपये प्रति क्विंटल बोनस के रूप में दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री बी.एल. शर्मा 'प्रेम' (पूर्वी दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, पिछले 15 दिनों से हिन्दुस्तान के विभिन्न अखबारों में एक समाचार आ रहा है कि पाकिस्तान में सिंघ प्रांत में विशेष रूप से अल्प संख्यकों - हिन्दू परिवारों की माताओं, बहनों को वहाँ की पुलिस और आर्मी घरों में घुसकर अगवा कर रही है और वहाँ का प्रशासन उसको प्रोत्साहन दे रहा है। इसमें अनेक माताओं-बहनों का शीलहरण हुआ है। इसके अतिरिक्त धर्मान्तरण किया जा रहा है। इस सबका समाचार भी अखबारों में छपा है। आज तक कोई भी लड़की माता-पिता को वापस नहीं की गई है। मेरा सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोटेस्ट जारी करना चाहिए ताकि अल्पसंख्यक वहाँ पर शांति से रह सकें।

श्री वृशिण पटेल (सीवान) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में शाम से देर रात तक इंडिया गेट पर एक मेले का सा दृश्य रहता है जहाँ पर काम-काज करने के बाद खुली हवा में लोग अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करने आते हैं। उस समय वहाँ छोटे-छोटे दुकानदार यथा-चना, बैलून, गोल गप्पे बेचने वाले काफी सहयोगी सिद्ध होते हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो अपने सिर पर रखकर ये खाद्य पदार्थ बेचते हैं, और अपना पेट पालते हैं ऐसे गरीब लोगों से भी पुलिस लाखों रुपये हर महीने वसूलती है। इसलिए, आपसे अनुरोध है कि उन लोगों को अपने खाद्य पदार्थ बेचने का लाइसेंस दिया जाय या पुलिस की बर्बरता से जो शोषण हो रहा है, उससे मुक्ति दिलायी जाये। यही मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ।

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा) : अध्यक्ष महोदय, यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आजादी के 47 साल बाद भी अपने देश की जनता को और विशेषकर गांवों और वनों में रहनेवाली जनता को स्वच्छ जल पीने के लिए उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। इस पेय-जल के अभाव में मध्य प्रदेश के गाँवों और वनों में रहने वाले लोग गंदे नालों और . . .

[हिन्दी]

पोखरों का पानी पीकर अनेक रोगों का शिकार हो रहे हैं और असमय ही काल के गाल में समा जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर सम्भाग के सरगुजा, रायगढ़ और बिलासपुर जिलों में गन्दे पानी के सेवन से अन्त्रशोध रोग ताण्डव नृत्य कर रहा है और खाली सरगुजा जिला में 212 व्यक्ति इस रोग के कारण असमय कालकलवित हो गये। विकास खंड अम्बिकापुर में 7, राजपुर-9, लुण्डरा-11, पान-11, सीतापुर-10, बतौली-3, जनकपुर-25, भरतपुर-9, बैकुण्ठपुर-5, उदयपुर-28, प्रतापपुर-2, बलरामपुर-11, लखनपुर-4, प्रेमनगर-7, रकामचन्द्रपुर-6, बांजफनगर-22, मनेन्द्रगढ़-2, शंकरगढ़-13, कुसुमी-13, साम्बरी-5, श्रीनगर-2, खड़गवा विधानसभा-6 आदिवासी मरे हैं। अनेकों आज भी बीमार हैं और उनकी चिकित्सा और दवाई की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां पर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है।

अनेक व्यक्ति रोगों का शिकार होकर अन्तिम सांसें गिन रहे हैं और इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन

करना चाहता हूं कि इस स्थिति को ठीक किया जाए और पानी के स्वच्छ जल और दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था की जाए और केन्द्र सरकार इस पर कार्रवाई करे।

[अनुवाद]

श्री पाला के.एम. मैथ्यू (इदुक्की) : केरल सहित दक्षिण भारत के बागान-श्रमिक हड़ताल की ओर उन्मुख हैं। वे लड़ाई करने की राह पर हैं। उन्होंने बागान श्रम अधिनियम और उपदान योजना पुनरीक्षा, उच्चतम सीमा समाप्ति और पूरे श्रमिक वर्ग के लिए पेंशन योजना लागू करने के लिये संशोधन हेतु अनुरोध किया हैं। ये उनकी मुख्य मौंगे हैं तथा अब उन्होंने सूचना दी है कि वे तत्काल हड़ताल करेंगे यदि उनकी ये मौंगे स्वीकार नहीं की गईं। इस हड़ताल से बागान क्षेत्र को भारी क्षति होगी तथा इससे लाखों श्रमिकों को पर्याप्त हानि होगी।

अतः, मैं सरकार से अविलम्ब और शीघ्र कदम उठाने का अनुरोध करता हूँ ताकि आनेवाली हड़ताल को रोका जा सके।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, देश के विशिष्ट समाचार पत्रों में गत दो दिन से अत्यंत चिंताजनक समाचार प्रकाशित हो रहे हैं कि किस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में धर्मान्तरण बलपूर्वक कराया जा रहा है। नेशनल बुद्धिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड जो वहां का विद्रोही संगठन है उसके द्वारा भोले-भाले आदिवासियों को भ्रम में डाल कर, डरा-धमकाकर, बल प्रयोग करके जिस प्रकार से धर्मान्तरण करवाया गया है और वह हजारों की संख्या में हुआ है। इस विषय को गृह मंत्रालय की बैठक में वहां के राज्य अधिकारियों ने उठाया भी है और उन्होंने भी इस बात की चिन्ता जतायी है कि केन्द्र सरकार ने तुरंत कुछ प्रभावी हस्तक्षेप नहीं किया तो निश्चित रूप से वहां की सामाजिक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जाएगी, आदिवासियों में संघर्ष छिड़ जाएगा और इस लिए मेरी केन्द्र सरकार से मांग है और अनुरोध है कि इस बारे में तुरंत प्रभावी कदम उठाएं जिससे कि बलपूर्वक कराये जा रहे धर्मान्तरण को रोका जा सके।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम एक राष्ट्रीय संस्था है, जिसके साढ़े चार हजार मजदूर आज अनिश्चित अवस्था में हैं। यह संस्था हमारे देश में और बाहर भी काम कर रही है। एन पी सी सी जो वॉटर रिसोर्सेज़ मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, उसकी जो हालत आज हुई है इसके लिए उनका भ्रष्टाचार और मिसमैनेजमेंट जिम्मेदार है। इसके लिए हमने कई बार सवाल उठाया है और सदन में हर तरफ से यह सवाल उठाया गया और आश्वासन भी दिया गया। शुक्ल जी ने हमें आश्वासन दिया था कि व्यवस्था लेंगे। तीन महीने पहले हमने और मालिनी भट्टाचार्य जी ने उनसे भेंट की थी तो उस समय भी उन्होंने आश्वासन दिया था कि इसको अच्छा बनाने के लिए, सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाएंगे लेकिन आज सब मजदूरों को दिल्ली आना पड़ा। कल से वे धरने पर हैं। वे मांग कर रहे हैं कि यह जो राष्ट्रीय संस्था है जो लाभजनक स्थिति में थी, जहां पर अभी तक साढ़े चार हजार मजदूर काम कर रहे हैं, इसको बंद करने के लिए आज सरकार व्यवस्था कर रही है। इसका जो कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग का प्रस्ताव था, यह प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा गया था लेकिन वित्त मंत्रालय का जो फैसला है कि कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग नहीं, इसको धीरे-धीरे बंद करने के लिए, लिक्विडेशन करने के लिए उन्होंने व्यवस्था की है। स्टैण्डिग कमेटी औन ऐग्रीकल्चर की दसवीं

रिपोर्ट जो 22 तारीख को नीतीश कुमार जी ने सदन में रखी है, उसमें जो कहा गया है।

[अनुवाद]

मैं स्थायी समिति की रिपोर्ट से उद्धृत करता हूँ : -

"समिति राष्ट्रीय परियोजना निगम लिमिटेड मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत एक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम की खराब वित्तीय स्थिति पर गंभीर रूप से चिंतित है।

वित्त मंत्रालय ने इस उपक्रम के पूँजीगत पुनर्गठन की इस मंत्रालय की माँग को ठुकरा दिया और यह सुझाव दिया कि इस उपक्रम को चरणबद्ध तरीके से 4 से 5 साल की अवधि में समाप्त किया जाना चाहिए। समिति को मंत्रालय द्वारा यह सूचित किया गया है कि वित्त मंत्रालय का यह प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है। समिति स्थायी समिति की सर्वसम्मत सिफारिश को अनुशंसा करेगी। समिति का यह विचार है कि राष्ट्रीय परियोजना निगम लिमिटेड का पुनर्गठन किया जाय और इसे अर्थक्षम बनाया जाय।"

[हिन्दी]

अभी शुक्ला जी हाउस में मौजूद हैं हमारी माँग है कि वे हम लोगों को यहाँ आश्वासन दें कि इस कम्पनी को रिवाइज करने के लिए, री-वाइटेलाइज करने के लिए वे कदम उठाएँगे जो लाभजनक स्थिति में हैं और हमारे देश में बहुत जगह उसने काम किया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य : वे कई परियोजनाओं में कार्य कर रहे हैं। क्या मंत्री महोदय सदन को यह आश्वासन देंगे कि वे नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड जैसे एक सरकारी क्षेत्र के महत्वपूर्ण उपक्रम को फिर से चालू करने, अर्थक्षम बनाने तथा पुनर्गठन करने हेतु प्रत्येक कदम उठाएँगे ? मंत्री महोदय यहाँ उपस्थित हैं। उन्हें प्रत्युत्तर देना चाहिए।

[हिन्दी]

हम मांग करेंगे कि शुक्ला जी हम लोगों को यहां आश्वासन दें क्योंकि इस बारे में अनेक लोग यहाँ दिल्ली आए हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब यह कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है* . . .

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृतांत में शामिल नहीं किया जा रहा है। यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप कृपया बैठ जायं।

---

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या मानव विपत्ति का यह प्रश्न इस देश में कोई महत्व नहीं रखता है ?

अध्यक्ष महोदय : आप कोई प्रश्न क्यों नहीं पूछते हैं ? उन्हें कोई प्रश्न पूछना चाहिए था। यदि मामला महत्वपूर्ण हो तो आप इसे शून्यकाल में उठाना चाहते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : 4500 लोग इस परियोजना में सम्बद्ध हैं। यह मामला मुख्य रूप से नहीं है जो हमने सदन में पहले ही उठाया था। यह अन्य प्रत्यक्ष उदाहरण है।

[हिन्दी]

क्या आप भी मौनी बाबा हो गए हैं ? यह क्या बात है ? **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

डा. कार्तिकेशवर पात्र (बालासौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, उड़ीसा में फसल बीमा योजना नहीं लागू की गई है। जिन किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदा यथा बाढ़, चक्रवात, और भारी वर्षा के कारण नुकसान पहुँचा है, उन्हें किसी फसल बीमे की सुविधा से वंचित कर दिया गया। उन्होंने राज्य सरकार से बार-बार आग्रह किया है। गत वर्ष उड़ीसा के बालासोर जिले में, किसानों ने जबर्दश्त बाढ़ की वजह से फसल की भयंकर हानि का सामना किया। हाल ही में, गत सप्ताह में, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटवर्ती इलाकों में तूफान आया और भारी वर्षा हुई। किसानों को अधिक पैदावार देने वाली और रबी की फसल की भारी हानि उठानी पड़ी है। उन्हें फसल बीमा योजना से उचित और पर्याप्त सहायता मिलनी चाहिए थी।

मैं केन्द्रीय सरकार से यह आग्रह करूँगा कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, दोनों की ही राज्य सरकारों से रिपोर्ट मांगी जाए तथा इन क्षेत्रों के किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। **(व्यवधान)**

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : यह राष्ट्रीय महत्व का मामला है। मंत्री बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्हें कुछ तो बोलना चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : महोदय, मैं सभा का ध्यान निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामले की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। हमें यह जानकर भारी दुख पहुँचा है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री फारूक लेघारी ने अपने देश का नैतिक, राजनीतिक और राजनयिक समर्थन कश्मीरी आतंकवादियों को देने की बात एक बार फिर कही है।

तथाकथित "आजाद कश्मीर रेजीमेंट" के सैनिक समारोह में, श्री लेघारी ने कहा : "कश्मीरी अपनी मुक्ति की लड़ाई में अकेले नहीं हैं।"

यह सभी पाकिस्तानी नेताओं की चाल रही है कि वे तथाकथित आतंकवादियों को समर्थन देते रहें तथा भारत के विरोध के बावजूद कश्मीर मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का प्रयास जारी रखें।

मैं भारत सरकार से यह अपील करता हूँ कि यह वर्तमान कश्मीर राज्य के बारे में अपने इस रूख की घोषणा करे कि कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है तथा उसे चुनौती देने का कोई प्रयास सहन नहीं किया जाएगा।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : मैंने पक्षी अभयारण्य के बारे में सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छा मुद्दा है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : मैं संसद में आपकी आज्ञा से देश का ध्यान पक्षी अभयारण्यों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि सभी पक्षी अभयारण्यों में पक्षियों की संख्या में कमी होती जा रही है। मुझे नहीं पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे आशंका है कि कहीं इसके पीछे कोई अन्तर्राष्ट्रीय षड्यंत्र न हो। लेकिन वास्तव में भरतपुर अभयारण्य में साइबेरिया के क्रेन पक्षी नहीं आ पा रहे हैं। मैं बिहार के एक अभराण्य के बारे में जानता हूँ, जहां वर्षा ऋतु के दौरान पर्याप्त संख्या में पक्षी नहीं आ रहे हैं। मेरे विचार से नदियाँ सूख रही हैं। हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं उड़ीसा के समुद्र किनारे के अभयारण्य में भारी संख्या में पक्षी गारं जा रहे हैं। हो सकता है, यह एक कारण हो कि पक्षी आने से कतरा रहे हों। उन्हें पर्याप्त जल, पर्याप्त खाद्य-सामग्री नहीं मिल रही है या उनके अस्तित्व को ही किसी गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। अतएव, ये अभारण्य जो विश्व प्रसिद्ध थे और जो केवल पर्यटन की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं थे, वरन् पर्यावरण और पारिस्थितिकी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थे। इनकी अब बुरी दशा हैं। मुझे खुशी है कि माननीय पर्यावरण मंत्री यहाँ हैं। मुझे आशा है कि उन्हें इस समस्या की जानकारी मिल गई। उन्हें यह देखना चाहिए कि इन अभ्यारण्यों को फिर से व्यवस्थित किया जाए तथा इन्हें क्या हो रहा है, इस पर पर्याप्त खोज हो। इनकी क्यों दुर्दशा हो रही है। पूरी दुनियाँ मे पक्षियों को आकर्षित करने के लिए सुधारात्मक कदम लेने चाहिए। **(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय : मंत्री सतर्क हैं।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : शरद यादव जो कुछ बोल रहे हैं इसे छोड़कर कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड पर नहीं जा रहा है सिर्फ शरद यादव जी के । भाषण के शरद यादव जी आप बोलने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं ?

शरद यादव : सर मैं, तो इंटरेस्टेड हूं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। मैं क्या करूं।

अध्यक्ष महोदय : यह रिकार्ड में आ जाएगा।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, आज की लिस्ट आफ बिजनैस में यह दिया गया है . . .

* कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सबसे पहली बात यह है कि क्या आप कार्य सूची पर सभा में चर्चा कर सकते हैं ?

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : सर, कुछ असाधारण परिस्थितियां होती हैं तब इस पर बहस हो सकती हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में थे, आपने क्या तय किया था . . . .

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित तौर पर ऐसी कोई बात नहीं उठा रहा हूं जिसमें आपकी और सदन की मर्यादा का सवाल हो।

सर, इसमें आम सहमति नहीं हो पाई है कि जो यह ट्रीटी हुई है, इस पर जो दस्तखत हुए हैं, उस पर जो बहस होनी है, उस पर सम्पूर्ण विपक्ष ने एक स्वर से, एक बात कही कि संविधान और परम्पराओं में आज तक हम लोगों ने कभी ऐतराज नहीं किया, लेकिन इस ट्रीटी के ऊपर जो हस्ताक्षर हुए हैं और इस पर बहस को जिस प्रकार से नियम 193 में लाया गया है, यह ठीक नहीं हैं क्योंकि आज पूरा राष्ट्र, . . . **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप ऐसे मामले शून्य काल में उठा सकते हैं ? जब हम इस मामले पर विचार करेंगे तो इसे उठाया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : क्या तब आप अलाऊ करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां।

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली विधान सभा के द्वारा गुजरात के कानून के अनुकूल कि प्रदेश में गो वंश की हत्या पर प्रतिबन्ध रहेगा, उसी के अनुसार दिल्ली विधान सभा ने कानून पास कर के लैफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेजा। लैफ्टिनेंट गवर्नर के पास से वह कानून गृह मंत्रालय भेज दिया गया है। गृह मंत्रालय उस कानून को असंवैधानिक तरीके से रोक कर बैठा हुआ है और सम्पूर्ण दिल्ली प्रदेश की जनता की भावना के विपरीत राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए नहीं भेज रहे हैं। मैं गृह मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो ऐसा कानून मध्य प्रदेश, गुजरात में बन चुका है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट वैद्य कर चुका है व राष्ट्रपति पहले स्वीकृति दे चुके हैं, उसे इस प्रकार से असंवैधानिक तरीके से रोककर न रखें, राष्ट्रपति के पास भेंजे और सदन में आकर इस बारे में स्पष्टीकरण दें।

इसी प्रकार से ईदगाह स्थित बूचड़खाने को दिल्ली से हटाने के लिए हाई कोर्ट से, अन्य स्थानों से आज्ञा हो चुकी थी। उसे भी इस समय लैफ्टिनैंट गवर्नर के कार्यालय में लागू नहीं किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि यह फैडरेल स्ट्रक्चर है और मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हाईकोर्ट की आज्ञा की पालना में उसे यहां से हटाया जाए लेकिन लैफ्टिनैंट गवर्नर के कार्यालय में उसे रोकना सरकारिया कमिशन की सिफारिशों के भी प्रतिकूल हैं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इस पर सदन में चर्चा कर सकते हैं ? आपको हमें उस मामले पर निर्देश देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढ़ा : हम चाहते हैं कि पैन्डरल स्ट्रक्चर में दिल्ली की विधान सभा और उसके मुख्यमंत्री को जनहित में पूर्णतया कार्य करने दिया जाए और ईदगाह बूचड़खाना हटाया जाए व गोवंश हत्या प्रतिबंध कानून लागू किया जावे।

12.31 म.प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

. चीनी उद्योग विकास परिषद के वर्ष 1988-89, 1989-90, 1990-91, 1991-92, 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों आदि को रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ : -

(1) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 7 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(क) (एक) चीनी उद्योग विकास परिषद का वर्ष 19988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे।

(दो) चीनी उद्योग विकास परिषद के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5704/94)

(ख) (एक) चीनी उद्योग विकास परिषद का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे।

(दो) चीनी उद्योग विकास परिषद के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5705/94)

(ग) (एक) चीनी उद्योग विकास परिषद का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे।

(दो) चीनी उद्योग विकास परिषद के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5706/94)

(घ) (एक) चीनी उद्योग विकास परिषद का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे।

(दो) चीनी उद्योग विकास परिषद के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5707/94)

(ङ) (एक) चीनी उद्योग विकास परिषद का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे।

(दो) चीनी उद्योग विकास परिषद के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5708/94)

(3) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारी) (पहला संशोधन) विनियम, 1993, जो 29 दिसम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ईपी. 38-1/90 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5709/94)

सलीम अली सेंटर फॉर आर्निथालाजी एण्ड नेचुरल हिस्ट्री, कोयंबटूर के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों आदि को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण।

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ -

(1) (एक) सलीम अली सेंटर फॉर आर्निथालाजी एण्ड नेच्युरल हिस्ट्री, कोयम्बटूर के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सलीम अली सेंटर फॉर आर्निथालाजी एण्ड नेच्युरल हिस्ट्री, कोयम्बटूर के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5710/94)

(3) (एक) गोविन्द बल्लभ पन्त हिमालय पर्यावरण और विकास संस्थान, कोसी के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गोविन्द बल्लभ पन्त हिमालय पर्यावरण और विकास संस्थान, कोसी के वर्ष 1992-93 के

कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5711/94)

(5) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत पर्यावरण (संरक्षण) तीसरा संशोधन नियम, 1993, जो 31 दिसम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 801 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5712/94)

हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम लिमिटेड तथा नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बीच वर्ष 1993-94 के लिए समझौता ज्ञापन

नागरिक-पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ -

हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम लिमिटेड तथा नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बीच वर्ष 1993-94 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5713/94)

एजुकेशनल कंसलटेंट्स इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की समीक्षा तथा इसका वार्षिक प्रतिवेदन तथा इन पत्रों आदि को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखना चाहती हूँ -

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) एजुकेशनल कंसलटेंट्स इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एजुकेशनल कंसलटेंट्स इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5714/94)

(3) (एक) शिशु प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र) कानपुर के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शिशु प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र) कानपुर के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5715/94)

(5) (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 18 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5716/94)

(7) (एक) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5717/94)

(9) (एक) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5718/94)

(11) (एक) केन्द्रिय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रिय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5719/94)

(13) (एक) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, मद्रास के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षक संस्थान, मद्रास के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5720/94)

(15) (एक) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5721/94)

(17) (एक) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5722/94)

(19) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5723/94)

(21) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5724/94)

(23) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5725/94)

12.32 म.प.

प्राक्कलन समिति

उनतालीसवां तथा तैंतालिसवां प्रतिवेदन

डा. कृपासिन्धु भोई (सम्बलपुर) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं : -

(एक) **रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)** - रेल भूमि और भूमि उपयोग नीति के संबंध में प्राक्कलन समिति (दसवीं लोक सभा) के उनतीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी उनतालीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) **वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)** - केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के संबंध में प्राक्कलन समिति (दसवीं लोक सभा) के 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी तैंतालीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

12.32½ म.प.

लोक लेखा समिति

छियासठवां तथा अड़सठवां प्रतिवेदन

श्री भगवान शंकर रावतः (आगरा) : महोदय, मैं लोक लेखा समिति का निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ : -

(1) भारतीय रेलवे द्वारा विपणन संबंधी छियासठवां प्रतिवेदन।

(2) संघ उत्पाद शुल्क - गलत वर्गीकरण के कारण कम शुल्क लगना प्रिकली हीट पाउडर - एक सौंदर्य प्रसाधन के संबंध में 24वें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही संबंधी. अडसठंवा प्रतिवेदन।

12.33 म.प.

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

(32वां, 34वां और 36वां प्रतिवेदन)

[हिन्दी]

श्री परसराम भारद्वाज (सारंगढ़) : महोदय, मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति प्रस्तुत करता हूं।

(एक) उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) - सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का बत्तीसवां प्रतिवेदन।

(दो) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) - केन्द्रीय विद्यालय संगठन तथा केन्द्रीय विद्यालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण और उनके नियोजन तथा उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रवेश सहित, अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रवेश सहित, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी चौंतीसवां प्रतिवेदन।

(तीन) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग- निवेश विभाग) में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का छत्तीसवां प्रतिवेदन।

12.33 ½ म.प.

विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति

(दूसरा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : महोदय, मैं विदेश मंत्रालय की वर्ष 1994-95 की अनुदानों की मांगों के संबंध में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

12.34 म.प.

खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण सम्बंधी स्थायी समिति

(पांचवां और छठा प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश)

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : महोदय, मैं खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(एक) खाद्य मंत्रालय की ''अनुदानों की मांगों (1994-95)'' संबंधी पांचवां प्रतिवेदन तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों की कार्यवाही सारांश।

(दो) नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ''अनुदानों की मांगो (1994-95)'' संबंधी छठा प्रतिवेदन और समिति की तत्संबंधी बैठकों की कार्यवाही सारांश।

12.34½ म.प.

श्रम और कल्याण सम्बंधी स्थायी समिति

[अनुवाद]

चौथा और पांचवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री बी. अकबर पाशा (वेल्लोर) : महोदय, मैं श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति के (एक) अनुदान मांगें - श्रम मंत्रालय - 1994-95, और (दो) अनुदान मांगें - कल्याण मंत्रालय 1994-95 का चौथा तथा पांचवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा इनसे सम्बन्धित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

12.35 म.प.

शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

पांचवां प्रतिवेदन

श्री पाला के.एम. मैथ्यू (इडुकी) : महोदय, मैं शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति की शहरी विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों (1994-95) के सम्बध में पांचवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और इससे संबंधित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

12.35 ½म.प.

उद्योग सम्बन्धी स्थायी समिति

ग्यारहवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग मंत्रालय की वर्ष 1994-95 की अनुदानों की मांगों के संबंध में उद्योग संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

12.36 म.प.

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

इकतीसवां और बत्तीसवां प्रतिवेदन

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(एक) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के संबंध में उन्नीसवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी इकतीसवां प्रतिवेदन।

(दो) दिल्ली परिवहन निगम और महानगरों में परिवहन के तुलनात्मक विश्लेषण के सम्बन्ध में बाईसवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी बत्तीसवां प्रतिवेदन।

12.36 ½ म.प.

मंत्री द्वारा वक्तव्य

मध्य प्रदेश में दियापाइपर के निकट स्थित ओरिएण्ट पेपर मिल और हुकुमचन्द जूट मिल के वहिस्त्रावों के विसर्जन के कारण सोनभद्र नदी में प्रदूषण के बारे में

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : सोनभद्र नदी मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में अमलाई के निकटवर्ती क्षेत्रों से निकलती है। इस नदी की कुल लम्बाई 784 कि.मी. है जिसमें से इसका 70 प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश में पड़ता है।

अमलाई में इस नदी के किनारे पर दो इकाइयां स्थित हैं - अर्थात् मैसर्स ओरिएण्ट पेपर मिल ओर मैसर्स हुकुम चंद जूट एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मैसर्स औरिएण्ट पेपर मिल कागज़ का निर्माण करती है और इसकी उत्पादन क्षमता 200 टन प्रतिदिन है। मैसर्स हुकुम चंद जूट एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड कास्टिक सोडा, क्लोरिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइपो का उत्पादन करती है इस इकाई की उत्पादन क्षमता 125 टन कास्टिक सोडा प्रतिदिन है। दोनों इकाइयों ने 1965 में उत्पादन शुरू किया । इन दोनों इकाइयों के शोधित बहिस्रावों को सोनभद्र

नदी में छोड़ा जा रहा है। मैसर्स ओरिएण्ट पेपर मिल ने क्लेरिफायर, एनेरोबिक लैगून और ऐरेशन शोधन प्रणाली लगाई हैं। शोधित बहिस्राव की जैवीय आक्सीजन मांग का मान 40 से 60 मि.ग्रा. प्रति लीटर तक है जो 30 मि.ग्रा. प्रति लीटर की निर्धारित सीमा से अधिक है। बोर्ड द्वारा इस इकाई के विरुद्ध एक मामला दायर किया गया है और इसके साथ ही क्रिमिनल पीनल कोड की धारा 133 के तहत आवश्यक कार्रवाई के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास दिसम्बर, 1993 में एक शिकायत भी दर्ज की गई है।

मैसर्स हुकुम चंद जूट एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्रतिदिन लगभग 150-200 एम ^{3} औद्योगिक बहिस्राव तथा 200-250 एम ^{3} घरेलू अपशिष्ट जल उत्पन्न करता है। बहिस्राव शोधन संयंत्र निस्पंदन, अवशोषण और आयन एक्सचेंज प्रौद्योगिकी पर आधारित है। प्रारंभिक शोधन के बाद बहिस्राव बहुदिशात्मक प्रवाह फिल्टर में जाता है जहां उसमें शामिल ठोस पदार्थों को अलग किया जाता है तत्पश्चात् इसको सक्रिमित कार्बन कालम और उसके बाद आयन एक्सचेंज रेजिन कालम से निकाला जाता है। अंत में यह एल.डी.पी.ई. पंक्तिबद्ध लैगूनों में चला जाता है।

वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु इसके पास (1) अपने विभागीय नियंत्रण (2) निष्कासक (3) मार्जन प्रणाली (4) सशक्त मार्जक और (5) रेडियो अन्वेषी तकनीक हैं जिनको कच्चे उत्सर्जनों के नियंत्रण के लिए अपनाया गया है।

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लगातार दबाव के कारण इस इकाई ने उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन कर लिया है तथा बहिस्रावों में पारे को निर्धारित सीमा में लाया गया है। दिसम्बर, 1993 में की गई मानीटरिंग के अनुसार, निलंबित ठोस पदार्थ, जैवीय आक्सीजन मांग तथा रासायनिक आक्सीजन मांग के मानक निर्धारित सीमाओं के भीतर हैं। परन्तु पी.एच. कुल ठोस और क्लोराइड्स के मानकों में निर्धारित मानकों से थोड़ी-बहुत वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इस ईकाई के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के अंतर्गत दायर किए गए मामले 1987 से न्यायालयों में लंबित पड़े हैं। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड फैक्टरी के आस-पास की वायु गुणवत्ता की मानीटरिंग कर रहा है और उसको निर्धारित सीमाओं के भीतर ही पाया गया है।

ये दोनों इकाइयां एक दूसरे के नज़दीक स्थित हैं तथा इसके बहिस्रावों को सोनभद्र नदी में छोड़ा जाता है, जिसके कारण बहिस्राव छोड़ने के पश्चात् इस नदी का जैवीय आक्सीजन मांग को मानक 4 से 20 मि.ग्रा. प्रति लीटर की रेंज में होते हैं। 20 कि.मी. की दूरी के पश्चात् इस नदी की जल गुणवत्ता सामान्य हो जाती है। नदी का मुख्य प्रदूषक तत्व रंग है। इस नदी में जीव-जन्तुओं की मृत्यु की कोई घटना नहीं हुई है। इस नदी की जल गुणवत्ता का पी.एच. मानक सामान्य पाया गया है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, मैंने ओरियन्ट पेपर मिल के बारे में मंत्री महोदय को काफी समय पहले पत्र लिखा था। अतः मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या वे कुछ और उपाय करने जा रहे हैं। अथवा माननीय मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में जो कुछ कहा है अर्थात् जो उपाय किए गए हैं उनसे वे संतुष्ट हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दलबीर सिंह (शाहडोल) : अध्यक्ष महोदय, मैं उस कांस्टीटवेंसी से आता हूं, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी-अभी क्लोरिन गैस की लीकेज से वहां 50 लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। 40 गांव वहां इस के प्रदूषण से बुरी तरह से प्रभावित हैं और इस फैक्टरी के 50 किलोमीटर तक पीने का पानी नदी से लोग नहीं ले पाते। इसके कारण वहां लोगों का रहना दूभर हो गया है और सारी ट्राइबल बैल्ट इससे प्रभावित है। जब आप दौरे पर थे तो इस सम्बन्ध में शहडोल में लोग आपसे मिले थे और उन्होंने आपसे नदी के पानी का परीक्षण कराने की रिक्वैस्ट की थी कि इसका परीक्षण करवाइये।

इसके अलावा उसकी पैरीफेरी में जो भी फलदार वृक्ष लगे हुए हैं, उनपर कोई फल नहीं आ रहा है और लोगों को इसके कारण दिक्कत हो रही है । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी जो फैक्टरीज हैं, जब यह वहां पर कायम हुई थी तो बहुत से पशु वहां मर गये थे इसलिए इस मामले में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इन संस्थानों द्वारा होने वाला प्रदूषण बन्द होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इसी के ऊपर जवाब आया है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको तो इस बारे में अत्यधिक प्रसन्न होना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री कमल नाथ : महोदय, माननीय संसद सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्ता ने ही मुझे इस दुर्घटना की जानकारी दी है और मैंने जो कुछ कहा है वह तो मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा हमें भेजी गई सूचना पर आधारित है। शाहडोल के माननीय संसद सदस्य ने भी मुझे इस बात की समय-समय पर जानकारी दी है जिनके निर्वाचन क्षेत्र में यह मिल पड़ती है।

यहां पर व्यक्त की गई चिंता को देखते हुए मैंने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक दल भेजने का निर्णय लिया है जिसमें मेरे मंत्रालय से भी एक व्यक्ति शामिल होगा जो वहां पर प्राथमिक सर्वेक्षण का कार्य करेंगे और मैं माननीय सदस्यों को इस यात्रा और रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दूंगा। यह काम हो जाने के पश्चात् उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी। **(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

---

* कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

12.43 म.प.

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) पूर्व प्रस्ताव के अनुसार उड़ीसा के बालासोर में बलियापाल के स्थान पर चांदीपुर को नेशनल ट्रस्ट रेंज घोषित करने की आवश्यकता।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र (बालासोर) : उड़ीसा में बालासोर जिले में बलियापाल के स्थान पर किसी और स्थल पर राष्ट्रीय परीक्षण स्थल बनाया जाना चाहिए।

चूंकि बलियापाल में राष्ट्रीय परीक्षण स्थल की स्थापना के कार्य को एक दशक के बाद भी मूर्त रूप नहीं दिया जा सका है, अतः यह कार्य निकट भविष्य में भी हो जाना सम्भव नहीं है। राष्ट्र हित में भी यही होगा कि चांदीपुर, जहां पर अग्नि और अन्य शस्त्रों का परीक्षण किया गया है, को राष्ट्रीय परीक्षण स्थल घोषित किया जाए। रक्षा मंत्रालय इस संबंध में घोषणा करे और इस उद्देश्य के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था करे।

केन्द्रीय सरकार से मेरा यह अनुरोध है कि वह इस संबंध में घोषणा करे।

(दो) अस्पतालों को संस्थागत ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र बनाने हेतु उन्हें उद्योग के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता :

डा. कृपासिन्धु भोई (सम्बलपुर) : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निजी अस्पताल और नर्सिंग होम कई कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं। निजी अस्पताल देश की स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सुविधा उपलब्ध कराने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। किन्तु यह खेद की बात है कि निजी अस्पतालों के लिए वर्ष 1994-95 के बजट में पर्याप्त अनुदान की व्यवस्था भी नहीं की गई है। स्वास्थ्य देखभाल उद्योग अर्थात् अस्पतालों पर जो बोझ लादा जा रहा है उनसे चिकित्सा लागत पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ा है। इसके परिणामस्वरूप मध्यम तथा निम्न मध्यम वर्ग को ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

जब तक अस्पतालों को उन्हें संस्थागत ऋण के लिए पात्र बनाने के उद्देश्य से उद्योग के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा, इन अस्पतालों का चलना कठिन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, इन अस्पतालों को बिजली और अन्य प्रभारों की दृष्टि से व्यापारिक संस्थान की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए।

भारत सरकार से मेरा यह अनुरोध है कि वह निजी अस्पतालों को उपरोक्त रियायतें प्रदान करे जिससे ये अस्पताल सुचारू रूप से चलाए जा सकें और इनका विस्तार हो सके।

(तीन) प्रमुख हवाई अड्डों पर पक्षियों के विमान से टकराने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए तुरन्त उपाय करने की आवश्यकता :

[अनुवाद]

श्री विजय एन. पाटील (इरनदोल) : महोदय, दिल्ली और बम्बई के हवाई अड्डों सहित विभिन्न प्रमुख हवाई अड्डों पर पक्षियों के विमान से टकराने के मामले विमान यात्रियों के लिए चिन्ता का कारण बनते जा रहे हैं। इस समस्या से हवाई जहाजों को तथा यात्रियों की जान को भारी खतरा है। अभी 13 अप्रैल, 1994 को दिल्ली के हवाई अड्डे पर पक्षी के टकराने की घटना घटी। विमान चालक की बुद्धिमानी के कारण उस विमान

में सफर कर रहे यात्री बाल-बाल बच गए। क्योंकि विमान चालक ने पक्षी से टकराकर क्षतिग्रस्त हुई पैट्रोल की टंकी को खाली कर दिया था। उन वस्तुओं को हटाने का दायित्व सिविल अधिकारियों का है, जिनके कारण पक्षियों के झुंड विमान पत्तनों के नजदीक आने के लिए आकर्षित होते हैं। परन्तु स्थानीय सिविल अधिकारियों ने विमानपत्तनों के नजदीक से कूड़ेकरकट को हटाने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं।

मैं, सरकार से विमान से यात्रा करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु इस समस्या को दूर करने के लिए शीघ्र कदम उठाने का आग्रह करता हूँ।

(चार) केरल में अडूर के लोगों को समुचित मात्रा में रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने की आवश्यकता :

श्री कोडीकुन्नील सुरेश (अडूर) : महोदय, केरल में अडूर की जनता रसोई गैस की किल्लत के कारण गम्भीर समस्या का सामना कर रही हैं। वहां वितरण एजेन्सियाँ समुचित संख्या में नहीं हैं।

अडूर में गत पाँच वर्षों से रसोई गैस के उपभोक्ता रसोई गैस की भारी कमी का सामना कर रहे हैं। पहले रसोई गैस की एक एजेंसी थी। परंतु यह अनुसूचित जाति के कोटे में थी। वर्तमान गैस एजेंसी का स्वामित्व विवादास्पद है। इस लम्बे समय से लम्बित विवाद के कारण अडूर के लोग कष्ट झेल रहे हैं। उनको रसोई गैस के कनेक्शन समय से उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। वैकल्पिक एजेन्सी रसोई गैस के सिलेन्डरों की जरूरी माँग को पूरा करने में समर्थ नहीं है। रसोई गैस के उपभोक्ता भी इस एजेन्सी की सेवाओं से सन्तुष्ट नहीं हैं।

इस स्थिति में मैं सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने और आडूर के लोगों को रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करता हूँ।

(पांच) उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में स्पीड पोस्ट सेवा उपलब्ध कराने की आवश्यकता :

[हिन्दी]

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुकल (खलीलाबाद) : महोदय, किसी प्रदेश के विकास में डाक सेवाओं का अत्यधिक योगदान होता है। बस्ती जनपद में अनेक उद्योगपतियों ने अपने उद्योगों को लगाने हेतु उत्सुक हैं, परन्तु स्पीड पोस्ट की समुचित सुविधा होने के कारण वे इस कार्य में आगे बढ़ने से हिचक रहे हैं।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश बस्ती जनपद में ''स्पीड पोस्ट'' सेवा अविलम्ब शुरू किया जाए, ताकि इस क्षेत्र का समुचित विकास हो सके।

(छह) बरेली, उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रानिक दूरभाष केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता :

श्री राजवीर सिंह (आंवाल) : महोदय, बरेली महानगर उत्तर प्रदेश में इलैक्ट्रानिक्स एक्सचेंज की स्थापना किए जाने की मांग काफी समय से चली आ रही है। यहां चल रहे वर्तमान दूरभाष केन्द्र की क्षमता उपभोक्ताओं की आवश्यकता को पूर्ण करने में सक्षम नहीं है, जिसके कारण उपभोक्ताओं के दूरभाष आए दिन खराब रहते हैं। व्यापारी वर्ग, उद्योगपतियों तथा अन्य उपभोक्ताओं को काफी जन, धन की हानि का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं समस्याओं के देखते हुए बरेली महानगर में दस हजार लाइनों की क्षमता का इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करने की घोषणा पूर्व में की गई थी, लेकिन अभी तक इसे स्थापित कर सुचारू रूप से प्रारम्भ नहीं किया जा सकता है। दूरभाष उपभोक्तागण इस समस्या के कारण काफी चिन्तित और कुण्ठित है।

अतः मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि बरेली महानगर में दस हजार लाइनों वाला इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज उपभोक्ताओं की सुविधार्थ शीघ्र लगवाने का कष्ट करेंगे।

(सात) भारतीय जौ संवर्धन परियोजना के अन्तर्गत विकसित जौ की नई किस्मों का उत्पादन सुनिश्चित करने तथा संबंधित वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : महोदय, भारत में ही छिलका रहित जौ की महत्वपूर्ण किस्में विकसित की गयी हैं, जो कि अधिक व कम वर्षा वाले क्षेत्रों तथा रेतीले व सूखाग्रस्त स्थानों पर उगाया जा सकती है। जौ के इन किस्मों के दाने गेहूं के समान हैं, जो अधिक प्रोटीनयुक्त बतायी गयी हैं। परम्परागत जौ के छिलके रहित रूप तथा अन्य प्रकार के गुणों ने विश्व के अनेक वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। फलतः अमेरिका, रूस, कनाडा एवं आस्ट्रेलिया आदि 26 विकसित एवं विकासशील देशों के द्वारा भारत सरकार से इस बीज को मंगवाया गया है। किन्तु भारतीय जौ सुधार परियोजना का गेहूं निदेशालय के अन्तर्गत विलय कर दिया गया।

आज भी करिश्माई बीजों के किस्म को विदेशी कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा सराहा जा रहा है। इन्हीं किस्मों में से करण-15 नामक जौ की किस्म को चीन सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया है और यह किसम चीन के 50 फीसदी क्षेत्रों में उगाने की बात कही गयी है।

जब डंकल प्रस्ताव के तहत जीन-पेटेंट के जरिए अधिकाधिक किस्म के बीजों पर अधिकार जमाने की होड़ लगी है, तो ऐसे में सरकार को अपने देश में विकसित नयी किस्म के बीजों के प्रोत्साहित करने के लिए गंभीरता से लेना चाहिए एवं विश्व के दर्जनों देशों में पहुंच चुके छिलके रहित जौ की इस किस्म पर अपना दावा बरकरार रखना चाहिए।

अतः केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस विकसित जौ के नयी किस्मों को देश में उगाने की व्यवस्था करे, साथ-ही-साथ इसे अन्य देशों में विकसित करने के संबंध में कदम उठाकर उक्त किस्म के खोज करने वाले वैज्ञानिक को उत्साहित किया जाए, ताकि प्रतिभावन एवं कर्मठ व्यक्तियों का मनोबल बढ़ सके।

(आठ) लघु एककों द्वारा निर्मित माल पर लगाए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को वापस लिए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

डा. (श्रीमती) के.एस. सौन्द्रभ (तिरुचेगोंड़े) : महोदय, अनेक घरेलू चीजें जैसे विद्युत उपकरण, सहायक उपकरण जैसे बोर्ड, फुटवीयर इत्यादि लघु इकाईयाँ मार्कायुक्त वस्तुएं उत्पाद शुल्क योजना के अन्तर्गत ऐसे उत्पादों पर उत्पादशुल्क लगाए जाने के कारण बन्द होने के कगार पर हैं। यह उल्लेख करना अनुपयुक्त न होगा कि इन इकाईयों में 5 लाख रुपए से कम का निवेश किया गया है और इस क्षेत्र के अधिकतर उद्यमी अशिक्षित या अर्धशिक्षित हैं। बजट प्रस्तावों के अनुसार, उस लघु इकाई को उत्पाद शुल्क की छूट प्राप्त होगी जो लघु क्षेत्र के अन्तर्गत किसी अन्य विपणन संगठन के मार्के वाले उत्पाद का निर्माण कर रही है। मैं सरकार से ऐसी इकाईयों पर से उत्पाद शुल्क वापस लेने और उन्हें बन्द होने से बचाने का आग्रह करता हूँ।

12.51 म.प.

उरुग्वे दौर की मंत्रिस्तरीय समापन बैठक के बारे में वाणिज्य मंत्री द्वारा 22.4.1994 को दिए गए वक्तव्य पर चर्चा के बारे में

अध्यक्ष महोदय : श्री शरद यादव अब सभा उरुग्वे दौर की मंत्रिस्तरीय समापन बैठक में दिए गए व्यक्तव्य पर चर्चा से संबंधित मद सं. 17 को चर्चा हेतु लेंगे।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : (मधेपुरा) : लेकिन आपकी मजबूरी पर आपके साथ खड़े होने के लिए हम किसी कीमत पर तैयार नहीं है। . . . **(व्यवधान)** . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ मैं नियम और कानून के तहत अपनी बात को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कई बार देश में असाधारण परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, जिसमें आने वाली पीढ़ियां भी संबंधित होती हैं और आज तो देश की जनता, किसान, उद्योग-धंधे करने वाले सब बैचेन हैं। लघु उद्योग को तो आपने नए बजट से और इससे पहले आपने इस सरकार के आने के बाद जितने भी बजट पेश किए हैं, उनसे बहुत नुकसान पहुचांया है। और 1 लाख लोग जो कि रोजगार में लगे हुए थे, उनको बेरोजगार कर दिया है। इस तरह से रोजगार-धंधों, कृषि से लेकर सारी चीजों पर इन दस्तखतों का भयानक असर पड़ने वाला है। अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसे ही इस सवाल को इस सदन में नहीं उठा रहा हूं, मैं बहुत तकलीफ और वेदना के साथ आपके सामने इस बात को रख रहा हूँ कि यदि इस सदन में इस प्रस्ताव को पास करने का काम किया जाएगा तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचता है और आपको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, इसलिए निश्चित तौर पर आपको नियम 184 के अधीन चर्चा करवानी चाहिए, यदि नहीं तो फिर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हम चाहते हैं कि सदन एक राय से इस सारे काम को करे और जनता की भावनाओं का ध्यान रखा जाए। हम राष्ट्र को किसी मजबूरी में खड़ा नहीं कर सकते। आने वाली पीढ़ियों को पता लगना चाहिए। इसलिए हम इतिहास में इस विरोध को दर्ज करवाना चाहते हैं। इसलिए नियम 184 के तहत इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि ये दस्तखत अंतिम स्थिति नहीं हैं, इसका विरोध गांव में, खेत-खलिहान में होगा, दस्तखतों के खिलाफ एक युद्ध होगा और हम लोग मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन दस्तखतों और समझौते के आगे झुकने वाले नहीं हैं। यह सरकार मजबूर हो सकती है, लेकिन इस देश की जनता मजबूर नहीं है और आपकी मजबूरी को हम इस तरह से चलने नहीं देंगे। इसलिए अध्यक्ष जी, आपसे मैं विनती करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं कि चलने नहीं देंगे, लीगली नहीं करना है, पार्लियामेंट में आप इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं। आप बताइए कि लीगली क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, आप ठीक कह रहे हैं, मैं मर्यादा भंग करना नहीं चाहता और कानून के दायरे में आप जो भी सजा देंगे वो मुझे मंजूर है। यदि कहीं यह रूल में है कि हम बहस नहीं कर सकते तो आप

जो भी सजा देंगे, वो मुझे मंजूर है।

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा नहीं कर सकते।

श्री शरद यादव : आप जो भी सजा देंगे वो हमें मंजूर है, आप इस सदन से हमको संपूर्णरूप से निकालने की सजा देंगे, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, हम सहर्ष आपके द्वारा दी हुई सजा को स्वीकार करेंगे। इस नियम को तोड़ते हुए अध्यक्ष महोदय हमको भी बुरा लग रहा है।

[अनुवाद]

श्री उमराव सिंह (जालन्धर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : जी, हाँ।

श्री उमराव सिंह : वे किस नियम के अन्तर्गत बोल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि मैंने उन्हें अनुमति दी है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : मैं सिर्फ इतना ही कहना चहाता हूं, मैं मानता हूं कि कानून और मर्यादा की दृष्टि से हम नियम तोड़ेंगे, पर इसके लिए आप जो भी सजा मुहैया करेंगे, वह हमें सर आंखों पर मंजूर होगी।

अध्यक्ष महोदय : सजा तो एक ही हो सकती है कि डिसकशन नहीं होगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो जो आप डिसकशन करना चाहते हैं, वह डिकसशन नहीं होगा, हम आपको सजा तो नहीं देंगे।

श्री शरद यादव : ऐसा डिसकशन किस काम का है, जिसमें हम जनता की भावनाओं को न रख सकें। किसी भी शक्ल में अपनी और जनता की भावनाओं को व्यक्त करने से नहीं रोका जा सकता। इसके लिए आप जो भी सजा दें, वो हमको मंजूर होगी।

अध्यक्ष महोदय : हम आपको डिसकशन करने का मौका तो दे रहे हैं।

श्री शरद यादव : हम डिसकशन नहीं चाहते हैं, डिसकशन तो बहुत कर चुके हैं, घंटों इस विषय पर डिसकशन हो चुका है और इस डिसकशन से हमारे और सत्ता पक्ष के बीच में एक अंतर खड़ा हो गया है, दीवार खड़ी हो गई है। एक इनका मन-मानस बना हुआ है और एक हमारा मन-मानस बना हुआ है और यह मानस इतना मजबूत हो गया है। कि टूट नहीं रहा है।

1.00 म.प.

यह चट्टान जैसा जम गया है। इसमें एक ही रास्ता है कि सदन की भावनाओं को किसी न किसी रूप में ले . . . **(व्यवधान)** . . .

अध्यक्ष महोदय : आप दोनों मिलकर तय करके बता दीजिए। हम मान लेंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो मैं रूल्स में जाऊंगा।

. . . **(व्यवधान)** . . .

श्री शरद यादव : लेकिन हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका मिलना चाहिए। वे लोग जो असमर्थ हैं दुनिया के सामने दिखाना चाहते हैं कि असमर्थ हैं लेकिन सरकार मजबूर हो सकती है, हिंदुस्तान की जनता मजबूर नहीं है, हिन्दुस्तान का लाचार और बेबस तथा भूखा मरता हुआ आदमी मजबूर नहीं है, हम यही आपसे विनति करते हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष महोदय, इस समय आपने जो अनुमति दी है, गैट संधि पर चर्चा आगे होगी। लेकिन गैट संधि पर चर्चा सदन के किस अधिनियम के अंतर्गत करें, इस प्रक्रिया पर चर्चा है। मुझे जहां तक जानकारी है, मालिनी जी और रूपचन्द जी ने नियम-193 के अधीन सूचना दी हुई है।

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : हमने नियम 184 के अन्तर्गत भी नोटिस दिया है।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : जी, हाँ आपने दोनों के संबंध में नोटिस दिया है। लेकिन मैं जो कुछ कहना चाह रहा हूँ वह है कि इस मुद्दे पर यह सभा विभाजित है कि यह नियम 193 के अन्तर्गत होना चाहिए या नियम 194 के यही नहीं कल हमें यह भी बताया गया था कि इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की गई थी।

मैं अभी अभी अपने साथी श्री जसवन्त सिंह से पूछ रहा था कि इस मामले पर कल मध्यान पश्चात भोजनवकाश के समय चर्चा नहीं हुई थी।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि यह ठीक है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : वे देर से आए थे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : खैर श्री, जसवन्त सिंह तो देर से आए थे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस स्तर पर इस मामले पर आपका ध्यान जाना चाहिए क्योंकि यह सम्पूर्ण विपक्ष के आकांक्षाओं के अनुरूप ही नहीं होगा बल्कि मैं समझता हूँ कि यह सम्पूर्ण सरकार के हितों के भी अनुकूल होगा यदि सरकार वास्तव में, लोगों को बताना चाहती है कि यह कार्यपालिका का मनमाना निर्णय नहीं है बल्कि इसे लोकसभा का समर्थन प्राप्त है जब तक कि इसकी उसमें रूचि न हो।

यह सचमुच बड़े आश्चर्य की बात है कि न केवल विपक्ष अपितु सरकार को भी इस मामले पर नियम 184 के अंतर्गत चर्चा करानी चाहिए थी। ताकि इस मामले पर समुचित वाद-विवाद हो पाता और उसके बाद इस पर सभा में मतदान होता। इस पर मतदान न कराकर आपने अपने पक्ष को कमजोर किया है।

माननीय वित्त मंत्री ने हाल ही में यह दावा किया था और हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि हमने बहुमत प्राप्त कर लिया है। इसे आज प्रदर्शित कीजिए। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वर्तमान स्थिति में पहली बार सभा में अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर चर्चा की जायेगी। न केवल जनता ही इस समझौते के विरुद्ध है बल्कि कई राज्य सरकारों ने भी इस समझौते का सार्वजनिक रूप से विरोध किया है ; राज्य सरकारों ने न केवल इस समझौते का विरोध किया है अपितु राज्य सरकारों को नजरअंदाज करते हुए उनके साथ परामर्श किए बिना समझौते पर

केन्द्रीय सरकार द्वारा हस्ताक्षर करने के अधिकार को न्यायालय में चुनौती दी है। यह एक अभूतपूर्व अवसर है। अतः, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, अध्यक्ष द्वारा यह निर्णय किया जाना था कि इस मामले को नियम 193 के अन्तर्गतः अथवा 184 के अंतर्गत रखा जाए; यदि समूचा विपक्ष इस मुद्दे पर नियम 184 के अंतर्गत चर्चा कराने के पक्ष में था तो मुझे ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता है कि इस पर नियम 184 के अंतर्गत चर्चा न कराई जाए और इस सभा को अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दिया जाए . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इस सम्बन्ध में बताऊंगा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अन्यथा यह मुद्दा केवल चर्चा तक ही सीमित रह जायेगा और इस सम्बन्ध में पहले यहां जो हो चुका है, उसकी ही पुनरावृत्ति होगी और अब यह अलग बात है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि इस बात से कोई भी माननीय वाणिज्य मंत्री और भारत सरकार इनकार नहीं करेगा कि यह पूरे देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। यह समझौता आने वाले कई वर्षों तक, जब तक कि इसके स्थान पर अन्य समझौता नहीं किया जाता, प्रभावी रहेगा। इसके दायरे में हमारे राष्ट्रीय और आर्थिक जीवन का व्यापक क्षेत्र आता है।

इस मामले पर व्यापक चर्चा की आवश्यकता है। इस पर सरकार सहमत हो गई है। उन्होंने इस बात से इन्कार नहीं किया है कि इस सम्बन्ध में व्यापक चर्चा की आवश्यकता अथवा औचित्य नहीं है। किन्तु प्रश्न यह है कि उसमें कोई संदेह नहीं है कि इस मुद्दे पर सदन में इससे पहले कभी विस्तार से चर्चा नहीं की गई। वास्तव में, हमारी यह शिकायत रही है कि इस पर खुलकर बातचीत नहीं हुई और इसे हमारे ऊपर थोप दिया गया है।

माननीय वाणिज्य मंत्री मारकेश गए थे और हमें वहां से बहुत असंतोषजनक रिपोर्टें मिली हैं और उन्हें अमरीकी सरकार और प्रशासन के षडयंत्र का मुकाबला करने के लिए तीसरी दुनिया के देशों को एक जुट करने के लिए काफी प्रयास करने पड़े। अतः, यह मामला अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

हमारा देश संविधान के उपबंधों के अनुसार केवल कार्यकारिणी के निर्णय से ही समझौते कर सकता है। परन्तु क्या ऐसी स्थिति में संसद की भूमिका एक दर्शक की होगी ? यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम यह जानते हैं कि सरकार के लिए कानूनी प्रयोजनों हेतु संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं है परन्तु संसद सदस्य अपना मत कैसे प्रकट करें ? संकल्प अथवा मामले पर बातचीत के द्वारा इसे पूरा किया जाता है।

मैं आपका ध्यान नियम 193 की ओर दिला रहा हूं। यद्यपि यह मामला अविलम्बनीय लोक महत्व का है, जब कभी भी अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला उठाया जाता है तो हम इस पर घंटों तक चर्चा करते हैं जबकि नियम 195 में यह व्यवस्था दी गई है कि सभा में कोई औपचारिक चर्चा अथवा मतदान नहीं होगा। नोटिस देने वाला सदस्य संक्षिप्त वक्तव्य देगा और मंत्री इसका संक्षिप्त उत्तर देंगे।'' नियम 193 में यह में यह व्यवस्था की गई है। सभा के समक्ष एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला आता है। इस पर संक्षिप्त चर्चा की जायेगी। नियम 193 के अंतर्गत अध्याय पन्द्रह का शीर्षक भी यही है। ''अल्पावधि चर्चा''; चूंकि इसका कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं है। अतः इस पर कोई मतदान नहीं होगा और इसके लिए एक समय सीमा भी निर्धारित की गई है।

अतः, नियम 193 में अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले पर चर्चा करने के लिए बहुत विशिष्ट उपबंध है। इसके अंतर्गत सदस्य अपनी बात संक्षेप में कहेगा और मंत्री इसका संक्षिप्त उत्तर देगा। इसीलिए मैंने आरम्भ में कहा था कि कोई भी यह नहीं कहता कि इस मामले को संक्षेप में निपटाया जा सकता है।

वास्तव में, मैं यह मानता हूँ कि माननीय वाणिज्य मंत्री ने यह महसूस किया कि इस पर चर्चा के लिए दो दिन की चर्चा आवश्यक है और माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने यह महसूस किया कि इस पर आज देर शाम तक चर्चा होगी। क्या यह नियम 193 के अंतर्गत है ? मैं स्वयं स्वीकार करता हूं कि यह नियम 193 के दायरे में नहीं है। संसद, लोक सभा देश की सर्वोच्च संस्था है यदि इसके सदस्य अपनी स्पष्ट राय व्यक्त करना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने से कोई रोक नहीं सकता। यह एक विवादास्पद मामला हो गया है। इसकी प्रामाणिकता के बारे में विभिन्न मत हैं।

हालांकि माननीय वाणिज्य मंत्री देशभर में अपनी यात्रा के दौरान यह कह रहे हैं कि इस मामले विपक्ष जनता को जानबूझकर गलत जानकारी दे रहा है। वे ऐसा कह सकते हैं। मैं इस मामले में उनके अधिकार को चुनौती नहीं दे रहा हूं। सम्भवतः, उन्होंने 'झूठ' शब्द का प्रयोग भी किया है।

समाचार पत्रों में यह बात आई है। अतः, हम पर जनता से झूठ बोलने अथवा जनता को जानबूझकर गुमराह करने का आरोप लगाया गया है। इसलिए हम अपनी स्थिति बहुत स्पष्ट करना चाहते हैं कि क्या हमें अपने विचारों को व्यक्त करने की अनुमति है अथवा नहीं अथवा हम केवल जनता को सुनाने के लिए यूं ही कुछ बोलते जा रहे हैं ? महोदय, यदि इस पर चर्चा के पश्चात् मतदान कराया जायेगा तो हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट हो जायेगा। अन्यथा यह कहा जायेगा कि संसद को इस मामले पर चर्चा करने का अवसर मिला था और संसद ने अपनी राय दे दी है। इस समझौते पर आम सहमति है। इसमें कार्यकारी ही नहीं अपितु संसद भी शामिल हैं। हम इसमें भागीदार नहीं होना चाहते। चाहे हम सही हों अथवा गलत हों। कौन गलत है और कौन सही है, इसका निर्णय इस देश की जनता और इतिहास करेगा। परन्तु मुझे जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में उनके लिए अपने विचार स्पष्टतया व्यक्त करने का मौका क्यों नहीं दिया जायेगा कि क्या मैं इसके विरुद्ध हूं ? जब तक इस पर मतदान नहीं कराया जाता तब तक मेरे विचारों की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। नियम 193 का क्षेत्र बहुत ही सीमित है। विशेषतः जब किसी मामले में संसद की वैधानिक अभिपुष्टि आवश्यक न हो तो ऐसी स्थिति में संसद को मात्र अपना विचार व्यक्त करने के लिए वाद-विवाद का स्थान अथवा बातचीत अड्डा न बनाया जाए। चाहे कार्यकारिणी इस बात पर ध्यान दे अथवा नहीं परन्तु मुझे सरकार द्वारा की गई कार्यवाही अथवा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने संबंधी अपने अधिकार का प्रयोग करने का मौका दिया जाना चाहिए। मैं इस देश की जनता द्वारा निर्वाचित संसद सदस्य के रूप में आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय जीवन को प्रकाषित करने वाले अत्यधिक महत्वपूर्ण मामले के बारे में अपने इस अधिकार का प्रयोग करना चाहता हूं। अतः, मैं यह निवेदन करता हूँ कि हमें नियमों की आड़ में टालमटोल नहीं करनी चाहिए। मेरा यह निवेदन है कि नियम 193 में इस प्रकार की चर्चा का प्रावधान नहीं है। यदि आप मेरी इस बात से भी सहमत नहीं हैं, तो मैं आपसे भावी पीढ़ी के लिए एक अच्छी प्रथा स्थापित करने का अनुरोध करूंगा। ऐसे समझौते रोज नहीं

किए जाते हैं। अतः भविष्य में ऐसा समझौता कब किया जाएगा। कम से कम उस समय ऐसी प्रथा होगी कि ऐसे मामलों में संसद की पूर्णतया उपेक्षा नहीं की जाएगी। और उसे अपने विचारों को स्पष्टरूप से व्यक्त करने का मौका मिलेगा। मतदान से यह पता चलेगा कि कितने सदस्य इस समझौते का समर्थन करते हैं और कितने सदस्य इसका विरोध करते हैं। अतः, कृपया हमें यह अवसर प्रदान किया जाए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, मैं एक बात, विशेष रूप से आपके विचारार्थ कहना चाहता हूं। मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूँ कि जब गत सत्र में इस मामले पर पहली बार सभा में चर्चा की गई थी तो उस समय इस पर संक्षिप्त चर्चा की गई थी। मैंने एक विशेष बात उठाई थी जिस पर आपने सभा में मुझे यह आश्वासन दिया था कि इन बातों पर गहन विचार करने की आवश्यकता है और इन पर विचार किया जाएगा और उसके बाद उत्तर दिया जायेगा। नियमों के अन्तर्गत हम इस अवसर का लाभ उठाने के लिए इसलिए दबाब डाल रहे हैं, ताकि हमारे विचार कार्यवाही वृतान्त में दर्ज हो सकें, इसीलिए हम नियम 184 के अन्तर्गत चर्चा करने के लिए दबाव डाल रहे हैं, आप सभा को यह याद दिलाकर पूर्णतः सही कर रहे हैं, कि संवैधानिक रूप से इस सरकार का दायित्व नहीं है कि वह कोई सन्धि संसद द्वारा अनुसमधित कराये। यह बिल्कुल सही है। अतः यह मुद्दा उठाया गया था कि क्या संविधान को इसमें सशोंधन करने की दृष्टि से जांचा-परखा जाना चाहिये, यह मुद्दा उठाया गया है, जो भी हो, हम इसे अभी नहीं कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा, आपने सही कहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय संधियों से संबंधित मामलों पर नियम 193 के अन्तर्मत संसद में वाद-विवाद करने की परम्परा रही है और इसी कारण उस परम्परा, आप इसे जो कुछ भी कहें, का पालन किया जाना चाहिये। किन्तु मैं यह उल्लेख कर रहा हूं कि यह सन्धि, मेरे और कई अन्य लोगों के विचार से, जो उस समय का विचार नहीं था - इस दृष्टि से अद्वितीय है कि इससे राज्यों के संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण होता है। आप निश्चित तौर पर संसद के अनुसमर्थन के बिना कोई भी सन्धि कर सकते हैं, किन्तु क्या सरकार को इससे कोई ऐसी सन्धि करने की अनुमति मिल जाती है, जिसके कुछ खंड राज्यों के संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण करते हों ? यह एक संघात्मक ढांचा है, जिसमें हम कार्य कर रहे हैं . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसमें एक ही मुद्दा है जिस पर आप प्रकाश डाल सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं इस समय इस पर विस्तृत वाद-विवाद नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके विचारार्थ यह मुद्दा रख रहा हूं कि यदि संसद इसे पारित करती है, तो क्या इसका अभिप्राय यह है कि राज्यों ने इसका अनुसमर्थन कर दिया है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमें यह देखना है कि इस सन्धि के उपबन्ध क्या हैं और इसके निहितार्थ क्या हैं। यह महज कोई इत्तफाक नहीं है कि कई राज्य सरकारों ने इसका विरोध किया है। इस देश में विभिन्न राजनैतिक दल राज्य सरकारों को चला रहे हैं। प्रत्येक राज्य सरकार उस दल द्वारा नहीं चलाया जा रहा है, जिसकी ओर से यराकेश में इस सन्धि पर हस्ताक्षर किये गये हैं। केन्द्र में किसी और दल का शासन है।

अध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजीत जी, आप यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहे हैं तथा संसद से बाहर भी

इसकी चर्चा होगी, कुछ संवैधानिक उपबन्ध इस सभा द्वारा पारित किये जाने हैं तथा राज्य विधान मंडलों द्वारा उनका अनुसमर्थन किया जाना है क्या राज्य विधान मंडलों द्वारा भी इस सन्धि का अनुसमर्थन करना होगा ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा है, **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह तकनीकी मुद्दा नहीं है, यह मुख्य प्रश्न है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, पिछले दिन आपके द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता उचित थी कि बाहर ऐसा संकेत नहीं जाना चाहिये। चूंकि, एक अन्तर्राष्ट्रीय संधि है, आप बाहर जा रहे संकेत से सहमत नहीं थे, क्योंकि इस देश की यह संसद जो हमारे संविधान के अन्तर्गत प्रभुसत्ता सम्पन्न संसद है, इस संधि विशेष के संबंध में भिन्न-भिन्न विचार रखती हैं। किन्तु, महोदय, समस्या यह है कि हम इस कठिनाई पर आपका स्पष्टीकरण भी चाहते हैं। हम इस कठिनाई पर आपका स्पष्टीकरण भी चाहते हैं। हम इस सभा में, आपको और शेष सभा को संविधान का संरक्षक मानते हैं और हम संविधान द्वारा इस देश के लोगों को दिये गये अधिकारों से ईर्ष्या है। अब मैं इस स्थिति में अधिक ब्यौरे में न जाकर यह अनुरोध करता हूं कि संविधान द्वारा राज्यों को प्रदत्त अधिकारों अर्थात् कृषि आदि मामलों संबंधी अधिकारों का एक भाग प्रकाश में आया है। यह राज्यों के विशिष्ट क्षेत्राधिकार में आता है। यह राज्य सूची के अन्दर आता है, यह विशिष्ट सूची है, जिसे संविधान में राज्यों के लिए परिभाषित किया गया है। यह वाद-विवाद व्याख्या तथा इस प्रकार का अन्य मामला हो सकता है। मैं इससे सहमत हूं, कोई व्यक्ति इसकी अलग तरह से व्याख्या कर सकता है, किन्तु जब एक इतना महत्वपूर्ण मामला हमारे समक्ष है, तो क्या हम शीघ्रता से कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं, जो हमारी राज्य व्यवस्था के सम्पूर्ण संघीय ढांचे के लिए प्रतिकूल हो ? क्या यह ऐसा मामला नहीं है, जिस पर व्यापक चर्चा हो और यदि हम महसूस करते हैं कि वे हमें इस बारे में आश्वस्त करने में सक्षम नहीं हैं, तो बार-बार यह कहने से कोई लाभ नहीं होगा कि संसद द्वारा इसका अनुसमर्थन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह संवैधानिक स्थिति है। मैं इससे सहमत हूं हमारे पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं है।

यहां पर तर्क दिया जा रहा है कि संसद के पास अपनी राय व्यक्त करने तथा उसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल करने का अधिकार होना चाहिये, जिसे नियम 184 के अन्तर्गत चर्चा कराये बिना नहीं किया जा सकता है, मेरा तर्क मुख्य तर्क होगा। मेरे साथी कई अन्य तर्क रख रहे हैं। मैं उनमें से अधिकतर सदस्यों से सहमत हूं। कोई सन्धि राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण कैसे कर सकती है ? यह विनाश का द्वार होगा तथा भविष्य में इस देश के लिए विनाशकारी होगा और इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी पूर्वक कदम बढ़ाने चाहिये कि ऐसे कार्य न किये जायें। अन्य बातों के अलावा, इसके संवैधानिक दृष्टिकोण के अतिरिक्त राज्य में लोगों में केन्द्र के विरुद्ध क्या प्रतिक्रिया होगी ? क्या यह ऐसा ही होगा जैसा हम चाहते हैं ?

कल यहां पर चर्चा हुई थी कि हमारे विशाल देश में कैसे सामाजिक तनाव और राजनैतिक तनाव तथा संघर्ष और विवाद उठे हैं और राजनैतिक स्थिरता आदि के हित में जहां तक संभव हो इनसे बचा जाना चाहिये।

किन्तु यदि आप यहां पर कुछ कार्य करते हैं जिससे कुछ राज्य सरकारें न्यायालयों में भी जाने के लिए उत्तेजित हों और इस आधार पर इस सन्धि को चुनौती दें कि यह संविधान के अन्तर्गत उनके अधिकारों का अतिक्रमण करने में सक्षम नहीं हैं, तो केन्द्र-राज्य सम्बन्धों को बिगाड़ने के लिए किस प्रकार के विनाशकारी द्वार खुल जायेंगे ? क्या अन्य आर्थिक तथा अन्य तर्कों के अलावा इस देश में राजनैतिक स्थिरता के लिए अच्छा है ?

अतः मैं नम्र निवेदन कर रहा हूं कि कृपया इस मामले पर पुनः विचार करें, यदि सरकार चाहती है, तो . . . .**(व्यवधान)** . . .

अध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजीत जी, एक और कठिनाई है। आप किस बात पर मतदान चाहते हैं ? मुझे मालूम नहीं है क्योंकि मुझे किसी विशेष मामले पर ऐसे कोई नोटिस नहीं मिले है, जिसमें कि आप मतदान चाहते हों, क्या आप उस पर किये गये हस्ताक्षर को निरस्त करना चाहते हैं अथवा आप कुछ और चाहते हैं। हमें दिये गये नोटिस स्पष्ट नहीं है।

(व्यवधान)

श्री लालकृष्ण आण्डवाणी (गांधी नगर) महोदय, यदि आप इस मुद्दे को चर्चा के एक मामले के रूप में लेते हैं, तो एक वैकल्पिक संकल्प स्वतन्त्र संकल्प हो सकता था, हम सरकार से इसकी समीक्षा चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानना चाहता हूं कि आप किस बात पर मतदान चाहते हैं ? मुझे मिली नोटिसों में ये बातें स्पष्ट नहीं हैं।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : नियम 184 के अन्तर्गत यदि श्रीमती मालिनी का संकल्प स्वीकृत कर लिया जाता तो सभा के किसी भी सदस्य के लिए स्वतन्त्र संकल्प देने का मार्ग खुला रहता।

अध्यक्ष महोदय : मतदान के लिए संकल्प स्वीकृत करने हेतु इस पीठासीन अधिकारी को कंम से कम यह तो जानना ही चाहिये कि आप क्या चाहते हैं।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : यदि नियम 184 के अन्तर्गत ऐसा संकल्प, स्वीकार कर लिया जाता, तो इससे हमें अवसर तो मिल जाता, यही सारी बात है।

अध्यक्ष महोदय : सर्वप्रथम मुझे नियम 184 के अन्तर्गत दो नोटिस मिले। उन दो नोटिसों की शब्दावली सही नहीं थी। मुझे नियम 193 के अन्तर्गत लगभग तीन नोटिस मिले, जिनकी शब्दावली कुछ स्पष्ट थी, इसके बाद यदि आपको पीठासीन अधिकारी के रूप में निर्णय लेना है, तो आपको यह जानना चाहिये कि मतदान किस बात पर होना है।

[हिन्दी]

श्री लालकृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, ऐसा कई बार हुआ है। विषय तय हुआ है कि हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। अब किस फार्म में करेंगे, नियम 184 के अंतर्गत करेंगे या निमय 193 के अंतर्गत करेंगे, इसका फैसला बाद में होता है। यही मोशन अगर नियम 184 के अंतर्गत होता तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी।

अध्यक्ष महोदय : देखिये, इसमें क्या है कि नोटिसेज के जो मैटर्स हैं, वे इस हाउस में बैठकर चर्चा करके

डिसाइड नहीं होते हैं। वे चैम्बर में बैठकर डिसाइड होने चाहिये और इसीलिये एक दफा नहीं हमने 3 दफा मीटिंग बुलाई थी।

[अनुवाद]

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : अध्यक्ष महोदय, आपने अभी कहा कि मतदान किस मुद्दे पर हो। मैं समझता हूं अध्यक्ष से भी आशा की जाती है कि वह सदस्यों को राय दें, यदि वे यह नहीं जानते हैं कि वे किस मुद्दे पर मतदान चाहते हैं, तो क्या उन्हें राय देना आपका कर्त्तव्य नहीं है ?

सदस्यों में गहरा मतभेद है और सभी विपक्षी सदस्यों, पता नहीं सही या गलत, ऐसा महसूस कर रहे हैं कि देश को बेच जा रहा है। सरकार भी इस मामले में दृढ़ है और इसका मत है कि जो कोई भी इस विषय में लोगों के बीच भ्रम पैदा कर रहा है, वह देश का हित नहीं कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय, बात इतनी ही नहीं है। उनकी आवाज अनेक स्तरों पर सुनी जा रही है और सरकार द्वारा नियंत्रित प्रचार माध्यमों को गैट के खिलाफ बोलने वाले विपक्ष के नेताओं के वक्तव्यों को प्रकाशित न करने का निर्देश दिया गया है। इन परिस्थितियों के कारण ही हम लोग मतदान के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करना चाहते हैं इसमें क्या परेशानी है।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन आप चाहते क्या हैं ?

श्री चन्द्र शेखर : हमारा कहना है कि राज्य सरकारों को विश्वास में लिए बिना केन्द्र सरकार को इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए था क्योंकि यह उनके अधिकार क्षेत्र का हनन है। हम एक पंक्ति का प्रस्ताव ला सकते हैं। कि केन्द्र सरकार को इस समझौते पर हस्ताक्षर करने — राज्य सरकार के अधिकारों को सीमित करने का कोई अधिकार नहीं था और इसके लिए हम मतदान कराना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन संवैधानिक दृष्टिकोण से यह उचित नहीं है ?

श्री चन्द्रशेखर : इसमें संवैधानिक मुद्दा क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : कानूनी तथा संवैधानिक दृष्टिकोण से इसमें सुधार करने का अधिकार मंत्रीमंडल को ही है ?

श्री चन्द्रशेखर : ठीक है, हम लोग यही कहेंगे कि यह समझौता हमें अस्वीकार्य है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसी लिए यह जानना चाहता हूं कि दरअसल आप क्या चाहते हैं।

श्री चन्द्रशेखर : हम लोग इस बहस को समाप्त करें तथा इस पर विचार करें कि मतदान कैसे हो।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय , मुझे भी मौका दिया जाये। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी मौका दूंगा, रूलिंग पार्टी के लोगों को भी दूंगा। सब लोग मिलकर जो कुछ तय करेंगे, वह हो जायेगा। अगर सब लोग मिलकर नहीं करना चाहेंगे तो एकॉर्डिंग टू रूल होगा। सब

लोग मिलकर कुछ भी तय कीजिये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, असल में गतिरोध पैदा हो गया है और यह गतिरोध चैम्बर में हल किया जा सकता था।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिये तीन मीटिंग बुलाई थी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : तीन मीटिंग तो बुलाई मगर मीटिंगों में अगर यह तय हो जाता कि इस प्रस्ताव को नियम 184 में लिया जायेगा तो समस्या का समाधान निकल सकता था। वहां इस बात पर बल दिया गया कि नियम 184 के अंतर्गत मोशन नहीं आयेगा। अध्यक्ष महोदय, नियम 184 के अंतर्गत यह मोशन आ सकता था कि वाणिज्य मंत्री ने मारकेश से लौटने के बाद जो वक्तव्य दिया है उस पर विचार किया जाये और उसमें यह संशोधन दिया जा सकता था कि यह वक्तव्य सदन विचार करने के बाद सरकार को यह सलाह देता है कि वह अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करे।

सदन वह कह सकता है। हम प्रतिदिन सरकार से मांग करते हैं कि उसे इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। सरकार मना कर सकती है, लेकिन प्रक्रिया का आधार बना कर अगर चर्चा रोकी जाएगी और सदन को अपना अभिमत वोट के द्वारा प्रकट करने से रोका जाएगा, तो कठिनाई पैदा होगी।

अध्यक्ष महोदय, कानून से तो यह भी जरूरी नहीं हैं कि सरकार इस तरह से दस्तावेज पर दस्तखत करने के बाद सदन में स्वीकृति ले और क्या नियम इस बात की इजाजत देते हैं कि इस तरह का कोई संशोधन आ जाए, तो उसे लिया न जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपको मुझसे प्रश्न पूछने की बजाय सरकार से प्रश्न पूछना चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह प्रक्रिया का मामला है। मान लीजिए आप 184 के अन्तर्गत इजाजत नहीं देते, लेकिन बैलट में गैर-सरकारी प्रस्ताव में मेरा नाम आ जाता है और मैं यह प्रस्ताव पेश करता हूं "कि यह सदन गैट को ठुकरा दे" क्या आप उसे रूल-आउट कर देते ? नहीं कर सकते। उस पर सदन में चर्चा होती और हम वोट की मांग भी कर सकते थे और सरकार अपने बहुमत के बल पर उसे अस्वीकार कर देती, लेकिन मुझे इस प्रस्ताव को रखने से कैसे रोका जा सकता है और यदि यह काम मैं गैर-सरकारी सदस्य के नाते कर सकता हूं, तो मैं एक दूसरे तरह का 184 में प्रस्ताव देकर वही परिस्थिति पैदा क्यों नहीं कर सकता हूं।

मेरी समझ में नहीं आता है कि सरकार इस मामले में ऐसा रवैय्या क्यों अपना रही है ? आप संसद की मोहर लगवा लीजिए और फिर देश में जाकर कहिए कि हमने विरोधी दल को पछाड़ दिया। जैसे भी हमने बहुमत बनाया, बहुमत हमारे साथ है, भले ही देश हमारे साथ न हो जाकर कहिए।

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं जो बात कहना चाहता था। वह

आदरणीय, श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा कह दी गई है ? मेरा कहना है कि ऐसी स्थिति पहले कभी पैदा नहीं हुई ; ऐसा कभी नहीं हुआ कि केन्द्र सरकार के अधिकारों एवं राज्य सरकार के संवैधानिक क्षेत्राधिकर के बीच टकराव हो गया हो। कृषि के अलावा स्वास्थ्य भी राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है जबकि स्थिति यह है कि केन्द्र सरकार बिना इस बात पर विचार किए समझौते पर हस्ताक्षर कर चुकी है ? केवल विपक्षी पार्टियों द्वारा शासित राज्यों ने ही इस विरोध नहीं किया है बल्कि आन्ध्र प्रदेश जहां सत्तादल का ही शासन है ने भी विधान सभा से एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पास करके केन्द्र सरकार से यह अनुरोध किया है कि डुंकेल प्रस्ताव को इसके वर्तमान स्वरूप में स्वीकार न किया जाए क्योंकि यह देश के लोगों के हित के विरुद्ध है ? स्थिति यह है कि सरकार के वर्तमान रवैऐ से केन्द्र-राज्य संबंध कमजोर होंगे तथा इससे देश की एकता एवं अखंडता को भी बल नहीं मिलेगा। सरकार चाहे जो कह ले, लेकिन हम विपक्षी दल के सदस्य अच्छी तरह से यह बात समझ चुके हैं कि सरकार ने इस देश के लोगों के हित का ख्याल नहीं रखा है बल्कि विकसित देशों विशेषकर संयुक्त राष्ट्र अमरीका तथा अन्य देशों के हित का ज्यादा ध्यान रखा है ? **(व्यवधान)** आप अपना विचार व्यक्त करें। माननीय अध्यक्ष आपको बोलने का मौका दें। **(व्यवधान)** हमारा यह ठोस विचार है **(व्यवधान)** हम पूरी विनम्रता के साथ आपसे यह अनुरोध करते हैं कि हमें अपना विरोध जताने का मौका दिया जाए तथा अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर करने के संबंध में हमें असहमति जताने का मौका दिया जाए। इसीलिए हम नियम 184 के अन्तर्गत बहस कराने की मांग करते हैं। कृपया इस पर ध्यान दें।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, जहां तक रूल और कानून की व्याख्या का सवाल है, आपसे पार नहीं पाया जा सकता। . . . **(व्यवधान)** . . .

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, वहां पर सोमनाथ जी बैठे हैं।

श्री नीतीश कुमार : अभी नेता, विरोधी दल ने एक बात कही। मुझे लगता है कि यदि कोई गैर-सरकारी प्रस्ताव आता तो निश्चित रूप से कौन्सटीटयूशनल प्रोवीजन के आधार पर आप उसे अस्वीकार करने के लिए कमपीटैन्ट होते। जो कौन्स्टीटयूशन में ट्रीटी को रेटीफाई करने की व्यवस्था है, उसके आधार पर कर सकते हैं, यह मेरी अपनी मान्यता है। कौन्सटीटयूशन में कार्यपालिका को इस बात का अधिकार है कि कोई भी इंटरनैशनल ट्रीटी कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कौन्सटीटयूशन में कहीं कोई बंधन नहीं है कि इस प्रकार की ट्रीटी को सरकार यदि चाहे तो रैटीफाई नहीं करवाया जा सकता। यदि सरकार चाहे तो रैटीफिकेशन का प्रस्ताव ला सकती है, कौन्सटीटयूशन में कोई रोक नहीं है।

आज चूंकि इस सवाल पर जनमानस उद्वेलित है और असाधारण परिस्थिति है, हाउस में हर हालत में इस पर ओपिनियन रिकौर्डेड होना चाहिए, एक्सप्रैस होना चाहिए। हम आग्रह कर रहे हैं कि नियम 184 में इसकी डिस्कशन करवाई जाए क्योंकि आपके लैवल पर कई मीटिंग्स में स्टेलमेट बना रहा, हम यही सुनते रहे और उसका कोई समाधान नहीं हुआ। यदि वहां नियम 184 के लिए समाधान हो जाता तो तत्काल किसी न किसी

माननीय सदस्य का सब्सटैनटिव मोशन भी आ जाता। लेकिन चूंकि आम तौर पर यह चर्चा थी कि अभी स्टेलमेट बना हुआ है और अचानक हमने आज लिस्ट ऑफ बिजनस में देखा। . . . **(व्यवधान)** . . .

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : दिन निश्चित किया गया था।

श्री नीतिश कुमार : लेकिन यह स्टेलमेट कल तक बना हुआ था। हम बी.ए.सी के अपने मैम्बर्स से और नेताओं से पूछते रहे तो पता लगा कि स्टेलमेट बना हुआ है। इसलिए हम इस मामले में गलतफहमी में रहे। नियम 184 में बहाल ही प्रतिपक्ष के सभी दलों की यह राय है। जनमत का आदर करते हुए इस देश में कोई भ्रम उत्पन्न नहीं होना चाहिए। नुकसान इन्हीं को होने जा रहा है। यदि नियम 184 में डिबेट नहीं करवाएंगे तो हमको यह कहने का मौका मिल जाएगा कि कहीं कोई गड़बड़ है, इसलिए जानबूझकर इस पर मतदान नहीं करवाना चाहते। हम इस बात को आपके सामने रखना चाहते हैं। इस पर पुनर्विचार करके नियम 184 में लेने का फैसला कीजिए।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, मैं आपका मार्गनिर्देश चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : आपको मेरी सलाह की आवश्यकता नहीं क्योंकि मेरे लिए यह कर पाना बहुत कठिन है ?

श्री चित्त बसु : आप सदन के संरक्षक हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा अपने कक्ष में कर सकता हूं सभा में नहीं, अन्यथा हम लोग बहस में उलझ जाएंगे।

श्री चित्त बसु : मैं आपका मार्गनिर्देश चाहता हूँ। मैं - सदन कोई सामान्य सदस्य नहीं हूँ। मुझे मतदाताओं ने निर्वाचित किया है ? मैं इस सभा में लोगों का जनादेश लेकर आया हूँ। मुझे अपने लोगों से जनादेश को यहाँ कार्यान्वित करने का अधिकार है ? मैं उस अधिकार का प्रयोग करना चाहता हूँ।

यह सही है कि हमारे देश के संविधान में यह प्रावधान नहीं है कि प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय समझौते को संसद द्वारा अनुमोदित कराया जाए। लेकिन यह भी सही है कि संविधान की मूल भावना के अनुसार देश की संप्रभुता लोगों में निहित है ? मैं लोक सभा के सदस्य होने के नाते अपने मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता हूँ, यहाँ लोगों का मत मेरे द्वारा व्यक्त हो रहा है ? इस सभा का सदस्य होने के नाते मेरा कहना है कि गैट के संबंध में मेरे स्वतंत्र एवं स्पष्ट विचार को रेकार्ड किया जाए। एक निर्वाचित संसद सदस्य होने तथा लोगों का स्पष्ट जनादेश रखने के नाते मुझे आपसे यह मार्गनिर्देश चाहिए कि अपने विचार को व्यक्त करने के संबंध में अपने अनन्य अधिकार का प्रयोग मुझे किस प्रकार करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं आपको बोलने की अनुमति दूँ तो वह कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित होगा। मैं बहस के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं कर रहा हूँ।

श्री चित्त बसु : वस्तुतः कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करके आप मुझे अपने विचार व्यक्त करने से रोक नहीं सकते।

अध्यक्ष महोदय : आप कह सकते हैं कि यह आपको स्वीकार्य नहीं है। जब मैंने आपको एक बार अनुमति दे दी तो वह कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित की जायेगी। यह कार्यवाही वृतांत का हिस्सा है।

श्री चित्त बसु : यह एक मुद्दा है। मुझे आपका मार्गनिर्देशन चाहिए। दूसरी बात यह कि मैं दूसरों के लिए वकालत नहीं कर सकता। हमारे संविधान का संघीय ढांचा ही मूल ढांचा है। वस्तुतः कुछ . . .

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस विषय में न पड़ें। यह आवश्यक नहीं। बहस के दौरान आप उसे उठा सकते हैं।

श्री चित्त बसु : अतएव, आप मुझे मतदान के द्वारा विचारों को व्यक्त करने की अनुमति तभी दे सकते हैं जब कि आप प्रस्ताव को मतदान के लिए स्वीकार करते हैं **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : यह मुद्दा उठाया गया है कि क्या ऐसे बहस को नियम 193 के अन्तर्गत उठाया जाना संविधान सम्मत होगा अथवा नहीं। यह मेरी पहली बात है ? जैसा कि आपने यह बात बार-बार कही है सो हम लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया है। कभी कभी यह बात भी कहते रहे हैं कि किसी विधेयक अथवा प्रस्ताव को प्रस्तुत किए जाने के संबंध में संवैधानिक पहलुओं पर निर्णय न्यायालय द्वारा ही दिया जा सकता है न कि इस सभा द्वारा । अतएव, यह मामला संविधान सम्मत है अथवा नहीं; इस संबंध में सभा के सदस्यों का राजनीतिक विवेक यदि यह कहे कि इस पर बहस होनी चाहिए, तो इस पर यहां बहस हो सकती है। लेकिन हमारे सामने तो यह राजनतिक प्रश्न है कि क्या वे लोग, जिन्होंने हमें निर्वाचित किया है को उस मुद्दे पर हमारी प्रतिक्रिया जानने का हक है कि नहीं जिससे देश की संप्रभुता समाप्त हो सकती है तथा जिससे केन्द्र राज्य संबंध टूट सकते हैं। बात यह है कि इस संबंध में प्रत्येक सदस्यों के विचार क्या हैं ? यह हमारे साथी चित्त बसु के वक्तव्य का सवाल नहीं है ? सवाल यह है कि प्रत्येक सदस्य का इस विषय पर क्या मत है ? इसीलिए, हमारे लिए यह आवश्यक है कि इस मुद्दे पर बहस बजाए नियम 193 के अन्तर्गत कराने के एकल सदस्यता आधार पर नियम 184 के अन्तर्गत कराई जाए।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : मेरा मुद्दा बिल्कुल ही भिन्न है। जहाँ तक मेरी जानकारी है इस समझौते के संबंध में अंतिम स्वीकृति प्रदान करने हेतु जिस पर मराकाश में माननीय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह प्रारम्भिक सहमती हस्ताक्षर कर चुके हैं, 31 दिसंबर, 1994 की तिथि अथवा उसके बाद यथाशीघ्र तय की गई है।

यहां हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है जिसमें प्रारूप समझौते की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है और यह मामला निर्णयाधीन है। मुझे इस अंतर्राष्ट्रीय जटिल समस्या के बारे में जानकारी है। यदि सरकार इस मामले पर शीघ्रता से विचार करके उसके बाद कल ही इस समझौते को अनुमोदित कर देती है और उसके अगले दिन ही उच्चतम न्यायालय इसके विरुद्ध निर्णय दे दे तो वे ऐसी कठिन समस्या और उलझन

से अपना बचाव कैसे करेंगे ? अतः, हमारी यह मांग है कि देश भर में राजनीतिक और न्यायिक मंच द्वारा उठाए गए विवाद को देखते हुए सरकार द्वारा इस मामले में जल्दबाजी से कार्यवाही न की जाए। अतः, सरकार द्वारा यथासम्भव स्वतंत्र रूप से सुस्पष्ट विचारों को व्यक्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए। मैं यह स्वीकार करता हूं कि संविधान के अनुसार कार्यकारिणी द्वारा किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को अनुमोदित किए जाने से पहले उस पर संसद की स्वीकृति अपेक्षित नहीं होती है। परन्तु इसके साथ ही संविधान विवेकाधिकार की व्यवस्था की मनाही नहीं करता है जिसके अंतर्गत ऐसी परिस्थितियों में, जिसमें विशेष रूप से दस्तावेज की संवैधानिकता को चुनौती दी गई हो, सरकार सभा की राय प्राप्त कर सकती है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : इस सभा में इस तरह के मामले पर पहली बार चर्चा नहीं की जा रही है इसके पहले भी सरकार ने कई अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और इन पर सभा में चर्चा हुई है। मेरे विचार से यदि नियम 184 के अंतर्गत इस मामले पर चर्चा की अनुमति दी जाती है और तत्पश्चात् इस पर मत विभाजन किया जाता है तो इसके बाद ही इस समझौते पर स्वीकृति दिए जाने अथवा न दिएजाने का स्पष्ट रूप से पता चल सकेगा। जिस पर संवैधानिक उपबंधों के अनुसार पूरी तरह से सरकार का अधिकार है।

मैं अनुच्छेद 73 और 253 का हवाला दे रहा हूं जिसके अंतर्गत सरकार अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। संविधान में स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था है कि सरकार की किन-किन कार्यकारी शक्तियों का संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना है। सरकार के पास निहित कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत देश में आपातकाल का प्रख्यापन और अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन का प्रख्यापन भी किया जाता है। मंत्रिमंडल ऐसा करता है और इसके बाद इसे संसद के समक्ष अनुमोदनार्थ रखा जाता है। संवैधानिक उपबंधों में यही व्यवस्था की गई है। परन्तु अंतर्राष्ट्रीय समझौते के बारे में स्पष्टरूप से बताया गया है कि इसके लिए संसद की कोई स्वीकृति आवश्यक नहीं है। इसलिए मुझे आशंका है कि जब इस प्रस्ताव को नियम 184 के अंतर्गत रखा जायेगा और इस पर मतदान कराया जायेगा तो यह स्वाभाविक है यह स्थिति स्वीकृति जैसी ही होगी जो संवैधानिक उपबंधों के उद्देश्यों के विरुद्ध है। **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : यह गैर-संवैधानिक है और राजनीतिक निर्णय से संबंधित है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : वे जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं ? इस समझौते से उद्भूत कई विधान इस सदन में रखे जायेगें और उस समय इस पर मत विभाजन आदि के लिए उन्हें पर्याप्त अवसर मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस मामले में थोड़ा-बहुत उन्हें स्व-विवेक से उत्तर देने के लिए छोड़ दीजिए। **न्याय-निर्णयन** के बारे में उन्हें अधिक जानकारी है ; आप विधायी प्रश्नों के बारे में बोल सकते हैं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : अतः इस समय इस प्रश्न पर नियम 193 के अंतर्गत चर्चा से विगत की भांति, इस मुद्दे पर एक बार पुनः अपने विचारों को व्यक्त करने के पर्याप्त अवसर मिलेंगे।

श्री उमराव सिंह (जालंधर) : अध्यक्ष महोदय, मैं दो नियमों का हवाला देना चाहूँगा। इसमें पहला नियम 184 है और दूसरा नियम 186। इस तरह से नियम 184 के अंतर्गत ही नहीं अपितु नियम 186 के अंतर्गत

भी चर्चा निषेधित की गई है। नियम 184 इस प्रकार है :

''संविधान या इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़कर अध्यक्ष की सम्मत्ति से किए गए प्रस्ताव के बिना सामान्य लोक-हित के विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी।

नियम 186 इस प्रकार है :

''कोई प्रस्ताव ग्राह्य हो सके इसके लिए निम्न शर्तें पूरी करेगा अर्थात् कि -

(छः) उसमें ऐसे विषय पर फिर चर्चा नहीं चलाई जायेगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी हो ;

(आठ) वह किसी ऐसे विषय से सम्बन्धित नहीं होगा जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय निर्णयन के अंतर्गत हो।''

अध्यक्ष महोदय : वह एक अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं। कृपया उनकी बात सुनिए।

श्री उमराव सिंह : अध्यक्ष महोदय, तीन प्रश्न पूछे गए हैं। इस पर नियम 184 और 186 के अंतर्गत चर्चा की अनुमति नहीं है।

श्री वाजपेयी ने संकल्प के बारे में एक अन्य प्रश्न पूछा है। मैं यह कहूंगा कि इस मामले पर संकल्प की अनुमति नहीं दी जा सकती है। नियम 172 में यह स्पष्ट व्यवस्था है : -

''इन नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई सदस्य या मंत्री सामान्य लोकहित के किसी विषय के संबंध में संकल्प प्रस्तुत करेगा।

और तत्पश्चात् नियम 173 इस प्रकार है : -

''कोई संकल्प ग्राह्य हो सके, इसके लिए वह निम्न शर्तें पूरी करेगा, अर्थात : -

(पांच) वह किसी ऐसे विषय से संबंधित नहीं होगा जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय निर्णयन के अंतर्गत हो।''

अतः, महोदय, यह संकल्प स्वीकार्य नहीं है और नियम 184 और 186 के अंतर्गत प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि संविधान, नियम ऐसे प्रस्तावों की स्वीकार्यता से पूरी तरह से मना करते हैं। मैं यह स्वीकार करता हूं कि इस चर्चा के लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय अपनाने की पहले ही अनुमति दे दी गई है। मेरे विचार यह सभा नियमों के आधार पर चलता है और अध्यक्ष महोदय भी चर्चा के लिए अनुमति नियमानुसार प्रदान करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं कानून की सीमा से परे नहीं हूं।

श्री उमराव सिंह : मेरा कथन यह है कि जब यह समझौता नहीं किया गया है तो इस पर चर्चा करने की अनुमति दी जानी चाहिए जैसा कि आपने पहले अनुमति प्रदान की है।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : यह सभा प्रजातन्त्र का सबसे बड़ा मंच है। मैं यह उचित

नहीं समझती हूं कि देश की जनता और अन्य देशों में यह संदेश पहुंचे कि हम इस मामले पर सर्वसम्मति नहीं बना पाए। नामिबिया, दक्षिण अफ्रिका, लिथ्यूआनिया, रोमानिया पोलैण्ड चीन और क्यूबा जैसे देश हमारा दृष्टिकोण जानने को उत्सुक हैं। यहां तक कि चीनी प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधान मंत्री को इस मामले में नैतिक समर्थन देते हुए एक पत्र लिखा था। जब हमारे सामने ऐसी परिस्थिति है तो ऐसे मैं नहीं जानती कि ये विपक्ष के सदस्य इस समझौते के विरुद्ध आवाज क्यों उठा रहे हैं।

श्री नीतीश कुमार : हमें चीन के दिशानिर्देश पर नहीं चलना चाहिए। हमें राष्ट्रीय हित और जनता के हितों का ध्यान रखना चाहिए।

कुमारी ममता बनर्जी : मुझे अपने कथन को स्पष्ट करने दीजिए। नियम 193 के अंतर्गत चर्चा की बजाय नियम 184 के अंतर्गत चर्चा की मांग कर रहे हैं। **(व्यवधान)** मैं अपनी बात स्पष्ट करना चाहती हूं। हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं। यह नियम 193 अथवा नियम 184 के अधीन का मामला नहीं है। विपक्ष को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि वे चर्चा करना चाहते हैं अथवा नहीं। हमारी सरकार इस डंकल समझौते पर चर्चा करना चाहती है। विगत में भी हमने इस पर दो बार चर्चा की है। इस बार भी आपने चर्चा की अनुमति प्रदान करने की कृपा की है। सभी अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे। इसका यह तात्पर्य भी नहीं निकलता कि केवल वे निर्वाचित सदस्य हैं और हम निर्वाचित सदस्य नहीं हैं। हम भी निर्वाचित सदस्य हैं। मेरे विचार से सबके हित में इस पर चर्चा करने की अनुमति दी जानी चाहिए जैसा कि आज की कार्य सूची में सूचीबद्ध किया गया है। इस पर आज चर्चा की जानी चाहिए। मैं यह नहीं जानती कि वे इसमें देरी क्यों करना चाहते हैं। हम तो इस पर आज ही चर्चा करना चाहते हैं।

श्री मृत्युंजय नायक (फूलबनी) : किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर करने का मामला संघ सूची से संबंधित है। दूसरी बात यह है कि कार्यकारिणी को किसी समझौते अथवा दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने हेतु प्राधिकृत किया गया है और उसे इसकी शक्तियां प्रदान की गई हैं। उच्चतम न्यायालय ने भी यह स्पष्ट निर्णय दिया है जहां तक राज्य सरकार को बर्खास्त करने का संबंध है कार्यकारिणी की सहायता और सलाह को भी सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए ऐसे मामले में स्वीकृति आवश्यक नहीं है। अतः, सभा द्वारा इस पर मत विभाजन न किया जाए। समझौते पर हस्ताक्षर करने से काफी समय पहले वे इस पर चर्चा की मांग कर सकते थे। मैं यह महसूस करता हूँ कि जनता को यह न लगे कि कार्यकारिणी को समझौते पर हस्ताक्षर करने की संवैधानिक शक्तियां प्रदान किये जाने के कारण इस पर अनुमोदन अथवा कोई मत विभाजन नहीं किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं रूल्स प्रोसीजर में पड़कर तर्क करने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूँ। खासकर विरोधी दल की ओर से जो भावनायें व्यक्त की गई हैं, उनमें कानूनी पहलू को छोड़कर, हम लोगों को एक तकलीफ होती है। वह तकलीफ यह है कि क्या हम इस मसले पर राय प्रकट नहीं कर सकते हैं।

जैसा कि सोमनाथ चटर्जी जी ने कहा, नियम, 193 एम्बिट है, वह व्यापक नहीं है। गैट ट्रिटी के बारे में हम लोग निवेदन कर रहे हैं। अगर विरोधी दल के लोगों को कम से कम रूल्स एंड प्रोसीजर के तहत विचार प्रकट करने का मौका नहीं मिलेगा, देश के भविष्य के बारे में जब चर्चा हो रही थी, तब राय प्रकट करने का मौका नहीं मिलेगा, तो गम्भीर सदमा लगेगा कि हम लोग कार्य नहीं कर पाए। आपने कहा कि विरोधी दल को जो बोलना है, वे तो बोलेंगे ही। इसमें दिक्कत यह है कि देश को गैट के द्वारा गिरवी रख दिया गया है और हमारी सारी सोवरेनिटी को बेच दिया गया है और इसके द्वारा समझौता कर दिया गया है। जो हम लोगों के मन में वेदना है, अगर उसको प्रकट नहीं कर पायेंगे, तो हमारे मन में सदा-सदा के लिए सदमा लगेगा और भविष्य में हमारे देश की भावी पीढ़ी जब इस इतिहास को पढ़ेगी, तो कहेगी कि आप लोग क्या कर रहे थे। हर दल के एक-दो नेताओं ने भाषण दिया और उनको रजिस्ट कर दिया गया। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि नियम 193 व्यापक नहीं है। कांग्रेस जनों को भी राय व्यक्त करनी है, आप उनको भी नियम 184 के तहत राय देने दीजिए।

(व्यवधान)

[अनवाद]

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, अतीत में इस गरिमामय सदन में इस नियम, अर्थात् नियम 193 के अंतर्गत अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चाएं हुए हैं। किसी समय भी ऐसी शिकायत नहीं हुई कि इस नियम में किसी रूकावट के चलते कोई भी माननीय सदस्य इन विषयों पर अपना विचार व्यक्त नहीं कर सका या उसका मत रिकार्ड नहीं हो सका। स्थिति यही है।

महोदय, हम सभी- यह सदन, कार्यपालिका और न्यायपालिका - भारत के संविधान से अपनी शक्तियां और उत्तरदायित्व प्राप्त करते हैं राज्य विधान मंडलों के विभिन्न सदन न्यायालय भी गए हैं। मैं उन मामलों का जिक्र नहीं कर रहा हूं जिनमें उच्च न्यायालयों ने कुछ याचिकाएं अस्वीकृत कर दी हैं। कुछ याचिकाएं उच्चतम न्यायालय में भी प्रस्तुत की गई हैं। उच्चतम न्यायालय भी अपना प्राधिकार भारत के उसी संविधान से प्राप्त करता है जिसके अंतर्गत हम सदन में इस विषय पर वाद-विवाद करने जा रहे हैं। मैं कई उदाहरण दे सकता हूं; पर मैं केवल एक ही उदाहरण दूंगा जिससे स्पष्ट होता है कि उन विषयों पर केंद्रीय सरकार ने भी अंतरराष्ट्रीय समझौते किए हैं जिनका संबंध पूर्णतः राज्य-सूची से है ; और इसका कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। इस बात की भी मांग कभी नहीं की गई है कि केंद्रीय सरकार द्वारा की गई उन संधियों का भी अनुसमर्थन या उन पर चर्चा राज्य विधान सभाओं या संसद में की जाए जिनका संबंध शुद्ध रूप से राज्य विषयों से है। उदाहरण के लिए, नदी जल के बंटवारे के प्रश्न को लें। सिंचाई राज्य-सूची का विषय है। हमने पाकिस्तान, बांग्लादेश और कई बार नेपाल से भी नदी जल समझौते किए हैं। राज्य सरकारों से राय प्राप्त करने के विभिन्न मौके हमें मिलते हैं।

यहां प्रश्न यह है। माननीय सदस्यों ने कृपापूर्वक यह मान लिया है कि वे अपने विचार मुक्त रूप से और पूर्णतः व्यक्त कर सकते हैं ; और आपने भी महोदय, कृपापूर्वक यह कहा है कि इसमें किसी प्रकार की समय सीमा नहीं लगाई जायेगी। अभी मुख्य मुद्दा यह है कि क्या इस संवेदनशील घड़ी में इस विषय पर सदन की राय

को विभाजित होने दिया जाए। यह हमारी सोची समझी राय है। **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : पूरा देश ही विभाजित है। **(व्यवधान)**

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह हमारी सोची समझी राय है कि यह देश के हित के विरुद्ध होगा। यदि हम इस मामले में विशेष रूप से हमारे समझौतों और कार्यों के सम्पन्न होने की इस संवेदनशील घड़ी में सदन को विभाजित कर देंगे, तो यह राष्ट्रीयहित के विरुद्ध होगा।

अपने कक्ष में लम्बी चर्चाओं के बाद आपका दाना मदनों, विशेषतः इस सदन के प्रमुख सदस्यों के विचार जानने का अवसर मिला। प्रक्रिया नियमों और संविधान का अध्ययन कर आपने इस चर्चा को नियम 193 के अंतर्गत स्वीकृत किया है। इस चर्चा द्वारा माननीय सदस्यों को इस समझौते के बारे में वे जो कुछ कहना चाहें; कहने का पूरा अवसर मिलेगा। वे अपना विरोध रिकार्ड करा सकते हैं, अपने विरोध के कारण रिकार्ड करा सकते हैं, अपने भाषणों में असहमति रिकार्ड करा सकते हैं, और उसके बाद, सत्ताधारी दल के सदस्य भी अपने विचार-व्यक्त कर सकते हैं। संविधान और प्रकिया नियमों में यह एकमात्र स्थिति है जिसे इस सदन ने अपना रखा है। और कोई दूसरा तरीका नहीं है। अतः मैं अनुरोध करना चाहूंगा . . . **(व्यवधान)** . . . महोदय, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा हूं। मैं केवल आपसे निवेदन कर रहा हूं। **(व्यवधान)** महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस प्रकार की चर्चा केवल नियम 193 के तहत ही हो सकती है और हमें अपने विचार प्रस्तुत करने का पूरा मौका मिलेगा ; उनका समुचित रिकार्ड होगा और पूरा देश यह जान पाएगा कि कौन इसके पक्ष में है और कौन नहीं। जहां तक शर्तों की जानकारी देने का प्रश्न है, तो ऐसा नियम 193 के अंतर्गत किया जाएगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : क्या सभी सदस्यों को बोलने का मौका दिया जाना चाहिए ? **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : 545 सदस्य जो बोलेंगे नहीं तो फिर उन सबका ओपीनियन कैसे रिकार्ड होगा। . . . **(व्यवधान)** . . .

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, जहां तक विपक्ष का प्रश्न है तो हमारा यह विचार कभी नहीं रहा है कि सदन द्वारा समझौते का अनुसर्मथन किए जाने की आवश्यकता है। हम इस बात से सहमत हैं कि संविधान, स्वमेव सरकार को अनुसमर्थन के लिए बाध्य नहीं करता है। पर मैं चाहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री या सत्तापक्ष का कोई भी सदस्य इस बात का एक भी ऐसा दृष्टान्त दे कि नियम 184 के अंतर्गत चर्चा क्यों नहीं हो सकती।

एक सीधी सी बात है कि जहाँ केवल विपक्ष से ही नहीं बल्कि सरकार से भी राजनीतिक बुद्धिमता की अपेक्षा की जाती है . . . **(व्यवधान)** . . .

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान उत्पन्न मत कीजिए।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : किसी को भी ऐसी किसी प्रक्रिया से लाभ उठाने नहीं दिया जाए जिसमें सभा को अपना विचार भाषणों में नहीं बल्कि वास्तविक मतदान द्वारा अभिव्यक्त करने की अनुमति नहीं होती है। इस सभा के बहुसंख्यक सदस्य किस बात के पक्ष में हैं ? यहां दिए गए इन भाषणों से इसका पता नहीं चलेगा। यह मतदान करने पर ही मालूम होगा। अतः क्या पीठासीन अधिकारी या सरकार परिपाटी की बात छोड़कर संविधान का एक भी प्रावधान या कानून का एक भी प्रावधान या एक भी प्रक्रिया नियम बता पाई है ? संसदीय कार्यमंत्री ने एक उदाहरण दिया है कि विगत में भारत सरकार ने राज्यों को प्रभावित करने वाली सन्धियां की हैं। इसके विषय में कोई संदेह नहीं हैं क्योंकि किसी भी राज्य ने आपत्ति नहीं की। विगत काल में कोई भी राज्य सरकार न्यायालय में नहीं गई है। न्यायालय में जाने की बात तो दूर, यहां तक कि किसी ने भी इस बात से असहमति तक नहीं दर्शाई है कि यह जल समझौता नहीं होना चाहिए।

सात सरकारें हैं। अपने एक सहयोगी से यह सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ कि एक विधान सभा के, जिसमें कांग्रेस दल का बहुमत है, सर्वसम्मति से कहा है कि यह समझौता नहीं होना चाहिए। फिर भी, यदि सरकार इस नियम 193 की कार्यविधि का उपभोग कर वोट रिकार्ड करने की संसद की इच्छा की उपेक्षा करना चाहती है तो मेरी समझ में यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है।

अतः मैं कहना चाहता हूं कि हमसे सहमति हो, इसके लिए हम सरकार पर निर्भर नहीं हैं ऐसी स्थिति में आपके हस्तक्षेप पर हमारा विश्वास है।

अध्यक्ष महोदय : पीठासीन अधिकारी निष्पक्ष होना चाहिए।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : पीठासीन अधिकारी होने के नाते यह आपकी जिम्मेदारी है। हमारी अपील आपसे है।

अध्यक्ष महोदय : मेरा कर्तव्य नियमों के अनुरूप चलना है। यदि आपमें कोई समझौत होता है, तो वह मुझे स्वीकार्य है। **(व्यवधान)**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : 186 और 188 के संबंध में दिए गए तर्कों को सुनकर, मुझे बड़ी खुशी हुई थी। यदि इस बारे में एक भी शब्द कहा जाता कि नियम 184 के अंतर्गत कोई भी प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा किए गए समझौते से संबंधित नहीं होगा, तो मैं यह कहता कि नियम का प्रतिबंध है। आज ऐसा कोई नियम नहीं है जो नियम 184 के अन्तर्गत किसी भी विचार विमर्श पर रोक लगाता है।

अध्यक्ष महोदय : एक नियम है जिसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : प्रक्रिया नियमों के दृष्टि कोण से और राजनीतिक दृष्टिकोण से यह चर्चा नियम 184 के तहत होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपस में आप जो भी तय करें वह मुझे स्वीकार्य है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सरकार द्वारा हमारे दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करने पर हमें आश्चर्य होता है किन्तु इसका कारण मैं समझ सकता हूं।

[हिन्दी]

110 देशों के प्रतिनिधियों ने साइन किए, लेकिन मराकश में डब्ल्यू टी ओ के बारे में 6 देशों के प्रतिनिधियों ने कहा कि हम वापिस जाकर अपने लेजिसलेचर से सलाह करेंगे, लेकिन यहां तो सलाह करने को ही तैयार नहीं हैं।

[अनुवाद]

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : महोदय, माननीय सदस्यों ने जिन प्रश्नों का उल्लेख किया है उनके बारे में बात यह है कि नियम चाहे किसी भी तरह का हो किन्तु चर्चा हुई तो वे इन सब बातों पर उस समय विचार अवश्य किया जायेगा। उदाहरण, के लिए श्री आडवाणी जी ने जिस प्रश्न का उल्लेख किया है : 111 देशों में से 7 सदस्यों ने जिन्होंने अंतिम अधिनियम पर तो हस्ताक्षर किये हैं किन्तु डब्ल्यू.टी.ओ. पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए हैं ?

2.00 म.प.

इस विषय पर चर्चा के दौरान निश्चित ही विचार किया जाएगा। किन्तु माननीय सदस्यों के विचारार्थ जो सीमित प्रश्न में रखना चाहूंगा। वह यह है कि श्री आडवाणी जी का यह कहना गलत है कि पहले राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय संधि को चुनौती देने के लिए न्यायालय में नहीं गई हैं। इस प्रकार की घटनाएं पहले भी काफी हुई हैं और इनमें से एक बात जो मेरे दिमाग में इस समय आ रही है वह 1950 अथवा 1960 के दशक में हुई थी जब बेरूबाड़ी के हस्तांतरण के मामले म पाकिस्तान के साथ एक समझौता हुआ था और राज्य सरकार तब न्यायालय में गई थी . . . **(व्यवधान)** . . . दूसरा, संविधान की व्याख्या का प्रश्न आता है। हम अपने सभी प्रकार के प्राधिकार संविधान से ही प्राप्त करते हैं। हम जो कुछ यहां कर रहे हैं वह सब संविधान के अंतर्गत आता है मैं आदर सहित यह कहना चाहूंगा कि हमने जो इस सभा में कार्यवाही चलाने के नियम बनाए हुए हैं व सभी संविधान के दायरे में आते हैं। यह तो संसद और संसाय विधानमंडल का प्रदत्त शक्ति ही है। हमने इस प्रकार से अपने नियम बनाए हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : चर्चा के अधिकार का क्या होगा ?

श्री प्रणव मुखर्जी : हमारे पास चर्चा का अधिकार तो हमेशा रहेगा। मैं इस पर बाद में बोलूंगा। स्थिति के संदर्भ में मैंने पहले यह कहा था कि हमें इस स्थिति में उत्तेजित नहीं होना चाहिए। हमारे पास संविधान की व्याख्या करने हेतु उच्चतम न्यायालय भी है। संविधान की न तो यह सभा और न कार्यपालिका ही व्याख्या कर सकती है। यहाँ मेरा अभिप्राय अधिकृत व्याख्या से है। हम अपने ढंग से तो व्याख्या कर सकते हैं जैसा आप कर रहे हैं। हम जैसा ठीक समझते हैं उसी प्रकार से विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या कर लेते हैं। यदि इस व्याख्या को सर्वव्यापी ढंग से स्वीकार कर लिया जाता है तो वकीलों के पास तो कुछ भी काम ही नहीं रहेगा। सोमनाथ जी तथा अन्य सदस्यों ने कानून की व्याख्या एक विशेष ढंग से की है। तीसरे, इसमें संसद की अनेदेखी करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। पहले भी मैंने यह उल्लेख किया था कि यह समझौता स्वतः लागू होने वाली संधि नहीं है।

इस समझौते के विभिन्न प्रावधान कानून के तहत ही बनाए जाएंगे और इन कानूनों को बनाने का संसद को पूर्ण अधिकार है। अत: यह कहना ठीक नहीं है कि संसद . . . ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम नहीं चाहते कि आपको यहां पर नए कानून लाने के लिए इतना अधिक कष्ट उठाना पड़े।

श्री प्रणव मुखर्जी : यदि संसद किसी भी समय यह चाहे कि वह कानून के पारित नहीं करेगी, तो कार्यपालिका तो कानून बना नहीं सकेगी।

अपनी चर्चा के दौरान कुछ माननीय सदस्यों ने जो चौथा प्रश्न उठाया था वह यह कि मैंने यह वक्तव्य क्यों दिया और कई ऐसी बातें हैं जिन्हें मैंने यहां उजागर नहीं किया है। मैं सादर यह कहना चाहूंगा कि इस विषय पर 29 और 30 को जब हम नियम 193 के अंतर्गत वाद-विवाद कर रहे थे तो मैंने सभा को यह सूचित किया था कि 15 अप्रैल को मैं वार्ता के उरूग्वे दौर के अंतिम परिणामों के अधिप्रमाणित करने जा रहा हूं और अपने इस वक्तव्य में मैंने इस सभा में यह सूचित किया था कि वार्ता के उरूग्वे दौर के अंतिम परिणामों को मैंने अधिप्रमाणित कर दिया है। इसके अतिरिक्त मेरे विचार से यदि हम यह कहें कि सरकार को गैट के बाहर आ जाना चाहिए तो यहां एक उलझनपूर्ण स्थिति पैदा हो जाएगी। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि संविधान विशेषज्ञ और न्यायालय इसकी क्या व्याख्या करेंगे और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इस मामले में एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी जो संवैधानिक तौर पर हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं आता किन्तु फिर भी हम उस विषय में अपना मत व्यक्त किये जा रहे हैं। हम इसके क्रियान्वयन को अमान्य बनाने एक कानून बना सकते हैं किन्तु हम यह नहीं कह सकते कि हम हस्ताक्षर की जा चुकी संधि को खारिज कर रहे हैं। वक्तव्य पर असहमति के मामले में क्या मैंने वक्तव्य के अनुमोदन की मांग की है जिससे खारिज किये जाने का प्रश्न पैदा हो ? मैंने इसकी स्वीकृति नहीं चाही है। मैंने तो मात्र सूचना दी है। और आप किस बात का निरनुमोदन करने जा रहे हैं ? वास्तविकता तो यह है कि दस्तावेज को अधिप्रमाणित किया जा चुका है और सभा को इसकी सूचना दे दी गई है। अत: अध्यक्ष महोदय, यह निर्णय तो आपने करना है कि इस पर किस नियम अथवा कानून के अंतर्गत चर्चा होगी। किन्तु, मेरे विचार से, यदि हम नियम 193 के अंतर्गत चर्चा करते हैं, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या आप अपने बहुमत के बारे में आश्वस्त नहीं हैं।

श्री प्रणव मुखर्जी : जी हां, मैं आश्वस्त हूं।

श्री मणिशंकर अय्यर (मईला दुतराई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की आशंका है कि माननीय श्री आडवाणी जी ने मेरे साथी उमराव सिंह जी की तरह स्पष्ट रूप में यह बात नहीं कही है कि क्या इस पक्ष ने नियमों के अंतर्गत अपना तर्क प्रस्तुत नहीं किया है कि इस मामले को नियम 184 के स्थान पर नियम 193 के अंतर्गत चर्चा हेतु क्यों लिया जाए। इस मुद्दे से संबंधित प्रावधानों को श्री उमराव सिंह ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से पढ़ा था। मुझे नियम 184 देखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो कुछ आपने कहा है, मैंने वह सुन लिया है। श्री उमराव सिंह ने यह कहा है कि नियम 186 के साथ पठित नियम 184 में दो स्थितियों में नियम 184 के अंतर्गत किसी प्रकार की चर्चा की स्पष्ट तौर पर मनाही की गई है। इसमें से पहली अवस्था तब जब मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन थे।

विपक्षी सदस्यों ने ही हमें बार-बार यहां यह स्मरण कराया है कि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है किन्तु वे मुझे यह बताने में असमर्थ हैं कि क्या वे ऐसे मामले यहां नहीं उठाएंगे जो न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं अथवा ये मामले . . . **(व्यवधान)** . . .

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) : हमने यह मामला कई बार उठाया है . . . **(व्यवधान)** . . .

श्री मणि शंकर अय्यर : मुझे तो यह कहना चाहिए कि महोदय मुझे तो प्रायः यह आश्चर्य होता है **

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है।

यह कार्यवाही-वृतांत का अंश नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय यह तो ** उन्हें जानकारी होनी चाहिए और चुप रहना चाहिए।

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, जहां तक मुझे याद है कि हमने अयोध्या से सम्बन्धित मामले पर नियम 184 के अंतर्गत कभी भी चर्चा नहीं की। सभा के समक्ष यह तो आसान सा प्रश्न था। क्या न्यायालय के समक्ष विचाराधीन किसी विषय पर हम नियम 184 के अंतर्गत चर्चा करा सकते हैं ? श्री उमराव सिंह के अनुसार इन मामलों को नियम 184 के अंतर्गत चर्चा हेतु नहीं ले सकते हालांकि इस पर नियम 193 के अंतर्गत कोई प्रतिबंध नहीं है।

श्री उमराव सिंह ने दूसरी बात जो कही थी वह यह कि नियम 186 के साथ पठित नियम 184 में यह बात विशिष्ठ रूप से कही गई है कि यदि किसी मामले पर विशिष्ट सत्र में सभा के अंदर चर्चा की जाती है, तो उसी विषय पर उस सत्र में नियम 186 के साथ पठित नियम 184 के अंतर्गत चर्चा करने की अनुमति नहीं है। जैसा कि हम सभी को यह पता है कि हमने लोक सभा के इसी सत्र में इस विषय पर 29 और 30 मार्च, 1994 को और संधि पर विशेष चर्चा के तौर पर चर्चा की थी। **(व्यवधान)**

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : नियम 193 के अंतर्गत।

श्री मणिशंकर अय्यर : हां इसी नियम के अंतर्गत।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : ये जो बोल रहे हैं यह रूल 193 के लिए भी एप्लीकेबल है। कोर्ट में कोई मामला हो, सेम सेशन में डिसकशन हुआ हो, तो भी यह एल्पीकेवल है। सदन का समय जाया कर रहे हैं।

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतांत से निकाल दिया गया।

* * अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतांत से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

श्री मणिशंकर अय्यर : मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि श्री नीतीश कुमार जब हम बोलते हैं तो व्यवधान डाल कर क्यों सब कुछ अपने काबू में करना चाहते हैं ?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : आपने हमें बोलने से रोका था। स्पीकर साहब ने एलाऊ किया था, पिछले सेशन में, आपने हमें बोलने से रोका था।

[अनुवाद]

उन्हें अधिक समय दिया गया था।

श्री मणिशंकर अय्यर : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात पर आता हूं। श्री उमराव सिंह ने सभा को स्पष्ट तौर पर सूचित किया है कि नियम 186 के साथ पठित नियम 184 के प्रावधान के अनुसार, यदि कोई विषय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हो अथवा यदि मामले पर सभा में उसी सत्र में चर्चा की जा चुकी हो, तो आप इसे नियम 184 के अंतर्गत मूल प्रस्ताव के रूप में नहीं ले सकते। मुझे तो यही बात कहनी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं अत्यन्त उपयोगी सुझावों के लिए माननीय सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। क्योंकि इनसे मुझे निष्कर्ष पर पहुंचने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। मैं तथा हम सभी, जिनमें सरकार भी शामिल है, इस समझौते के महत्व को समझ सकते हैं। और हम सभी इसकी प्रशंसा भी कर सकते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष : सरकार इसकी प्रशंसा करती है। आप जो कुछ भी कहते हैं वह सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दृष्टिकोण अपनाने करने में सहायता प्रदान करता है।

आप जानते हैं कि संसद के अंदर चर्चा स्वागत योग्य है। अब, सदन में चर्चा का स्वागत किया जाना चाहिए तथा मैं समझता हूं कि यदि वे चाहें तो सभी सदस्यों को इस मामले पर विशद चर्चा बिना किसी पुनरावृत्ति के करने दी जानी चाहिए लेकिन कोई इससे संबंधित अपनी समझ के अनुसार कुछ अच्छे या नए मुद्दे उठाना चाहता है, तो वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है वे ऐसा करने में सक्षम हैं यह मैं जानता हूं।

नियम 184 के अन्तर्गत तीन सूचनाएँ हैं। एक सूचना इस प्रकार से है :

''यह सभा सरकार द्वारा अंतिम रूप से तैयार किए गए अधिनियम, जिसमें उरुग्वे चक्र की बहुपक्षीय व्यापार वार्ता के परिणाम निहित हैं, के प्रमाणीकरण का निरनुमोदन करती है।''

दूसरी सूचना भी पहली की तरह है।

तीसरी सूचना इस प्रकार है :

''यह सदन वाणिज्य मंत्री द्वारा सदन में मराकाश बैठक पर दिए गए वक्तव्य का निरनुमोदन करती है।''

मैं नहीं समझता कि इस तरह की सूचना ग्राह्य है या इसकी अनुमति दी जा सकती है। लेकिन मैं तीसरी सूचना पर अंतिम निर्णय नहीं दे रहा हूं। लेकिन ये दो सूचनाएँ दी जा चुकीं हैं तथा इनकी तारीख क्रमशः 21.4.1994 और 22.4.1994 हैं। दूसरी सूचना 22.4.1994 की है। तब मैंने अन्य सूचनाओं को भी प्राप्त किया।

नियम 193 के अन्तर्गत यह एक सूचना है। इसमें निम्नलिखित बातें हैं :

"अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय पर अल्पावधि के लिए चर्चा ''वाणिज्य मंत्री द्वारा आज सभा में गैट पर वक्तव्य दिया गया।"

दूसरी सूचना निम्न प्रकार है :

"सभा में वाणिज्य मंत्री द्वारा गैट पर दिए गए वक्तव्य पर अल्पावधि के लिए चर्चा।"

यह भी 22 अप्रैल, 1994 की है। एक और सूचना 15.04.94 की है ; यह श्री नीतीश कुमार द्वारा दिया गया था। इसमें निम्नलिखित बातें हैं : -

''अमरीका द्वारा प्रस्तावित सामाजिक खंड कोई अंतिम निर्णय न लिए जाने के बावजूद भारत सरकार द्वारा गैट समझौते को स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप देश के उद्योग और व्यापार पर संभावित प्रभाव से उत्पन्न परिस्थिति।''

ये सभी सूचनाएँ हैं जो मैंने प्राप्त की हैं; और नियम 193 के अन्तर्गत 22 अप्रैल को इन सूचनाओं को प्राप्त किया गया ; जबकि नियम 184 के अन्तर्गत सूचनाएँ एक दिन पहले 21 अप्रैल को प्राप्त की गई थी। वस्तुतः मामले पर सदस्यों के बीच चर्चा हो रही थी ; और मैं जानता हूँ कि लोगों का इस पर सस्पष्ट दृष्टिकोण है। अतएव, मैंने संसदीय मामलों के मंत्री के साथ इस विषय पर चर्चा की। हमने नेताओं की बैठक की एक बार नहीं बल्कि दो-तीन बार बुलाई तथा इस पर चर्चा की। और जब भी इस मामले पर चर्चा की गई कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकल पाया। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने यह सोचा था कि सदस्य निर्णय स्वीकार करने के लिए तैयार थे। यह मेरी धारणा थी जो गलत भी हो सकती है। लेकिन मुझे सदस्यों के साथ न्याय करना है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह नहीं कहा कि वे नियम 193 के अन्तर्गत इस पर चर्चा करना चाहते हैं। प्रत्येक बार जब मैंने पूछा कि निष्कर्ष क्या है ? किसी ने यह ठीक-ठाक बताने की कोशिश नहीं की कि सदन के अंदर क्या किया जाना चाहिए। अतएव, मेरी यही धारणा बनी रही। इसके अलावा, नियम 184 के अन्तर्गत 21 अप्रैल को सूचना दी गई और नियम 193 के अन्तर्गत 22 अप्रैल 1994 को अन्य प्रकार की सूचना जारी की गई।

मेरी धारणा थोड़ी पुष्ट हुई जो गलत भी हो सकती है। मैं यह नहीं कहता कि मेरी धारणा सही ही थी। इसलिए, मैं देखना चाहता था कि वास्तव में किन प्रावधानों के अन्तर्गत मुझे निर्णय लेना है। अब समुचित प्रावधान जो प्रांसगिक हैं तथा वे नियम 184 के अन्तर्गत हैं :

''प्रस्ताव को विचारार्थ स्वीकार किए जाने के लिए इसे निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी चाहिए यथा . . " मैं केवल प्रासंगिक उपखंडों को पढ़ रहा हूँ। उस विषय पर पुनः चर्चा नहीं की जाएगी जिसपर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी है।''

यह तो एक बात हुई।

उपखंड 'ज' में कहा गया है :

''यह सामान्य रूप से ऐसे मामलों से संबंधित नहीं होगा जो संसदीय समिति के विचाराधीन है।'' यह मामला संसदीय समिति के विचाराधीन नहीं था लेकिन संसदीय समिति द्वारा इस पर पहले ही विचार किया जा चुका था और एक रिपोर्ट दी गई है। इसके बाद नियम 183 में यह कहा गया है :

''अध्यक्ष विनिश्चत करेगा कि कोई पारित प्रस्ताव इन नियमों के अन्तर्गत ग्राह्य हैं अथवा नहीं और वह कोई भी पारित प्रस्ताव अस्वीकृत कर सकेगा जो उसकी राय में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अधिकार का दुरुपयोग हो . . . ''

मैं यह नहीं कहता कि यह दुरुपयोग है।

'' . . . यह न्यायिक प्रक्रिया में रूकावट डालने की योजना है . . . ''

मैं यह भी नहीं कहता हूं।

''. . . सभा की प्रक्रिया में बाधा डालने के लिए आयोजित हो या इन नियमों का उल्लंघन करता हो।'' निश्चित रूप से, यह इन नियमों का उल्लंघन है जिसे मैंने पढ़कर सुनाया है।

अब सवाल उठता है कि क्या किया जाए ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप मध्यान्ह भोजन के लिए जायें।

अध्यक्ष महोदय : हां, यह एक अच्छा सुझाव है। प्रश्न यह है कि यदि आप मुझे इस विषय पर निर्णय लेते रहेंगे तो मैं नियमों के अनुसार ही निर्णय लूँगा। यदि आप लोगों के बीच किसी और प्रकार का समझौता हो तो यह सभा का समझौता होगा और यह मुझे मान्य होगा। यदि आप नियम 193 के अन्तर्गत निर्णय चाहते हैं, तो ऐसा ही किया जाएगा। यदि आप नियम 184 के अन्तर्गत इस पर विचार करना चाहते हैं तो ऐसा ही किया जायगा . . . **(व्यवधान)**. . . इसीलिए तीन बैठकों का आयोजन किया गया था। इसलिए हम लोगों ने लंबी बातचीत की थी। इसके अलावा, मैं यह कहूँगा कि ये काफी महत्वपूर्ण मामले हैं और प्रत्येक व्यक्ति इनसे संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करना चाहता है। सभी दलों के नेताओं तथा सभा के सदस्यों को मेरा यह सुझाव है कि वे इस चर्चा को शुरू करें और जब चर्चा चल रही हों। तब आप अपना विचार रखें और यदि आप किसी प्रकार एक निष्कर्ष पर पहुँचे कि कोई चर्चा इस तरह या दूसरे तरह से किया जाना है तो हम उसी तरह करेंगे, अन्यथा चर्चा नियम 193 के अन्तर्गत की जायगी।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष जी, अभी आप हाउस का लंच कर दीजिए और इस बीच में सरकार से बात कर लीजिए। मंत्रीजी को चैम्बर में बुला लीजिए। सारा मामला सैटल हो जायगा।

अध्यक्ष महोदय : बात मुझे नहीं, आप बात कर लीजिए। मैं रूलिंग देने जा रहा हूँ।

श्री नीतिश कुमार : अभी आप कोई आफीशियल रूलिंग न दें। इस बीच में सरकार से बात कर लीजिए।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरी समझ से इस प्रस्ताव पर नियम 184 के अन्तर्गत विचार किया जाना चाहिए। इस पर मतदान कराया जाए।

श्री उमराव सिंह (जालंधर) : इसके पहले ही मना कर दिया गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : नहीं, अब तक ऐसा नहीं है . . . **(व्यवधान)** . . . आप अपना अंतिम विचार न दें।

अध्यक्ष महोदय : हमें निष्पक्ष होना चाहिए। यदि नियम 184 के अन्तर्गत मामले पर विचार किया जाएगा तो आप सभी सदस्यों को सूचित कर दें। हम इसे आपके सामने अचानक नहीं रख सकते हैं। यदि इस पर नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा होनी है तो ठीक है किसी भी प्रकार का मतदान नहीं होगा, आप चर्चा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नियम 184 के अन्तर्गत इस पर चर्चा करना चाहते हैं तो मैं सरकार से या आपसे उपस्थित रहने के लिए नहीं कह सकता हूँ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : उन्हें समय दीजिए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : आप इस बीच में मंत्रीजी को चैम्बर में बुलाकर बात कर लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : नीतीश कुमार जी, आप थोड़ा सीरियस हो जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप डिस्कशन स्टार्ट कीजिए। उसके बीच में अगर कुछ होता है तो ठीक है, अन्यथा यह डिस्कशन नियम 193 के अन्तर्गत मानी जायगी।

[अनुवाद]

सभा अब 3.30 म.प. पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

2.20 म.प.

तत्पश्चात् लोकसभा मध्यान्ह के लिए 3.30 म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

3.33 मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 3.33 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

उरुग्वे दौर की मंत्री स्तरीय समापन बैठक के बारे में वाणिज्य मंत्री द्वारा 22-4-1994 को दिये गये वक्तव्य पर चर्चा

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, जब सदन भोजन के अवकाश के लिए उठा, तो प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष में इस बात पर गतिरोध था कि हम वाणिज्य मंत्री के वक्तव्य पर किस रूप में चर्चा करें। चर्चा नियम 184 में हो सकती है, चर्चा नियम 193 में हो सकती है, लेकिन हमारा जोर इस बात पर था कि चर्चा केवल नियम 184 में होनी चाहिए। सदन को न केवल अपनी भावनाएं प्रकट करने का अवसर मिलना चाहिए बल्कि सदस्यों को भी मत-विभाजन के द्वारा देश को यह बताने का मौका मिलना चाहिए कि इस महत्वपूर्ण मौके पर सदन, उसमें उपस्थित पार्टियां, उन पार्टियों के सदस्यों का क्या रूख था, क्या रवैया था।

इस बात का प्रयास हुआ। हम आपके कक्ष में मिले थे और सरकार को समझाने का प्रयास करते रहे कि नियम 184 का कोई प्रस्ताव स्वीकार करने में उन्हें कठिनाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन खेद का विषय है कि हम सत्ता पक्ष की यह बात अभी समझा नहीं सके हैं। हम भी अपनी बात पर कायम हैं कि चर्चा नियम 184 के अन्तर्गत होनी चाहिए, नियम 193 के अन्तर्गत नहीं। यह भी तय हुआ कि इस पर आगे विचार-विनिमय किया जाए। इस पर थोड़ा और समय लेकर अगर हम सत्ता पक्ष को मना सकें तो उसके लिए तैयार हैं और सत्ता पक्ष हमें मना सकें तो हमने अभी अपना दिमाग खुला हुआ रखा है, बन्द नहीं किया है। लेकिन हम यह चाहते हैं कि इस सवाल पर जो बातें प्रारंभ में कही गई थीं, उनके प्रकाश में निर्णय लिया जाए। अगर मत विभाजन को टालना एक उद्देश्य है तो सदन में मत विभाजन इस मुद्दे पर हमेशा के लिए नहीं टाला जा सकता। मान लीजिए कट मोशन आ जाए और कट मोशन में इसी मुद्दे पर जोर दिया जाए और हम मत विभाजन की मांग करें तो क्या उसे टाला जा सकता है ? लेकिन सत्ता पक्ष के दृष्टिकोण को भी हम समझने का प्रयास कर सकते हैं।

इसलिए मेरा अनुरोध है कि यदि सदन की राय हो, सबकी सहमति हो तो आप इस पर अभी चर्चा स्थगित कर दें। हमें बातचीत का और मौका दें जिससे हम अपने पक्ष में सत्ता पक्ष को कर सकें।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : आपने उठते समय नियम 193 कहा था। इस पर आपको कहना चाहिए कि नियम को शिथिल किया जाए।

श्री शरद यादव : (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, नियम 184 के मामले में हमारा पक्का मत है। यदि बहस करनी है तो नियम 184 में ही करनी है। आपने उठते समय नियम 193 में जो कहा था, लोगों को ऐसा एहसास है कि कहा था या नहीं। इसलिए इस सवाल पर अभी गतिरोध है। आपकी तरफ से कोई चीज नहीं कही गई, न ही आपकी रूलिंग आई है। यह इतमिनान हो जाए तो हम मुतमईन हो जाएं।

श्री नीतीश कुमार : सत्ता पक्ष को समझाने के लिए समय लिया जा सकता है लेकिन चर्चा हो तो नियम 184 के अन्तर्गत ही हो। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, जहां तक मैं आपको समझ पाया हूं आपने अल्पावधि के लिए सभा स्थगित करने से पूर्व अपना अन्तिम निर्णय नहीं दिया था। अब मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार का भी इसमें खुलेतौर पर चर्चा कराने का विचार है ताकि इस चर्चा की कुछ उपयोगिता सिद्ध हो सके।

महोदय, मैं अपनी पार्टी की सदस्य प्रो. मालिनी भट्टाचार्य से अनुरोध करूंगा कि इसे प्रस्तुत न करें और इसे तब तक स्थगित रखा जा सकता है, जब तक कि हम यह पता लगाने के लिए चर्चा न कर लें कि क्या सरकार के रूख में कोई परिवर्तन आया है अथवा नहीं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री बंसल, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : कुछ नहीं, **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि इसे स्थगित किया जाना है, तो रेल मंत्री को सभा में होना चाहिये।

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, मैं विपक्ष के नेता के सुझाव का समर्थन करता हूँ। हम भिन्न-भिन्न विचारधाराओं को एक साथ लाने के तरीकों का निश्चित रूप से पता लगायेंगे तथा ऐसा तरीका अपनायेंगे, जिसमें हमारे एक समान विचार हो सकते हों और जो देश के बेहतर और दीर्घावधि हितों में हों।

विपक्ष ने इस विशिष्ट विषय पर चर्चा की मांग की थी। हमने यह रूख अपनाया था कि वस्तुतः इस पर चर्चा की आवश्यकता नहीं है। किन्तु विपक्ष चर्चा चाहता था, इसलिए हम सहमत हुए थे। किन्तु अब वे चर्चा स्थगित रखना चाहतें हैं ताकि इस मामले पर एक दूसरे से चर्चा करने का हम सभी को अवसर मिल कसे। हम आपकी सहायता भी चाहते हैं। महोदय, आपने इस मामले पर विभिन्न दृष्टिकोणों में मतैक्य लाने का प्रयास करने में अपने पदका सदुपयोग किया है। मुझे नियम 193 के अन्तर्गत इस चर्चा को स्थगित करने में कोई आपत्ति नहीं है, हम इसे चर्चा के बाद ले सकते हैं और बाद में उचित समय पर इसके लिए समय निर्धारित कर सकते हैं, और जिस तारीख तथा समय पर इस पर चर्चा की जायेगी। उस पर हम सभी सहमत हैं; अतः जहां तक सरकार का प्रश्न है, हमें कोई कठिनाई नहीं है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : जो बात अटल जी, सोमनाथ जी और शदर यादव जी ने कही। उसको वह कन्फ्यूज कर रहे हैं। इनके कहने का मतलब है कि डिसकशन नियम 193 के अन्तर्गत ही होगा और आप कुछ दिन के लिये इसे मुल्तवी कर दें। यह तरीका ठीक नहीं है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं आपको हिन्दी में समझा देता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने यह बिल्कुल

नहीं कहा कि नियम 193 के अन्तर्गत ही बहस होनी चाहिये। आपने नियम 193 के अन्तर्गत बहस रखी थी और कहा था कि इसको रख कर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरे मामले में जो हमारे मतभेद हैं, उनको दूर करके किसी तरह से हम अपने मत रखने की कोशिश करें जिससे अच्छी तरह से निर्णय हो सके। इसके लिये हम प्रयास करेंगे। हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, यह आप पर निर्भर करता है। हम इस बात के लिये तैयार हैं। अभी डिसकसशन न करें और इसके लिये अगली कोई तारीख रख लें। इस बीच आपस में बैठ कर बात कर लें। अध्यक्ष जी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि वह भी इसमें हमारी सहायता करें जिससे हम इस मामले को ठीक कर सकें। यह अन्तर्राष्ट्रीय महत्व और दूरगामी हितों का मामला है। आपके हित का मामला मैं नहीं मानता हूं। यह मेरे दल या आपके दल का मामला नहीं है। यह राष्ट्रीय हित का मामला है। हम इसके बारे में थोड़ा समय ले लें और आगे बैठकर बात कर लें। फिर इस ढंग से करें जिससे आगे चलकर कठिनाई हमारे देश और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में न हो। इस आशा के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जो वाजपेयी जी ने कहा, उसको मैं मंजूर करता हूं। इस बहस के लिये हम कोई दूसरी तारीख बी.ए.सी. या लीडर्स की मीटिंग बुला कर तय कर लेंगे। **(व्यवधान)**

श्री नीतीश कुमार : यह तो कोलैटिव रिस्पॉसिबिल्टी है। इसमें कोई प्राबलम नहीं है। . . . **(व्यवधान)**.

श्री सोमनाथ चटर्जी : एम.पी.सी.सी. का क्या हुआ ? आप इसके बारे में कुछ बता कर अपना मौन तोड़िये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या वाणिज्य मंत्री कुछ कहना चाहते हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : यदि सभा ने निर्णय लिया है, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं सभा के निर्णय के अनुसार ही चलूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आपसे लम्बे भाषण की उम्मीद है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : रेल मंत्री नहीं हैं और अगला बिजनस लेना है। इसलिये मुझे बुला लिया। इसके लिये मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हम लोग स्थिति को स्पष्ट कर देना चाहते हैं। शुक्ल जी अकेले सारे गतिरोध की जड़ हैं। आज भी हाउस में उठ कर यह कह सकते हैं कि नियम 184 के अन्तर्गत डिकसशन हो सकती है और वह अभी शुरू हो सकती है, लेकिन इसके लिये वह तैयार नहीं है। विपक्ष भी साफ तौर पर अपने मन की बात प्रकट कर चुका है कि डिसकसशन होगी तो नियम 184 के अन्तर्गत होगी और उसमें वह अपनी ओपिनियन को रिकार्ड करायेगा। हम बहस के लिये बहस में शिरकत नहीं करेंगे। यह बात हम आज भी प्रकट कर देना चाहते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए आप कोई निर्णय करें। आपका असर सत्तारूढ़ दल के लोगों पर भी पड़ेगा चूंकि लोगों को सोचने के लिये मजबूर होना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : मेरे से ज्यादा आप असरदार है।

[अनुवाद]

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, यह चर्चा स्थगित करने के बाद, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगले मद को लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : किन्तु रेल मंत्री कहां हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं रेल मंत्री के यहां पहुंचने तक उनका प्रतिनिधित्व करूंगा।

मैं समझता हूं, वे रेल भवन से रवाना हो चुके हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मुझे लगता है कि जब भी कभी हम यहां चर्चा करतें हैं तो देश के हित में और दूरदृष्टि रखकर करते हैं। उसी दृष्टि से दोनों तरफ से भी यह सुझाव आ गया है और जब भी कभी दोनों तरफ से या सब तरफ से सुझाव आ जाता है तो स्पीकर का काम बहुत आसान हो जाता है। आपके कहने के मुताबिक हम इसको आगे बढ़ा देंगे और एक समय निश्चित करके उस समय पर उसकी चर्चा करेंगे। उसके बीच में सब लोग मिलकर इसके बारे में उसकी जरूर चर्चा करेंगे। मैंने यह जरूर कहा था, अपनी रूलिंग में या जो कुछ भी है कि दोनों तरफ से अगर कोई सुझाव होता है और उस प्रकार से आपकी काम करने की इच्छा है तो उस प्रकार से किया जा सकता है। नहीं होगा तो फिर रूल्स के मुताबिक ही अपने को करना है, इतना ही मैंने कहा था। वह कोई दिक्कत पैदा करेगा, मुझे नहीं लगता है, अगर आपमें समझौता, एग्रीमैण्ट आपस में उसके ऊपर हो जाय। इसलिए रूलिंग की भी कोई तकलीफ नहीं होगी, अगर आपमें आपस में समझौता हो गया है, मगर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि डिस्क्शन दिया गया और डिस्कशन हमने नहीं किया और यह भी नहीं होना चाहिए कि डिस्कशन इकतरफा हो, सिर्फ कहने के जैसा नहीं होना चाहिए। ओपिनियन एक्सप्रैस करने के लिए जितना टाइम चाहिए, उतना टाइम, मुझे लगता है कि, इस पर देना चाहिए, उसमें कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। वोटिंग के मायने हैं मगर वोटिंग अलग-अलग तरीके से, जैसा कि वाजपेयी जी ने कहा और नीतीश जी ने शायद कहा, वह भी हो सकता है। कैसे करना है, आप निश्चित कर दीजिए।

मैं इसको पोस्टपोन करता हूं।

रेल्वे मिनिस्टर साहब, आपकी गाड़ी वक्त से पहले आ गई है, इसलिए मैं आपसे रिक्वैस्ट करता हूं कि उसके साथ हम इसको ले लेंगे।

3.48 म.प.

रेल अभिसमय समिति के पांचवे प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के अनुमोदन संबंधी संकल्प अनुदानों की मांगे (रेल), 1994-95 और अनुदानों की अतिरिक्त मांगे(रेल) 1990-91

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा निम्नलिखित मदों पर संयुक्त चर्चा शुरू करेगी, जिनके लिए तीन घंटे नियत किये गये हैं : -

(एक) रेल अभिसमय समिति की सिफारिशों संबंधी संकल्प पर चर्चा;

(दो) वर्ष 1994-95 की अनुदानों की मांगे (रेल) पर चर्चा और मतदान ; और

(तीन) वर्ष 1990-91 की अनुदानों की अतिरिक्त मांगे (रेल) पर चर्चा और मतदान।

हम यह चर्चा समय से कुछ पहले शुरू कर रहे हैं, सम्भवत: आपको बताया गया होगा कि आपको आज आने की जरूरत नहीं है, किन्तु, अब हमने आपसे यहां आने को कहा है, अब आपको संकल्प प्रस्तुत करना है।

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :

''कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर और रेल वित्त तथा अन्य सामान्य वित्त से संबंधित अन्य आनुषंगिक मामलों का पुनर्विलोकन करने के लिए नियुक्त की गई रेल अभिसमय समिति, 1991 के पांचवें प्रतिवेदन, जो 23 फरवरी, 1994 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था, में अंतर्विष्ट पैरा 27, 28, 29, 30, 31 और 34 में की गई सिफारिशों का अनुमोदन करती है।''

अध्यक्ष महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ : -

''कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व की देय लाभांश की दर और रेल वित्त अन्य सामान्य वित्त से संबंधित अन्य आनुषंगिक मामलों का पुनर्विलोकन करने के लिये नियुक्त की गई रेल अभिसमय समिति, 1991 के पांचवें प्रतिवेदन, जो 23 फरवरी, 1994 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, में अंतर्विष्ट पैरा 27, 28, 29, 30, 31 और 34 में की गई सिफारिशों का अनुमोदन करतीं है।''

अध्यक्ष महोदय : सदन में उपस्थित जिन माननीय सदस्यों के वर्ष 1994-95 के अनुदानों की मांगों (रेलवे) संबंधी कटौती प्रस्ताव परिचालित किये जा चुके हैं, वे यदि अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो 15 मिनट के भीतर सभा-पटल पर पर्चियां भेज दें जिनमें उन कटौती प्रस्तावों की संख्यायें लिखी हों जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं। केवल उन्हें कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया माना जायेगा।

इस प्रकार प्रस्तुत किये गये कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्याओं को दर्शाने वाली एक सूची तुरन्त सूचना-पट्ट पर लगा दी जायेगी। यदि किसी सदस्य को उस सूची में कोई गलती मिले, तो उसे उसकी सूचना

अविलम्ब सभा पटल पर कार्यरत अधिकारी को देनी चाहिये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

''कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 16 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षो के संबंध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में भुगतान के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।''

''कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संबंधित अनुदानों से अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें : -

मांग संख्या 9, 10, 13, 14, 15, और 16''

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1994-95 के लिए
अनुदानों की मांगे (रेलवे)

मांग की संख्या	मांग का नाम	लेखा अनुदान की मांग की राशि जिसकी स्वीकृति सदन द्वारा 9.3.94 को दी गई थी।	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि
1	2	3	4
1.	रेलवे बोर्ड	2,47,67000	12,38,33,000
2.	विविध व्यय (सामान्य)	14,47,83000	72,39,17,000
3.	रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	113,42,31,000	567,11,53,000
4.	रेलाध और निर्माण कार्यो की मरम्मत और अनुरक्षण	240,52,66,000	120,63,30,000
5.	रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	177,73,39,000	888,66,93,000
6.	सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	253,76,57,000	1268,82,87,000
7.	संयंत्र और उपस्करों की मरम्मत और अनुरक्षण	124,67,82,000	623,39,10,000
8.	परिचालन व्यय-चल स्टाक और उपस्कर	198,50,40,000	992,52,00,000
9.	परिचालन व्यय-यातायात	821,62,96,000	1778,14,82,000
10.	परिचालन व्यय-ईधन	513,45,88,000	2567,29,43,000

		अनुदानों की अतिरिक्त मांगे(रेल) 1990-91
11.	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	89,54,35,000	447,71,74,000
12.	विधि संचालन व्यय	117,84,91,000	589,24,58,000
13.	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ	285,12,12,000	1425,60,59,000
14.	निधियों में विनियोग	996,66,67,000	4983,33,33,000
15.	सामान्य राजस्व का लाभांश, सामान्य राजस्व से लिये गये ऋण की अदायगी और अतिपूंजीकरण का परिशोधन		1372,00,00,000
16.	परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव		
	राजस्व	7,50,67,000	37,53,33,000
	अन्य व्यय पूंजी	191,03,07,000	955,15,38,000
	रेलवे निधियां	17,98,34,16,000	8991,70,81,000

लोकसभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1990-91 के लिए अनुदानों की अतिरिक्त मांगे (रेलवे)

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत मांग की राशि
1	2	3
9.	परिचालन व्यय-यातायात	22,06,19,644
10.	परिचालन व्यय-ईधन	1,12,74,056
13.	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ	19,05,56,103
14.	निधियों में विनियोग	56,99,15,636
15.	सामान्य राजस्व की लाभांश, सामान्य राजस्व से लिये गये ऋण की अदायगी और अतिपूंजीकरण का परिशोधन	2,40,41,765
16.	परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव	
	अन्य व्यय पूंजी	169,25,50,396
	रेलवे निधियां	1,61,56,893

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, मद संख्या 18, 19 और 20 पर एक साथ चर्चा होगी और फिर उन पर मतदान होगा।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री रेलवे कन्वैशन कमेटी के मैम्बर हो गए हैं, इसके लिए हम बधाई देते हैं।

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : हमारी कमेटी में आपने इनका नोमिनेट कर दिया है, इसके लिए बधाई।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री या रेल मंत्री समिति के सदस्य रहे हैं।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम धूमल (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर और रेल वित्त तथा अन्य सामान्य वित्त से संबंधित मामलों का पुनर्विलोकन करने के लिए नियुक्त की गई रेल अभिसमय समिति के प्रतिवेदनों और बजट के बारे में जो प्रस्ताव रखा गया है, मैं उनके बारे में विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

3.53. (म.प.)

उपाध्यक्ष महोदय : जिस प्रकार से रेलवे कन्वैशन समिति के सदस्यों की अनदेखी करके रेल मंत्रालय निर्णय लेता रहा, उसके अनुसार तो हमें लग रहा था कि रेलवे कन्वैशन कमेटी की बिल्कुल कोई रिलैवेंस है ही नहीं, लेकिन अध्यक्ष महोदय द्वारा रेल मंत्री को ही स्वयं रेलवे कन्वैंशन कमेटी का सदस्य मनोनीत किया गया है, मैं समझता हूं कि जो महत्व इस समिति का समाप्त हो गया था, वह अब उनके मनोनीत होने से बढ़ गया है। अब जबकि रेल मंत्री उस समिति में स्वयं हैं, तो पहले जिस तरह से अनदेखी की गई है। हमारी रिपोर्ट्स की, आगे से ऐसा नहीं होगा और रेल मंत्री का हम रेलवे कन्वैशन कमेटी में आने का स्वागत करते हैं। रेलवे कन्वैंशन कमेटी जो बहुत लम्बे विचार विमर्श के बाद अपनी रिपोर्टस तैयार करे और उन पर रेल मंत्रालय ध्यान देने के लिए तैयार नहीं हो और अब जब रेल मंत्री समिति के सदस्य होगें, तो हमें आशा है कि अब उन रिपोर्टस को महत्व और गरिमा प्राप्त होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के कुछ विभाग, भारत की एकता और अखण्डता के प्रतीक हैं। भारत की सेना जाति, धर्म और प्रदेश के फेर के बिना सारे देश के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे सामने हैं, इसी प्रकार रेल मंत्रालय का भी पहले प्रभाव था। मैं यहां पहले शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। दुर्भाग्यवश कुछ वर्षों से ऐसी विचित्र स्थिति पैदा हुई है कि रेल विभाग अब सीमित होकर रह जाता है उस प्रदेश तक जहां से रेल मंत्री हो

और कई बार तो उस प्रदेश के उस चुनाव क्षेत्र से जहां से रेल मंत्री हो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस प्रदेश से आता हूं जहां प्राकृतिक साधन तो हैं लेकिन उनका सदुपयोग नहीं हो पाया। प्रदेश में आर्थिक संकट लगातार रहता है और एक समय में कल्पना थी कि छोटे-बड़े प्रदेश सब को मिला कर समृद्धि करनी है, आगे बढ़ना है तो उसके लिए भारत सरकार के जो प्रमुख विभाग थे उनकी ओर से यथासंभव सहायता इन प्रदेशों को दी जाती थी जो प्रदेश आर्थिक तौर पर पिछड़े है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिमाचल प्रदेश में स्वतंत्रता के बाद मात्र 17 किलोमीटर रेल लाइन का निर्माण हुआ है। एक बहुत महत्वपूर्ण रेल लाइन पंजाब में नंगल से हिमाचल प्रदेश से होते हुए तलवाड़ा में और फिर पंजाब में मिलनी थी। उसका नींव पत्थर 1973 में तत्कालीन रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा जी ने रखा था लेकिन आज तक वह रेल लाइन मात्र 17 कि.मी. बनी है।

महोदय, मैं अभी तीन दिन पहले ऊना तक वह रेल लाइन चलती है। मैंने कई बार रेल मंत्री जी से उसका समय बदलने के लिए आग्रह किया। पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है इस बात को लेकर वहां जो एक मात्र गाड़ी चलती है उसका भी समय बदल दिया गया था। हम बार-बार लिख रहे हैं कि उसको शाम को 7 बजे के बाद चलाइये ताकि लोग सवेरे दिल्ली पहुंचे। . . . **(व्यवधान)** . . . फिर वह वापस रात को चले ताकि अगले दिन सुबह वह ऊना पहुंचे, लेकिन जब हम पत्र लिखते हैं तो हर बार यही उत्तर आता है कि मामले को दिखवाया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब मैंने शुरू में कहा कि जो रेल विभाग हैं इसको भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक मानते थे। हिमाचल प्रदेश छोटा प्रदेश है वहां से कभी कोई रेल मंत्री बना नहीं और किसी रेल मंत्री को उस प्रदेश पर दया नहीं आई कि रेल लाइन को आगे बढ़ाओ। . . . **(व्यवधान)** . . . क्या आप इसको कुछ आगे बढ़ाने का प्रावधान करेंगे। हमारी एक ही रेल लाइन है जो केवल 17 कि.मी. बनी है। 1973 से लेकर 1994 तक 21 वर्ष में केवल 17 कि.मी. ही रेल लाइन बनी और वह भी उद्घाटन 10 जरवरी, 1991 को हो गया, उसके बाद एक ईच भी रेल लाइन आगे नहीं बनी। इतना ही नहीं जब पोंग डेम का निमांण हुआ तो पंजाब में मुकेरिया से तलवाड़ा तक रेल लाइन, उन मजदूरों को जो मजदूर उस डेम पर काम कर रहे थे तो उस समय रेल लाइन बिछाई गई उसकी साइडिग को लेकर, उसका अपने पास प्रबंध लेकर रेल विभाग द्वारा उसको फिर मुकेरिया से जोड़ना था। नंगल से होते हुए ऊना, तलवाड़ा और फिर मुकेरिया, ये सारी रेल लाइन बिछी हुई है। इसके लिए हम कई बार लिख चुके हैं कि इस रेल लाइन को आप टेक ओवर करिए और इससे भी आप मुकेरिया से एक ट्रेन चला सकते हैं जिससे हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा का बहुत महत्वपूर्ण भाग कवर होता है, लेकिन हर बार आर्थिक साधनों की कमी हिमाचल प्रदेश में रेल लाइन के विकास के बीच में आड़े आ रही है।

महोदय, कालिका से लेकर शिमला रेल लाइन, पठानकोट मे लेकर जोगिदरनगर तक की रेल लाइन आजादी से पहले बनी थी उसमें एक ईच की भी वृद्धि नहीं हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, भानुपती नांगल के पास एक स्थान है, वहां से लेकर रामपुर तक रेल लाईन का सर्वे

हो चुका है। और रिर्पोट में यह भी कहा गया है कि यह लाईन लाभदायक है, क्योंकि बिलासपुर, बरभाणा में एसीसी सीमेंट का कारखाना है। इसी तरह से सोलन जिले में भी याडला घाट में एक सीमेंट का कारखाना है। इस रेल लाइन का निर्माण करने से जहां हिमाचल प्रदेश को रेलवे की सुविधा प्राप्त होगी, वहीं सारे देश को भी लाभ होगा, क्योंकि सीमेंट सस्ती दर पर उपलब्ध हो सकेगा। इसलिए मेरी मांग है कि भानूपती, बरभाणा, बिलासपुर, रामपुर, रेल लाइन, जिसका सर्वेक्षण हो चुका है, इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे सारे देश को जोड़ने का काम करती है। कशमीर में परिस्थितियां खराब होने से आज पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आना चाहते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के लिए एक भी रेलगाड़ी की घोषणा नहीं की गई। यदि मंत्री महोदय ने कर्नाटक तक ही अपने आप को सीमित कर लिया है तो मैं कहना चाहता हूं कि कर्नाटक के लोग भी हिमाचल आना चाहते हैं, लेकिन आपने दक्षिण में, पश्चिम से उत्तर को जोड़ने के लिए कोई ट्रेन पठानकोट या कालका के लिए नहीं चलाई। आज दक्षिण से, पश्चिम से पर्यटक पहले दिल्ली तक आता है और यहां पर ट्रेन ढूंढता है या टैक्सी करके हिमाचल प्रदेश में आता है। दक्षिण, पश्चिम के राज्यों से कालका या पठानकोट के लिए ट्रेन चलने से रेलवे को भी आर्थिक लाभ होगा, हिमाचल को भी पर्यटकों के आने से आर्थिक लाभ होगा और दक्षिण, पश्चिम से उत्तर के राज्यों को ट्रेन लिंक मिल सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, कालका मेल अमृतसर से होकर कालका तक चलती थी, जिससे पंजाब के लोग अमृतसर से चल कर कालका तक जाते थे। . . . **(व्यवधान)** . . .

उसमें चंडीगढ़ भी कवर होता था, जालंधर से आने वाले माननीय सदस्य उमराव सिंह जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मुझे आशा है कि वे जालंधर के लिए सुपर फास्ट ट्रेन की मांग करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और पश्चिम से आने वाले यात्रियों को जोड़ने के लिए कालका मेल एक महत्वपूर्ण कड़ी थी, लेकिन पंजाब में जब परिस्थिति ठीक नहीं थी, तब कानून-व्यवस्था की बात करके इस ट्रेन को बंद कर दिया गया था। मैं कहना चाहता हूं कि अब तो पंजाब में स्थिति शांतिपूर्ण है, अब तो वहां ब्रांच लाईनों पर भी गड़ियां चल रही हैं, तो कालका मेल को भी फिर से चलाने की घोषणा शीघ्र की जाए।

आज रेल मंत्री सारे देश में गेज कनवर्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में गेज कनवर्शन की कोई बात नहीं की गई है। इतना ही नहीं कालका से परवाणू तीन किलामीटर का फासला है और परवाणू एक औद्योगिक नगर के रूप में विकसित हो रहा है। पिछले दिनों रेल मंत्री जी वहां होकर भी आए है और आपके सदस्य भी इस बात की मांग करते रहे हैं। हरियाणा से माल आता है तो वो पहले कालका में उतरता है, वहां चुंगी, टैक्स आदि क्लीयर किए जाते हैं और फिर 3 किलोमीटर परवाणू तक नैरो गेज से सामान ले जाया जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस 3 किलोमीटर लाईन को शीघ्र ब्राड गेज में कनवर्ट कराने की घोषणा की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, यह तो मैं विसंगतियों और प्रादेशिक असंतुलन की बात कर रहा था। रेल मंत्री जिस

प्रदेश का होता है, वहां के लिए नई रेलें चलाई जाती है, वहीं कनवर्शन का काम होता है, लेकिन मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे बहुत से शांतिप्रिय क्षेत्र है जहां के निवासियों का देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

वहां पर आंदोलन कम होते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होना चाहिए जहां-जहां हिंसक आंदोलन हों तो वहां प्रगति की बात करें। आपने श्रीनगर के लिए लाईन बढ़ाने का प्रावधान किया है तो उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हिमाचल प्रदेश के लिए आपको ऐसा सोच क्यों नहीं आया ? क्या आप चाहेंगे कि वहां पर उग्रवादी आंदोलन शुरू हो और फिर आप कहेंगे कि बाकी जो बची हुई रेल लाईन है उसको पूरा करने के लिए प्रयत्न करेंगे। ऐसा सोच नहीं होना चाहिए कि हिंसक आंदोलन के बाद काम किया जाएगा। हिमालच प्रदेश के अधिकतर लोग सेना और अर्ध-सैनिक बलों में देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। वह प्रदेश आर्थिक तौर पर कमजोर है लेकिन उसकी जो आर्थिक कमी है उसको पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। हमारे पास प्राकृतिक साधन हैं, इतने हैं कि वहां पर सीमेंट के कारखाने लग सकते हैं अगर रेल की सुविधा प्राप्त हो। मुझे विश्वास है रेल मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे।

दूसरी बात सेवाओं में सुधार के बारे में कहना चाहूंगा। पिछले वर्ष रेल बजट पर चर्चा आरंभ हुई तो मैंने कहा था कि रेल यात्रियों के लिए कुछ सुविधाएं होनी चाहिए जैसे- पीने का पानी उपलब्ध कराना और शौचालयों में साबुन उपलब्ध कराना। मैंने कहा था कि अगर सरकार इसको आर्थिक संकट समझे तो वह टिकट के साथ 25 पैसे चार्ज कर लें और द्वितीय श्रेणी में साबुन उपलब्ध करा दे जो कि आवश्यक चीज है क्योंकि अधिकतर लोग द्वितीय श्रेणी में यात्र करते हैं। मुझे लिखित में उत्तर आया कि आपका सुझाव अच्छा है लेकिन हम ऐसा कर पाने में असमर्थ है।

4.07 (म.प.)

(श्री नीतीश कुमार पीठासीन हुए)

सभापति महोदय, रेल सेवाओं में कैसे सुधार आएगा जब ये हाथ धोने के लिए साबुन उपलब्ध कराने में असमर्थ है। इस तरह से खान-पान सेवाओं में जो गिरावट आ रही है। उस और भी रेल मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। सारा काम ठेके पर धडाधड हो रहा है लेकिन उसके ऊपर कोई कंट्रोल या देखभाल नहीं हैं या जिनको ठेका देते हैं तो उनसे पैसा लेकर बात खत्म हो जाती है। यात्री पैसा खर्च करके टिकट लेते हैं तो उनकी सेवाओं में सुधार होगा या नहीं, क्या इस बारे में आपकी जिम्मेदारी नहीं है ? अभी पिछले दिनों मैं यात्रा कर रहा था। रेल कर्मचारियों के कुछ नेता मुझे मिले थे। उन्होंने कहा कि बंबई से जम्मू तक सुपरफास्ट ट्रेन जाती है उसकी दो तीन बार दुर्घटना होते-होते बची। उनसे मैंने इसका कारण पूछा। उन्होंने कहा कि रेल लाईन के साथ पत्थर बिछाने और रिपेयर का काम ठेके पर दिया गया था। इस मामले में पी डब्यलु आई की जिम्मेदारी होती है जो कि सुपरविजन करता हैं इसमें इस इन्सपैक्टर का कितना अधिकार हो सकता है। उन्होंने कहा कि जब ठेकेदार को पूछा कि तुमने कोई लाल कपड़ा नहीं लगाया या पटाखे नहीं रखें। जिससे दुर्घटना न हो क्योंकि लाल कपड़ा

देखकर या पटाखे की आवाज सुनकर रेल रूक सकती है। आखिर रेल लाईन के नीचे वह जगह खोखली हो चुकी थी। ड्राईवर ने जोर से ब्रेक लगाया तो ट्रेन उल्टे होते-होते बची ठेकेदार से कहा तो उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं है कि ऐसा कुछ करना चाहिए। यह ठेकेदारी सिस्टम कहां-कहां हो सकता है। इसको भी आपको देखना चाहिए। लुधियाना में लोको-शेड के कर्मचारी मुझसे मिले, वहां 40० कर्मचारी सरप्लस हो रहे हैं, आप इसकी जांच करवाईये। दिल्ली, अम्बाला और लुधियाना लाइन का विद्युतीकरण हो रहा है। वैसे तो इस देश में कहने को आर्थिक संकट है, लोको-शेड बन्द करके डीजलाइज कर रहे हैं और वे इंजन सरप्लस होकर स्क्रैप में जायेगे। फिर दो साल बाद विद्युतीकरण हो जायेगा तो और खर्चा होगा, जब यह हो सकता है तो वे कर्मचारी भी वहां टिके रह सकते थे। आप दो साल और इंतजार कर सकते थे। मेरा निवेदन है कि उनको अभी न हटाया जाये। पहले डीजल इंजन और फिर विद्युतीकरण करेंगे इसकी आवश्यकता नहीं हैं यह तो मैंने एक सेक्शन की बात कही है, हिन्दुस्तान में आप कहां-कहां क्या-क्या कर रहे हैं, यह आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं।

क्षेत्रीय असंतुलन जो बढ़ रहा है, उसको दूर किया जाये। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति रेलवे का जो काम है, रेल लाइन सारे देश को जोड़ती है उसमें जो भेदभाव हो रहा है, उसको दूर किया जाये। यात्रियों की सुविधा के लिए ए.सी. कोच लगाये जाये। मैंने हिमाचल प्रदेश में जो यहां से ऊना तक चलती है, उसमें कई बार आपको कहा है कि एक ए.सी. कोच लगा दें। पहले तो यह कहा जाता रहा है कि जैसे ही कोई कोच उपलब्ध होगा, लगा दिया जायेगा, लेकिन कई वर्षो से उसको लटकाया जा रहा है। वहां से क्षेत्र के सांसद, मंत्री और विधायक दिल्ली आते-जाते रहते हैं, उनको दिक्कत होती है। दुखदाई स्थिति यह है कि कई बार स्टेशन पर ही घोषणा कर दी जाती है कि जिन लोगों ने प्रथम श्रेणी का टिकट लिया है, वे दूसरे डिब्बे में बैठ जाये, क्योंकि वह उपलब्ध नहीं है, ए.सी. और चेयर कार की तो बात ही छोड़िये, यह स्थिति भी वहां हो जाती है। एक तरफ आप हिन्दुस्तान के हिस्से में सुपर फास्ट, राजधानी एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेस चलाते हैं और दूसरी तरफ अन्य हिस्से में आप ए.सी. स्लीपर की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। मैं आपको कम से कम एक दर्जन बार मिल चुका हूँ और पत्र तो पता नही कितनी बार लिख चुका हूँ कि कम से कम हिमाचल एक्सप्रेस में एक ए.सी. कोच की व्यवस्था कर दें। यह गाड़ी यहां से रात को चलती है और सवेरे वहां पहुंचती है। आप यह व्यवस्था कर दे कि यह ऊना से शाम को सात बजे चले, क्योंकि अब तो पंजाब की स्थिति भी ठीक है। उसका एक फायदा पोस्ट और टेलीग्राफ वालों को भी होगा। सारे प्रदेश की चिट्ठियां सवेरे यहां पहुंच जायेगी। ऐसा नहीं होने पर लोग कुरियर के द्वारा अपनी मेल भेज रहे हैं और डाक विभाग घाटे में जा रहा है।

सभापति महोदय, मैं फिर रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करे और जैसे मैंने प्रारंभ में कहा था कि आर सी सी का जो महत्व समाप्त हो गया था तो अब हमें लगता है कि चूंकि वह भी उसके सदस्य थे तो उनके पदार्पण से जो समिति की पुरानी रिर्पोट्स है उस पर भी वे गौर करेंगे। अब उसकी अवमानना करना उनके लिए मुश्किल होगा। पहले जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स बहुत समय लगाकर तैयार की गई और सभापति महोदय, आप भी इस समिति के माननीय सदस्य है, आपने भी देखा कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब माननीय रेल मंत्री जी उसके सदस्य हैं तो मुझे आशा है कि उस समिति

को भी उसकी वह गरिमा प्राप्त होगी और जो सुझाव मैंने दिये है तथा जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनकी तरफ भी आपका ध्यान जाएगा, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री सुब्रत मुखर्जी (रायगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं : -

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

(एकलाखी से बालुरघाट तक बड़ी रेल लाइन का निर्माण कार्य शुरु करने में असफलता।)।

(पूर्वोत्तर फरन्टियर रेलवे में विद्युतीकरण कार्य शुरू करने में असफलता।) 2

(मासिक और द्वितीय श्रेणी के किराये के सम्बन्ध में छूट सीमा को 250 किलोमीटर तक बढ़ाये जाने में असफलता।) 3

(मासिक सीजन टिकटों और द्वितीय श्रेणी के यात्री किरायों में की गई वृद्धि को वापस लेने में असफलता।) 4

मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(न्यू जलपाईगुडी और सियालदाह के बीच एक और एक्सप्रेस गाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता।) 5

(नार्थ ईस्टर्न एक्सप्रेस को डलखोला स्टेशन पर ठहराये जाने की आवश्यकता।) 6

(दार्जिलिंग मेल की समय पाबंदी बनाये रखने की आवश्यकता।) 7

(दार्जिलिंग मेल के पुराने कोचों को नये कोचों में बदले जाने की आवश्यकता।) 8

(मालदाह, किशनगंज डालखोला और आलूबारी रेलवे स्टेशनों पर और अधिक यात्री सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।) 9

(मालदाह स्टेशन पर कम्प्यूटर आरक्षण सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।) 10

मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया कम किया जाए "

(गुवाहाटी और नई दिल्ली के बीच प्रस्तावित राजधानी एक्सप्रेस को नार्थ फ्रंटियर रेलवे के प्रशासकीय नियंत्रण में लाने में असफलता। 1957)

(पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए सियालदाह/हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी ओर सियालदाह/हावड़ा और गुवाहाटी के बीच राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस शुरू किए जाने में असफलता। 1958)

(पूर्वी रेलवे के वर्धमान और आसनसोल स्टेशनों के बीच ई.एम.यू. गाड़ी शुरू करने में असफलता। 1959)

(हावड़ा और असानसोल के बीच विद्युत इंजन से चलने वाली गाड़ी 2305/2306 शुरू करने और आसनसोल पर गाड़ी को ठहरा कर राजस्व अर्जित करने में असफलता। 1960)

श्री जितेन्द्र नाथ दास (जलपाई गुडी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

" कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

(डलखोला स्टेशन पर उच्च श्रेणी विश्रामालय बनाये जाने की आवश्यकता।) 11

(गुवाहटी रेलवे स्टेशन पर लम्बी दूरी की मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के लिए समय पाबंदी बनाये रखने हेतु बड़ी लाइन वाले और अधिक प्लेटफार्म बनाये जाने की आवश्यकता।) 12

(बोरसाई से राधिकापुर तक मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता।) 13

(एकलाखी से बालुरघाट तक बड़ी रेल लाइन का निर्माण शुरू करने की आवश्यकता) 14

(सियालदाह और गुवाहाटी के बीच शताब्दी एक्सप्रेस चलाये जाने की आवश्यकता) 15

(डलखोला रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता।) 16

(कंचनजंगा एक्सप्रेस, अवध-असम एक्सप्रेस को डलखोला ओर आलूबारी रोड स्टेशनों पर ठहराये जाने की आवश्यकता।) 17

(कंचनजंगा एक्सप्रेस को सामसी और हरीशचन्द्र स्टेशनों पर ठहराये जाने की आवश्यकता।) 18

(कटिहार से सियालदाह तक प्रस्तावित रेलगाड़ी को कुमेदपुर, हरीचन्द्रपुर ओर सामसी पर ठहराये जाने की आवश्यकता।) 19

(कटिहार-सियालदाह तक प्रस्तावित रेलगाड़ी को न्यू जलपाईगुडी तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता।)20

"कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(राष्ट्रीय राजमार्ग-34 पर डलखोला फाटक पर एक फ्लाई ओवर का निर्माण किये जाने की आवश्यकता।) 21

(राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर किशनगंज फाटक पर एक फ्लाई ओवर का निर्माण किये जाने की आवश्यकता।) 22

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

("एकलाखी-बालुरघाट" रेलवे लाइन के संबंध में स्वीकृत योजना को क्रियान्वित किये जाने में असफलता।) 23

(गाड़ियों को समय पर चलाये जाने में असफलता।) 24

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(आरक्षित टिकटों पर यात्रा कर रहे यात्रियों को सुरक्षा प्रदान किये जाने की आवश्यकता।) 25

(रेल दुर्घटनाओं को रोक जाने की आवश्यकता।) 26

(यात्रियों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।) 27

(स्टेशनों पर आरक्षण के लिए कम्प्यूटर सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।) 28

(रेलवे किरायों में हाल में हुई वृद्धि को कम किये जाने की आवश्यकता।) 29

(कंचनजंगा एक्सप्रेस में लगी पुरानी बोगियों को नई बोगियों में बदले जाने की आवश्यकता।) 30

(रेलगाड़ियों और डिब्बों का उचित रख-रखाव सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता।) 31

(न्यू जलपाई गुड़ी और अलीपुर द्वार के लोको शेड़ों में कार्यरत सभी कामगारों के लिए उचित कार्य उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।) 32

(गाड़ियों में दिये जा रहे भोजन की गुणवत्ता में सुधार किये जाने की आवश्यकता।) 33

(कूचबिहार/एन.जे.पी. और सियालदाह/हावड़ा के बीच शताब्दी जैसी गाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता।) 34

(नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस या ब्रह्मपुत्र मेल को मैनागुड़ी, जलपाईगुड़ी पर ठहराये जाने की आवश्यकता।)35

(गुवाहाटी और नई दिल्ली के बीच राजधानी जैसी एक दैनिक रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता।) 36

(गुवाहटी और सियालदाह के बीच राजधानी जैसी एक रेलगाड़ी को रोजाना चलाये जाने की आवश्यकता।) 37

(हल्दीबाड़ी और सियालदाह के बीच टीसता-टोरसा एक्सप्रेस को रोजाना चलाये जाने की आवश्यकता।) 38

(हल्दीबाड़ी से शुरू होने वाली टीसटा-टोरसा में प्रथम श्रेणी/वातानुकूलित दूसरा श्रेणी का डिब्बा लगाये जाने की आवश्यकता।) 39

"कि विविध व्यय शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

(एकलाखी-बालुरघाट रेलवे परियोजना को क्रियान्वित किये जाने की आवश्यकता।) 40

"कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जाये।"

(रेलवे में व्यापक स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाये जाने की आवश्यकता।) 41

(यात्रियों को कम से कम न्यूनतम सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।) 42

(रेलवे किरायों में हुई वृद्धि को वापस लिये जाने की आवश्यकता।) 43

(सभी रेलवे स्टेशनों पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।)
44

"कि रेलपथ और निर्माण कार्यों से संबंधित मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाये।"

(जलपाईगुड़ी टाउन और रोड रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण किये जाने की आवश्यकता।) 45

(सिलिगुड़ी टाउन के भीतर फाटक पर एक फ्लाई-ओवर बनाये जाने की आवश्यकता।) 46

"कि विधि संचालन व्यय शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(रेलवे रेस्ताराओं में खान-पान और सफाई सेवाओं में सुधार किये जाने की आवश्यकता।) 47

"कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

(मालदाह से गुवाहटी तक दोहरी लाइन बिछाने के लिए स्वीकृत योजना को क्रियान्वित किये जाने की आवश्यकता।) 48

"कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(सिलीगुड़ी जंक्शन और अलीपुर द्वारा के बीच लाइनों के गेज परिवर्तन कार्य को शुरू किये जाने की आवश्यकता।) 49

(मालदाह गुवाहटी रेल लाइनों का विद्युतीकरण किये जाने की आवश्यकता।) 50

(न्यू जलपाईगुड़ी रेल और सिलीगुड़ी के बीच लाइनों के गेज परिवर्तन कार्य शुरू किये जाने की आवश्यकता।) 51

(मालदाह और गुवाहाटी के बीच दोहरी रेल लाइन बिछाये जाने की योजना को कार्यान्वित किये जाने की आवश्यकता।) 52

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

(हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस में अंग्रेजी और हिन्दी के साथ-साथ बंगाली में घोषणा करने की आवश्यकता।) 96

(2305/2306 के आसनसोल में रूकने की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता।) 97

(2301/2302 को प्रतिदिन चलाने और उसके आसनसोल में रूकने की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता।) 98

(हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस के वर्तमान ठहरावों की समीक्षा करने की आवश्यकता।) 99

(हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस के स्तर में सुधार की आवश्यकता।) 100

(हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस में दी जाने वाली चिकित्सा सुविधाओं में सुधार करने की आवश्यकता)। 101

(हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस के परिचारकों (स्टुवर्डों) के पदनाम को बदल कर उप-अधीक्षक करने की आवश्यकता।) 102

(हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस के धावन समय (रनिंग टाइम) को कम करने की आवश्यकता।) 103

(ए.सी. थ्री-टीयर के यात्रियों को निःशुल्क बिस्तर प्रदान करने की आवश्यकता।) 104

(हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस को समय से चलने की आवश्यकता।) 105

आर.ए.सी. प्रणाली को समाप्त करने की आवश्यकता।) 106

(आर.ए.सी. प्रणाली के समाप्त होने तक ए.सी. थ्री-टीयर के आर.ए.सी. यात्रियों को बिस्तर प्रदान कराये जाने की आवश्यकता।) 107

(प्रत्येक श्रेणी की क्षमता के अनुसार प्रतीक्षा सूची टिकटों का 10 प्रतिशत जारी करने की आवश्यकता।) 108

(हावड़ा-राजधानी एक्सप्रेस का गति को बढ़ाये जाने की आवश्यकता।) 109

(हावड़ा-राजधानी एक्सप्रेस की पेंटरी कारों में यात्रियों के लिए सीट आरक्षित करने, जिससे यात्रियों को असुविधा होती है, को रोकने की आवश्यकता।) 110

(हावड़ा-राजधानी एक्सप्रेस में खान-पान सेवा में सुधार करने की आवश्यकता।) 111

(हावड़ा-राजधानी एक्सप्रेस में लिनन के कपड़े को ठीक तरह से साफ रखने की आवश्यकता।) 112

(हावड़ा-राजधानी एक्सप्रेस में लिनन के पुराने कपड़े को बदलने की आवश्यकता।) 113

(हावड़ा-राजधानी एक्सप्रेस के कांच सहायकों को वर्दी ओर बैज प्रदान करने की आवश्यकता।) 114

(हावड़ा-राजधानी एक्सप्रेस के टी.एस. खान-पान निरीक्षकों और परिचारकों (स्टवुर्डो) को एक समान वर्दी प्रदान करने की आवश्यकता।) 115

(हावड़ा-राजधानी एक्सप्रेस के कर्मचारियों को कम से कम न्यूनतम रखरखाव सामग्री प्रदान करने की आवश्यकता।) 116

(हावड़ा-राजधानी एक्सप्रेस में पुनः गीजर लगाने की आवश्यकता।) 117

(हावड़ा-राजधानी एक्सप्रेस पूरे समय जल की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध करने की आवश्यकता।) 118

(हावड़ा-राजधानी एक्सप्रेस के पुस्तक विक्रेताओं को खानपान कर्मचारियों के रूप में नियमित करने की आवश्यकता।) 119

(हावड़ा-राजधानी एक्सप्रेस के सभी खान-पान कर्मचारियों के लिए पेंटरी कारों में डिब्बे प्रदान करने की आवश्यकता।) 120

(हावड़ा-राजधानी एक्सप्रेस के डिब्बों को ठीक तरह से साफ रखने करने की आवश्यकता।) 121

(हावड़ा-राजधानी एक्सप्रेस एक नियमित यातायात अधीक्षक नियुक्त करने की आवश्यकता।) 122

"रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके एक रुपया किया जाए।"

(हावड़ा, सियालदाह और आसनसोल डिवीजनों के स्टेशनों पर तथा रेलगाड़ियों में न्यूनतम यात्री सुविधायें उपलब्ध कराने में आवश्यकता।) 127

(उपनगरीय यात्री किराये को 1990 के स्तर पर लाने में असफलता।) 128

(देश के हित की अनदेखी करके स्विट्जरलैण्ड की एशिया ब्राउन बोवेरी कंपनी से 30 विद्युत इंजनों का आयात करने के आदश को रद्द करने में असफलता।) 129

(हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस में परिचरों के पद-नाम को बदलकर उप गाड़ी अधीक्षक करने में असफलता।) 130

(वैगन इंडिया लिमिटेड के पंजीकृत सदस्यों को वैगनों के लिए आदेश देने में असफलता।) 131

"रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

(पश्चिम बंगाल की चार परियोजनाओं, अर्थात् पूर्व रेलवे की अहमदपुर-कटवा, बर्द्धमान-कटवा, शांतिपुर-नवद्वीप घाट तथा दक्षिण पूर्व रेलवे के अन्तर्गत बी.डी.आर. रेलवे, को गेज परिवर्तन के कार्यक्रम को शामिल किये जाने में असफलता।) 506

("पैलेस ऑन व्हील" परियोजना के अन्तर्गत पूर्व तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों को शामिल किये जाने में असफलता।) 507

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाये।"

(घाटे पर चलने वाले सभी रेल मार्गों को अर्थसक्षम बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने की आवश्यकता।) 745

(आरक्षण केन्द्र में कदाचारों को रोकने के लिए कारगर कदम उठाये जाने की आवश्यकता।) 746

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

(रेलवे द्वारा प्रस्तावित सप्ताहान्त अवकाश कार्यक्रमों में अधिक प्रसिद्ध पर्यटक मार्गों अर्थात् कलकत्ता-दीघा, कलकत्ता-सुन्द्रबन, कलकत्ता-मुर्शीदाबाद-पलसासी कलकत्ता-विष्णुपुर,कलकत्ता-शांति निकेतन-बोलपुर, एनजेपी-दार्जिलिंग को

सम्मिलित करने में असफलता।) 848

(भारतीय रेल के "पैलेस ऑन व्हील" कार्यक्रम में कलकत्ता शांतिनिकेतन और कलकत्ता दार्जिलिंग को सम्मिलित करने में असफलता।) 849

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

(न्यू जलपाईगुड़ी में रेलवे का डिवीजनल कार्यालय खोलने की आवश्यकता।) 1429

(कटिहार-सियालदह यात्री गाड़ी को न्यू जलपाईगुड़ी तक बढ़ाने की आवश्यकता।) 1430

(तीसता-तारेश एक्सप्रेस में मोयनागुडी और जलपाईगुडी स्टेशन के लिए आरक्षण कोटा बढ़ाने की आवश्यकता।) 1431

(तिनसुकिया मेल, नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस में जलपाईगुडी रोड़ स्टेशन से आरक्षण कोटा देने की आवश्यकता।) 1432

(न्यू जलपाईगुड़ी से पूर्वोत्तर राज्यों के लिये सप्ताहांत यात्राओं का कार्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता।) 1433

(सिलीगुड़ी जंक्शन और अलीपुरद्वार जंक्शन रेलवे स्टेशनों को फिर से खोलने के लिये तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता।) 1434

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

(पर्यटक की दृष्टि से राजधानी/शताब्दी जैसी रेलगाड़ियों की तरह सियालदह/हावड़ा तथा न्यू जलपाईगुड़ी के बीच रेलगाड़ी शुरू करने में असफलता।) 1912

(प्रस्तावित सियालदह-कटिहार यात्री रेलगाड़ी को न्यू जलपाईगुड़ी तक बढ़ाये जाने में असफलता।) 1913

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

(सियालदह तथा एन.जे.पी. के बीच चलने वाली दार्जिलिंग मेल में प्रतिदिन वातानुकूलित प्रथम श्रेणी, वातानुकूलित चेयरकार तथा वातानुकूलित 3 टियर डिब्बे जोड़ने की आवश्यकता।) 2156

(हावड़ा और गुवाहटी के बीच कामरूप एक्सप्रेस में वातानुकूलित चेयरकार तथा वातानुकूलित 3 टियर डिब्बे जोड़े जाने की आवश्यकता।) 2157

(तीस्ता-तोरषा एक्सप्रेस में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी, वातानुकूलित चेयरकार तथा वातानुकूलित 3 टियर डिब्बे जोड़ जाने की आवश्यकता।) 2158

(तीस्ता-तोरषा एक्सप्रेस गाड़ी में रसोईयान जोड़े जाने की आवश्यकता।) 2159

(अगली समय-सारणी आने तक तीस्ता-तोरषा एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाये जाने की आवश्यकता।) 2160

(नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस, ब्रह्मपुत्र मेल, हावड़ा-कालका मेल तथा पूर्वा एक्सप्रेस के समय में कटौती किये जाने की आवश्यकता।) 2161

(रेल कर्मचारियों के लिये अधिक मकान बनाये जाने की आवश्यकता।) 2162

(पूर्व रेलवे के वर्तमान तथा आसनसोल के बीच ई.एम.यू. गाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता।) 2163

(अगली समय सारणी आने तक 2305/2306 रेल गाड़ी को आसनसोल पर ठहराये आवश्यकता।) (2164)

(हावड़ा, सियालदह तथा खडगपुर मंडलों में, उपनगरीय रेल गाड़ियों को समय पर चलाये जाने की आवश्यकता।) (2165)

(महिला डिब्बों में पुरुष यात्रियों द्वारा यात्रा करने पर रोक लगाये जाने की आवश्यकता।) (2166)

(तीस्ता-तोरषा एक्सप्रेस को बेलाकोबा पर ठहराये जाने की आवश्यकता।) (2167)

(न्यू जलपाई गुड़ी स्टेशन पर एक रेल यात्री निवास बनाये जाने की आवश्यकता।) (2168)

(तीस्ता-तोरषा एक्सप्रेस को हल्दीबाड़ी तथा सियालदह और कूचबिहार तथा सियालदह के बीच अलग-अलग चला कर समय को बरबाद होने से बचाये जाने की आवश्यकता।) (2169)

(सियालदह और एन.जे.पी. के बीच एक दूसरी गाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता) (2170)

(दार्जिलिंग मेल, कंचनजंगा एक्सप्रेस, गौर एक्सप्रेस, कामरूप एक्सप्रेस तथा तीस्ता-तोरषा एक्सप्रेस को समय पर चलायें जाने की आवश्यकता।) (2171)

(पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये हावड़ा/सियालदह तथा एन.जे.पी. के बीच शताब्दी/राजधानी जैसी रेल गाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता।) (2172)

श्री अजय मुखोपाध्याय (कृशनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं : -

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।

(क्षेत्रीय असन्तुलनों को दूर करने की दृष्टि से रेल सुविधा का विस्तार करने और उसे सुदृढ़ करने के लिए एक विस्तृत और संतुलित नीति तैयार करने में असफलता।) (53)

(रेल यात्रा में समय की पाबंदी और सुरक्षा सुनिश्चित करने में असफलता।) (54)

(रेल प्रशासन में कदाचारों को समाप्त करने और बढ़ती हुई अकशुलता को रोकने में असफलता।) (55)

(रेल सेवाओं में तेजी से आ रही गिरावट को रोकने में असफलता।) (56)

(रेल यात्रियों को देय सुविधाएं प्रदान करने में असफलता।) (57)

(सभी चालू रेल परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने में असफलता।) (58)

(खाली पड़ी रेल भूमि का इष्टतम उपयोग करने के लिये उचित योजना तैयार करने में असफलता।) (59)

"कि रेलवे बोर्ड के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(एकलाखी-बालूरघाट परियोजना सहित पश्चिम बंगाल में सभी चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता।) (60)

(पश्चिम बंगाल में मेट्रो रेल का गरिया तक विस्तार करने के कार्य को तेल करने की आवश्यकता।) (61)

(सरकारी क्षेत्र की डिब्बे बनाने की विभिन्न इकाईयों को डिब्बों के लिए आदेश देने की आवश्यकता।) (62)

(रेलगाड़ियों में नार्दे इग्जास्टरों के प्रयोग को जारी रखने की आवश्यकता।) (63)

(चितरंजन रेल इंजन कारखाने की पूरी क्षमता का उपयोग करने की आवश्यकता।) (64)

(सभी रेलवे स्टेशनों पर पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था करने की आवश्यकता।) (65)

(लंबी दूरी की सभी रेलगाड़ियों में अच्छी किस्म के भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने की आवश्यकता।) (66)

(राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में खानपान सेवा के स्तर में सुधार करने की आवश्यकता।) (67)

(रेलगाड़ियों में उपलब्ध कराई जाने वाली चादरों, तकियों आदि की अच्छी प्रकार से धुलाई करने की आवश्यकता।) (68)

(हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी के खान-पान और अन्य कर्मचारियों के सोने की उचित व्यवस्था करने की आवश्यकता।) (69)

(दूससी श्रेणी और शयनिका के यात्रियों के संबंध में रेल किराये की वृद्धि के प्रस्तावों को वापस लेने की आवश्यकता।) (70)

(मासिक टिकटों के किराये में वृद्धि के प्रस्ताव को वापस लेने की आवश्यकता।) (71)

(आवश्यक वस्तुओं के संबंध में मालभाड़ा प्रभारों में वृद्धि के प्रस्तावों को वापस लेने की आवश्यकता।) (72)

(मानव संचालित आरक्षणों में शुल्क लगाने के प्रस्ताव को वापस लेने की आवश्यकता।) (73)

(पश्चिम बंगाल और बिहार में और अधिक रेल सेवाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता।) (74)

(गैर-सरकारी ठेकेदारों से संपूर्ण खान-पान सेवाओं को वापस लेने की आवश्यकता।) (75)

(विभिन्न रेल स्टेशनों पर कार्य को गैर-सरकारी एंजेसियों को सौंपने के विचार को छोड़ने की आवश्यकता।) (76)

(उन रेल कर्मचारियों को, जिनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये समाप्त कर दी गई थीं, बहाल करने की आवश्यकता।) (77)

(उन कर्मचारियों को, जो लोको शैडों में कोयला और राख का कार्य कर रहे थे, को वैकल्पिक रोजगार प्रदान कराने की आवश्यकता।) (78)

(संपूर्ण देश में रेल विभाग में बड़ी संख्या में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता।) (79)

(रेलवे में श्रम शक्ति को कम न करने की आवश्यकता।) (80)

(रेल डिब्बों और इनसे जुड़े शौचालयों में उचित रख-रखाव ओर सफाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता।) (81)

(सभी रेल डिब्बों और इनसे जुड़े शौचालयों में रोशनी और पंखों को ठीक रखने तथा शौचालयों में जल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने की आवश्यकता।) (82)

(सभी रेलगाड़ियों में समय की पाबन्दी और सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता।) (83)

(सियालदाह रेल प्लेटफार्मों पर रेल मार्गों को स्वच्छ रखने की आवश्यकता।) (84)

(दूसरी श्रेणी के यात्रियों की सुविधाओं में सुधार करने की आवश्यकता।) (85)

(सभी रेल स्टेशनों पर पर्याप्त रोशनी और पंखे प्रदान करने की आवश्यकता।) (86)

(पूर्व रेलवे के सियालदाह मंडल में सियालदाह और कृष्णनगर के बीच दो तीव्रगामी रेलगाड़ियां चलाने की आवश्यकता।) (87)

(पूर्व रेलवे के सियालदाह मंडल के राणाघाट-गेडे सेक्शन में चलने वाली रेलगाड़ियों के पुराने और टूटे-फूटे डिब्बों को बदलने की आवश्यकता।) (88)

(पूर्व रेलवे के सियालदाह मंडल के राणाघाट-गेडे सेक्शन में चलने वाली रेलगाड़ियों द्वारा भारतीय सामान की बंगला देश को तस्करी रोकने के आवश्यकता।) (89)

"कि परिसम्पत्तियां खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(पूर्व रेलवे के सियालदाह डिवीजन के राणाघाट-गेडे सेक्शन के विद्युतीकरण के लिए कदम उठाने

की आवश्यकता;) (90)

(पूर्व रेलवे के सियालदाह डिवीजन के कालीनारायणपुर जंक्शन से लालगोला-सेक्शन तक दोहरी लाइन बिछाने की आवश्यकता।) (91)

(शांतिपुर-नवद्वीप छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता।) (92)

(पूर्व रेलवे के सियालदाह डिवीजन में देवग्राम रेलवे प्लेटफार्म पर ऊपरी पुल के चालू निर्माण को तेज करने की आवश्यकता।) (93)

(पश्चिम बंगाल के नाड़िया जिले में पगचण्डी नदी पर रेल पुल के बराबर में एक पैदल मार्ग के निर्माण को तेज करने की आवश्यकता।) (94)

(पूर्व रेलवे के सियालदाह डिवीजन में राणाघाट-गेडे सेक्शन में विभिन्न रेल स्टेशनों के प्लेटफार्मों को ऊंचा करने की आवश्यकता।) (95)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

(हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस में दी जानी वाली चिकित्सा सुविधाओं में सुधार करने की आवश्यकता।) (101)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि कम करके 1 रुपया किया जाये।"

(मासिक सीजन टिकटों और द्वितीय श्रेणी के किरायों में कमी करने में असफलता।) (176)

(मासिक सीजन टिकटों के किरायों को 1990 के स्तर पर लाने में असफलता।) (177)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि कम करके 1 रुपया किया जाये।"

(मासिक सीजन टिकटों के किरायों में छूट की सीमा को 250 किलोमीटर तक बढ़ाये जाने में असफलता।) (221)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि कम करके 1 रुपया किया जाये।"

(पश्चिम बंगाल की चार गेज परिवर्तन परियोजनाओं अर्थात् पूर्व रेलवे की अहमदपुर-कटवा, वर्द्धमान-कटवा, शांतिपुर-नवद्वीपघाट तथा दक्षिण पूर्व रेलवे के अन्तर्गत बीडीआर रेलवे परियोजनाओं, को शामिल किये जाने में असफलता) (556)

("पैलेस ऑन व्हील" परियोजना के अन्तर्गत पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र को शामिल किये जाने में असफलता।) (557)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि कम करके 1 रुपया किया जाये।"

(दक्षिण-पूर्व रेलवे के मुख्यालयों को गार्डन रीच कलकत्ता से स्थानान्तरित करने को रोकने की आवश्यकता।) (728)

(अलाभकारी रेल लाइनों को व्यावहारिक बनाने के लिए कारगर कदम उठाने की आवश्यकता) (729)

(आर्थिक व्यवहार्यता के बहाने रेल लाइनों को बन्द करने को रोकने की आवश्यकता) (730)

(गेज परिवर्तन संबंधी एक विस्तृत नीति तैयार करने की आवश्यकता) (731)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि कम करके 1 रुपया किया जाये।"

(हावड़ा राजधानी एक्सप्रैस के स्टूवार्ड का पदनाम बदलकर उप ट्रेन अधीक्षक, जैसा कि कुछ अन्य जोनल रेलों में किया गया था, करने में असफलता।) (738)

"कि रेलवे बोर्ड के शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।"

(रेलवे यूनियनों ओर एसोसिएशनों को श्रमिक संघ अधिकार दिये जाने की आवश्यकता) (2202)

(सिंगनल प्रणाली और पटरी के अनुरक्षण में सुधार करके रेल दुर्घटनाओं में कमी करने की आवश्यकता।) (2203)

(सभी नैमित्तक और ठेके के श्रमिकों को नियमित करने की आवश्यकता।) (2204)

(हावड़ा-सिपरा एक्सप्रेस को सप्ताह में दो दिन चलाये जाने की बजाए प्रतिदिन चलाये जाने की आवश्यकता।) (2205)

(हावड़ा और आसनसोल के बीच 2305/2306 को विद्युत इंजन से चलाये जाने और ईधन बचाने के साथ-साथ उन जगहों पर ठहराव उपलब्ध कराकर राजस्व प्राप्त करने की आवश्यकता।) (2206)

(लम्बी दूरी की गाड़ियों में रसोईयान जोड़ने और इसे रेलवे खानपान सेवा द्वारा चलाये जाने की आवश्यकता) (2207)

(रेलवे में कोयला और राख धरा-उठाई से संबंधित श्रमिकों को खपाने के आश्वासन को कार्यान्वित करने की आवश्यकता) (2208)

(स्टीम लोको शैड्स तथा यार्डो के अतिरिक्त कर्मचारियों को पुनः नियुक्त करने की आवश्यकता।) (2209)

(वाहनान्तरण कार्य को छोड़ने और मध्यवर्ती गाड़ी जांच केन्द्रों को समाप्त करने की आवश्यकता।) (2210)

(रेलवे के निजीकरण को रोकने की आवश्यकता।) (2211)

(बिना समुचित ब्रेक पावर वाली गाड़ियां तुरंत बंद करने की आवश्यकता।) (2212)

(कर्मचारियों को अधिक घंटे कार्य करने को बाध्य करने से रोकने की आवश्यकता।) (2213)

श्री प्रेमचन्द राम (नवादा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ : -

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।"

(प्रत्येक श्रेणी की क्षमता के अनुसार प्रतीक्षा सूची टिकटों 10 प्रतिशत जारी करने की आवश्यकता।) (108)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जाये।"

(नई दिल्ली और हावड़ा के बीच बाया गया-नवादा और क्यूल एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता) (1778)

(तिनसुकिया से नई दिल्ली बारास्ता गया-नवादा और क्यूल एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता।) (1779)

(गया और क्यूल के बीच दोहरी लाइन का निर्माण किये जाने की आवश्यकता) (1780)

(पटना से बोधगया बारास्ता राजगीर-हसुआ बड़ी लाइन का निर्माण करने और वहां स्थानीय रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता) (1781)

(अगली समय सारणी जारी करने से पहले पश्चिम रेलवे की भांति हावड़ा और नई दिल्ली के बीच एक और राजधानी एक्सप्रेस चलाने और उसे आसनसोल में रोके जाने की आवश्यकता) (1782)

(हावड़ा और पटना, हावड़ा और गया, हावड़ा और टाटा, हावड़ा और भुवनेश्वर, हावड़ा और न्यू जलपाई गुड़ी और सियालदह और गुवाहटी के बीच शताब्दी एक्सप्रेस जैसी गाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता) (1783)

श्री पूर्णचन्द्र मलिक (दुर्गापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ : -

"कि रेलवे बोर्ड के शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।"

(हावड़ा और आसनसोल के बीच विद्युत डिब्बे वाली 2305/2306 गाड़ी चलाने और ईधन तथा विदेशी मुद्रा बचाने की आवश्यकता।) (123)

(हावड़ा और नई दिल्ली के बीच एक दूसरी राजधानी एक्सप्रेस चलाने और आसनसोल में उसके ठहराव के लिए तुरन्त कदम उठाने की आवश्यकता।) (124)

"कि परिसम्पत्तियां - अधिग्रहण, निर्माण और पुनर्स्थापन के शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।"

(पूर्व रेलवे के अन्दाल-सैन्थिया सैक्शन के विद्युतीकरण कार्य को शीघ्र आरम्भ किये जाने की आवश्यकता।) (711)

(बर्द्धमान-कटवा, अहमदपुर-कटवा, बंकुरा-दामोदर नदी रेल लाइनों को गेज परिवर्तन कार्यक्रम में शीघ्र शामिल किये जाने की आवश्यकता।) (712)

(पूर्व रेलवे के अन्दाल और सैन्थिया सैक्शन के बीच दोहरी रेलवे लाइन बिछाने का कार्य शीघ्र शुरू करने की आवश्यकता।) (713)

(पूर्व रेलवे के बंडेल-कटवा सेक्शन के बीच दोहरी लाइन बिछाने की आवश्यकता।) (714)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।"

(सभी फेरी वालों को तत्काल लाइसेंस देने की आवश्यकता।) (718)

(बर्द्धमान-हावड़ा, बर्द्धमान-सियालदह, बर्द्धमान-रामपुरहाट और बर्द्धमान-आसनसोल स्थानीय गाड़ियों की बारम्बरता में वृद्धि करने और अधिक रेक उपलब्ध कराने की आवश्यकता।) (719)

(पूर्वी रेलवे के बर्द्धमान और आसनसोल सेक्शन के बीच ई.एम.यू. कोच को शीघ्र चलाने की आवश्यकता।) (720)

(कोलफील्ड एक्सप्रेस को बर्द्धमान स्टेशन पर रोकने की आवश्यकता) (721)

(आसनसोल मंडल के अधीन विभिन्न स्टेशनों के प्लेटफार्मो को ऊंचा करने की आवश्यकता।) (722)

(आसनसोल मंडल के अधीन सभी स्टेशनों पर पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने की आवश्यकता।) (723)

(ब्लैक डायमण्ड एक्सप्रेस, कोलफील्ड एक्सप्रेस आसनसोल, एक्सप्रेस के समय को कम करने की आवश्यकता।) (724)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाये।"

(आसनसोल डिविजन के अन्तर्गत विभिन्न स्टेशनों पर प्रकाश, शैडों और बैठने की पर्याप्त व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता।) (739)

(आसनसोल कम्प्यूटर आरक्षण केन्द्र पर वापसी यात्रा टिकट सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।) (740)

(आसनसोल डिविजन के अन्तर्गत प्लेटफार्मो सहित सभी स्टेशनों की समुचित सफाई करने और विभिन्न स्टेशनों पर प्रदूषण रोधी उपाय किये जाने की आवश्यकता।) (741)

(आद्रा-आसनसोल, खड़गपुर-आसनसोल और टाटा-आसनसोल यात्री गाड़ियों की बारम्बारता बढ़ाने और इन सैक्शनों में ई.एम.यू. कोच तुरन्त चलाए जाने की आवश्यकता।) (742)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(हावड़ा-राजधानी एक्सप्रेस में चिकित्सा सुविधाओं में सुधार किये जाने की आवश्यकता।) (1325)

(हावड़ा और मुगल सराय के बीच हावड़ा-राजधानी एक्सप्रेस में सुरक्षा गार्ड्स उपलब्ध कराये जाने

की आवश्यकता।) (1326)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग 100 रुपये कम किये जाये।"

(प्रत्येक श्रेणी की कुल क्षमता की केवल 10 प्रतिशत टिकटों को ही प्रतीक्षा-सूची में रखे जाने की आवश्यकता।) (1784)

(भीड़-भाड़ को रोकने के लिए प्रत्येक स्लीपर श्रेणी (थ्रीटीयर) में टीटीई/कोच अटेन्डेन्ट उपलब्ध कराने की आवश्यकता।) (1785)

(स्लीपर श्रेणी (थ्री टीयर) में पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता) (1786)

(स्लीपर श्रेणी (थ्री टीयर) के डिब्बों में और अधिक सुविधायें उपलब्ध कराने की आवश्यकता) (1787)

(स्लीपर श्रेणी के डिब्बों में बिस्तर उपलब्ध कराने की आवश्यकता) (1788)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

(पूर्व रेलवे के खाना लूप सेक्शन से होते हुए आसनसोल और बोलपुर के बीच यात्री गाड़ी चलाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता।)(1931)

(पूर्व रेलवे के बर्द्धमान और आसनसोल सेक्शन के बीच ईएमयू गाड़ी चलाने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता।)(1932)

श्री हाराधन राम (आसनसोल) : मैं प्रस्ताव करता हूँ : -

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

(हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस के ए.सी. 3-टीयर में लिनन के कपड़े की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता) (126)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

(पश्चिम बंगाल में लम्बित रेल परियोजना को पूरा करने के लिए अधिक धनराशि आबंटित करने में असफलता) (132)

(दूसरी श्रेणी के किराये को 1990 के स्तर पर लाने में असफलता) (133)

"रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

(हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस के स्टूअर्डो का पदनाम बदलकर उप गाड़ी अधीक्षक करने में असफलता) (172)

(वैगन इण्डिया लिमिटेड के पंजीकृत सदस्यों को वैगनों का आर्डर देने में असफलता) (173)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग करके 1 रुपया किया जाये।

(उप-नगरीय रेल सेवा को आसनसोल तक बढ़ाये जाने में असफलता।) (222)

(पश्चिम बंगाल के अहमदपुर-कटवा, एनर्जी, वर्धमान-कटवा, एनर्जी, शांतीपुर-नवादीप घाट, एनजी, बीडीआर, एनजी के रेल परिवर्तन के कार्य को किये जाने में असफलता।) (225)

(बृहत पैमाने पर चल रहे रेल परिवर्तन के कार्य की समीक्षा करने में असफलता।) (226)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

(सर्कुलर रेलवे मार्ग का विद्युतीकरण जिससे कि ई.एम.यू. रेल सेवाओं को चलाने तथा उनकी सेवाओं की बारम्बारता में वृद्धि हो सके, किये जाने में असफलता।) (554)

(पूर्वी क्षेत्र के शांतिपुर-नवद्वीप घाट, वर्द्धमान-कटवा, अहमदपुर-कटवा, तथा बंकरा-दामोदर छोटी लाइन के मार्ग को परिवर्तन कर सरकार द्वारा यूनी गैज नीति को क्रियान्वित करने में तथा हावड़ा से अमता के बीच बड़ी लाइन बिछाये जाने में असफलता।) (555)

"कि परिसम्पत्तियां अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

(खड़गपुर-धनकुरी-वर्द्धमान (कोर्डलाइन) के बीच ई.एम.यू. सेवा प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता।) (580)

(बेलानगर के रास्ते खड़गपुर से सियालदह के बीच ई.एम.यू. सेवा प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता।) (581)

(लिलुहा तथा बंदेल मुख्य मार्ग के रास्ते खड़गपुर से बर्द्धमान के बीच ई.एम.यू. सेवा प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता।) (582)

(रामकिस्तोपुर-शालीमार-संतरागाछी के रास्ते हावड़ा से खड़गपुर के बीच ई.एम.यू. सेवा शुरू करने की आवश्यकता।) (583)

(खन्ना से झापटेर ढाल के बीच चल रहे निर्माण कार्य में तेजी लाये जाने की आवश्यकता।) (584)

(बर्द्धमान यार्ड को शीघ्र नया बनाने हेतु कार्य शुरू करने की आवश्यकता।) (585)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

(विभिन्न रेलवे स्टेशनों को निजी क्षेत्र को दिये जाने से रोकने में असफलता।) (592)

(खान-पान सेवाओं का निजीकरण रोकने तथा इन सेवाओं में कर्मचारियों के सहयोग से सुधार करने की आवश्यकता।) (593)

(टिकट संग्रह करने वाले कर्मचारियों की नफरी में वृद्धि किये जाने में असफलता।) (594)

(यात्री डिब्बों में भीड़भाड़ कम करने में असफलता।) (595)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत में 100 रुपये कम किये जाये।"

(खड़कपुर-दुन्कुनी-वर्द्धमान (कॉर्ड लाइन) के बीच ईएमयू रेक आरंभ किये जाने की आवश्यकता) (598)

(खड़कपुर से बेलानगर होते हुए सियालदाह के लिए ईएमयू कोच चलाने की आवश्यकता।) (599)

(लिलुआ एण्ड बंडेल होकर खड़कपुर तथा वर्द्धमान (मेन लाइन) के बीच ईएमयू रेक उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।) (600)

(रामकिस्तपुर-शालीमार-संतरागांची होकर हावड़ा और खड़कपुर के बीच ईएमयू कोच आरंभ करने की आवश्यकता।) (601)

(खाना से झपतरधल लाइन का निर्माण शीघ्र किये जाने की आवश्यकता।) (602)

(वर्द्धमान यार्ड को नया रूप देने की आवश्यकता।) (603)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

(चितरंजन लोकोमोटिव कारखाने में उच्च गति के विद्युत इंजनों के घरेलू उत्पादन में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता।) (716)

(रेलवे में सभी छंटनी किये गये कर्मचारियों को तत्काल बहाल करने की आवश्यकता।) (717)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

(बर्द्धमान, आसनसोल, दुर्गापुर, रानीगंज रेल स्टेशनों के आधुनिकीकरण संबंधी कार्य आरम्भ करने की आवश्यकता।) (732)

(बर्द्धमान जिले से होकर जाने वाली जी.टी. रोड़ पर सभी लेवल क्रासिंगों पर ऊपरी पुल का निर्माण करने की आवश्यकता।) (733)

(पूर्वी रेलवे क खाना और सैन्थिया सैक्शन के बीच दोहरी लाइन का निर्माण करने की आवश्यकता।) (734)

(पूर्वी रेलवे के बंडेल-कटवा सैक्शन का विद्युतीकरण आरम्भ करने की आवश्यकता।) (735)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।

(नई दिल्ली और गुवाहाटी के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस को सप्ताह में तीन बार चलाने की आवश्यकता।) (862)

(पर्यटकों की सुविधा की दृष्टि से शताब्दी एक्सप्रेस को सियालदह और नया जलपाई गुड़ी के बीच चलाने की आवश्यकता।) (863)

(हावड़ा और नई दिल्ली के बीच चलने वाली पूर्व एक्सप्रेस में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी का डिब्बा जोड़ने की आवश्यकता।) (864)

(नई दिल्ली और हावड़ा के बीच पूर्व एक्सप्रेस में वातानुकूलित कुर्सीयान का डिब्बा लगाने की आवश्यकता।) (865)

(हावड़ा और नई दिल्ली के बीच एक नई यात्री गाड़ी चलाने की आवश्यकता।) (866)

(आसनसोल-पुरी यात्री गाड़ी को फिर से चलाने की आवश्यकता।) (867)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

(हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस में आधुनिक चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने में असफलता) (1172)

(हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस में हावड़ा और मुगलसराय के बीच सिक्योरिटी गार्ड उपलब्ध कराने में असफलता।) (1173)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें"

(देश में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजी निवेश में कमी आने के संदर्भ में केटरिंग निगम बनाने को रोकने की आवश्यकता।) (1435)

(प्रस्तावित केटरिंग निगम के माध्यम से पर्यटन तथा होटल उद्योग में पूंजी निवेश करने से बचने की आवश्यकता) (1436)

(हावड़ा-राजधानी एक्सप्रेस में चिकित्सा सुविधाओं में सुधार करने की आवश्यकता।) (1437)

(हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस में हावड़ा और मुगलसराय के बीच सुरक्षागार्डो की व्यवस्था करने की आवश्यकता।) (1438)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें"

(हावड़ा-राजधानी एक्सप्रेस में पुस्तक विक्रेताओं की सेवाओं को नियमित करने के लिए शीघ्र कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता।) (1629)

(टाटानगर और हावड़ा के बीच शताब्दी एक्सप्रेस चलाये जाने की आवश्यकता।) (1630)

"कि रेलवे शीर्ष बोर्ड के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

(रेलवे में रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपुक्त प्रशासनिक कदम उठाये जाने में असफलता) (1763)

(विभिन्न जोनल रेलों में अनुकम्पा आधार पर नौकरी देने के बकाया मामलों को निपटाने में असफलता।) (1764)

(चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स को विद्युत इंजनों के लिए अधिक क्रयादेश देने में असफलता।) (1765)

(मांग को पूरा करने के लिए पूर्व रेलवे को और अधिक ई.एम.यू. रैक्स उपलब्ध कराने में असफलता।) (1766)

(स्लीपर श्रेणियों (थ्रीटीयर) में भीड़-भाड़ का कम करने और इन डिब्बों में अधिक सुविधायें उपलब्ध कराने में असफलता।) (1767)

(छोटी दूरी के यात्रियों के लिए डी.एम.यू. और ई.एम.यू. कोच चलाने, जिससे लम्बी दूरी की स्लीपर श्रेणी के डिब्बों में भीड़-भाड़ कम हो, में असफलता।) (1768)

(सभी यात्री गाड़ियों में साधारण डिब्बों की संख्या में वृद्धि करने में असफलता।) (1769)

(माल की ढुलाई से अधिक आय प्राप्त करने के लिए और अधिक वैगनों के क्रयादेश देने में असफलता।) (1770)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाय।"

(हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस में पर्याप्त मात्रा में शीतल जल की व्यवस्था करने की आवश्यकता।) (1771)

(हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस में स्टाफ के लिए पेन्ट्रीकार में कुर्सियों के स्थान पर बर्थ उपलब्ध कराने की आवश्यकता।) (1772)

(हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस में उपलब्ध कराये जाने वाली खाने-पीने की वस्तुओं की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता।) (1773)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

(उच्च गति वाले विद्युत रेल इंजनों का आयात करने के बजाय चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में उनके निर्माण में वृद्धि करने में असफलता।) (1961)

(हावड़ा और जयपुर के बीच प्रस्तावित यात्री रेलगाड़ी शीघ्रातिशीघ्र शुरू करने में असफलता।) (1962)

(मीटर गेज और छोटी लाइनों को बड़ी लाइन में बदल कर पूर्वी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने में असफलता।) (1963)

(ब्लैक डायमंड और कोलफील्ड एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में भोजनयान पुनः लगाने में असफलता।) (1964)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

(सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों को रेलवे के अर्द्धवार्षिक कार्यक्रम के अनुसार वैगनों के लिये आर्डर देने की आवश्यकता।) (2138)

(सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों संबंधी बजट प्रस्तावों के अनुसार रेलवे के अर्द्धवार्षिक कार्यक्रम के लिए वैगनों के लिए आर्डर देने की आवश्यकता।) (2139)

(सरकारी क्षेत्र के उपक्रम जेस्सोप कंपनी को इ.एम.यू. कोचों के लिये और आर्डर देने की आवश्यकता।) (2140)

(सभी यात्री गाड़ियों के पुराने डिब्बों को बदले जाने की आवश्यकता।) (2141)

(रेलवे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अधिक डिब्बे खरीदे जाने की आवश्यकता।) (2142)

(बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए दुर्गापुर में डिब्बा बनाने की एक इकाई स्थापित करने की आवश्यकता।) (2143)

(हावड़ा तथा पुणे के बीच एक तीव्र यात्री रेल गाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता।) (2144)

(हावड़ा/सियालदह तथा भोपाल के बीच एक तीव्र यात्री रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता।) (2145)

(सभी स्लीपर श्रेणी डिब्बों में सफाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता।) (2146)

(हावड़ा तथा चितरंजन के बीच एक एक्सप्रेस रेल गाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता।) (2147)

(आसनसोल तथा झाझा के बीच डी.एम.यू. सर्विस की बारम्बारता बढ़ाये जाने तथा इस सेक्शन के लिये एक और रेक की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता।) (2148)

(रेलवे बोर्ड के खर्च में कटौती करने की आवश्यकता।) (2149)

(दुर्गापुर, आसनसोल, तारकेश्वर तथा बोलपुर में एक रेल यात्री निवास बनाये जाने की आवश्यकता।) (2150)

(8017/8018 को प्रतिदिन चलाने की आवश्यकता तथा इसके साथ एक रसोईयान जोड़े जाने की आवश्यकता।) (2151)

(2381/2382 को गया, मुगलसराय, इलाहाबाद होकर प्रतिदिन चलाये जाने की आवश्यकता।) (2152)

(हिमगिरि एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाये जाने की आवश्यकता।) (2153)

(ब्लैक डायमंड, कोलफील्ड तथा आसनसोल एक्सप्रेस गाड़ियों में प्रतिदिन चलने वाले यात्रियों के लिए एक अलग डिब्बे की व्यवस्था करने की आवश्यकता ताकि अन्य यात्रियों को कठिनाई न हो।) (2154)

(निजी ठेकेदारों को खान-पान सेवाएं सौंपे जाने को रोके जाने की आवश्यकता तथा रेलवे द्वारा सभी गाड़ियों में खान-पान सेवाएं चालू रखने की आवश्यकता।) (2155)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाये।"

(हावड़ा और हटिया के बीच बर्द्धमान-दुर्गापुर-आसनसोल-बर्नपुर-आद्रा-पुरुलिया होते हुए एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता।) (2214)

(8475/8476 रेलगाड़ियों को आसनसोल-बर्नपुर-आद्रा होते हुए चलाये जाने की आवश्यकता।) (2215)

(हावड़ा और चांडिल के बीच एक तीव्रगति की यात्री गाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता।) (2216)

(आसनसोल रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण करने और उसे सुन्दर बनाने की आवश्यकता।) (2217)

(3307/3308 गाड़ी को आसनसोल आने जाने के लिए चलाये जाने की आवश्यकता।) (2218)

(आसनसोल और हटिया के बीच शटल रेलगाड़ियां चलाये जाने की आवश्यकता।) (2219)

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : मैं प्रस्ताव करती हूँ : -

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

(मासिक तथा दूसरी श्रेणी के किरायों में छूट की सीमा को 250 किलोमीटर तक बढ़ाने में असफलता।) (134)

(हमारे देश की रेल पटरियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐशिया ब्राउन बावेरी से 30 विद्युत इंजनों के आयात संबंधी आदेश को रद्द करने में असफलता।) (135)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(हावड़ा से रामकिस्तोपुर-शिब्रपुरचर-शालीमार-सन्तरागाची-भट्टानगर-बेलानगर-बाली-बेलूर-लिलुआ होते हुए हावड़ा तक ग्रेटर सरकुलर रेलवे उपलब्ध कराने की आवश्यकता।) (146)

(कलकत्ता में मेट्रो रेलवे के सम्पूर्ण कार्य को एक निश्चित समय अर्थात् 1995 के भीतर पूरा किये जाने की आवश्यकता।) (147)

(मैट्रो रेलवे, कलकत्ता के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए अधिक धन दिये जाने की आवश्यकता।) (148)

(मेट्रो रेलवे को गेरिया और रामराजातला तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता।) (149)

(पूर्व रेलवे के सियालदाह डिवीजन के अन्तर्गत बरूईपुर और डायमंड हार्बर के बीच दूसरी लाइन बनाने की आवश्यकता।) (150)

(यात्रियों की सुविधा के लिए दक्षिण-पूर्व रेलवे को पूर्व रेलवे से जोड़ने तथा ई.एम.यू. कोच चलाने की आवश्यकता।) (151)

(सरकुलर रेलवे, कलकत्ता के प्रिंसघाट से माजरहाट तक के सैक्शन को तुरन्त पूरा करने की आवश्यकता।) (152)

(सुन्दरवन क्षेत्र के विकास के लिए कुलपी और नामखाना के बीच निर्माण-कार्य में तेजी लाये जाने की आवश्यकता।) (153)

(पूर्व रेलवे के दत्तापुर और बोनगांव के बीच दूसरी लाइन के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए अधिक धनराशि दिये जाने की आवश्यकता।) (154)

(डम-डम जंक्शन और सियालदाह के बीच अतिरिक्त कोरीडोर की व्यवस्था करने की आवश्यकता।) (155)

(पूर्व रेलवे के बाली और श्रीरामपुर के बीच अतिरिक्त अप-लाइन उपलब्ध कराने की आवश्यकता।) (156)

(पूर्व रेलवे के नया अलीपुर और बजबज के बीच दोहरी लाइन का निर्माण करने की आवश्यकता।) (157)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 1 रुपया कम किया जाये।"

(हावड़ा तथा सियालदह डिवीजनों के उप-नगरीय क्षेत्रों में उप-नगरीय रेल सेवाओं में वृद्धि करने में असफलता।) (203)

(सीजन टिकटों के किरायों तथा दूसरे दर्जे के किरायों में हुई वृद्धि को कम करने में असफलता।) (204)

(रेलों द्वारा अधिक मात्रा में माल की ढुलाई करने के उपाय करने में असफलता।) (205)

(गेज परिवर्तनों के फलस्वरूप यातायात में होने वाली वृद्धि को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में डिब्बों के आर्डर देने में असफलता।) (206)

(रेल इंजनों के आयात को रोकने में असफलता।) (207)

(जादवपुर से सियालदह के बीच भीड़-भाड़ वाले समय के दौरान अतिरिक्त रेल सुविधायें उपलब्ध कराने में असफलता।) (208)

(उप-नगरीय क्षेत्रों से पर्याप्त मात्रा में राजस्व प्राप्त करने में असफलता।) (209)

(खानपान सेवाओं के निजीकरण को रोकने में असफलता।) (210)

(कलकत्ता के प्रिन्सिप घाट-माझेरहाट सैक्शन के बीच सर्कुलर रेल को पूरा करने में असफलता।) (211)

(हावड़ा तथा सियालदह के उप-नगरीय क्षेत्रों में यात्रियों की सुविधाओं में वृद्धि किये जाने में असफलता।) (212)

(प्रतिवर्ष मालभाड़े तथा किरायों में वृद्धि के बावजूद भी पर्याप्त राजस्व प्राप्त करने में असफलता।) (213)

(टिकट संग्रह व्यवस्था को और सक्षम बनाने में असफलता।) (214)

(जारी योजनाओं के लिए निर्धारित धनराशि को बड़े पैमाने पर गैर-योजनागत गेज परिवर्तनों में लगाये जाने से रोकने में असफलता।) (215)

(कलकत्ता के मैट्रो रेलवे के प्रथम चरण को पूरा किये जाने में असफलता।) (216)

(सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों को डिब्बों के लिए आर्डर दिये जाने में असफलता, जिसके फलस्वरूप वहां कार्यरत कर्मचारियों के रोजगार की सुरक्षा को तथा उपक्रमों के अस्तित्व को खतरा है।) (217)

(पश्चिम बंगाल में लम्बित पड़ी रेल परियोजनाओं को पूरा करने के लिये और अधिक धन का आवंटन किये जाने में सफलता।) (218)

(दूसरे दर्जे के रेल किरायों को 1990 के स्तर पर लाने में असफलता।) (219)

(सीजन टिकटों के किरायों को 1990 के स्तर पर लाने में असफलता।) (220)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 1 रुपया कम किया जाये।"

(कलकत्ता के सर्कुलर रेलवे के सर्किल को पूरा करने के लिए प्रिन्सिपघाट-मजेहरहाट के बीच की लाइन का निर्माण करने में असफलता।) (504)

(हावड़ा के लिए, जिसके लिए रेलपथ तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध हैं, सर्कुलर रेलवे तथा ग्रेटर सर्कुलर रेलवे का निर्माण करने में असफलता।) (505)

श्री हन्नान मल्लाह (उलूबेरिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं : -

(मासिक/सीजन टिकटों के किरायों में वृद्धि को वापस लेने में असफलता।) (136)

(दूसरी श्रेणी के यात्री किरायों में वृद्धि को वापस लेने में असफलता।) (137)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में एक रुपया कम किया जाये।"

(पूर्व ओर दक्षिण-पूर्व रेलवे के हावड़ा-सियालदह डिवीजन में उपनगरीय गाड़ियों की नियमितता तथा समयबद्धता बनाये रखने की आवश्यकता।) (197)

(पूर्व और दक्षिण-पूर्व रेलवे के अंतर्गत ईएमयू के डिब्बों के रखरखाव में सुधार करने की आवश्यकता।) (198)

(हावड़ा-बरगछिया सेक्शन में गाड़ियों की संख्या बढ़ाने और गाड़ियों की गति बढ़ाने की आवश्यकता।) (199)

(उपनगरीय गाड़ियों में किराया कम करने की आवश्याकता।) (200)

(मोरीग्राम, सन्तरागाछी, बगनान, लिलुहा स्टेशनों पर उपरि पुल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता।) (201)

(हावड़ा के सभी प्लेटफार्मो को उपरि पुलों या भूमिगत पार पथों द्वारा जोड़ने की आवश्यकता।) (202)

"कि परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण निर्माण तथा बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(उपनगरीय रेल किराया को घटाकर 1990 के स्तर तक लाए जाने की आवश्यकता।) (321)

(उपनगरीय क्षेत्र का बाराकर तक विस्तार किये जाने की आवश्यकता।) (322)

(टिकट निरीक्षण कर्मचारियों की पर्याप्त मात्रा में भर्ती किये जाने की आवश्यकता।) (323)

(फीस प्राप्त हो जाने पर खोमचे वालों को लाइसेंस जारी किये जाने की आवश्यकता।) (324)

(सियालदाह और दमदम के बीच दो और रेल लाइनें बिछाने की आवश्यकता।) (325)

(चन्दनपुर से शक्तिगढ़ तक शीघ्र तीसरी रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता।) (326)

(पूर्व रेलवे तथा दक्षिण पूर्व रेलवे के हावड़ा, सियालदाह और खड़गपुर डिवीजनों के अंतर्गत सभी रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्मों की उचित तथा नियमित रूप से सफाई किये जाने की आवश्यकता।) (327)

(प्लेटफार्मों से अवैध कब्जे को हटाने की आवश्यकता।) (328)

(खोमचे वालों को पहचान पत्र तथा लाइसेंस प्रदान किये जाने की आवश्यकता।) (329)

(सियालदाह और हावड़ा डिवीजन में इ एम यू रेकों की संख्या में प्रतिवर्ष 20 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की आवश्यकता।) (330)

(हावड़ा और सियालदाह डिवीजनों के सभी स्टेशनों के प्लेटफार्मो की संख्या में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता ताकि वहां एक साथ बड़ी संख्या में रेकों की आवाजाही की जा सके।) (331)

(सियाहदाह स्टेशन के प्लेटफार्मो की लम्बाई बढ़ाने की आवश्यकता ताकि वहां अधिक संख्या वाले सवारी डिब्बों के रेकों की आवाजाही की जा सके।) (332)

"कि परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण तथा बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

(पूर्व रेलवे के सेवड़ाफुलीघाट तथा तारकेश्वर के बीच दोहरी लाइन का निर्माण किये जाने की आवश्यकता) (574)

(पूर्व रेलवे के कटवा छोटी रेल लाइन का बड़ी रेल लाइन में परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता।) (575)

(अहमदपुर-कटवा तथा शांतिपुर-नवद्वीप रेल मार्ग का बड़ी लाइन में परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता।) (576)

(हावड़ा से शैखाला के बीच बड़ी लाइन का निर्माण किये जाने की आवश्यकता।) (577)

(पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलवे तथा उत्तर पूर्व रेलवे के लिए एक कोरपोरेट योजना प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता।) (578)

(पश्चिम बंगाल के छोटी रेल लाइनों को यूनी गेज परिवर्तन कार्यक्रम के तहत शामिल किये जाने की आवश्यकता।) (579)

श्री सुदर्शन राम चौधरी (सीरमपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(चन्दनपुर से शक्तिगढ़ तक की रेल लाइन को पूरा करने के लिए अधिक धन राशि आबंटित करने की आवश्यकता।) (158)

(डानकुनी फ्रेट टर्मिनल का निर्माण-कार्य शुरू करने की आवश्यकता।) (159)

(वर्द्धमान-सियालदाह बारास्ता बंदेल सैक्शन के लिए कम से कम 2 ई. एम.यू. रैक्स उपलब्ध कराने की आवश्यकता।) (160)

(वर्द्धमान और आसनसोल के बीच एक ई.एम.यू. रेलगाड़ी तत्काल चलाने की आवश्यकता।) (161)

(बंडेल, डमडम, कौन्नगर, बाली और बेलूर के परपाथ में पानी के ठहराव को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता।) (162)

(बंडेल और लिलुआ पर एक उपरि पुल बनाने की आवश्यकता।) (163)

"कि परिसम्पत्तियां - अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

(दक्षिण पूर्व रेलवे की हावड़ा-अमता-चम्पारदंगा रेल परियोजना को पूरा करने की आवश्यकता।) (185)

(पूर्व रेलवे के हावड़ा-बन्देल सेक्शन पर कोन्नागर स्टेशन पर भूमिगत पार पथ बनाने की आवश्यकता।) (186)

(पूर्व रेलवे के हावड़ा-बन्देल सेक्शन के उत्तरपाड़ा कोन्नागार, हिन्द मोटर, शोराफुल्ली स्टेशन पर यात्री सुविधायें प्रदान करने की आवश्यकता।) (187)

(उपनगरीय रेल किराये को 1990 के स्तर पर लाये जाने की आवश्यकता) (188)

(दक्षिण-पूर्व रेलवे के हावड़ा-बरगछिया सेक्शन पर उपनगरीय गाड़ियों की संख्या में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता।) (189)

(दक्षिण पूर्व रेलवे के हावड़ा-उलूबेरिया सेक्शन पर उपनगरीय गाड़ियों की संख्या में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता।) (190)

(मुंशीरहाट तक तत्काल रेलवे लाइन बिछाने किए जाने की आवश्यकता) (191)

(हावड़ा स्टेशन को विद्यासागर सेतु से जोड़ने की आवश्यकता।) (192)

(खड़गपुर और हल्दिया को अन्दुल और दनकुनी से होकर सियालदह से जोड़ने की आवश्यकता।) (193)

(शंकरेल रेल गुड्स यार्ड को तुरन्त पूरा करने की आवश्यकता।) (194)

(बगनान पर टर्मिनल सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता ताकि वहां से ईएमयू गाड़ी चल सके।) (195)

(हावड़ा और बगनान के बीच बगनान स्थानीय रेल गाड़ी चालू करने की आवश्यकता।) (196)

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ : -

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

(आयातित प्रौद्योगिकी तथा लोकोमोटिव का सहारा लिए बिना अनुसंधान और विकास के माध्यम से लोकोमोटिव तथा चल स्टाक का दर्जा बढ़ाने में असफलता।) (164)

(वैगन खरीद के संबंध में एक संगत नीति बनाने में असफलता जिसके कारण सरकारी क्षेत्र के वैगन उद्योग में हाहाकर मचा हुआ है।) (165)

(कुछ ब्रान्च रेल लाइनों को बन्द करके संकुचन नीति के हक में रेलं लाइनों के विस्तार की नीति को त्याग देने में असफलता।) (166)

(हावड़ा और सियालदाह जैसे बड़े टर्मिनल स्टेशनों सहित रेलवे स्टेशनों पर सेवाओं के निजीकरण की नीति को त्याग देने में असफलता।) (167)

(नये निर्माण-कार्य, अनुरक्षण तथा दिन-प्रतिदिन के खर्च में व्यर्थ तथा फालतू के खर्चे को दूर करके किफायत बरतने के लिए सही नीति बनाने में असफलता।) (168)

(अधिक राजस्व कमाने तथा रेल भाड़ा तथा किराये में वृद्धि किये जाने से बचने की दृष्टि से अधिक भाड़ा देने वाला सामान्य माल ढोने के लिए एक नीति बनाने तथा लक्ष्य निर्धारित करने में असफलता।) (169)

(आवश्यक पूंजीगत व्यय, जिसकी काफी समय से आवश्यकता थी, की बजाय गेज़ परिवर्तन पर

भारी धनराशि खर्च करना तथा पुलों और पुलियों, आदि में परिवर्तन करने/उनकी मरम्मत करने तथा उन्हें मजबूत बनाने जैसी सुरक्षा आवश्यकताओं पर धनराशि खर्च करना।) (170)

(रेल मार्गो तथा चल स्टाक दोनों ही के लिए नयी प्रौद्योगिकी लाने तथा पुरानी प्रौद्योगिकी का नवीकरण करके महानगरों के बीच अधिक तीव्र परिवहन व्यवस्था लागू करने में असफलता।) (171)

श्री अमल दत्त : मैं प्रस्ताव करता हूँ : -

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

(छूट की सीमा को 250 किलोमीटर तक बढ़ाये जाने में असफलता।) (553)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग 100 रुपये कम किये जाये।"

(गेज परिवर्तन के वृहद् कार्यक्रम की समीक्षा करने की आवश्यकता।) (1068)

(हावड़ा/सियालदाह पर उपनगरीय सेवाओं के लिए अलग कॉरिडोर प्रदान करने की आवश्यकता।) (1069)

(सर्कुलर रेलवे और विधान नगर स्टेशन पर उल्टाडंगा सड़क के बीच पैदल ऊपरिपुल/उपमार्ग उपलब्ध कराने की आवश्यकता।) (1070)

(सर्कुलर रेलवे के प्रिंसपघाट दम-दम सेक्शन पर भीड़-भाड़ के समय इसके विद्युतीकरण होने तक और अधिक डीएमयू गाड़ियां चलाने की आवश्यकता।) (1071)

(सर्कुलर रेलवे के पूरे मार्ग का विद्युतीकरण करने और ईएमयू गाड़ी चलाने की आवश्यकता।) (1072)

(बेकार माल लाइनों का उपयोग करके रामकिस्तोपुर-शिपुरचर-शालीमार-सांत्रागाची होते हुए हावड़ा गुड्स से हावड़ा तक हावड़ा की ओर एक सर्कुलर रेल चलाने की आवश्यकता।) (1073)

(सर्कुलर रेलवे, कलकत्ता के प्रिसपघाट से माजरहाट सेक्शन तक के मार्ग को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता।) (1074)

(सुन्दरवन क्षेत्र के विकास के लिए कुलपी और नामखाना के बीच के निर्माण कार्य को तेज करने की आवश्यकता।) (1075)

(दत्तापुकुर और बोनगांव, पूर्वी रेलवे के बीच दूसरी लाइन के निर्माण कार्य को तेज करने के लिए और अधिक धन उपलब्ध कराने की आवश्यकता।) (1076)

(दम-दम जंक्शन और सियालदह के बीच अतिरिक्त कोरिडोर उपलब्ध कराने की आवश्यकता।) (1077)

(पूर्वी रेलवे के बेल्ली और श्रीरामपुर के बीच अतिरिक्त ऊपरि लाइन बिछाने की आवश्यकता।) (1078)

(पूर्वी रेलवे के न्यू अलीपोर और बज-बज के बीच की लाइन को दोहरा करने की आवश्यकता।) (1079)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

(उपनगरीय क्षेत्रों में स्थानीय रेलगाड़ियों तथा अन्य सुविधाओं को वापस लेने के लिए जोनल रेलवे द्वारा जारी किये गये निदेशों को वापस लेने में असफलता।) (596)

(उप-नगरीय गाड़ियों के किरायों को 1990 के स्तर पर लाने में असफलता।) (597)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ : -

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

(हावड़ा, सियालदह और आसनसोल डिवीजन के स्टेशनों और गाड़ियों में न्यूनतम यात्री सुविधा प्रदान करने में असफलता।) (174)

(उप-नगरीय किराये को विशेष रूप से दूसरी श्रेणी के किराये तथा मासिक सीजन टिकटों के 1990 के स्तर पर लाने में असफलता।) (175)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

(बड़े स्तर पर गेज परिवर्तन करने के कार्यक्रम की समीक्षा करने में असफलता।) (179)

(आबंटित की गयी धनराशि को बृहत गेज परिवर्तन कार्यक्रम के लिए खर्च करने को रोकने में असफलता।) (180)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

(पश्चिम बंगाल में चालू परियोजनाओं को पूरा करने हेतु पर्याप्त धन आबंटित किये जाने में असफलता जबकि किसी क्षेत्र विशेष में गेज परिवर्तनों के लिए बहुत अधिक का आबंटन किया और देश के अन्य भागों की उपेक्षा की गई।) (546)

(सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वैगनों को क्रयादेश दिये जाने में असफलता जिसके फलस्वरूप उनके अस्तित्व तथा वहां काम करने वाले कर्मचारियों के रोजगार की सुरक्षा को खतरा हो गया है।) (547)

(स्विट्जरलैंड के एशिया ब्राऊन बोवेरी से 30 विद्युत रेल इंजनों के आयात हेतु दिये गये क्रयादेश को देश के हित में रद्द किये जाने में असफलता।) (548)

(कलकत्ता के सर्कुलर रेलवे के सर्किल को पूरा करने के लिए प्रिन्सिपघाट तथा माजेहरहाट को जोड़ने में असफलता।) (549)

(हावड़ा के लिए जिसके लिए रेलपथ तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध हैं, सर्कुलर रेलवे तथा ग्रेटर

सर्कुलर रेलवे का निर्माण किये जाने में असफलता।) (550)

(अप्रयुक्त खाली पड़ी रेल लाइनों पर अवैध कब्जा रोकने में असफलता।) (551)

(विभिन्न वर्गो में विशेषकर टिकट निरीक्षक कर्मचारियों के वर्ग में रिक्तियों को भरे जाने में असफलता।) (552)

''कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।''

(कीमतों को नियंत्रित करने के लिए मालभाड़े में हुई वृद्धि को वापस लने में असफलता।) (223)

(उप-नगरीय रेल किराया तथा दूसरे दर्जे के किरायों को 1990 के स्तर पर लाने में असफलता।) (224)

''कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।''

(अत्यधिक प्रसिद्ध पर्यटन मार्गो अर्थात् कलकत्ता-दिघा, कलकत्ता-सुन्दरबन,कलकत्ता-पलसी-मुर्शीदाबाद, कलकत्ता-विष्णुपुर,कलकत्ता-शांति-निकेतन-बोलपुर, एनजेपी-दार्जिलिंग-कुर्सियांग-कालिमपोंग-जलदापाड़ा, सुरक्षित वन-सिक्किम, कलकत्ता-आसनसोल-मैथन-तोपचाची, कलकत्ता-पुरी जैसे अत्यधिक प्रसिद्ध पर्यटन मार्गो को प्रस्तावित साप्ताहित छुट्टी कार्यक्रम जो रेलवे द्वारा शुरू किया गया है, में शामिल करने में असफलता।) (558)

(कलकत्ता-शांतिनिकेतन, कलकत्ता-न्यू जलपाईगुड़ी-दार्जिलिंग-केलीमपोंग-कुर्सीयांग, कलकत्ता-गया नालन्दा-वाराणसी को भारतीय रेलवे के ''प्लेस आन व्हील'' कार्यक्रम में शामिल करने में असफलता।) (559)

(मैट्रो रेलवे परियोजना कलकत्ता में पूर्व-पश्चिम तथा उत्तर-दक्षिण कोरीडोर को क्रियान्वित करने में असफलता।) (560)

(हावड़ा से आने जाने वाली एक नोन-स्टॉप रेल सेवा प्रारम्भ करने में असफलता।) (561)

''कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।''

(बड़े पैमाने पर शुरू किये गये गैज परिवर्तन कार्यक्रम की समीक्षा करने की आवश्यकता।) (562)

(हावड़ा/सियालदह की उप-नगरीय सेवाओं के लिए एक अलग से कोरीडोर उपलब्ध कराने की आवश्यकता।) (563)

(सर्कुलर रेलवे के उल्टदंगा रोड और विधान नगर स्टेशन के बीच पैदल उपरि-पुल/भूमिगत रास्ता बनाये जाने की आवश्यकता।) (564)

(अति व्यस्तता के समय सर्कुलर रेलवे के प्रिन्सिपघाट-डम डम के बीच जब तक कि इस मार्ग का विद्युतीकरण न हो जाये, और अधिक डी.एम. यू. सेवा शुरू किये जाने की आवश्यकता।) (565)

(सर्कुलर रेलवे के समग्र मार्ग का विद्युतीकरण किये जाने तथा ई.एम.यू. सेवा शुरू किये जाने की आवश्यकता।) (566)

(हावड़ा से रामकिस्तोपुर-शिबपुरचर शालीमार-संतरागाछी के रास्ते हावड़ा के लिये बेकार पड़ी मालगाड़ी के लाइन का उपयोग करके सर्कुलर रेल शुरू किये जाने की आवश्यकता।) (567)

श्री बसुदेव आचार्य : मैं प्रस्ताव करता हूँ : -

(नीति निरनुमोदन)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

(दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्यालय को गार्डन रीच कलकत्ता से स्थानान्तरित करने से रोकने में असफलता।) (736)

(घाटे में चलने वाली रेल लाइनों को अर्थसक्षम बनाने के लिए कारगर कदम उठाने में असफलता।) (737)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाये।"

(481/482 मुरी-बरकाकाना यात्री गाड़ी को पुरूलिया तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता।) (1607)

(रेंकों के रख-रखाव के लिए पुरूलिया में सुविधा के लिए तत्काल उपाय किये जाने की आवश्यकता।) (1608)

(पुरुलिया रेलवे स्टेशन पर और अधिक प्लेटफार्म बनाये जाने की आवश्यकता।) (1609)

(पुरूलिया-चांडिल होते हुए 8015/8016 हावड़ा-हटिया एक्सप्रेस का मार्ग बदलने के लिए तत्काल कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता।) (1610)

(पुरूलिया होते हुए सप्ताह में तीन बार चलने वाली 8689/8690 बोकारो-एंलप्पी एक्सप्रेस का मार्ग बदलने के लिए तत्काल कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता।) (1611)

(हावड़ा-पुरूलिया एक्सप्रेस को फास्ट यात्री गाड़ी बनाये जाने की आवश्यकता।) (1612)

(गुवाहाटी और नई दिल्ली के बीच प्रस्तावित राजधानी एक्सप्रेस को रोजाना चलाये जाने की आवश्यकता।) (1613)

(भुवनेश्वर और नई दिल्ली के बीच प्रस्तावित राजधानी एक्सप्रेस की बारम्बारता में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता।) (1614)

(पर्यटन की दृष्टि से सियालदह और न्यू जलपाईगुडी और गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुडी के बीच शताब्दी जैसी रेलगाड़ियां चलाये जाने की आवश्यकता।) (1615)

(हावड़ा और भुवनेश्वर, हावड़ा और पटना और हावड़ा तथा गया के बीच शताब्दी एक्सप्रेस चलाये जाने की आवश्यकता।) (1616)

पुरूलिया हावड़ा, एक्सप्रेस में एक रसोइयान लगाये जाने की आवश्यकता।) (1617)

(पूर्वा एक्सप्रेस में वातानुकूलित कुर्सीयान दुबारा से लगाये जाने की आवश्यकता।) (1618)

(हावड़ा और नई दिल्ली के बीच रोजाना एक दूसरी राजधानी एक्सप्रेस चलाये जाने और इसे आसनसोल पर ठहराये जाने की आवश्यकता।) (1619)

(हावड़ां-नई दिल्ली एक्सप्रेस में वातानुकूल 3 टियर कोच में एक होट केस उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।) (1620)

(हावड़ा-राजधानी एक्सप्रेस में चिकित्सा व्यवस्था में सुधार किये जाने की आवश्यकता।) (1621)

(हावड़ा और मुगलसराय के बीच हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में सुरक्षागार्ड उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।) (1622)

(कालका मेल, पूर्वा एक्सप्रेस को रानीगंज पर ठहराये जाने की आवश्यकता।) (1623)

(वापसी आरक्षण संबंधी सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु आसनसोल स्थित कम्प्यूटर आरक्षण केन्द्र को उपग्रह से जोड़े जाने की आवश्यकता।) (1624)

(आसनसोल स्टेशन को साफ-सुथरा रखे जाने और उसका आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता।) (1625)

(बाराकर और बर्द्धमान के बीच सभी रेल फाटकों पर चौकीदार रखे जाने की आवश्यकता।) (1626)

(दक्षिण पूर्व रेलवे के आसनसोल और बर्नपुर सेक्शन के बीच दूसरी लाइन का निर्माण शीघ्र शुरू किये जाने की आवश्यकता।) (1627)

(आसनसोल-स्थित विश्राम ग्रहों का नए ढंग से निर्माण करने और वहाँ कुछ और डीलक्स श्रेणी के विश्राम ग्रहों के निर्माण करने की आवश्यकता।) (1628)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

(हावड़ा और नई दिल्ली के बीच एक सुपरफास्ट यात्री गाड़ी चलाये जाने में असफलता।) (1761)

(पश्चिम बंगाल के सभी जिला मुख्यालयों को राष्ट्रीय राजधानी के साथ जोड़े जाने में असफलता।) (1762)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

श्री बसुदेव आचार्य :

(हावड़ा-राजधानी एक्सप्रेस के खानपान और अन्य कर्मचारियों के लिए बर्थ उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने में असफलता।) (1893)

(नई दिल्ली-भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस को बांकुरा और आद्रा होते हुए चलाने में असफलता।) (1894)

(हावड़ा-राजधानी एक्सप्रेस के खानपान कर्मचारियों को जूते उपलब्ध कराये जाने में असफलता।) (1895)

(हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस के वातानुकूलित थ्री टीयर यात्रियों को निःशुल्क बिस्तर उपलब्ध कराने के लिए तत्काल कदम उठाने में असफलता।) (1896)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(2301/2302 को रोजाना चलाये जाने और उसे नई दिल्ली-भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस जितने स्टेशनों पर ठहराये जाने की आवश्यकता।) (1897)

(प्रत्येक श्रेणी की कुल क्षमता के केवल 10 प्रतिशत प्रतीक्षा-सूची टिकट जारी किये जाने की आवश्यकता।) (1898)

(हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस के लिए प्रत्येक 200 किलोमीटर के पश्चात् एक अतिरिक्त इंजन उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।) (1899)

(हावड़ा इलैक्ट्रिक लोकोशेड्स और आसनसोल इलैक्ट्रिक लोकोशेड्स में उच्च गति वाले अधिक विद्युत इंजन उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।) (1900)

(हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस में वापसी यात्रा के लिए पानी की बोतलों और सायं के नास्ते को ले जाने पर रोक लगाने और उसे नई दिल्ली स्थित खानपान सेवा से ही खरीदे जाने की आवश्यकता।) (1901)

(रेलवे के सभी नैमित्तिक कर्मचारियों को नियमित करने में असफलता।) (1965)

(यात्री गाड़ियों, विशेषकर हावड़ा, सियालदह, आसनसोल और खड़गपुर डिविजनों के अंतर्गत चलने वाली गाड़ियों की समयबद्धता सुनिश्चित करने में असफलता।) (1966)

(रेलवे बोर्ड के व्यय में कमी करने में असफलता।) (1967)

(यात्रियों को प्राथमिक सुविधाएं प्रदान करने में असफलता।) (1968)

(2305/2306 रेलगाड़ी को हावड़ा और आसनसोल के बीच ईधन बचाने के उद्देश्य से विद्युत इंजनों द्वारा चलाने तथा आसनसोल में स्टाप बना कर राजस्व अर्जित करने के लिए तत्काल कदम उठाने में असफलता।) (1969)

(हावड़ा और नई दिल्ली के बीच दूसरी राजधानी एक्सप्रेस चलाने में असफलता।) (1970)

(हावड़ा-राजधानी एक्सप्रेस में आपातस्थिति के लिए आक्सीजन सिलेंडर प्रदान करनें में असफलता।) (1971)

(भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस को पूर्वी रेलवे के प्रशासनिक नियंत्राणाधीन चलाने के लिए तुरन्त कदम उठाने में असफलता।) (1972)

(रेलवे पास धारक परिचारक को उसी श्रेणी में आवास प्रदान करनें तथा उसे परिचारक की बजाय सहयोगी के नाम से पुकारने के लिए आवश्यक निर्देश, जारी करने में असफलता।) (1973)

(इस आशय के आवश्य निर्देश, जिससे कि रेल कर्मचारी अपनी पात्रता के अनुसार राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस में यात्रा कर सकें, जारी करने में असफलता।) (1974)

(पूर्वी एक्सप्रेस में वातानुकूलित 3 टियर कोच जोड़ने में असफलता।) (1975)

(छोटी दूरी के यात्रियों के लिए पूर्वी एक्सप्रेस में वातानुकूलित चेयरयान बहाल करने में असफलता।) (1976)

(हावड़ा-राजधानी एक्सप्रेस के वातानुकूलित 3 टियर कोच के यात्रियों को निःशुल्क बिस्तर प्रदान करने में असफलता।) (1977)

(हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस के रेल अधीक्षक, उप-रेल अधीक्षक और खान-पान निरीक्षकों का एक जैसी वर्दी प्रदान करने में असफलता।) (1978)

(दुर्गापुर में कोच बनाने का कारखाना लगाने में असफलता।) (1979)

(अधिक संख्या में डी.एम.यू. और ई.एम.यू. कोचों का निर्माण करने के लिए लिलुआ वर्कशाप को आवश्यक सामग्री प्रदान करने में असफलता।) (1980)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

(सरकारी उपक्रमों संबंधी बजट प्रस्तावों के अनुसार रेलवे के अर्द्धवार्षिक कार्यक्रम के अनुसार वैगनों के लिये आर्डर देने में असफलता।) (2136)

(चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के 1994-95 के कार्यक्रम की आवश्यकता के लिए उनके द्वारा नार्दे एक्जास्टर हेतु निविदाओं को स्वीकार करने में असफलता।) (2137)

"कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

(सभी रेल कर्मचारियों को रेलवे मकान उपलब्ध कराये जाने में असफलता।) (2173)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

(दूसरी श्रेणी के किराये तथा मासिक सीजन टिकट किराये के संबंध में छूट सीमा को 250 किलो मीटर तक बढ़ाये जाने में असफलता।) (2176)

(रेल गाड़ियों में भीड़-भाड़ तथा अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिये समूचे मार्ग पर सभी रेलगाड़ियों के स्लीपर श्रेणी के सभी डिब्बों में टिकट निरीक्षक नियुक्त करने में असफलता।) (2177)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

(सभी रेल विभागों में विभिन्न ग्रेडों का सृजन करने के लिये उचित मानदंड बनाने की आवश्यकता।) (2178)

(खुले बाजार में वस्तुएं खरीदने पर पाबन्दी लगाने तथा इन्हें रेलवे की कार्यशालाओं ओर उत्पादन इकाइयों में निर्मित करने की आवश्यकता।) (2179)

(रेलवे की सभी यूनियनों/एसोसिएशनों को मान्यता प्रदान करने की आवश्यकता।) (2180)

(सीएलडब्ल्यू लेबर यूनियन, एआईएल आरएसए, एआईआरईसी आदि को मान्यता प्रदान करने की आवश्यकता।) (2181)

(एआईएल आरएसए तथा ए आईआरईसी को बातचीत की सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता।) (2182)

(सभी रेलवे स्टेशनों पर टिकट चेंकिंग स्टाफ व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता।) (2183)

(फालतू रेलवे कर्मचारियों को पुनः नौकरी दिये जाने तथा उनकी वरिष्ठता बनाये रखने की आवश्यकता।) (2184)

(कोयला और राख की धरा-उठाई संबंधी कर्मकारों के लिये वैकल्पिक नौकरियां प्रदान करने हेतु उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता।) (2185)

(उत्पादन ईकाइयों के निजीकरण को रोकने की आवश्यकता।) (2186)

(स्वीकृत पदों तथा लीव रिजर्व पदों सहित सभी रिक्त पदों पर कर्मचारी भर्ती करनें की आवश्यकता।) (2187)

(सुरक्षा हेतु पर्याप्त ब्रेक पावर के साथ गाड़ियां (गाल तथा यात्री गाडियां) चलाने की आवश्यकता।) (2188)

(रनिंग स्टाफ के लिये काम पर आने और वापस जाने (साइनिंग ओन टु साईनिंग ऑफ) तक दस घंटे की ड्यूटी लागू करने की आवश्यकता।) (2189)

(रेलवे पुलिस द्वारा खोमचे वालों को तंग करने से रोकने की आवश्यकता।) (2190)

(गया से धनबाद तक आरक्षित डिब्बों में चोरी, लूट-पाट तथा अनधिकृत प्रवेश की घटनाओं को रोकने के लिये विशेष पुलिस बल प्रदान करने की आवश्यकता।) (2191)

(सभी अलाभकार रेल लाइनों को लाभकर बनाने के लिये आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता।) (2192)

(पुरी-नई दिल्ली एक्सप्रेस को गोमो-धनबाद-आसनसोल-आद्रा-बाकुंड़ा मार्ग से होकर चलाये जाने की आवश्यकता।) (2193)

(पुरी-नई दिल्ली और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस गाड़ी को प्रतिदिन चलाये जाने की आवश्यकता।) (2194)

(बर्द्धमान पर ईएमयू कारशैड बनाये जाने की आवश्यकता।) (2195)

''कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

(हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस में पश्चिम बंगाल के विभिन्न पर्यटक स्थलों, त्यौहारों तथा नृत्यो के पोस्टर लगाये जाने की आवश्यकता।) (2236)

(हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस में सायंकालीन हल्के नाश्ते में 'कोसमोस' की सप्लाई रोकने की आवश्यकता।) (2237)

(हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस में रात के खाने में सायंकालीन हल्के नाश्ते में तथा सुबह के नाश्ते में विविधता लाने की आवश्यकता।) (2238)

(हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस में रात के खाने में मिठाईयां दिये जाने की आवश्यकता।) (2239)

(हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस में हाल ही में लगाई गई पेंटरी कार के डिजाइन में परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता।) (2240)

(चलती गाड़ियों में डाक्टर उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।) (2241)

(दुर्गापुर आसनसोल-बर्नपुर-आद्रा-पुरुलिया से होकर हावड़ा और रांची के बीच एक सुपरफास्ट गाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता।) (2242)

(राज्यों की राज भाषाओं में आरक्षण पर्चियां छापने की आवश्यकता।) (2243)

(जहां से गाड़ी आरंभ होती है, वहां उस राज्य की राज भाषा में कम्प्यूटर टिकट छापने की आवश्यकता।) (2244)

(जहां से गाड़ियां आरंभ होती हैं, वहां उन राज्यों की राज भाषाओं में टिकटों पर गाड़ियों के नाम और गंतव्य स्थानों के नाम छापने की आवश्यकता।) (2245)

(डिब्बों पर उन राज्यों की राज भाषाओं में जोनल रेलवे के नाम लिखने की आवश्यकता जहां से गाड़ियां चलती हैं।) (2246)

(पूर्व रेलवे के हावड़ा और समस्तीपुर के बीच एक [illegible] गाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता।) (2247)

(हावड़ा, सियालदह, आसनसोल, खड़कपुर, आद्रा और मालदा डिवीजनों के अंतर्गत सभी बिना चौकीदार वाले फाटकों पर कर्मचारी नियुक्त करने की आवश्यकता।) (2248)

(पश्चिम बंगाल के जनजातीय और पिछड़े इलाकों में रेल सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।) (2249)

(बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिय पश्चिम बंगाल स्थित इकाईयों से अधिक डिब्बे प्राप्त करने की आवश्यकता।) (2250)

(पश्चिम बंगाल सभी रेल मार्गो का विद्युतीकरण करने के लिए तुरन्त कदम उठाये जाने की आवश्यकता।) (2251)

(सभी छोटे स्टेशनों पर भी रेल टिकट निरीक्षक नियुक्त करने की आवश्यकता।) (2252)

(हावड़ा और दिल्ली/नई दिल्ली के बीच और अधिक विशेष ग्रीष्मकालीन गाड़िया चलाने की आवश्यकता।) (2253)

(पश्चिम बंगाल जहां पर सभी बुनियादी सुविधायें उपलब्ध हैं, रेल डिब्बे निर्मित करने की इकाई स्थापित करने की आवश्यकता।) (2254)

(द्वितीय श्रेणी के किराये को कम कर बिना टिकट यात्रा को रोकने की आवश्यकता।) (2255)

(दूसरे दर्जे के किराये में कटौती की आवश्यकता जिससे कि राजस्व में वृद्धि की जा सके।) (2256)

(सभी रेल मार्गो पर चलने वाली रेलगाड़ियों के सभी डिब्बों में रेल यात्री निरीक्षक उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता जिससे कि बिना टिकट चलने वाले यात्रियों को रोका जा सके।) (2257)

(और अधिक शयनयान डिब्बों तथा दूसरे श्रणी के साधारण डिब्बों का निर्माण किये जाने की आवश्यकता।) (2258)

(हावड़ा-अमृतसर मेल तथा सियालदह जम्मू तवी एक्सप्रेस में रेलवे खानपान द्वारा संचालित भोजनयान जोड़े जाने की आवश्यकता।) (2259)

(आसनसोल धनवाद के रास्ते हावड़ा से मुगलसराय के बीच एक एक्सप्रेस गाड़ी शुरू करने की आवश्यकता।) (2260)

(खड़गपुर-हटिया यात्री गाड़ी की बारम्बारता में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता।) (2261)

(आसनसोल-बर्नपुर-आद्रा-बंकुड़ा के रास्ते पुरी से नई दिल्ली के बीच एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता।) (2262)

(अगली समय सारणी के पूर्व पुरी नई दिल्ली एक्सप्रेस गाड़ी को प्रति दिन चलाये जाने की आवश्यकता।) (2263)

(भोजन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए रेलवे खानपान सेवा द्वारा संचालित भोजनयान कामरूप एक्सप्रेस में जोड़े जाने की आवश्यकता।) (2264)

श्री तरित वरण तोपदार (बैरकपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ : -

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

(पश्चिम बंगाल में चल रही रेल परियोजनाओं को पूरा करने हेतु पर्याप्त राशि आबंटित करने में असफलता।) (178)

श्री निर्मलकांति चटर्जी (दमदम) : मैं प्रस्ताव करता हूँ : -

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मौंग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

(कलकत्ता में मेट्रो रेल परियोजना के लिए ईस्ट-वेस्ट तथा समानान्तर नार्थ-साउथ कांरीडोर की योजना को क्रियान्वित करने हेतु उपाय करने में असफलता।) (181)

(हावड़ा के लिए तथा हावड़ा से नान-स्टाप गाड़ी चलाने में असफलता।) (182)

(पर्यटकों की दृष्टि से सियालदह से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए शताब्दी एक्सप्रेस शुरू करने में असफलता।) (183)

(पूर्व रेलवे और दक्षिण-पूर्व रेलवे के हावड़ा और सियालदह डिवीजन के उपनगरीय सेक्शनों में यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी करने में असफलता।) (184)

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

(पश्चिम बंगाल और बिहार में चालू परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धन देने में असफलता।) (333)

(पश्चिम बंगाल में रेल लाइनें बिछाने में असफलता।) (334)

(सीजनल टिकटों के किराये में प्रस्तावित वृद्धि को वापस लेने में असफलता।) (335)

(माल भाड़े में प्रस्तावित वृद्धि, जिसके कारण कीमतों मे वृद्धि होगी, को वापस लेने में असफलता।) (336)

(छटनी किये गये रेल कर्मचारियों को सेवा में वापस लेने में असफलता।) (337)

(रेलवे में खाली पड़े पदों पर नये कर्मचारियों की भर्ती किये जाने में असफलता।) (338)

(रेलवे की भूमि को अप्राधिकृत लोगों के कब्जे से बचाने में असफलता।) (339)

(रेलवे की अतिरिक्त भूमि को वर्ष दर वर्ष आधार पर भूमिहीन किसानों को पट्टे पर देने में असफलता।) (340)

(रेलवे लाइनों के पास सामाजिक वानिकी करने में असफलता।) (341)

(पश्चिम बंगाल में स्थित कारखानों को वैगनों के पर्याप्त क्रयादेश देने में असफलता।) (342)

(रेलवे खानपान सेवा का निजीकरण करने की नीति को छोड़ने में असफलता।) (343)

(दूसरी श्रेणी के किराये में प्रस्तावित वृद्धि को वापस लेने में असफलता।) (344)

(राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस जैसी रेलगाड़ियों में ''एक यात्री और 30 किलोग्राम से अनधिक एक सामान'' की प्रणाली को शुरू करने में असफलता।) (345)

(दूसरी श्रेणी के डिब्बों में पेयजल उपलब्ध कराने में असफलता।) (346)

(आरक्षित डिब्बों में अप्राधिकृत यात्रियों के प्रवेश को रोकने में असफलता।) (347)

(मृत रेल कर्मचारियों के परिवार के सदस्य को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी देने में असफलता।) (348)

(रेलवे स्टेशनों पर तथा रेलगाड़ियों में प्रथमोचार सुविधायें उपलब्ध कराने में असफलता।) (349)

(सुपरफास्ट रेलगाड़ियों में डाक्टरों की नियुक्ति करने में असफलता।) (350)

''कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।''

(यात्रियों के आरक्षण चार्टों को उसी राज्य की राजभाषा में जिस राज्य से वे रेलगाड़ियां चलती हैं तैयार करने की आवश्यकता।) (351)

(जिन राज्यों में कोई स्टेशन स्थित है उसी राज्य की राजभाषा में आरक्षण पर्चियां मुद्रित कराने की आवश्यकता।) (352)

(हावड़ा और दिल्ली के बीच में चलने वाली कम से कम एक रेलगाड़ी को वारास्ता कटवा-आजिमगंज चलाने की आवश्यकता।) (353)

(भागीरथी एक्सप्रेस की गति बढ़ाने या उसे सियालदह लालगोला सैक्शनों में मेल गाड़ी मानने की आवश्यकता।) (354)

(सियालदह सैक्शन में बरहमपुर-कोर्ट स्टेशन के पास पंचाननतल्ला रेलवे समपार स्थल पर एक उपरि पुल बनाने की आवश्यकता।) (355)

(सियालदह सैक्शन में बरहमपुर-कोर्ट स्टेशन से जालंगी तक रेल-व-बस सेवा शुरू करने की आवश्यकता।) (356)

(खगराघाट स्टेशन से संथिया तक कम से कम तीन रेल व बस सेवायें शुरू करने की आवश्यकता।) (357)

(कृष्णनगर से करीमपुर तक कम से कम तीन रेल व बस सेवायें शुरू करने की आवश्यकता।) (358)

(सियालदह सैक्शन में लालगोला यात्री गाड़ी के सभी पुराने डिब्बों को बदलने की आवश्यकता।) (359)

(आजिमगंज में रेल कर्मचारियों के लिए एक अस्पताल खोलने की आवश्यकता।) (360)

(सियालदह सैक्शन में पीरतल्ला हाल्ट स्टेशन का दर्जा बढ़ा कर फ्लैग स्टेशन बनाने की आवश्यकता।) (361)

(शताब्दी एक्सप्रेस को हावड़ा से जलपाईगुड़ी वाया कटवा चलाने की आवश्यकता।) (362)

(मछेड़ा, पंसकुरा और हावड़ा स्टेशनों पर पान के पत्तों की बुकिंग के लिये और सुविधायें उपलब्ध कराने की आवश्यकता।) (363)

(पीरतल्ला हाल्ट और भगवानगोला स्टेशनों पर पेयजल तथा शैड जैसी पर्याप्त यात्री सुविधायें उपलब्ध कराने की आवश्यकता।) (364)

(आजिमगंज लोकोशैड का उचित उपयोग करने की आवश्यकता।) (365)

(हावड़ा और आजिमगंज सैक्शन में नियालिसपाडा हाल्ट स्टेशन की तरफ एक रेलवे गेट बनाने की आवश्यकता।) (366)

(सभी रेलगाड़ियों में रात के समय प्रत्येक डिब्बे में रेल संरक्षण बल का कम से कम एक जवान उपलब्ध कराने की आवश्यकता।) (367)

(मासिक टिकटों में फोटो लगाने की प्रणाली शुरू कराने की आवश्यकता।) (368)

(रेलगाड़ियों में छात्रों को मिलने वाली रियायत में वृद्धि करने की आवश्यकता।) (369)

(अध्ययन दौरों के लिये जाने वाले छात्रों को मिलने वाली ग्रुप रियायत में वृद्धि करने की आवश्यकता।) (370)

(अस्पतालों की राय के अनुसार नियमित रूप से जांच के लिए जाने वाले रोगियों को किराये में रियायत देने की आवश्यकता।) (371)

(विभिन्न स्टेशनों पर रेलवे के विक्रेताओं तथा अन्य लोगों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मिठाईयों तथा खाने के अन्य सामान की गुणवत्ता की आकस्मिक जांच करने की आवश्यकता।) (372)

(दूसरी श्रेणी के डिब्बों में स्वच्छ स्नानकक्ष तथा साबुन उपलब्ध कराने की आवश्यकता।) (373)

(रेलगाड़ियों में भीड़भाड़ को कम करने के लिए सभी रेलों में पर्याप्त संख्या में डिब्बे लगाने की आवश्यकता।) (374)

(रेलगाड़ियों में अप्राधिकृत यात्रियां के प्रवेश को रोकने के लिए रनिंग स्टाफ की अधिक संख्या में नियुक्त करने की आवश्यकता।) (375)

(यात्री डिब्बों में अपना सामान ले जाने वाले विक्रेताओं को सख्ती से रोकने के आवश्यकता।) (376)

(स्थानीय रेलगाड़ियों में विक्रेताओं के डिब्बों की संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता।) (377)

(महिलाओं के डिब्बों में उनकी पर्याप्त सुरक्षा के लिए रेल संरक्षण बल की महिला कांस्टेबिलों की व्यवस्था करने की आवश्यकता।) (378)

(रेलवे में विक्रेताओं को लाइसेंस तथा पहचान पत्र देने की आवश्यकता।) (379)

(रेलवे में किसी भी क्षेत्र में निजीकरण न करने की आवश्यकता।) (380)

(किसी भी रेलवे स्टेशन का निजीकरण करने से बचने की आवश्यकता।) (381)

(दूसरी श्रेणी के डिब्बों में यात्रियों के लिए पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध कराने की आवश्यकता।) (382)

(सियालदह सैक्शन में कृष्णनगर और लालगोला के बीच दोहरी लाइन बनाने की आवश्यकता।) (383)

(कृष्णनगर और लालगोला के बीच रेल लाइनों का विद्युतीकरण करने की आवश्यकता।) (384)

(सीटों के आरक्षण में हेराफेरी को रोकने की आवश्यकता।) (385)

(माल की बुकिंग में व्याप्त कदाचार को रोकने की आवश्यकता।) (386)

(रेलों द्वारा ले जाई जाने वाली वस्तुओं विशेषकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए ले जाई जाने वाली आवश्यक वस्तुओं की चोरी को रोकने की आवश्यकता।) (387)

(कलकत्ता में सर्कुलर रेल का कार्य पूरा करने की आवश्यकता।) (388)

(हावड़ा से मुम्बई के लिए एक नई रेलगाड़ी चलाने की आवश्यकता।) (389)

(हावड़ा डिवीजन में कटवा होते हुए हावड़ा से नया जलपाईगुढ़ी के लिए नई गाड़ियां चलाने की आवश्यकता।) (390)

(सियालदह सैक्शन में कृष्णनगर और लालगोला के बीच कम से कम दो नई रेलगाड़ियां चलाने की आवश्यकता।) (391)

(कृष्णनगर से बरहमपुर वाया करीमपुर जालंगी के लिए नई रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता।) (392)

(सियालदह सैक्शन में मुर्शीदाबाद के एक पर्यटन स्थल होने के बारे में व्यापक प्रचार किये जाने की आवश्यकता।) (393)

(रेल विभाग द्वारा मुर्शीदाबाद स्टेशन पर पर्यटकों के लिए शयनकक्ष उपलब्ध कराने की आवश्यकता।) (394)

(गाड़ियों के देर से चलने की स्थिति में यात्रियों को कम से कम 50 प्रतिशत किराया वापस देने की आवश्यकता।) (395)

(सियालदह सैक्शन में भगवानगोला रेलवे प्लेटफार्म की ऊंचाई बढ़ाने की आवश्यकता।) (396)

(सियालदह सैक्शन में सियालदह और लालगोला के बीच गाड़ियों को समय पर चलाने की आवश्यकता।) (397)

(सियालदह सैक्शन में बरहमपुर कोर्ट और सरगच्ची के बीच बलरामपुर में एक हाल्ट स्टेशन की मंजूरी देने की आवश्यकता।) (398)

(सियालदह और लालगोला के बीच दिन के समय चलने वाली रेलगाड़ियों की गति में वृद्धि करने

की आवश्यकता।) (399)

(सभी पुरानी पटरियों को बदलने की आवश्यकता।) (400)

(दार्जिलिंग मेल में बरहमपुर कोर्ट स्टेशन से आरक्षण कोटा उपलब्ध कराने की आवश्यकता।) (401)

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : मैं प्रस्ताव करता हूँ : -

"कि परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।"

(बंदेल के रास्ते हावड़ा तथा सियालदह के बीच ई.एम.यू. सेवा शुरू करने की आवश्यकता।) (568)

(बंदेल तथा नैहाटी लाइन के बीच एक दूसरी लाइन निर्माण किये जाने की आवश्यकता।) (569)

(आरामबाग के रास्ते तारकेश्वर से विष्णुपुर तक के लिए एक रेलवे लाइन का निर्माण किये जाने की आवश्यकता।) (570)

(बंदेल कटवा सेक्शन पर विद्युतीकरण का कार्य शीघ्र पूरा किये जाने की आवश्यकता।) (571)

(दिधा-तामलुक रेल मार्ग पर निर्माण कार्य शुरू करने की आवश्यकता।) (572)

(एकलाखी से बलूरघाट रेल मार्ग पर निर्माण कार्य शुरू करने की आवश्यकता।) (573)

" कि परिसम्पत्तियाँ-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम किये जाये।"

(कम्प्यूटरीकृत आरक्षण पर जारी प्रभार को हाथ द्वारा किए जाने वाले आरक्षण पर भी प्रस्तावित प्रभार लगाये जाने को वापस लिये जाने की आवश्यकता।) (586)

(पूर्व रेलवे के कोनागर स्टेशन के पूर्वी क्षेत्र में एक नया टिकट काऊंटर का निर्माण किये जाने की आवश्यकता।) (587)

(श्रीरामपुर स्टेशन पर कम्प्यूटर द्वारा आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।) (588)

(पूर्व रेलवे के बेल्ली स्टेशन पर सभी लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों को रोके जाने की आवश्यकता।) (589)

(हावड़ा से भद्रेश्वर के बीच चौथी रेल लाइन का निर्माण किये जाने की आवश्यकता।) (590)

(लिलुहा लेबल क्रासिंग पर एक फ्लाई-ओवर का निर्माण किये जाने की आवश्यकता।) (591)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।"

(हावड़ा-सेवड़ाफुली-तार्केश्वर रेल लाइन का आराम बाग शहर तक विस्तार किये जाने की आवश्यकता।) (1139)

(सेवड़ाफुली तथा तार्केश्वर स्टेशनों के बीच दोहरी रेल लाइनों का निर्माण किये जाने की आवश्यकता।) (1140)

(हावड़ा तथा बंडेल स्टेशनों के बीच चौथी रेल लाइन का निर्माण किये जाने की आवश्यकता।) (1141)

(हावड़ा-आम्ता-चंपाडांगा बड़ी रेल लाइन को पूरा किये जाने की आवश्यकता।) (1142)

(हावड़ा तथा बंदेल रेलवे स्टेशनों के बीच चार नयी ई.एम.यू. रेक शुरू किये जाने की आवश्यकता।) (1143)

(हावड़ा तथा बर्दवान रेलवे स्टेशनों के बीच चार नयी ई.एम.यू. रेक शुरू किये जाने की आवश्यकता।) (1144)

(हावड़ा-बर्दवान कॉर्ड सेक्शनों के बीच चार नई ई.एम.यू. रेक शुरू किये जाने की आवश्यकता।) (1145)

(तार्केश्वर स्टेशन पर एक पूरी क्षमता वाली रेक रेलवे यार्ड का निर्माण किये जाने की आवश्यकता।) (1146)

(हावड़ा-बर्दवान कॉर्ड सेक्शनों के बीच कामारकुण्डू पर एक ऊपरिपुल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता।) (1147)

(तार्केश्वर स्टेशन को एक मॉडल रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित करने की आवश्यकता।) (1148)

(बंडेल रेलवे स्टेशन के भूमिगत पैदल पार पथ में पानी जमा हो जाने की समस्या का समाधान किये जाने की आवश्यकता।) (1149)

(रेलवे के कोयला तथा राख उठाने वाले कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने की आवश्यकता।) (1150)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

(सीजन टिकटों के किराये को 1990 के स्तर पर वापस लाने में असफलता।) (1170)

(मासिक सीजन टिकटों के किराये के संबंध में छूट सीमा 250 किलोमीटर तक करने में असफलता।) (1171)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत माँग में से 100 रुपये कम किये जायें।"

(2305 अप गाड़ी के समय को 1.45 म.प. से 4 म.प. किये जाने की आवश्यकता तथा अगली समय-सारणी आने से पूर्व आसनसोल पर इसका स्टापिज बनाये जाने की आवश्यकता।) (2196)

(सभी डिब्बों का आधुनिकीकरण किये जाने तथा उनमें अधिक शौचालयों की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता।) (2197)

(हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस में नई दिल्ली से डाऊनवार्ड यात्रा करने के लिए हावड़ा से पानी की बोतलें तथा शाम की चाय-पानी लेने को रोकने तथा इन्हें नई दिल्ली से ही खरीदने की आवश्यकता।) (2198)

(हावड़ा बेस किचन में डाक-तार टेलीफोन प्रदान करने की आवश्यकता।) (2199)

(हावड़ा राजधानी एक्स्प्रेस के नये रसोईयान में टोस्टर और कप-बोर्ड उपलब्ध किये जाने की आवश्यकता।) (2200)

(हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस के रसोईयान से कुर्सीयान हटाने और गाड़ी में चलने वाले कर्मचारियों को बर्थ उपलब्ध किये जाने की आवश्यकता।) (2201)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अंतर्गत मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।"

(सभी रेलवे कर्मचारियों के लिए मकान उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।) (2220)

(रेलवे में खाली पड़े सभी पदों को तत्काल भरे जाने की आवश्यकता।) (2221)

(अतिक्रमण को रोकने के लिए अप्रयुक्त और बेकार पड़ी रेललाइना पर रेलगाड़ियां चलाये जाने की आवश्यकता।) (2222)

(प्रथम छमाई के लिए पश्चिम बंगाल में वैगन निर्माण इकाईयों को तुरन्त आर्डर दिये जाने की आवश्यकता।) (2223)

(सभी स्टेशनों पर और सभी गाड़ियों में प्रथमोपचार सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।) (2224)

(हावड़ा-राजधानी एक्सप्रेस में जलपान और रात्रि भोज के व्यंजनों में भिन्नता लाने की आवश्यकता।) (2225)

(हावड़ा-राजधानी एक्सप्रेस के पुस्तक विक्रेताओं को रेलवे के खान-पान कर्मचारियों के रूप में नियमित किये जाने की आवश्यकता।) (2226)

(हावड़ा-राजधानी एक्सप्रेस में टिकट पर्यवेक्षकों के लिए दो की बजाय चार केबिन बनाये जाने की आवश्यकता।) (2227)

(हावड़ा-राजधानी एक्सप्रेस में कार्यरत कर्मचारियों के लिए बर्थ उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।) (2228)

(हावड़ा-राजधानी एक्सप्रेस के दूरी तय करने के समय में तत्काल कमी किये जाने की आवश्यकता।) (2229)

(रामपुर हाट से मुजफ्फरपुर तक एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता।) (2230)

(रेलवे में रोजगार के अवसर बढ़ाने की आवश्यकता।) (2231)

(रेलवे में सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता।) (2232)

(रेल दुर्घटनाओं को रोकने की आवश्यकता।) (2233)

(रेलवे के मकानों का उचित रूप से रख-रखाव और उनकी मरम्मत किये जाने की आवश्यकता।) (2234)

(पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का विभिन्न स्टेशनों पर तथा हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस में पर्याप्त प्रचार किये जाने की आवश्यकता।) (2235)

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवनचन्द्र खंडूरी (गढ़वाल) : मैं प्रस्ताव करता हूँ : -

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अंतर्गत मांग में से 100 रुपये कम किये जायें।"

(कोटद्वार से हावड़ा तक सीधा आरक्षण उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।) (639)

(कोटद्वार से मुम्बई तक बर्थों का आरक्षण और सीधा आरक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।) (640)

(कोटद्वार से लखनऊ तक हावड़ा तक प्रथम तथा द्वितीय श्रेणियों में आरक्षित बर्थ का कोटा बढ़ाये जाने की आवश्यकता।) (641)

(कोटद्वार से जम्मू तवी तक दूसरी श्रेणी के शयनयान में आरक्षित बर्थ उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।) (642)

(कोटद्वार से गुवाहाटी और कोटद्वार से जम्मू तवी तक सशस्त्र बलों के कर्मचारियों के लिए दूसरी श्रेणी का एक पृथक शयनयान उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।) (643)

(कोटद्वार से लखनऊ तक आरक्षित बर्थों के कोटे को बहाल किये जाने की आवश्यकता।) (644)

(रेलगाड़ियों में और रेलवे स्टेशनों पर शौचालयों को साफ सुथरा, स्वच्छ और इस्तेमाल योग्य बनाये रखने की आवश्यकता।) (645)

(देहरादून रेलवे स्टेशन पर और अधिक विश्रामालय उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।) (646)

(देहरादून रेलवे स्टेशन पर विश्रामालयो और शौचालयों का उचित रखरखाव किये जाने की आवश्यकता।) (647)

(कोटद्वार और नजीबाबाद रेलवे स्टेशनों पर विश्रामालयों का उचित रख-रखाव किये जाने की आवश्यकता।) (648)

(रेलवे में खान-पान की गुणवत्ता में सुधार किये जाने की आवश्यकता।) (649)

(गोपेश्वर/चमोली में रेलवे आऊट एजेन्सी खोले जाने की आवश्यकता।) (650)

(पुराने और खराब चल स्टाक को बदले जाने की आवश्यकता।) (651)

(वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के डिब्बों सहित सभी प्रकार के डिब्बों में शौचालयों के रख-रखाव में सुधार किये जाने की आवश्यकता।) (652)

(वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के डिब्बों में पश्चिमी किस्म के शौचालयों को कम करके भारतीय किस्म के शौचालयों की वृद्धि किये जाने की आवश्यकता।) (653)

(कोटद्वार-नजीबाबाद सेक्शन पर चल स्टाक की स्थिति में सुधार किये जाने की आवश्यकता।) (654)

(नजीबाबाद और कोटद्वार के बीच रेलगाड़ियों का डीजलीकरण किए जाने की आवश्यकता।) (655)

(दिल्ली से कोटद्वार तक एक सीधी रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता।) (656)

(देहरादून और नई दिल्ली के बीच सुपर फास्ट ट्रेन चलाये जाने की आवश्यकता।) (657)

(ऋषिकेश से दिल्ली, लखनऊ और भारत के अन्य मुख्य शहरों तक सीधी रेलगाड़ियां चलाये जाने की आवश्यकता।) (658)

(देहरादून में रेल आरक्षण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण किये जाने की आवश्यकता।) (659)

(ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक एक नई रेल लाइन का सर्वेक्षण किये जाने की आवश्यकता।) (660)

(रेलवे के भूमि, भवन जैसी अचल सम्पत्ति की धारिता और इस्तेमाल की तर्कसंगत ढंग से समीक्षा किये जाने की आवश्यकता।) (661)

(रेलवे की अप्रयुक्त भूमि का उचित इस्तेमाल और उस पर अनाधिकृत कब्जा न होने देने के लिए उसे स्थानीय नगरपालिका के अधिकारियों को पट्टे पर दिये जाने की आवश्यकता।) (662)

(एशिया ब्राऊन बोवेरी से इंजनों की खरीद को रद्द किये जाने की आवश्यकता।) (663)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : मैं प्रस्ताव करता हूं : -

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अंतर्गत मांग में से 100 रुपये कम किये जाएं।

(ललितपुर से सिंगरौली तक रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता।) (749)

(झांसी से कानुपर तक रेल लाइन का विद्युतीकरण किये जाने की आवश्यकता।) (750)

((झांसी से मनिकपुर तक रेल लाइन का विद्युतीकरण किये जाने की आवश्यकता।) (751)

(झांसी से बीना तक और झांसी सें ग्वालियर तक नयी रेल गाड़ियां चलाये जाने की आवश्यकता।) (752)

(रेलवे में खिलाड़ियों के लिए आरक्षण कोटा बढ़ाये जाने की आवश्यकता।) (753)

(झांसी और ललितपुर में रेल कर्मचारियों के लिए पर्याप्त आवास सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।) (754)

(रेलवे के उन दिहाड़ी मजदूरों जिन्होंने 240 दिन की सेवा पूरी कर ली है को नियमित किये जाने की आवश्यकता।) (755)

(ललितपुर और बांदा में रेलवे अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता।) (756)

(ताज एक्सप्रेस को झांसी तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता।) (757)

(रेलवे में विकलांग बेरोजगार युवकों के लिए आरक्षण कोटा बढ़ाये जाने की आवश्यकता।) (758)

डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय (मंदसौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं : -

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।

(रेल यातायात की प्रबंध-कुशलता में सुधार के लिए रेलवे बोर्ड के सदस्यों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता।) (819)

(क्षेत्रीय रेलवे भर्ती कार्यालय को चण्डीगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित करने के कारण सैकड़ों कर्मचारियों के सामने आने वाली कठिनाईयों को दूर करने की आवश्यकता।) (820)

(रेलवे में काम को ठीक ढंग से चलाने के लिए रेल डिवीजनों का पुनर्गठन करने की आवश्यकता।) (821)

(रेलवे के ठेकेदारों द्वारा रेलवे स्टेशनों पर विशेषकर पश्चिम रेलवे के स्टेशनों पर दी जाने वाली खान-पान की वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता।) (822)

(सभी रेलगाड़ियों में यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए दूसरी श्रेणी के डिब्बों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता।) (823)

(रेलवे के कर्मचारी रहित रेल फाटकों पर कर्मचारियों की नियुक्ति करने की आवश्यकता।) (824)

(पश्चिम रेलवे के रतलाम डिवीजन में मन्दसौर और नीमच रेलवे स्टेशनों पर साधारण डिब्बों में तथा प्रथम और द्वितीय श्रेणी के ए.सी. डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय बनाने की आवश्यकता।) (825)

(मन्दसौर और जावरा रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए पेयजल की व्यवस्था करने की आवश्यकता।) (826)

(पश्चिम रेलवे में ठेकेदारों द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले खान-पान सेवा का सुधार निर्धारित मानकों के अनुसार किये जाने की आवश्यकता।) (827)

(पश्चिम रेलवे के रतलाम डिवीजन में गुना-नागदा यात्री गाड़ी को रतलाम रेलवे स्टेशन तक बढ़ाने की आवश्यकता।) (828)

(पश्चिम रेलवे में अगस्त क्रान्ति और राजधानी एक्सप्रेस के लिए रतलाम स्टेशन पर हाल्ट बनाने की आवश्यकता।) (829)

(पश्चिम रेलवे में बड़ौदा रेलवे स्टेशन पर चाय के स्टालों का ठेका दिये जाने की शर्तों पर विचार

करने की आवश्यकता।) (830)

(पश्चिम रेलवे के अजमेर डिवीजन में नीमच और रतलाम स्टेशनों के बीच शटल गाड़ी सेवा शुरू करने की आवश्यकता।) (831)

(नीमच-रतलाम मीटर गेज की लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता।) (832)

(पश्चिम रेलवे के रतलाम डिवीजन में जावरा, मन्दसौर और नीमच रेलवे स्टेशनों पर पर्याप्त बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करने की आवश्यकता।) (833)

(पश्चिम रेलवे में रतलाम स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा उपलब्ध करने की आवश्यकता।) (834)

(पश्चिम रेलवे में शामगढ़ स्टेशन पर जम्मू-तवी-मुम्बई (स्वराज एक्सप्रेस) जम्मू-तवी-अहमदाबाद (सर्वोदय एक्सप्रेस) और जम्मू-तवी एक्सप्रेस को रोकने की आवश्यकता।) (835)

(पश्चिम रेलवे के रतलाम और कोटा डिवीजनों में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता।) (836)

(पश्चिम रेलवे में जावरा, मन्दसौर और नीमच रेलवे स्टेशनों के पास रेलवे क्रासिंग पर एक उपरि पुल बनाने की आवश्यकता।) (837)

(पश्चिम रेलवे के रतलाम ओर कोटा डिवीजनों में जावरा, मन्दसौर, नीमच, सुवासरा और शामगढ़ रेलवे स्टेशनों पर शेड तथा प्लेटफर्मो का विस्तार करने का आवश्यकता।) (838)

"कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर नियुक्त रतलाम डिवीजन के रेल कर्मचारियों को आवास सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।) (958)

(रेल कर्मचारियों विशेषकर रतलाम, नीमच, और मंदसैर रेलवे स्टेशनों के कर्मचारियों के बच्चों को शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता।) (959)

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : मैं प्रस्ताव करता हूं : -

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

(रेलवे से भाप के इंजनों को हटाने के परिणामस्वरूप प्रभावित कर्मचारियों के लिए कमी की सुरक्षा देने में असफलता) (839)

(बंडेल-कटवा लाइन का विद्युतीकरण कार्य तेजी से करने की आवश्यकता।) (840)

(रेलवे स्टेशनों पर रेल सेवाओं का निजीकरण किये जाने को रोकने में असफलता।) (841)

(रेल लाइनों का अनुरक्षण तथा उनकी मरम्मत के कार्य का निजीकरण किये जाने को रोकने में असफलता।) (842)

(बंडेल-कटवा रेल लाइन को दोहरी बनाने में असफलता।) (843)

(सेवड़ा-फुली - तारकेश्वर रेलवे लाइन को दोहरी बनाने में असफलता।) (844)

(सी.एल.डब्लयू. के उच्च गति के रेल इंजनों के देश में उत्पादन को प्रोत्साहन देने में असफलता।) (845)

(रेल लाइनों का नवीकरण करने में असफलता।) (846)

(छटनी किये गये सभी रेल कर्मचारियों को फिर से सेवा में लेने में असफलता।) (847)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(पूर्व रेलवे के हावड़ा डिवीजन में बंडेल स्टेशन पर पैदल ऊपरि पुल बनाने की आवश्यकता।) (850)

(पूर्व रेलवे के हावड़ा डिवीजन के हुगली स्टेशन के प्लेटफार्म के पूर्व की ओर एक शैड बनाने की आवश्यकता।) (851)

(सार्वजनिक यात्री परिवहन के आने-जाने की सुविधा के लिये बंडेल में उप-मार्ग (बाजार पाड़ा) पर रेल लाइन को ऊंचा करने की आवश्यकता।) (852)

(चिनसुरा रेलवे स्टेशन पर मुख्य सड़क पर उपमार्ग को बनाने तथा आवश्यक मरम्मत करने की आवश्यकता।) (853)

(बंडेल जंक्शन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सेवाएं शुरू करने की आवश्यकता।) (854)

(हावड़ा डिवीजन की मुख्य लाइन पर बंडेल, हुगली, चिनसुरा, चन्दन नगर, मानकुंड, बधनेश्वर, आदि सप्तग्राम और मोगरा स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधाओं में वृद्धि करने की आवश्यकता।) (855)

(बंडेल और हावड़ा के बीच गाड़ियां (इ.एम.यू.) चलाने की आवश्यकता।) (856)

(बंडेल से सियालदह वाया नईहाटी के लिए ई.एम.यू. सेवा शुरू करने की आवश्यकता।) (857)

(नई हाटी और हावड़ा बाया बंडेल के बीच और रेलगाड़ियां चलाने की आवश्यकता।) (858)

(ब्रीच लाइन में बंडेल और नई हाटी के बीच और रेलगाड़ियां चलाने की आवश्यकता।) (859)

(नई दिल्ली और हावड़ा के बीच एक नान-स्टोप मेट्रो लिंक शुरू करने की आवश्यकता।) (860)

(बंडेल और हावड़ा के बीच चौथी लाइन बनाने की आवश्यकता।) (861)

श्री काशीराम राणा (सूरत) : मैं प्रस्ताव करता हूं : -

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

(पश्चिम रेलवे के मुख्यालय को मुम्बई से अहमदाबाद स्थानांतरिक करने की आवश्यकता।) (942)

(सूरत और अहमदाबाद में रेलवे का एक नया डिवीजन बनाने में असफलता।) (943)

(मुम्बई से अहमदाबाद तक विभिन्न स्टेशनों पर चाय-फल स्टालों के आबंटन की जांच किये जाने

की आवश्यकता।) (944)

(रेलवे में डी.आर.एम. के पद को समाप्त किये जाने की आवश्यकता।) (945)

"कि परिसम्पत्तियां - खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाये।"

(सूरत के तेजी से होते औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए वहां पर आधुनिक उपकरणों से लैस एक नये रेलवे स्टेशन का निर्माण किये जाने की आवश्यकता।) (963)

(सूरत स्टेशन पर पर्याप्त संख्या में विश्राम कक्षों या यात्री निवासों का निर्माण किये जाने की आवश्यकता।) (964)

(गुजराम क्वीन को सायन पर रोकने की आवश्यकता।) (965)

(आवंतिका एक्सप्रेस को नवसारी पर रोकेने की आवश्यकता।) (966)

(ताप्ती गंगा एक्सप्रेस को प्रतिदिन वाया इलाहाबाद चलाने की आवश्यकता।) (967)

(पुरी द्वारका एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाने की आवश्यकता।) (968)

(सूरत और नावापुर के बीच अंतरनगरीय गाड़ी चलाने की आवश्यकता।) (969)

(सूरत विरार गाड़ी को कल्याण तक बढ़ाने की आवश्यकता।) (970)

(गांधीधाम भुज-मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता।) (971)

(सूरत में नया नगर बुकिंग कार्यालय तत्काल खोलने की आवश्यकता।) (972)

(अगस्त क्रान्ति एक्सप्रेस में दिल्ली से सूरत के लिए 60 बर्थ का कोटा और बढ़ाने की आवश्यकता।) (973)

(सूरत से जलगांव तक की रेललाइन को दोहरा करने की आवश्यकता।) (974)

(नवगाम पुल के पास उदना यार्ड में पश्चिम की ओर अप्रयुक्त रेल लाइन को हटाने की आवश्यकता।) (975)

(भेसतान पर अधिक ऊंचाई का प्लेटफार्म बनाने की आवश्यकता।) (976)

(स्वान डेरी लेवल क्रासिंग संख्या 124 के पास ऊपरि पुल बनाने की आवश्यकता।) (977)

(गुजरात क्वीन में वातानुकूलित कुर्सीयान लगाने की आवश्यकता।) (978)

(भरूच-सूरत शटल को वलसाड तक बढ़ाने की आवश्यकता।) (979)

(सूरत स्टेशन को साफ-सुथरा रखने की आवश्यकता।) (980)

(सूरत रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफार्मो का विस्तार करने की आवश्यकता।) (981)

(मरोली पर अंतर-नगर रेलगाड़ी को रोकने की व्यवस्था करने की आवश्यकता।) (982)

(सूरत रेलवे स्टेशन के पूर्व की ओर एक लघु स्टेशन बनाने की आवश्यकता।) (983)

(अहिंसा एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाने की आवश्यकता।) (984)

(अहमदाबाद और बड़ोदरा वलसाड-बड़ोदरा अंतर-नगर रेलगाड़ियों को जोड़ने की आवश्यकता।) (985)

(नवसारी के पश्चिम की ओर नया स्टेशन बनाने की आवश्यकता।) (986)

(बलसाड़ और बड़ोदरा के बीच एमओवी रेलगाड़ी शुरू करने की आवश्यकता।) (987)

(40 डाउन यात्रीगाड़ी में अहमदाबाद से सूरत के लिये वातानुकूलित 3-टीयर शयनयान लगाने की आवश्यकता।) (988)

(मरोली स्टेशन के प्लेटफार्म पर बुक स्टाल और चाय स्टाल खोलने की आवश्यकता।) (989)

(अहमदाबाद-दिल्ली रेलवे मार्ग पर आमान परिवर्तन के कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता।) (990)

(गुजरात क्वीन को गांधीनगर तक बढ़ाने की आवश्यकता।) (991)

(अवध एक्सप्रेस गाड़ी में सूरत स्टेशन पर बर्थ कोटा में वृद्धि करने की आवश्यकता।) (992)

(सूरत से राजकोट के लिये नई रेलगाड़ी चलाने की आवश्यकता।) (993)

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(कानपुर में केन्द्रीय आयुध डिपो के नजदीक कानपुर-इलाहाबाद राजमार्ग पर एक फ्लाईओवर का निर्माण किये जाने की आवश्यकता।) (1030)

(कानपुर में हैलेट अस्पताल के नजदीक मीटर गेज लाइन पर एक फ्लाईओवर का निर्माण किये जाने की आवश्यकता।) (1031)

(बढ़ते हुए यातायात से निपटने के लिए कानपुर सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन का विस्तार किये जाने की आवश्यकता।) (1032)

(कानपुर से चलने वाली नई रेलगाड़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानपुर सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन के सफाई यार्ड का विस्तार किये जाने की आवश्यकता।) (1033)

(कानपुर सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन पर बढ़ते हुए यतायात के बोझ को कम करने के लिए गोविन्दपुरी रेलवे स्टेशन का विस्तार किये जाने की आवश्यकता।) (1034)

(गोविन्दपुरी स्टेशन पर सभी मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के रूकने की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता।) (1035)

(कानपुर और झांसी के बीच आने-जाने वाली रेलगाड़ियों के लिये रेलवे लाइन को दोहरा किये जाने की आवश्यकता।) (1036)

(गाड़ियों में भोजन और खानपान सेवा के स्तर में सुधार किये जाने की आवश्यकता।) (1037)

(यात्री गाड़ियों में डिब्बों के उचित रखरखाव की आवश्यकता।) (1038)

(कानपुर सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं में सुधार किये जाने की आवश्यकता।) (1039)

(कानपुर सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था में सुधार किये जाने की आवश्यकता।) (1040)

(कानपुर सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन पर सफाई व्यवस्था में सुधार किये जाने की आवश्यकता।) (1041)

(नई दिल्ली-लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस को लखनऊ से सायं की बजाए प्रातः चलाये जाने की आवश्यकता।) (1042)

(लखनऊ मुरादाबाद और हरिद्वार होते हुए कानपुर और देहरादून के बीच एक सीधी रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता।) (1043)

(कानपुर से जम्मू तवी के लिए रेलगाड़ियों में द्वितीय श्रेणी के आरक्षित डिब्बे लगाये जाने की आवश्यकता।) (1044)

(दक्षिण के लिए भारी यातायात से निपटने के लिए कानपुर से मद्रास तक एक सीधी रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता।) (1045)

(यात्री गाड़ियों में यात्रियों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।) (1046)

(सवाई माधोपुर-निवारी होते हुए गोरखपुर और जयपुर के बीच एक यात्री गाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता।) (1047)

(सवाई माधोपुर-निवारी होते हुए हावड़ा और जयपुर के बीच एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता।) (1048)

(प्रयागराज एक्सप्रेस का इलाहाबाद से प्रस्थान का समय आधा घंटा पहले किये जाने की आवश्यकता।) (1049)

(कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर सभी श्रेणियों में आरक्षण कोटा दुगुना किये जाने की आवश्यकता।) (1050)

(वर्तमान यातायात को देखते हुए प्रयागराज एक्सप्रेस में द्वितीय श्रेणी के तीन वातानुकूलित डिब्बों में से एक डिब्बा कानपुर के यात्रियों के लिए आरक्षित किये जाने की आवश्यकता।) (1051)

(निजामुद्दीन स्टेशन से प्रस्थान करने वाली ताज एक्सप्रेस में एक रसोईयान लगाये जाने की आवश्यकता।) (1052)

(सभी गाड़ियों में द्वितीय श्रेणी के वातानुकूलित डिब्बें में सभी यात्रियों को बिस्तर उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।) (1053)

श्री उद्धव बर्मन (बारपेटा) : मैं प्रस्ताव करता हूं : -

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

(उत्तर सीमान्त रेलवे में मालदा से गुवाहटी तक के रेल मार्ग को दोहरा करने के उपाय करने में असफलता।।) (1066)

(लुमडिंग से सिल्चर तक की मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने में असफलता।) (1067)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

(असम में रेलवे तालाबों का सही निर्माण करने में असफलता जिसके फलस्वरूप असम में अनेक स्थानों पर पानी जमा हो गया है।) (1264)

(ब्रह्मपुत्र नदी पर जोंगीधोपा पर पुल के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने में असफलता।) (1265)

(देश के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल द्वारा जोड़ने में असफलता।) (1266)

(असम घाटी में जिला मुख्यालय को जोड़ने के लिए रेल लाइनों का निर्माण करने में असफलता।) (1267)

(ब्राड गेज़ लाइन पर गुवाहटी से लुम्बडिंग तक यात्री गाड़ियां चलाने में असफलता) (1268)

(न्यू बोंगाईगांव में कार्यशाला का आधुनिकीकरण में असफलता।) (1269)

(असम राज्य के बाहर से गुवाहाटी आने-जाने वाली एक्सप्रेस गाड़ियों के समय को नियमित करने में असफलता।) (1270)

(पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में गाड़ियों में यात्री सुविधाओं में वृद्धि करने में असफलता।) (1271)

(असम में रंगिया से मोकोंसेलंग तक ब्राड गेज रेल लाइन का निम्रण कार्य आरंभ करने में असफलता।) (1272)

(रंगिया, असम में रेलवे डिवीजन की स्थापना करने में असफलता।) (1273)

"कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

(बोंगाईगांव, असम में पागलस्थान पर एक ऊपरि पुल का निर्माण किये जाने में असफलता।) (1293)

(पूर्वोत्तर सीमा रेलवे क्रासिंगों पर रेलवे फाटकों का निर्माण किये जाने में असफलता।) (1294)

"कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग को 100 रुपये कम किये जाये।"

(लुमडिंग बड़ी लाइन पर लूप लाइनों का निर्माण करने की आवश्यकता।) (1378)

(नार्थ-ईस्ट एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्र मेल के धावन समय (रनिंग टाइम) को कम करने की आवश्यकता।) (1379)

(उत्तर सीमा रेलवे में रेल अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं में सुधार करने की आवश्यकता।) (1380)

(कामरूप एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्र मेल से पुराने डिब्बों को हटाये जाने की आवश्यकता।) (1381)

(बारपेटा रोड से बारपेटा तक एक रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता।) (1382)

(रेल स्टेशनों पर प्रतीक्षालयों और जलपान कक्षों में सुविधाओं में सुधार किये जाने की आवश्यकता।) (1383)

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि : -

(ए.बी.बी. से इंजनों की खरीद रोकने की आवश्यकता।) (1174)

(किसान एक्सप्रेस और दिल्ली कानपुर एक्सप्रेस को पिताम्बरपुर रेलवे स्टेशन पर रोके जाने की आवश्यकता।) (1175)

(दिल्ली बरेली इंटर-सिटी एक्सप्रेस गाड़ी आरम्भ किये जाने की आवश्यकता।) (1176)

"कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(बरेली रेलवे जंक्शन पर आवश्यक जन-सुविधायें उपलब्ध कराने की आवश्यकता।) (1177)

(बरेली में कम्प्यूटर आरक्षण सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता।) (1178)

"कि रेलपथ और निर्माण कार्यों से संबंधित मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

(गाजियाबाद से मुरादाबाद तक दोहरी रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता।) (1179)

(बरेली और बदायूं जिलों के स्टेशनों के प्लेटफार्मो पर टीन के शेडों का निर्माण किये जाने की आवश्यकता।) (1180)

"कि सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अंतर्गत मांग 100 रुपये कम किये जायें।"

(बरेली में इज्जत नगर में एक कांच फैक्टरी स्थापित किये जाने की आवश्यकता।) (1181)

"कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(बरेली से गाड़ियों में आरक्षण कोटा बढ़ाये जाने की आवश्यकता।) (1182)

"कि परिचालन कम-इंधन शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(दिल्ली-लखनऊ ओर सहारनपुर-लखनऊ रेल लाइनों का विद्युतीरकण किये जाने की आवश्यकता।) (1183)

प्रो. प्रेम धुमल (हमीरपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ : -

"कि परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(हिमाचल प्रदेश से ऊना से आगे नागल-तलवाड़ा रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता।) (1249)

(हिमाचल प्रदेश में भानुपाली और विलासपुर के बीच नई रेल लाइन बनाने की आवश्यकता।) (1250)

(कालका-शिमला और पठानकोट जोगिन्द नगर रेल लाइनों का आमान परिवर्तन करने की आवश्यकता।) (1251)

(हिमाचल एक्सप्रेस में दिल्ली और ऊना के बीच वातानुकूलित शयनयान उपलबध कराने की आवश्यकता।) (1252)

(हिमाचल प्रदेश में ऊना पर रेलगाड़ियों के लिए सर्विस की सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता।) (1253)

(रेलगाड़ियों में तथा रेलवे स्टेशनों पर मूल सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता।) (1254)

श्री जायनल अबेदिन : (जंगीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ : -

"कि परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(पूर्व रेलवे में हावड़ा नलहल्टी वाया आजीमगंज शहर और सागरदिघी के लिए एक सीधी रेल गाड़ी चलाने की आवश्यकता।) (1258)

(गाड़ी संख्या 381-अप को रामपुर हाटा के बजाय सैन्थीया तक चलाने या सैन्थिया अंदल या आसनसोल जाने वाले यात्रियों के लिए एक संपर्क रेलगाडी चलाने की आवश्यकता।) (1259)

(सियालदह-लालगोला सेक्शन में नाशीपुर स्टेशन को आजीमगंज जंक्शन से जोड़ने के लिए एक नई लाइन बनाने तथा भागीरथी पर रेलवे पुल बनाने की आवश्यकता।) (1260)

(पूर्व रेलवे के हावड़ा फरक्का मार्ग पर चलने वाली रेल गाड़ियों में बेहतर यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता।) (1261)

(हावड़ा मालदा मार्ग पर जांगीपुर होकर चलने वाली रेलगाडियों में डीजल इंजन लगाने की आवश्यकता।) (1262)

(आजमगंज फरक्का लाइन पर जांगीपुर रोड स्टेशन के पास समपार पर ऊपरि पुल बनाने की आवश्यकता।) (1263)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(सियालदह लालगोला रोड पर रात्रि गाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सुरक्षा प्रबंध मजबूत करने की आवश्यकता।) (1274)

(सियालदह लालगोला सेक्शन पर चलने वाली गाड़ियों में पुराने बिस्तरों को बदलने की आवश्यकता।) (1275)

(आरक्षण के मामले में हो रहे कदाचारों को रोकने की आवश्यकता।) (1276)

(सियालदह और लालगोला के बीच चलने वाली गाड़ियों में टिकट चैक करने की प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता।) (1277)

(3142 डाउन (तीस्ता-तोरसा) गाड़ी में निम्नतिता स्टेशन के लिए सीटों का कोटा नियत करने की आवश्यकता।) (1278)

(348 डाउन मालदा टाउन फास्ट पेसेन्जर मेल में विशेष रूप से आरक्षित डिब्बों में अधिक यात्री सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता।) (1279)

श्री दाऊदयाल जोशी (कोटा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि परिसम्पत्तियाँ - अधिग्रहण, निर्माण बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाए।"

(सांगानेर कोटा एक्सप्रेस के कापरेन और केशोराय पाटन पर रूकने की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता।) (1339)

(देहरादून एक्सप्रेस के कापरेन स्टेशन पर रुकने की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता।) (1340)

(अवध एक्सप्रेस के द्वारा और केशोराय पाटन पर रुकने की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता।) (1341)

(अगस्त क्रान्ति एक्सप्रेस में कोटा स्टेशन के लिए सीटों का कोटा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।) (1342)

(राजधानी एक्सप्रेस में कोटा के लिए सीटों के कोटे में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता।) (1343)

(जयपुर से भोपाल तक एक नई रेल लाइन बिछाये जाने की आवश्यकता।) (1344)

(रामगंज मंडी से भोपाल तक एक नई रेल लाइन बिछाये जाने की आवश्यकता।) (1345)

(दीगोद से शिवपुरी तक एक नई रेल लाइन बिछाये जाने की आवश्यकता।) (1346)

(कोटा-भोपाल यात्री गाड़ी को कोटा, मध्य रेलवे द्वारा चलाई जा रही एक्सप्रेस रेलगाड़ी में बदले जाने की आवश्यकता।) (1347)

(कोटा-चित्तौड़गढ़ रेलगाड़ी को एक्सप्रेस रेलगाड़ी में बदले जाने और इसे कोटा पर रोके बिना बारां तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता।) (1348)

(कोटा-चित्तौड़गढ़ रेलवे लाइन का विद्युतीकरण किये जाने की आवश्यकता।) (1349)

(कोटा-बीना रेलवे लाइन का विद्युतीकरण किये जाने की आवश्यकता।) (1350)

(कोटा सिटी में निर्मित रेलवे कालोनी में प्रवेश के लिए एक ऊपरि पुल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता।) (1351)

(कोटा से मद्रास से सीधी रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता।) (1352)

(देहरादून एक्सप्रेस में कोटा से नियमित रूप से एक द्वितीय-श्रेणी वातानुकूलित कोच लगाये जाने की आवश्यकता।) (1353)

(कोटा जंक्शन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।) (1354)

(कोटा-भोपाल-दामोह यात्री गाड़ी में अतिरिक्त डिब्बे लगाये जाने की आवश्यकता।) (1355)

(कोटा जंक्शन का आधुनिकीकरण किये जाने और इसे एक आदर्श स्टेशन बनाये जाने की आवश्यकता।) (1356)

(डाकिया तालाब स्टेशन का नाम बदलकर विश्वकर्मा स्टेशन रखे जाने की आवश्यकता।) (1357)

(कोटा के नजदीक डाकिया तालाब स्टेशन पर समुचित बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।) (1358)

श्रीमती सुशीला गोपालन (चिरायिंकिल) : मैं प्रस्ताव करता हूं : -

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(किराये और मालभाड़ा प्रभार में की गई वृद्धि को वापस लेने की आवश्यकता।) (1370)

(रेल स्टेशनों पर पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध कराने की आवश्यकता।) (1371)

(एर्णाकुलम से तिरुअनन्तपुरम तक अल्लेप्पी होते हुए दिन के समय और अधिक गाड़ियां चलाने की आवश्यकता।) (1372)

(अल्लेप्पी रेलवे स्टेशन पर दूसरे प्लेटफार्मो पर जाने के लिए यात्रियों के लिए एक ऊपरि पुल बनाने की आवश्यकता।) (1373)

(रेल गाड़ियों में दूसरी श्रेणी के सभी डिब्बों में पीने का पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता।) (1374)

(बंगलौर से कन्याकुमारी तक जाने वाली आइलैंड एक्सप्रेस जैसी गाड़ियों में कम से कम चाय और काफी उपलब्ध कराने के लिए या तो पेंटरी कार जोड़े जाने अथवा पर्याप्त संख्या में लाइसेंस शुदा फेरी वालों की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता।) (1375)

"कि परिसम्पत्तियां - खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(पालघाट-एर्णाकुलम लाइन का अविलम्ब विद्युतीकरण करने की आवश्यकता।) (1384)

(क्विलोन से त्रिवेन्द्रम तक के रेल मार्ग को दोहरा करने की आवश्यकता।) (1385)

(कोंकणी रेल की सुविधायें प्राप्त करने के लए शोरनुर मंगलपुरम के लिए अविलम्ब पर्याप्त धन देने की आवश्यकता।) (1386)

(त्रिवेन्द्रम-नेडुमंगलम शाबरी मलाई रेल लाइन का सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता।) (1387)

(त्रिवेन्द्रम पर आदर्श रेल स्टेशन को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन देने की आवश्यकता।) (1388)

(वरकला पर एक ऊपरि पुल बनाने की आवश्यकता।) (1389)

प्रो. सुशान्त चकवर्ती (हावड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं : -

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

(शालीमार स्टेशन को नये कोचिंग परिसर में बदलने मे असफलता।) (1410)

(संकेरल/अबादा स्थल पर माल गोदाम बनाये जाने में असफलता।) (1411)

(कलकत्ता में "रेलवे दावा संगठन" को बनाए रखने में असफलता। जबकि वहां बड़ा दावा अभिकरण को बनाए रखा गया है।) (1412)

(खड़गपुर कार्यशाला में सवारी-डिब्बा विक्रयशालाएं (कैरिज शॉप्स) चलाने जाने तथा निजी ठेकेदारों को सामान उतारने का काम देने की प्रथा छोड़ने तथा रेलवे कर्मचारियों को अतिरिक्त कर्मचारी घोषित करने से बचने में असफलता।) (1413)

(रेलवे बोर्ड के उस आदेश को रद्द करने में असफलता जिसमें 1992-93 में कर्मचारियों की संख्या को 2 प्रतिशत कम करने तथा आगे के वर्षो में और कम करने का निदेश दिया गया है।) (1414)

(दक्षिण पूर्व रेलवे के मोरीग्राम स्टेशन पर एक फ्लाई ओवर का निर्माण करने में असफलता।) (1415)

(उच्च लागत पर ए.बी.बी. से अति-उन्नत विद्युत इंजन आयात करने पर रोक लगाने में असफलता जबकि चितरंजन रेल इंजन कारखाना इसी प्रकार के इंजनों का उत्पादन अपने यहां कर सकता है।) (1416)

(कीमती मशीनों (जिनकी कीमत 2.5 करोड़ रुपये हैं) को चालू करने में असफलता और उन्हें दक्षिणपूर्व रेलवे के सिनी इंजीनियरी कार्यशाला में रद्दी में बदलने देना) (1417)

(सन्तरागाछी तथा हावड़ा के वाशिंग लाइन में कार्यरत साफ सफाई कर्मचारियों के रजिस्टर का नियमित रूप से रख-रखाव करने में असफलता।) (1418)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं : -

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

(मासिक सीजन टिकट और द्वितीय श्रेणी के टिकट का किराया कम करने में असफलता।) (1483)

(मासिक सीजन टिकट के किराये को 1990 के स्तर पर लाने में असफलता।) (1484)

(कंचनजंगा एक्सप्रेस और मयूराक्षी फास्ट पेसेन्जर को समय पर चलाने में असफलता।) (1485)

(पूर्व रेलवे के अंडाल-सैथिया सैक्शन का विद्युतीकरण आरम्भ करने में असफलता।) (1486)

(मासिक सीजन टिकट किराये के संबंध में छूट की सीमा 250 किलोमीटर तक बढ़ाने में असफलता।) (1487)

(पूर्व रेलवे के अंडाल-सैथिया सैक्शन में रेल सेवाओं को सुधारने और उनकी बारम्बारता बढ़ाने में असफलता।) (1488)

(पूर्व रेलवे के बर्द्धमान ओर आसनसोल सैक्शन के बीच ई.एम.यू. गाडियां आरम्भ करने में असफलता।) (1489)

(रेलगाड़ियों और प्लेटफार्मो पर यात्री सुविधायें उपलब्ध कराने में असफलता।) (1490)

(उपनगरीय क्षेत्र को आसनसोल तक बढ़ाने में असफलता।) (1491)

(बोलपुर में कम्प्यूटर आरक्षण सुविधायें उपलब्ध कराने में असफलता।) (1492)

(पूर्व रेलवे के खाना और सैथिया सैक्शन के बीच दोहरी लाइन के निर्माण के लिए धन का आबंटन बढ़ाने में असफलता।) (1493)

(पूर्व रेलवे के अंदाल और सैथिया सैक्शन के बीच दोहरी लाइन के निर्माण कार्य आरम्भ करने में असफलता।) (1494)

(कलकत्ता में मैट्रो रेल परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।) (1495)

(ई.एम.यू. गाड़ियां चलाने के लिए कलकत्ता में सर्कुलर रेलवे का विद्युतीकरण किये जाने में असफलता।) (1496)

(प्रिन्सिपघाट से मजेरहाट तक परियोजना को पूरा करने में असफलता।) (1497)

(पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराये जाने में असफलता।) (1498)

(वर्द्धमान-कटवा, अहमदपुर-कटवा, शांतिपुर-नवद्वीप घाट और बंकुरा-दामोदर नदी रेल लाइन का अमान परिवर्तन करने में असफलता।) (1499)

(यात्रियों की समस्याओं पर विचार करने और उनका हल ढूंढने के लिए जोनल और डिविजनल स्तरों पर स्थायी समितियों की स्थापना जिसमें राज्य सरकार ओर यात्री संगठनों के पर्याप्त संख्या में

प्रतिनिधि हों, करने में असफलता।) (1500)

(कलकत्ता सर्कुलर रेलवे को दोहरा करने और उसका विद्युतीरकरण करने ताकि सभी उप नगरीय गाड़ियां बी.बी.डी. बाग क्षेत्र, जैसा कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तावित था, में असफलता।) (1501)

(मेट्रो रेलवे के शेष दो चरणों अर्थात दक्षिणेश्वर से गरिया और साल्ट लेक से रामरजतला तक तुरन्त आरम्भ करने में असफलता।) (1502)

(पश्चिम बंगाल में शोराफुली-तारकेश्वर लाइन का विश्रुपुर तक आरामबाग के रास्त विस्तार करने में असफलता।) (1503)

(पूर्व रेलवे में कुल्पी से नामखाना परियोजना को पूरा करने में असफलता।) (1504)

(दनकुनी-सिखाला, हावड़ा-आम्टा-सिखाला, बलूरघाट-एकलखी, तामलुक-दिघा, खाना-सैथिया परियोजनाओं को आरम्भ करने में असफलता।) (1505)

(बंदेल-कटवा, बरसाट-हसनाबाद, रानाघाट-गेडे, कृषनगर-लालगोला और खड़गपुर-भुवनेश्वर सैक्शनों का विद्युतीकरण तुरन्त आरम्भ करने में असफलता।) (1506)

(हावड़ा-रामकिस्तोपुर-शालीमार-हावड़ा वर्तमान रेल लाइन का इस्तेमाल करके हावड़ा के लिए सर्कुलर रेलवे की मांग को पूरा करने में असफलता।) (1507)

(यात्रियों को राहत पहुंचाने के लिए ग्रेट सर्कुलर रेलवे हावड़ा से हावड़ा बारास्ता रामकिस्तोपुर-शिबपरचार-शालीमार-संतरागाची-भट्टनगर-बेलानगर-बेल्ली-बेलूर-लिलुआ का कार्य आरम्भ करने में असफलता।) (1508)

(खड़गपुर और सियालदह तथा खड़गपुर और बर्द्धमान के बीच (मुख्य तथा कोर्ड दोनों) को आरम्भ करने में असफलता।) (1509)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

(पूर्वी रेलवे के खाना लूप सेक्शन के रास्ते बोलपुर तथा आसनसोल के बीच यात्री रेलगाड़ियां शुरू करने की दिशा में तत्काल कदम उठाने में असफलता।) (1902)

(बर्द्धमान और सैथिया तथा अंदाल और सैथिया के बीच डीएमयू रेल सेवाओं की बारम्बारता में वृद्धि किये जाने में असफलता।) (1903)

(पूर्वी रेलवे के अजीमगंज तथा अंदल सेक्शन के बीच सभी यात्री गाड़ियों को पुनः शुरू करने में असफलता।) (1904)

(शांति निकेतन से नई दिल्ली के बीच एक द्रुतगामी यात्री गाड़ी शुरू करने में असफलता।) (1905)

(हावड़ा, सियालदह, खड़गपुर में उपनगरीय रेलवे में भारी भीड़ को कम करने की दृष्टि से 12 डिब्बों वाली रेलगाड़ी की सुविधा उपलब्ध कराने में असफलता।) (1906)

(बंदेल तथा नैहाटी के रास्ते बर्द्धमान और सियालदह के बीच तथा दनकुनी के रास्ते बर्द्धमान तथा सियालदह के बीच ईएमयू रेल सेवा शुरू करने में असफलता।) (1907)

(दैनिक यात्रियों के लिए मासिक सीजन टिकट की सुविधा को हावड़ा/सियालदह से रामपुरहाट तक बढ़ाने में असफलता।) (1908)

(हावड़ा, सियालदह, खड़गपुर तथा आसनसोल डिवीजनों में सभी यात्री गाड़ियों को समय पर चलाने में असफलता।) (1909)

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं : -

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

(रेल इंजनों के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने में असफलता।) (1510)

(रेलवे में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों के पिछले बकाया को भरने में असफलता।) (1511)

(रेलवे स्टेशनों पर टिकटों के आरक्षण में व्याप्त कदाचार को रोकने में असफलता।) (1512)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(बढ़ती हुई रेल दुर्घटनाओं, जिसके कारण जान और माल की भारी हानि होती है को रोकने की असफलता।) (1513)

(विभिन्न श्रेणियों के यात्री किरायों में हाल ही में हुई वृद्धि को वापस लिये जाने की आवश्यकता।) (1514)

(गाड़ियों में बेकार और टूटे हुए पंखों को बदलने और सफाई में सुधार करने की आवश्यकता।) (1515)

"कि विविध संचालन व्यय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

(दुर्घटना मुआवजों के दावों को निपटाये जाने की आवश्यकता।) (1516)

(यात्रा के दौरान माल के नुकसान से संबंधित दावों को निपटायें जाने की आवश्यकता।) (1517)

(रेलगाड़ियों और रेलवे स्टेशनों पर खानपान सुविधाओं में सुधार करने की आवश्यकता।) (1518)

(अपराधों को रोकने के लिए चलती हुई रेलगाड़ियों में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता।) (1519)

"कि परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण तथा बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

(रेलवे स्टेशनों विशेषकर छोटे स्टेशनों पर यात्री सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।) (1520)

(राजगीर और बोध गया के बीच एक नई रेल लाइन के निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराने की आवश्यकता।) (1521)

(पटना में गंगा नदी पर रेल पुल के निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराने की आवश्यकता।) (1522)

(रक्सोल रेल लाइन के अमान परिवत्रन के लिए धन उपलब्ध कराने की आवश्यकता।) (1523)

(पटना-गया रेल लाइन को दोहरा करने की आवश्यकता।) (1524)

(विभिन्न रेलवे जोनों में छोटे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए उपयुक्त शैड उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।) (1525)

(दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मानवरहित रेलवे फाटकों पर चौकीदार नियुक्त करने की आवश्यकता।) (1526)

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ : -

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(बढ़ती हुई रेल दुर्घटनाओं को रोके जाने की आवश्यकता।) (1668)

(विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्डो के प्रशासन को सुधार करने की आवश्यकता।) (1669)

(रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा संचालित परिक्षाओं में हुई अनियमितताओं की जांच करने की आवश्यकता।) (1670)

(जौसमंज, अजमेर से बिहारी गंज जाने वाली अहमदाबाद तथा खाण्डवा रेलवे लाइनों पर पुल बनाये जाने की आवश्यकता।) (1671)

(बंवार के मिल रोड पर एक भूमिगत पैदल पारपथ तथा रूपनगढ़ तथा किशनगढ़ के बीच मुख्य रेलमार्ग पर एक ऊपरि पुल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता।) (1672)

(आगरा फोर्ट जयपुर सुपर फास्ट एक्सप्रेस का अजमेर तक विस्तार किए जाने की आवश्यकता।) (1673)

(जोधपुर-लखनऊ-मरूधर एक्सप्रेस ट्रेन में अजमेर के लिए अतिरिक्त डिब्बा लगाये जाने की आवश्यकता।) (1674)

(दिल्ली-मेहसाना रेलगाड़ी को अजमेर-मेहसाना होकर चलाये जाने की आवश्यकता जिसे कि गेज परिवर्तन के कारण रोक दिया गया था।) (1675)

(नई जयपुर-हावड़ा रेलगाड़ी को जोधपुर तक विस्तार किये जाने की आवश्यकता।) (1676)

(9901 अप तथा 9902 डाउन दिल्ली अहमदाबाद रेलगाड़ी में एक प्रथम श्रेणी का वातानुकूलित डिब्बा लगाये जाने की आवश्यकता।) (1677)

(अजमेर नजीराबाद शटल सेवा को विजय नगर तक विस्तार किये जाने की आवश्यकता।) (1678)

(रेलवे संरक्षण बल कर्मचारी कल्याण संघ को मान्यता देने की आवश्यकता।) (1679)

(प्लेटफार्म टिकटों तथा मासिक सीजन टिकटों में हुई वृद्धि को वापस लेने की आवश्यकता।) (1680)

(रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण को हटाये जाने तथा इसका सही उपयोग करने की आवश्यकता।) (1681)

"कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(अजमेर-खाण्डवा रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने हेतु सर्वेक्षण किए जाने की आवश्यकता।) (1682)

(अजमेर तथा पुष्कर को रेल द्वारा जोड़े जाने की आवश्यकता।) (1683)

(फुलौरा-अजमेर-मारवाड़ जंक्शन-अबु रोड़-अहमदाबाद मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता।) (1684)

(देवाली के रास्ते अजमेर-सिंगीराई-केकनकोटा को जोड़ने के लिए नई रेल लाइन बिछाये जाने की आवश्यकता।) (1685)

(अजमेर-पुष्कर-मेडता रोड रेल लाइन का निर्माण किये जाने की आवश्यकता।) (1686)

(अजमेर-किशनगढ़-रुपगढ़-पर्वतसर-मकराना को रेल द्वारा जोड़े जाने की आवश्यकता।) (1687)

"कि परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(दिल्ली-अहमदाबाद मीटर गेज लाइन को बगैर किसी विलम्ब के ब्राड गेज लाइन में परिवर्तित करने की आवश्यकता।) (1692)

(अजमेर-नज़ीराबाद-बेजेनगर-भिलवाड़ा-चित्तौड़-मावली उदयपुर मीटर गेज रेल लाइन को बिना किसी विलम्ब के बड़ी रेल लाइन में बदले जाने की आवश्यकता।) (1693)

(अजमेर-चित्तौड़-रतलाम-खाण्डवा मीटर गेज रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदले जाने की आवश्यकता।) (1694)

(रिवाड़ी-नारनौल-रिगस-नीमका थाना कुलेरा मीटर गेज रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदले जाने की आवश्यकता।) (1695)

(फुलेरा-अजमेर-बेवार-मारवाड़ जंक्शन-अबु रोड़-मेहसाना-अहमदाबाद के बाकी बचे हुए मीटर गेज रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदले जाने की आवश्यकता।) (1696)

(जोधपुर-मारवाड़ जंक्शन, फुलज-कमली घाट-कंकरोली-मावली-उदयपुर मीटर गेज रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदले जाने की आवश्यकता।) (1697)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

(रेल सेवाओं में रोजगार के अवसर बढ़ाने में असफलता।) (1700)

(रेलवे में फिजूलखर्ची रोकने में असफलता।) (1701)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(अजमेर स्टेशन को एक आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित करने और वर्तमान लाइनों को बड़ी में बदलने की आवश्यकता।) (1702)

(ब्यावर, मंगलियावास, खर्व, किशनगढ़, नसीराबाद, विजयनगर, तबीजी, सरधना, बंदनवाड़ा, आदर्शनगर, अजमेर, मदार रेल स्टेशनों का उचित रख रखाव और उनका विस्तार करने की आवश्यकता।) (1703)

(सभी रेल फाटकों पर चौकीदार नियुक्त किए जाने की आवश्यकता।) (1704)

(रेल दुर्घटनाओं को कारगर ढंग से रोकने की आवश्यकता।) (1705)

(रेलवे में सुरक्षा और समय पांबदी सुनिश्चित करने की आवश्यकता।) (1706)

(रेलों में और अधिक यात्री सुविधायें उपलब्ध कराने की आवश्यकता।) (1707)

(विभिन्न रेल यार्डो और रेल कार्यशालाओं में रद्दी का निपटान करने की आवश्यकता।) (1708)

(रेल भाड़े में हाल में की गई वृद्धि को वापस लेने की आवश्यकता।) (1709)

(यात्री किराये में हाल में की गई वृद्धि को वापस लेने की आवश्यकता।) (1710)

(अजमेर रेलवे स्टेशन पर आरक्षण प्रणाली का पूरी तरह कम्प्यूटरीकरण करने की आवश्यकता।) (1711)

(गरीब नवाज़ एक्सप्रेस में एक वातानुकूलित कुर्सियान जोड़ने की आवश्यकता।) (1712)

(प्रतीक्षालयों, बिस्तरों और प्लेटफार्मो की उचित स्वच्छता बनाये रखने और खान-पान सेवा में सुधार करने की आवश्यकता।) (1713)

(अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, नसीराबाद स्टेशनों पर गोदामों, योर्डो ओर शेडों के रख रखाव और उनका विस्तार करने की आवश्यकता।) (1714)

(सेवा के दौरान मृत कर्मचारियों के रिश्तेदारों को अनुकम्पा के आधार पर रोजगार देने की आवश्यकता।) (1715)

(पूरे वर्ष दरगाह शरीफ और पुष्कर के दर्शन करने वाले यात्रियों के लिए अजमेर रेलवे स्टेशन पर एक "यात्री निवास" उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।) (1716)

(एक नये रेलवे जोन जिसका मुख्यालय अजमेर में हो, की स्थापना करने की आवश्यकता।) (1717)

(रेलों में चोरी और अपराध रोकने की आवश्यकता।) (1718)

(रेलबे बोर्ड के प्रशासन को चुस्त बनाने की आवश्यकता।) (1719)

(रेलवे में फिजूलखर्ची और कुप्रबन्ध पर रोक लगाने की आवश्यकता।) (1720)

(सुचारू और कारगर प्रबंध के लिए रेलवे में और अधिक नये जोन स्थापित किये जाने की आवश्यकता।) (1721)

(रेल मंडलों के कार्य की समीक्षा करने के लिए उनका पुनर्गठन किए जाने की आवश्यकता।) (1722)

(स्थानीय शिकायतों को मंडल के अधीक्षकों के स्तर पर निपटाये जाने की आवश्यकता।) (1723)

(व्यक्तियों के प्रतिनिधियों से अनौपचारिक बैठके करके मंडलीय स्तर पर लोगों की शिकायतों का समाधान करने की आवश्यकता।) (1724)

(यात्री शिकायतों के बारे में सुझावों को अधिक कारगर ढंग से लागू करने के लिए सलाहकार परिषदें गठित करने की आवश्यकता।) (1725)

प्रो. रासा सिंह रावत : मैं प्रस्तुत करता हूं : -

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(अजमेर की प्राचीनतम लोकों कार्यशाला को बंद न होने देने तथा इसकी क्षमता में वृद्धि करके इसका अधिकतम उपयोग करने की आवश्यकता।) (1730)

(सभी मीटर गेज लाइनों के भाप इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए अजमेर की लोको कार्याशाला का पूरा-पूरा उपयोग किये जाने की आवश्यकता।) (1731)

(ब्राड गेज लाइनों के डीजल इंजनों की मरम्मत के लिए अजमेर लोकों कार्यशाला का आधुनिकीकरण किये जाने की आवश्यकता।) (1732)

(अजमेर लोको कार्यशाला में आवश्यक छोटे पुर्जो का निर्माण शुरू किये जाने की आवश्यकता।) (1733)

(अजमेर और मारवाड़ जंक्शन के बीच स्थानीय यात्री गाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता।) (1734)

(दिल्ली से अजमेर होकर उदयपुर जाने वाली चेतर एक्सप्रेस की गति को बढ़ाए जाने की आवश्यकता।) (1735)

(जयपुर से ब्राड गेज लाइन पर लंबी दूरियों की गाड़ियों में अजमेर के लिए पर्याप्त आरक्षण कोटा प्रदान किये जाने की आवश्यकता।) (1736)

(दिल्ली और अहमदाबाद के बीच चलने वाली आश्रम एक्सप्रेस (सुपर फास्ट) को बीवार स्टेशन पर 2 मिनट का स्टाप दिए जाने की आवश्यकता।) (1737)

(गरीबनवाज लिंक एक्सप्रैस (दिल्ली-उदयपुर) को किशनगढ़ तथा नजीराबाद स्टेशन पर 2 मिनट का स्टाप दिए जाने की आवश्यकता।) (1738)

(पैलेस-ओन-व्हील्स गाड़ी को अजमेर स्टेशन पर ठहराये जाने की आवश्यकता।) (1739)

(अजमेर से जोधपुर, अजमेर से उदयपुर, अजमेर से दिल्ली तथा अहमदाबाद के लिए नई गाड़ियां शुरू किये जाने की आवश्यकता।) (1740)

(लोको कार्यशाला अजमेर के कर्मकारों की छंटनी को रोकने तथा वहां विद्यमान रिक्तियों को तुरन्त भरे जाने की आवश्यकता।) (1741)

(केरीज वर्कशाल अजमेर में कर्मकारों की छंटनी को रोकने तथा वहां विद्यमान रिक्तियों को तुरन्त भरने तथा वहां कार्यक्षेत्र का विस्तार करने की आवश्यकता।) (1742)

" कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(देवाड़-जावाजा-भीम-बरार-तल-लसान्नी-देवगढ़-मदरिया को रेल लाइनों से जोड़ने के लिए सर्वेक्षण किये जाने की आवश्यकता।) (1743)

(मारवाड़-जंक्शन-फूलाज-कामली घाट-देवगढ़-कंकरोली-मावली-उदयपुर मीटर गेज लाइन को ब्राड गेज लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता।) (1744)

(विजयनगर तथा आगुचंद को रेल द्वारा जोड़ने के लिए सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता।) (1745)

(अजमेर-भीलवाड़ा-चित्तौड़-मवाली-उदयपुर मीटर गेज लाइन को ब्राड गेज लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता।) (1746)

(बांदीकुई-आगरा पोर्ट मीटर गेज लाइन को ब्राड गेज लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता।) (1747)

(रिवाड़ी-नारनौल-रिगस-फुलेरा मीटर गेज लाइन को ब्राड गेज लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता।) (1748)

"कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जायें।"

(बिना टिकट यात्रा करने वाले लोगों को प्रभावी रूप से रोकने में असफलता।) (1749)

(रेलवे आरक्षण में अनियमितताओं तथा कदाचारों को रोके जाने में असफलता।) (1750)

"कि संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(अजमेर के निकट बड़ा पुष्कर स्थित रेलवे वाटर पम्पिंग स्टेशनों के उचित रख-रखाव की आवश्यकता।) (1751)

(अजमेर में रेलवे पावर हाउस की क्षमता में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता।) (1752)

(रेलवे की लोको ओर केरिज कार्यशालाओं में अप्रयुक्त पड़ी कीमती मशीनरी तथा बन्द पड़ी फरनेस का अधिकतम उपयोग करने की आवश्यकता।) (1753)

(रेलवे की सिगनल तथा दूर-संचार प्रणाली के आधुनिकीकरण की आवश्यकता।) (1754)

परिचालन व्यय-ईधन शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

(दिल्ली अहमदाबाद ब्राड गेज लाइन का विद्युतीकरण किये जाने की आवश्यकता।) (1755)

(ठीक स्कीम इंजनों का अधिकतम उपयोग किये जाने की आवश्यकता।) (1756)

(डीजल इंजनों का उचित रख-रखाव तथा उन पर व्यर्थ पैसा खर्च करने को रोकने की तकनीक का विकास किये जाने की आवश्यकता।) (1757)

"कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(अजमेर में रहने वाले रेल कर्मचारियों की अधिक संख्या को देखते हुए वहां पर एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता।) (1758)

(रेल अस्पताल अजमेर की स्थिति में सुधार करने तथा इसे आधुनिकतम उपचार सुविधाओं से सुसज्जित करने की आवश्यकता।) (1759)

(अजमेर की विभिन्न रेलवे कालोनियों तथा आवासीय क्षेत्रों में सड़कों, नालियां, फ्लश शौचालयों तथा पार्कों आदि का उचित रख-रखाव तथा विकास सुनिश्चित करने की आवश्यकता।) (1760)

डा. सुधीर राय (बर्दवान) : मैं प्रस्ताव करता हूं : -

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(रेलवे में क्षेत्रीय भाषायें इस्तेमाल किये जाने की आवश्यकता।) (1774)

(रेलगाड़ियों के नाम हिन्दी और अंग्रेजी के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में लिखे जाने की आवश्यकता।) (1775)

(कम्प्यूटर आरक्षण बुकिंग में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किये जाने की आवश्यकता।) (1776)

(क्षेत्रीय भाषाओं के प्रगामी प्रयोग पर निगरानी रखने के लिए विभिन्न जोनल रेलों में एक कक्ष खोले जाने की आवश्यकता।) (1777)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

(सभी रेलगाड़ियों में शयनयान डिब्बों (3 टियर) में अनाधिकृत यात्रियों की भीड़-भाड़ रोकने के लिए टी.टी. की नियुक्त करने में असफलता।) (1910)

(शयनयान डिब्बों (3 टियर) में पर्याप्त सुविधायें, विशेषकर ट्यूब लाइट, पंखे, पेयजल की सुविधा

उपलब्ध कराने में असफलता।) (1911)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाये।"

(हावड़ा स्थित यात्री निवास में आवास सुविधा बढ़ाने की आवश्यकता।) (1925)

(हावड़ा यात्री निवास के तीसरे तल पर कमरों के निर्माण करने की आवश्यकता।) (1926)

(सियालदह में तत्काल बेस किचन बनाने की आवश्यकता।) (1927)

(हावड़ा बेस किचन में डाक एवं तार दूरभाष लगाने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता।) (1928)

(हावड़ा बेस किचन का आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता।) (1929)

(भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस को पूर्व रेलवे को सौंपने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता।) (1930)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाये।"

(2305 डाउन के प्रस्थान के समय में परिवर्तन करके इसे हावड़ा से सांय 4 बजे प्रारम्भ करने तथा अगली समय सारणी से पूर्व इसके आसनसोल में हाल्ट की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता।) (2007)

(शयनयान डिब्बों, दूसरी श्रेणी के साधारण डिब्बों, वातानुकूलित कुर्सीयान, 2टियर तथा 3 टियर डिब्बों में और अधिक शौचालयों की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता।) (2008)

(शयनयान डिब्बों में पेयजल की व्यवस्था करने के लिए शीघ्र कदम उठाये जाने की आवश्यकता।) (2009)

(खाना लूप सेक्शन होकर बोलपुर तथा आसनसोल के बीच यात्री रेलगाड़ी चलाये जाने हेतु शीघ्र कदम उठाये जाने की आवश्यकता।) (2010)

(रेलवे की खान-पान सेवाओं में विभिन्न प्रकार के व्यंजन शुरू किये जाने की आवश्यकता।) (2011)

(बंदल तथा नैहाटी होकर वर्द्धमान और सियालदह के बीच और दंकुनी होकर वर्द्धमान और सियालदह के बीच ई.एम.यू. चलाने के लिए तत्काल रैक उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।) (2012)

(हावड़ा तथा आसनसोल के बीच 2305/2306 रेलगाड़ियों की विद्युत इंजनों से चलाये जाने तथा आसनसोल में इसके ठहरने की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता।) (2013)

(हावड़ा-राजधानी एक्सप्रेस में कोकोनट रॉक की शीघ्र आपूर्ति रोकने के लिए तत्काल कदम उठाये जाने की आवश्यकता।) (2014)

(प्रत्येक श्रेणी की कुल क्षमता का केवल 10 प्रतिशत तक ही प्रतीक्षा सूची की टिकट जारी करने के अनुदेश जारी किये जाने की आवश्यकता।) (2015)

(हावड़ा-राजधानी एक्सप्रेस की वापसी यात्रा के लिए हावड़ा से नई दिल्ली के लिए पानी की बोतलें तथा शाम का नाश्ता लिए जाने पर रोक लगाये जाने तथा इन चीजों को नई दिल्ली से ही प्राप्त किये जाने की आवश्यकता।) (2016)

(अगली समय-सारणी के पूर्व 2301/2302 रेलगाड़ी को प्रतिदिन चलाये जाने तथा इसे उन सभी स्टेशनों पर रोके जाने की आवश्यकता जिन पर भुवनेश्वर-राजधानी एक्सप्रेस रूकती है।) (2017)

(हावड़ा-राजधानी एक्सप्रेस के सभी पर्दों को बदले जाने की आवश्यकता।) (2018)

(हावड़ा-राजधानी एक्सप्रेस के भोजनयान में यात्रियों के लिए सीटें आबंटित किए जाने पर शीघ्र रोक लगाई जाने की आवश्यकता।) (2019)

(हावड़ा-राजधानी एक्सप्रेस के भोजनयान से चेयरकार हटाने तथा उनके स्थान पर रेलगाड़ी में चलने वाले कर्मचारियों को उपलब्ध कराये जाने के लिए कदम उठाये जाने की आवश्यकता।) (2020)

(हावड़ा-राजधानी एक्सप्रेस के खान-पान सेवा को कर्मचारियों के जूते उपलब्ध कराये जाने के लिए शीघ्र कदम उठाये जाने की आवश्यकता।) (2021)

(हावड़ा-राजधानी एक्सप्रेस के वातानुकूलित 3 टियर के डिब्बे में हॉट-केस शीघ्र उपलब्ध कराये जाने के लिए शीघ्र कदम उठाये जाने की आवश्यकता।) (2022)

(हावड़ा-राजधानी एक्सप्रेस के वातानुकूलित 3 टियर के डिब्बे को नया रूप देकर लिनेन रूम बनाये जाने के लिए तत्काल कदम उठाये जाने की आवश्यकता।) (2023)

(सभी लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में विशेषकर हावड़ा तथा सियालदह से चलने वाली रेलगाड़ियों में भोजनयान जोड़े जाने की आवश्यकता।) (2024)

(हावड़ा-कालका मेल की पूरी यात्रा के दौरान इसमें भोजनयान चालू रखने की आवश्यकता।) (2025)

(खान-पान सेवा का निजीकरण करने को रोके जाने की आवश्यकता।) (2026)

(सभी लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में दूसरी श्रेणी के साधारण डिब्बे तथा शयनयान जोड़े जाने की आवश्यकता।) (2027)

(सभी यात्री रेलगाड़ियों के डिब्बों में यात्री गाड़ी निरीक्षकों की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता।) (2028)

(महिला डिब्बों में पुरुष यात्री को यात्रा करने से रोके जाने की आवश्यकता।) (2029)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 1 रुपया कम किया जा जाये।"

(सिगनल प्रणाली में तत्काल सुधार करने में असफलता) (2042)

(सभी यात्री गाड़ियों में दूसरी श्रेणी के साधारण और स्लीपर क्लास में न्यूनतम यात्री सुविधायें उपलब्ध कराने में असफलता।) (2043)

श्री बृजकिशोर त्रिपाठी (पुरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं : -

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(रेलवे बोर्ड के व्यय में मितव्ययता बरतने का प्रस्ताव रखने की आवश्यकता।) (1826)

(यात्रियों को आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए ठोस उपाय करने की आवश्यकता।) (1827)

(रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों का निजीकरण न करने की आवश्यकता।) (1828)

(आधुनिकीकरण के नाम पर रेल कर्मचारियों की छटनी रोकने की आवश्यकता।) (1829)

(उड़ीसा के लिए पृथक रेलवे जोन बनाने और राउरकेला, उड़ीसा में एक नया डिवीजन बनाने की आवश्यकता।) (1830)

(रेल मार्गो का उचित रखरखाव करने की आवश्यकता।) (1831)

(रेलवे स्टेशनों की सिगनल व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता।) (1832)

(रेलवे स्टेशनों के प्रतीक्षालयों की दशा सुधारने की आवश्यकता।) (1833)

(रेलगाड़ियों की, विशेषकर उड़ीसा में चलने वाली रेलगाड़ियों की समयबद्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता।) (1834)

(उड़ीसा में रेलवे स्टेशनों पर अधिक बुक-स्टाल/खान-पान स्टाल उपलब्ध कराने की आवश्यकता।) (1835)

(रेलवे प्लेटफार्मो पर बेरोजगार युवकों को बुक-स्टाल/खान-पान स्टाल आबंटित करने की आवश्यकता।) (1836)

(रेलवे में सभी नैमित्तिक मजदूरों को नियमित करने की आवश्यकता।) (1837)

(रेलगाड़ियों में सफाई कर्मचारियों की काम करने की दशा में सुधार करने की आवश्यकता।) (1838)

(देश में रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता।) (1839)

(उड़ीसा में नई रेल परियोजनायें आरम्भ करने की आवश्यकता।) (1840)

(सभी रेल परियोजनाओं, विशेषकर उड़ीसा में, को समय से पूरा करने की आवश्यकता।) (1841)

(160 किलोमीटर प्रति घंटा और इससे अधिक गति पर चलने वाली रेलगाड़ियां आरम्भ करने की आवश्यकता।) (1842)

(कोयला, लौह-अयस्क और अन्य पदार्थो की सप्लाई के लिए विशेषकर उड़ीसा में अधिक वैगन उपलब्ध कराने की आवश्यकता।) (1843)

(भारी यातायात से निपटने के लिए उड़ीसा से खुर्दा रोड से पुरी तक एक दूसरी लाइन बिछाने की आवश्यकता।) (1844)

(अधिक सुपर फास्ट गाड़ियां चलाने और पुरी ओर ओखा के बीच चलने वाली साप्ताहिक एक्सप्रेस गाड़ी को दैनिक गाड़ी में बदलने की आवश्यकता।) (1845)

(पुरी में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा के लिए एक खुली इमारत उपलब्ध कराने की आवश्यकता।) (1846)

(उड़ीसा में सभी प्लेटफार्मो पर शेड लगाने और प्लेटफार्मो का विस्तार करने की आवश्यकता।) (1847)

"कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(यात्रियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता।) (1848)

(रेल यात्री डिब्बों में शौचालयों को प्रयोग करने लायक बनाये रखने की आवश्यकता।) (1849)

(रेल विभाग में फैले व्यापक कदाचार की रोकथाम करने की आवश्यकता।) (1850)

"कि रेलपथ और निर्माण कार्यों से संबंधित मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य मार्गो पर फाटकों पर ऊपरि पुल और फ्लाई ओवरों का निर्माण करने की आवश्यकता।) (1851)

"कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(सभी रेल कर्मचारियों को आवास सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता।) (1852)

"कि परिसम्पत्तियां - खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(क्षेत्रीय असन्तुलन दूर करने के लिए सभी क्षेत्रों को रेल सुविधायें प्रदान करने की आवश्यकता।) (1853)

(देश में, विशेषकर उड़ीसा में नई रेल लाइनें बिछाये जाने की आवश्यकता।) (1854)

(उड़ीसा में पुरानी रेल पटरियों के नवीकरण तथा अधिक संख्या में विद्युतीकरण परियोजनायें हाथ में लेने की आवश्यकता।) (1855)

(रेल यात्रियों को अधिक सुविधायें प्रदान करने की आवश्यकता।) (1856)

(पुरी और तिरुपति तथा पुरी और बंगलौर के बीच दो एक्सप्रेस रेलगाड़ियां चलाये जाने की

आवश्यकता।) (1857)

(उड़ीसा में गोपालपुर से तालचेर तक नई रेल लाईन का निर्माण करने की आवश्यकता।) (1858)

(पुरी रेलवे स्टेशन (उड़ीसा) का एक आदर्श स्टेशन के रूप में विकास करने की आवश्यकता।) (1859)

श्री अन्ना जोशी : मैं प्रस्ताव करता हूं : -

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाये।"

(1024/1023 शोलापुर मुम्बई सिद्धेश्वर एक्सप्रेस में शयनयान जोड़ने की आवश्यकता।) (1866)

(पुणे रेलवे स्टेशन पर महत्वपूर्ण मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों के आगमन और प्रस्थान की घोषणा किये जाने की आवश्यकता।) (1867)

(महाराष्ट्र एक्सप्रेस में एक और वातानुकूलित शयनयान उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।) (1868)

(अहिंसा एक्सप्रेस की बारम्बारता बढ़ाये जाने की आवश्यकता।) (1869)

(सभी जेडआरवी सी सी/डीआरवीसीसी/स्थानीय रेलवे परामर्शदात्री समिति के सदस्यों को पहचान-पत्र देने की आवश्यकता।) (1870)

(पुणे रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म संख्या 2-3 और 4-5 पर पी सी ओ/एसटीडी/आईएसडी बूथों के लिए स्थान आबंटित किये जाने की आवश्यकता।) (1871)

(पुणे और अक्कलकोट रोड रेलवे स्टेशन के बीच नई सीधी रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता।) (1872)

(दौंड-लोनावाला-खण्डला सेक्शन का विद्युतीकरण करने की आवश्यकता।) (1873)

(दौंड-लोनावाला-खण्डला सेक्शन पर और स्थानीय रेल गाड़ियां चलाये जाने की आवश्यकता।) (1874)

(पुणे-लोनावाला सेक्शन पर और अधिक स्थानीय रेल गाड़ियां चलाये जाने की आवश्यकता।) (1875)

(अकुरडी स्टेशन पर मूल सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।) (1876)

(पुणे और अहमदाबाद के बीच एक दैनिक रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता।) (1877)

(पुणे और कलकत्ता के बीच एक दैनिक रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता।) (1878)

(धौंड रेलवे जंक्शन के कुरकुम्भ मोरी पर एक पारपथ/ऊपरि पुल बनाये जाने की आवश्यकता।) (1879)

(पुणे शहर में रिंग रेल सड़क को शीघ्र पूरा किये जाने की आवश्यकता।) (1880)

(लोनावाला से धौंड क्षेत्र को रेलवे उपनगरीय क्षेत्र घोषित किये जाने की आवश्यकता।) (1881)

(पुणे के लिए और अधिक ई.एम.यू. युनिट्स उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।) (1882)

(ई.एम.यू. यूनिट् की मरम्मत और उसके रखरखाव के लिए लोनावाला इंजन कार्यशाला का इस्तेमाल किये जाने की आवश्यकता।) (1883)

(निजामुद्दीन-गोवा या झेलम-देहरादून रेलगाड़ी में रोजाना एक डिब्बा जोड़े जाने की आवश्यकता।) (1884)

(पुणे के समीप लोनी में 11 दिसम्बर, 1993 को रेल दुर्घटनाओं में घायल अथवा मृतक व्यक्तियों के संबंधियों को मुआवजा दिये जाने की आवश्यकता।) (1937)

(लोनावाला-पुणे धोंड लाइन के सभी रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफार्मों के पूरी तरह ऊपर से ढके जाने की आवश्यकता।) (1938)

(मुम्बई-मद्रास रेलगाड़ियों को देहू-रोड स्टेशन पर रोके जाने की आवश्यकता।) (1939)

(सिंहगढ़ अथवा प्रगति एक्सप्रेस को देहू रोड़ स्टेशन पर रोके जाने की आवश्यकता।) (1940)

(शिवाजी नगर कीरकी तथा पुणे स्टेशनों पर अतिरिक्त प्लेटफार्म बनाये जाने की आवश्यकता।) (1941)

(लोनावाला से धोंड के बीच सभी रेलवे लाइनों पर और उसके आसपास की रेलवेभूमि पर गैरकानूनी रूप से तथा अप्राधिकृत कब्जों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता।) (1942)

(गीताजंलि एक्सप्रेस को पुणे तथा कलकत्ता के बीच सप्ताह में दो दिन चलाये जाने अथवा पुणे से कलकत्ता के लिए जाने वाली तीव्र गति की रेलगाड़ियों में प्रतिदिन एक विशेष डिब्बा जोड़े जाने की आवश्यकता।) (1943)

(महाराष्ट्र एक्सप्रेस तथा झेल्लम एक्सप्रेस में पैंटरी कार, पर्याप्त बिछावन तथा उनमें सफाई रखने तथा उनके चलने के समय को घटाये जाने की आवश्यकता।) (1944)

(नासिक रोड तथा त्रिवरकेश्वर के बारास्ते पुणे तथा अहमदाबाद के बीच नई रेल लाइन के लिये सर्वेक्षण कार्य शुरू करने की आवश्यकता।) (1945)

(रेले का पुणे में एक नया डिवीजन खोले जाने जिसका मुख्यालय पुणे में हो अथवा कोल्हापुर, मीरज तथा शोलापुर को मध्य रेलवे में मिलाये जाने की आवश्यकता।) (1946)

(रोटेगांव तथा पुनतांबा के बीच रेल लाइनों का पुनर्निर्माण किये जाने तथा पुनतांबा तथा शिर्डी के बीच नई रेल लाइन बिछाये जाने की आवश्यकता।) (1947)

(धोंड-मनमाड तथा पुणे और कोल्हापुर के बीच रेल लाइनों को दोहरा किये जाने की आवश्यकता।) (1948)

(पुणे के महानगरीय क्षेत्रों में रिंग रेल रोड का निर्माण किये जाने की आवश्यकता।) (1949)

(लोनावाला-पुणे धोंड के क्षेत्रों को 'उपनगरीय क्षेत्र' घोषित किये जाने की आवश्यकता।) (1950)

(''हडपसर'' रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ''मन्दरा'' किये जाने की आवश्यकता।) (1951)

(पुणे, शिवाजी नगर तथा कीरकी रेलवे स्टेशनों पर असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता।) (1952)

(नये रेल मार्गों के द्वारा मुम्बई तथा पुणे के बीच की रेल दूरी को कम किये जाने की आवश्यकता।) (1953)

(पुणे से कलकत्ता, पुणे से अहमदाबाद, पुणे से कोल्हापुर तथा कोल्हापुर से वी टी स्टेशनों के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ियां शुरू करने की आवश्यकता।) (1954)

(धोंड-शोलापुर रेल मार्ग का विद्युतीकरण किये जाने की आवश्यकता।) (1955)

(वाडी और धोंड के बीच के रेलमार्ग को दोहरा किये जाने की आवश्यकता।) (1956)

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि : -

''कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।''

(रेलगाड़ियों में खान-पान की सुविधाओं को साफ-सुथरा रखने में असफलता।) (1914)

(रेलवे स्टेशनों पर स्थित विश्रामालयों को साफ-सुथरा रखने में असफलता।) (1915)

(देश में रेलगाड़ियों की समयबद्धता को सुनिश्चित करने में असफलता।) (1916)

(सिलचर से जिरिबाम तक रेल सेवाओं में सुधार करने में असफलता।) (1917)

(गुवाहाटी से अन्य गन्तव्यों के लिए इम्फाल में बाह्य एजेन्सी द्वारा गाड़ियों में सीटों के आरक्षण का कोटा बढ़ाये जाने में असफलता।) (1918)

(इम्फाल में रेलवे की आउट एजेन्सी में कम्प्यूटर सुविधा उपलब्ध कराने में असफलता।) (1919)

(मणिपुर राज्य की राजधानी को रेल से जोड़ने में असफलता।) (1920)

(जिरिबाम होते हुए इम्फाल तक रेलवे लाइन के निर्माण में असफलता।) (1921)

''कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।''

(दिल्ली से भुवनेश्वर तक राजधानी एक्सप्रेस सेवाओं की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता।) (1922)

(नई दिल्ली और गुवाहाटी के बीच राजधानी एक्सप्रेस चलाने की आवश्यकता।) (1923)

(गुवाहाटी से अन्य गन्तव्यों के लिए इम्फाल में बाह्य एजेन्सी द्वारा गाड़ियों में सीटों के आरक्षण का कोटा बढ़ाये जाने की आवश्यकता।) (1924)

(इम्फाल को रेल से जोड़े जाने के लिए तत्काल सर्वेक्षण किये जाने की आवश्यकता।) (2059)

(गुवाहाटी में निम्न श्रेणी के यात्रियों के लिए और अधिक विश्रामालय उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।) (2060)

(यात्रियों के लिए प्लेट फार्मों पर और अधिक बेंच उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।) (2061)

(रेल गाड़ियों में चढ़ने के लिए लाइन में खड़े होने की प्रणाली को लागू करने की आवश्यकता।) (2062)

श्री शिवाजी पटनायक (भुवनेश्वर) : मैं प्रस्ताव करता हूं : -

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

(खड़गपुर से बाल्टेयर तक रेलवे लाइन का विद्युतीकरण करने में असफलता।) (2075)

(खुर्दार रोड के वर्तमान पारपथ को फ्लाई ओवर द्वारा बदले जाने में असफलता।) (2076)

(द्वितीय श्रेणी के यात्री किराये और विभिन्न वस्तुओं के माल भाड़े में की गई वृद्धि को वापस लेने में असफलता।) (2077)

(रेल कर्मचारियों के विभिन्न संघों एवं संगठनों को मान्यता प्रदान करने में असफलता।) (2078)

(रेलवे खानपान सेवाओं के निजीकरण करने की नीति को छोड़ने में असफलता।) (2079)

(सभी रेलवे स्टेशनों पर समुचित पेयजल उपलब्ध कराये जाने में असफलता।) (2080)

(द्वितीय श्रेणी के डिब्बों में यात्रियों को कम से कम मूल सुविधायें उपलब्ध कराये जाने में असफलता।) (2081)

(दक्षिण-पूर्व रेलवे के बालासोर नीलगिरि सेक्शन में यात्री गाड़ी सेवाएं चलाये जाने में असफलता।) (2082)

(उड़ीसा में नई रेल लाइनें बिछाने और स्टेशनों का दर्जा बढ़ाये जाने। उन्हें नया रूप देने के कार्यो सहित विभिन्न कार्यो के लिए निर्धारित धनराशि का उपयोग किये जाने में असफलता।) (2083)

(राउरकेला में रेल वेगन विनिर्माण इकाई की स्थापना करने में असफलता।) (2084)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाये।"

(दक्षिण-पूर्व रेलवे के काइपदर रोड स्टेशन के प्लेटफार्मो का तल ऊंचा करने और खुदरा रोड़ मंडल में उपरि-पुल को ऊंचा किये जाने की आवश्यकता।) (2085)

(दक्षिण-पूर्व रेलवे के खुरदा रोड मंडल में निराकारपुर स्टेशन के सामने पुल का निर्माण करके जल भराव को समाप्त करने की आवश्यकता।) (2086)

(दक्षिण-पूर्व रेलवे के हावड़ा और खुरदा रोड के बीच दूसरी धौली एक्सप्रेस चलाये जाने की आवश्यकता।) (2087)

(दक्षिण पूर्व रेलवे के खुरदा रोड स्टेशन में रेल कामगारों और कर्मचारियों के लिए और अधिक आवास बनाये जाने की आवश्यकता।) (2088)

(दक्षिण-पूर्व रेलवे के खुरदा रोड मंडल में वेहरामपुर और कटक के बीच एक और डी.एम.यू. गाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता।) (2089)

(दक्षिण-पूर्व रेलवे के केसिंग स्टेशन पर बेहतर यात्री सुविधायें सहित बड़े प्रतीक्षालय बनाये जाने की आवश्यकता।) (2090)

श्री बीर सिंह महतो (पुरुलिया) : मैं प्रस्ताव करता हूँ : -

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जायें।"

((दक्षिण-पूर्व रेलवे के मुरी चांडिल सेक्शन में सुइसा और तोरंग रेलवे स्टेशनों पर उपरि पुल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता।) (2091)

(ब्राकखाना मुरी यात्री गाड़ी को दक्षिण-पूर्व रेलवे के टाटा नगर स्टेशन तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता।) (2092)

(हावड़ा-पुरुलिया एक्सप्रेस को दक्षिण पूर्व रेलवे के मुरी जंक्शन तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता।) (2093)

(हटिया से पुरुलिया तक एक रेल एक्सप्रेस गाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता।) (2094)

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं इस बात का विरोध करता हूं कि रेल बजट पर बहस होने से पहले ही यात्री किराये और माल भाड़े में 1 अप्रैल से वृद्धि की गई है। यह ठीक नहीं है। पहली बार की चर्चा का जवाब देते हुए रेल मंत्री ने कहा कि अभी हम फाइनल रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। स्टेण्डिंग कमेटी में ऐक्जामीन होने के बाद और उस समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही उनका फाइनल रिप्लाई होगा। स्टेण्डिंग कमेटी में इसकी कोई आलोचना तो नहीं हुई लेकिन उससे पहले ही यात्री भाड़े और माल भाड़े में वृद्धि की गई। मैं इसका विरोध करता हूं।

सभापति जी, स्टेण्डिंग कमेटी क्यों बनी, किसलिए बनी और यह 992 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार डालने की जरूरत क्यों हो रही हैं ? इसलिए हो रही है कि रेलवे का जो माल ढोने और पैसेन्जर ट्रैफिक का लक्ष्य था वह पूरा नहीं हुआ और क्यों पूरा नहीं हुआ ?

[अनुवाद]

उन्होंने अपने बजट भाषण में क्या कहा है ? उन्होंने कहा कि 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान कुछ व्यवधानों के कारण रेलवे यातायात प्रभावित हुआ था और इसी कारण कम माल की ढुलाई हुई और

यात्रियों के यातायात भी कम रहा। यदि कुछ व्यवधानों के कारण रेलवे यातायात प्रभावित हुआ था तो रेलगाड़ियों की संख्या कम होनी चाहिए और रेलगाड़ियां के किलोमीटर में भी कमी आनी चाहिए। परन्तु ऐसा नहीं हुआ। दूसरी और 1992-93 के दौरान बड़ी रेल लाइन पर रेलगाड़ी किलोमीटरों में वृद्धि हुई और जहाँ तक छोटी रेल लाइन की बात है इसमें मामूली सी कमी आई। 1991-92 के दौरान बड़ी रेललाइन पर रेलगाड़ी कि. मी. 207 मिलियन टन थे। 1991-92 के दौरान रेलगाड़ी कि.मी. बढ़कर 208 हो गए। लेकिन प्रति गाड़ी भार में कमी आई है। 1992-93 के दौरान मीटर गेज रेल लाइन पर प्रति रेलगाड़ी भार 585 टन से कम होकर 574 टन हो गया। 1991-92 के दौरान बड़ी रेल लाइन पर औसत भार 1,119 टन है जोकि स्थिर रहा है। 1992-93 के दौरान यह 1,128 टन था।

कम माल ढुलाई के कारण वार्षिक रिपोर्ट में वर्णित है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कोयला, सीमेन्ट, उर्वरक और पेट्रोलियम क्षेत्रों से माल ढुलाई की माँग कमी रहीं। दो महत्वपूर्ण समितियों यथा राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति और रेलवे सुधार समिति ने रेल यातायात और सड़क यातायात के हिस्से की सिफारिश की है। पूर्व में यह 75 प्रतिशत था। एक समय 75 प्रतिशत यातायात रेल द्वारा होता था। अब रेल यातायात पहले के सड़क यातायात से कम है। इसके कारण, हमें करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च करके पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करना पड़ता है। रेलवे के साथ-साथ सरकार की भी गलत नीति है। रेलवे में और अधिक यातायात की क्षमता है।

मंत्री महोदय यूनीगेज परियोजना को न्यायोचित ठहराने का प्रयास कर रहे हैं। यह परियोजना इन्हीं के दिमाग की उपज है। यह एक उपज है। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारे देश में कभी यूनीगेज प्रणाली शुरू हो पायेगी ? यूजीगेज प्रणाली एक अव्यावहारिक योजना है।

यदि आप यूनीगेज प्रणाली चाहते है तो आप कितनी राशि व्यय करेंगे ? हमें कम से कम 50,000 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आपका विचार मीटर गेज को ब्रोड गेज में बदलने का हैं छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने पर प्रति किलोमीटर अनुमानित खर्च 45 लाख से 60 लाख के बीच होगा। अमान परिवर्तन का अर्थ छोटी रेललाइन के स्थान पर बड़ी रेल लाइन बिछाना नहीं है। अमान परिवर्तन के बाद अन्य कार्य जैसे प्लेफार्मो का निर्माण, संकेत प्रणाली को बदलना और पुलों की मरम्मत करना भी शामिल है। स्टेशन भवन और प्लेटफार्म के निर्माण तथा संकेत प्रणाली को बदलने पर होने वाले खर्च 45 लाख से 60 लाख के अनुमानित खर्च में शामिल नहीं किया गया है। अतएव इसका ऑकलन अभी होना है। अब 34,000 कि.मी. के आंकड़े को कम करके 2000-25000 किलोमीटर कर दिया गया है। परन्तु इस परिवर्तन का प्रभाव क्या है ? रेलवे संबंधी स्थाई समिति में रेलवे की 1994-95 के लिए अनुदान माँगों की जाँच के दौरान हमने यह प्रश्न पूछा था। 1992-93 के दौरान एक सेक्शन का अमान परिवर्तन कर दिया गया होता था मीटरगेज से ब्रॉडगेज कर दिया था। मालढुलाई और यात्रियों के आवागमन पर इसका क्या प्रभाव है। रेल मंत्रालय की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला है। इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि मंत्री महोदय ने इसका औचित्य यह बताया है कि वहां बाधाएं थी। इससे हम सहमत हैं। इसके बाद क्षमता बढ़ाई गई है। लाइन क्षमता और यात्री गाड़ी क्षमता में वृद्धि करने की गुंजाइश नहीं

हैं। नई रेलगाड़ियां नहीं चलाई जा सकी। तब आमान परिवर्तन के बाद क्या प्रभाव पड़ा हैं ?

श्री सी.के. जाफर शरीफ : क्या पुरुलिया-कोटशिला में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ? क्या हम वहां के लोगों से पूछेंगे ?

श्री बसुदेव आचार्य : मैं इस पर बाद में बोलूंगा। आपने केवल एक रेलगाड़ी चलाई है। मैंने नई रेलगाड़ियां चलाने हेतु तथा कोटशिला को छोड़कर एक बाइपास बनाने ताकि रेलगाड़ी कोटशिला को छोड़ते हुए बोकारों से सीधे पुरुलिया के लिए जा सके, के लिए कई सुझाव दिये हैं। मैं सारे देश की बात कर रहा हूं। आप पहले हमारे जिले में आयें तथा उस परियोजना का उद्घाटन करें और उसके बाद मैं आपको आमान परिवर्तन का प्रभाव बताऊंगा। पिछली बार भी मैंने एक प्रश्न पूछा था कि क्या इस छोटी लाइन को अधिक कार्यकुशल बनाने की कोई गुंजाइश है। मेरे पास दो देशों के आंकड़े हैं, जहां अभी भी छोटी लाइन प्रणाली जारी है। उनमें से एक देश हैं दक्षिण अफ्रीका छोटी लाइन पर उनकी रेलगाड़ियों की औसत गति हमारी रेलगाड़ियों की औसत गति से अधिक है। माल यातायात के लिए हमारी औसत गति 80 किलोमीटर है। दक्षिण अफ्रीका में छोटी लाइन पर रेलगाड़ियों में कहीं अधिक भार वहन किया जाता है। पिछले वर्ष के बजट भाषण में मंत्री महोदय ने हमें बताया था कि हमारी छोटी लाइन के चल स्टॉक को मलेशिया को निर्यात करने का प्रस्ताव था। यदि मलेशिया में छोटी लाइन प्रणाली जारी रह सकती है, तो हमारी प्रणाली को अधिक कारगर बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं और मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसे कार्यकुशल बनाने की कोई गुंजाईश है। जब इसकी गुंजाईश थी, तब कोई कदम उठाये बिना और इस प्रणाली को अधिक कारगर बनाये बिना, यह निर्णय लिया गया कि हमारे पास एक समान लाइन वाली प्रणाली होनी चाहिये। हमने कहा था कि एक समान लाइन प्रणाली से बेहतर कोई प्रणाली नहीं होगी किन्तु हमारे देश में एक समान लाइन प्रणाली कभी नहीं होगी।

हम मल्टि-गेज, नैरो-गेज, मीटर-गेज और ब्रॉड-गेज प्रणाली जारी रखेंगे। एक समान लाइन की प्रणाली बनाने में कितना समय लगेगा ?

श्री सी.के. जाफर शरीफ : लगभग नौवीं योजना के अन्त तक।

श्री बसुदेव आचार्य : लगभग मत कहिये। यदि यह हमसे भी कम हो, तो भी हमारी एक समान लाइन प्रणाली नहीं होगी।

निगमित योजना के बारे में क्या है ? भारतीय रेलवे की 1985 से 2000 तक की अवधि की निगमित योजना के लिए एक मूल ढांचे का प्रावधान है। निगमित योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं : -

सन् 2000 तक माल यातायात वहन करने हेतु प्रणाली की क्षमता को विकसित करना। इस क्षमता को विकसित करने हेतु हमें निम्नलिखित कार्य करने होंगे : -

माल यातायात का 370-400 बिलियन एन.टी.के.एम., 310-370 बिलियन पी.के.एम गैर उपशहरी यात्री यातायात/ 105/110 बिलियन पी.के.एम. उपशहरी यात्री यातायात/ वास्तविक रूप से परिवहन लागत में 15 प्रतिशत की कमी लाना।

इन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारतीय रेलवे की निम्नलिखित नीतियां अपनाने की योजनाएं हैं : -

इष्टतम निवेश तथा परिसम्पत्तियों की उत्पादकता में सुधार

निगमित योजना 1985 में शुरू की गई थी, तब से आठ वर्ष व्यतीत हो गये हैं। परिणाम क्या निकला ? अनुमानित माल यातायात में प्रतिवर्ष कमी आती जा रही है। लक्ष्य वित्तीय वर्ष के आरम्भ में निर्धारित किया गया था। तत्पश्चात् अक्तूबर या नवम्बर में एक पुनरीक्षा की गई। इसके बाद रेलवे ने माल यातायात और यात्री यातायात में कमी करने का निर्णय लिया। तब वर्ष के शुरू में लक्ष्य निर्धारित करने की क्या आवश्यकता है ? लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ? लक्ष्य प्राप्ति की दृष्टि से चल स्टाक, माल डिब्बों और यात्री डिब्बों की व्यवस्था करनी होती है। किन्तु हो क्या रहा है 370 मिलियन टन माल की ढुलाई के लिए वर्ष 1993-94 के दौरान 22,000 वैगनों की आवश्यकता थी ; बाद में इसे कम करके 20000 कर दिया गया। यात्री यातायात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और ऐसे 5 प्रतिशत अधिक यात्रियों के आवागमन के लिए रेलवे को सवारी डिब्बों की आवश्यकता है।

इस वर्ष में केवल 1400 यात्री डिब्बे प्राप्त किये जाने हैं। रेलवे की उत्पादन इकाई की क्षमता का पूर्णतया उपयोग नहीं हो पायेगा। रेलवे के उत्पादन एकक की क्षमता 2000 है। जिसमें 1000 आईसीएफ और 1000 आरसीएफ शामिल है। इसके अलावा भारत अर्थ मूर्वस, जो देश में यात्री डिब्बों का निर्माण करने वाला प्रमुख एकक है जो कि एक सरकारी उपक्रम है, और उस की क्षमता केवल 450 डिब्बों को तैयार करने की है। हमारे राज्य में 'जेस्सपा', जहां छोटी लाइन यात्री डिब्बे तैयार किए जाते हैं, के पास डिब्बों के विनिर्माण के लिए कोई क्रयादेश नहीं हैं वे मध्य रेलवे के लिए ई.एम.यू. यात्री डिब्बों का निर्माण करते हैं और इन एककों की क्षमता व्यर्थ पड़ी रह जायेगी। रेलवे को अधिक सवारी डिब्बों की आवश्यकता है। इस्तेमाल किए जा रहे पुराने यात्री डिब्बों की प्रतिशतता 30 से कम नहीं है। यद्यपि यात्रियों की संख्या में वृद्धि कम है तथा जितनी दर्शायी गई है उतनी नहीं है। फिर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है। और डिब्बों के बदलने की आवश्यकता है अतः कम यात्री डिब्बों का इस्तेमाल किए जाने के परिणाम स्वरूप सभी गाड़ियों में अत्यधिक भीड होती है और इन सभी रेलगाड़ियों में पुराने यात्री डिब्बों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

सभापति महोदय, आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 3500 कि.मी. के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। परन्तु आठवीं पंचवर्षीय योजना के दो वर्षों में उपलब्धि प्रति वर्ष 500 कि.मी. से भी कम है। यदि इस मामले में उपलब्धि प्रतिवर्ष 500 कि.मी. से कम अर्थात् 470 अथवा 475 कि.मी. होगी तो रेलवे द्वारा इसका लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकेगा और हमारे देश में विद्युतीकृत रेलपथ कम होंगे और हमें डीजल रेलपथों का अधिकाधिक उपयोग करना पड़ेगा तथा रेलवे को पेट्रोलियम उत्पादों की आयात पर आश्रित होना पड़ेगा।

विद्युतीकरण में आरम्भिक लागत अधिक है परन्तु विद्युतीकृत रेलपथ की संचालन लागत काफी कम है अतः संचालन लागत को कम करने की दृष्टि से भारतीय रेलवे में विद्युतीकृत रेलपथ स्थापित किए जाने चाहिए और विद्युतीकरण के आधार को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि रेलवे की निगमित योजना जिसे वर्ष 1995 में शुरू

किया गया था के अनुसार इस सदी के अंत तक इस देश में अधिकाधिक रेलपथ का विद्युतीकरण हो सके।

सभापति महोदय : धन्यवाद ।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मुझे मिनट का और समय चाहिए।

सभापति महोदय : अब आप अपनी प्रमुख बात पर प्रकाश डालिये।

बसुदेव आचार्य : मुझे अभी-अभी भारत के नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। **(व्यवधान)** मैं, इस बजट के प्रभाव के बारे में तथा हमारे राज्य के सरकारी क्षेत्र के उद्योगों से यात्री डिब्बों की कम खरीद करने का उल्लेख कर रहा था। रेलवे द्वारा अकस्मात् एकदम एयरब्रेक प्रणाली अपनाने का निर्णय ले लिया गया। मैं यह मानता हूं कि यह रेलगाड़ी ओर रेल यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से ठीक है। एक समान ब्रेक प्रणाली होनी चाहिए। हमने इस सभा में इस प्रश्न पर चर्चा की थी कि रेलगाड़ियां कम ब्रेक के साथ चलाई जा रही हैं।

इस पर निर्णय करते समय ऐसी मदों का निर्माण करने वाले उद्योगों की कुछ और समय दिया जाना चाहिए था। वस्तुतः नई प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए उन्हें एक वर्ष का समय चाहिए। इस तरह अपेक्षित समय न देते हुए रेलवे ने उन्हें अचानक नए एयरब्रेक का निर्माण करने के लिए क्रयादेश दिया। जबकि इस उद्योग में अभी-भी एक्जास्ट यानि कि वैक्यूम ब्रेक का निर्माण किया जा रहा था।

इसी तरह से वैगन का निर्माण करने वाले उद्योग भी प्रभावित हुए। जिनका उत्पादन पूरी तरह से रेलवे के क्रयादेश पर आश्रित रहता है। यदि रेलवे द्वारा अचानक वैगनों की खरीद कम करने का निर्णय कर लिया जाएगा। तो इन उद्योगों क्या होगा ? पश्चिम बंगाल में ऐसे एकक सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में ही हैं। रेलवे को वैगनों की आवश्यकता हैं। इसके बावजूद कम वैगनों का क्रयादेश दिया गया था। प्रत्येक वर्ष क्रयादेश मार्च के महीने में दिया जाता है। परन्तु इस वर्ष की तिमाही अर्थात् अप्रैल से जून तक के लिए रेलवे ने वैगन का निर्माण करने वाले उद्योग को अब तक कोई क्रयादेश नहीं दिया है। ऐसा कभी नहीं हुआ।

श्री तरित वरण तोपदार (बैरकपूर) **:** आज तक भी कोई क्रयादेश नहीं दिया गया है।

श्री बसुदेव आचार्य : वैगनों का निर्माण करने वाले इन उद्योगों में हजारों कर्मचारी कार्यरत हैं। ऐसी स्थिति में उनकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो सकेगा और यदि ये उद्योग बंद कर दिए जाएंगे तो इसमें लगे हजारों कार्मिक अपने रोजगार से हाथ धो बैठेंगे। रेलवे द्वारा इन सभी बातों और उन पर रेलवे बजट के प्रभाव पर विचार किए बिना ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल में कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं लंबित हें। विगत में जब रेलमंत्री एक वाद-विवाद का उत्तर दे रहे थे तो उसी समय हमने एकलाखी बालरूघाट लाइन का प्रश्न भी उठाया था। हमने समाचारपत्रों में यह समाचार फढ़ा कि कई मंत्रियों की बैठक हुई अथवा होने वाली है। और वे कुछ ऐसी लंबित परियोजनाओं के बारे में निर्णय लेंगे जिनमें प्रगति दर केवल पांच प्रतिशत है और लागत वृद्धि 60 प्रतिशत हुई है। हमें इस बात की जानकारी नहीं हैं कि क्या उन्होंने इन परियोजनाओं को बंद करने का कोई निर्णय कर लिया है। जब माननीय मंत्री

वाद विवाद का उत्तर दे रहे थे तो उसी दौरान इकलाखी-बालूरघाट लाइन के बारे में प्रश्न पूछने पर उन्होंने हमें बताया था कि इस मामले में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। माननीय रेलमंत्री ने यह बताया कि इस पर स्थायी समिति द्वारा जांच किए जाने के पश्चात् वे हमें यह बतायेंगे कि क्या वे इस लाइन के लिए आबंटन की राशि को 1000 रुपये से एक करोड़ तक बढ़ायेंगे अथवा नहीं। सभापति महोदय, आप भी रेलवे बजट में बिहार के साथ किए गए भेदभाव का विरोध कर रहे थे। बिहार की उपेक्षा की गई है। और पश्चिम बंगाल को भी नही बख्शा गया हैं **(व्यवधान)**

श्री सी.के. जाफर शरीफ : आप मतभेद पैदा कर रहे हैं। और यह आपकी नीति है।

श्री बसुदेव आचार्य : हम मतभेद पैदा नहीं कर रहे हैं। बल्कि एक हो रहे हैं। पूरा पूर्वी क्षेत्र शिकायत कर रहा हैं यहां तक कि उड़ीसा द्वारा भी शिकायत की जाती रही है। बिहार की शिकायत उचित है। पश्चिम बंगाल की भी उपेक्षा की गई है। पश्चिम बंगाल के युवा और छात्रों ने धरना दिया और जब वे स्थायी समिति के सभापति कामरेड सोमनाथ चटर्जी के साथ माननीय मंत्री से मिले तो मंत्री जी ने कहा था कि वे जनता की उपयुक्त मांगों पर निश्चित रूप से विचार करेंगे। महोदय, यह इकलाखी-बालूरघाट लाइन हमारे राज्य के सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्र में हैं जहां कोई रेल लाइन नहीं है। और यह लाइन जिला मुख्यालयों को भी जोड़ेंगे। वर्ष 1993-94 में इस लाइन के लिए आबंटन की राशि को एक लाख से बढ़ाकर एक करोड़ कर दिया गया है। परन्तु यहां एक पैसा भी खर्च नहीं किया है। रेल संबंधी स्थायी समिति की जांच के दौरान हमने यह पाया कि यह लाइन बंद कर दी गई है। ऐसा क्यों हुआ ? इसकी कम संचालन वरीयता होने के आधार पर बंद किया गया है। यह वरीयता वर्ष 1993-94 के लिए बजट को अंतिम रूप देने से पहले ही निर्धारित की गई है। जनवरी में इस लाइन को वरीयता सूची में स्थान दिया गया था। फिर अचानक जब जुलाई में इस संबंध में समीक्षा के लिए बैठक हुई तो इसे संचालनाग मामले में निम्न वरीयता के कारण इस परियोजना को बंद कर दिया गया।

महोदय, माननीय मंत्री से मैं यह अनुरोध और मांग करता हूँ कि इकलाखी-बालूरघाट लाइन के लिए पर्याप्त राशि आबंटित की जाए ताकि इसे निर्धारित समय में पूरा किया जा सके।

अब मैं हावड़ा-आमता लाइन के बारे में कुल कहना चाहता हूं जो कि श्री हन्नान मोल्लाह के निर्वाचन क्षेत्र में स्थित है। वे सभा में धरने पर बैठ जायेंगे। वर्ष 1972 में इसका शिलान्यास श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा किया गया था। केवल एक छोटा हिस्सा ही पूरा किया गया है। गत वर्ष, 1993-94 में एक करोड़ की राशि आबंटित की गई थी। परन्तु इस पर एक पाई भी व्यय नहीं की गई । बल्कि इसे बंद कर दिया गया । और इस वर्ष के बजट में केवल 1000 रुपये की राशि इसे चालू रखने के लिए आबंटित की गई है। दीघा-तुमलोक लाइन की भी ऐसी ही स्थिति है। इस लाइन के लिए मात्र थोड़ी-सी वृद्धि की गई है। तीन जिलों को जोड़ने के लिए एक संकरी लाइन है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदय (श्री नीतीश कुमार) : अब आप अपना वक्तव्य समाप्त कीजिए। आपने पांच मिनट

मांगे थे, आप आठ मिनट बोल चुके हैं और उसके बाद फिर आपको पांच मिनट दिए।

श्री बसुदेव आचार्य : सभापति महोदय, तीन मिनट में समाप्त कर दूंगा।

सभापति महोदय : आप दो मिनट में समाप्त कर दीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : नवादा से होकर पटना जाए, आप समर्थन करेंगे। नवादा होकर तीनसुकिया मेल को आप घुमा दीजिए। ज्यादा समय नहीं लगेगा, एक डेढ़ घंटा लगेगा। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : यह नवादा होकर पटना कैसे जाएगी यह भी बता दीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : नवादा में घुमा पड़ेगा। . . . **(व्यवधान)** . . . अब कहां से घुमाना पड़ेगा यह वह बताएंगे।

|अनुवाद|

बांकुरा-दामोदर नदी रेलवे एक महत्वपूर्ण रेलवे है। इसके प्रबन्धन का अधिग्रहण कर लिया गया था। परन्तु अभी इस लाइन का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है। आप इस लाइन का राष्ट्रीयकरण कीजिए।

|अनुवाद|

आप इसका अधिग्रहण कर इसका राष्ट्रीयकरण कर दीजिए। एक समान गेज के पश्चात . . .

|हिन्दी|

आप इसको भी ला दीजिए। हम लोग इसका समर्थन करेंगे **(व्यवधान)** . . .

|अनुवाद|

गत वर्ष अदना-माधापुर लाइन के लिए एक करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। सर्वेक्षण किया गया। इस वर्ष केवल 60 लाख रुपये ही दिए गए हैं।

|हिन्दी|

(व्यवधान) हम इलैक्ट्रीफिकेशन के बारे में बता रहे थे। . . . **(व्यवधान)** . . . 60 लाख में क्या होगा उसको आप बढ़ा दीजिए ; कम से कम 5 करोड़ दीजिए। **(व्यवधान)** इसके लिए आपने वायदा किया था।

|अनुवाद|

मुझे अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए। यह बताया गया था कि मार्च के अंत तक बर्दवान-आसनसोल लाइन पर ईएमयू सेवा शुरू कर दी जायेगी। मार्च माह गुजर गया है।

|हिन्दी|

मार्च खत्म हो गया है और अप्रैल भी खत्म होने वाला है, अभी तक कुछ पता नहीं कि क्या होगा। उसको आगरा, आसनसोल तक भी ले जाने का प्रयोजन था। . . . **(व्यवधान)** हॉकर्स का लाइसेंस देने का प्राबलम था। ममदुल साहब ने भी इसको उठाया था वे वहां की यूनियन के सभापति हैं कलकत्ता में बहुत बड़ी रैली की। . **(व्यवधान)** इस समस्या का समाधान कीजिए और आप रेलवे में सुधार लाइये।

[अनुवाद]

रेल लाइनें बदलने के अलावा अन्य चीजों पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जब तक वहां रेल लाइन नहीं बिछाई जायेगी, औद्योगिकीकरण नहीं हो सकता। रेल सुविधा सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी आवश्यकता है। रेलमंत्री ने मुझे इस पहलू की जांच करने के लिए कहा था। हमारे उप-दल ने कतिपय सिफारिशें की थी। अभी हम रेल अभिसमय समिति के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर रहे हैं। उसने लाभांश में वृद्धि करने की सिफारिश की हैं। हमने सिफारिश की है कि रेल केन्द्रीय राजकोष में लाभांश क्यों दे जबकि इसको बजटीय सहायता 75 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत की जा रही हैं रेल को केन्द्रीय राजकोष में लाभांश क्यों देना चाहिए ? रेल की आय-व्यय मात्र इसके ही नहीं हैं, बल्कि यह समूचे राष्ट्र के लिए हैं। जब तक रेलों का विकास नहीं होगा, तब तक राष्ट्रीय विकास नहीं हो सकता है।

सभापति महोदय : अब, रेल मंत्री रेल अभिसमय समिति के एक सदस्य हैं। कृपया आप अपना आसन ग्रहण कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : केन्द्रीय सरकार को रेल तंत्र के विस्तार हेतु अधिकाधिक निवेश करना चाहिए। इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) **:** सभापति महोदय, मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इसलिए समर्थन करता हूं कि रेल एक ऐसी संस्थान हैं जो इस देश के गरीब लोगों के आने-जाने का सबसे बड़ा साधन हैं। बजट आता हैं और प्रत्येक बजट में, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो इसमें बढ़ोतरी होती है।

इसकी वजह रही है। जब ज्यादा रेलों की मांग की जाती है, नई लाइन बिछाने की मांग की जाती हैं, नई लाईने बिछती हैं, नई गाड़ियां चलती हैं, नए पुल बनते हैं तो स्वाभाल्कि है कि यात्रियों पर बोझ भी बढ़ता है। यह पहले भी होता आया है और आगे भी होता रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यात्रियों से जो राशि ली जाती है, उसके बदले में उनको पूरी सुविधाएं दी जाती हैं या नहीं, उनकी कठिनाइयों को दूर किया जाता है या नहीं। इस बात पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। अभी आचार्य जी बोल रहे थे कि माल भाड़ा बढ़ा दिया गया, यात्री भाड़ा बढ़ा दिया गया, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि यह विरोध का कोई तरीका नहीं हैं। यदि कोई व्यक्ति 200 रुपए देकर यात्रा कर सकता है तो वह 220 रुपए देकर भी यात्रा कर सकता है, उसे कोई कठिनाई नहीं होगी। मूल समस्या यह है कि जिनसे पैसा लिया जाता है, क्या उनकी सुरक्षा और अन्य सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाता है, क्या वे अपने आपको एक पैसिंजर समझते हैं। मैं समझता हूं कि रेलवे इसमें आज पूरी तरह से सफल नहीं हैं। और इन बातों को लेकर आज रेल मंत्री जी की छवि का ह्रास हो रहा है। जब हम लोग रेल में सफर कर रहे होते हैं और यात्रियों को पता चलता हैं कि फलां डिब्बे में एम पी साहब भी सफर कर रहे हैं तो वे शिकायतें लेकर आते है कि सफाई की व्यवस्था नहीं हैं, पानी की व्यवस्था नही है लाईट का व्यवस्था नही है। एक्सप्रेस में चल रहे है, लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा हे, सीमित सामान

ले जाने पर भी अधिक माल भाड़ा वसूल किया जा रहा है, तब हमको रोना आता है, और हम अपने आपको बेबस समझते हैं, लाचार समझते हैं। आप अधिक किराया लें, अधिक मालभाड़ा लें, इसका विरोध नहीं हो सकता लेकिन मेरा कहना यह है कि जिस उद्देश्य के लिए किराए-भाड़े में वृद्धि की जाती हैं, उसे उद्देश्य की पूर्ति भी की जानी चाहिए। अगर यह नहीं होता है तो यह हमारा दुर्भाग्य है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बार पटना से कलकत्ता टाटा स्टील एक्सप्रेस से यात्रा कर रहा था, मैंने सारे डिब्बों में जाकर देखा तो मुझे फर्स्ट, सेकण्ड क्लास या एसी में कोई खास अंतर नजर नहीं आया। क्या वजह हैं कि इतना साधन संपन्न विभाग, जिसका सबसे अधिक बजट है, जिसमें सबसे अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है। और जो यात्रियों को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाने का काम करता है, लेकिन यात्रियों को पूरी सुविधाएं और सुरक्षा मुहैया नहीं करवा पाता।

मान्यवर, हमें जाफर शरीफ जी से बहुत आशाएं हैं। आशाएं तो हमें जार्ज साहब जब रेल मंत्री बने थे, तब उनसे भी थी, लेकिन पता नहीं मंत्री बनने के बाद इनके हाथ क्यों बंध जाते हें, जार्ज साहब कुछ नहीं कर पाए। अब हमकों जाफर शरीफ साहब से बहुत आशाएं हैं और हमें उम्मीद हैं कि वे यात्रियों की समस्याओं की ओर अवश्य ध्यान देंगे।

5.00 म.प.

आप पूरे भारत का रेल से टूर करें तो मैं समझता हूं कि रेलवे की कायापलट हो सकती हैं आप चाहेंगे तो रेलवे में सुधार आएगा और आप नहीं चाहेंगे तो सुधार नहीं होगा। आपके विभाग के जो जी एम हैं वे अपने को विधाता समझते हैं और सैलून में चलते हैं। जिस ट्रैन में सैलून लगता है उस ट्रैन की दुर्दशा होती है, वह मैं नहीं बता सकता। जिस ट्रेन से मैं सफर कर रहा था तो उस ट्रेन में सैलून था। उससे हम लोगों को कठिनाई हो रही थी। उससे मुझे ऐसा लगा कि हमें एम पी होना बेकार है, निरर्थक है इसको रोकना चाहिए। सैलून की व्यवस्था किसके लिए हो सकती हैं और उस पर आप अधिक खर्च क्यों करते हैं ? वे सरकार के नौकर होते हैं और देश के मालिक नहीं होते हैं, इस बात से मेरा विरोध हैं।

जहां तक बिहार का सवाल हैं तो शुरू से बिहार उपेक्षित रहा है, इसका मैं आपको दोष नहीं दे सकता। इस बार के बजट में भी बिहार नगण्य रहा है। बिहार बड़ा राज्य हैं। वहां पर रोड ओर रेलवे की सुव्यवस्था नहीं हैं एक कहानी आपको बताना चाहूंगा। यहां पर लोक सभा में मुझे आना जरूरी था। मैंने अपने क्षेत्र निरमली में चार बजे पब्लिक मीटिंग समाप्त की और वहां से कोसी एक्सप्रैस पकड़ी। मैंने सोचा कि चार घंटे में समस्तीपुर पहुंच जाऊंगा और वहां से दिल्ली के लिए गाड़ी पकड़कर चला जाऊंगा या पटना से हवाई जहाज से चला जाऊंगा। मैं उस गाड़ी से सुबह पांच बजे समस्तीपुर पहुंचा उस गाड़ी ने पचास किलोमीटर की दूरी इतने समय में पूरी की। मैंने उतरकर गार्ड साहब से पूछा कि गाड़ी कितने विलंब से क्यों चला रहे हो तो उन्होंने कहा कि ड्राईवर साहब से पूछिए। जब मैने ड्राईवर साहब से पूछा तो उन्होने कहा कि हमको जो कोयला प्राप्त हुआ है वह स्टीम नहीं पकड़ रहा है, वह कोयला नीचे जा रहा है जिससे वैक्युम नहीं हो रहा है तो गाड़ी कैसे चले? ऐसी ट्रेन की स्थिति कोई देखने वाला नहीं हैं। बिहार के उत्तरी जोन में ऐसी अनेक गाड़ियां चलती हैं। जिनमें

बल्ब, पानी या इंजिन में वैक्युम आदि नहीं होता है। आप इतना काम कर रहे हैं। तो सारे काम में पानी फिर जाता है जिससे जनता को कष्ट होता है इससे आपने नहीं बल्कि हमारे दल के प्रति उनकी मानसिकता बिगड़ती है। मेरा निवेदन हैं कि जोनल के काम को करवाने का कष्ट करें। ललित बाबू की याद आती है। वे हमारे इलाके से आते थे और रेल मंत्री थे। रेल मंत्रालय में उन्होंने एक मैप बनवाया और खासकर उत्तर बिहार के लिए बनवाया था। उनका सपना था कि वहां की जनता को मैं रेल के माध्यम से देश से जोड़ सकूं। भगवान को मंजूर नहीं था और वे नहीं रहे। इसका नतीजा यह हुआ कि बिहार आज तक उपेक्षित रहा हैं बख्तियारपुर से बिहारीगंज का उनका बनाया हुआ है नक्शा हैं। टूरिज्म के लिए भी उन्होंने मधेपुरा से नक्शा बनाया था और इसी प्रकार सहरसा से महसी का टूरिज्म के लिए बनाया था। अंग्रेजों के जमाने में सरायगढ़ से निर्मली के लिए ट्रेन चलती थी। वह बाढ़ के कारण धंस जाने के कारण दुबारा नहीं बन पाई, उन्होंने उसका सर्वेक्षण करवाया था। फिर उन्होंने समस्तीपुर साइड और वैशाली, दरभंगा आदि का सर्वे कराया था, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्य नहीं हो पाया हैं मैं आपसे मांग करता हूं कि कम से कम इसको देखें। क्योंकि बिहार इस देश का बहुत बड़ा राज्य हैं उस राज्य की जनता देश से जुड़ना चाहती हैं। आपसे जुड़ना चाहती हैं और रेल्वे से जुडना चाहती हैं, आप उन्हें जोड़ने का काम करेंगे, यह मुझें पूरी उम्मीद हैं।

मैं पटना के बार में निवेदन करना चाहता हूं। वहां से सारे बिहार के मजदूर लोग इकट्ठे होकर यहां काम के लिए आते हैं। वे जब यहां से पटना के लिए टिकट बनवाते हैं तो आपको भी मालूम होगा कि कितना अम्बार लग जाता है. वेटिंग लिस्ट में 250-300 आदमी हो जाते हैं। आप पटना के लिए बिना ए.सी. और प्रथम श्रेणी के केवल जनता के लिए सेकंड क्लास की एक लम्बी गाड़ी चलायें जो पटना, कटिहार और मानसी तक चले। इससे बिहार के मजदूरों और नौजवानों को कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह काम आपके लिए कोई कठिन नहीं हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि इसका आप एक-डेढ़ महीने के अंदर हरी झंडी दिखाकर शुभारम्भ भी कर देंगे और अपनी स्पीच में इसका जवाब देंगे।

हमारे राम निहोर राय की मांग हैं कि चौपन अथवा रेणुकूट से नई दिल्ली तक एक नई रेल चलाई जाये। इसको मान लेने में कोई कठिनाई नही होनी चाहिए। पुरूषोत्तम एक्सप्रेस जो दिल्ली से भुवनेश्वर चलती हैं उसका भी वे वहां दो निमट का ठहराव चाहते हैं।

हमारे हजारीबाग के सांसद और हम लोग भी चाहते हैं कि हजारीबाग को रेल्वे से जोड़ा जाये। रांची से हजारीबाग बगल से होकर रेल कलकत्ता जाती है। मात्र पचास किलोमीटर अगर आप रेल लाइन दे देते हैं तो इससे आपका यश होगा और क्योंकि वह हिल एरिया है, वहां की जनता को भी सुविधा होगी।

रेल को बनाने में इस समय आपसे अधिक अनुभवी और कोई नहीं हैं। आप रेल्वे को अपने अनुभव का ध्यान ज्यादा से ज्यादा लाभ दें। आप इसके लिए प्रयास भी करते हैं, पता नहीं किस कारण या हैड्स की कमी की वजह से आप अपने त्रिनेत्र से देख नहीं पा रहे है, जिसे देखने की आवश्यकता है। मैं रेल बजट का समर्थन करता हूं और मांग भी करता हूं कि हम सांसद लोग जो सुझाव देते हैं उन पर गम्भीरता से आप अमल करें।

मद्रास जाने के लिए गाड़ियों की कोई कमी नहीं हैं, कलकत्ता और बंगलौर जाने के लिए गाड़ियों की कोई

कमी नहीं हैं, लेकिन पटना जाने के लिए बहुत कमी है। मेरी मांग है कि पटना जाने के लिए या अन्य राज्यों की राजधानियों में जाने के लिए जो कि महानगरों से नहीं जुड़ी हैं और जो उपेक्षित क्षेत्र हैं वहां की जनता को सुविधा देने के लिए आप प्रयास करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने जो समय दिया उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

।अनुवाद।

डा. मुमताज अंसारी (कोडरमा) : सभापति महोदय, रेल सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाला एक बहुत बड़ा उपक्रम हैं। और यह सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्रम हैं। इसके ऊपर देशभर में फैले कर्मचारियों और श्रमिकों की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। मुझे रेल मंत्री का अत्यंत आभारी होना चाहिए कि उन्होंने जम्मू और कश्मीर के उन आन्तरिक भागों में रेल लाइनें बिछाना शुरू किया हैं जोकि अभी तक सामाजिक असंतोष की चपेट में हैं और राज्य के उस हिस्से में अनेक तरह की गड़बड़ी फैली हुई है। यह एक उल्लेखनीय और प्रशंसनीय बात है। रेल मंत्री का जम्मू और कश्मीर में रेल लाइन बिछाना एक बहुत अच्छा कदम है। क्योंकि इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे और इसकी संभावनाएं पैदा होंगी। इससे राज्य के उस भाग में सामाजिक और राजनैतिक असंतोष कम होगा।

मैं उनका अत्यंत आभारी हूं, जैसाकि हमारे सहयोगियों ने बताया हैं कि उन्होंने समस्तीपुर से दरभंगा तक रेलों के विस्तार अथवा छोटी रेललाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने के लिए इस प्रयोजनार्थ 32 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। मैं रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि रेल लाइन का जयनगर तक विस्तार किया जाना चाहिए क्योंकि जयनगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सामरिक दृष्टि से महत्व की जगह हैं। यह हिमालय में स्थित हैं और यह सामरिक और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की जगह हैं। अतः मेरा आपसे यह नम्र निवेदन है कि एक बार दरभंगा से जयनगर तक रेल लाइन बिछा देने पर न केवल नेपाल की दृष्टि में आपकी प्रतिष्ठा और दर्जा बढ़ेगा, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल और यात्रियों के आवागमन में सुविधा हो जायेगी। इससे नेपाल और उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की नज़रों में एक अच्छी छवि बनेगी। इसी के साथ, यह एक अत्यंत खेद और परेशानी की बात है कि रेल मंत्री ने देश के दक्षिणी भाग के साथ-साथ समृद्ध राज्यों जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों में तो रेल लाइनें बिछाने के लिए काफी कुछ किया है। यह एक अच्छी बात है। आप जो कुछ कर रहे हैं, उसके लिए मुझे अन्य राज्यों के साथ कोई ईर्ष्या नहीं है। यदि आप किसी अन्य राज्य चाहे यह देश का दक्षिणी भाग है अथवा उत्तरी अथवा कोई भी भाग में इस प्रकार की बुनियादी सुविधाओं के विस्तार कर रहे हो, तो मुझे इस पर किसी के प्रति कोई ईर्ष्य नहीं हें। मेरा तो आपसे यही अनुरोध हैं कि रेलों के विस्तार के मामले में किसी न किसी प्रकार का संतुलित रवैया अपनाया जाना चाहिए।

5.13 म.प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

जब आप किसी रेल लाइन का विस्तार करते हैं, तो आपको उन राज्यों का ध्यान रखना चाहिए जो अधिक पिछड़े हुए हैं जैसे बिहार, उड़ीसा और अन्य पिछड़े हुए राज्य है। बिहार आर्थिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ राज्य है। यहां संसाधनों की प्रचुरता के होते हुए भी गरीबी है। जहां तक बिहार का प्रश्न है, यह राज्य बॉक्साइट, ग्रेफाइट, ग्रेनाइट, अभ्रक, लोह अयस्क जैसे खनिजों के मामले में बहुत धनी है यहां पर ऐसे खनिजों और वनीय संसाधनों का भी भारी मात्रा में भंडार है।

किन्तु बुनियादी सुविधाओं के अभाव में इन सब का दोहन नहीं हो पा रहा है। जहां तक रेलवे लाईन का सम्बंध है, महोदय आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि छतरा, हजारीबाग और गिरडीह जैसे जिला मुख्यालयों को भी रेल लाइन से नहीं जोड़ा गया है। यदि आप अन्य राज्यों के कल्याण के लिए कुछ कर रहे हैं तो यह अच्छी बात है क्योंकि आप अन्य राज्यों के लिए जो कुछ भी करेंगे उससे अंततः देश के आर्थिक विकास को ही बल मिलेगा। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। किन्तु जहां तक पिछले राज्यों का संबंध है, हमने इस सभा में बहुत शोर-शराब किया है और श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सभा से नाम आउट भी किया है। इस बात को वे सही रूप में अब मानेंगे कि हम लम्बे समय से जो आंदोलन चला रहे हैं वह इसलिए कि वहां पर कुछ विकास कार्य होना ही चाहिए अर्थात् रेल लाइनें बिछाने का कार्य हाथ में लिया जाना चाहिए। जहां तक मेरे क्षेत्र अर्थात् कोडरमा का सम्बंध हैं। यह क्षेत्र अभ्रक के मामले में बहुत ही धनी है। मैंने रेल मंत्री महोदय, से बार-बार यह अनुरोध किया है कि इसे गिरडीह जिले के साथ जोड़ा जाए जो स्वयं एक दूर-दराज का क्षेत्र है। और केवल इतना ही नहीं बल्कि काफी समय पहले यहां सर्वेक्षण भी किया गया था और इस सर्वेक्षण कार्य पर भारी धनराशि खर्च की गई थी। किन्तु यह देखकर घोर चिन्ता तथा आश्चर्य होता है कि ये सभी सर्वेक्षण कार्य तथा अध्ययन कार्य ताक पर रख दिए गए ह। और कोई भी ठोस उपाय नहीं किया गया है। इतनी धनराशि का व्यय किसलिए किया गया है। और यदि ये सब बातें निरर्थक ही रहनी हैं तो इतना कार्य किसलिए किया गया है ? माननीय मंत्री महोदय से मेरा यह अनुरोध हैं कि वे कुछ ठोस विकासात्मक कदम उठाए और इन जिला मुख्यालयों को रेल लाइनों के साथ जोड़ें।

अब दक्षिण बिहार को ही लें, जो कि खनिज संसाधनों के मामले में अत्यधिक धनी क्षेत्र हैं। मैं इस बात का यहां पुनः एक बार उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप उस समय यहां नहीं थे, अतः अभ्रक, लोह अयस्क, कोयला जैसे खनिज संसाधन के मामले में स्थिति यह है कि कोयले का 46 प्रतिशत उत्पादन इस क्षेत्र में किया जाता है। और जहां तक ग्रेफाइट और बॉक्साइट का संबन्ध हैं, ये यहां प्रचूर मात्रा में उपलब्ध हैं इसी प्रकार वनीय सम्पदा भी यहां पर प्रचूर मात्रा में उपलब्ध हैं। यदि आप इन खनिज संसाधनों को देश के एक कोने से दूसरे कोने में ले जाना चाहते हैं। तो आपको रेलवे के नेटवर्क का विस्तार करना होगा। अन्यथा इन संसाधनों का दोहन नहीं हो सकेगा।

महोदय, आपको यह पता है कि बिहार, औद्योगिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत ही कमजोर है और यह राज्य बहुत ही कमजोर होता जा रहा है। आपको पूरे देश के संतुलित विकास के बारे में सोचना होगा। और यदि आप देश के इस भाग में विकासात्मक कार्यों को बढ़ावा देना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कुछ करना ही पड़ेगा जिसमें कोई भारी धनराशि खर्च न होकर थोड़ा ही पैसा लगेगा अर्थात् कुछ करोड़ रुपए ही लगेंगे और इसी से आर्थिक विकास के मामले में वहां भारी परिवर्तन आ जाएगा।

श्री नीतीश कुमार कुछ उल्लेख कर रहे हैं। उनकी बात अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मैं इस मामले पर बोल रहा हूं अन्यथा वे तो अधिक मजबूत ढंग से अपना पक्ष रखते क्योंकि वे इस मामले में अच्छे वक्ता हैं। राजगीर तो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और यही बात बोध गया पर लागू होती है। गया भी धार्मिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से और राजनीतिक दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है और ये स्थान सभी तरह स राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हैं। वहां बाहर से, विदेशों से बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री आ रहे हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान हालात पर उन्हें भी अत्यधिक आश्चर्य और चिन्ता होती हैं स्वाधीनता प्राप्ति के बाद गया को राजधानी पटना से नहीं जोड़ा गया है। और आजादी के बाद से ही हमने इस पर शोरगुल मचाया है और अनेक नेताओं ने रेलमंत्री जी को लिखा है। आप भले तब रेल मंत्री न रहे हों किन्तु मंत्री का पद तो अवश्य रहा और उसी को संबोधित करके अनेक पत्र लिखे गये थे जिनमें इस रेल लाइन को दोहरा करने का अनुरोध किया गया था एक छोटी लाइन जो वहाँ है उससे कई कठिनाइयाँ हो रही हैं। यदि आप कार द्वारा गया से पटना जायें तो आपको मुश्किल से ढाई घंटे लगेंगे परन्तु रेल गाड़ी द्वारा गया से पटना जाने पर कम से कम पूरा दिन और कभी-कभी 24 घंटे भी लग जाते हैं। कुछ लोग रेलगाड़ी की चेन खींच देते हैं ; कुछ रेल चालकों पर दबाव ही डालने लग जाते हैं, कुछ लोग पत्थर दिखा कर रेलवे गार्ड को चेतावनी देते हैं और बताते हैं कि यदि रेलगाड़ी न रूकी तो वे पीछे छूट जायेंगे। रेलगाड़ियां सही समय पर पटना नहीं आ रही है। आप यह लिख लें कि इस रेल लाइन को दोहरा बनाना अत्यंत आवश्यक है और यह कार्य होना ही चाहिये। यह मांग बहुत समय से लंबित है। राजगीर को भी बोधगया के साथ जोड़ा जाना चाहिये। राजगीर नीतीशजी के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह रेलवे अभिसमय समिति के सदस्य भी हैं। उन्होंने उस समिति में माननीय रेल मंत्री का ध्यान इस पहलू की ओर भी आकर्षित किया होगा हमने भी इस दृष्टिकोण पर बल दिया है। उस दृष्टिकोण से, नीतीश जी के दृष्टिकोण स यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है और समय खोये बिना इसे रेल लाइन के साथ जोड़ दिया जाना चाहिये।

इसी प्रकार, मैं आपको यह ध्यान दिलाना चाहूँगा कि आपने पूरे देश में कई और रेलगाड़ियां, नयी रेलगाड़ियों, तेज गति की रेलगाड़ियों, सुपर फास्ट रेलगाड़ियां और अति महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों की शुरूआत करके अत्यंत प्रशसंनीय कार्य किया है। जहां तक बिहार और उड़ीसा राज्यों का संबंध हैं, आपने एक भी ऐसी रेलगाड़ी शुरू नहीं की है जो सुपरफास्ट या द्रुतगति से चलने वाली अथवा महत्वपूर्ण हो। एक बार आप गया में राजधानी अथवा पुरुषोत्तम एक्सप्रेस जैसी विशिष्ट रेलगाड़ियों का स्टॉप बनाने पर सहमत हो गये हैं, परन्तु आपने शायिकाओं की संख्या में वृद्धि नहीं की है। मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि किसी महत्वपूर्ण स्थान पर किसी

महत्वपूर्ण रेलगाड़ी का स्टॉप बनाया जाये तो उसमें कुछ सीटें भी जोड़ी जायें। आपने मुझसे वायदा किया था कि पुरुषोत्तम एक्सप्रेस कोडरमा में रूका करेगी। जो खनिज संसाधनों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वहाँ पर 70 प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है जिसका विदेशों को निर्यात किया जाता है। अब तक आपके इस आश्वासन के बावजूद वह रेलगाड़ी वहां रूकती नहीं है। आप बेहतर जानते हैं कि ऐसा करने में भारी अड़चन क्या है। मुझे आशा है कि आप इन सभी अड़चनों को हटाने का प्रयास करेंगे।

इसी प्रकार, जैसा कि अनेक माननीय सदस्यों ने बताया है, किरायों और भाड़ों में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। यह एक स्वाभाविक, अन्तिम और मामान्य प्रक्रिया बन चुकी है क्योंकि जब तक किरायों और भाड़ों में वृद्धि नहीं की जाती तब तक इन सभी बढ़तें हुए खर्चो को पूरा नहीं किया जा सकता। मेरा विनम्र निवेदन है कि इस स्थिति के परिहार का एक उपाय है। स्थायी समिति ने भी विभिन्न स्थानों पर विभिन्न बैठकों में यह बताया है कि परिहार के कुछ उपाय हैं। खर्चे में कमी भी की जा सकती है। सरकारी अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्तों जैसे यात्रा भत्ते में कटौती की जा सकती है ताकि इन सब वित्तीय संसाधनों का दुरुपयोग न हो सके। अपने भाषणों में आप यह इंगित कर चुके हैं कि रेलवे वित्तीय संकट में फंसा हैं। आप आंतरिक संसाधन जुटाने पर जोर दे रहे हैं ; यह अच्छी बात हैं परन्तु साथ ही आपको यह भी देखना चाहिये कि इन सभी बढ़ते उपरि खर्चों में भी अधिकतम कटौती की जानी चाहिए ताकि रेलवे की कार्यकुशलता और उत्पादकता में वृद्धि की जा सके और इसे मानक स्तर तक लाया जा सके।

इसी प्रकार, जहां तक उत्तरी बिहार और बिहार के अन्य भागों का संबंध हैं, नयी रेलगाड़ियां शुरू करने की आवश्यकता है। यदि आप इतने ही मेहरबान हैं तो आप बिहार की वर्तमान दशा को बेहतर बनाने हेतु कुछ कर सकते हैं। रेलवे अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह एक अति महत्वपूर्ण उपक्रम है। यदि आप बिहार को केवल कुछ आधारभूत सुविधाएं दे दें तो हम आपके अत्यंत आभारी होंगे। आपने मुश्किल से 32 करोड़ रुपये की राशि बचायी है। यदि आप अत्यंत दयालु हों तो आप समस्तीपुर से जयनगर तक की रेल लाइन को पूरा कर सकते हैं। आप आस-पास की सभी विभिन्न लाइनों को जोड़ भी सकते हैं। आप कृपया गिरिडीह से कोडरमा तक रेल लाइन बिछाने के लिए कुछ कीजिए। यह मेरा निर्वाचन क्षेत्र हैं। और इस काम के लिए बहुत कुछ किया जा चुका है। सर्वेक्षण हो चुका है, अध्ययन कार्य भी हो गया है। परन्तु इसे ताक पर रख दिया गया है। मेरा नम्र निवेदन है कि दक्षिणी बिहार की प्रगति के लिए कुछ करें। हम इसके लिए आपके आभारी रहेंगे। एक एक्सप्रेस गाड़ी, मद्रास मेल, हैं जो मद्रास और बोकारों के बीच चलती है। इसकी सेवा गया तक बढ़ाई जानी चाहिए। यह मेरे सहयोगी का अनुरोध है और मैं उनकी ओर से अनुरोध करता हूं कि यह सेवा बोंकारों से गया तक बढ़ाई जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसलिए इसकी मांग कर रहे हैं क्योंकि इससे आपको फायदा होगा।

[हिन्दी]

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतिहारी) : उपाध्यक्ष महोदय, हम रेल मंत्री की आलोचना करते हैं लेकिन उनको लगता है कि आलोचना मधुर हो जाती है और वे हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लेते होंगे। मैं कहना

चाहता हूं कि रेल बजट उत्तर बिहार और बिहार के लिए उपेक्षा की स्थिति को प्रकट करता है। इस विषय में हमारे कई मित्रों ने जो कहा है, मैं उनसे सहमत हूं।

बिहार में प्राकृतिक सम्पदा बहुत ज्यादा है। यदि वहां पर प्रगति हुई तो उससे पूरे राष्ट्र में प्रगति होगी और यदि वहां की उपेक्षा हुई तो राष्ट्र का विकास नहीं होगा। यदि आप सोचे कि बिहार में जनता दल की सरकार है तो मैं कहना चाहता हूं कि यह किसी दल का सवाल नहीं है, पूरे राष्ट्र का सवाल है और राष्ट्र के सवाल पर ऐसी बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए।

मैं पहल रेल मंत्री जी को धन्यवाद दे रहा हूं क्योंकि मुजफ्फपुर से रक्सौल तक बड़ी रेल लाइन बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। यदि मुजफ्फरपुर से नरकटियागंज बड़ी रेल लाइन बना दी जाएँ, छतौनी ब्रिज बना दिया जाए तो इससे करोड़ों रुपयों की आमदनी होगी और साथ ही व्यवसाय में वृद्धि होगी। यह कार्य कब पूरा होगा, मंत्री जी अपना उत्तर देते समय इसके बारे में अवश्य बताएं।

उत्तर बिहार की एक समस्या और हैं। उत्तर बिहार में मुजफ्फरपुर शहर व्यावसायिक केन्द्र है। वहां के लोगों की मांग हैं कि रेलवे का जोनल हैडक्वार्टर मुजफ्फरपुर में बनाया जाए।

हर विभाग की स्टैडिंग कमेटी बनी हुई है। और उनकी रिपोर्ट्स भी पेश हो गई हैं। अगर कमेटियां बनी हुई हैं और उनकी रिपोर्टें भी छप कर पेश हो गई हैं तो उन पर कार्यवाही होनी चाहिये। अगर उन पर कोई कार्यवाही नहीं होगी तो स्टैडिंग कमेटी बनाने की क्या उपयोगिता रहेगी और सरकारी व्यय जो हुआ है, उसका क्या होगा ? रिपोर्ट में जो सुझाव दिये गये हैं, उनका मैं समर्थन करता हूं। उन पर आप गौर करके साफ-साफ उत्तर देने की कोशिश करें।

स्टैंडिग कमेटी में जो बातें जनता के हित के लिये कही जाये, उन पर अमल किया जाना चाहिये। वैसे तो स्टैडिंग कमेटी में कही गई बातें पूरे सदन की कही बाते नहीं होती हैं। समस्तीपुर से दरभंगा लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने की आपने कोशिश की है। यह एक प्रशंसा की बात है। यह वहां के लोगों की पुरानी मांग थी। मुजफ्फरपुर से रक्सौल छितौनी ब्रिज पूरा न होने का मतलब है कि आप वहां का इलाका पिछड़ा ही रखना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में हम आपकी कैसे प्रशंसा करें यह समझने की बात है। स्टैडिंग कमेटी ने इस संबंध में जो सिफारिश की है, उससे वहां की जनता यह समझेगी कि उनका आम जनता से कोई सम्बन्ध नहीं है।

पैसेंजर्स को दी जाने वाली सुविधाओं के विषय में आप गौर करिये। आपके दल में जो दल-बदलू गये हैं, सूर्य नारायण यादव जी, उन्होंने भी सुविधाओं के बढ़ाने की बात कही है। आज पैसेजंर्स की ऐमेनिटीज को बढ़ाने की जरूरत है। एम.पी. के रूप में हमें घूमने का मौका मिलता रहता है। हम अक्सर रेल से ट्रैवल करते हैं। जहां से गाड़ी डिपार्चर होती है, एक आदमी आता है, किताब लाता है और कहता है कि इसमें दस्तखत कर दो। हम पूछते हैं कि क्या आपने मच्छर भगाने का उपाय किया या नहीं ? इस पर वह कहता है कि जानता नहीं।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : आप उस पर दस्तखत करते हैं या नहीं ?

श्री कमला मिश्र मधुकर : दस्तखत तो करने पड़ते हैं क्योंकि मैं उसको किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता हूं।

द्वितीय श्रेणी के डिब्बों में सुविधाओं को बढ़ाया जाना चाहिए । आप इस पर गौर करके अमल कराने का प्रयास करें। सैंकिंड क्लास स्लीपर में सुविधाओं का बहुत अभाव रहता है। इसकी ओर अंसारी जी ने भी आपका ध्यान आकर्षित किया। मैं इसका समर्थन करता हूं।

हमारा इलाका हवाई जहाज से यात्रा करने वाला इलाका नहीं हैं। पहले हमे पटना जाना पड़ता है। तब हम मोतिहारी जा सकते हैं। हमें इधर-उधर घूमना भी पड़ता है। आम जनता हम से शिकायत करती है कि आप तो ए.सी. स्लीपर में यात्रा करते हैं लेकिन हमको यात्रा करने में बड़ी कठिनाई होती है। हमारा फर्ज बनता है कि उनकी कठिनाई को आपके सामने रखे। रोशनी, पानी और शौचालय की आप अच्छी व्यवस्था कीजिये। खटमलों से बचाने का उपाय आप कृपया कीजिये। जो पैसेंजर्स द्वितीय श्रेणी में यात्रा करते हैं, उनको खटमल बहुत परेशान करते हैं। शरीफ आपका नाम है और आप शरीफ भी है, लेकिन यहां शरीफ बन कर काम नहीं चल पायेगा। श्रम में उदारीकरण और निजीकरण हुआ है। यहां भी निजीकरण की शुरूआत हो रही है। आप हिन्दुस्तान को कहां ले जायेंगे ?

इस बात को वाम पक्ष के लोग ओर जनता दल के लोग भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहते हैं। कि देश की स्थिति को बिना समझे एक ऐसी दिशा में हमारा देश ले जाया जा रहा है, डंकल के विषय में चर्चा होनी है, अन्य मामलों में भी हो रही है। वैसे ही प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है। अगर कही प्राइवेटाइजेशन करना है, कहीं अव्यवस्था है तो उसका कैसे कण्ट्रोल होगा, उससे किसानों का, गरीबों का क्या लाभ होगा, पैसेंजरों को क्या लाभ होगा, इसकी देश-रेख और इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। हमारे माननीय सदस्यों ने इस बात की चर्चा की है कि आप ने जो माल भाड़े ओर रेल भाड़े की दर बढ़ाई है, इसका हम कैसे समर्थन करेंगे इसलिए इसका तो मैं विरोध करूंगा। जो तर्क अब आप दे रहे हैं, वह आप दीजिए। वह तर्क आपके होंगे लेकिन हम नहीं समझते हैं कि जनता का कोई प्रतिनिधि, जो वाम पक्ष से आया हुआ है, वह कहे कि माल भाड़े और रेल भाड़े में वृद्धि सही है। इसका जनता के लिहाज से औचित्य नहीं है, चाहे आपके लिहाज से हो, इसलिए उसपर विचार करना चाहिए और जैसा हमारे माननीय सदस्यों ने कहा कि गया राजगीर के बीच रेल कनैक्शन को करना और मध्य बिहार की बहुत सारी समस्याओं को उन्होंने कहा है, उसके बारे में ध्यान देना चाहिए।

एक समस्या की ओर मैं बार-बार ध्यान दिलाना चाहता हूं, वह यह है कि हाजीपुर से एक रेल्वे लाइन वैशाली जाय। वैशाली का इतिहास में क्या महत्व है, आप खुद जानते हैं, उसकी व्याख्या में नहीं दोहराऊंगा। वैशाली महोत्सव हो जाता है, सरकार फर्ज भी पूरा हो जाता है, राज्यपाल भी चल जाते हैं, केन्द्रीय मंत्री भी चले जाते हैं लेकिन वैशाली के विकास के लिए चाहिए कि उसको रेल्वे लाइन से जोड़ा जाय और वैशाली से आगे बढ़कर लालगंज, साहबगंज, केसरिया, अरराज, पहाड़पुर होते हुए सुगोला में चले जायें तो गण्डक कमाण्ड एरिया के किनारे-किनारे के लोगों को रेल्वे की बहुत सुविधा हो जायेगी और हमारा अंदाज है कि उससे रेल्वे को घाटा नहीं होगा, उससे रेलवे को मुनाफा होगा। इस बात पर आप विचार कीजिए और आप क्या करने जा रहे हैं, उसके बारे में आप हमें अपने जवाब में बताइये कि हम इन बातों को करने जा रहे हैं।

मैं पूरे बिहार की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सीमित दायरे तक गया हूं। सरकार की नीतियों के विषय में मैंने

थोड़ी चर्चा कर दी है लेकिन मैं आशा करता हूं कि आप उसे पूरा करेंगे और हाउस के सामने पूरा करने की गारण्टी करेंगे कि जो बड़ी लाइनों को बनाने का निश्चित लक्ष्य है, वह पूरा हो जायेगा और पुल का निर्माण हो जायेगा, इसका सर्वे किया जायेगा ताकि उत्तर बिहार की जनता का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को आप पूरा कर सकें। और बिहार जो हमारे देश का एक बड़ा भूभाग है, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार ही जनसंख्या के लिहाज से पहला राज्य है, वहां के लोगों के अधिकरों की रक्षा करना किसी भी लिहाज से मैं उचित समझता हूं। वरना बिहार की जनता के साथ सरासर अन्याय होगा। बिहार के जनप्रतिनिधियों ने मांग की है और अभी सूर्य भाई ने भी कहा है तो इन सबों की बातों को ध्यान में रखते हुए अपने उत्तर में कुछ दिशा निर्देश दीजिए कि हम बिहार के लिए क्या करने जा रहे हैं।

गाड़ियों की सुविधा भी उत्तर बिहार में बहुत कम है। आपने आम्रपाली गाड़ी चलाई है तो उससे यह हुआ है कि जो लोग कटिहार से लेकर बरौनी उत्तर बिहार के लोग जाते हैं, खासकर मजदूर लोग पंजाब, हरियाणा में काम करने के लिए जाते हैं, उनके लिए वह काफी नहीं है इसलिए उसको और बढ़ाने की जरूरत है। आपकी जो वैशाली एक्सप्रेस है, उसमें सुविधाओं को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि वही एकमात्र गाड़ी हैं, जिससे हम लोग घर की ओर जाते हैं और उत्तर बिहार के लोग भी जाते हैं। यह गाड़ी बहुत पोपुलर हो गई है इसलिए उसकी सुविधाओं पर ध्यान दीजिए और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए ताकि उत्तर बिहार की जनता आपसे जो अपेक्षा रखती है, उन अपेक्षाओं की पूर्ति हो सके।

रेल भाड़े और माल भाड़े में बढ़ोतरी का विरोध करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापटनम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रेल मंत्रालय के अनुदानों के लिए इन मांगों के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। हम सभी जानते हैं कि भारतीय रेल नेटवर्क सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा उद्यम और साथ ही, इसका इस क्षेत्र में एकाधिकार है। भारतीय रेल हमारी परिवहन व्यवस्था की भी जीवन रेखा है। हम चाहें या न चाहें, हमें यात्रा करनी होती है और अधिकतर यात्राएं रेल से ही होती है।

इस बजट में किराये भी बढ़ा दिये गए हैं। मैं यह नहीं कहता कि किराये नहीं बढ़ाए जाएं। पर इन्हें इस तरह बढ़ाया गया है कि ये अनुत्पादक हो गए हैं। माल भाड़ा दरों में जो बढ़ोतरी हुई है। उससे निश्चित ही माल ढुलाई पर असर पड़ेगा जिसके परिणामस्वरूप रेलगाड़ी से भेजने की अनिवार्यता न हो तो माल ढुलाई सड़क से ही होगी। माल के परिमाण में कोई वृद्धि नहीं हुई हैं। रेलवे को केवल थोड़ा अधिक राजस्व चाहिए, इसलिए वे माल भाड़ा दर बढ़ा देते हैं वे परिमाण में वृद्धि की बात क्यों नहीं सोचते ? वे अधिक माल की ढुलाई में अपनी कार्यक्षमता सुधारने की बात क्यों नहीं सोचते ? सामान्यतः, रेलवे का यह दृष्टिकोण नहीं हैं उनकी सोच, केवल अधिक राजस्व कमाने के लिए मालभाड़े और यात्री किराये में वृद्धि की होती है। पर रेल सही मानक के अनुरूप नहीं आ रहा है। यह केवल माल भाड़े के परिमाण को बढ़ा रहा है, दरों को नहीं। मंत्री जी से अनुरोध हैं कि वे इस मुद्दे पर विचार करें और यह देखें कि बेहतर कुशलता के साथ रेलवे अधिक से अधिक मिलियन टन माल

की ढुलाई कर सके।

मंत्री जी व्यस्त लगता हैं। **(व्यवधान)**

श्री पी.सी. चाक्को (त्रिचूर) : मैं कुछ नोट लिख रहा हूं और रेल मंत्री के वापस लौटते ही मैं यह उन्हें दे दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां उपस्थित दोनों मंत्री बहुत तेजी से नोट लिख रहे हैं।

श्री एम.वी.वी. एस. मूर्ति : मेरे व्यक्तिगत विचार से माल ढुलाई, विशेषतः कुछ खास वस्तुओं के ढुलाई के प्रभार में बढ़ोतरी का कोई औचित्य नहीं हैं। कुछ नागरिक आपूर्ति मदों के भाड़े भी बढ़ाए गए हैं। इसके अतिरिक्त जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जरूरी वस्तुओं की कीमतें आसमान को छू रही है। और मुद्रास्फीति की दर दहाई के आंकड़े पर पहुंच चुकी हैं इस मूल्य वृद्धि से आम आदमी सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। रेल मंत्री से मेरा यह अनुरोध है कि वह इस पहलू पर स्वयं गौर करें। मूलय वृद्धि कोई हल नहीं है। इसका हल कुशलता सहित परिवहन के अधिक साधन जुटाने में ही निहित है। यहां कुशलपूर्वक माल लाने-ले-जाने की जरूरत है और रेलवे को अच्छे परिणाम हासिल करने चाहिए।

कुछ रेल लाइनों पर भी विचार किए जाने की जरूरत है। अब हर व्यक्ति समान गेज लाइन नीति की बात करता है। हमारे जैसे देश पर इस समान गेज लाइन नीति का क्या प्रभाव पड़ेगा। हमें इसके बारे में गम्भीरता से सोचना चाहिए। जब हमारे यहां संसाधनों की कमी है, तो क्या बुद्धिमता यही होगी कि विद्यमान लाइनों को उखाड़ लेना चाहिए ? हमें उन्हीं स्थान पर पहले अधिक लाइनें बिछानी चाहिए। जहां अधिक अधिक जरूरत हो ? तब हमें छोटी तथा मीटर गेज की लाइनें उखाड़नी चाहिएं और वहां पर बड़ी लाइनें बिछानी चाहिएं। मद्रास-हावड़ा जैसी महत्वपूर्ण लाइन का ही उदाहरण लें जहां हम किसी भी गाड़ी से समय पर नहीं पहुंच सकते। आज सुबह ही मेरी फ्लाइट गोदावरी एक्सप्रैस रेलगाड़ी के देरी से पहुचंने के कारण छूट गई। यह गाड़ी विशाखापट्टनम से हैदाराबाद आ रही थी। यह ढाई घंटे देर से पहुंची। मेरा निवास विशाखापट्टनम में है। विशाखापट्टनम और हैदराबाद जैसे महत्वपूर्ण शहरों के बीच केवल एक ही गाड़ियां चलती हैं। इतनी महत्त्वपूर्ण होते हुए भी यह रेलगाड़ी समय पर नहीं पहुंचती है। इसमें गड़बड़ क्या हैं ? क्या हो रहा है यह ? यह अकर्मण्यता किसलिए हैं ? क्या वे इसे सही नहीं कर सकते ? यह घटना छोटी हो सकती है। किन्तु ऐसा पूरे देश में घटित हो रहा है। अपने चलने के स्थान से भी गाड़ियों में देरी कर दी जाती है। इतने अधिक कर्मचारी होते हुए तो रेलवे की नीति प्रणाली में सुधार करने तथा अधिक राजस्व प्राप्त करने की होनी चाहिए। किन्तु वे यह नीति नहीं अपना रहे हैं। मान लीजिए किसी गाड़ी का पहुंचने का समय बारह घंटे और वह 12 घंटे में अपने निर्धारित स्टेशन पर पहुंच जाती है तो यात्री परियात लागत में 10 प्रतिशत की कमी हो जाएगी किन्तु यदि यह 15 घंटे में पहंचती हैं, तो इसमें आने वाले अन्य खर्चो को मिलाकर यात्री परियात लागत में 10 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। यहां इसी बात का अंतर है। कम से कम गाड़ियों के समय पर चलने तथा गंतव्य स्थान पर पहुंचने जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर तो स्वयं ही विचार किया जाना चाहिए।

मैं कुछ और बातों का भी उल्लेख करना चाहूंगा। पहले तो यात्री सुविधाओं की बात आती है। आन्ध्र

प्रदेश में कतिपय स्टेशनों पर पीने के पानी की कमी है। मुझे दूसरे राज्यों की जानकारी नहीं है। विशाखापट्टनम में भी पीने के पानी की दिक्कत है। यही बात मैंने आपसे कही थी। और पीने के पानी की अनुपलब्धता बहुत ही गम्भीर मामला है। मीटर गेज के स्थान पर बड़ी लाइनें अथवा छोटी लाइनों के स्थान पर बड़ी लाइनें बिछाने के मामले में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। मद्रास से हावड़ा तक की जो महत्वपूर्ण रेल लाइन है वह सबसे अधिक व्यस्त मार्ग है क्योंकि यह देश की बिल्कुल बीच की लाइन है और यह लाइन कई स्थानों पर उबड़-खाबड़ है। मैं विजयवाड़ा तथा बालटेयर के बीच विद्युतीकरण की मंजूरी प्रदान करने हेतु माननीय रेल मंत्री का आभारी हूं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण खण्ड है मद्रास से लेकर विजयवाडा तक विद्युतीकरण पहले ही हो चुका है। और विजयवाड़ा से लेकर बालटेयर तक के विद्युतीकरण का आपका प्रस्ताव है जो कि दक्षिण-पूर्व रेलवे के अंतर्गत आता है। ऐसा नहीं कि मंत्री महोदय को इसकी जानकारी नहीं हैं। दक्षिण-पूर्व रेलवे को अधिकतर राजस्व बालटेयर से ही प्रापत होता है और यह अन्य रेलवे के अन्य मंडलों की तरह ही अकेला 750 करोड़ रुपए के राजस्व का योगदान देता है। कुछ ऐसे भी रेलवे मंडल हैं जिनका योगदान मात्र 1000 करोड़ रुपए ही होता है। विशाखापट्टनम खण्ड आपको 750 करोड़ रुपए राजस्व के तौर पर दे रहा है किन्तु फिर भी इसकी उपेक्षा की जा रही है। इसका अभिप्राय तो यह हुआ कि प्राथमिकताएं बदल रही हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा रहा है।

कलकत्ता से खड़गपुर तक विद्युतीकरण कार्य अब पूरा हो चुका है। बालटेयर को भी इससे जोड़ा जा रहा है। इस वर्ष रेल मंत्री महोदय ने वालटेयर से विद्युतीकरण कार्य आरम्भ न करके भुवनेश्वर से खड़गपुर के बीच में विद्युतीकरण कार्य को आरम्भ करने का विचार किया है, इसके औचित्य अथवा कल्पना को मैं समझ नहीं पाया हूं। और इस तथ्य से यह बात विदित होती है कि इसी के कारण उस दिन कई लोगों ने वाक आऊट किया था। माननीय मंत्री महोदय को यह बात सोचनी चाहिए कि इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्यों नहीं है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं हैं। कि क्या माननीय मंत्री महोदय को इन बातों की जानकारी दी गई थी अथवा नहीं। माननीय मंत्री महोदय को दिल्ली-मुम्बई, दिल्ली-कलकत्ता, कलकत्ता-मद्रास आदि जैसे मुख्य मार्गों के बारे में भी सोचना चाहिए। ये महत्वपूर्ण मार्ग हैं।

[अनुवाद]

जब आपका विद्युतीकरण का काम पूरा हो जायेगा तब आप इंधन, डीजल और समय की बचत कर पाएंगे। आप काफी अधिक धन बचा पाएंगे। जो अतिरिक्त धन आप बचा रहे हैं, उसका अलाभकारी दिशा में उपयोग संभव हो पायगा। मुझे विश्वास है कि रेल मंत्री वाल्टेयर से शुरू होने वाले इस विद्युतीकरण के पहलू पर भी गौर करेंगे। यदि आप विद्युतीकरण का कार्य वाल्टेयर से शुरू नहीं करते हैं तो वाल्टेयर के लोग रेलवे को कभी माफ नहीं कर पाएंगे।

आन्ध्र प्रदेश से संबंधित एक और पहलू हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान रेलवे ने कई लाइनें शुरू की थी जो काफी लाभप्रद है। उन्होंने लाइनों को बिछाने का कार्य किया था। उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है। हमने रेलवे संचालन का कार्य उन्हीं से सीखा है। 1942 में एक रेल लाइन को पटरी के अभाव में खत्म करना पड़ा। मैं कारण

नहीं जानता हूं। यह काकीनाडा और कोटीपल्ली के बीच 45 किलोमीटर लंबी लाइन थी। यह उन छह लाइनों में से एक लाइन है जिसे समाप्त किया गया है। इन छह लाइनों में से शेष पाँच लाइनें बहुत पहले ही शुरू की जा चुकी है। इस छठी लाइन को इस क्षेत्र के मूक और बेजुबान लोगों की वजह से छोड़ दिया गया। यह काफी अनुचित हैं मैं माननीय रेलमंत्री से इस पहलू की ओर गौर करने हेतु आग्रह करूंगा। यह भी प्रतीत होता है कि हाल्द में इस मार्ग से संबंधित कोई सर्वेक्षण किया गया है। इस पर पुनर्विचार होनी चाहिए।

किसी नई पटरी बिछाने का मानक क्या है ? स्वाभाविक रूप से इस निवेश से धन प्रापत होगा। यदि इसकी कसौटी निवेश से प्राप्त होने वाली आय ही है। तो मेरे विचार में इस लाइन से 14.8 प्रतिशत या 15 प्रतिशत के आसपास वापसी मिल रही है। मैं रेलमंत्री के विचार से सहमत होता यदि उन्होंने इस वर्ष 15 प्रतिशत से ज्यादा वापसी की राशि देने वाली रेल लाइनों का कार्य शुरू किया होता। लेकिन निश्चित रूप से निर्णय का यह आधार नहीं है। प्राथमिकताएं भिन्न-भिन्न हैं। केवल निवेश से प्राप्त होनेवाली वापसी की राशि ही मानदण्ड नहीं हैं अपितु पटरियों के बिछाने का मानदण्ड और भी अन्य नीति संबंधी पहलू हैं जिसके कारण नई लाइनें बिछाई जाती हैं। हम इस बात से इंकार नहीं करते हैं। लेकिन जहां प्राप्त होने की आशा होती है, जहां पर रोजी-रोटी कमानेवाले लोग बसते हैं, जहां पर लोगों की भावनाएँ जुड़ी हैं, और जहाँ की पटरियां अतीत में हटाई जा चुकी है, वहां पर समुचित कदम उठाया जाना चाहिए और मुझे विश्वास हैं कि इस पर विचार किया जाना चाहए। मैं इन तरह की बातों के लिए माननीय मंत्री से न्यायपूर्ण व्यवहार की आशा करता हूँ।

फिर, हम काफी समय से विशाखापत्तनम से नई दिल्ली के लिए एक रेलगाड़ी शुरू करवाने की मांग करते रहे हैं। उसे प्रायोगिक आधार पर सप्ताह में एक बार चलाया गया था। उस प्रयोग का क्या हुआ, मुझे मालूम नहीं हैं। वह प्रयोग प्रायोगिक स्तर पर ही कुछ दिनों के लिए रहा और फिर समाप्त हो गया। मुझे विश्वास हैं कि रेल मंत्री विशाखापत्तनम के लोगों के न्यायोचित आग्रह, कि वाल्टेयर से नई दिल्ली के बीच एक रेलगाड़ी चलाई जाये, पर विचार करेंगे।

महोदय, विशाखापत्तनम एक विकासशील औद्योगिक नगर हैं और इस नगर का यह प्रारब्ध है। यह इक्कीसवीं शताब्दी का नगर है। इसका विकास इसी योजना को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। काफी ज्यादा मात्रा में निवेश किए जा रहे हैं। भुवनेश्वर और विशाखापत्तनम तथा विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा के बीच चलने वाले अनेक यात्री गत दो वर्षों से भुवनेश्वर से विशाखापत्तनम तथा विशाखापत्तनम से विजयवाड़ा के बीच एक इन्टर-सिटी एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने की मांग कर रहे हैं। हर बार इस संबंध में वायदे किए जाते हैं लेकिन हर बार हमें निराशा मिलती है। मुझे विश्वास है कि इस भावना का ख्याल रखा जाना चाहिए क्योंकि यह आमलोगों की इच्छामात्र नहीं है वरन् व्यवसायी समुदाय की आवश्यकता भी है। यह औद्योगिक वृद्धि में मदद करेंगा।

एक बार ये विद्युतीकरण परियोजनाएं पूरी हो जाये फिर आप 'डीजल मल्टीपल यूनिट्स' के स्थान ''इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स' चला सकते हैं।

डीजल मल्टीपल यूनिट्स' के स्थान पर 'इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स' चलाने की आवश्यकता इसलिए हैं क्योंकि हम डीजल खरीदने में सामर्थ्य नहीं है। हम डीजल क्यों बर्बाद करें ? अतएव, कलकत्ता और मद्रास की ट्रंक लाइन के विद्युतीकरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यदि ओर कोई ट्रंक लाइन हैं तो उसे भी युद्ध-स्तर पर पूरा किया जाना चाहिए ताकि इससे अधिकतम लाभ उठाया जा सके। इसके अलावा और भी अनेक स्थानीय समस्याएं हैं। यदि माननीय रेल मंत्री विशाखापत्तनम का दौरा करने की कृपा करें तो हम उन मुद्दों को उठा सकते हैं।

श्री सी.के.जाफ़र शरीफ़ : मैं 30 अप्रैल को दौरे पर जा रहा हूं।

श्री एम.वी.वी.एस. मर्ति : हम आपके अति आभारी हैं। हम उन मुद्दों को आपकी नजर में लाएँगे। मुझे विश्वास हैं कि मैंने इस क्षेत्र के साथ हुए अन्याय को आपकी नजर में लाने हेतु पूरा प्रयास किया है। अतएव, मैं इन मामलों पर सहृदयतापूर्वक विचार करने के लिए आपसे आग्रह करता हूं।

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) **:** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश के एक कोने से दूसरे कोने तक फैले विस्तृत नेटवर्क वाला रेलवे देश के सम्पूर्ण विकास को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं रेलवे एक मात्र ऐसी संस्था हैं जो किसी न किसी रूप में लगभग प्रत्येक भारतीय के जीवन से जुड़ी है। रेलवे की कार्यकुशलता, विस्तार तथा समयबद्धता देश के प्रगति का वास्तविक मापदण्ड है।

महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री को रेलवे के कार्यकलाप को बेहतर बनाने, इसके नेटवर्क का विस्तार करने तथा रेलवे की आय को बढ़ाने में सतत प्रयास करने के लिए बधाई देता हूं। यह हम सभी जानते हैं कि आमान परिवर्तन के कार्य को युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। जिससे अब तक उपेक्षित क्षेत्र को काफी मदद मिलेगी तथा इसके साथ ही देश के बेरोजगार युवकों को भी रोजगार का अच्छा मौका मिलेगा।

महोदय, जैसा कि सभी सदस्य इस अवसर का उपयोग अपने क्षेत्र की मांगों की उठाने के लिए करते हैं, मैं भी अपने क्षेत्र के मांगों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। पंजाब तथा हरयाणा को खुशहाल राज्य होने की आम धारणा के कारण, देश के इस भाग में रेलवे नेटवर्क के विस्तार पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था उतना नहीं दिया गया । चण्डीगढ़ जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं उसका हमारे देश में विशिष्ट स्थान है ? यह पंजाब तथा हरयाणा दोनों सज्यों की राजधानी है। तथा संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यालय भी है। यह हिमाचल प्रदेश का प्रवेश द्वार है। और पर्यटन, वस्तुकला एवं फलहा-फुलहा मोहाली औद्योगिक दृष्टिकोण से इसके महत्व को कम नहीं आंका जा सकता। लेकिन, महोदय, कुछ वर्षों से इस पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था उतना नहीं दिया गया। यदि मैं गलत नहीं हूं तो चण्डीगढ़ एवं लुधियाना को रेलवे लाइन से जोड़ने के संबंध में पिछले कई दशकों से सदन के अंदर तथा सदन के बाहर मांग उठाई जाती रही है। कई वर्ष पहले इस योजना की संभाव्यता के संबंध में सर्वेक्षण कराया गया था।

6.00 म.प.

मुझे लगता है कि चण्डीगढ़ से लुधियाना को रेलवे लाइन द्वारा जोड़े जाने की आवश्यकता को मंत्रालय

द्वारा सराहा गया था और हम लोग कोई बहुत लंबी नई रेलवे लाइन की मांग भी नहीं कर रहे हैं। यह लगभग 100 कि.मी. की दूरी है। लेकिन सर्वेक्षण एवं समय-समय पर आश्वासनों के बावजूद वहां पर कोई भी ठोस कार्य नहीं किया गया है।

हाल ही में हम लोगों ने सुना कि पंजाब एवं हरियाणा की राजधानी चण्डीगढ़ को पंजाब के अन्य भागों से जोड़ने के उद्देश्य से, कम से कम एक रेललाइन राजपुरा तक दी जाएगी जिससे अंबाला तथा उससे आगे पंजाब तक जाना सुगम हो जाएगा। तुलनात्मक रूप से यह मार्ग कम दूरी वाला है। लेकिन उसके बाद इसमें कोई प्रगति नहीं हुई।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सदन की कार्यवाही को एक-दो घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए या नहीं ?

श्री बसुदेव आचार्य : सभा की कार्यवाही कल जारी रह सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आज सदन की कार्यवाही 15 मिनटों के लिए बढ़ा दी जाए चूंकि अगले वक्ता डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय कल श्री राम नाई से मिलने मुंबई जाना चाहते हैं। श्री पवन कुमार बंसल अपनी बात कल कह सकते हैं। अब डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय बोलेंगे।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) **:** रेलवे की स्थाई समिति की रिपोर्ट, रेलवे सम्बन्धी अनुदान की मांगे व साथ ही रेलवे कन्वेशन कमेटी की रिपोर्ट पर अतिरिक्त अनुदान की मांगों के सम्बन्ध में हम चर्चा करने जा रहे हें। जहां तक रेलवे सम्बन्धी स्थाई समिति की सिफारिशों का सम्बन्ध हैं मैं सदन का ध्यान समिति के पांचवे प्रतिवेदन के पृष्ठ 5 पर की गई एक सिफारिश की तरफ दिलाना चाहता हूं। समिति नोट करती है कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक पेंशन निधि में 276 करोड़ रुपये की राशि बकाया रहने की आशा की जाती हैं। अंत में कहा गया है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1994-95 में अनुदान को बढ़ाकर 1690 करोड़ रुपये किया जाये ताकि सम्भावित कारणों और रेलवे की वित्तीय स्थिति को मद्देनजर देखते हुए लघु समायोजना के अधीन होगी। मैं चाहता हूं कि इस सिफारिश पर गम्भीरतापूर्वक सरकार ध्यान दे और रेल मंत्रालय कार्यवाही करें। इसी तरह पृष्ठ 21 पर लिखा है कि उच्च ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए समिति महसूस करती है कि वर्ष 1994-95 के दोरान रेलवे के लिए ब्याज से ऋण लेना सम्भव नहीं होगा। अतः समिति यह सिफारिश भी करती है। कि पांचवी योजना में बजटीय समर्थन 75 प्रतिशत से घटकर चालू वर्ष के 14.8 प्रतिशत हो गया है, उसमें समुचित वृद्धि करने की आवश्यकता है। अतः वित्त मंत्रालय और योजना आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। आर. सी.सी. ने भी अपनी सिफारिशें की हैं कि उसको किस प्रकार से समायोजित किया जाये और अपनी वित्तीय स्थिति सुधरे और यातायात की दृष्टि से किस प्रकार कार्य करें। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट के पेज 11 में कहा है कि यातायात का जो परसंटेज बढ़ना चाहिये था, नहीं बढ़ा हैं उसको किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है और उससे कैसे आय हो सकती है, इसके बारे में ध्यान दिये जाने की आवश्यकता हैं रेलवे का एक सामाजिक उद्देश्य है। भारतीय रेल न केवल वाणिज्यिक हितों का संरक्षण करती है अपितु समाज के विभिन्न वर्गों के हितों का सम्पादन करती है और विभिन्न क्षेत्रों का समुचित विकास हो, इस दृष्टि से भी रेले काम करती है लेकिन पिछले

समय से जिस प्रकार से क्षेत्रीय असंतुलन हुआ है, वह नहीं होना चाहिये था। इस बारे में रेलवे की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ 38 पर अपनी टिप्पणी दी है। कि रेलवे जब चाहे नयी परियोजनायें अपने हाथ में ले लेती हं और जब चाहे बंद भी कर देती हैं। तो सहसा हाथ में लेना और सहसा बंद कर देना एक अनिश्चितता की स्थिति पैदा कर देता है। इसलिये कहा गया है कि यदि कोई नयी योजना हाथ में ली जाये तो उसको पूरा किया जाये। उन पर होने वाला व्यय ठीक रहे अन्यथा जैसा इन्दौर-दोहद रेलवे लाइन का हुआ है कि जो स्वीकृत किया गया वह कार्य नहीं किया गया है।

जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि मध्य प्रदेश को जो रेलवे लाइन मिलनी चाहिये थी, नहीं मिली है। कुछ क्षेत्रों मे भले ही आपने कुछ करने का प्रयत्न किया है लेकिन मोटे तौर पर नई लाइनें नहीं मिली हैं। मैं रेल मंत्रालय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि किस प्रकार से रेलवे अपने दायित्व को पूरा करने में पीछे रही हैं। रेलवे संबंधी स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट के पेज 37 पर कहा है कि रेल मंत्रालय के पास नयी रेल परियोजनाओं को लम्बित रखने या बंद करने के बारे में निर्णय करते समय कोई मार्गदर्शित सिद्धांत नहीं हैं। सब तदर्थ आधार पर किया जाता है। जो नहीं किया जाना चाहिये था। जो योजना एक बार प्रारम्भ की जा चुकी है, इसको ठीक से करना चाहिये। इस संदर्भ में नीमच-रतलाम ब्राड गेज की बात कहूंगा कि इसके लिये प्रथम वर्ष में एक करोड़ रुपया औद बाद में 2 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ लेकिन काम प्रारम्भ करने में विलम्ब हो रहा है। इससे लोगों में आशंकायें हो रही हैं। कोटा-नीमच तक ब्राड गेज हो गया है लेकिन रतलाम तक नहीं हो पाया है और समिति ने जो कहा है कि वह इस बात के सिद्ध करता है। इसी प्रकार कोटा-बारा को रेलवे लाइन से जोड़ी जाये ताकि मध्य प्रदेश और राजस्थान का उचित लिंक बन सके।

उपाध्यक्ष महोदय, परिचालन पर जो व्यय होता है, उसकी तरफ भी मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। समिति ने परिचालन व्यय में कटौती करने का सुझाव दिया है। परिचालन व्यय बढ़ रहा है, इसके क्या कारण हैं और इसको किस प्रकार से कम किया जा सकता ? दुर्घटनायें बढ़ रही हैं। इसका पता लगाना चाहिये कि किस कारण से हो रही हैं ? उनकी पुनरावृत्ति न हो, इस ओर माननीय रेल मंत्री जी ध्यान देंगे। एक बात और कि जिस प्रकार से नई रेलों की मांग बढ़ रही हैं। वहीं रेलों की गति भी बढ़ाने की बात करते हैं। एक साथ कई कठिनाइयां आ सकता है फिर भी जो रेल लाइन अच्छी जैसी होनी चाहिए, वह सक्षम नहीं हैं। आपके पास 150 कि.मी. प्रति घंटा की गति से चलने वाले इंजिन हैं लेकिन रेल लाइन ठीक नहीं हैं। इसमें सुधार की आवश्यकता हैं। समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कराया है कि इस समय रेल डिब्बों की हालत क्या है। आज हालत यह है कि प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बों की बजाय आप द्वितीय श्रेणी के रेल डिब्बों में यात्रा करना अधिक पसन्द करेंगे जो प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बों से ज्यादा अच्छे हैं समिति ने खुद इस बारे में अपना मत व्यक्त किया है और कहा है कि इन रेल डिब्बों की खरीद और रखरखाव के बारे में सरकार और रेल मंत्रालय को ध्यान देना चाहिये।

इसके साथ साथ मैं यहां रेल सुविधाओं की चर्चा भी करना चाहूंगा क्योंकि जैसे जैसे यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, आवागमन बढ़ रहा है, माल का लदान बढ़ रहा है, उसे देखते हुए जिस आवश्यकता की पूर्ति होनी

चाहिये, वह पूर्ति नहीं हो रही हैं, और जो सुविधायें यात्रियों को मिलनी चाहिये, वे सुविधायें उन्हें नहीं मिल रही हैं। किसी गाड़ी में 22 डिब्बे चलते हैं, किसी में 20 डिब्बे या 16 डिब्बे चलते हैं जबकि प्लेटफार्म की क्षमता केवल 12 डिब्बों की है। इतना ही नहीं, कहीं स्टेशन के ऊपर शेड नहीं है कहीं यात्रियों को पीने का पानी नही मिलता है। तपती धूप में, बरसात में या ठंड में यात्रियों को वहां अपना समय व्यतीत करना पड़ता हैं इसलिये जहां आप अपनी क्षमता में विस्तार करने जा रहे हैं। वहीं यात्रियों की सुविधाओं की तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिये।

मैं चाहता हूं कि रेलवे अभिसमय समिति ने प्रयत्नपूर्वक जो सिफारिशें की हैं, उन सिफारिशों को लागू करने की दिशा में आपको कदम उठाने चाहिये।

समिति ने एक ओर महत्वपूर्ण बात कहीं हैं, उसके बाद एक और विषय की ओर ध्यान दिलाते हुये, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मैने प्रारम्भ में ही कहा था कि मैं सदन का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। रेल संबंधी स्थायी समिति ने अपने छठे प्रतिवेदन में पृष्ठ 21 पर कहा है - ''समिति को यह जानकर हैरानी हुई कि रेलवे माल-परिवहन की अभिवृद्धि के संबंध में कोई सुव्यवस्थित अध्ययन नहीं करता है। यह जानकर समिति और भी क्षुब्ध हैं कि योजना आयोग भी ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं करता। समिति का यह मत हैं कि यदि माल परिवहन का सतत अध्ययन नहीं किया गया तो रेलवे द्वारा एक स्थान से अन्यत्र ले जाने वाले अपेक्षित माल-परिवहन भत्ते के विषय में सही पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता और इसके लिऐ उसे आवश्यक बुनियादी क्षमता का विकास करना होगा।'' मैं समझता हूं कि यह काफी महत्वपूर्ण सिफारिश समिति द्वारा की गयी हैं और संतुलित विकास की दृष्टि से जिस प्रकार का सर्वेक्षण किये जाने की आवश्यकता है, उसे किया जाये।

अंत में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन यात्री सुविधाओं की ओर मैंने ध्यान दिलाया, रेलवे के विस्तार को देखते हुये, रेलवे की क्षमता वृद्धि को देखते हुए जो सुविधायें यात्रियों को दी जानी चाहिये, वे सुविधायें उन्हें निश्चित रूप से मिले। अन्य बातों को मैं यहां चर्चा के दौरान उठाना ठीक नहीं समझता हूं और उन्हें लिखकर मंत्री जी के पास भिजवा दूंगा कि कहां समय-सारिणी में परिवर्तन की आवश्यकता है, किन क्षेत्रों में रेलवे के कौन से व किस विकास की आवश्यकता है या कहां किस गाड़ी का हाल्ट देने की आवश्यकता है। मैं पूर्ण रूप से रेलवे अभिसमय समिति या रेलवे कंवैशन कमेटी तथा रेत संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों से सहमत हूं। इसके अतिरिक्त जिन अतिरिक्त अनुदानों की मांगों को मंत्री जी ने सदन के सामने रखा है, उनके संबंध में निश्चित रूप से सरकार को और मंत्रालय को ध्यान देना चाहिये कि हम कितना खर्च करेंगे, कितना अतिरिक्त खर्च हो सकता है आदि। यदि हमारा अनुमान 100 करोड़ रुपये से बढ़कर 300 करोड़ रुपये हो जाता है तो निश्चित रूप से हमारे पूर्वानुमान ठीक नहीं हैं। इस दृष्टि से मंत्रालय को फिर से ध्यान देना चाहिये। यात्री सुविधाओं के मामले में जिस प्रकार से आज रेलवे में अनदेखी हो रही हैं, उपेक्षा हो रही हैं, जिस प्रकार से किराया वृद्धि करके निरंतर यात्रियों से पैसा वसूल किया जा रहा है। लेकिन उनकी सुविधाओं में बढ़ोतरी नहीं हो रही हैं, न खान-पान की ठीक से व्यवस्था है, न प्लेटफार्मो पर ठीक से बैठने की व्यवस्था हैं, न लाइटिंग का इंतजाम हैं और न शेडों की व्यवस्था है, ओवर-ब्रिजों की बात तो आप छोड़ ही दीजिये क्योंकि ऊपरी-पुलों के बारे में मंत्री

जी कहेंगे कि इसमें राज्य सरकारों को आधा पैसा देना पड़ेगा, यदि वे आधा पैसा दे तो हम बनाने के लिये तैयार हैं लेकिन कई स्थान ऐसे हैं जहां ओवरब्रिज बनाने की बहुत आवश्यकता है क्योंकि उनके न होने से घंटों तक आवागमन ठप्प रहता है। उदाहरण के लिये रतलाम से पिछले सात सालों से एक ओवरब्रिज बन रहा है, कई करोड़ रुपया उस पर खर्च हो चुका है लेकिन अभी तक वह तैयार नहीं हुआ है। पता नहीं कब तक वह तैयार हो पायेगा। उसी तरह नीमच और मंदसौर आदि में भी ओवरब्रिज की बहुत आवश्यकता है। उनके बारे में कुछ पता नहीं कि कोई निर्णय भी किया गया है या नहीं। क्या राज्य सरकारों से आपके पास कोई प्रस्ताव आये हैं। मैं चाहता हूं कि राज्य सरकारों से आपके पास जो ओवरब्रिज बनाने के प्रस्ताव आये हैं, उन पर शीघ्र कार्यवाही होनी चाहिये क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार अनेक प्रस्तावों पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

अंत में, मैं चाहूंगा कि मैंने जिन विषयों की ओर सरकार और मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया है और जो कटौती प्रस्ताव रखे हैं, उन कटौती प्रस्तावों पर बल देते हुए, मंत्रालय उनमें कही गयी बातों को देखें और उनमें जो कार्यवाही की जानी अपेक्षित हैं, उस कार्यवाही को करने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पवन कुमार बंसल बोल रहे थे। डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय को बोलने का मौका देने के लिए हमें उनके भाषण को रोकना पड़ा। अतः श्री बंसल अपना भाषण कल जारी रखेंगे।

06.15 म.प.

तत्पश्चात लोकसभा 27 अप्रैल 1994/ 7 वैशाख, 1916 (शक)

के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ?